वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

सत्यमेव जयते

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2015-16

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

भारत सरकार

विषय–वस्तु

अध्याय–1
सिंहावलोकन 1

अध्याय–2
नए पहलें 5

अध्याय–3
प्रारंभिक शिक्षा 15

अध्याय–4
माध्यमिक शिक्षा 53

अध्याय–5
स्कूल शिक्षा को सांस्थानिक सहायता 59

अध्याय–6
प्रौढ़ शिक्षा 91

अध्याय–7
उच्चतर और तकनीकी शिक्षा 103

अध्याय–8
प्रौद्योगिकी समर्थित अध्ययन 149

अध्याय–9
भाषा और संबंधित क्षेत्र 157

अध्याय–10
कॉपीराइट और पुस्तक संवर्धन 189

अध्याय–11
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूनेसको 203

अध्याय–12
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा 217

अध्याय–13
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य 237

अध्याय–14
महिलाओं का शैक्षिक विकास 249

अध्याय–15
निःशक्तों का शैक्षिक विकास 259

अध्याय–16
प्रशासन और नीति 269

अध्याय 01

सिंहावलोकन

अध्याय 01

सिंहावलोकन

अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा, नई खोज, नए ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की आधारशिला है जो व्यक्ति तथा किसी राष्ट्र के विकास तथा समृद्धि को गति प्रदान करती है। इसके लिए, हमें अपनी पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र को हमारे समाज और अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक बनाने और किशोरावस्था से ही समस्या–समाधान की खूबियों तथा सृजनात्मक सोच, कार्य करते हुए सीखने, सजीव प्रसंगों की बेहतर समझ और विश्वास से स्वअभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और इसे संपूर्ण रूप से कार्यान्वित करने को सुनिश्चित करना
- देशभर में शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार और पहुंच को बढ़ाने सहित नियोजित विकास
- समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में लाभवंचित समूहों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला–पुरूष समानता और सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करना
- समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, ऋण सहायिकी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करना
- यूनेस्को और विदेशी सरकारों और विश्वविद्यालयों के साथ निकटता से कार्य करने सहित शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) तैयार करने के लिए अभूतपूर्व सहायक, बहु–स्टेक होल्डर और बहु–आयामी परामर्शी प्रक्रियाएं प्रारंभ की हैं। इन त्रि–आयामी परामर्श प्रक्रियाओं में ऑनलाइन, जमीनी स्तर और राष्ट्रीय स्तर की विषयगत विचार–विमर्श शामिल हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद और अनेक केन्द्रीय निधिबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थाओं, स्वायत्त निकायों के माध्यम से विषयगत परामर्श तैयार किए गए हैं जिनमें जुलाई–अक्तूबर, 2015 में विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, औद्योगिक प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी सहित सभी उपयुक्त स्टेकहोल्डरों को आमंत्रित किया गया था। नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने वाली समिति को 'नई शिक्षा नीति विकास समिति' का नामकरण से गठन किया गया है। ये समिति कार्रवाई के लिए कार्यढांचे (एफएफए) के साथ–साथ मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाएगी और परिणाम दस्तावेजों, प्राप्त सिफारिशों, सुझावों की जांच करेगी।

वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के जरिए काम करता है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य "शिक्षा का सर्वसुलभीकरण" और हमारे युवाओं को बेहतर नागरिक बनाना है। उच्चतर शिक्षा विभाग अग्रणी प्रोफेसरों, विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शोध एवं कौशल विकास के लिए पर्याप्त अवसरों के साथ लिए प्रयासरत है ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम विश्व के सबसे बड़े कुशल कार्यबल का सृजन करें। इसके लिए कई नई योजनाएं और पहलें नियमित रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। यही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हम सही मूल्य प्रणाली, संवेदनशीलता तथा जिम्मेदारी के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करें। मंत्रालय अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के बच्चों तथा लोगों के लिए गुणवत्तायुक्त, समावेशी, मितव्ययी तथा सार्थक शिक्षा तक सहज पहुंच बनाने में सफल रहा है।

★★★★★

अध्याय 02

नई पहलें

अध्याय 02

नई पहलें

एनआरओईआर (राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन रिपोजटरी)

राष्ट्रीय मुक्त शैक्षिक संसाधन रिपोजटरी (एनआरओईआर) स्कूल शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के सभी चरणों में सभी डिजिटल और डिजिटल योग्य संसाधनों को साथ लाने की एक पहल है। वर्तमान में इसके विभिन्न वर्गों के 20 हजार से भी ज्यादा संसाधन हैं जिसमें वीडियो, ऑडियो, पाठ्यपुस्तकें, दस्तावेज, जनजातीय भाषाओं (सिक्किम से लिंबो, लेपचा, भूटिया, त्रिपुरा से कोकबार्क, झारखंड से संथाली और खोरथा, मणिपुर से मेथई, नगालैंड से एओ और तेनीडी और मेघालय से गारो, खासी, अरूणाचल से गालो) सहित 29 भाषाओं में परस्पर बातचीत करने संबंधी सामग्री और चित्र शामिल हैं।

ई–पाठशाला

एनसीईआरटी द्वारा ई–पाठशाला पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाओं सहित सभी ई–शैक्षिक संसाधनों और अन्य मुद्रण और गैर मुद्रण सामग्री की प्रदर्शन मंजूषा और विस्तारण के लिए ई–पाठशाला का निर्माण किया गया है। यह मंच विविध ग्राहकों तक पहुंचने और डिजिटल विभाजन (भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक और भाषाई) को पाटने, ई–अंतर्वस्तु की तुलनात्मक गुणवत्ता प्रदान करने और हर समय और हर जगह उसकी मुक्त सुलभता सुनिश्चित करने संबंधी जैसी दोहरी चुनौती का समाधान करता है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक बहु प्रौद्योगिकी मंचों अर्थात् मोबाइल फोनों, (एण्ड्रॉयड, आयोस और विण्डो–प्लेटफार्म) और टेबलेट्स (जैसे ई–पब) और वेब की लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से (जैसे फिल्पबुक्स), ई–बुक्स की सुलभता पा सकते हैं।

शाला सिद्दी

एडनेक्स्ट– में दिनांक 07.11.2015 को स्कूल शिक्षा में आईसीटी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें स्कूल मानकों और मूल्यांकन कार्यढांचा और उसका वेब पोर्टल आरंभ किया गया। स्कूल मानक और मूल्यांकन कार्यढांचा स्कूल सुधार के लिए स्कूल मूल्यांकन हेतु एक व्यापक उपकरण है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को अपना मूल्यांकन अधिक केन्द्रित और कार्यनीतिक ढंग से करने में समर्थ बनाना और सुधार के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने हेतु उन्हें सुसाध्य बनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहमत मानकों के सग्रह को स्थापित करना करना और महत्वपूर्ण निष्पादन प्रभाव क्षेत्रों और स्कूल–मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण मानकों पर फोकस करते हुए प्रत्येक स्कूल का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करना स्वमूल्याकन हेतु है। कार्यढांचे की संरचना साधारण लेकिन लचीली है और जो अंत और बाह्य दोनों मूल्यांकन करती है। कार्यढांचे का वेब पोर्टल कार्यढांचे के तहत 7 मुख्य क्षेत्रों में स्वयं मूल्यांकन के लिए सभी स्कूलों को समर्थ बनाता है। मूल्यांकन का परिणाम स्कूल रिपोर्ट कार्ड के साथ सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध होगा।

सारांश

सीबीएसई ने ''स्कूलों और अभिभावकों में आपसी अन्योन्य क्रिया से बच्चों की शिक्षा सुधारने और आंकड़ों की सहायता से अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन निर्णय लेने में सहायता'' प्रणाली तैयार की है। सारांश के लिए मोबाइल एप की शुरूआत की गई है। यह उपकरण स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और पाठ्यचर्या में सुधार के क्षेत्रों की पहचान और परिणामों की तुलना से परिवर्तन कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति देता है। ''सारांश'' को 'शिक्षा में बेहतरीन सरकारी पहलों के लिए पुरस्कार' ई–इंडिया 2015 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' हेतु स्कोच प्रतिभा आदेश और स्कोच पुरस्कार (उच्चतम स्वतंत्र सम्मान) से भी नवाज़ा गया है।

शाला दर्पण

सभी 1099 केन्द्रीय विद्यालयों को कवर करने के लिए ''शाला दर्पण परियोजना'' का प्रथम चरण 05.06.2015 को प्रारंभ

किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों और समुदायों को स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सेवाएं प्रदान करना है। छात्रों और स्कूल निष्पादन से संबंधित समग्र सूचना सहज उपलब्ध साफ्टवेयर एप्लिकेशन, एसएमएस अलर्ट सहित मोबाइल प्रौद्योगिकी के संयोजन से प्रदान की जाती है। इन परियोजना के मुख्य हितधारक/लाभार्थी, अभिभावक, छात्र, शिक्षक, स्कूल प्रबंधन और स्कूल अभिशासन/प्रशासन हैं। स्कूल सूचना सेवाओं के अंतर्गत, ये सेवाएं उपलब्ध होंगी अर्थात स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन, छात्र प्रोफाइल प्रबंधन, कर्मचारी सूचना, छात्र उपस्थिति, छुट्टी प्रबंधन, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यचर्या खोज प्रथा, अभिभावकों/प्रशासकों के लिए छात्र और शिक्षक उपस्थिति संबंधी एसएमएस अलर्ट शामिल हैं।

जीआईएस मैपिंग

किसी भी आवासीय स्थान से उचित दूरी में किसी भी भेदभाव के बिना स्कूल के भौगोलिक संयोजन के साथ स्कूलों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लक्ष्य से स्कूल के जीआईएस वेब समर्थित प्लेटफॉर्म पर यूडीआईएसई में उपलब्ध स्कूल की जानकारी अपलोड की जा रही है। सभी राज्य जीआईएस मैपिंग कर रहे हैं तथा जम्मू और कश्मीर का छोड़कर, एनआईसी के साथ स्कूलों के भौगोलिक संयोजन को साझा कर रहे हैं। इस मैपिंग को सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक स्कूल मैप किया जाए और यूडीआईएसई जानकारी के आधार पर विस्तृत स्कूल रिपोर्ट कार्ड द्वारा समर्थित हो, राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा सांख्यिकी (यूडीआईएसई) डाटा बेस को जोडा गया है। स्कूल सूचना (स्थानिक और गैर स्थानिक डाटा) के बारे में वेब समर्थित मंच विकसित करने का यह प्रयास एसएसए और आरएमएसए के तहत उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्तायुक्त आयोजना और बेहतर उपयोग में सहायक होगा।

कक्षा X के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण

कक्षा X के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनसीईआरटी द्वारा पहली बार प्रारंभ किया गया है। कक्षा X के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) पर सारांश रिपोर्ट एनसीईआरटी द्वारा 4 जनवरी, 2016 को मंत्रालय को सौंपी गई है। इस सर्वेक्षण में पांच विषयों में विद्यार्थियों की उपलब्धि की जांच की गई हैः अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और आधुनिक भारतीय भाषा। यह परीक्षण 33 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और बोर्डों में तकनीकी प्रक्रियाओं के कठोर अनुपालन के साथ नमूना डिजाइन, परीक्षण विकास और अनुवाद की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बाद प्रशासित किया गया है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि बच्चों की उपलब्धि विभिन्न पृष्ठभूमि कारकों पर निर्भर है, जो सर्वेक्षण के तहत विस्तृत रूप से एकत्रित किए गए हैं। नीति निर्माताओं और पाठ्यचर्या विकसित करने वाले और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए उपलब्धि अंकों और पृष्ठभूमि का गहरा विश्लेषण अधिक महत्पूर्ण होगा जिसमें पैरामीटर जैसे ग्रामीण शहरी और प्रबंध आदि शामिल है। तदनुसार, विभिन्न विषयों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, (सेवापूर्व और सेवाकालीन) कार्यक्रम को शिक्षा शास्त्रीय अवधारणाओं में सुधार करने हेतु एनएएस के निष्कर्षों के आधार पर डिजाइन किया जाएगा।

कला उत्सव

कला उत्सव, देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों की कलात्मक प्रतिभा को निखार कर और प्रदर्शित करके शिक्षा में कला (संगीत, रंगमंच, नृत्य, थेयटर और शिल्प) को प्रोत्साहित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है और यह समावेशी वातावरण में कला के लिए एक केन्द्रीय मंच भी है। कला उत्सव के भाग के रूप में संगीत, रंगमंच, नृत्य, थेयटर और शिल्प के चार विषयों में जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई और तत्पश्चात् कला उत्सव, 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता दलों ने भाग लिया जो 8–11 दिसंबर, 2015 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लगभग 1400 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 9 जुलाई, 2015 को किया गया था। यह 6–18 आयु वर्ग के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रेरित और प्रोत्साहित करने की एक पहल है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक विशिष्ट परिकल्पना है जिसका लक्ष्य स्कूल के बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछने की भावना, सृजनशीलता और अनुराग समावेशित करना है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य कार्यकलापों में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों की मेंटरिंग; स्कूल में बच्चों के लिए गणित और विज्ञान क्लब स्थापित करना और विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान के शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षकों का व्यावसायिक विकास शामिल है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (एसएसए) के तहत निधियन सर्व शिक्षा

अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत मूल्यांकित की जाती है। 2015–16 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए कुल निधियन 124.78 करोड़ रू. है।

''पढ़े भारत बढ़े भारत''

'पढ़े भारत, बढ़े भारत', सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है, जिसे ट्विन ट्रैक एप्रोच पर योजनाबद्ध किया गया है; (i) समझ के साथ पढ़ने और लिखने की रूचि बनाते हुए भाषायी विकास में सुधार करना; और (ii) वास्तविक और सामाजिक जगत से संबंधित गणित में स्वाभाविक और सकारात्मक रुचि उत्पन्न करना। पढ़े भारत, बढ़े भारत के दो ट्रैक हैं–समझ के साथ शुरूआती स्तर पर पढ़ना और लिखना (ईआरडब्लयूसी) और आरंभिक गणित (ईएम)। इस कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने में समर्थ बनाना; पर्याप्त और दीर्घकालिक पठन और लेखन कौशल और अध्ययन में कक्षा का उपयुक्त अधिगम स्तर प्राप्त करना; संख्या, माप और आकारों के क्षेत्र में तर्कशीलता को समझाना; अंक ज्ञान और स्थानिक कौशल से समस्या हल करने में स्वतंत्र होना और पढ़ने–लिखने शुरूआती और गणित के साथ आनंद अनुभव और वास्तविक जीवन की स्थितियों को जुड़ना हैं। वर्ष 2015–16 में पढ़े भारत, बढ़े भारत के लिए 509.93 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

एनआईओएस सामुदायिक रेडियो को प्रारंभ करना

एनआईओएस के सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीएसआर) का उद्घाटन डॉ. महेश शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन और संस्कृति, उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर, 2015 को किया गया था। एनआईओएस का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक रेडियो सेवा है जो समुदाय के लिए विशेष पहुंच के साथ जनता को प्रदान की जा रही है। एनआईओएस शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ समुदायों को सेवा प्रदान कर रहा है। सीआरएस की फ्रीक्वेंसी 91.2 मेगाहट्टर्ज है और जो 10–15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले विशेष स्थानीय श्रोतागण में प्रसारित है। एनआईओएस मीडिया जगत में अपना अनुभव साझा करने, मीडिया के निर्माता और भागीदार बनने अपनी कहानियां सुनाने के लिए समर्थ बनाने हेतु व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को एक तंत्र उपलब्ध करा रहा है।

अध्यापक शिक्षा के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन

अध्यापक शिक्षा पर केन्द्र प्रायोजित योजना में संस्थान के प्रत्येक स्तर पर प्रक्रियाओं और आउटकम पैरामीटर की मॉनीटरिंग पर जोर दिया गया है और एक व्यापक मॉनीटरिंग तंत्र के उद्देश्यार्थ विकसित किया गया है। संयुक्त समीक्षा मिशन इस मॉनीटरिंग तंत्र का एक भाग है। अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञों का संयुक्त समीक्षा मिशन को अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 2012–13 से 2014–15 तक 21 राज्यों में भेजा गया है। संयुक्त समीक्षा मिशन के दौरे की अनुवर्ती कार्रवाई भी 2013–14 के दौरान 4 राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, मेघालय और पश्चिम बंगाल में पूरी कर ली गई थी।

2015–16 के दौरान 5 राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना और मणिपुर के लिए 10 से 21 सितंबर, 2015 तक संयुक्त समीक्षा मिशन संचालित किया गया है।

संयुक्त समीक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रगति की स्थिति की समीक्षा करना और संस्थान के प्रत्येक स्तर पर योजना के तहत कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों की कार्यक्रम योजना, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन से संबंधित मामलों पर विचार करना है। अध्ययन मिशन का मार्ग दर्शक सिद्धांत हैः क) सहमत सूचकों और प्रक्रियाओं की तुलना में प्रगति से अध्ययन, ख) इस प्रकार अनुभव साझा करना कि कार्यान्वयन क्षमताएं सशक्त करने की दृष्टि से शक्तियों और कमजोरियों का विशेष उल्लेख हो। जेआरएम की विस्तृत रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट www-teindia-nic-in पर उपलब्ध है।

स्वच्छ विद्यालय पहल

- देशभर के 33 राज्यों में स्वच्छ विद्यालय पहल अगस्त, 2014 में प्रारंभ की गई। चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों में बालक और बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा पहले से ही थी।
- यह पहल आरंभ करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा प्रसाधन सुविधा का प्रयोग कर सके, 4,17,796 शौचालय निर्मित या मरम्मत करने की आवश्यकता होगी।
- 64 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 11 निजी कॉरपोरेटरों ने स्कूलों में शौचालय बनाने में सक्रिय

भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत कोष से 112.97 करोड़ रू. जारी किये गये जिनमें कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा अंशदान 20600 प्रसाधनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए दिया गया।

- एक वर्ष की अवधि में 4,17,796 प्रसाधनों के निर्माण के साथ भारत ने देश के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रसाधन को कार्यात्मक बनाने के लिए 100 प्रतिशत पहुंच बना ली है। यह सहस्राब्दि विकास–लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सभी स्कूलों में प्रसाधन सुविधाओं के प्रावधान से बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्कूलों में स्वच्छता मानदंडों को बढ़ाया है। स्कूलों में बच्चो विशेषकर बालिकाओं के नामांकन और उन्हें बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होने की आशा है।

डिजिटल भारत पहल की भावना को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम में वास्तविक रूप से इस पहल की योजना, कार्यान्वित करने, मॉनीटर और सहायता प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल की संकल्पना की गई और विकसित किया गया है। अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त वेब पोर्टल कॉरपोरेट और भागीदारों को प्रसाधनों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार विशिष्ट स्थानों और स्कूलों तक जाने और उन्हें उनकी पहचान करने में समर्थ बनाता है। इससे उन्हें वित्तीय और एक प्रकार की प्रतिबद्धता के संकल्प की अनुमति प्राप्त हुई है।

प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाएं और कार्यकलाप

(1) वैदिक पाठ की पुरानी मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना – वैदिक पाठ की पुरानी मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना के तहत, प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठान के किसी मुख्य उद्देश्य के लिए उसे अपने अधिकार में लेने, उसका पर्यवेक्षण प्रबंधित करने, उसके रख रखाव या चलाने के लिए देशभर में **वैदिक पाठशाला** और **गुरू–शिष्य परंपरा** की इकाईयां स्थापित की हैं। इस योजना के तहत वैदिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए देश में विभिन्न वेद पाठशालाओं/विद्यालयों/गुरू–शिष्यों इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षण की अवधि सात साल है।

(2) वैदिक सम्मेलन– वैदिक सम्मेलन देश भर में वैदिक अध्ययन और ज्ञान के प्रसार के लिए और प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(3) सेमिनार –प्रतिष्ठान के मुख्य क्षेत्रों में अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। यह प्रतिष्ठान से पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तपोषित है।

(4) प्रकाशन–अनुसंधान पत्रिकाओं और मासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन– प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रकाशन एक महत्पूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत वैदिक साहित्य से संबंधित दुर्लभ पाठ पुनर्मुद्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। प्रतिष्ठान के अध्येताओं द्वारा किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट और कुछ पाठों, महत्वपूर्ण विषयों के मोनोग्राफ के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और महत्वपूर्ण अंकों का मुद्रण भी किया जाता है।

प्रतिष्ठान ने नए अनुसंधान कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पत्रिका ''वेद विद्या'' में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में वेद के साथ संबंधी अच्छे निबंध प्रकाशित किए जाते हैं जिनसे वैदिक अध्येताओं सामान्यजन द्वारा इसका लाभ लिया जा सके। प्रतिष्ठान द्वारा मासिक पत्रिका वेद वार्ता भी प्रकाशित की जाती है।

(5) अध्येतावृत्ति–वैदिक अनुसंधान प्रोत्साहित करने के लिए अध्येतावृत्ति का प्रावधान है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान अध्येतावृत्ति योजना प्रदान करता है।

(6) सभी के लिए वैदिक कक्षाएं–प्रतिष्ठान की उन सभी के लिए वैदिक ज्ञान और वैदिक अध्ययन को उन सभी लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिए वैदिक कक्षाएं आयोजित करने भी योजना है जो अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के न होते हुए भी इससे संबंधित विषयों में रूचि लेते हैं। समग्र रूप से इस योजना के तहत वेद के सभी विशिष्ट विषयों पर 100 से ज्यादा व्याख्यान दिए जाते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली:

भारत सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना/प्रणाली आरंभ की थी जिसके अंतर्गत 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 पायलट जिलों में डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु 8 मंत्रालयों/विभागों की 25 योजनाओं का चयन किया गया था। इसमें आधार भुगतान सेतु (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे निधि के अंतरण की परिकल्पना की गई है। जनवरी, 2015 से

डीबीटी योजना का पूरे देश में विस्तार किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की दो योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय साधन सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा योजना (एनएसआईजीएसई) को डीबीटी में शामिल किया गया है।

विभाग ने राज्य सरकारों को लाभार्थी विद्यार्थियों की आधार संख्या एकत्रित करने और आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से भुगतान सुकर बनाने के लिए आधार संख्या सहित दोनों योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों को शुरू करने की सलाह के साथ आधार संख्या सहित लाभार्थियों के डिजीटल डाटा बेस को शुरू करने की सलाह दी थी।

क अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए पहलें

1. राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा

राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) निम्नलिखित उद्देश्यों और सत्यापन मापदंडों जैसे शिक्षण/अध्ययन संसाधन, अनुसंधान, स्नातक प्रतिफल, पहुंच/समावेशी प्रकृति और जनअवधारणा के आधार पर उच्चतर अध्ययन संस्थानों को रैंक प्रदान के लिए सितंबर, 2015 में प्रारंभ किया गया था। एनआईआरएफ समग्र रूप से विश्वविद्यालयों के लिए और इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मासिटिकल, वास्तुकला, विधि के लिए अलग से उपलब्ध कराया गया गया है। रैंकों की घोषणा 04 अप्रैल, 2016 को की जाएगी। 3500 से भी अधिक संस्थाओं ने इस कार्य में भाग लिया है, जिसने इसे विश्व में सबसे बड़े भागीदारी वाला कार्य बनाया है।

2. स्वयं

स्वयं भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ई–शिक्षा मंच है जो व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) का प्रयोग करके पारस्पिक इलेक्ट्रॉनिक मंच से हाई स्कूल से स्नातकोत्तर चरण तक के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु प्रस्ताव करता है। स्वयं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंच बनाया जा रहा है और इसके लगभग 2000 पाठ्यक्रमों को चलाने की क्षमता के साथ 31.07.2016 को कार्यात्मक होने की आशा है। इस मंच पर लगभग 10 लाख विद्यार्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इसके एक बार कार्यात्मक होने के बाद, पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी देश में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्कृष्ट संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं जिससे देश में उच्चतर शिक्षा का समग्र स्तर में वृद्धि होगी बढेंगे। इस मंच से लगभग 500 पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है और समय के साथ अगले कुछ वर्षों में यह 2000 तक बढ़ जाएगा।

3. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय देशभर में डिजिटल रूप से उपलब्ध ई–पुस्तक, ऑडियो पुस्तक, शैक्षिक वीडियो के उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं हेतु एकल माध्यम पहुंच है। यह अनुमान लगाया गया है कि विद्यार्थियों के इस प्रयास के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के विद्यार्थियों हेतु इस मंच पर 50 लाख से भी अधिक डिजिटल पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध होगी। लगभग 15 हजार डिजिटल पत्र–पत्रिकाएं एनडीएल से जोड़ी गई है, जो इन पत्रिकाओं में प्रकाशित लाखों लेखों के लिए पहुंच प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीएल विश्व ई–पुस्तकालय और दक्षिण एशिया अभिलेखागार से जोड़ता है जिसमें एनडीएल के लिए 40 लाख से भी अधिक डिजिटल पुस्तकें हैं। एनडीएल से जोड़े जाने पर 50 लाख पुस्तकें और अन्य 50 लाख पत्र–पत्रिकाएं विश्व में एक मुख्य डिजिटल संसाधन के रूप में उभरेंगी। देशभर में विद्यार्थियों द्वारा इन संसाधनों में पहुंच अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षण और अध्ययन सामग्री प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी।

4. वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान)

वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) उच्चतर शिक्षा में एक कार्यक्रम है जो शिक्षा की हमारी प्रणाली में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर, 2015 को प्रारंभ किया गया जिसमें हमारी शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के साथ दुनियाभर के उत्कृष्ट शैक्षिक और उद्योग से संबंधित विशेषज्ञों सहित विद्यार्थियों और संकाय के साथ परस्पर संपर्क हो सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय संकाय भारतीय संस्थान में 1 से 2 हफ्ते का पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अनुमत समग्र व्यय की उच्चतर सीमा 12 से 14 घंटे के लिए 8000$ है और 20–28 घंटों के लिए 12000$ है। सचिव (उच्चतर शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक ज्ञान कार्यान्वयन समिति विभिन्न पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप देने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए गठित की गई है। आज की तारीख तक समिति द्वारा 403 पाठयक्रम पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं।

5. राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

राष्ट्रीय महत्व के सभी विश्वविद्यालय और संस्थान राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन) नामक उच्च गति के आंकड़े अंतरित करने वाले नेटवर्क द्वारा जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित है। एनकेएन ज्ञान को साझा करने, इंटरनेट सुविधा के प्रावधान और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है। अब तक 400 संस्थाओं को जोड़ा गया है और सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए इसके सार्वभौमिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

देश में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय लगभग 350 करोड़ की लागत के वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं। इसके तहत सभी कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और विद्यार्थियों द्वारा प्रायः प्रयोग किए जाने वाले स्थानों को वाईफाई हॉट स्पॉट से जोड़ा जाएगा जिसमें 24×7 आधार पर विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और सूचना हेतु पहुंच प्रदान की जाएगी। यह परियोजना एनआईएमसीईटी परियोजना में कार्यान्वित की जाएगी।

ख. अनुसंधान और नवाचार का प्रोत्साहन

6. इम्प्रिट इंडिया:

अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने का कार्यक्रम (आईएमपीआरआईएनटी) जो सरकार की एक फलैगशिप राष्ट्रीय पहल है को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 05 नवंबर, 2015 को आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य, राष्ट्र द्वारा समावेशी प्रगति तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में आ रही मुख्य इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में चयनित व्यवहार्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अंतरण करना है यह अनुसंधान की कार्य योजना बनाने के लिए पेन–आईआईटी और आईआईएससी का संयुक्त पहल है।

इम्प्रिट पहलों पर फोकस करने वाले विषय इस प्रकार हैं –(i) स्वास्थ्य देखभाल (ii) ऊर्जा (iii) स्थायी आवास (iv) नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर (v) जल संसाधन और नदी प्रणाली (vi) उन्नत सामग्री (vii) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (viii) विनर्माण (ix) सुरक्षा और अभिरक्षा (x) पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्त्तन।

आईआईटी कानपुर इस पहल का राष्ट्रीय समन्वयक है। इंप्रिंट के तहत अनुसंधान सहायता के लिए संयोजित कार्रवाई करने को सुनिश्चित करने हेतु 31 मार्च, 2016 को 25 प्रतिभागी मंत्रालय/विभागों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

7. उच्चतर आविष्कार योजना

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 06 अक्तूबर, 2015 को आयोजित आईआईटी परिषद की बैठक में उच्चतर स्तर का नवाचार प्रोत्साहित करने के लिए 250 करोड़ रू. के वार्षिक निवेश की घोषणा की जो भारतीय निर्माण की प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सुधार करने और उद्योगों की आवश्यकताओं को सीधे प्रभावित करेगा। इन परियोजनाओं का भारत या विदेश में शिक्षाविदों और उद्योगों के बीच सहयोग होना चाहिए। प्रति वर्ष समग्र वार्षिक निवेश 250 करोड़ रू. तक सीमित होगा। चयनित परियोजनाओं का निधियन पैटर्न उद्योगों द्वारा 25%; प्रतिभागी विभागों/मंत्रालयों द्वारा 25% और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 50% होगा। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(क) ऐसे क्षेत्रों में नवाचार प्रोत्साहित करना जो निर्माण और डिजाइन उद्योग से सीधे प्रासंगिक हैं।

(ख) प्रमुख प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में विद्यार्थियों और संकाय में नवाचारी मानसिकता को बढ़ाना।

(ग) शैक्षिक क्षेत्र और उद्योगों के बीच एक संयोजित कार्रवाई करना।

(घ) शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थाओं में प्रयोगशालाओं और अनुसंधान सुविधाओं को सशक्त करना।

(ङ) परिणाम आधारित अनुसंधान निधियन की व्यवस्था करना।

8. राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय सांस्थानिक रैंकिंग कार्यढांचा (एनआईआरएफ) प्रारंभ किया है। इस कार्यढांचे में देशभर के संस्थाओं को रैंक प्रदान करने के लिए कार्यविधि दी गई है। कार्यढांचे में 5 पैरामीटर हैं जो इस प्रकार हैं: (i) शिक्षण अध्ययन और संसाधन (ii) अनुसंधान व्यवसायिक कार्य और सहयोगात्मक निष्पादन (iii) स्नातक प्रतिफल (iv) पहुंच और समावेशिता और (v) अवधारणा। एनआईआरएफ वेब पोर्टल **www.nirfindia.org** पर संस्थाओं के 6 वर्गों के लिए अर्थात इंजीनियरी, फार्मेसी, वास्तुकला, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज तथा प्रबंधन। रैंकिंग दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध है।

9. स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन

आईआईटी में (आईआईएस बंगलौर सहित) अनुसंधान पार्क की स्थापना सुनियोजित योजना "प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए राष्ट्रीय पहल" के तहत की गई है जिसमें उद्योग और उच्चतर शिक्षा सहयोग के लिए अनुसंधान पार्क और स्थापना परिषद को स्थापित करना शामिल है जिसके तहत आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी बॉम्बे को अनुसंधान पार्क के लिए निधियां जारी की गई हैं। आईआईटी खड़गपुर में अनुसंधान पार्क के लिए 25.90 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं और आईआईटी बॉम्बे में अनुसंधान पार्क की स्थापना के लिए 7.70 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

ग. सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन

10. उन्नत भारत अभियान

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर को पाटने हेतु उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में आधारभूत ज्ञान के प्रयोग के लिए उन्नत भारत अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके तहत सभी तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को प्रत्येक को 5 गांवों को गोद लेने के लिए; ऐसे नवाचार के लिए योजना तैयार करने और प्रौद्योगिकी अंतर की पहचान करने जो ग्रामीण क्षेत्रों में आय और विकास में निरंतर रूप से वृद्धि कर सके, के लिए कहा गया है। आईआईटी दिल्ली को यूबीए के लिए राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है। अब तक आईआईटी द्वारा 125 गांवों को गोद लिया गया है। एक रणनीतिक कार्यशाला के बाद चरण 1 में 50 जिलों पर फोकस करने का निर्णय लिया गया है। इन जिलों के जिला कलेक्टरों की गांव को गोद लेने के ब्यौरों पर कार्य करने और इन गांवों में कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए एनआईआरडी हैदराबाद में एक कार्यशाला हेतु बुलाया जाएगा।

(10) डोमेन में विषय के विशेषज्ञों समूहों को गठित किया गया है जो यूबीए के तहत प्रसार हेतु आईआईटी और एनआईटी में सभी विकसित प्रौद्योगियों के लिए इन्हें सूचीबद्ध कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में 30,000 एनएसएस ईकाइयों के साथ कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इन एनएसएस ईकाईयों को पुन अभिमुख किया जाएगा जो यूबीए के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी जिससे वे उन कार्यकलापों पर फोकस कर सके जो ग्राम अर्थव्यवस्था में बदलाव ला सके। इस संबंध में एनएसएस निदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित किया जा रहा है। यूबीए में ग्रामीण अर्थव्यस्था में सुधार के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में 5 लाख से भी अधिक युवाओं को रखने का सामर्थ्य है।

11. अनिवार्य प्रत्यायन

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) (i) गुणवत्तायुक्त आश्वासन मॉनीटर करने के लिए उच्चतर शिक्षा संस्थान की जागरूकता बढ़ाने, लोकप्रिय बनाने और प्रोत्साहित करने (ii) मूल्यांकनकर्ताओं का परिसंघ बनाने (iii) गुणवत्ता धारण और वृद्धि पहल के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय गुणवत्ता पुनरूद्धार पहल (एनक्यूआरआई) नामक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने रूसा के तहत प्रारंभिक अनुदानों सेराज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों को सशक्त करने के लिए राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थान को लिखा है।

12. कौशल केन्द्र

यूजीसी ने 2015– l6 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में 64 पंडित दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र अनुमोदित किए हैं। इन 64 कौशल केन्द्रों में से, 17 स्वयं वित्तपोषित वर्ग के तहत आते हैं। यूजीसी ने कौशल केन्द्रों को 2015–16 के दौरान 98.70 करोड़ रूपये जारी किए हैं। विश्वविद्यालय और कालेजों के लिए सहायता की सीमा 05.00 करोड़ रूपये है।

13. इशान उदय– पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए छात्रवृत्ति योजना

यूजीसी ने 2014–15 के शैक्षिक सत्र से पूर्वोत्तर क्षेत्र, के विद्यार्थियों के लिए इशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। इस योजना में उन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए 10 हजार छात्रवृत्तियों की परिकल्पना की गई है जिनके माता–पिता की आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रूपये से कम है और मेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 5400 से 7800 रूपये प्रतिमाह के बीच छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों सहित तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए लाभार्थी विद्यार्थियों के लिए 7800/– रूपये प्रतिमाह और सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 5400/– रूपये प्रतिमाह की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है।

14. स्वामी विवेकानंद एकल बालिका छात्रवृत्ति

बालिकाओं के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने का अनुपात बालकों से कहीं अधिक है। महिला शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को ध्यान में रखते हुए और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यूजीसी ने परिवार में ऐसी उन एकल बालिकाओं के लिए उच्चतर शिक्षा की सीधी लागत की प्रतिपूर्ति के लक्ष्य से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान हेतु एकल बालिका के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति प्रारंभ की है। इस योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता प्रथम 2 वर्षों के लिए 12400/– प्रतिमाह और तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 15500/– प्रतिमाह है (अपवाद परिस्थितियों में 5वें वर्ष के लिए बढ़ाये जाने योग्य)।

15. इशान विकास

इशान विकास पूर्वोत्तर राज्यों के चुनिंदा स्कूली छात्रों को उनकी अवकाश की अवधि में आईआईटी, आईआईएसईआर और एनआईएए के गहन सम्पर्क में लाने की व्यापक योजना है ताकि, उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी व गणित के अध्ययन तथा पूर्वोत्तर राज्यों के इंजीनियरी छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों में इन्टर्नशिप के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा सके।

संस्थाओं में गर्मी व सर्दी में आने वाले 32 छात्रों के दो समूहों में हर शैक्षिक सत्र में 2112 छात्र कवर किए जाएंगे। दिसम्बर, 2014 में पायलर परियोजना में 14 स्कूली छात्र और 36 इंजीनियरी छात्र इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इन स्कूली छात्रों को आईआईटी, गुवाहाटी जबकि इंजीनियरी छात्रों को आईआईटी बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और एनआईएएस में ठहराया गया। मई–जून, 2015 में 165 स्कूली छात्र, जिनमें विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों की 36 छात्राएं भी शामिल थीं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसी समय पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न कॉलेजों के 93 इंजीनियरिंग विद्यार्थियों ने विभिन्न आईआईटी में ठहराया गया था।

16. चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) की शुरूआत

यूजीसी ने देशभर के उच्चतर शैक्षिक संस्थाओ द्वारा कार्यान्वयन के लिए चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) प्रारंभ की है। उच्चतर शिक्षा में कौशल के प्रभावशाली एकीकरण के संपूर्ण शिल्प के विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को सहायता प्रदान करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली और विद्यार्थियों की उर्ध्वाकार गतिशीलता के लिए शिक्षा में कौशल का क्रेडिट कार्यढांचा प्रारंभ किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये कौशल प्रारंभ किए हैं: सामुदायिक कॉलेज योजना, रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, बी.वॉक जारी योजनाएं (भाषा प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला) आदि।

यूजीसी की ये पहल देश और विदेश की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में विद्यार्थियों की निर्बाध गतिशीलता सुनिश्चित करेगी। सीबीसीएस विद्यार्थियों को अपनी पसंद के पाठ्यक्रम लेने में समर्थ बनाएगी जिससे वह स्वयं अपनी गति से सीख सकेंगे, अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू कर सकेंगे और आपेक्षित क्रेडिट से अधिक प्राप्त कर सकेंगे और अध्ययन के लिए अंतर विषयक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकेंगे।

सीबीसीएस ने अनिवार्य रूप से निम्नलिखित की व्यवस्था है :

क) निर्धारित पाठ्यक्रमों (कोर, इलैक्ट्रिक या लघु अथवा सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम) में से विद्यार्थियों द्वारा चयन और पाठ्यचर्या का सेमेस्टरीकरण।

- विद्यार्थियों द्वारा अपने विषय के अध्ययन में कोर पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ने की आवश्यकता होती है :
    - इलैक्टिव पाठ्यक्रमों में अन्य विषयों/डोमेन के लिए एक्सपोजेर प्रदान करने वाली विस्तृत संभावना का प्रावधान है और यह कोर विषयों में विद्यार्थियों की दक्षता भी बढ़ाता है।
    - आधार पाठ्यक्रम या तो सभी विषय के लिए अनिवार्य हो सकता है या मूल्य आधारित शिक्षा के लिए वैकल्पिक हो सकता है।

इसमें सेमेस्टर में भाग लेने वाले विभागों की शैक्षिक सत्र की एकसमान समय–सारणी भी शामिल होगी,

ख) मॉड्यूल्स के रूप में पाठ्यचर्या की पुनर्संरचना

सीबीसीएस सेमेस्टर प्रणाली को अपनाकर और सेमेस्टर प्रणाली के तहत दिए गए सेमेस्टर में फर्स्ट माइनर, सैकेण्ड माइनर और मेजर पेपर अर्थात् तीन पेपर और प्रत्येक सत्र के लिए आबंटित अनुदेशात्मक दावें के अनुसार पाठ्यक्रम विषयवस्तु और केंद्रित बनाने के माध्यम से आधुनिक सर्वक्रमों को सुनिश्चित करेगा।

ग) परीक्षाओं का मानकीकरण (जवाबदेही तय करने के लिए सीमित बाह्य मूल्यांकन)

घ) अंक प्रणाली को ग्रेडिंग प्रणाली में बदलना।

- मानकीकृत ग्रेडिंग (ग्रेडिंग प्रणाली परंपरागत प्रणाली से अच्छी मानी जाती है और इसलिए भारत और विदेश के शीर्ष संस्थानों में इसे अपनाया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली अपनाने से देश और विदेश की संस्थाओं के विद्यार्थियों की निर्बाध गतिशीलता सुकर होगी और विद्यार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन करने में बनाने में नियोक्ताओं को समर्थ भी बनाएगी)।

- प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों का कार्य–प्रदर्शन दर्शाने के लिए एक समेकित ट्रांसस्क्रिप्ट फार्मेट जारी करना।

यूजीसी ने सीबीसीएस के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कौशल विकास का क्रेडिट कार्यढांचा (सीएफसीडी) भी जारी किया है। सीबीसीएस और सीएफएसडी दोनों में एक क्रेडिट प्रति सप्ताह शिक्षण के एक घंटा या प्रायोगिक कार्य/क्षेत्र कार्य/प्रशिक्षुता/स्वयं अध्ययन (ई–सामग्री या अन्य आधारित) के दो घंटे के बराबर है।

यूजीसी ने सभी केन्द्रीय/राज्य/निजी/सम विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को आमंत्रित करते हुए देश में सीबीसीएस पर आठ कार्यशालाएं आयोजित की हैं। यूजीसी उपाध्यक्ष ने उन कार्यशालाओं की अध्यक्षता की जिनमें उन यूजीसी विशेषज्ञों ने भी भाग लिया जिन्होंने सीबीसीएस के दिशा–निर्देश बनाए थे। कार्यशालाओं के पहले आधे समय में विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने भाग लिया और दूसरे आधे समय में सामुदायिक कालेजों और बी.वॉक संस्थाओं के प्राचार्यों/नोडल अधिकारियों और एआईसीटीई अनुमोदित पॉलिटेक्निकों के प्राचार्यों/निदेशकों ने भाग लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय/यूजीसी द्वारा निधिबद्ध सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय 2015–16 से ही सीबीसीएस प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए सहमत है। मुख्य राज्य विश्वविद्यालय जैसे मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई, भारतियर विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, भारथीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मुंबई, एसएंडडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई, एसएस बड़ौदा विश्वविद्यालय, वड़ोदरा, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला और गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी भी अगले शैक्षिक सत्र से सीबीसीएस लागू करेंगे।

यूजीसी ने शैक्षिक संस्थाओं के मार्गदर्शन के लिए अपनी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर 107 से भी ज्यादा पाठ्यक्रमों के लिए अवरस्नातक स्तर की न्यूनतम पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या प्रकाशित की है। सीबीसीएस, विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम तैयार करने में शैक्षिक लचीलेपन की अनुमति देता है। http://www.ugc.ac.in@pdfnews@4426331_Instructional-Template.pdf पर दिए गए यूजीसी के विस्तृत निदेशात्मक टैम्प्लेट के अनुसार विश्वविद्यालयों को मॉडल पाठ्यचर्या के 30% तक कोर प्रश्न–पत्रों की पाठ्यचर्या को अनुकूलित करने की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय, वैकल्पिक और आधारभूत पाठ्यक्रम डिजाइन करने के लिए संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। 48 कौशल आधारित विषयों की पाठ्यचर्या भी डिजाइन की गई है।

चिकित्सा और कानूनी अर्हताओं जैसी व्यावसायिक शिक्षा, जिसमें अभ्यास करना होता है, वे भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय बार परिषद जैसी विनियामक परिषदों द्वारा विनियमित होती हैं। इन निकायों द्वारा विनियमित किए गए कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने से पहले ये यूजीसी के विनियम और दिशानिर्देश अपनाते हैं।

17. विद्या लक्ष्मी पोर्टल

माननीय वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के परिणामस्वरूप विद्या लक्ष्मी पोर्टल को 15.8.2015 से स्थापित किया गया है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ई–अभिशासन अवसंरचना लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक सम्पर्क द्वारा ऐसी सुविधाएं जैसे शिक्षा ऋण, छात्रवृत्ति और अन्य विद्यार्थी सुविधाएं प्रदान करना है। यह पोर्टल शिक्षा ऋण के लिए बैंकों हेतु एक गेटवे है और यह राष्ट्रीय ई–छात्रवृत्ति पोर्टल (एनईएसवी) को भी जोड़ता है। यह पोर्टल विद्यार्थियों के लिए सभी उपयुक्त जानकारी के साथ प्रयोग करने में आसान है। इस पोर्टल में ऋण आवेदन से ऋण की संस्वीकृति या अन्यथा तक शिक्षा ऋण को ट्रेक करने की सुविधा है। यह पोर्टल विद्यार्थियों, माता–पिता, शैक्षिक संस्थाओं, बैंकों, नियोक्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी हैं।

अध्याय 03

प्रारंभिक शिक्षा

अध्याय 03

प्रारंभिक शिक्षा

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009/एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान)

सर्व शिक्षा अभियान: भारत के संविधान का अनुच्छेद 21–क और इसका परिणामी विधान, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से देश भर में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 6–14 आयु वर्ष के बच्चों को कुछ अनिवार्य मानकों और मानदंडों को पूरा करने के बाद औपचारिक स्कूल में अवसर की समानता के आधार पर, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्यों में शिक्षा का अधिकार नियमों को अधिसूचित किया है। सर्व शिक्षा अभियान की केन्द्र प्रायोजित योजना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम कार्यान्वित करने के प्रयास में सहायता प्रदान करती है। इनके हस्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ–साथ, नए स्कूल खोलना; स्कूल और अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण; प्रसाधन और पीने के पानी की सुविधाओं का निर्माण, शिक्षकों का प्रावधान, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और वर्दी, अध्ययन उपलब्धि स्तरों में सुधार हेतु सहायता, अनुसंधान, मूल्यांकन और मॉनीटरिंग शामिल हैं।

कार्यक्रम हस्तक्षेप

I. सर्वसुलभ पहुंच

(क) **नए स्कूल:** कई वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्वसुलभ पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर प्रगति हुई है। इन वर्षों में 2,04,736 प्राथमिक स्कूलों को मंजूरी प्रदान की गई जिनमें से 93 स्कूल वर्ष 2015–16 में अनुमोदित किए गए थे। इन वर्षों में 1,59,392 उच्च प्राथमिक स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में मंजूरी प्रदान की गई है जिनमें वर्ष 2015–16 में अनुमोदित 33 स्कूल शामिल हैं।

(ख) **स्कूल से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्कूल से बाहर के बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित प्रवेश प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का विशिष्ट प्रावधान बनाया गया है। स्कूल न जाने वाले अधिकांश बच्चे वंचित समुदायों से हैं– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, विस्थापित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शहरी वंचित बच्चे, कार्यरत बच्चे, अन्य कठिन परिस्थितियों में बच्चे, उदाहरणार्थ वे जो दुर्गम स्थानों में रहते हैं, विस्थापित परिवारों के बच्चे और वे जो नागरिक संघर्ष से प्रभावित होते हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन अवसंरचना में यह प्रावधान किया गया है कि विशेष प्रशिक्षण की समयावधि लचीली हो सकती है जो बच्चे की आवश्यकतानुसार 3 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। विशेष प्रशिक्षण वरीयता रूप से स्कूल के परिसर में आवासीय अथवा गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जा सकता है, परंतु यदि ऐसी सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध नहीं हैं तो सुरक्षित, संरक्षित व पहुंच वाली वैकल्पिक, सुविधाओं की पहचान कर उनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर किसी बच्चे विशेष के संबंध में बच्चे को कक्षा में रखे जाने की उपयुक्तता की समीक्षा की जा सकती है। वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्य योजना और बजट में 15.17 लाख स्कूल बाह्य बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 577.13 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) **आवासीय सुविधाएं:** छितरी आबादी वाले क्षेत्र या पहाड़ी एवं घने जंगली क्षेत्र जहां भौगोलिक भूभाग दुर्गम हैं और घनी आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्र जहां स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन प्राप्त करना कठिन है, वहां आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में अनेक शहरी वंचित बच्चे हैं। कठिन परिस्थितियों में बेघर एवं आवारा बच्चे जिनको

किसी वयस्क का संरक्षण प्राप्त नहीं है उन्हें न केवल दैनिक विद्यालय सुविधाओं की आवश्यकता है बल्कि भोजन–आवास सुविधाओं की आवश्यकता भी है। अब तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 89,105 बच्चों की क्षमता वाले 802 आवासीय संस्थान उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) **परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधाएं:** छितरी आबादी वाली दूरस्थ बस्तियों अथवा ऐसे शहरों जहां भूमि की उपलब्धता एक समस्या है अथवा बच्चे तो अत्यंत वंचित समूह से हों अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए, परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सुविधा हेतु निधि के लिए राष्ट्रीय घटक में प्रावधान किया जाएगा, जिसका उपयोग राज्यों से मिले जिला विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति/मूल्यांकन पर छितरी आबादी वाले, पहाड़ी/घने जंगली/मरुथलीय भूभाग के छात्रों के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता और शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि की अनुपलब्धता के कारण राज्यों के 'पड़ोस' मानक के अनुसार स्कूल स्थापित करना अव्यवहार्य है, का औचित्य देखते हुए किया जाएगा। वर्ष 2015–16 के लिए, एसएसए ने 1.60 लाख छात्रों को परिवहन और एस्कोर्ट सुविधा प्रदान करने के लिए 48.04 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

(ङ) **वर्दियां:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बच्चों को वर्दी के दो सेट उपलब्ध कराता है जहां कहीं (i) राज्य सरकारों ने अपने राज्य के शिक्षा अधिकार नियमावली में बच्चों की पात्रता के रूप में स्कूल वर्दी का प्रावधान शामिल किया है और (ii) राज्य सरकारें राज्य के बजट से वर्दियां प्रदान नहीं कर रही हैं। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए आपूर्ति की जा रही वर्दी की लागत पर आंशिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत राशि बाकी बच्चों तक सीमित कर दी जाती है। 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान ने 79,290,424 बच्चों को निःशुल्क वर्दी प्रदान करने के लिए 3083.39 करोड़ रू. का वित्तीय प्रावधान किया है।

(च) **आठ वर्ष का एक प्रारंभिक शिक्षा चक्र सुनिश्चित करना:** राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक स्तर पर, पांच वर्ष की प्राथमिक तथा तीन वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के मानक, उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कक्षा VIII के लिए अतिरिक्त शिक्षक एवं शिक्षण कक्ष तथा कक्षा V और VIII के लिए शिक्षण अध्ययन उपकरण उपलब्ध कराते हुए राज्यों को एक आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब सभी राज्यों ने एक आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र प्रारंभ किया है।

II. प्रारंभिक शिक्षा में महिला–पुरूष अंतर को समाप्त करना

(क) **बालिका शिक्षा:** प्रारंभिक शिक्षा में बालक–बालिका और सामाजिक अंतर को समाप्त करना सर्व शिक्षा अभियान के चार लक्ष्यों में से एक है। इसके परिणामस्वरूप, सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बच्चों तक पहुंच बनाने के प्रयास करता है। सर्व शिक्षा अभियान ने शहरी वंचित बच्चों, आवधिक पलायन से प्रभावित बच्चों और दूरवर्ती एवं छितरी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के नामांकन के सूचक के प्रतिकूल निष्पादन के आधार पर विशेष फोकस किए गए जिलों को अभिज्ञात किया गया है।

शिक्षा का अधिकार–सर्व शिक्षा अभियान ने बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों पर स्पष्ट जोर और विशेष फोकस का प्रावधान किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामान्य सुविधा सभी बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए लागू की गयी है; इसमें आरटीई नियमों के तहत उल्लिखित बस्तियों के भीतर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल वर्दियां, पाठ्यपुस्तकें, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा पर भी अधिक ध्यान दिया गया है क्योंकि इस वर्ग के बच्चे अपनी शिक्षा की प्राप्ति के अवसरों से सबसे अधिक वंचित होते हैं।

कभी स्कूल न जाने वाली बालिकाओं की सफलता की कहानीः सुगारा और शारदा पादवी (कराटे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना)

सुगारा पादवी (कक्षा–7) और शारदा पादवी (कक्षा–6) एक छोटे से गांव– *'जूनी अंटूलिनी'* तहसील नीजर, जिला–तापी में रहती थी।

तापी नदी का जल पीने और घरेलू कार्य करने के लिए एकमात्र स्रोत है जहां कोई भी हैंडपंप और ट्यूबवेल उपलब्ध नहीं है। दोनों लड़कियों अनुसूचित जनजाति समुदाय से है और कभी भी स्कूल के लिए नामांकित नहीं की गई और न ही प्रारंभ में केजीबीवी में रहने के लिए तैयार थी। उन्हें उचित रूप से गुजराती भाषा नहीं आती थी; जब उन्हें 2009 में दाखिल किया गया था वे आधारभूत शिष्टाचार भी नहीं जानती थीं। वे केवल स्थानीय भाषा जानती थी। कराटे का प्रशिक्षण नीजर मॉडल –1 केजीबीवी में 30 बालिकाओं के लिए 2011 से प्रारंभ किया गया था। सभी लड़कियों में से इन दो लड़कियों ने ही राज्य स्तर पर जीत हासिल की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया।

इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता गोचुकई कराटे में भाग लिया। (10.12.2013 से 16.12. 2013) वहां कुल 32 देशों ने भाग लिया। इन दो लड़कियों ने ऑस्ट्रेलिया (सुगारा पादवी) और ईरान (शारदा पादवी) के विरूद्ध खेला। वर्तमान में ये कक्षा 8 और कक्षा 8 में केजीबीवी में पढ़ रही है और इनकी यात्रा निरंतर रूप से चल रही है। हाल ही में इन्होंने फरवरी, 2015 में सूरत की एक राज्य स्तरीय गोजूकई कराटे में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

(ख) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): केजीबीवी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदायों तथा गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। केजीबीवी, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की एक सुरक्षा चुनौती होती है। केजीबीवी उन किशोरियों, जो नियमित स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं, से 10+ आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तक, जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और छितरी बस्तियों के जटिल क्षेत्रों की विस्थापित जनसमुदायों की युवा बालिकाओं, जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए सफल नहीं हो पाईं, तक पहुंचता है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए 75 प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

भारत सरकार द्वारा 3609 केजीबीवी संस्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से राज्यों में 3598 केजीबीवी कार्यात्मक होने की सूचना हैं (अर्थात 99.70 प्रतिशत) और इनमें 3,52,920 लड़कियों को नामांकित किया गया है। 3191 केजीबीवी के भवन निर्मित किए गए हैं और 368 केजीबीवी का निर्माण प्रगति पर है।

चित्र 1: वर्ष 2015–16 में केजीबीवी में नामांकित बालिकाओं का संयोजन

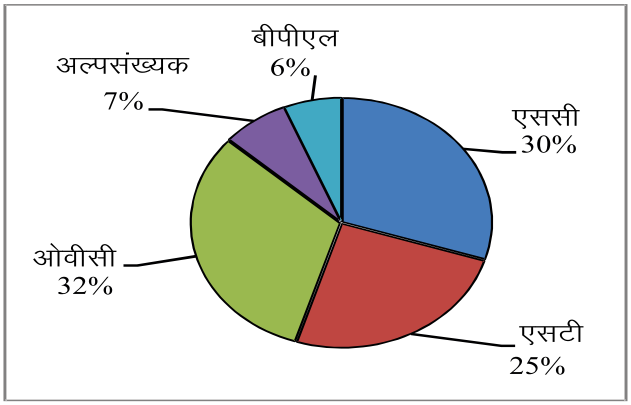

सफलता की कहानी–

तेलंगाना कुमारी जी. गंजामनी, पुत्री जी रामालु, आयु 15 वर्ष, गांव बेओजीपेट, मंडल इकोडा, जिला–अदिलाबाद ने बताया कि उसकी शादी उसकी इच्छा के बिना गांव में तय हुई थी और शादी की तारीख भी तय हो गई थी। उसी दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और वह अदिलाबाद आ गई और उसने पुलिस अधिकारियों, एसएसए और आईसीपीएस अधिकारियों से संपर्क किया तथा अपनी शादी रूकवाने और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए किसी भी स्कूल में दाखिला देने का अनुरोध किया। उसे कक्षा 8 में केजीबीवी आदिलाबाद में दाखिल दिया गया। उसने बालिका समारोह दिवस पर जिला कलेक्टर, ए.अशोक, आईएएस और श्रीमती सुजाता शर्मा, आईएएस, ज्वाइंट कलेक्टर, आदिलाबाद से नगद पुरस्कार प्राप्त किया।

(ग) **स्कूल पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से महिला–पुरूष भेदभाव समाप्त करना:** राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा, 2005 के दिशा–निर्देशों का अनुसरण करते हुए राज्यों ने बहुत सोच समझकर महिलाओं को लड़कियां एवं महिलाओं के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व में वृद्धि और परिवर्तनीय भूमिका के माध्यम से परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रणेता के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अधिकांश राज्यों ने बालिकाओं के नामांकन, स्कूल में बनाए रखने और शिक्षा पूरी करने; स्कूलों में बालिकाओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने; महिला–पुरूष जागरूता आदि पर विचार–विमर्श के लिए महिला शिक्षकों से संपर्क जैसे पर कार्य करने के लिए नियमित स्कूल प्रबंध कमिटी (एसएमसी), प्रशिक्षण मॉड्यूल में महिला–पुरूष सुग्राहीकरण को शामिल किया है। राज्यों में विशेषकर युक्तियों द्वारा सामना किए जा रहे महिला–पुरूष मुद्दों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

(घ) **भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस:** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी वेबसाइट में भारत में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस तैयार किया गया है जो 8 मार्च, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया। यूनिसेफ की सहायता से तैयार किए गए टूल, विशिष्ट महिला–पुरूष संबंधित शिक्षा सूचकों पर एससी, एसटी और मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों की बालिकाओं के लिए कम निष्पादन वाले भौगोलिक साधनों की पहचान करने में सहायक होंगे। शैक्षिक हस्तक्षेप नियोजित और कार्यान्वित करने के लिए जेंडर एटलस का उद्देश्य निःशक्त बालिकाओं सहित बालिकाओं पर फोकस करने के साथ उचित शिक्षा की पहचान और समान शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायता करता है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू–डाइज) (2011–14), जनगणना 2011 के आंकड़ों और जिला स्तरीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएलएचएस) 2007–08 जैसे उपलब्ध सरकारी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए जेंडर एटलस प्रयोक्ता को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भौगोलिक प्रस्तुतिकरण और सांख्यिकीय आंकड़ें तक पहुंचने में समर्थ बनाएगा और प्रारंभिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के मुख्य सूचकों पर जानकारी देगा। जेंडर एटलस के मुख्य घटक इस प्रकार हैं (i) समग्र जेंडर रैंकिंग (ii) जेंडर सूचकों का प्रवृति विश्लेषण (iii) पर्याप्त जनजातीय, अनुसूचित जाति, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में अल्पसंख्यक जनसंख्या, वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिलों और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत चयनित स्त्री–पुरूष के कम अनुपात वाले जिलों में शैक्षिक सूचकों पर आधारित कमजोरियां।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 08 मार्च, 2015 को प्रारंभ जेंडर एटलस का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश में बालिका चेतना कार्यक्रम

राज्य बालिका चेतना कार्यान्वित कर रहा है जो मुख्य रूप से महिला–पुरूष जागरूकता को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है। प्रत्येक मॉडल क्लस्टर स्कूल से एक बालिका सहायक शिक्षक को प्रति सप्ताह एक पीरियड महिला–पुरूष जागरूकता विषय पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत इन विषयों को शामिल किया जाएगा: भेदभाव, बाल अधिकार, पर्यावरण संबंधी सरोकार, मीडिया, हिंसा, नेतृत्व गुण और स्वास्थ्य संबंधी मामले। इन मामलों की बालिकाओं के साथ चर्चा की जाएगी और इनका समाधान प्रशिक्षित बालिका सहायक शिक्षक की सहायता से सामूहिक बातचीत से किया जाएगा।

(ङ) **बालिकाओं के लिए अलग प्रसाधनों के लिए स्वच्छ विद्यालय पहल:** स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय पहल जिसका लक्ष्य एक वर्ष के अंदर देश के शेष सभी स्कूलों में बालक–बालिकाओं के लिए अलग प्रसाधन बनाना है, यह 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किए गए आह्वान के प्रत्युत्तर में किया गया, जिसे अपार सफलता मिली और 15.08.2014 से 15.08.2015 के बीच 2,61,400 सरकारी प्रारंभिक और माध्यमिक

स्कूलों में 4,17,796 प्रसाधन बनाकर यह लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया। यह सरकार, सार्वजनिक और कॉर्पोरेट सेक्टर और निजी भागीदारी के संयुक्त प्रयास से पूरा किया गया।

प्रसाधनों का विवरण निम्नानुसार है:

- एसएसए और आरएमएसए के तहत 2.61 लाख स्कूलों में कुल 4.17 लाख प्रसाधन (2.66 लड़कों और 1.91 लड़कियों के लिए) बनाए गए या कार्यात्मक किए गए। इसमें देश के दुर्गम क्षेत्रों और वामपंथी चरमपंथ प्रभाव वाले क्षेत्रों के स्कूल शामिल हैं। इसके साथ ही देशभर में, 11.21 लाख सरकारी स्कूलों में 13.77 करोड़ बच्चों को अब प्रसाधन की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
- सरकार (एसएसए, आरएमएसए और स्वच्छ भारत कोश (एसबीके) ने 2,72,694 स्कूल प्रसाधन, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 1,41,636 प्रसाधनों और निजी कॉर्पोरेट ने 3,466 प्रसाधनों को निधिबद्ध किया।

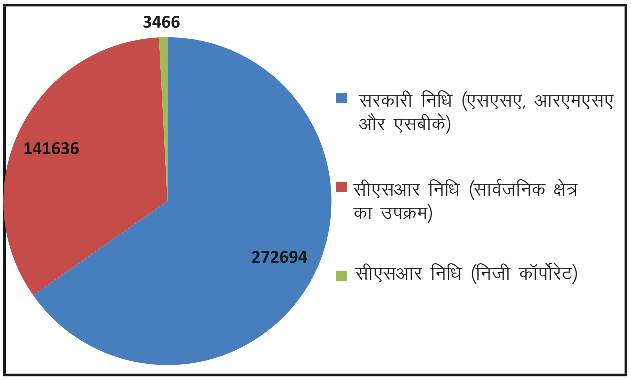

निधि

2014–15 के दौरान कार्यक्रम के लिए एसएसए और एसबीके के तहत एकत्रित की गई निधि निम्नलिखित है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कॉर्पोरेट के संबंध में निधि अनुमानित है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी कॉर्पोरेट अपनी दर सूची के अनुसार स्वयं तैयार कर रहे हैं।

एसएसए: 54456.72 लाख रू.

एसबीके: 11297.93 लाख रू.

स्वच्छ विद्यालय पहल के तहत बनाट गए प्रसाधन

स्वच्छ विद्यालय पहल

- स्वच्छ विद्यालय पहल देशभर के 33 राज्यों में अगस्त, 2014 में प्रारंभ की गई। चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों में बालक–बालिकाओं के लिए प्रसाधन सुविधा पहले से ही है।
- यह पहल प्रारंभ करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि 4,17,796 प्रसाधनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा प्रसाधन सुविधा प्रयोग कर सके, उन्हें निर्मित या मरम्मत करने की आवश्यकता होगी।
- 64 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 11 निजी कॉर्पोरेट ने स्कूलों में प्रसाधन बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत कोश से 112.97 करोड़ रू. जारी किया गया जिसमें 20600 प्रसाधनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा अंशदान दिया गया।
- एक वर्ष की अवधि में 4,17,796 प्रसाधनों के निर्माण के साथ, भारत ने देश के सभी प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में प्रसाधन को कार्यात्मक बनाने के लिए 100 प्रतिशत पहुंच बना ली है। यह शताब्दी विकास लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। सभी स्कूलों में प्रसाधन सुविधाओं के प्रावधान में बच्चों में बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्कूलों में स्वच्छता मानदंडों को बढ़ाया है। स्कूलों में विशेषकर बालिकाओं के नामांकन और उन्हें बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण वृद्धि होने की आशा है।
- डिजिटल भारत पहल की भावना को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में वास्तविक रूप से यह पहल करने, कार्यान्वित करने, मॉनीटर और सहायता प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल की संकल्पना की गई और विकसित की गई है। अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त, वेब पोर्टल कॉर्पोरेट और भागीदारों को प्रसाधनों के निर्माण और मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें उनकी इच्छा अनुसार विशिष्ट स्थानों और स्कूलों तक जाने और उन्हें पहचानने में समर्थ बनाता है। इससे उन्हें वित्तीय और एक प्रकार की प्रतिबद्धता के संकल्प की अनुमति प्राप्त हुई है।

च. महिला समाख्या कार्यक्रम

(i) समुदाय सुग्राह्यता और जागरूकता बढ़ानाः माता–पिता और समुदाय को कम उम्र में शादी और किशोरावस्था में गर्भधारण करने के मामलों को और अधिक संवदेनशील तरीके से समझने और उस पर कार्य करने के लिए सुग्राही बनाया गया है। पंचायत निकायों में प्रशिक्षित संघ और संघ महिला नेताओं और समुदाय कॉडर के माध्यम से बाल विवाह रोकना सुनिश्चित करने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जाता है जैसेः

- बाल विवाह/कम आयु में विवाह के अधिक मामले वाले क्षेत्रों की पहचान करना
- कम उम्र में विवाह के खतरे का सामना करने वाली बालिकाओं की पहचान
- बाल विवाह निरोधक अधिनियम पर विचार–विमर्श और कार्यक्रम तथा कम उम्र में विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
- शादी की उम्र में देरी के लिए बालिकाओं की केजीबीवी, एमएसके या ग्रामीण स्कूलों में नामांकन के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना
- सामुदायिक नेताओं, निर्माताओं और लोक प्रतिनिधियों को शामिल करना
- स्वयं अभिशासन–निकाय–पंचायत में आंकड़े रखने की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना
- बाल विवाह और बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनों को लागू करना सुनिश्चित करना
- जागरूकता शिविर आयोजित करना
- सामुदायिक मत/सामुदायिक शपथ का निर्माण– महिला समख्या द्वारा संघ सदस्य बनाया जाना प्रोत्साहित करना और सामाजिक कुरीतियों और बाल विवाह, बेटे को प्राथमिकता

और लड़कियों से भेदभाव जैसे कार्यों को प्रोत्साहित न करने की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करना

(ii) किशोरी फोरम (किशोरी संघ) को प्रोत्साहन: किशोरी बालिकाओं के लिए ग्रामीण स्तर के संघ जिन्हें किशोरी संघ कहा जाता है इन्हें किशोरियों से संबंधित और चिन्हित मामलों को सुलझाने और उन पर विचार–विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, 25000 किशोरी संघ जिनकी 7 लाख किशोरी बालिकाएं सदस्य हैं और जो समाज के हाशिए वाले भाग से संबंधित है, ये महिला समख्या कवरेज के तहत 670 पिछड़े ब्लॉकों में सक्रिय है। किशोरी संघ ने विभिन्न कार्य किए गए हैं जैसे:

- भित्ती लेखन
- मेलों का आयोजन
- किशोरी दिवस का आयोजन
- बाल विवाह के मामलों की जानकारी
- परामर्श और सहायता
- महिला समख्या की किशोरियों और महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय अखबार खबर लारिया में अपनी बात रखना और जनमत का निर्माण करना इससे संघ और किशोरी मंच को प्रोत्साहन मिला है।
- किशोरी संसद का निर्माण–बालिकाओं का बाल विवाह, बाल मजदूरी और अवैध व्यापार के मामलों को उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

(iii) महिला शिक्षण केन्द्र (एमएसके) : एमएसके आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र है जिसमें 16–20 वर्ष की आयु वर्ग की ऐसी किशोरियों और महिलाओं को 8–11 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है/जिन्हें नामांकन नहीं मिला है। राज्य अनुमोदित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, महिला समख्या ने पाठ्यक्रम के भाग के रूप में बालिका के अधिकार और पात्रता पर महिला–पुरूष संवदेनशील पाठ्यचर्या और शिक्षा–शास्त्र विकसित किया है। वर्तमान में, अनेक जिलों में 103 एमएसके महिला समख्या द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनमें प्रत्येक एमएसके ने 11 महीने के लिए 30–40 बालिकाओं को नामांकित किया गया है। एमएसके ने 35000 से ज्यादा बालिकाओं को नामांकित किया गया है जिनमें अधिकांश स्कूलों/केजीबीवी में हैं। यह उनकी शादी और कम उम्र में गर्भधारण रोकने में सहायता करती है।

III- समेकित शिक्षा

(i) **अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम:** सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के बावजूद शिक्षा तक पहुंच और अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध कराने हेतु राज्य के प्रयास के प्रति माता–पिता में जागरूकता में वृद्धि का सकारात्मक रूझान देखा गया है। प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन 2010–11 में 19.06 प्रतिशत से 2013–14 में 20.24 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो उनकी जनसंख्या के भाग से अधिक है (2011 की जनगणना के अनुसार 16.20 प्रतिशत)। प्रारंभिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों के नामांकन में 2010–11 में 10.70 प्रतिशत से 2013–14 में 10.85 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो उनकी जनसंख्या के भाग से अधिक है (2011 की जनगणना के अनुसार 8.20 प्रतिशत)। प्रारंभिक स्तर पर मुस्लिम बच्चों का नामांकन 2010–11 में 12.50 प्रतिशत से 2013–14 में 13.52 प्रतिशत तक बढ़ गया है जो उनकी जनसंख्या के भाग से आंशिक रूप से कम है (2011 की जनगणना के अनुसार 14.2 प्रतिशत)।

लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन के वर्तमान प्रयास सामान्य और विशिष्ट/लक्षित दोनों हैं। सामान्य प्रयासों में शामिल हैं: यूनिफार्म/पुस्तकों/साइकिलों जैसे प्रोत्साहन, सामाजिक समूहों और जेन्डर को दर्शाने वाले अंशकालिक डाटा ट्रैक करना, मध्याह्न भोजन का प्रावधान आदि। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए वर्दी, पुस्तकों जैसे कई विशिष्ट/लक्षित कार्यक्रमों का सभी बच्चों तक विस्तार कर दिया गया है।

11540.47 करोड़ रू. के आवंटन जो एसएसए के तहत कुल आवंटनों का 19 प्रतिशत है, 2015–16 के लिए 88 मुस्लिम बहुल विशेष फोकस वाले जिलों के लिए अनुमोदित किया गया है। 109 अनुसूचित जनजाति फोकस वाले जिलों के लिए 2015–16 में 8172.86 करोड़ रू. (एसएसए के तहत कुल आवंटन का 13 प्रतिशत) प्रदान किए गए हैं। 61 अनुसूचित जाति फोकस वाले जिलों के लिए 8152.76 करोड़ रू. (एसएसए के तहत कुल आवंटन का 13 प्रतिशत) प्रदान किए गए हैं।

(ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन): आरटीई–एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि निःशक्तता के प्रकार, वर्ग और अवस्था पर ध्यान दिए बगैर विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को अर्थपूर्ण और गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एसएसए की पहल के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- ➢ पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षिक प्लेसमेंट, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना की तैयारी, सहायकों और उपस्करों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, वास्तुगत अवरोधक हटाना, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन और विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं पर विशेष ध्यान।
- ➢ विशेष प्रशिक्षण का उद्देश्य स्कूल के लिए ऐसे बच्चों को तैयार करना है ताकि उनके लिए गुणवत्तापरक समावेशन सुनिश्चित किया जा सके। बेहद जटिल निःशक्तता वाले बच्चों के लिए उन्हें बुनियादी जीवन कौशल प्रदान कर गृह–आधारित शिक्षा ताकि वे स्कूल और जीवन के लिए तैयार हो सकें।
- ➢ विशिष्ट प्रस्तावों के अनुरूप निःशक्त बच्चों के समावेशन हेतु प्रति बच्चा 3000/– रुपए की दर से वित्तीय सहयोग।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु सभी राज्यों द्वारा गृह सर्वेक्षण और विशेष सर्वेक्षण करवाए गए हैं। 2015–16 में विशेष आवश्यकता वाले 27.79 लाख बच्चों की पहचान की गई है, इनमें से 25.03 लाख बच्चे (चिन्हित बच्चों का 89.53%) स्कूलों में दाखिल हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले 69,881 बच्चों को कवर किया गया है और 1.16 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गृह–आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले चिन्हित बच्चों में से 96.18% बच्चों को कवर किया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों को अवरोध–मुक्त बनाना एसएसए संरचना में शामिल है। अब तक 82.33% स्कूलों को अवरोध–मुक्त बनाया गया है। 2,12,197 स्कूलों में निःशक्तजनों हेतु शौचालय हैं।

नियमित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 34.63 लाख शिक्षकों को कवर किया गया है जिनमें अब तक समावेशी शिक्षा पर 2–3 दिन का कैप्सूल शामिल है। समावेशी शिक्षा की बेहतर पुनश्चर्या हेतु 27.04 लाख शिक्षकों (59.45%) को 3–5 दिवसों का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नियमित शिक्षकों को समावेशी शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 20910 संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए हैं। वर्ष 2016–17 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सीडब्ल्यूएनएन के लिए हस्तक्षेपों हेतु कुल आवंटन 54770.619 लाख रू. है।

करण की सफलता की कहानी

यह कहानी करण नाम के बच्चे की है जो सुन नहीं सकती जिसमें शिक्षा की मुख्यधारा में निःशक्त बच्चों को शामिल कर संयुक्त प्रभाव दर्शाता है। वह जन्म के बाद से ही 15 दिनों तक गंभीर पीलिया रोग से पीडित था। जांच के दौरान यह पाया गया कि वह दाहिने कान में 105 डीबी सहित व्यापक संसरी न्यूराल हियरिंग और बांए कान में 68 जीबी सहित काफी सेनसारी न्यूरल हियरिंग हानि है। सामुदायिक स्तर पर करण को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के सर्वेक्षण के दौरान 2009 में हियरिंग इम्प्येर बच्चे के रूप में पहचान की गई थी। इसके बाद उसे मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रयास किए गए थे। वर्तमान में करण शासकीय मॉडल हाई स्कूल, विकास नगर – संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का एक गांव में कक्षा 6 में पढ़ता है।

पहला कदम बच्चे के प्रति उसके कक्षा अध्यापक और उसके सभी बच्चों को सुग्राहीकरण करना था। उसके बाद संसाधन शिक्षक ने प्रथम पंक्ति और उसके पाठ्यक्रम को उसकी सिटिंग व्यवस्था में आवश्यक तब्दीली करने के लिए कक्षा शिक्षक के साथ सहयोग किया। शिक्षक और अभिभावकों को उसके साथ सहयोग किया। शिक्षक और अभिभावकों को उसके साथ सभी

संचार पद्धतियों का उपयोग करने को कहा गया था। उसके माता—पिता शिक्षित नहीं थे अतः अपने बच्चे की शैक्षिक रूप से सहायता नहीं कर सके किंतु घर पर वस्तुओं को दिखाकर उसके शब्द ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित किया था ताकि उसे सुनिश्चित किया जा सके कि वे बच्चे के साथ वार्तालाप के लिए इशारों की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। उसे एनजीओ – रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क हियरिंग एड प्रदान की गई थी।

संसाधन शिक्षक ने सभी विशेष उपकरणों, स्पीच और भाषा विकास, ऑडिटरी प्रशिक्षण, चित्र पुस्तकों से शिक्षा और विशेष संसाधन केन्द्र में उपलब्ध सभी अन्य संबंधित शिक्षण उपकरणों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर बच्चे की सम्प्रेषण कौशल के विकास में सहायता की। प्रारंभ में करण एक शब्द भी नहीं बोल पाता था लेकिन अब वह स्वयं मौखिक रूप से संप्रेक्षित करता है। उसे कक्षा 6 के पाठ्यक्रम का भी ज्ञान है। उसके प्रत्येक गतिविधि जैसे अपने साथी बच्चों समूह के साथ बाहरी और आंतरिक खेल में रूचि लेना प्रारंभ कर दिया है तथा अब आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। करण को निम्नलिखित सहायक सेवाएं प्रदान की गई हैं:

- अभिभावकों को नियमित दिशा—निर्देश और काउंसलिंग।
- संसाधन केन्द्र पर उसे स्पीच थैरेपी, शैक्षिक सहायता और नियमित ऑडिटरी प्रशिक्षण दिया गया।
- चिकित्सा जांच, परिवहन भत्ता और हियरिंग एड।
- संशोधित पाठ्यक्रम, प्रश्न—पत्र और वैयक्तिक शिक्षण योजना।

अब करण पाठ्येत्तर गतिविधियों जैसे खेल, टूटी—फूटी वस्तुओं का बेहतर उपयोग आदि में भाग लेता है। वर्तमान में वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह कक्षा का मॉनिटर भी है और वह बहुत बातूनी बच्चा है। संसाधन शिक्षक अब उसकी भाषा विकास और उसकी शिक्षा पर कार्य कर रहे हैं। करण ने बहुत विकास किया है और शिक्षकों की प्रशंसा प्राप्त की है। अब वह 2 से 200 तक के पहाड़े लिख सकता है। वह शिक्षकों और अपने सहपाठियों में बहुत लोकप्रिय है।

पाठ्यचर्या अपनानाः स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उदाहरणात्मक सामग्री के विकास के लिए एनसीईआरटी को निदेश दिए हैं। एनसीईआरटी ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए दो हैंडबुक तैयार की है। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित हैंडबुक में नियमित शिक्षण—कक्षों में मुख्यधारा के शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाली पाठ्यचर्या, शिक्षण कार्य पद्धति और मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इससे विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं के लिए नियमित शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले टिप्स प्रदान किए गए हैं। हैंडबुक कक्षा में सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम, अनुभव प्रदान करने के दृष्टिकोण पर आधारित है जिसमें टिप्स, सुझाव, उदाहरण और केस अध्ययन, ईवीएस, गणित और भाषा जैसे विषयों में पाठ्यपुस्तक अध्यायों के रूप में उदाहरण दिए गए हैं, सभी बच्चों के अनुरूप आसान भाषा दी गई है, नियमित शिक्षकों को निःशक्तता के बारे में समझने और

अध्ययन–अधिगम प्रक्रिया पर इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है, सेन्सरी, कोगनिटिव और बौद्धिक निःशक्तता की दृष्टि से समावेशी शिक्षण–कक्ष के सृजन हेतु कार्य पद्धतियां शामिल हैं तथा समावेशी कक्षाओं में सतत् और विस्तृत मूल्यांकन हेतु सुझाव पर भी पाठ्य–सामग्री है।

एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से संसाधन व्यक्तियों और शिक्षकों को हैंडबुक द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस उदाहरण के आधार पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी आरंभ हो गया है। एनसीईआरटी द्वारा प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के लिए 3 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इसका लक्ष्य इस सामग्री पर प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। इस प्रकार अब तक प्रतिरूप सामग्री पर 1.26 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

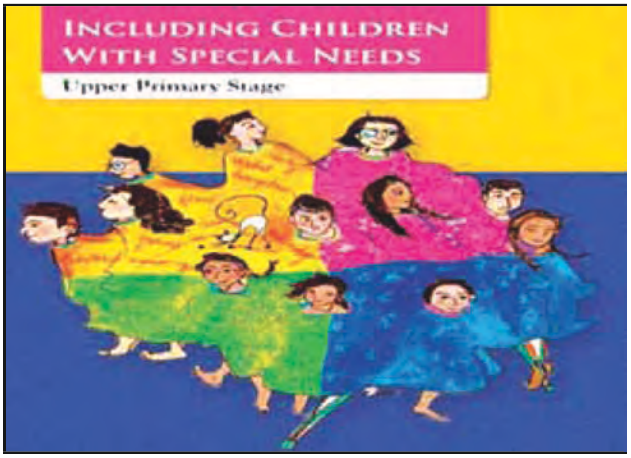

सहायता और उपस्करों और सहायक सेवाओं का प्रावधानः आवश्यक सहायकों और उपस्करों की कमी के कारण विशेष आवश्यकता वाले बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से इन बच्चों को आवश्यक सहायक और उपस्कर प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2015–16 तक ऐसे 81.26% बच्चों, जिन्हें सहायक उपस्कर की आवश्यकता है, को ये उपकरण प्रदान किए गए हैं। एसएसए में सीडब्ल्यूएसएन को संसाधन सहायता को सुदृढ़ करने के लिए 2.76 लाख सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन/एस्कोर्ट सहायता, 1.61 लाख सीडब्ल्यूएसएन को चिकित्सकीय सहायता प्रदान की गई है और 13535 सीडब्ल्यूएसएन की सर्जरी की गई है। राज्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता–पिता के लिए माता–पिता परामर्श भी प्रदान किया गया है।

IV. गुणवत्ता सुधार

आरटीई–एसएसए का एक प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक बालक को समान प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसे, इस कार्यक्रम के लक्ष्य शिक्षण कक्षों सहित स्कूलों की गतिविधियों में सुधार के लिए व्यापक बदलाव लाना और ऐसी व्यवस्था करना जो बालक के अनुकूल एवं समावेशी, प्रत्येक बालक की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील तथा उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हो। देश भर में, समग्र गुणवत्तायुक्त सुधार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए उनके शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रियाओं, शिक्षा परिणामों, मूल्यांकन तथा निगरानी प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता की जा रही है।

(i) **''पढ़े भारत बढ़े भारत''**: 'पढ़े भारत, बढ़े भारत', सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है, जिसे ट्विन ट्रैक एप्रोच पर योजनाबद्ध किया गया है; (i) बोध सहित पठन, लेखन में रूझान सृजन द्वारा भाषा विकास सुधार करना (ii) वास्तविक और सामाजिक जगत से संबंधित गणित में स्वाभाविक और सकारात्मक रुचि उत्पन्न करना। पढ़े भारत, बढ़े भारत के ट्विन ट्रैक हैं–बोध के साथ जल्द पढ़ना और लिखना (ईआरडब्लयूसी) और आरंभिक गणित (ईएम)। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं: बच्चों को स्वतंत्र पाठक और लेखक बनाना; पर्याप्त और दीर्घकालिक पठन और लेखन कौशल और अध्ययन की कक्षा के उपयुक्त अधिगम स्तर प्राप्त करना; बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में रीजनिंग को समझना; अंक ज्ञान और स्थानिक कौशल से समस्या हल करने में स्वतंत्र होना और पठन, लेखन और गणित में आनन्द पाना। वर्ष 2015–16 में पढ़े भारत, बढ़े भारत के लिए 509.93 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

(ii) **प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बलः** छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार के कार्यक्रमों पर बल देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। स्कूल में बुनियादी कक्षाओं (कक्षा–I और II) में अधिगम में सुधार की पहल और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित और विज्ञान के अधिगम में सुधार की विशेष पहले हेतु राज्यों को सहायता दी जा रही है। इसमें तमिलनाडु और गुजरात में कार्य आधारित अधिगम, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों द्वारा बनाए गए विशेष कार्यक्रम, ओडिशा में गृह भाषा से स्कूल भाषा का सेतु कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं।

(iii) **पाठ्यचर्या सुधारः** एनसीईआरटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ), 2005 अधिक बाल अनुकूल और समावेशी तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, जो अधिक रचनात्मक स्वरूप की हों, स्कूलों की दिशा में शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय बदलाव की आवश्यकता के लिए तैयार किया गया। प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया गया है कि उनकी पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम सामग्री, अध्यापन–कला तथा मूल्यांकन प्रणाली में सहयोगी बदलाव लाते हुए वे अपनी राज्य पाठ्यचर्या को एनसीएफ, 2005 में की गई सिफारिशों के अनुसार नवीकृत करें। अब तक 23 राज्यों ने अपने पाठ्यचर्याएं एनसीएफ, 2005 की सिफारिशों के अनुसार नवीकृत किया है, 10 राज्यों ने एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या का अनुसरण किया है, 3 राज्यों ने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यचर्या का अनुपालन किया है, ताकि, उन्हें कार्यकलाप आधारित, बाल अनुकूल और जेंडर तथा लाभवंचित वर्गों के सुग्राहीकरण हेतु तैयार किया जा सके।

(iv) **बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकेंः** सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध की जा जाती हैं। वर्ष 2015–16 में 8.51 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। क्रियाकलाप–आधारित शिक्षण–कक्ष प्रक्रियाओं तथा अनुपूरक शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए सहवर्ती वस्तु के तौर पर विभिन्न राज्यों द्वारा कार्य पुस्तकें तथा वर्कशीट उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(v) **राष्ट्रीय आविष्कार अभियानः** राष्ट्रीय आविष्कार अभियान डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा 9 जुलाई, 2015 को प्रारंभ किया गया। यह 6–18 आयु वर्ग के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रोत्साहित करने की एक पहल है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक विशिष्ट परिकल्पना है जिसका लक्ष्य स्कूल के बच्चों में विज्ञान और गणित में जिज्ञासा, सृजनशीलता और लगाव समावेशित करना है। इस कार्यक्रम के तहत मुख्य कार्यकलापों में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों की मेंटोरिंग; स्कूल में बच्चों के लिए गणित और विज्ञान क्लब स्थापित करना और विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान शिक्षण रोचक बनाने के लिए शिक्षकों का व्यावसायिक विकास शामिल है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत निधि के लिए कार्यकलाप सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मूल्यांकित किए जाएंगे। 2015–16 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए कुल निधियन 124.78 करोड़ रू. है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का प्रारंभ

(vi) **प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के अधिगम उपलब्धि स्तरों में वृद्धिः** एसएसए ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के सतत प्रयास किए हैं जिनमें उसके वार्षिक परिव्यय का आधे से अधिक भाग गुणवत्तापरक पहल में जाता है। एसएसए के अंतर्गत 15.59 लाख अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए गए हैं जिससे वर्ष 2013–14 में छात्र–शिक्षक अनुपात बढ़कर 26:1 हो गया है। सरकारी स्कूलों के लिए प्रति स्कूल शिक्षकों की औसत संख्या बढ़ कर वर्ष 2013–14 में 4.2 शिक्षक हो गई है।

(V) **सतत् एवं व्यापक मूल्यांकनः** विभिन्न राज्यों ने मूल्यांकन के अधिक निरंतर और व्यापक माध्यमों की ओर बदलाव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रयास किए हैं, जिनमें प्रत्येक बच्चे की शिक्षा की प्रगति को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अविभाजित भाग मानते हुए निरंतर जांचा जाए, ताकि मूल्यांकन बच्चों के लिए तनावपूर्ण अथवा डराने वाला न बन जाए। सभी 36 राज्य, सीसीई के कार्यान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल के रूप में सीसीई के सीसीई कार्यान्वयन के लिए अपने मॉड्यूल लागू कर रहे हैं जबकि अधिकांश राज्यों ने राज्यभर के स्कूलों में सीसीई लागू किया है; ऐसे अन्य राज्य भी हैं जो इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, एनसीईआरटी ने आदर्श सीसीई मापदण्ड तैयार किया है और इसे राज्यों से साझा किया है।

VI. अध्यापक प्रशिक्षण

(i) **अध्यापकों की उपलब्धता:** प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2015–16 तक 19.49 लाख अतिरिक्त अध्यापक पद संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 15.59 लाख पद भर दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पश्चात यह अनिवार्य है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को अध्यापक के रूप में नियुक्तकिया जा सकता है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर सकें। सीबीएसई ने अध्यापक पात्रता (टीईटी) के 9 चरण आयोजित किए हैं और 32 राज्यों ने भी टीईटी संचालित की है। इनके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 2.34 लाख अंशकालीन अनुदेशक भी संस्वीकृत किए गए हैं।

(ii) **सेवाकालीन प्रशिक्षण:** अध्यापकों के कौशल के उन्नयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान में सभी अध्यापकों के लिए 20 दिवस तक की अवधि का वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। एनसीटीई के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले से नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को दो वर्ष के लिए 6000 रूपए प्रति शिक्षक की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, नए प्रशिक्षित भर्ती के लिए 30 दिन का इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2015–16 में 32.22 लाख (बीआरसी स्तर पर) और 30.62 लाख (सीआरसी स्तर पर) सेवाकालीन प्रशिक्षण और 0.65 लाख अध्यापकों के इंडेक्शन प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1.02 लाख अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। सभी शिक्षण कार्यक्रमों में स्कूलों में शिक्षण कक्ष तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम कार्यों में सुधार करने के उद्देश्य से विषय–वस्तु और पद्धति सहित शिक्षा से संबंधित मामले शामिल हैं। कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, सीसीई, बच्चे कैसे सीखें, विषय–विशिष्ट विषय–वस्तु अथवा शिक्षण की समस्याएं, गतिविधि उन्मुखी प्रक्रिया, शिक्षण शिक्षा सामग्री (टीएलएम) अथवा शिक्षण किट का उपयोग इत्यादि शामिल हैं। राज्यों को चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करने के प्रति उन्मुख बनाया जाता है।

(iii) **मुख्य–अध्यापकों का प्रशिक्षण:** अध्यापकों को प्रबंधकीय कौशल उन्मुख बनाने के लिए स्कूलों के प्रमुखों को शैक्षिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन तथा मानव संसाधन प्रबंधन में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2015–16 के दौरान 1464 आरपी और 10795 मुख्याध्यापकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जो न्यूपा स्कूल लीडरशिप फ्रेमवर्क पर आधारित होगा।

(iv) **अध्यापकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम:** राष्ट्र, राज्य, जिला और उप–जिला स्तर पर संस्थाओं और व्यक्तियों के क्षमता निर्माण को इग्नू तथा विभिन्न राज्यों में अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की सहायता से सुकर बनाया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करना, विकसित करने और उन्हें प्रदान करने तथा सामग्रियां तैयार करने में तकनीकी और शैक्षिक सहायता प्रदान करता है, अतः राज्यों में व्यावसायिक रूप से अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुकर बनाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों के साथ मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से व्यावसायिक योग्यता (प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डी.ईएल.ईडी) प्राप्त करने तथा एनसीटीई के अनुमोदन हेतु एक नीति तैयार करने के लिए परामर्शों के कई दौर आयोजित किए हैं। एनसीटीई ने क्रमशः एससीईआरटी, लखनऊ और इग्नू के माध्यम से अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और ओडिशा राज्यों को अनुमति प्रदान की है।

VII शैक्षिक सहायता प्रणाली:

(i) **शैक्षिक सहायता ढांचे:** अध्यापकों और स्कूलों को विकेन्द्रीकृत शैक्षिक सहायता, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्रों के रूप में देश में सितंबर, 2015 तक 6750 ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और 76333 क्लस्टर संसाधन केन्द्रों (सीआरसी) की स्थापना की गई है। प्रत्येक बीआरसी और सीआरसी में विषय विशिष्ट संसाधन व्यक्ति रखे गए हैं जो अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और शिक्षा तथा विषय–वस्तु से संबंधित मुद्दों पर अध्यापकों को स्थल पर ही सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों का दौरा

भी करते हैं। बीआरसी/सीआरसी स्कूलों की शैक्षिक मॉनीटरिंग, शिक्षण कक्षा पर्यवेक्षण तथा अध्यापकों तथा छात्रों के लिए संसाधन सामग्रियों के विकास में भी शामिल हैं। नियमित शीर्ष शेयरिंग तथा चिंतनशील विचार–विमर्शों के लिए सीआरसी में मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त 35 राज्यों ने एससीईआरटी, डाइट एवं बीआरसी के सहयोग से कार्य करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर संसाधन समूह गठित किए हैं ताकि सरकारी प्रणाली के बाहर तकनीकी संसाधन तंत्रों को सामने लाते हुए गुणवत्तापरक सुधार उपायों का एक व्यापक पहुंच का मार्गदर्शन किया जा सके, जिसमें अध्यापक समुदाय में प्रतिभा भी शामिल है और साथ ही साथ इसमें उन्नत अध्यापक और स्कूल निष्पादन के लिए विकेंद्रीकृत स्तरों पर एक व्यवस्थित सुधार और परिवर्तन से परिपूर्ण करना भी शामिल है।

(ii) **स्कूल एवं शिक्षक अनुदान:** सर्व शिक्षा अभियान में परिप्रेक्ष्य आधारित शिक्षण सहायता विकसित करने के लिए सभी शिक्षकों को 500/– रूपए के वार्षिक शिक्षक अनुदान भी प्रदान किए गए हैं। अल्प लागत शिक्षण सहायताओं से संबंधित विषय एवं शीर्षक विकसित करने के लिए डीआईईटी और बीआरसी द्वारा नियमित कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों ने इस प्रकार की निधियों के अनुकूल उपयोग के लिए स्कूलों और शिक्षकों को दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं। 2015–16 के दौरान लगभग 0.6 लाख अध्यापक, स्कूल अनुदान प्राप्ति के लिए अभिलक्षित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, स्कूल उपयोग की वस्तुओं के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000 रूपए और प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रूपए वार्षिक विद्यालय अनुदान और रख–रखाव के लिए प्रत्येक विद्यालय को 7500 रूपए दिए जाते है। वर्ष 2015–16 में स्कूल अनुदान की प्राप्ति के लिए लगभग 13.45 लाख स्कूल अभिलक्षित किए गए। नए विद्यालयों के लिए 20,000 रूपए प्रति नए प्राथमिक विद्यालय और 50,000 रूपए नए उच्च प्राथमिक विद्यालय की दर से एकमुश्त 'शिक्षा सहायता उपकरण अनुदान' दिया जाता है। 2015–16 में टीएलई अनुदान प्राप्त करने के लिए 208 विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया था।

(iii) **कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण:** सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों के शिक्षण में सहायता में वृद्धि के लिए स्कूलों में कम्प्यूटर सहायता शिक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक जिले के लिए 50 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध है। गतिविधियों में स्कूलों को कम्प्यूटर उपकरण अथवा प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराना, स्थानीय भाषाओं में ई–शिक्षण आधारित पाठ्यचर्या का विकास और कम्प्यूटर प्रयोग में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरूआत से लगभग 98,527 स्कूलों को इस सुविधा से लाभ हुआ है।

(iv) **वृद्धित अध्ययन प्रक्रियाएं और अध्ययन परिणाम:** वार्षिक सेवारत शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण और मासिक चिंतन बैठकों के साथ परिप्रेक्ष्यात्मक शिक्षण, शिक्षा सामग्रियों के विकास एवं उपयोग के लिए प्रत्येक शिक्षक को 500 रूपए का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है; शिक्षकों की शिक्षण शिक्षा पद्धतियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के अध्ययन आदि के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कार्रवाई अनुसंधान को संवर्धित किया गया है।

(v) **अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम:** प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल परिव्यय का 2 प्रतिशत अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है जिसका उद्देश्य विशिष्ट रूप से अध्ययन प्रक्रियाओं एवं परिणामों में सुधार करना है। 2015–16 में प्राथमिक स्तर पर संकेंद्रित अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम संचालित करने के लिए (विशेष रूप से शीघ्र पाठन एवं गणितीय कौशल सुदृढ़ करने के लिए) 26 राज्यों को सहायता दी गई है तथा इन सभी राज्यों को उच्चप्रारंभिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित शिक्षा को सुदृढ़ करने पर बल देने पर संकेंद्रण सहित अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई है। राज्यों का यह विषय–विशिष्ट कार्यक्रम डिजाइन करने में सहायता देने के लिए एनसीईआरटी ने बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा अपने कार्यक्रम विकसित करने हेतु एक उदाहरण के रूप में प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेडों के लिए एक पठन कार्यक्रम चलाया है। इसमें 40 प्रारंभिक पाठों की एक आदर्श क्रमिक श्रृंखला, एक शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल और पठन अध्यापक सामग्री का एक डोजियर शामिल है। इसी

प्रकार, एनसीईआरटी ने प्रारंभिक कक्षाओं में गणित के अध्यापन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें कक्षा–I और कक्षा–II के लिए आदर्श गणित अध्ययन किट और उचित अध्यापन रणनीतियों के साथ एक शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल शामिल है।

(vii) छात्र अधिगम परिणामों में सुधारः एसएसए की विभिन्न उच्चकोटि सुविधाओं का प्रभाव बच्चों के अध्ययन स्तर की वृद्धि में दिख रहा है जो एसएसए में एक प्रमुख मुद्दा है। कक्षा 3, 5 और 8 में पढ़ रहे छात्रों की उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन हेतु एनसीईआरटी ने एमएचआरडी के परामर्श से कार्यक्रम आरंभ किया है। कक्षा 3, 5 और 8 में छात्रों के शिक्षा स्तर के आकलन के लिए एनसीईआरटी का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाता है। सर्वेक्षण (एनएएस) प्रदान की गई गुणवत्ता शिक्षा के आकलन के लिए छात्रों की उपलब्धि के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े देता है। सर्वेक्षण के मद्देनजर वर्षों के दौरान और राज्यों में रूझान का पता लगाया जा सकता है। सर्वेक्षण कक्षा 3 के छात्रों के भाषा और गणित में शिक्षा स्तर; कक्षा 5 के छात्र के भाषा, गणित और ईवीएस; कक्षा 8 छात्र के भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का आकलन करता है।

एनसीईआरटी द्वारा किया गया सर्वेक्षण चक्र

सर्वेक्षण चक्र	कक्षा–III	कक्षा–V	कक्षा–VIII
चक्र–1	2003-04	2001-02	2002-03
चक्र–2	2007-08	2005-06	2007-08
चक्र–3	2012-13	2009-11	2010-13
चक्र–4	2014-16	2013-15	2014-16
विषय जिनका परीक्षण किया गया	गणित, भाषा	गणित, भाषा, पर्यावरण अध्ययन	गणित, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान

तीसरा चक्र आइटम रिस्पोंस थ्योरी पर आधारित था जो उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन का बेहद अच्छा तरीका है, पूरा हो गया है। इस सम्पूर्ण मूल्यांकन परीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसी कक्षा विशेष के किन छात्रों को ज्ञान है तथा उसके निष्कर्ष का उपयोग कमी का पता लगाने और उसे दूर करने के लिए वह क्षेत्र जिसमें सुधार की आवश्यकता है, किया जा सकता है। छात्रों के उपलब्धि स्तर के संबंध में कक्षा 3, 5 और 8 का परिणाम तालिका में दिया गया है।

	चक्र–I	चक्र–II	चक्र–III
कक्षा–III			
गणित	58.25	61.89	252
भाषा	63.12	67.84	257
कक्षा–V			
गणित	46.51	48.46	247
भाषा	58.57	60.31	251
ईवीएस	50.30	52.19	249
कक्षा–VIII			
गणित	39.17	42.58	245
भाषा	53.86	56.50	247
विज्ञान	41.30	42.72	251
सामाजिक विज्ञान	46.19	47.90	247

(vii) गुणवत्ता निगरानी: देश में एक कम्प्यूटीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) कार्यात्मक है जो छात्र–शिक्षण कक्ष अनुपात, शिक्षा छात्र–अनुपात, शिक्षक प्रोफाइल तथा परीक्षा परिणाम जैसे गुणवत्ता से संबंधित अनेक मापदंडों पर नजर रखती है। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी की सहायता से भारत सरकार ने छात्र उपस्थिति, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षण कक्ष व्यवहार, छात्र अध्ययन उपलब्धियां, बीआरसी/सीआरसी द्वारा प्रदान किया गया शैक्षिक पर्यवेक्षण, सामुदायिक सहायता आदि जैसे गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं की निगरानी के लिए गुणवत्ता निगरानी उपकरण (क्यूएमटी) के रूप में एक तिमाही निगरानी प्रणाली चालू की है।

VIII एसएसए के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के गुणवत्ता से जुडे पहलुओं पर स्वतंत्र फीडबैक प्रदान करने के लिए एसएसए के तहत विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन आरंभ किए गए। वर्ष 2013–14 में 'स्कूल बाह्य बच्चों पर अध्ययन' आरंभ किया गया और वर्ष 2006 और 2009 में किए गए अध्ययन के परिणामों से इस वर्ष के परिणामों की तुलना की गई। यह पाया गया कि एसएसए के अंतर्गत किए गए प्रयासों से स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या वर्ष 2006 में 134 लाख से घटकर वर्ष 2009 में 81 लाख और वर्ष 2013 में 61 लाख हो गई है। 6–13 आयु वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चों का प्रतिशत वर्ष 2006 के 6.94 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009 में 4.28 प्रतिशत और इन चक्रों में 2.97 प्रतिशत रह गया है। तदनुसार, स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या की कमी शहरी क्षेत्र (1.8 प्रतिशत प्वाइंट) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में (4.67 प्रतिशत प्वाइंट) अधिक है। 2006 से बालकों की तुलना में बालिका स्कूल बाह्य में अधिक कमी देखी गई है और 2006 से स्कूल बाह्य मुस्लिम बच्चों के अनुपात में 5.54 प्रतिशत प्वाइंट की कमी हुई है।

विभिन्न वर्षों में देश में स्कूल न आने वाले बच्चों की तुलनात्मक स्थिति

	2006		2009		2014	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
समग्र	134.5 लाख	6.94	81.5 लाख	4.28	60.6 लाख	2.97
बालक	67.7 लाख	6.18	41.0 लाख	3.92	31.6 लाख	2.77
बालिका	66.8 लाख	7.92	40.4 लाख	4.71	28.9 लाख	3.23
अ.जा.बच्चे	31.04 लाख	8.17	23.08 लाख	5.96	19.66 लाख	3.24
अ.ज.जा.बच्चे	16.56 लाख	9.54	10.69 लाख	5.6	10.07 लाख	4.20
ओबीसी बच्चे	46.02 लाख	6.90	28.96 लाख	2.67	22.06 लाख	3.07
मुस्लिम बच्चे	22.53 लाख	9.97	18.75 लाख	7.67	15.57 लाख	4.43

इसी प्रकार एसएसए के अंतर्गत 'अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन' पर भी एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन न्यूपा द्वारा जनजातीय जनसंख्या के उच्च अनुपात में 9 राज्यों के 747 गांवों में किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 9 राज्यों के चिन्हित गांवों का औसत नामांकन 81 छात्र प्रति स्कूल था। कुल छात्रों में से 82.6 प्रतिशत जनजातीय छात्र थे। अधिकतर प्राथमिक स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध थी। एससीआर>30 के स्कूलों का प्रतिशत और पीटीआर>30 के स्कूलों का प्रतिशत चिन्हित स्कूलों में अधिक था। 98 प्रतिशत स्कूलों में एसएसए द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों और वर्दी की तरह मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का रूझान भी उसी प्रकार है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल बाह्य की दर 2010–11 से 2011–12 तक जनजातीय योग के लिए 11 प्रतिशत से लगभग 4 प्रतिशत कम हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में बालकों के स्कूल छोड़ने के कारण पारिवारिक आय था तथा जहां तक जनजातीय बालिकाओं का सवाल है, प्राथमिक स्तर पर अध्ययन छोड़ने का कारण पारिवारिक कार्य था जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर पारिवारिक आय में योगदान मुख्य कारण रहा था।

छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करना एसएसए का मुख्य घटक रहा है। अधिगम परिणामों पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के पश्चात् जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिगम उपलब्धियों के माइक्रो स्तरी आंकड़ों के लिए राज्यों/यूटी को अपने राज्य अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण (एसएलएएस) करने को कहा गया है। 2013–14 के सत्र में राज्यों को 1450 लाख रूपए का अनुदान दिया गया तथा 2014–15 में 1130 लाख रूपए और 2015–16 में 1243 लाख रूपए। इस उद्देश्यार्थ सर्वेक्षण कैसे किए जाएं ये बताने के लिए राज्यों को कार्यशालाओं, मानक संचालक प्रक्रिया एसओपी की सॉफ्ट और हार्ड कापियां दिशा–निर्देशों के रूप में प्रदान की गई है। 24 राज्यों ने एसएलएएस पूरा किया है और 19 राज्यों ने अपने एसएलएएस परिणाम शेयर किए हैं। 2014–15 सत्र में एसएलएएस का आयोजन करने वाले राज्यों की संख्या 27 थी तथा 11 राज्यों ने रिपोर्ट तैयार की थी। राज्य जिन्होंने 2013–14 में अपना एसएलएएस परिणाम शेयर किया और वेब पर डाला हैं – बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश। समय के साथ राज्य अपनी कार्य पद्धति बदलते रहते हैं। 2013–14 में अधिकतम राज्यों ने सीटीटी का उपयोग किया जबकि 2014–15 में 17 राज्यों ने एसएलएएस के आयोजन के लिए आईआरटी का उपयोग किया। राज्यों के परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि उन्होंने भिन्न–भिन्न कार्य पद्धतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं। नीचे तालिका में विभिन्न राज्यों द्वारा 2014–15 में विभिन्न विषयों में किए गए सैंपलिंग प्रोसिजर और परिणाम दिए गए हैं। छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए राज्यों ने एसएसए के अंतर्गत की गई विभिन्न गुणवत्तापरक पहल के प्रभाव के मूल्यांकन का पता चलता है। इससे राज्यों को अपनी पाठ्यचर्या, अध्ययन–अधिगम प्रक्रिया के साथ–साथ सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार में भी सहायता मिलेगी।

कर्नाटक (2014–15)

नमूना	टेस्ट	कक्षा	भाषा (कन्न्ड़)(% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	ईवीएस (% में औसत स्कोर)	विज्ञान (% में औसत स्कोर)	सामाजिक विज्ञान (% में औसत स्कोर)
8 जिले, 15 ब्लॉक 225 स्कूल, 17035 छात्र	• आईआरटी • कक्षा–II के लिए 20 दक्षताए • कक्षा III एवं VIII के लिए 40 दक्षताएं	II	73.43	72.56	78.31	-	-
		III	68.87	65.53	68.90	-	-
		VIII	56.76	45.98	-	55.43	65.58

मणिपुर (2014–15)

नमूना	टेस्ट	कक्षा	भाषा (50% या उससे ऊपर प्राप्त करने वाले छात्रों का %)	गणित (50% या उससे ऊपर प्राप्त करने वाले छात्रों का %)
जिले =4 विद्यालय=80 कक्षा–V छात्र=658 कक्षा VIII छात्र=772	• सीटीटी	V	82.29	66.26
		VIII	82.19	66.26

पंजाब (2014–15)

नमूना	टेस्ट	कक्षा	भाषा (औसत अंक % में)		गणित (औसत अंक % में)		विज्ञान (औसत सीटीसी अंक % में)		सामाजिक विज्ञान (औसत अंक सीटीटी % में)	
कक्षा–II के लिए विद्यालय=176 छात्र= 3257 कक्षा III एवं VIII 13 जिले 100 विद्यालय 3588 छात्र	• सीटीटी • आई. आरटी		आई. आरटी	सीटीटी	आई. आरटी	सीटीटी	आई. आरटी	सीटीटी	आई. आरटी	सीटीटी
		II		74.5		65.00				
		III	245	65.68	246	70.06	-	-	-	-
		VIII	247	68.0	244	47	250	55	247	56

सिक्किम (2014–15)

नमूना	टेस्ट	कक्षा	भाषा (औसत अंक % में)	गणित (औसत अंक % में)
4 जिले 106 विद्यालय 1129 (बी–5569, जी–560) छात्र	• सीटीटी • प्रयोग किया गया अंकों का %	III	**70.93%**	**63.28%**

तेलंगाना (2014–15)

नमूना	टेस्ट	कक्षा	भाषा (औसत अंक % में)	अंग्रेजी (औसत अंक % में)	गणित (औसत अंक % में)	ईवीएस (औसत अंक % में)	विज्ञान (औसत अंक % में)	सामाजिक विज्ञान (औसत अंक % में)
सभी (10) जिले 942 विद्यालय (624–पी, 219–यूपी) छात्र= 14806	आई. आर आई	III	44.10	38.54	53.58	58.50		
		VIII	50.15	40.59	33.78	-	35.60	39.33

छात्रों की उपलब्धि का अंतर्राज्यीय स्तर पर तुलना से पता लगता है कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, सिक्किम में 2013–14 और 2014–15 में छात्रों के अंक में कमी देखी गई। तथापि, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, गोवा और त्रिपुरा को प्राथमिक कक्षाओं में विषय जैसे भाषा और गणित में मामूली वृद्धि देखी गई है लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर इन विषयों में कमी देखी गई है। समेकित रूप से प्राथमिक स्तर पर सभी कक्षाओं में सभी विषयों में 2013–14 से 2014–15 तक अंक में किसी राज्य में वृद्धि देखी नहीं गई है।

IX. अवसंरचना

आरटीई–एसएसए राज्यों को सिविल कार्यों के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। केन्द्रीय रूप से न तो डिजाइन और न ही इकाई लागत निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को अधिसूचित राज्य दर अनुसूची के आधार पर भवन डिजाइन और लागत आकलन तैयार करने की छूट है। एसएसए ने राज्यों द्वारा योजना और निर्माण कक्षाओं का उपयुक्त स्थान पेयजल और सफाई सुविधाओं और स्कूल परिसर में ही खेल के मैदान सुनिश्चित करने, बढ़े हुए नामांकन से उत्पन्न होने वाले भावी विस्तार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण स्कूल उपागम अपनाएं जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला संचालित की है अर्थात बच्चों के दृष्टिकोण से इनडोर और आउटडोर स्थान डिजाइन। इसमें डिस्प्ले या चाक बोर्ड, भंडारण शेल्फ जो सभी बच्चों की पहुंच में है, विभिन्न सुविधाओं को डिजाइन करना, जैसे विभिन्न आयु समूह/ऊंचाई के बच्चों के लिए विभिन्न

ऊंचाइयों पर पेयजल और प्रसाधनों इत्यादि के लिए डिजाइन करना, आंतरिक और बाह्य स्थानों जैसे फर्श, दीवारें, सीढ़ियां, खिड़कियां, दरवाजे, छत इत्यादि को शिक्षा संसाधनों के रूप में डिजाइन करना आदि जैसे सीखने के पर्याप्त साधनों का प्रावधान शामिल है, ताकि कई विभिन्न विधियों के द्वारा शिक्षण को सुकर बनाया जा सके। उदाहरणार्थ कोणों की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए फर्श पर द्वार शटर के नीचे कई कोणों को चिन्हित किया जा सकता है, अथवा समय के मापन के लिए विभिन्न तरीकों को समझने के लिए एक फ्लैग पोल की चलाएमान परछाइयां एक सनडायल के रूप में कार्य करती है, अथवा छत के पंखों को कलर व्हील्स के साथ पेंट किया जा सकता है ताकि बच्चें परिवर्तनशील विन्यासों का आनंद उठा सकें, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के आधार पर स्कूल डिजाइनों में समुचित 'सुरक्षा विशेषताएं' को शामिल करना ताकि एक सुरक्षित और रक्षित पर्यावरण में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें, स्कूल में सभी अनिवार्य सुविधाएं जिनमें पेयजल, स्वच्छता, रसोई और मध्याह्न भोजन योजना, खेल का मैदान, चारदीवारी/ग्रीन फैंसिग शामिल करना है और समुचित रूप से स्थापित किए गए दरवाजे, खिड़कियों, रोशनदानों और स्काइलाइट, और हीट गेन को कम करने या बढ़ाने के लिए छाया कार्यनीतियों के उपयोग के जरिए स्कूल भवनों को ऊर्जा दक्ष बनाना है।

सितंबर, 2015 तक स्कूली भवनों के निर्माण में प्रगति निम्नानुसार है:

	कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर	कुल
स्कूल भवन	285352	15236	300588
अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	1714076	109270	1823346
पेयजल सुविधाएं	226627	1109	227736
शौचालय (सभी)	937124	25381	962505

तथापि स्कूल अवसंरचना प्रावधान केवल एम गतिविधि नहीं है। स्कूल अवसंरचना का डिजाइन और गुणवत्ता की उपस्थिति का स्कूलों में बच्चों को बनाए रखने पर व्यापक प्रभाव होता हे। एसएसए के तहत सिविल कार्य, आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी मौसम के भवन प्रदान करता है। शिक्षा का अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान सिविल कार्य गतिविधियों में स्थानीय समुदाय के माध्यम से प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करता है ताकि उनके अंदर एक स्वामित्व की भावना को जगाया जा सके। समुदाय अभिमुख स्कूलों के निर्माण, ठेकेदारों के जरिए किए गए निर्माण की तुलना में एक बेहतर गुणवत्तायुक्त सिद्ध हुए हैं। समुदाय से यह भी अपेक्षा है कि वह स्थल के चयन में, स्कूल सुविधा के डिजाइन और अनुरक्षण के विकल्प, के संबंध में एक पूर्व सक्रिय भूमिका निभाएगा। देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें समुदाय ने अपने ग्राम स्कूल में सुधार के लिए मुद्रा/श्रम के संदर्भ में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

आरटीई–एसएसए अब पुराने स्कूल के भवनों की मरम्मत के लिए, कम जीर्ण–शीर्ण और पुराने स्कूल भवनों में उपकरणों को स्थापित करना, के संबंध में स्कूलों को खतरा प्रतिरोधी बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है। आरटीई–एसएसए ने सिविल कार्यों का एक तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्यांकन भी कराया है। एक गहन पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग प्रणाली को स्थापित किया गया है ताकि निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

अध्ययन सहायता के रूप में स्कूल अवसंरचना

X. आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के अंतर्गत दाखिले

धारा 12(1)(ग) में सभी निजी गैर–सहायता–प्राप्त स्कूलों और विशेष वर्ग वाले स्कूलों के लिए कुल सीटों के न्यूनतम 25% को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है। एसएसए के अंतर्गत 25% दाखिलों के लिए भारत सरकार निजी गैर सहायता–प्राप्त स्कूलों को राज्यों के माध्यम से प्रतिपूर्ति करेगी जो एसएसए वार्षिक कार्य योजना और बजट की अधिकतम उच्च सीमा 20% तक सीमित होगी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति छात्र लागत मानकों पर आधारित होगी। वर्ष 2014–15 में स्कूलों में दाखिल बच्चों के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से राज्यों को प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध होगी। वर्ष 2014–15 में धारा 12(1) (ग) के तहत 18.10 लाख छात्र नामांकन सहित 16 राज्यों ने निजी स्कूलों में प्रवेश शुरू किया है। 7 राज्यों को धारा 12(1)(ग) के तहत बच्चों को प्रवेश देने के लिए निजी स्कूलों को फीस वापसी पर हुए व्यय की तुलना में 5.05 लाख बच्चों के लिए 250.65 करोड़ रूपए का वित्तीय आवंटन किया गया।

उत्तराखंड में 'सपनों की उड़ान'

यह एक एकीकृत समाभिरूपता समावेशी कार्यक्रम है जो सामुदायिक भागीदारी के लिए **एसएसए, उत्तराखंड** के संरक्षण के तहत चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य सहित समुदायों के बीच स्वामित्व की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम प्रमुख रूप से अभिभावकों और शिक्षकों को समाज, राज्य और सम्पूर्ण देश की ओर उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श देने का कार्य करता है। जिससे वे समाज राज्य और समग्र रूप से राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त जीवनयापन कर सके। विभिन्न गतिविधियों जैसे गणित/विज्ञान/सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रस्तुतीकरण निबंध/ड्राइंग–पेंटिंग/कविता/खेल/सांस्कृतिक प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण की समाभिरूपता के साथ सीआरसी, बीआरसी और जिला स्तर पर कार्यक्रमों की श्रृंखला। यह शिक्षा कार्यक्रम बच्चों और अभिभावकों की भागीदारी के लिए आनंदप्रद शिक्षा वातावरण के साथ समुदाय के साथ विचार–विमर्श करने के लिए संवादात्मक मंच प्रदान करता है। यह कैम्प अच्छे लालन–पालन (स्वास्थ्य, साफ–सफाई, नियमितता, मानव मूल्य और अभिभावकों के कार्य और उत्तरदायित्व आदि) के संबंध में मात्रत्व शिक्षा पर विशेष रूप से दृष्टिगत है। माताओं के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, श्रेष्ठ चेतना का भी आयोजन किया जाता है। स्लम क्षेत्रों और विशेष केंद्रित जिले (एसएफडी) में 'नुक्कड़ नाटक' (स्ट्रीट प्ले) के माध्यम से भी जागरूकता और प्रेरित किया गया था।

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

1. पृष्ठभूमि

बच्चों के नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि के साथ–साथ उनकी पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 15 अगस्त, 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना ''प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई)'' शुरू की गई थी। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए 2008–09 के दौरान योजना का विस्तार किया गया था और योजना का नाम बदल कर ''राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम'' के रूप में किया गया था। सरकारी और सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मक़तबों में कक्षा–I से VIII में अध्ययनरत सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना की विषय–वस्तु और कवरेज में योजना को समय–समय पर संशोधित किया गया है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

2. उद्देश्य:

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की अत्यावश्यक समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा को निम्नानुसार दूर करना है:

i. सरकारी और सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा–I से VIII में अध्ययनरत बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार लाना।

ii. लाभवंचित वर्ग के निर्धन बच्चों को और अधिक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षण–कक्ष के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में उनकी सहायता करना।

iii. ग्रीष्म अवकाश के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पौषणिक सहायता मुहैया कराना।

3. औचित्यः

i. **कक्षा में भूख का निवारण करनाः** समाज के लाभवंचित वर्गों के कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। यहां तक कि जो बच्चे स्कूल जाने से पहले भोजन करते हैं, वे भी दोपहर तक भूख का अनुभव करने लगते हैं और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। 'शिक्षण–कक्ष की भूख' को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना उन परिवारों के बच्चों की सहायता करती है जो भोजन का डिब्बा नहीं जुटा पाते हैं अथवा स्कूल से अधिक दूरी पर रहते हैं।

ii. **स्कूल सहभागिता का संवर्धन करनाः** मध्याह्न भोजन योजना न केवल रजिस्टर में और अधिक बच्चों को नामांकित करने के संदर्भ में बल्कि दैनिक आधार पर छात्रों की नियमित उपस्थिति के संदर्भ में स्कूल सहभागिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

iii. **बच्चों के स्वास्थ्य विकास को सुगम बनानाः** मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के ''अनुपूरक पोषण'' के एक नियमित स्रोत का कार्य भी कर सकती है और उनके स्वास्थ्य के विकास को सुगम बनाती है।

iv. **आंतरिक शैक्षिक मूल्यः** एक सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों को विभिन्न अच्छी आदतें सिखाने (जैसे भोजन से पूर्व और उसके पश्चात् अपने हाथ धोना) और उन्हें स्वच्छ जल, अच्छे स्वास्थ्य और अन्य सम्बद्ध मामलों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

v. **सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करनाः** मध्याह्न भोजन समतावादी मूल्यों का प्रसार करने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे इकट्ठे बैठना सीखते हैं और साझा भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के बीच जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में भी सहायता कर सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से रसोइयों को नियुक्त करना बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का एक अन्य ढंग है ताकि जाति विद्वेष भावों को दूर किया जा सके।

vi. **महिला–पुरुष समता में वृद्धि करनाः** स्कूल प्रतिभागिता में महिला–पुरुष अंतराल कम हो रहा है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को समाप्त करने में सहायता प्रदान करती है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है। मध्याह्न भोजन योजना महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का एक उपयोगी स्रोत भी उपलब्ध कराती है और कामकाजी महिलाओं को दिन के दौरान घर पर भोजन पकाने के भार से मुक्त कराती है। इन तरीकों से और अन्य ढंग से मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और छात्राओं की एक विशेष हिस्सेदारी है।

vi. **मनोवैज्ञानिक लाभः** मनोवैज्ञानिक अभाव के कारण आत्मसम्मान में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षा, चिंता और तनाव होता है। मध्याह्न भोजन योजना इनका समाधान करने में सहायता कर सकती है और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सुगम बना सकती है।

4. कवरेज

वर्ष 2014–15 के दौरान देश के 11.56 लाख स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा के 10.22 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा **संलग्नक–10 और 11** में दिया गया है।

5. मध्याह्न भोजन योजना के मानदंड

i) **मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्यः** प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 100 ग्राम अनाज (चावल/गेहूं/पोषक अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जी तथा 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम

प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 150 ग्राम अनाज (चावल/गेहूं/पोषक अनाज), 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जी तथा 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 7.5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होते हैं।

ii. **मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन पकाने की लागत:** भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल, मसाला सामग्री और ईंधन आदि पर किया गया व्यय शामिल है। भोजन पकाने की लागत को विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 7.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। भोजन पकाने की लागत में केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के बीच की भागीदारी 90:10 पर और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 60:40 पर आधारित है। पिछले वर्षों के दौरान वर्तमान वर्ष के दौरान भोजन पकाने की लागत के मानदंड केंद्र और राज्य के बीच भागीदारी पैटर्न निम्नानुसार है:

वर्ष	स्तर	प्रति भोजन कुल लागत	केन्द्र–राज्य हिस्सेदारी			
			गैर–पूर्वोत्तर राज्य (75:25)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)	
2013-14	प्राथमिक	• 3.34	₹ 2.51	₹ 0.83	₹ 3.01	₹0.33
	उच्च प्राथमिक	• 5.00	₹ 3.75	₹ 1.25	₹ 4.5	₹ 0.50
2014-15	प्राथमिक	• 3.59	₹ 2.69	₹ 0.90	₹ 3.23	₹ 0.36
	उच्च प्राथमिक	• 5.38	₹ 4.04	₹ 1.34	₹ 4.84	₹ 0.54
संशोधित अनुदान पैटर्न		यूटी(100%)	60:40 (गैर–पूर्वोत्तर)		पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालय राज्य (90:10)	
2015-16	प्राथमिक	₹3.86	₹ 2.32	₹ 1.54	₹ 3.47	₹ 0.39
	उच्च प्राथमिक	₹ 5.78	₹ 3.47	₹ 2.31	₹ 5.20	₹ 0.58

iii. **रसोइया–सह–सहायक की नियुक्ति और उन्हें दिया जानेवाला मानदेय:** 25 छात्रों के स्कूल के लिए एक रसोइया–सह–सहायक, 26 से 100 छात्रों वाले स्कूल के लिए दो रसोइया–सह–सहायक और 100 छात्रों की प्रत्येक वृद्धि के लिए अतिरिक्त रसोइया–सह–सहायक रखा जा सकता है। प्रत्येक रसोइया–सह–सहायक को प्रति माह 1000/– रुपए मानदेय के रूप में पाने का हकदार है। तथापि, राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से रसोइया–सह–सहायक को निर्धारित न्यूनतम मानदेय से अधिक प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। रसोइया–सह–सहायकों के मानदेय का व्यय केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयम राज्यों के मध्य 90:10 के आधार पर और राज्य क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर शेयर किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में योजना के अंतर्गत 27.39 लाख रसोइया–सह–सहायकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुमोदन की तुलना में 25.75 लाख रसोइया–सह–सहायकों को नियुक्त किया है।

iv. **रसोई–सह–भण्डारगृहों का निर्माण:** रसोइया–सह–भण्डारगृह की निर्माण लागत, प्लिन्थ एरिया मानकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस विभाग ने 100 बच्चों तक वाले स्कूलों में रसोइ–सह–भंडारगृह के निर्माण के लिए 20 वर्ग मी. प्लिन्थ एरिया निर्धारित किया है। हर 100 अतिरिक्त बच्चों तक अतिरिक्त 4 वर्ग मी. प्लिन्थ एरिया जोड़ा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 बच्चों के स्लैब में स्थानीय स्थितियों को देखते हुए संशोधन करने की छूट है। रसोई–सह–भंडारगृहों के निर्माण की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत और अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर शेयर की जाती है।

वर्ष 2006–07 तक 10,06,263 रसोइ–सह–भंडारगृहों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8028.48 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता दी गई है। इनमें से 7,33,270 (73%) रसोइ–सह–भंडारगृह निर्मित किए जा चुके हैं और 1,37,725 (13%) निर्माणाधीन हैं। राज्य–वार ब्यौरा **संलग्नक–XII** में दिया गया है।

v. **विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता:** विशेष श्रेणी के 11 राज्यों (अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) में इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर परिवहन सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में खाद्यान्न परिवहन सहायता की प्रतिपूर्ति, 75 रुपए प्रति क्विंटल अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर की जा रही है।

vi. **जिला स्तर के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण:** खाद्यान्नों की लागत का भुगतान, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत था, एफसीआई को समय पर भुगतान तथा खाद्यान्नों को शीघ्र उठाने को सुनिश्चित करने में जिला प्राधिकरणों की भूमिका और अधिक से अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर 01.04.2010 से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने का समय–अंतराल कम हो गया है।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना नौ (9) राज्यों और एक (1) संघ शासित प्रदेश में आरंभ हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति दी गई है।

6. केंद्रीय सहायता की पद्धति:

मध्याह्न भोजन योजना के अधीन, केंद्र सरकार खाद्यान्नों, परिवहन लागत, निगरानी प्रबंधन तथा मूल्यांकन (एमएमई) और रसोई उपकरणों की खरीद की पूरी लागत वहन करती है।

भोजन बनाने की लागत, रसोइ–सह–भंडारगृह की लागत तथा रसोइया–सह–सहायक के मानदेय की लागत केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयन राज्यों के बीच 90:10 संघ राज्य क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर तथा अन्य राज्यों के साथ 60:40 के आधार पर बांटी जाती है।

7. मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

i) पात्र बच्चों को पका हुआ और पोषक मध्याह्न भोजन प्रदान करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक पात्र स्कूल में स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और पका हुआ भोजन नियमित रूप से मिले। इसमें पर्याप्त अवसंरचना का विकास अर्थात् रसोईघर–सह–भंडार का निर्माण और अन्य विभागों अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की बजटीय सहायता के अन्य विकासशील कार्यक्रमों के साथ सहक्रियाशीलता के माध्यम से रसोई उपकरणों की खरीद शामिल है। पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान, पेयजल मिशन और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की सह क्रियाशीलता से करना होगा।

ii) खाद्यन्नों का आवंटन एडवांस में किया जाता है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तिमाही में आवंटित अनाज को एक ही बार ले जाने की छूट होती है। भारतीय खाद्य निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने डिपुओं और प्रमुख संवितरण केन्द्रों में पर्याप्त खाद्यान्नों की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न एक माह पहले ही ले जाने की अनुमति है। प्रत्येक स्कूल/खाना पकाने वाले अभिकरण को एक महीने की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न का अतिरिक्त स्टॉक रखना होता है।

8. खाना पकाने का कार्य

i) मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि जहां तक संभव हो खाना पकाने/पके–पकाए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने का दायित्व स्वयं सहायता ग्रुप की स्थानीय महिलाओं/माताओं या नेहरू युवक केन्द्र अथवा स्वयं सेवी संगठन या एसएमसी/वीईसी/एसएमडीसी/पीटीए/ग्राम पंचायत/नगर निगम द्वारा स्वयं रखे गए कार्मिक को सौंपना चाहिए।

ii) शहरी क्षेत्रों में जहां रसोई का शैड निर्मित करने के लिए जगह की कमी होती है, वहां पर स्कूलों के क्लस्टर के लिए केन्द्रीकृत रसोई का प्रयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। खाना पकाने का कार्य केन्द्रीकृत रसोई में करके पका–पकाया गर्मा गर्म भोजन एक विश्वसनीय परिवहन के माध्यम से स्वच्छ हालात में दूसरे स्कूलों में ले जाना चाहिए। किसी शहरी क्षेत्र में ऐसे एक या अधिक नोडल किचन हो सकते हैं जो बच्चों की संख्या और सेवा प्रदत्ताओं की क्षमता पर निर्भर होगा।

9. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

i) मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता अधिकांशतया खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। भारतीय खाद्य निगम सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध गुणवत्तायुक्त अनाज देने के लिए जिम्मेदार है जो हर हालत में कम–से–कम अच्छे औसत दर्जे (एफएक्यू) का तो होना ही चाहिए। भारतीय खाद्य निगम प्रत्येक राज्य के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करता है जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं की देखभाल करता है। जिला पंचायत का जिला क्लैक्टर/सीईओ यह सुनिश्चित करता है कि कम–से–कम एफएक्यू के खाद्यान्नों को एफसीआई और क्लैक्टर/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नामिति, भारतीय खाद्य निगम से युक्त टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण और यह पुष्टीकरण करने के बाद कि अनाज एफयू मानदंडों के अनुरूप ही है, उठाना चाहिए;

ii) केन्द्रीय सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि विभिन्न स्तरों पर एमडीएम के लिए कारगर प्रबंधन ढांचा स्थापित करने, बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व एक शिक्षक सहित 2–3 वयस्कों द्वारा भोजन का चखना अनिवार्य बनाने; सुरक्षित भंडारण और स्कूलों को दाल और मसाले सामग्री की सप्लाई करने; महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्रांडेड और एगमार्क गुणवत्ता के दालों और मसालों की खरीद और आपूर्ति की जाए;

iii) मध्याह्न भोजन के अंतर्गत स्कूल स्तर की रसोईयों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा और स्वच्छता के बारे में 13.02.2015 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा–निर्देशों में खरीद का सुरक्षा पहलू, भंडारण, भोजन पकाने और परोसने तथा खाद्यान्न मदों के अपशिष्ट के निपटारे एवं छात्रों और जो खाना पकाते हैं और परोसते हैं की व्यक्तिगत स्वच्छता के मामले शामिल हैं;

iv) जिले के वरिष्ठतम संसद–सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करना।

v) योजना की कारगर निगरानी के लिए वेब समर्थित मध्याह्न भोजन–एमआईएस की शुरूआत की गई है और वर्ष 2014–15 के लिए 99% वार्षिक डाटा एन्ट्री और 95% मासिक डाटा एण्ट्री का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसमें सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वास्तविक काल–आधार पर योजना की निगरानी के लिए एमडीएम–एमआईएस को आईवीआरएस के साथ एकीकृत करने की गुंजाइश है।

vi) स्कूलों में किसी अप्रत्याशित घटना के घटने पर, यदि कोई घट जाए, तो उससे निपटने के लिए आपात चिकित्सा योजना।

vii) स्टेकहोल्डरो की शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

10. निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है:

i) **स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था:** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि, एसएमसी, वीईसी, पीटीए, डीएमसी एवं मातृ समितियों के सदस्यों से निम्नलिखित की दैनिक आधार पर निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है (i) बच्चों को दिए गए मध्याह्न भोजन की नियमितता और पौष्टिकता, (ii) मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने में सफाई (iii) अच्छी कोटि की सामग्री ईंधन इत्यादि की समय पर खरीद, (iv) विविध व्यंजन सूची (v) दैनिक आधार पर सामाजिक और महिला–पुरुष समता।

ii) **सूचना का प्रदर्शन:** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों और केंद्रों जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, के लिए निम्नलिखित सूचना को परिसर में दिखने वाले स्थान पर आम जनता के लिए प्रदर्शित करना अपेक्षित है:

क. प्राप्त किए खाद्यान्नों की मात्रा, प्राप्ति की तारीख

ख. खाद्यान्नों की उपयोग की गई मात्रा

ग. खरीदे गए, उपयोग किए गए अन्य दाल, मसाले इत्यादि

घ. ऐसे बच्चों की संख्या जिन्हें मध्याह्न भोजन दिया गया

ङ. दैनिक व्यंजन सूची

च. पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए समुदाय के सदस्यों का रोस्टर

iii) **ब्लॉक स्तर पर समिति:** विस्तृत आधार वाली विषय संचालन–सह–निगरानी समिति भी मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की ब्लॉक स्तरों पर निगरानी करती है।

iv) **राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण:** राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभागों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे कि महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य इत्यादि के राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों से भी स्कूलों और केंद्रों, जहां कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, निरीक्षण करने की अपेक्षा है। यह सिफारिश की गई है कि 25 प्रतिशत स्कूलों/विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का हर तीन महीने में दौरा किया जाए।

v) **जिला स्तर की समिति:** जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए विषय– संचालन –सह–निगरानी समिति के अलावा योजना की तिमाही आधार पर निगरानी करने के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य (एमपी) की अध्यक्षता में एक जिला स्तर की समिति गठित की गई है।

यह समिति जिले में एसएसए, आरएमएसए और साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

vi) **आवधिक विवरणियां:** राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार के लिए निम्नलिखित के बारे में सूचना देने हेतु आवधिक विवरणियां भेजनी अपेक्षित हैं (i) बच्चों और संस्थाओं का कवरेज (ii) स्कूल दिवसों की संख्या (iii) केंद्रीय सहायता की उपयोगिता में प्रगति (iv) स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता (अ) कोई अप्रत्याशित घटना इत्यादि।

vii) **सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं द्वारा निगरानी:** 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2015 तक दो वर्षों की अवधि के लिए मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी हेतु एमएचआरडी के साथ अड़तीस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

निगरानी संस्थानों की रिपोर्टों की स्थिति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	अवधि	कवर किए गए जिलों की संख्या	दौरा किए गए स्कूलों की कुल संख्या
1.	01.04.2013 - 30.09.2013	48	1878
2.	01.10.2013 - 31.03.2014	187	7313
3.	01.04.2014 - 31.03.2015	288	11300

viii) **शिकायत निवारण:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लोक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसका कि व्यापक प्रचार किया जाए और जिसे आसानी से सुलभ होना चाहिए।

ix) **राज्य स्तर की निगरानी:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए विषय–संचालन–सह–निगरानी समिति का गठन करने की आवश्यकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र संस्थाएं तैनात की हैं।

x) **राष्ट्रीय स्तर पर निगरानीः**

क. **अधिकार प्राप्त समिति** : माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है ताकि मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में सुलभता (पहुंच), सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापरक पहलुओं की मॉनीटरिंग की जाए, योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग और मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए तंत्रों की समीक्षा की जाए, योजना में सामुदायिक सहभागिता और इसकी प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए तंत्र की स्थापना की जा सके।

ख. माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के लिए राष्ट्रीय मिशन की कार्यकारी परिषद् भी मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करती है।

ग. सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय संचालन–सह–निगरानी (एनएसएमसी) कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)।

घ. मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शिक्षा सचिवों के साथ राष्ट्रीय बैठकें और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

xi) **संयुक्त समीक्षा मिशनः** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, यूनिसेफ, सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त के कार्यालय तथा निगरानी संस्थाओं के नोडल अधिकारियों से युक्त पौषणिक विशेषज्ञों/गृह विज्ञान विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के प्रोफेसरों की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा मिशन ने वर्ष 2014–15 तक 46 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा किया। परिभाषित विचारार्थ विषयों (टीओआर) के अनुसार, निचले स्तर पर योजना के पोषक संकेतकों तथा वास्तविक कार्यान्वयन का आंकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य में 2 जिले शामिल किए गए थे। मिशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट इस योजना के कार्यान्वयन में उल्लिखित कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए और रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई टिप्पणी इन राज्यों के साथ साझा की गई है। बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) से संबंधित एंथ्रोपोमैट्रिक डाटा, कुपोषण स्तर, विकास में बाधा, भोजन संबंधी बर्बादी आदि की रिपोर्ट पहली बार एकत्र की गई है। यह मध्याह्न भोजन योजना के अधीन बच्चों में पोषण संबंधी सहायता के प्रभाव मापने का डेटाबेस बन जाएगा। वर्ष 2014–15 तक संयुक्त समीक्षा मिशनों ने 46 राज्यों का दौरा किया है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जेआरएम के दौरे का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	वर्ष	दौरा किए गए राज्यों की संख्या
1	2009-10	3
2	2010-11	2
3	2011-12	8
4	2012-13	8
5	2013-14	20
6	2014-15	5
कुल		**46**

वर्ष 2014–15 के दौरान संयुक्त समीक्षा मिशन ने उत्तराखंड का दौरा किया और अपने विस्तृत निष्कर्ष दिए।

सातवें संयुक्त समीक्षा मिशन जिसने 23 मार्च से एक अप्रैल, 2015 की अवधि के दौरान असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का दौरा किया, का मत था कि मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी कमोवेश संतोषजनक थी। इस संयुक्त समीक्षा मिशन की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

i) बार–बार आने वाली अड़चनों जिनसे अधिकांश राज्य अभी तक उलझे हुए हैं, विगत काल की अपेक्षा कुछ कम हुई हैं फिर भी वे अभी इनमें शामिल हैं जैसे खाद्यान्नों के खरीद में विलंब और एफसीआई को नियमित भुगतान; भोजन पकाने के दाल–मसाले की बाजार खरीद और आपूर्ति; रसोईयों और सहायकों को मानदेय का भुगतान।

ii) जेआरएम द्वारा दौरा किए गए सभी राज्यों में, महाराष्ट्र को छोड़कर, रसाई–सह–शैडों के निर्माण का भारी बैकलॉग, खाद्यान्नों और भोजन पकाने वाले संघटकों के भंडारण एवं खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती

बना हुआ है। महाराष्ट्र द्वारा पूर्व–निर्मित रसोईघरों की स्थापना करने की पहल से स्वच्छता और सफाई के साथ–साथ धन और समय की बचत होती है। कार्यबल इस विकल्प के गुण–दोषों के बारे में अध्ययन करे ताकि दूसरे राज्यों द्वारा इसे अपनाए जाने की संभावना पर विचार किया जा सके।

iii) वर्तमान में चार राज्यों द्वारा मध्याह्न भोजन पकाने के विभिन्न दृष्टिकोणों (व्यक्तिगत स्कूल रसोईघरों, 10–15 स्कूलों के क्लस्टर के लिए रसोईघरों और शहरों में केन्द्रीकृत रसोईघरों) को आधार बनाया गया है। टीम का मत है कि सभी शहरों में बड़े पैमाने पर स्कूल–भोजन प्रदान करने के लिए ख्याति प्राप्त सीएसओ द्वारा प्रबंधित, केन्द्रित रसोईघर अच्छा विकल्प हो सकता है जबकि क्लस्टर किचन 5–10 किलोमीटर की परिधि के भीतर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के लिए लाभदायक हो सकता है बशर्ते सुरक्षित परिवहन व्यवस्था का प्रबंध किया जा सके। रसोई गैस और अग्नि सुरक्षा उपस्कर सुविधाओं के साथ दूर–दराज और अगम्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के लिए व्यक्तिगत रसोईघर काम में लाए जा सकते हैं। इन विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन कराया जाना चाहिए।

iv) चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रसोईयों और सहायकों की पूरे शैक्षिक वर्ष में पोषक भोजन तैयार करने और परोसने की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जेआरएम सिफारिश करता है कि उनके मानदेय की समीक्षा की जानी चाहिए और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए उसे आवधिक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए तथा इस समय देखने में आ रहे विलंबों के बगैर ई–अंतरण के माध्यम से मासिक भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाना चाहिए। उनके साक्षरता स्तरों को सुधारने के लिए प्रयास करने की आवश्कता है और असम और पश्चिमी बंगाल की तरह होटल मैनेजमेंट संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कौशल में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उपर्युक्त के अतिरिक्त जेआरएम ने स्थानीय समुदायों, विशेष करके महिलाओं के स्वयं सहायता तथा मातृ समूहों के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा करते हुए सिफारिश की कि अतिरिक्त स्नैक्स देने, स्वास्थ्य संबंधी स्कूल कार्यक्रमों के साथ बेहतर सह–क्रियाशीलता, समर्पित प्रबंधन इकाई और गहन मीडिया कार्रवाई की संभावना का पता लगाना चाहिए।

8वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल और सिक्किम का 27 नवंबर से 8 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान दौरा किया। इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

xii) सामाजिक लेखा परीक्षा

सामाजिक लेखापरीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विकास की पहलों के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वित्तीय और गैर–वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा प्रायः सार्वजनिक प्लैटफॉर्म के जरिए लोगों से शेयर किया जाता है। यह लोगों को पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करने की अनुमति देता है जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को विकास कार्यक्रमों की संवीक्षा करने का अवसर मिलता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात् खम्माम और चित्तूर में पायलट आधार पर मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु आंध्र प्रदेश सरकार की मदद की, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार तथा सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी (एसएसएएटी) हैदराबाद के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सामाजिक लेखापरीक्षा को वर्ष 2012–13 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और बहुत अच्छे परिणाम सूचित किए गए। इस प्रक्रिया को अन्य राज्यों में भी विस्तार करने के लिए 25 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में सामाजिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। अब नौ राज्यों अर्थात् बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पायलट आधार पर प्रत्येक राज्यों के दो जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षाएं आयोजित की गई हैं/की जा रही है।

उपर्युक्त व राज्यों में सामाजिक लेखा–परीक्षा की स्थिति नीचे दी गई हैं :–

राज्य	एजेंसी	स्थिति
बिहार	एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान (एडीआरआई) पटना	लखीसराय और सारन जिलों में (2015 में) (रिपोर्ट एमएचआरडी को **प्रस्तुत कर दी है।**
कर्नाटक	ग्रामीण विकास और पीआर	बिलारी और बीजापुर जिलों में पूरी की गई। अक्तूबर, 2015 के प्रथम सप्ताह में दोनों जिलों में (पब्लिक) सुनवाई पूरी हुई। **रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।**
मध्य प्रदेश	पीआर और डी डिपार्टमेंट के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामाजिक लेखा परीक्षा	**प्रगति पर :** तीन जिलों अशोक नगर, शिवपुर और अनूपपुर को चुना गया है और परामर्श जारी है।
महाराष्ट्र	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	लातूर और पुणे जिलों में पूरी हो गई है (2015) में (40 स्कूलों में) **एमएचआरडी और राज्य को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।**
ओडीशा	लोकदृष्टि, भुवनेश्वर	नौपाडा जिला में पूरी की गयी (2015) (20 स्कूलों में) **रिपोर्ट प्रतीक्षित** है।
पंजाब	पंजाब विश्वविद्यालय	रोपड़ और संगरूर जिलों में पूरी की गई (2015) (80 स्कूलों में) **एमएचआरडी और राज्य को रिपोर्ट प्रस्तुत** कर दी गई है।
राजस्थान	सामाजिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ	बारन जिले में पूरी की, (20 स्कूलों में) राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । डूंगरपुर जिले में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रगति पर है।
तमिलनाडु	वीवी वनियापेरूमल कालेज विरूधा नगर जिला और मदर टेरेसा महिला कालेज जिला–मदुरै	**प्रगति पर है :** विरूद्ध नगर और मदुरै जिलों में। चुनी गई एजेंसियों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हो गया है और दोनों जिलों में कार्य नवंबर, 2015 में प्रारंभ होना था।
उत्तरप्रदेश	गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	25 अगस्त, 2015 में श्रावस्ती में पूरी हुई और बाराबंकी में प्रगति पर है। बाराबंकी में लोक सुनवाई 28 सितंबर, 2015 को थी लेकिन स्थानीय निकायों के चुनावों के कारण इसे रोक दिया गया था। **रिपोर्ट प्रतीक्षित है।**

11. योजना का प्रभाव

अनेक अध्ययनों से प्रकट हुआ है कि एमडीएमएस ने बच्चों को पढ़ाई करते समय लगने वाली भूख रोकने, स्कूल में भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक समानता का विकास करने एवं महिला–पुरुष समानता को बढ़ावा देकर बच्चों के समग्र स्वास्थ्य विकास को सुकर बनाने में सहायता की है। सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। उन्होंने पाया कि भारत सरकार की अधिक सफल हकदारी योजनाओं में से एक के रूप में एमडीएम की व्यापक सराहना की गई है और उसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन तथा स्कूल में बने रहने की दर में वृद्धि हुई है।

12. 11वीं योजना के दौरान उपलब्धियां

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम का अनुमोदित परिव्यय 48,000 करोड़ रुपए था जिसमें से 38,490.91 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नीति आयोग (योजना आयोग) ने 12वीं योजना के दौरान स्कीम के लिए 90,155.00 करोड़ रुपए अनुमोदित किए थे। वित्त वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान 13,215.00 करोड़ रुपए था जिसमें से वित्त वर्ष 2014–15 में 10,526.97 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान 9,236.40 करोड़ रुपए है।

विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की वर्ष–वार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

तालिका 2 : कवरेज तथा व्यय रूझानः

शामिल बच्चे (करोड़ में)	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आबंटित खाद्यान्न	11.36	10.46	10.54	10.68	10.80	10.22
(लाख मी. मी.टन में)	27.71	29.40	29.09	29.55	29.77	29.33
बजट आबंटन (करोड़ में)	7359.15	9440	10380	11937	13215	13215
कुल व्यय (करोड़ में)	6937.79	9128.44	9901.91	10868	10927.21	10526.97

13. वर्ष 2014–15 के दौरान 13,215 करोड़ रु. का घटक–वार बजट आबंटन नीचे दिया गया है

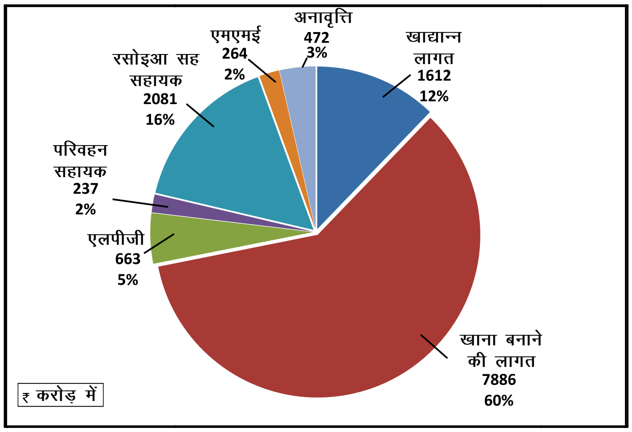

14. वर्ष 2014–15 के दौरान घटकवार योजना का निष्पादन

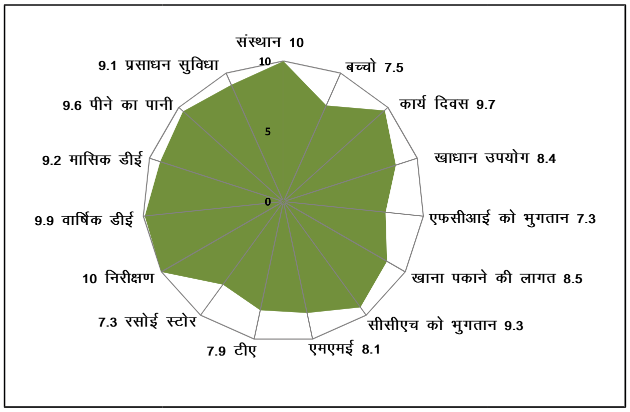

15. प्रशिक्षण के माध्यम से रसोईया–सह–सहायक का क्षमता–निर्माण

मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करना स्कूलों में भोजन प्रदान करने में शामिल स्टाफ तथा रसोईया–सह–सहायक के ज्ञान और कौशल पर निर्भर करता है। स्व–सहायता समूह और रसोईया–सह–सहायक (सीसीएच) जो मध्याह्न भोजन योजना के स्तंभ हैं, समाज के वंचित वर्गों से आते हैं जहां पोषण, भोजन पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे खाद्यान्न तथा सब्जियां, पाक–कला, परोसने की कुशलता, तैयार करने की विधि के संबंध में उनके पास सीमित सूचना होती है। अतः यह आवश्यक है फील्ड स्तर के इस कार्यबल की क्षमता को सतत आधार पर तैयार किया जाए। तद्नुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने होटल प्रबंधन संस्थान, पाक–कला संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य एवं पोषण संस्थानों के सहयोग से रसोईया–सह–सहायकों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा है।

16. योजना में सुधार

विगत कुछ वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना में कई सुधार देखे गए जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :

क) भोजन पकाने की लागत में समय–समय पर संशोधन किया गया है।

ख) 01.12.2009 से रसोईया–सह–सहायकों के लिए 1000/–रुपए प्रति माह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने संसाधनों से अतिरिक्त योगदान करके इस मानदेय को बढ़ाने की सलाह दी गई है। रसोईया–सह–सहायकों को मानदेय देने के लिए 13 राज्य अपने संसाधनों से अधिक योगदान दे रहे हैं।

ग) विशेष श्रेणी के 11 राज्यों में परिवहन सहायता इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस (सार्वजनिक वितरण पद्धति की दरों के बराबर दी जा रही है।

घ) 01.04.2010 से खाद्यान्नों की लागत भुगतान का भारतीय खाद्य निगम से जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया है।

ड.) कार्यक्रम की नियमित निगरानी के लिए 38 स्वतंत्र शैक्षणिक और शोध संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना संबंधी समीक्षा मिशन ने वर्ष 2013–14 में 20 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा वर्ष 2014–15 में 5 राज्यों में इस योजना की मॉनीटरिंग की है और समुचित कार्यवाही के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

च) वित्त वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान जिन सिलेंडरों पर रियायत नहीं है उनकी खरीद पर किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की गई।

17. मध्याह्न भोजन योजना में उत्कृट कार्य

सारणी 3 : एमडीएम में उत्कृष्ट कार्य

राज्य का नाम	विवरण
आंध्र प्रदेश	ग्रीन चैनल योजना आरंभ की गई जिसके अंतर्गत वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग को बजट जारी करने का आदेश (बीआरओ) जारी करता है जो कि क्रियान्वयन एजेंसियों को समूचे वर्ष के लिए आवधिक वितरण विवरण प्रदान करता है ताकि योजना का क्रियान्वयन वर्ष भर बिना किसी बाधा के चलता रहे। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना एक अन्य बेहतरीन प्रथा है।
बिहार	बाल–संसद (बाल मंत्रिमंडल) मध्याह्न भोजन का समुचित वितरण करने में सक्रिय रूप से शामिल रहती है।
गुजरात	'तिथि भोजन' के माध्यम से जन भागीदारी की अवधारणा को आरंभ किया गया। ग्रामवासी विभिन्न अवसरों पर बच्चों के लिए मिठाइयां और भोजन प्रायोजित करते हैं तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए बर्तन प्रदान करते हैं।
झारखण्ड	बाल–संसद (बाल मंत्रिमंडल) मध्याह्न भोजन के समुचित वितरण में सक्रिय रूप से शामिल है। स्कूली बच्चों की माताओं का संघ सरस्वती वहिणी कहलाता है। इन संघों की दो माताओं को संयोजिका के रूप में नामित किया जाता है जो भोजन पकाने तथा बच्चों को भोजन ठीक ढंग से वितरण करने में सक्रिय हैं। स्कूलों में भोजन कक्षों का निर्माण किया गया।
कर्नाटक	सभी स्कूलों में गैस आधारित भोजन पकाने की व्यवस्था है। रसोईया–सह–सहायकों और प्रमुख रसोईया को क्रमशः 1600 रुपए तथा 1700 रुपए का प्रति माह मानदेय दिया जाता है। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना एक अन्य बेहतरीन प्रथा है।
केरल	मध्याह्न भोजन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी है। रसोईया–सह–सहायकों को 4500 रुपए प्रतिमाह की दर से (100 छात्रों का नामांकन होने तक प्रतिदिन 200 रुपए तथा उसके पश्चात् प्रति 100 अतिरिक्त छात्रों के लिए 25 रुपए अतिरिक्त) मानदेय दिया जाता है।
ओडिशा	ओडिशा सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता मेले का आयोजन किया। सप्ताह में दो बार अण्डे परोसे जाते हैं।
पंजाब	रसोईया–सह–सहायकों को 1200 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। स्कूल परिसर के रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना।
सिक्किम	रसोईया–सह–सहायकों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना भी प्रचलित है।
तमिलनाडु	प्रत्येक जिले के दो ब्लॉकों में विभिन्न भोजन आरंभ किए गए। सप्ताह में पांच दिन अण्डे परोसे जाते हैं। स्कूल परिसर में कढ़ी पत्ते और सहजन की फली के वृक्ष उगाए जाते हैं तथा उन्हें मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाता है। रसोईया–सह–सहायक राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी होते हैं जो पदोन्नति के पात्र होते हैं।
त्रिपुरा	स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के लिए भोजन कक्षों का निर्माण।

राज्य का नाम	विवरण
उत्तराखण्ड	माताओं को प्राथमिक स्कूलों में भोजन माता तथा सहायिका के रूप में नियुक्त किया जाता है। रसोईया–सह–सहायकों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
पश्चिम बंगाल	स्कूल परिसरों में मछली तालाब हैं। रसोईया–सह–सहायकों को प्रति माह 1500 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना भी प्रचलित है।
चंडीगढ़	रसोईया–सह–सहायकों को 1872 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
दादरा और नगर हवेली	रसोईया–सह–सहायकों को 2400 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
लक्षद्वीप	रसोईया–सह–सहायकों को 6000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
पुदुचेरी	मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त राजीव गांधी नाश्ता योजना में एक गिलास गर्म दूध और बिस्कुट का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र में रसोईया–सह–सहायकों के मानदेय के भुगतान के तीन स्लैब हैं 5000, 6000 और 9000 रुपए प्रतिमाह।

अध्यापक शिक्षा

क. अध्यापक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

राष्ट्रीय पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक एवं शिक्षण मिशन

देश में स्कूल तथा उच्चतर शिक्षा स्तर दोनों में शिक्षा के तेजी से होते हुए विस्तार के साथ गुणवत्ता में सुधार शैक्षिक विकास का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता में शिक्षकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अध्यापकों को तैयार करने और कक्षा–कक्ष, स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कार्यकारी परिस्थितियों, के साथ–साथ उनके सतत् व्यावसायिक विकास, देश की सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा को भावी पीढ़ी को तैयार करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः उक्त पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 25 दिसम्बर 2014 को 900 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ **राष्ट्रीय पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यापक एवं शिक्षण मिशन** नामक एक स्कीम शुरू की है।

2. यह मिशन शिक्षकों से संबधित सभी मामलों जैसे– शिक्षण, शिक्षक तैयार करना, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन, आकलन और मूल्यांकन पद्धतियों का डिजाइन तथा विकास, शिक्षा शास्त्र में अनुसंधान और प्रभावी शिक्षा–शास्त्र के विकास आदि पर विचार करता है। यह सरकार की कार्रवाई का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह मिशन एक ओर तो मौजूदा तथा तात्कालिक मामलों जैसे कि योग्य शिक्षकों की आपूर्ति, प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तियों को शिक्षक व्यवसाय की और आकृषित करना, और स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरी ओर यह इस बात पर भी विचार करेगा कि मिशन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और नवाचारशिक्षण के लिए पिष्पादन मानकों की स्थापना और उच्च कोटि की संस्थागत सुविधाओं के सृजन द्वारा शिक्षकों के व्यावसायिक संवर्ग के निर्माण हेतु दीर्घकालिक लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। पीएमएमएमएनएमटीटी की नीति, विनियम और स्कूल और उच्चतर शिक्षा सेक्टरों में शिक्षकों और शिक्षण के लिए सभी वर्तमान और नई योजनाओं को देखेने की भूमिका होगी।

3. इस मिशन के निम्नलिखित घटक है:

i. स्कूल शिक्षा (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में)–30

ii. पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र के लिए उत्कृष्ट केन्द्र –50

iii. अध्यापक शिक्षा के लिए अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र–02

iv. शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र –01

v. शैक्षणिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन केन्द्र–05

vi. कार्यशाला और सेमिनार सहित नवाचार, अवार्ड, शिक्षा–संसाधन अनुदान

vii. पाठ्यचर्या नवीकरण और सुधार हेतु विषय नेटवर्क

4. योजना के दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देशभर के विश्वविद्यालय/संस्थाओं से 41 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो उपर्युक्त योजनाओं के तहत विभिन्न घटकों के तहत सांस्थानिक प्रबंध करने के लिए अब तक अनुमोदित कर दिए गए हैं।

अध्यापक शिक्षा हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बनने के अनुसरण में 1987 में प्रारंभ की गई। इस योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 6308.45 करोड़ रूपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए संशोधित किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 की भागीदारी होगी (पूर्वोत्तर के लिए 90:10) जो

केन्द्र और राज्य के बीच 60:40 एससीईआरटी को सशक्त करने, 31.03.2011 तक सभी जिलों में डीआईईटी स्थापित करने के लिए तक संशोधित किया गया है (8 उत्तर पूर्वी और 3 हिमालयी राज्यों अर्थात जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 90:10), जिससे 571 से 640 तक की वृद्धि होगी; 106 वर्तमान अध्यापक शिक्षा कॉलेजों को 121 तक सशक्त किया जाएगा और वर्तमान सरकारी माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को सीटीई में स्तरोन्नत किया जाएगा; वर्तमान 32 उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान को 39 तक सशक्त किया जाएगा; आईएएसई के रूप में विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग को स्तरोन्नत किया जाएगा और 196 एससी/एसटी/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

वर्ष 2012–13 के लिए योजना के संशोधन के परिणामस्वरूप 500.00 करोड़ रूपए के आबंटन में से रू. 394.60 करोड़ खर्च हुआ, वर्ष 2013–14 के लिए 525.00 करोड़ रू. के आबंटन में से 507.60 करोड़ रू. खर्च हुआ और वर्ष 2014–15 के लिए 500 करोड़ रू. के आबंटन में से 499.99 करोड़ रू. खर्च किया जा चुका है।

वर्ष 2015–16 के लिए सीएसएस–अध्यापक शिक्षा हेतु बजट अनुमान (बीई) 489.10 करोड़ रू. है और 31.03.2016 तक रू. 488.70 करोड़ खर्च किया जा चुका है।

ख. अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता

अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अध्यापक शिक्षा ब्यूरो निम्नलिखित मुख्य संघटकों पर फोकस कर रहा है :

- **अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफटीई–2009)**

  राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या (एनसीएफटीई 2009) का ढांचा तैयार किया है। यह ढांचा एनसीएफ 2005 की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है और इसके सिद्धांत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित किए गए हैं। **देश में 28 राज्यों ने एनसीएफटीई 2009 पर आधारित डीईआईईटी पाठ्यचर्या का उन्नयन किया है।** मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारतीय विश्वविद्यालय संघ के साथ सहयोग कर रहा है और कुलपतियों के साथ उनकी क्षेत्रीय बैठकों के दौरान एनसीएफटीई 2009 के अनुसार बी.एड. पाठ्यचर्या संशोधन के लिए बातचीत कर रहा है।

- **इन–स्टेप : अध्यापक शिक्षकों का क्षमता निर्माण कार्यक्रम :**

  मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूएसएआईडी ने इन–स्टेप कार्यक्रम (भारत अध्यापक शिक्षा सहायता कार्यक्रम) तैयार किया है जिसके अंतर्गत देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग से 110 अध्यापक शिक्षकों ने अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में अध्यापक शिक्षा से संबंधित मामलों को समझने के स्पष्ट प्रयोजन के साथ 3 महीने की अध्येतावृत्ति की है।

इन स्टेप कार्यक्रम के तहत अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए तीन सप्ताह का अभिमुखी कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आईडीएसए में 21 जुलाई, 2014 से 8 अगस्त, 2014 तक आयोजित

इसके अतिरिक्त टीईएसएस–इंडिया अध्यापक शिक्षकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) और एमएचआरडी के बीच सहयोग से कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में यू.के. की ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक अन्य कार्यक्रम है। परियोजना के प्रथम चरण की अवधि जून, 2012 से मई, 2015 थी और परियोजना का उद्देश्य 7 राज्यों (यू.पी. बिहार, एमपी, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक) के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और नेतृत्व में शिक्षक विकासीय यूनिटों का विकास करना है। टीईएसएस इंडिया परियोजना की अवधि में मार्च 2016 तक विस्तार किया गया है।

- **अध्यापक शिक्षा संस्थाएं** : भारत सरकार ने वर्ष 2012–13 से 2015–16 में पूरे देश में 69 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, (डीआईईटी/डीआरसी), 15 अध्यापक शिक्षा (सीटीई) कॉलेजों और 7 उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त केन्द्र–प्रायोजित योजना में अ.जा/अ.ज.जा./अल्पसंख्यक बहुल 196 जिलों में सेवा पूर्व प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बीआईटीई) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, इनमें से 88 ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बीआईटीई) 2015–16 तक स्वीकृत किए जा चुके हैं ताकि देश के अलग–अलग भागों में अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदायों के अध्यापक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

- **अलग कैडर का निर्माण** : वार्षिक कार्य योजना और बजट (2015–16) के अनुसार 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने टीई–योजना के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षकों के अलग कैडर का निर्माण कर लिया है। राज्यों को अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापक प्रशिक्षकों के कैडर सुदृढ़ीकरण के लिए भी कहा गया है।

- **देशभर में संस्थाओं की स्थिति** : एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 18,839 संस्थाएं 31.05.2015 की स्थिति के अनुसार विद्यमान हैं जो 14,31,362 छात्रों की अनुमोदित प्रवेश क्षमता के साथ अध्यापक प्रशिक्षक पाठ्यक्रमों को चला रहा हैं।

- **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) विनियम, 2014 : मानक और मानदंडः** एनसीटीई की स्थापना संसद के अधिनियम (1993 का नं. 73) द्वारा देशभर में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का योजनाबद्ध और समन्वित विकास, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकों और मानदंडों का विनियमन और उचित रख–रखाव और तत्संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। एनसीटीई के संशोधित विनियम नवंबर, 2014 में अधिसूचित किए गए थे और संशोधित विनियमों की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

  - 12 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के मानक और मानदंड संशोधित करना।
  - तीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए नए मानक और मानदंड तैयार करनाः 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमोंः बीए/बीएड और बीएससी/बीएड; बीएड अंशकालिक फेस–टू–फेस (स्वस्थाने शिक्षकों के लिए); और 3 वर्षीय बीएड/एमएड एकीकृत पाठ्यक्रम।
  - सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या संशोधित की गई और अधिक स्टीक तरीके से परिभाषित की गई।
  - योग, आईसीटी, महिला पुरूष और विशेष जरूरतमंद बच्चों (सीडब्ल्यूएनएन) को सभी कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या में शामिल किया।
  - अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में व्यावहारिक पक्ष स्कूल प्रशिक्षुता और क्षेत्र कार्य पर स्पष्ट जोर और फोकस।
  - पूर्ण 20 सप्ताह की स्कूल प्रशिक्षुता।
  - प्रत्यायन सिद्धांत लागू किए गए।

- **अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए एससीईआरटी का पुर्नआयोजन और पुनर्संरचना तथा संवर्ग पुनर्गठनः** सीएसएस – अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत देश के 10 राज्यों ने अपने एससीईआरटी का 30 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार पुनरआयोजन और पुनर्संरचना की।

- **अध्यापक शिक्षा के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन** : अध्यापक शिक्षा पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना, संस्था के प्रत्येक स्तर के संबंध में प्रक्रिया और आउटकम मापदण्डों पर बल देता है, और इस प्रयोजन के लिए वहां एक व्यापक निगरानी तंत्र तैयार किया गया है।

संयुक्त समीक्षा मिशन इस निगरानी तंत्र का एक भाग है। वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान अध्यापक शिक्षा के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक शिक्षा योजना के निगरानी तंत्र के भाग के रूप में, अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञों सहित संयुक्त समीक्षा मिशन 30 राज्यों को भेजे गये हैं।

- जेआरएम का मुख्य उद्देश्य प्रगति की स्थिति की समीक्षा करना और कार्यक्रम आयोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन की प्रत्येक संस्था के स्तर पर योजना के अंतर्गत कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों के संबंध में मामलों पर विचार करना है। एक अधिगम मिशन का दिशा–निर्देश हैः (क) सहमत संकेतको में हुई प्रगति से सीख एवं (ख) कार्यान्वयन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए आपसी अनुभवों को साझा करना जो शक्ति और कमजोरी को उजागर करते हों। जेआरएम की विस्तृत रिपोर्टें ब्यूरो वेबसाइटः www.teindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

- **टीईयोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाः** एससीईआरटी/एसआईई और सीटीई के निदेशकों के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी), नई दिल्ली में क्रमशः 18 सितंबर, 2015 और 10 फरवरी को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अध्यापक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा; सीएसएसटीई के तहत वाहय निधियन को तलाशने के लिए एससीईआरटी की शैक्षिक प्राधिकारी और गुणवत्ता संवर्द्धक के रूप में नेतृत्व की भूमिका पर फोकस करना माध्यमिक शिक्षको का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा एनसीटीई के संशोधित मानकों और मानदंडों के बारे में कार्यान्वयन का अभिविन्यास नवंबर 2014 था।

सीएसएस अध्यापक शिक्षा के तहत एससीईआरटी/एसआईई के निदेशकों के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में 18 सितंबर, 2015 को आयोजित

दो क्षेत्रीय कार्यशालाएं केन्द्रीय/पश्चिमी क्षेत्रों में भोपाल में 29 सितम्बर, 2015 और दक्षिणी क्षेत्रों में पुदुचेरी में 6 नवंबर 2015 को आयोजित की गईं। इन क्षेत्रीय कार्यशालाओं का प्रमुख उद्देश्य था अध्यापक शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, वर्ष 2016–17 के लिए व्यापक वार्षिक कार्य योजना और बजट प्रस्ताव तैयार करना, एडब्ल्यूपी को तैयार करने की चुनौतियां, सीएसएसटीईके अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यकलाप, सीएसएसटीई के अंतर्गत प्राथमिकता और पाठ्यचर्या संशोधन की स्थिति तथा एनसीटीई विनियम, 2014 के अनुसार अन्य पहलू।

सीएसएस अध्यापक शिक्षा के तहत केन्द्रीय/पश्चिमी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भोपाल, मध्यप्रदेश में 29 सितंबर, 2015 को आयोजित

सीएसएस अध्यापक शिक्षा के तहत दक्षिणी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पुदुचेरी में 06 नवंबरर, 2015 को आयोजित

- सीएसएसटीई योजना के अंतर्गत नए कार्यकलाप/पहलें

  (i) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा क्षेत्र के बेहतर **विनियमन के लिए ई–गवर्नेंस** का बढ़ता हुआ प्रयोग।

  (ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बेहतर प्रबंधन और **अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) का प्रत्यायन।**

  (iii) एनसीटीई द्वारा कारगर भविष्य आयोजन हेतु अंतराल क्षेत्रों की पहचान करने के लिए **अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) का प्रमापन।**

  (iv) एनसीटीई ने अगले 10 वर्षों में शिक्षकों के विभिन्न वर्गों की राज्यवार आवश्यकता की भविष्यवाणी करने के लिए **मांग और आपूर्ति अंतर अध्ययन प्रारंभ किया है।**

  (v) **टीई के लिए विश्व बैंक निधियन की संभावनाएं तलाश करना** इस संदर्भ में डीईए को एक प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। मुख्य विषय क्षेत्र क्षमता बढ़ाना, आईसीटी को प्रोत्साहन, अवसंरचना विकास, सांस्थानिक क्षमता बढ़ाना है।

★★★★★

अध्याय 04

माध्यमिक शिक्षा

अध्याय 04

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

इस योजना को मार्च, 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने तथा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल का प्रावधान करके माध्यमिक स्तर तक नामांकन बढ़ा कर 2017 तक 100 प्रतिशत जीईआर सुनिश्चित करने तथा 2020 तक सार्वभौमिक पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से इस योजना की परिकल्पना की गई है। अन्य उद्देश्यों में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि करने में सभी माध्यमिक स्कूलों को समर्थ बनाते हुए इसमें माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लैंगिक, सामाजिक–आर्थिक एवं विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना शामिल है।

- स्कूलों में प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाओं में शामिल हैं : i) अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, ii) प्रयोगशालाएं, iii) पुस्तकालय, iv) कला एवं दस्तकारी कक्षा, v) शौचालय ब्लॉक, vi) पेयजल का प्रावधान, vii) बिजली/टेलीफोन/इंटरनेट की संयोजकता, और viii) विकलांग सहयोगी वातावरण।

- गुणवत्ता में सुधार निम्नलिखित के माध्यम से होगा : i) पीटीआर में सुधार करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, ii) शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण iii) आईसीटी समर्थित शिक्षा iv) पाठ्यचर्या सुधार, और v) अध्ययन–अध्यापन सुधार।

- समता के मुद्दों पर निम्नलिखित के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा : i) सूक्ष्म आयोजना पर विशेष बल, ii) स्कूल खोलने के लिए अजा/अजजा/अल्पसंख्यक की बहुलता वाले क्षेत्रों को वरीयता, iii) कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान, iv) स्कूलों में अधिक महिला शिक्षक और v) लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक।

निधियन पैटर्न में संशोधन और निधि प्रवाह : वित्त मंत्रालय ने केन्द्र और राज्य सरकार के बीच शेयरिंग पैटर्न को 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयाई राज्यों को छोड़ कर जहां पर अनुपात 90:10 है, सभी राज्यों में 60:40 के अनुपात में संशोधन किया। संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र का शेयर 100% है। आरएमएसए के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है जो इसे राज्य के समान हिस्से के साथ आगे राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को जारी करते हैं।

आरएमएसए को बाह्य निधियन एजेंसियों से कार्यक्रम सहायता :

- विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) और यूरोपीय संघ ने वर्ष 2012–16 के दौरान आरएमएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सहायता देने की पेशकश की है आरएमएसए के कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस क्रियान्वयन अवधि के दौरान डीएफआईडी ने 80 मिलियन पाउंड की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 80 मिलियन पाउंड में से 20 मिलियन पाउंड आरएमएसए के क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहयोग के लिए निर्धारित किए गए हैं।

- बाह्य निधियन एजेंसियों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने के अलावा इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने में सहायक होगा।

योजनाओं का विलयन : निधियों के पर्याप्त उपयोग और अधिक सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा की अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात आईसीटी@ स्कूल, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों हेतु समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस), व्यावसायिक शिक्षा (वीई) और बालिका छात्रावास (जीएच) को वर्तमान आरएमएसए योजना में मिला दिया गया है।

कार्यान्वयन की प्रगति (2015–16) : समेकित आरएमएसए स्कीम के लिए कुल 3565 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है। इस कुल राशि में से 14.01.2016 तक 3144 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

आरएमएसए के तहत गुणवत्ता संवर्धन : आरएमएसए ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी, न्यूपा, यूकेआईईआरआई आदि के सहयोग से जो अनेक कदम उठाए हैं इनमें से एक स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, कक्षा–x स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का पहला चक्र 2015–16 मे पूरा किया गया स्कूल मानकों तथा निष्पादन मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क का विकास, मुक्त शिक्षा संसाधनों का राष्ट्रीय संग्रह आदि शामिल हैं।

कला उत्सव : देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूल छात्रों की कला प्रतिभा के परिपोषण और प्रदर्शन मंजूषा द्वारा शिक्षा में कला (संगीत, थियेटर, नृत्य, दृश्य कला और शिल्प) संवर्धन की पहलें हैं। यह स्कूल प्रणाली में कला रूपों का अग्रगामी समारोह और चलता रहने वाला कार्यक्रम है। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर के कला उत्सव की संरचना निष्पादनों और प्रदर्शित वस्तुओं सहित प्रदर्शन ऑनलाइन आर्ट प्रोजेक्टस (ई–प्रोजेक्ट) के साथ एक कला उत्सव के रूप में की जाती है। कला उत्सव का रूपांकन छात्रों की कला की खोज करने, समझने और कला में उनकी रहन–सहन की परंपराओं की प्रदर्शन मंजूषा में सहायता करता है। कला उत्सव के माध्यम से छात्रों को स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर सांस्कृतिक विविधता को समझने और उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों में न केवल जागरूकता फैलेगी बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के बाद में उनकी जागरूकता और अन्य हितधारियों में अनुनादी विविधता का भी विकास होगा। इसके अलावा, इससे कलाकारों, शिल्पकारों और स्कूलों के साथ संस्थाओं के नेटवर्किंग संवर्धन में सहायता मिलेगी। संगीत, नृत्य, थियेटर, दृश्य कला के क्षेत्रों में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रतियोगिताओं की श्रृंखला आयोजित की गई और जीतने वाले छात्रों को पुरस्कार दिए गए। देशभर के 1400 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर 8–11 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी): स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की केन्द्र प्रायोजित योजना जो दिसंबर 2004 में प्रारंभ की गई थी, वर्ष 2010 में संशोधित की गई और मई, 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के साथ मिला दी गई थी, माध्यमिक स्तर के छात्रों को आईसीटी कौशल में अपनी क्षमता निर्मित करने और उन्हें कम्प्यूटर सहायक अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान करती है। यह योजना विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के छात्रों में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के छात्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने

के लिए एक प्रमुख प्रेरक अभिकर्ता है। आईसीटी योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, दोनों स्कूलों को कवर करती है।

इस स्कीम के अनिवार्य घटक :

क) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कंप्यूटर समर्थित शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझेदारी तथा हार्डवेयर और साफ्टवेयर ब्रांड बैण्ड इंटरनेट कनेक्शन, पावर सप्लाई और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं सहित अवसंरचना प्रदान करना।

ख) स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का कार्य करेंगे।

ग) अनन्य शिक्षक की तैनाती का प्रावधान, आईसीटी में सभी शिक्षकों की क्षमता वृद्धि और उत्प्रेरण उपाय के रूप में राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार की योजना।

घ) मुख्यतः केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) के छह राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थानों (एसआईईटी) तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आरआईई) के माध्यम से तथा बहिर्स्रोतन के माध्यम से भी ई–अंतर्वस्तु का विकास।

कवरेज के लिए अनुमोदित स्कूल : अब तक आरएमएसए के आईसीटी घटक के अंतर्गत 85125 स्कूलों को अनुमोदित किया गया है जिनमें 2426 स्कूल 2015–16 में अनुमोदित किए गए।

प्रमुख कार्यक्रम : 5 सितंबर, 2015 को 9 पुरस्कार विजेता अध्यापकों को राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार सहित वर्ष 2014–15 के लिए शिक्षा में नवाचार हेतु आईसीटी के प्रयोग के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए।

स्कूल शिक्षा में आईसीटी पर 7 नवंबर, 2015 को राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आईसीटी पहलें आरंभ की गई :

- ई–पाठशाला पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, आवधिक पत्रिकाओं सहित सभी शैक्षिक ई–संसाधनों और अन्य मुद्रण और गैर मुद्रण सामग्री की प्रदर्शन मंजूषा और विस्तारण के लिए एनसीईआरटी के अंतर्गत ई–पाठशाला का विकास किया गया। यह मंच विविध ग्राहकगण के पास पहुंचने और डिजिटल विभाजन (भौगोलिक, सामाजिक–सांस्कृतिक और भाषाई) को पाटने, ई–अंतर्वस्तु की तुलनात्मक गुणवत्ता प्रदान करने और हर समय और हर जगह उसकी मुक्त सुलभता सुनिश्चित करने संबंधी दोहरी चुनौती का समाधान करता है। छात्र, शिक्षक और अभिभावक बहु प्रौद्योगिकी मंचों अर्थात् मोबाइल फोनों, (एण्ड्रॉयड, आयोस और विण्डो–प्लेटफार्म) और टेबलेट्स (जैसे ई–पब्ब) के माध्यम से और वेब की लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से (जैसे फिल्पबुक्स), ई–बुक्स की सुलभता पा सकते हैं।

- **शाला सिद्दी**–स्कूल सुधार लाने में राष्ट्रीय स्कूल स्तर और मूल्यांकन कार्यक्रम (एनपीएसएसई) स्कूल के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक उपकरण है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों को अपना मूल्यांकन अधिक केन्द्रित और कार्यनीतिक ढंग से करने में समर्थ बनाना और सुधार के लिए व्यावसायिक निर्णय देने हेतु उन्हें सुसाध्य बनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहमत स्तरों तक पहुंचना और उनकी स्थापना करना और महत्वपूर्ण निष्पादन प्रभाव क्षेत्रों और स्कूल मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण स्तरों पर फोकस करने द्वारा प्रत्येक स्कूल के लिए स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करना है। ढांचे का वेब पोर्टल 7–11–2015 को आरंभ किया गया है।

- **सारांश**–''स्कूलों और अभिभावकों में आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा बच्चों की शिक्षा सुधारने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन निर्णय लेने में सहायता करने और उनके बच्चो के भविष्य हेतु अच्छे निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डाटा आधारित निर्णय उपलब्ध करवाने'' के स्वप्न के साथ सीबीएसई ने अपनी 'सारांश' नामक निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की है। इस उपकरण से स्कूलों को छात्रों, शिक्षकों और पाठ्यचर्या में सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और परिणामों की तुलना द्वारा परिवर्तन कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने की अनुमति मिलती है। सारांश के लिए मोबाइल एप की शुरूआत की गई है। ''सारांश'' को 'शिक्षा में बेहतरीन सरकारी पहलों के

लिए पुरस्कार' ई–इंडिया 2015 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' हेतु स्कोच प्रतिभा पुरस्कार (उच्चतम स्वतंत्र सम्मान) से भी नवाज़ा गया है।

- **शाला दर्पण**—सभी 1099 केन्द्रीय विद्यालयों को कवर करने के लिए ''शाला दर्पण परियोजना'' की प्रथम परियोजना 05.06.2015 को प्रारंभ की गई थी। वह वर्तमान में नैशनल इन्फारमैटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्क (एनआईसीएसआई) के माध्यम से केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और लोक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा संचालित ई–गवर्नेस परियोजनाओं के लिए आईसीटी को हल प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए कार्यान्वयनाधीन हैं। इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों और समुदायों को स्कूल प्रबंधन प्रणाली पर आधारित सेवाएं प्रदान करना है। छात्रों और स्कूल निष्पादन से संबंधित सारी सूचना सहज उपलब्ध साफ्टवेयर अनुप्रयोग, एसएमएस अलर्ट सहित मोबाइल प्रौद्योगिकी के संयोजन द्वारा प्रदान की जाएगी। शाला दर्पण के कार्यक्षेत्र में स्कूल प्रोफाइल प्रबंधन, छात्र प्रोफाइल प्रबंधन, कर्मचारी सूचना, छात्र उपस्थिति, छुट्टी प्रबंधन, रिपोर्ट कार्ड, पाठ्यचर्या खोज प्रथा, अभिभावकों/प्रशासकों के लिए छात्र और शिक्षक उपस्थिति के बारे में एसएमएस अलर्ट शामिल हैं।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना सितंबर, 2011 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित की गई और राष्ट्रीय कौशल अर्हकता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के साथ संबद्ध करने के आशय से 12 फरवरी, 2014 को संशोधित की गई जिसमें 2 सितंबर, 2012 को मंत्रालय द्वारा जारी एनवीईक्यूएफ को आत्मसात किया गया।

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य सक्षमता आधारित मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि; बहु–प्रवेश बहु–निकास अधिगम अवसरों और गतिशीलता/अर्हताओं में परस्पर परिवर्तनशीलता के प्रावधानों के माध्यम से उनकी सक्षमता बनाए रखना; शिक्षित और रोजगार योग्य व्यक्तियों के बीच अंतर को भरना; और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना तथा शैक्षणिक उच्च शिक्षा पर दबाव को घटाना है।

यह संशोधित स्कीम व्यावसायिक शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर प्रारंभ करते हुए व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करते हुए छात्रों को उर्ध्वस्त और अनुप्रस्थ एकीकरण चाहती है। इसमें उद्योग के साथ डिजाइन विकास, सुपुर्दगी, मूल्यांकन और कौशल विषय–वस्तु के प्रमाणक की संकल्पना की गई है।

कवरेज

अब तक **31 राज्यों/संघ राज्य के 16 क्षेत्रों में 3654** स्कूल को कृषि, परिधान सुंदरता और स्वास्थ्य, बैंकिग/वित्तीय सेवाएं और बीमा, निर्माण स्वास्थ्य देखभाल, आईटी और आईटीईएस, संचार तंत्र, मीडिया और मनोरंजन, बहु–कौशल, शारीरिक विकास और खेलकूद, खुदरा, सुरक्षा, दूर संचार तथा ट्रैवल और टूरिज्म में कवर किया है।

उपलब्धियां/परिणाम

योजना की अद्यतन गतिविधियां निम्नलिखित हैं :–

- यूडीआईएसई के अंतर्गत व्यावसायिक विशिष्ट आंकड़े एकत्र करने के लिए डाटा एकत्रण फार्मेट पीएसएससीआईवीई द्वारा विकसित एमआईएस टूल्स के आधार पर तैयार किया गया है।
- यूडीआईएसई के व्यावसायिक शिक्षा विशिष्ट डाटा एकत्रण फार्मेट (डीसीएफ) के भरने से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सुग्राही बनाने के बारे में और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अक्तूबर,2015 को समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।
- नई शिक्षा नीति के लिए व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के मामले पर चर्चा करने के लिए 23.11.2015 को एक राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई।
- वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के

संघटक के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1644 स्कूलों को अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना

''राष्ट्रीय साधन–सह–योजना छात्रवृत्ति योजना'' की केन्द्र प्रायोजित योजना मई, 2008 में आरंभ की गई थी, इसका उद्देश्य कक्षा 8 की पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर को रोकने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें कक्षा 12 तक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। कक्षा 9 के स्तर पर चुने गए छात्रों को सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने के लिए कक्षा 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रति छात्र 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रतिमाह) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा है। वे छात्र जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य सरकार के मानकों के अनुसार इसमें आरक्षण है। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृतियों को तिमाही आधार पर छात्रों के खाते में इलैक्ट्रानिक स्थानांतरण द्वारा सीधे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संवितरित किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान 2110012 छात्रवृतियां संस्वीकृत की गई हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना/ प्रणाली आरंभ की है जिसके अंतर्गत 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 पायलट जिलों में डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु 8 मंत्रालयों/ विभागों की 25 योजनाओं का चयन किया गया है। इसमें आधार भुगतान सेतु (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे निधियों के अंतरण की परिकल्पना की गई है। दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पहले चरण के 43 जिलों के अतिरिक्त 78 और जिलों में डीबीटी के दूसरे चरण का आरंभ किया गया। जनवरी 2015 से डीबीटी योजना का पूरे देश में प्रसार किया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की दो योजनाएं अर्थात् राष्ट्रीय साधन सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं का प्रोत्साहन करने की राष्ट्रीय योजना को डीबीटी में शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) और राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रस्तावों/लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पर प्रस्तुत करने के लिए नैशनल ई–छात्रवृत्ति पोर्टल (एनईएसपी) को आप्रेशनल किया गया है। विभाग ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे लाभार्थी छात्रों का आधार नम्बर एकत्र कर उसे डिजिटाइज्ड डाटावेस में डालें। राज्यों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे लाभार्थियों के बैंक खाते को दोनों योजनाओं के अंतर्गत आधार नम्बर से जोड़ें ताकि आधार भुगतान सेतु के माध्यम से भुगतान में सुविधा हो।

★★★★★

अध्याय 05

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता

अध्याय 05

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए नवम्बर, 1962 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की योजना अनुमोदित की गई। शुरू में, शैक्षिक सत्र 1963–64 के दौरान 20 रेजीमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहित किया गया। अब यह संख्या बढ़कर 1127 हो गई है, जिनमें विदेशों में स्थित 3 स्कूल (काठमाण्डु, मास्को एवं तेहरान) और 30.09.2015 की स्थिति के अनुसार, गुलबर्ग में तनमर्ग, जम्मू और कश्मीर, केआईओसीएल कुद्रेमुख, कर्नाटक और बान्द्री सिन्दरी, अजमेर, राजस्थान में स्थित 03 अकार्यरत केवी शामिल हैं। 64 केन्द्रीय विद्यालयों में दो पालियां चलती हैं।

केन्द्रीय विद्यालय प्रशासन

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, केन्द्रीय विद्यालय संगठन और शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री उपाध्यक्ष है। संगठन के आयुक्त, कार्यकारी प्रमुख हैं। इसमें 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, प्रत्येक की अध्यक्षता उपायुक्त द्वारा की जाती है जो क्षेत्र में सभी केन्द्रीय विद्यालयों के कार्य की निगरानी करते हैं। यहां 5 कार्यात्मक जेडआईईटी (क्षेत्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान) हैं। प्रत्येक की अध्यक्षता निदेशक द्वारा की जाती है। केन्द्रीय विद्यालय की अध्यक्षता प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य ग्रेड–II द्वारा की जाती है जो स्कूल के कार्यचालन का प्रबंध करते है।

क्षेत्रवार 1127 केन्द्रीय विद्यालयों का संवितरण **(30.09.2015 को)** निम्नलिखित है:

क्र. सं.	सेक्टर	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	रक्षा	351
2	सिविल	639
3	उच्च अध्ययन संस्थान	29
4	परियोजनाएं	108
	कुल	**1127**

प्रवेश

केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए कक्षा–। में बुनियादी मानदंड गत 7 वर्ष में अभिभावकों का स्थानांतरण है। इसके पश्चात् यदि सीटें उपलब्ध हों तो प्रवेश दिए जाने वाले अन्य बच्चों की श्रेणियां में, अस्थानांतरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और अस्थानांतरणीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों और अस्थायी आबादी के बच्चें होते हैं, कुल 1209138 छात्र (6,77,351 लड़के और 5,31,787 लड़कियां) (30.09.2015 की स्थिति के अनुसार) केन्द्रीय विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं जिनमें 2,30,097 (19.03%) अ.जा.छात्रों, 66525 (5.5%) अ.ज. जा. छात्रों, 1,82,303 (15.08%) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों और 3234 (0.27%) निःशक्तजन छात्रों का नामांकन शामिल है।

प्रमुख पहलें

केन्द्रीय विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2(त) के अंतर्गत "स्कूलों की विशिष्ट श्रेणी" के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे स्कूलों को (निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 की धारा 12(i) (ग) के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि कक्षा– 1 में कक्षा की नफरी की 25% सीमा तक दाखिला इसके पूरा होने तक पड़ोस के कमजोर वर्ग और लाभवंचित समूह से संबंधित बच्चों को दिया जाए।

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पहले से अनु.जा./अनु. ज.जा. के लिए 22.5% आरक्षण (अ.जा. 15%/अ.ज. जा. 7.5%) का प्रावधान है।
2. कक्षा–। में प्रति अनुभाग 10 सीटें (40 में से) आरटीआई उपबंधों के अनुसार 25 प्रतिशत सीटें भरी जाएंगी और यह 10 सीटें कुल मिलाकर अनु.जा./अनु.ज.जा./ ईडब्ल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर)/ निःशक्तजनों के सारे आवेदनों में से लॉटरी से भरी जाएगी।

3. शेष सीटें मौजूदा प्राथमिक श्रेणी प्रणाली के अनुसार भरी जाएंगी। अनु.जा./अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित सीटों में होने वाली कमी को प्रवेश के लिए प्राथमिकता श्रेणियों के क्रम के अनुसार भरकर पूरा किया जाएगा।

+2 स्तर पर अध्ययन पाठ्यक्रम

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा मुख्यतः विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों में प्रदान की जाती है। वर्ष 2005–06 सत्र से निम्नलिखित अन्य चार विषय +2 स्तर पर आरंभ किए गए हैं:–

(i) कंप्यूटर विज्ञान

(ii) मल्टी मीडिया और वेब प्रौद्योगिकी

(iii) इन्फॉरमैटिक्स प्रैक्टिसिस

(iv) जैव–प्रौद्योगिकी

अकादमिक निष्पादन

गत 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा X और कक्षा XII की परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालयों का अन्य स्कूल संगठनों के साथ तुलनात्मक प्रदर्शन नीचे सारणी में दिया गया है:

कक्षा X	2011	2012	2013	2014	2015
केवीएस	99.21	99.36	99.90	99.59	99.39
जेएनवी	99.57	99.58	99.73	99.80	99.72
स्वतंत्र स्कूल	98.65	99.20	99.46	99.44	-
कुल (सीबीएसई)	98.75	98.19	99.49	98.87	97.32
कक्षा XII					
केवीएस	93.42	94.15	94.82	97.39	94.75
जेएनवी	96.89	95.96	96.14	97.54	96.70
स्वतंत्र स्कूल	81.63	80.11	82.31	82.77	-
कुल (सीबीएसई)	**81.71**	**80.19**	**82.10**	**82.66**	**82.00**

केन्द्रीय विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं

- ✧ केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से स्थानांतरित होने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करते हैं।
- ✧ सभी केन्द्रीय विद्यालय सह शिक्षा चलाते हैं।
- ✧ समान पाठ्य–पुस्तकें, समान पाठ्यचर्या और अनुदेशों का द्विभाषी माध्यम अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी अपनाया जाता है।
- ✧ सभी केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।
- ✧ कन्या छात्रों के मामले में शिक्षा शुल्क बिल्कुल नहीं लिया जाता। एकल कन्या को सभी प्रकार के शुल्कों के भुगतान से छूट है।
- ✧ कक्षा VIII तक लड़कों से शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता।
- ✧ अन्य श्रेणियां जहां कक्षा XII तक शिक्षा शुल्क वसूल नहीं किया जाता वे निम्नलिखित हैं :
  - – अ.जा/अ.ज.जा. छात्र
  - – उन सशस्त्र बल कर्मचारियों के बच्चे जो 1962, 1965, 1971, 1999 और कारगिल युद्ध में मारे गए/अपंग हुए थे।

सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित स्कूल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक गति निर्धारक संगठन है और इसने विभिन्न दृश्य/श्रव्य उपकरण और सूचना एवं संचार तथा प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुप्रयोग सहित देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने एवं व्यापक सुधार के लिए विभिन्न पहल आरंभ की हैं।

30.09.2015 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों में आईसीटी अवसरंचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	मद	संख्या
1.	कार्यरत केवी की कुल संख्या	1124*
2.	केवी में उपलब्ध कम्प्यूटरों की कुल संख्या	65809
3.	केवी में छात्रों की कुल संख्या	1209138
4.	छात्र कम्प्यूटर अनुपात	18:1
5.	केवी में कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की संख्या	1091 (97%)
6.	इंटरनेट कनैक्टिविटी वाले केवी की संख्या	1107 (98%)
7.	ब्राडबैंड कनेक्टिविटी वाले केवी की संख्या	1085 (96%)
8.	अपनी वेबसाइट वाले केवी की संख्या	1107 (98%)

*03 अकार्यरत केवी को छोड़कर

कम्प्यूटर एवं आईसीटी संबंधी पहलें

केन्द्रीय विद्यालयों में ई–कक्षा–कक्षों की स्थापना

आरंभ में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय अर्थात 500 ई–कक्षा–कक्षों में 10 ई–कक्षा–कक्ष की दर से 50 केन्द्रीय विद्यालयों में ई–कक्षा–कक्ष योजना कार्यान्वित की थी। इसके अतिरिक्त, इनका प्रत्येक विद्यालय अर्थात 750 ई–कक्षा–कक्षों में 10 ई–कक्षा–कक्ष की दर से 75 और केन्द्रीय विद्यालयों में विस्तार किया गया है। इस समय, प्रत्येक क्षेत्र के औसत 5 स्कूलों में 10 ई–कक्षा–कक्ष हैं। इन प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालयों में इंटरएक्टिव बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आदि लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, 568 केन्द्रीय विद्यालयों ने अपने स्तर पर 2903 ई–कक्षा–कक्ष तैयार किए हैं। सभी विद्यालयों में (नए खोले गए स्कूलों को छोड़कर) टेपरिकार्डर, टेलीविजन आदि जैसे श्रव्य/दृश्य उपकरण हैं।

ई–कंटेंट

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सभी कक्षाओं के लिए सभी विषयों में अपने ई–कंटेट तैयार किए हैं जिनका उपयोग केन्द्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन/ऑफलाइन आधार पर किया जाएगा। सीआईईटी–एससीईआरटी, सीबीएसई एवं एनवीएस के सहयोग से ई–कंटेंट को अद्यतन करने की प्रक्रिया नियमित आधार पर चल रही हैं।

केवीएस द्वारा आईसीटी के क्षेत्र में आरंभ की गई पहल

केवीएस ने माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल अकादमी, इंटेल तथा गूगल के साथ सहयोग करके विभिन्न आईसीटी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित किए हैं ताकि छात्र एवं शिक्षक सहयोगात्मक तथा स्वतः निदेशित अधिगम के लिए तैयार किए जाएं।

आईसीटी पुरस्कार

केवीएस भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किए गए आईसीटी पुरस्कार में नियमित रूप से भाग ले रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केवीएस को दो पुरस्कार बाँटे हैं।

खेल/सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों में उपलब्धियां

- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्र क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों और क्रीड़ाओं में भाग लेते हैं। केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने भारतीय खेल एवं क्रीड़ा परिसंघ (एसजीएफआई) के खेलों में भाग लिए और केन्द्रीय विद्यालयों के अनेक छात्रों ने विभिन्न खेलों एवं क्रीड़ा कार्यक्रमों में पदक जीते।
- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते।
- केन्द्रीय विद्यालयों में हर वर्ष संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय विद्यालय आईआईटी, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करके पंडित जवाहर लाल नेहरू रनिंग शील्ड एंड ट्रॉफी जीती।
- केवीएस के 337 छात्र (189 स्काउट्स तथा 148 गाइड्स) राष्ट्रपति स्काउट्स पुरस्कार 2014 तथा राष्ट्रपति गाइड्स पुरस्कार 2014 के लिए चुने गए।
- केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने गणित/भौतिकी/रसायन/जीव–विज्ञान आदि जैसे विभिन्न ओलिम्पियाडों में भाग लिया और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते।

- केन्द्रीय विद्यालयों ने कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों में छात्रों में प्रतिभा पोषण के लिए सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनियां आयोजित की।
- केवीएस में क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान प्रदर्शिनी–सह राष्ट्रीय एकता कैम्प आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

केवीएस शिक्षकों के ज्ञान, कार्यप्रणाली और नवाचारी परिपाटियों का अद्यतन करने के लिए सभी वर्गों के अपने शिक्षकों के लिए पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करता है। 2014–15 में आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं की संख्याएं इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	वर्ग	पाठ्यक्रमों/ कार्यशालाओं की संख्या	सहभागियों की संख्या
1	शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण	118	5590
2	कार्यशालाओं की संख्या (जैडआईईटी)	198	7218
	कुल	**316**	**12808**

दिशा–निर्देशन एवं परामर्श

केन्द्रीय विद्यालयों ने छात्रों को उनकी सामाजिक आवश्यकताओं और साथ ही व्यक्तिव विकास के माध्यम से अपनी करियर एवं सामाजिक दायित्वों के समय सहायता करने के लिए परामर्शकों और जीविका दिशा–निर्देशकों की नियुक्ति की है और साथ ही अपने शिक्षकों, विशेष रूप से जिन्होंने दिशा–निर्देशन एवं परामर्शी कार्यों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, की सेवाओं का भी उपयोग किया है।

छात्रावास सुविधाएं

नवम्बर, 1962 में मंत्रिमंडल द्वारा मूल रूप से अनुमोदित केन्द्रीय विद्यालयों की योजना में परिकल्पना थी कि केन्द्रीय विद्यालय आवासीय होंगे। परंतु इस योजना के कार्यान्वयन के समय यह निर्णय किया गया था कि कुछ छात्रों को, विशेष रूप से जिनके माता–पिता का सत्र के बीच में अथवा ऐसे स्थान पर स्थानातरंण हो गया, जहां केन्द्रीय विद्यालय नहीं था, को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस समय 08 केन्द्रीय विद्यालयों में बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा है।

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	क्षेत्र	छात्रों की कुल क्षमता	01.07.2014 की स्थिति के अनुसार वर्तमान नामांकन
1.	लैंसडाउन (बालक)	देहरादून	100	47
2.	जवाहर नगर (बालक)	पटना	96	25
3.	झज्जर (बालक)	गुडगाँव	50	26
4.	नं: 1 ग्वालियर (बालक)	आगरा	60	शून्य
5.	एएससी सेंटर बंगलौर (बालिकाएं)	बैंगलौर	45	15
6.	पचमढ़ी (बालक)	भोपाल	50	31
7.	गाजियाबाद (बालक)	दिल्ली	80	10
8.	नं: 1 दिल्ली कैंट (बालिकाएं)	दिल्ली	72	32

वित्त

केन्द्रीय विद्यालयों का पूरा वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है। पिछले पांच वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान योजनेत्तर एवं योजनागत शीर्षों के अंतर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा केवीएस के लिए स्वीकृत बजट इस प्रकार हैः

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	योजनेत्तर	योजनागत
2011-2012	1885.00	350.00
2012-2013	2104.34	350.00
2013-2014	2424.97	350.00
2014-2015	2501.15	742.00
2015-2016	2403.47 (बजट अनुमान)	875.00 (बजट अनुमान)

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम राज्य सहित) में 104 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं जिनमें 75,803 छात्र (41,040 बालक एवं 34,763 बालिकाएं) नामांकित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 104 के.वी. में 58 सिविल, 22 रक्षा, 17 परियोजना क्षेत्र तथा 07 उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं।

2014–15 के दौरान इस क्षेत्र में Xवीं और XIIवीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशतता नीचे दी गई है:

	कक्षा–X	कक्षा–XII
गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल)	99.94	94.73
सिलचर क्षेत्रीय कार्यालय (असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा शेष भाग)	99.15	92.97
कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय (अंडमान और निकोबार द्वीप स्कूल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं)।	99.04	92.87
तिनसुकिया क्षेत्रीय कार्यालय (अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, असम का शेष भाग शामिल है)	98.77	93.02

केवीएस द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के लिए जारी निधियों की स्थिति इस प्रकार है:–

वर्ष	योजनागत	योजनेत्तर
2011-2012	₹ 3500 लाख	₹ 10368.91 लाख
2012-2013	₹ 3500 लाख	₹ 11323.57 लाख
2013-2014	₹ 3500 लाख	₹ 12017.78 लाख
2014-2015	₹ 4703 लाख	₹ 12659 लाख
2015-2016	₹ 1220 लाख	₹ 5783 लाख

जवाहर नवोदय विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में गति निर्धारक आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी जिसका उद्देश्य समता एवं सामाजिक न्याय के साथ–साथ उत्कृष्टता प्रदान करना था। इसके परिणामस्वरूप, 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI, के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में नवोदय विद्यालय समिति पंजीकृत की गई थी जिसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बगैर अच्छे स्तर की अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना जिसमें मूल्यों का समावेशन, पर्यावरण की जागरूकता, एडवेंचर गतिविधियां तथा शारीरिक शिक्षा का प्रबल घटक शामिल है।

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए प्रक्रिया/मानदंड

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना लगभग 30 एकड़ उपयुक्त भूमि निःशुल्क प्रदान करने वाली संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रस्ताव पर आधारित है। राज्य सरकार को 240 छात्रों एवं कर्मचारियों के आवास के लिए निःशुल्क पर्याप्त अस्थायी भवन और दूसरी अवसंरचना भी तीन से चार वर्ष अथवा उस समय तक के लिए जब तक समिति स्थायी स्थल पर अपने भवन का निर्माण नहीं कर लेती, प्रदान करनी होती है।

संस्वीकृत और कार्यरत जेएनवी की स्थिति

वर्ष 1985–86 के दौरान, झज्जर (हरियाणा) और अमरावती (महाराष्ट्र) में दो जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे। आज की तारीख में देश में 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में (तमिलनाडु राज्य के अतिरिक्त) समिति ने 598 जिलों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए हैं जिनमें से 591 जेएनवी कार्यशील हैं।

जेएनवी में छात्रों का दाखिला

जेएनवी में कक्षा VIवीं से XIIवीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाई गई और आयोजित की गई चयन परीक्षा के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालयों में दाखिला होता है। चयन परीक्षा जिसे जवाहर नवोदय चयन परीक्षा के नाम से जाना जाता है, नॉन–वर्बल और कक्षा न्यूट्रल होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी हानि के प्रतियोगिता में भाग ले सकें। जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है केवल वहीं के अभ्यर्थी दाखिले के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, जिस जिले में जेएनवी खोला गया है वह जिला बाद में दो भागों में बंट जाता है तो

नए बने जिले में, जब तक नया जेएनवी नहीं खुल जाता तब तक जेएनवीएसटी में दाखिले के लिए पात्रता के उद्देश्य से जिले की पुरानी सीमाएं मानी जाएंगी।

जेएनवीएसटी के लिए बैठने वालों और चयनित छात्रों के वर्ष 2014–15 के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

कक्षा	बैठने वाले छात्र	चयनित छात्र
VI	1709144	41804
IX	73786	4236

जेएनवी में छात्रों के दाखिले हेतु आरक्षण नीति

(क) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से चुने गए अभ्यर्थियों द्वारा और शेष सीटें उस जिले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाती हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, बशर्ते यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम हो (अ.जा. के लिए 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 7.5 प्रतिशत) परंतु दोनों वर्गों (अ.जा. और अ.जजा.) के लिए एक साथ 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह आरक्षण अंतः परिवर्तनीय है और ओपन मेरिट के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त है।

(ग) कुल सीटों का एक–तिहाई बालिकाओं के लिए हैं।

(घ) निःशक्त बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है (अर्थात अस्थि विक्लांग, श्रव्य और दृश्य विक्लांग)।

30.09.2015 की स्थिति के अनुसार छात्रों के नामांकन आंकड़े

कुल संख्या	बालक	बालिकाएं	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.
244116	149406	94710	191316	52800	136033	61596	46487
प्रतिशतता	61.20	38.79	78.37	21.62	55.72	25.23	19.04

जेएनवी का कार्य–निष्पादनः जेएनवी लगातार उत्तम कार्य कर रहे हैं जो गत तीन वर्षों में सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों से प्रमाणित होता है:

	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
कक्षा	X	XII	X	XII	X	XII	X	XII
उत्तीर्ण प्रतिशत	99.58	95.96	99.73	96.14	99.80	97.67	99.72	96.91

जेएनवी छात्रों के लिए समिति द्वारा अपनाई गई प्रवसन नीति

नवोदय विद्यालय योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता किसी एक विशिष्ट भाषाई क्षेत्र के नवोदय विद्यालय से किसी अलग भाषाई क्षेत्र के दूसरे विद्यालय में छात्रों की प्रवसन योजना है। इसका उद्देश्य छात्रों के बीच भारत की संस्कृति और लोगों की विविधता और विभिन्नता की समझ को प्रोत्साहित करना है। योजना के अनुसार, एक जेएनवी से 30 प्रतिशत बच्चे कक्षा IX स्तर पर दूसरे जेएनवी में अंतरित होते हैं। यह प्रवसन सामान्यतः किसी हिन्दी भाषी एवं अहिंदी भाषी जिलों के बीच होता है।

एएल रिपोर्ट 2013–14

कम्प्यूटर शिक्षा

- 585 जेएनवी में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा
- 554 जेएनवी में लेपटॉप दिए गए हैं।
- 514 जेएनवी में स्मार्ट कक्षा–कक्ष जहां 29" कलर टीवी कम्प्यूटर से जुड़े हैं।
- 554 जेएनवी में प्रत्येक में 02 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं।
- 33 जेएनवी को स्मार्ट स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है।

- 200 जेएनवी में वेब आधारित शिक्षण और अधिगम सुविधाएं पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं।
- 80 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों (लगभग 10,000) ने मौलिक कार्यचालन एवं कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा में 15 दिन का व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- लगभग 50 प्रतिशत गैर–शिक्षण स्टाफ ने भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- छात्र और शिक्षक उपलब्ध नेटवर्क सुविधाओं का लाभ उठाकर सहयोगात्मक परियोजना विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

जेएनवी में छात्रों के लिए सुविधाएं

जवाहर नवोदय विद्यालयों में शिक्षा, जिसमें भोजन तथा आवास और साथ ही वर्दी, पाठ्यपुस्तकों, लेखनसामग्री, स्कूल से घरों तक रेल/बस किराया आदि से संबंधित व्यय सभी छात्रों के लिए निःशुल्क है। वर्ष 2014–15 के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष औसत प्रचालन व्यय 75,478/– रूपए था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापरक बदलाव लाने के लिए 1 सितंबर, 1961 को राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की स्थापना एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। एनसीईआरटी नीतियों, अधिनियमों और सरकारी कार्यक्रमों को बनाने में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा–निर्देश, देते हुए परामर्शक की भूमिका निभा रही है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968 और 1986) तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधानों से स्कूलिंग के नए दृष्टि कोण के निर्माण और स्कूल तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में इनपुट प्रदान करने में भी सहायता मिली है। एनसीईआरटी शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और काउंसलरों के लिए नवाचारी और आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम डिजाइन और प्रदान कर रहा है। परिषद द्वारा विकसित पाठ्यचर्या और अन्य अध्ययन सामग्री से गुणवत्तापरक स्कूलिंग में सहायता मिली है। एनसीईआरटी के मुख्य संघटक हैं:

(क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईई), नई दिल्ली

(ख) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), नई दिल्ली

(ग) पंडित सुंदर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल

(घ) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और उमियम (शिलांग) में पांच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई)

पिछले 55 वर्षों में किए गए कार्यों के कारण एनसीईआरटी को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह भारत में एक अलग प्रकार की संस्था है जो अनुसंधान करती है, कुशल शैक्षिक प्रोफेशनल तैयार करती है और पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या संबंधी सामग्री तैयार करती है। 2015–16 में एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यकलापों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

चूंकि एनसीईआरटी को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयत हेतु अकादमिक प्राधिकरण नियुक्त किया गया है इसलिए यह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान कर रहा है। पढ़े भारत बढ़े भारत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरूआती स्तरों पर गणित के पठन लेखन तथा अधिगम के मौलिक कौशल में सुधार लाने के लिए सभी राज्यों में शुरूआती साक्षरता कार्यक्रम तथा शुरूआती स्कूल गणित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'लिखने की शुरूआतः एक संवाद', पढने की समझ और पढ़ने सीखने की शुरूआत' नामक पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। शुरूआती स्कूली गणित कार्यक्रम (ईएसएमपी) के अंतर्गत कक्षा–I और कक्षा–II के लिए एक गणित अधिगम किट (एमएलके) और मैनुअल तैयार किया गया है।

एनसीईआरटी ने 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए) के अंतर्गत स्कूल से बाहर के जीवन को स्कूल आधारित ज्ञान से जोड़ने तथा विज्ञान और गणित के अधिगम को मनोरंजक गतिविधि बनाने हेतु अलग–अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और प्रारंभिक चरण पर सभी पाठ्यचर्या क्षेत्रों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) संबंधी एक नमूना पैकेज प्रकाशित किया है। एनसीईआरटी ने गुणवत्ता निगरानी साधन (क्यूएमटी) तैयार किया है जिसे आरटीई अधिनियम, 2009 तथा एसएसए ढांचे के दृष्टिगत संशोधित किया गया है।

एनसीईआरटी आरएमएसए के अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों दोनों में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के संबंध में भारत सरकार को सलाह देती है और प्रमुख रूप में माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यचर्या, शिक्षा–शास्त्र एवं मूल्यांकन पहलुओं को मजबूत करके पाठ्यचर्या से संबंधित सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करती है।

एनसीईआरटी ने अधिगम परिणामों की ओर जाने वाले छात्रों के अधिगम संकेतकों का पता लगाने हेतु मार्ग दर्शाते हुए सभी विषयों में सीसीई नमूने तैयार किए। विभिन्न गुणवत्ता कार्यो की योजना निष्पादन एवं प्रभाव के बीच अनुरूपता की सीमा के आकलन हेतु, एनसीईआरटी ने गुणवत्ता आंकलन साधन का विकास (क्यूएटी) आरंभ किया है।

विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में कक्षा–कक्ष प्रक्रियाओं और छात्र अधिगम में सुधार लाने की दृष्टि से सेवाकालीन शिक्षकों का क्षमता निर्माण अत्याधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति–शास्त्र, विज्ञान तथा गणित में शिक्षकों के क्षमता निर्माण एवं व्यावसायिक विकास हेतु तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनियोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में शिक्षण अधिगम के नए शिक्षा–शास्त्र के साथ शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों को समर्थ बनाने पर बल दिया गया है।

एनसीईआरटी ने शिक्षकों को कुशलता के साथ विभिन्न गणितीय एवं सांख्यिकीय साधनों का उपयोग करने के लिए अर्थशास्त्र में मात्रात्मक तकनीकों के अनुप्रयोग के संबंध में एक तीन–सप्ताह का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया। विभिन्न राज्य बोर्डों से भूगोल में स्नातकोत्तर शिक्षकों को भूगोल में विभिन्न अवधारणाओं के बारे में अभिमुखी बनाया गया। एनसीईआरटी एवं इसरो के संयुक्त प्रयासों से स्कूल छात्रों के बीच जियोस्पेशियल कौशल बढ़ाने के लिए स्कूल भुवन ऑनलाइन, ई–लर्निंग जियोस्पेशियल पोर्टल आरंभ किया गया। इस जियोस्पेशियल पोर्टल के बारे में सूचना इन संगठनों से संबद्ध स्कूलों के बीच प्रसारण हेतु केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई एवं एनआईओएस को दी गई है। माइक्रो स्तरीय रसायन–शास्त्र किट के बारे में एससी/एसटी बहुल क्षेत्रों के उच्च माध्यमिक तथा केआरपी स्तर पर गणित में प्रमुख ज्ञान–साधन विशेषज्ञों के लिए अभिमुखीकरण भी आयोजित किया गया है।

एनसीईआरटी सन् 1963 से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाना एवं प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2015–16 में कुल 857 एनटीएस छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी।

एनसीईआरटी ने स्कूल एवं अध्यापक–शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शोध अध्ययन जैसे आरटीई अधिनियम, 2009, समावेशी शिक्षा, राज्यों की पाठ्यपुस्तकों का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा इत्यादि के विषय क्षेत्रों में कक्षा–कक्ष कार्यविधि का विश्लेषण आरंभ किया है। जहां संस्कृत सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों का अभिन्न अंग है, उन क्षेत्रों में मानव जीवन विज्ञान गणना तैयार की जा रही है। चुने हुए क्षेत्रों में संस्कृत भाषा शिक्षा और उर्दू भाषा शिक्षा की स्थिति के तत्काल सर्वेक्षण कार्यक्रम में संस्कृत और उर्दू में विद्यमान शिक्षण अधिगम परम्पराओं के अध्ययन पर बल दिया गया है। एनसीईआरटी ने, उत्तराखंड और हरियाणा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के उपयोग पर ''सामाजिक विज्ञान तथा वाणिज्य पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण अधिगम कार्य विधियों का आकलन'' संबंधी एक अध्ययन किया है ताकि कक्षा–कक्ष की कार्यविधियों और शिक्षकों और छात्रों के एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की अवधारणा का अध्ययन किया जा सके। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्तमान स्थिति तथा वाणिज्य विषय के छात्रों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को समझने के लिए 'पूर्वोत्तर क्षेत्र एनईआर में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा के अध्ययन के संबंध में एक शोध अध्ययन किया गया है। एनसीईआरटी ने गणना आधारित उपलब्धि सर्वेक्षण आरंभ किया है।

एनसीईआरटी कक्षा III, कक्षा V, कक्षा VIII (चौथा चक्र) के अंत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कर रहा है जिसमें सभी 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल होंगे। एनएएस कक्षा V (चौथा चक्र) की सारांश रिपोर्ट तैयार की गई है और प्रकाशित की गई हैं। एनसीईआरटी ने आरएमएसए के अंतर्गत कक्षा X (प्रथम चक्र) के अंत में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण भी किया है।

शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी की संभाव्यता को स्वीकार करते हुए विभिन्न नवाचारी पाठ्यचर्या सामग्रियां तैयार की गई हैं। परिषद शिक्षण और अधिगम के विस्तार में सहायता हेतु विभिन्न दृश्य–श्रव्य कार्यक्रमों और परिचर्यात्मक मल्टीमीडिया कार्यक्रम तैयार करने में लगी हुई है। वर्ष 2015–16 के दौरान 530 श्रव्य एवं 350 दृश्य कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। परिषद एनआरओईआर के माध्यम से सभी विषयों और सभी भाषाओं में छात्रों के लिए सभी डिजिटल तथा डिजिटल–क्षम साधनों को साथ मिलने का प्रयास कर रही है। परिषद ने एमओओसी के अंतर्गत कक्षा IX–X के लिए सामाजिक ज्ञान एवं विज्ञान

विषयों में स्वतः अधिगम सामग्रियां तैयार की हैं।

परिषद ने डिजिटल इंडिया के लक्ष्य तथा भारत के सभी लोगों तक पहुंच प्राप्त करने की दृष्टि से वेब और मोबाइल प्लेटफार्मों पर अपने संसाधन प्रदान करने हेतु ई–पाठशाला आरंभ की है। कोई व्यक्ति छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में सभी कक्षाओं और पाठ्यचर्या, अनुपूरक पठन सामग्री और संसाधनों के सभी क्षेत्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड और साझा कर सकता है। यह वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप 7 नवंबर, 2015 को एडनेक्स्ट सम्मेलन में जारी किए गए थे। सभी 364 ई–पुस्तकें (1 से 12 कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक हैंडबुक, मैनुअल तथा अनुपूरक पठन सामग्रियां), 137 वीडियों तथा 100 ऑडियों ई–पाठशाला में उपलब्ध हैं। पाठ्यपुस्तकें तीन भाषाओं (हिन्दीं, अंग्रेजी, और उर्दू) में उपलब्ध हैं।

यह परिषद हर वर्ष बच्चों के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी (जेएनएनएसएमईई) आयोजित करती है। यह बच्चों के लिए राज्य स्तर विज्ञान, गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी (एसएलएसएमईई) के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। 42वीं जेएनएनएसएमईई एर्नाकुलम, केरल में 16–22 दिसंबर, 2015 को आयोजित की गई थी। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ''विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक केन्द्र'' आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत तीन आकर्षण केन्द्र हैं नामतः 'विज्ञान पार्क' 'हर्बल पार्क' और 'कार्य–कलाप कक्ष'।

शैक्षिक किट अर्थात उच्च प्राथमिक विज्ञान किट, माध्यमिक विज्ञान किट, वरिष्ठ माध्यमिक माइक्रोस्केल रसायन प्रयोगशाला किट, सोलिड स्टेट मॉडल किट, मोलिक्यूलर मॉडल किट, उच्च प्राथमिक गणित किट, माध्यमिक गणित प्रयोगशाला किट, माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशाला किट माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशाला किट (जीव–विज्ञान, भौतिक और रसायन शास्त्र) उपलब्ध कराए गए हैं।

परिषद प्रत्येक वर्ष अप्रशिक्षित छात्रों के साथ–साथ सेवाकालीन शिक्षकों, अध्यापक–शिक्षक, स्कूल प्रशासक के लिए सभी संघटक इकाइयों में दिशा–निर्देशन और परामर्श डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है, वर्ष 2015–16 में लगभग 300 प्रशिक्षुओं ने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। शांति शिक्षा में प्रशिक्षण और समकालीन चिंताओं पर परामर्श देने वालों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम भी आयोजित किया गया।

आरएमएसए के अतंर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" विषय पर 8–11 दिसंबर, 2015 तक राष्ट्रीय कला उत्सव, 2015 आयोजित किया गया था। इस उत्सव में पूरे देश में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी जिला एवं राज्य–स्तर पर प्रतियोगिताओं के चरणों के माध्यम से आए थे।

एनसीईआरटी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने और उनका पूर्ण नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित आयु कक्षा पर स्कूल शिक्षा में प्रवेश करने वाली बालिकाओं के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करती है और केजीबीवी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। एनसीईआरटी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के उत्थान पर बल देने वाली शिक्षा में पुरूष–महिला मुद्दों पर शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि उन्हें सामाजिक विज्ञान किशोर शिक्षा एवं शैक्षिक संदर्भो में पुरूष–महिला भेदभाव एवं पुरूष–महिला की दकियानूसी समझ प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके।

परिषद में जनसांख्यिकी लक्ष्यों की प्राप्ति में देश की सहायता करने हेतु शैक्षिक दखल के रूप में अप्रैल, 1980 में आरंभ राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी) का कार्यालय है और परियोजना 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही वह किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) चिंताओं के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करने तथा जागरूक बनाने हेतु केवीएस, एनवीएस एवं एनआईओएस के माध्यम से यूएनएफपीए द्वारा वित्तपोषित किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एपीई) को भी कार्यान्वित करती है। किशोर स्वास्थ्य एवं खुशहाली संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु एक ऑनलाइन किशोर संसाधन केन्द्र (एआरसी) आरंभ किया गया है। यह किशोर अवस्था से संबंधित सामग्रियों और संसाधनों के मुद्रण व दृश्य श्रव्य दोनों के लिए ज्ञान के कोष के रूप में कार्य करेगा। किशोरों के बीच पर्यावरण अनुकूल स्वस्थ्य संबंधों, एचआईवी/एड्स नशीली पदार्थो के सेवन संबंधी बुराई के कारण और प्रभाव एवं कलंक पर बल देते हुए राष्ट्रीय नाटयकरण (481 जिलों में) और लोक नृत्य (439 जिलों) में प्रतियोगिताएं आयोजित करके जीवन कौशल आधारित कार्यकलापों का आयोजन किया गया था। इन कार्यकलापों में कक्षा IX के छात्रों ने भाग लिया।

एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत 32 क्षेत्रों में रोजगार कार्य के लिए स्तर। और 2 के लिए छात्र अभयास पुस्तिका तैयार की है। आईटी और आईटीईएस के क्षेत्र में मास्टर प्रशिक्षकों और केरल और आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शिक्षकों के लिए कक्षा–कक्ष, कार्यशाला एवं प्रयोगशाला में शिक्षण कौशल विकसित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं के एकीकृत सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चल रहे हैं। शिक्षा में दो वर्षीय बी.एड. तथा एम. एड. और साथ ही एक वर्षीय एम.फिल शिक्षण में प्री–पी.एचडी पाठयक्रम तथा मार्गदर्शन एवं परामर्श में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

सभी के लिए समावेशी शिक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन विशेष रूप से सामाजिक रूप से लाभवंचित दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में क्रमबद्ध सुधार के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जहां अन्य बच्चों के साथ दिव्यांग छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वहां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे नियमित शिक्षकों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों हेतु पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए नमूना सामग्री (सीडब्ल्यूएसएन) तैयार की गई है। स्कूलों में स्वलीन बच्चों का समावेश सुकर बनाने के लिए और साथ ही स्वलीनता के बारे में बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए श्रव्य–दृश्य सामग्री तैयार करने हेतु समावेशी कक्षा–कक्षों में स्वलीन छात्रों के प्रबंधन हेतु एनसीईआरटी मल्टीमीडिया पैकेज तैयार करने में लगी हुई।

एनसीईआरटी द्वारा आईआईटी, दिल्ली के सहयोग से उच्च प्राथमिक स्तर पर दृष्टिहीन छात्रों के लिए भूगोल में स्पर्शनीय मानचित्र पुस्तक तैयार की गई है।

एनसीईआरटी न केवल राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शैक्षणिक सहायता प्रदान कर रहा है।

हर वर्ष अंग्रेजी, हिंदी तथा उर्दू में विभिन्न एनसीईआरटी प्रकाशनों की 4.40 मिलियन से अधिक प्रतियां जिनमें पाठ्यपुस्तकें, अनुपूरक पठन सामग्री, शिक्षक हैंड बुक्स, स्रोत पुस्तकें, शोध रिपोर्टे एवं छः शैक्षिक जर्नल इत्यादि शामिल हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। हर वर्ष गैर–पाठ्यपुस्तकों के अलावा कक्षा I से XII की विभिन्न कक्षाओं के लिए 330 से अधिक पाठ्यपुस्तकें मुद्रित की जाती हैं। एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर पर ''अधिगम संकेतक तथा अधिगम परिणाम'' शीर्षक दस्तावेज प्रकाशित किया है जिसकी प्रतियां सभी शिक्षा सचिवों, एसपीडी तथा एससीईआरटी निदेशकों को भेजी गई।

एनसीईआरटी ने 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों के लिए पाठ्यसामग्री प्रकाशित की, जैसे योगः स्वस्थ जीवन की राह तथा योगः परिषद ने वीर गाथाः परमवीर चक्र विजेताओं की कहानियों की एक पुस्तक तैयार की है जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन महान वीरों की कहानियों का संकलन है जिन्हें परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

एनसीईआरटी ने जिला, राज्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर 63 परामर्शदात्री बैंठकें आयोजित की। परामर्शी निष्कर्षों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा किया गया था।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (एनसीटीई)

वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के प्रबंधन और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु अनेक पहल आरंभ की हैं।

- अकादमिक सत्र 2015–16 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मानयता संबंधी मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 को विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत क्षेत्रीय तथा राष्ट्रव्यापी विचार विमर्श के बाद भारत के राजपत्र में 1 दिसंबर, 2014 को अधिसूचित किया गया।

- 15 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संशोधित मानक एवं मानदंड भी अधिसूचित किए गए हैं। इनमें, दो नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं अर्थात 3 वर्षीय बी.एड (अंशकालिक), 3 वर्षीय बी. एड–एम.एड (एकीकृत) कार्यक्रम, 4 वर्षीय बीए.बीएड/ बीएससीबीएड कार्यक्रम जिन्हें नवाचारी कार्यक्रम के रूप में पहले कुछ संस्थाओं में आरंभ किया गया था, मुख्य धारा के कार्यक्रम के रूप में अधिसूचित किया गया है। यूजीसी ने इन एकीकृत कार्यक्रमों को मान्यता दी है और सत्र 2016–17 से कुलपतियों को एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए सूचित किया है। एनसीटीई अंर्तविषयक एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए अग्रसर है।

- बी.एड, एम.एड तथा बी.पीएड के तीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष

कर दिया गया है ताकि अध्यापक शिक्षा में सशक्त और बेहतर गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित की जा सके। ओडीएल पद्धति के माध्यम से एम.एड. कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। इन शर्तों को वर्ष 2015–16 सत्र से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- सभी 15 कार्यक्रमों की पाठ्यचर्या रूपरेखा तथा विस्तृत पाठ्यक्रम (माड्यूलर एवं क्रेडिट आधारित) तैयार और कार्यान्वित किया गया है। आईसीटी, योग शिक्षा, पुरूष–महिला एवं दिव्यांगता/समावेशी शिक्षा को 18,000 से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में 14 लाख छात्र–शिक्षकों द्वारा पढ़ने के लिए सभी 15 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग बना दिया गया है। एनसीटीई ने अध्यापक शिक्षकों के लिए योग शिक्षा में माड्यूल्स तैयार किए हैं और देश में इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु उन्हें अभिमुख बनाना है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को सिद्धांत, प्रयोग और इंटर्नशिप के बीच विभाजित किया गया है। (पहली बार, एक कार्यक्रम की एक–चौथाई अवधि अनिवार्य स्कूल इंटर्नशिप के लिए दी गयी है जिसकी 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत अवधि दो अलग प्रकार के स्कूलों में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है)। साथ ही, एनसीटीई ने अध्यापकों में स्वदेशी ज्ञान आरंभ करने और मूल्य विकसित करने हेतु स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे भारतीय चिंतकों पर माड्यूल तैयार किए हैं।

- अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) के लिए दिशा–निर्देश संशोधित किए गए हैं जिनमें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या और विषय की उपयुक्तता एवं शिक्षा शास्त्र ज्ञान पर बल दिया है।

- अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का प्रत्यायन विनियम, 2014 में अनिवार्य बना दिया गया है जिसके लिए उच्च स्तर टीईआई के लिए एनएएसी/यूजीसी के साथ और प्राथमिक तथा डिप्लोमा स्तर टीईआई के लिए क्यूसीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रत्येक संस्था की हर वर्ष ई–निगरानी तथा प्रत्येक संस्था का 5 वर्षों में प्रत्यायन किया जाएगा।

- अधिक पारदर्शिता एवं कार्य दक्षता लाने के लिए ई–गवर्नेंस आरंभ किया गया है। पहली बार i) जीआईएस के माध्यम से संस्थाओं का संस्थागत मानचित्रण किया गया है; ii) काल सेंटर टोल फ्री नं: 1800110039 के साथ आरटीआई और शिकायत निवारण ऑनलाइन किए गए है; iii) ई–विनियम विद्यमान है; iv) क्षेत्रीय समितियों और मुख्यालय के लिए विजिटिंग दल के कम्प्यूटरीकृत इच्छानुसार चयन के साथ केन्द्रीयकृत विजिटिंग दल पैनल कार्यरत बना दिया गया है; और v) अन्नय पहचान, के साथ फैकल्टी डेटाबेस कार्यालय ऑटोमेशन तथा एनसीटीई ऐप ISO–9001 प्रगति पर है।

- एनसीटीई ने निम्नलिखित प्रकार से अपने शैक्षिक 'विकास परक कार्यकलापों में विस्तार किया है; अध्यापक मांग–पूर्ति अध्ययन, प्रत्यायन ढांचे का विकास, टीईटी/सीटीईटी दिशा–निर्देशों का संशोधन, टीईटी/सीटीईटी: तीन रैफर्ड जर्नलों का प्रकाशन; विश्वविद्यालयों को संबद्ध करके पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन की निगरानी; अध्यापक सक्षमता अध्ययन तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अर्हता ढांचे का विकास।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

परिचय

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पिछले वर्षों में स्कूल–शिक्षा के क्षेत्र में पथ–प्रदर्शक रूप में उभरा है। बोर्ड ने शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन में बड़ी पहलें एंव सुधार किए हैं।

अधिकार क्षेत्र

पूरे विश्व में बोर्ड के पास 01–01–2016 की स्थिति के अनुसार, कुल 17142 स्कूल संबद्ध हैं। इनमें 1112 केन्द्रीय विद्यालय, 2619 सरकारी स्कूल, 12810 स्वतंत्र स्कूल, 587 जवाहर नवोदय विद्यालय और 14 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय हैं।

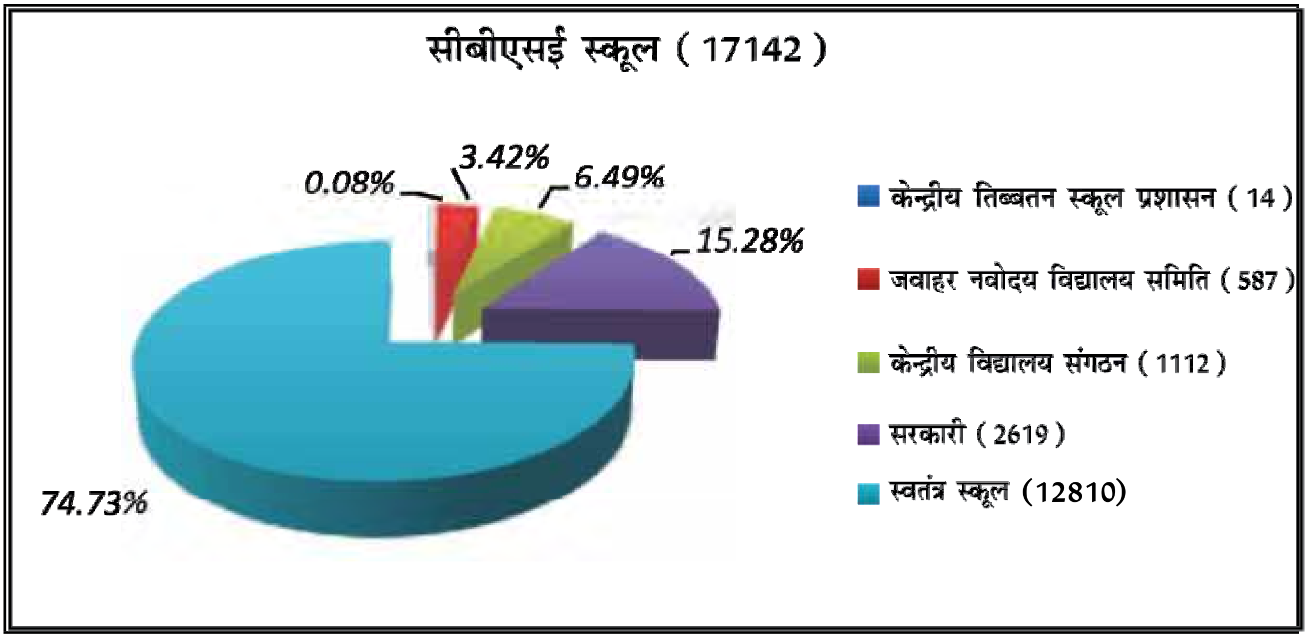

बोर्ड द्वारा कलेंडर वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित परीक्षाएं एवं मूल्यांकन

परीक्षाएं / मूल्यांकन			
स्कूल परीक्षाएं	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाएं	मूल्यांकन	अन्य
• वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XII) • माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा X) • कक्षा VI तथा IX के लिए जवाहर नवोदय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी)	• चिकित्सा / दंत चिकित्सीय अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्री–मेडिकल परीक्षा (एआईपीएमटी) • अवर स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई–मुख्य) और जीईई (एडवांस) के लिए गेटवे • राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी)	• निष्पादन विश्लेषण परीक्षा (सीबीएसई-i) • बोलने और सुनने संबंधी कौशल (एएसएल) का मूल्यांकन	• केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)

परीक्षा 2015

कक्षा	बैठने वाले अभ्यार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत
XII	1016369	82
X	1365488	97.32

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)

जेईई शीर्ष बोर्ड (जेएबी) द्वारा एनआईटी, आईआईआईटी, अन्य केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं और सहभागी राज्य सरकार की संस्थाओं के अवर स्नातक इंजीनियरी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है।

एनआईटी, आईआईआईटी और अन्य सहभागी संस्थाओं आदि जैसी केन्द्रीय तकनीकी वित्तपोषित संस्थाओं (सीएफटीआई) में प्रवेश के लिए 12वीं या समकक्ष परीक्षा में स्कूल बोर्डों को 40 प्रतिशत और जेईई (मुख्य) को 60 प्रतिशत वेटेज देते हुए मेरिट/रेंक लिस्ट तैयार की जाती है। स्कूल बोर्ड/समकक्ष परीक्षा के अंकों को केवल सामान्यीकरण के बाद ही वेटेज दिया जाता है।

जेईई (मुख्य) आईआईटी/आईएसएम धनबाद द्वारा संचालित अवर–स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए जेईई (एडवांस्ड) की भी पात्रता परीक्षा है। जेईई (मुख्य) में निष्पादन के आधार पर शीर्ष 1,50,000 उम्मीदवार जेईई (एडवांस्ड) में बैठने के लिए पात्र हैं।

जेईई (मुख्य) – 2015

जेईई (मुख्य) के लिए ऑफलाइन परीक्षा 4 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई थी तथा ऑनलाइन परीक्षा 10 और 11 अप्रैल, 2015 को आयोजित की गई थी।

जेईई (मुख्य) 2015 निर्बाध रूप से आयोजित की गई। इनमें 1304646 उम्मीदवार पंजीकृत हुए जिनमें से 1223627 उम्मीदवार प्रश्न–पत्र–I और प्रश्न–पत्र–II में शामिल हुए। ऑफलाइन परीक्षा पद्धति के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 11,18,042 थी और 10,45,927 उम्मीदवार उपस्थित हुए।

ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 1,86,230 थी जिसमें से 1,77,700 उम्मीदवार शामिल हुए। ऑनलाइन परीक्षा 283 शहरों में आयोजित की गई और ऑफलाइन परीक्षा दुबई, रियाद, बहरीन, मस्कट, कोलम्बो, काठमांडू और सिंगापुर सहित 150 शहरों में आयोजित की गई थी।

जेईई (मुख्य) के परिणामों के आधार पर लगभग 1,52,401 उम्मीदवारों को जेईई (एडवांडस्ड) 2015 के लिए पात्र घोषित किया गया।

जेईई (मुख्य) – 2016

जेईई (मुख्य) ऑफलाइन परीक्षा 3 अप्रैल, 2016 को आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा 9 और 10 अप्रैल, 2016 से आयोजित की जाएगी।

अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल परीक्षा, 2015

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र प्रवेश–सत्र 2015–16 के लिए 03 मई, 2015 को पूरे देश के 52 शहरों तथा विदेश स्थित एक शहर में 1065 केन्द्रों पर अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा के लिए कुल 6,32, 625 उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया। यह प्रवेश–परीक्षा उच्चतम न्यायालय के निदेशों में यथाविनिर्दिष्ट भारत के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में मेरिट के 15 प्रतिशत स्थानों के लिए आयोजित की जाती है और इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित किया जाता है।

राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय/संस्थाएं भी अपने नियंत्रणाधीन सीटों पर मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए उसकी योग्यता–सूची का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा–2015 में स्वैच्छा से भागीदारी कर रही हैं।

पुनः–एआईपीएमटी 2015

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में सीबीएसई ने 25.07.2015 को अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। 50 शहरों में 1065 केन्द्रों पर इस परीक्षा में कुल 3,74,386 उम्मीदवार शामिल हुए।

केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)

बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक–गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक और बेंचमार्क सुनिश्चित करने के लिए 2011 से परीक्षा सीटीईटी आयोजित कर रहा है।

सीटीईटी की 8वीं परीक्षा 20 सितम्बर, 2015 को देश के 959 परीक्षा केन्द्रों पर 76 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 6,55,660 उम्मीदवार शामिल हुए जिनमें से

सितंबर, 2015 में 1,14,580 उम्मीदवारों ने सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की। सीटीईटी सितम्बर, 2015 में बैठे उम्मीदवारों की समग्र उत्तीर्ण प्रतिशतता फरवरी, 2015 में आयोजित सफलतापूर्वक सीटीईटी की तुलना में 17.48 प्रतिशत थी जबकि उत्तीर्ण 12.18 प्रतिशत थी।

केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की 9वीं परीक्षा दिनांक 21 फरवरी, 2016 को आयोजित की जाएगी।

जेएनवीएसटी (जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा)

इस समय जेएनवी 27 राज्यों एवं 7 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हैं। जेएनवी में दाखिला सीबीएसई द्वारा पूरे देश में कक्षा VI में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) के माध्यम से किया जाता है।

जेएनवीएसटी देश में अलग–अलग भागों में 3 चरणों में, अर्थात ग्रीष्म सत्र फरवरी के दौरान, शीतकालीन सत्र अप्रैल के दौरान तथा अति शीतकालीन सत्र जून के दौरान आयोजित की जाती है।

नई पहलें

यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)

यूजीसी ने अगस्त, 2014 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) आयोजित करने का कार्य सीबीएसई को सौंपा है। भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर तथा कनिष्ठ शोध अध्येयतावृत्ति दोनों अथवा केवल सहायक प्रोफेसर की पात्रता का निर्धारण करती है।

यूजीसी नेट परीक्षा	शहर	केन्द्र	शामिल/पंजीकृत उम्मीदवार	सहायक प्रोफेसर हेतु पात्रता	सहायक प्रोफेसर एवं कनिष्ठ शोध अध्येयतावृत्ति दोनों हेतु पात्रता
यूजीसी जून 2015 (दूसरी परीक्षा)	89	1285	518065	21879	3640
यूजीसी नेट दिसंबर–15 (तीसरी परीक्षा)	88	1344	765031	परिणाम प्रक्रियाधीन	

उड़ान – छात्राओं को सहायता देने हेतु एक कार्यक्रम

सीबीएसई उड़ान परियोजना वर्ष 2014 में आरंभ की गई थी। यह परियोजना आईआईटी जेईई मुख्य एवं एडवांस प्रवेश परीक्षा और साथ ही अन्य इंजीनियरी कॉलेजों/तकनीकी संस्थानों के लिए दाखिले की तैयारी हेतु पात्र बालिकाओं के मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करती है।

इस परियोजना का उद्देश्य इंजीनियरी कॉलेजों में बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या का समाधान करना है। इसलिए यह शिक्षा के तीन आयामों–पाठ्यचर्या, डिजाइन संचालन और मूल्यांकन को बल देते हुए स्कूल शिक्षा और इंजीनियरी प्रवेश के बीच गुणवत्ता में कमी को कम करने के इस बड़े लक्ष्य को पाने की दिशा में पहले कदम के रूप में विचार करती है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान व गणित के शिक्षण और अधिगम को समृद्ध बनाने और इसमें वृद्धि का भी उद्देश्य है।

विशेषताएं

- कक्षा XI और XII की छात्राओं के लिए निःशुल्क सहायता करना
- ट्युटोरियल, वीडियो, और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता
- पूरे देश में विभिन्न (60 से अधिक) केन्द्रों पर सप्ताहांत संपर्क कक्षाएं एवं सीधा वेबकास्ट आयोजित करना
- उड़ान ऐप के माध्यम से मोबाइल अधिगम को सुकर बनाने के लिए टेबलेट
- अधिगम पर उपयोगी फीडबैक प्रदान करने हेतु तैयार किए गए ऑनलाइन मूल्यांकन

- मेधावी छात्रों हेतु पारस्परिक सहयोगात्मक अध्ययन और नेतृत्व अवसर
- छात्रों/अभिभावकों के अभिप्रेरक सत्र
- संदेहों को स्पष्ट करने (शैक्षणिक एवं साधारण), छात्र अधिगम एवं सहायक प्रौद्योगिकी की निगरानी हेतु छात्र हेल्पलाइन सेवाएं
- छात्रों की प्रगति की लगातार निगरानी और उसका पता लगाना
- दाखिलें, ट्यूशन एवं छात्रावास शुल्क हेतु आईआईटी/एनआईटी में चयन पर वित्तीय सहायता

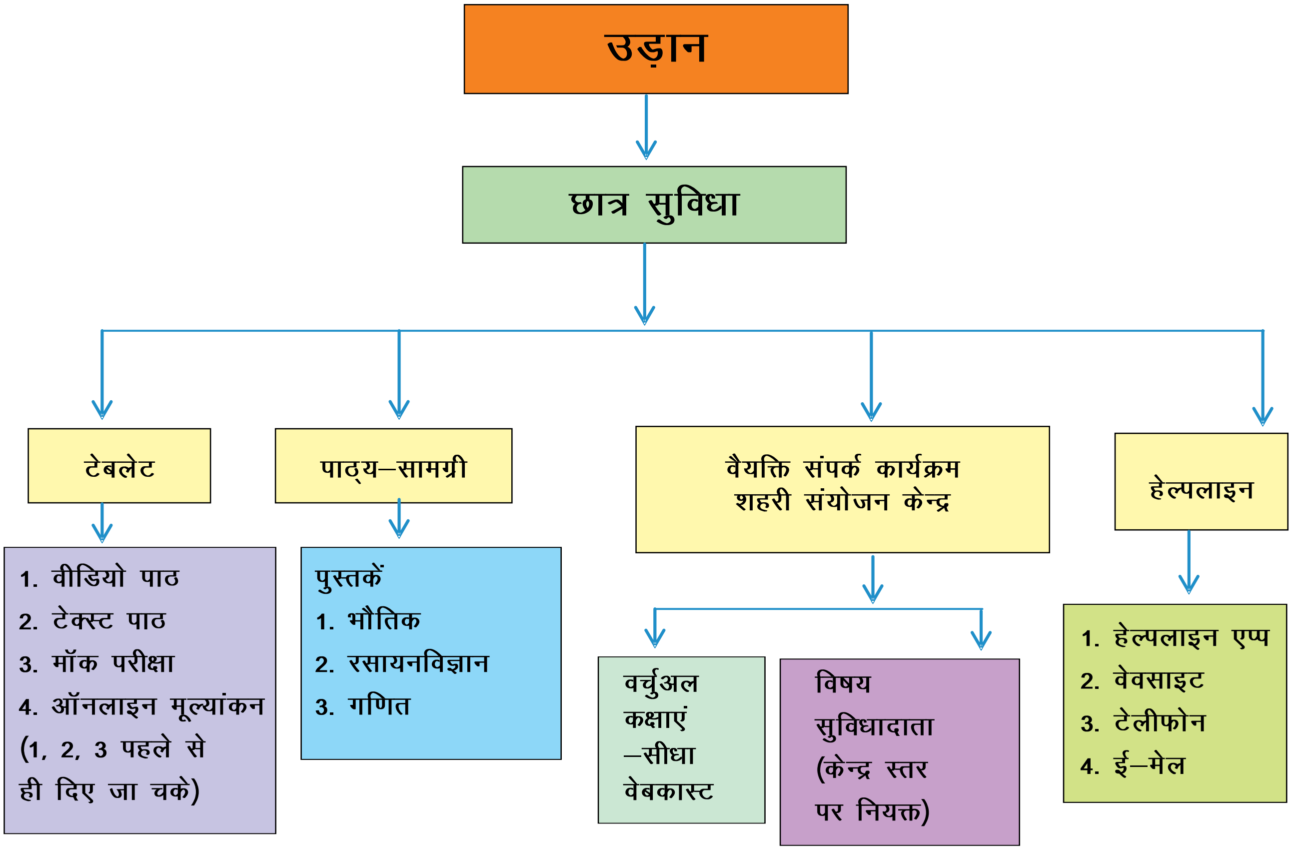

उड़ान – सफलता की कहानी

वर्ष 2014–15 में विभिन्न स्कूलों की कक्षा XII की 359 छात्राएं इस परियोजना के लिए चुनी गई। जेईई मुख्य के लिए 341 छात्राएं शामिल हुई। उनमें से भारत के 47 शहरों और कस्बों की 114 छात्राएं जेईई के लिए चुनी गई।

वर्ष 2015–16 में कक्षा XI में पढ़ रही कुल 1013 छात्राएं उड़ान के लिए चुनी गई।

मुक्त पाठ – आधारित मूल्यांकन

बोर्ड सिफारिश करता है कि प्रत्येक प्रशिक्षु की अलग क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन की बहुपद्धतियां उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन वर्ष 2014 में विश्लेषणात्मक व सैद्धांतिक कौशलों को समाविष्ट करने के लिए कक्षा IX व X में शुरू किया गया था जिससे रटने की प्रवृत्ति से छात्रों को दूर रखा जा सके।

शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच ब्रिज कायम करें। पाठ्य सामग्रियां इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि उससे छात्रों को अपने दैनिक जीवन में चर्चा, विश्लेषण, स्वतः चिंतन, आलोचनात्मक सोच के माध्यम से सक्रिय अध्ययन प्रक्रिया में लगाने के लिए उनकी अपेक्षित सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए।

सीबीएसई काउंसलिंग

सीबीएसई ने 19 वर्ष पहले 1998 में पहली बार टेलि–काउंसलिंग से यह अग्रणी सामुदायिक कार्य शुरू किया। देश में सीबीएसई

ही मात्र ऐसा बोर्ड हैं जो कक्षा X और XII के परीक्षार्थियों के लिए टेलि–काउंसलिंग, राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में प्रश्नोत्तर स्तम्भों व ऑनलाइन काउंसलिंग आदि जैसी बहुविधियों के जरिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग मुहैया कराता है।

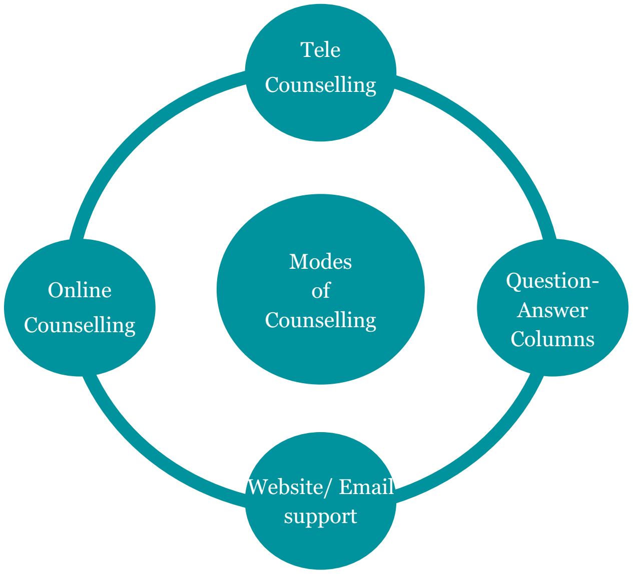

- टेलि–काउंसलिंग पूरे विश्व में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य और प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा की जाती है।
- यह स्वैच्छिक और निःशुल्क सेवा प्रतिभागियों द्वारा दो चरणों (परीक्षा पूर्व और परिणाम के बाद) में मुहैया कराई जाती है।
- वार्षिक काउंसलिंग से पहले फीडबैक और प्रशिक्षण सत्र नियमित रूप से चलाए जाते हैं।
- छात्रों व अभिभावकों के लिए एफएक्यू के रूप में सहायक सामग्री की तैयारी और अद्यतन तथा काउंसलरों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल्स प्रदान करना इस परियोजना की एक नियमित विशेषता है।

प्रथम चरणः परीक्षा पूर्व सीबीएसई टेली काउंसलिंग (1 फरवरी–22 अप्रैल, 2016)

इस वर्ष सीबीएसई संबद्ध सरकारी और निजी स्कूलों के 76 प्रधानाचार्य, और प्रशिक्षित काउंसलर तथा कुछ मनोवैज्ञानिक टेलि काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तथा छात्रों की परीक्षा से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनमें से 60 भारत में उपस्थित हैं जबकि 16 नेपाल, जापान, सऊदी अरब साम्राज्य (जेद्दाह, अल खोबर) ओमन सल्तनत, यूएई (शारजाह, दूबई, रास अल–खैमाह) तथा कुवैत में हैं।

भारत में केन्द्रीयकृत टोल फ्री पहुंच

छात्र देश के किसी भी भाग से एक टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं जो सीबीएसई हेल्पलाइन में केन्द्रीकृत पहुंच प्रदान करता है। यद्यपि साधारण प्रश्नों के उत्तर ऑपरेटरों द्वारा दिए जाते है परंतु परीक्षा संबंधी चिंता एवं तनाव के मामले में प्रधानाचार्यों अथवा काउंसलरों से जोड़ा जाता है। टेली हेल्पलाइन फरवरी से अप्रैल माह तक सभी दिनों प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक चालू रहती है।

दिव्यांग बच्चों के लिए काउंसलिंग

सीबीएसई ने लगातार सातवें वर्ष के लिए निशक्त बच्चों की आवश्यकताओं और व्यग्रताओं के लिए विशेष बच्चों के लिए काउंसलिंग प्रदान करने की व्यवस्था की है।

प्रश्न–उत्तर कॉलम

सीबीएसई के विशेषज्ञ फरवरी माह के दौरान प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित साप्ताहिक प्रश्न–उत्तर कॉलमों के माध्यम से छात्रों के प्रश्नों के उत्तर देंगे।

बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा **ऑनलाइन काउंसलिंग** वर्तमान में चालू है।

सीबीएसई वेबसाइट

परीक्षा से संबंधित व्यग्रता का सामना करने हेतु परीक्षाओं व तकनीकों की जानकारी भी माइक्रो लिंक हेल्पलाइन के माध्यम से सीबीएसई वेबसाइट www.cbse.nic.in पर दी गई है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा गुणवत्ता कार्यढांचा

सीबीएसई इस समय उच्च माध्यमिक स्तर पर 6 क्षेत्रों के अंतर्गत 40 व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रही है इनमें लगभग 36,078 छात्रों को शामिल करते हुए भारत और विदेश में 551 सीबीएसई संबद्ध स्कूलों में 98 विषय सम्मिलित हैं। एनएसक्यूएफ के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर 1228 संबद्ध स्कूलों से लगभग 1,51,398 छात्र रिटेल, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटो–मोबाइल प्रौद्योगिकी, और पर्यटन और वित्तीय बाजार प्रबंधन हेतु नामांकित हैं। अधिकांश पाठ्यक्रम उद्योग जगत की आवश्यकताओं पर आधारित हैं। कुछ

पाठ्यक्रम व्यावसायिक संगठनों के सहयोग से प्रदान किए जाते हैं और छात्रों के रोजगार संभाव्यताओं को बढ़ाने हेतु संयुक्त प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

बोर्ड ने संगीत निर्माण, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सौंदर्य थेरेपी और डिजाइन संबंधी कौशल आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्थ, आस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

शिक्षकों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

सीबीएसई पिछले दशक से व्यावसायिक सक्षमता को अद्यतन करने के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करके अध्यापकों और प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण दे रहा है।

शिक्षण और अधिगम में गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड ने नियमित प्रशिक्षण देकर अध्यापकों की क्षमता के निर्माण हेतु देश के अलग–अलग भागों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए हैं। वे भावी प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण आरंभ करेंगे एवं सामग्री/संसाधन विकसित करेंगे। वे शैक्षिक विषयों पर अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षकों का संसाधन समूह बनाने और सेमीनार, वेबिनार तथा सम्मेलन आयोजित करने के लिए मास्टर प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षक के प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। कक्षा–कक्ष परिचर्याओं की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने हेतु सकारात्मक परिणाम का उपयोग किया जाएगा। सीबीएसई ने हाल ही में मूल्यांकन के साक्ष्यों के आधार पर उन स्कूलों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की हैं जिनके अंक सत्र–। और सत्र–।। 2014–15 में बहुत ही कम पाए गए थे।

ये केन्द्र गुड़गांव, पंचकुला, काकीनाड़ा, पुणे, कोलकाता और रायबरेली में चल रहे हैं।

गणित, विज्ञान और नवाचार के संवर्धन हेतु प्रयास

जीएएनआईटी (अंक गणितीय नवाचार एवं प्रशिक्षण में बढ़ती अभिरूचि) सप्ताह

22 दिसंबर, 2015 को डॉ. श्रीनिवास अयंगार रामानुजम के जन्म का स्मरणोत्सव मनाने के लिए सीबीएसई ने जीएएनआईटी (अंकगणितीय नवाचार एवं प्रशिक्षण में बढ़ती अभिरूचि) सप्ताह के आयोजन हेतु सभी संबद्ध स्कूलों को आमंत्रित किया। इस प्रयोजन हेतु स्कूलों से कहा गया था कि वे गणित रिले रेस जैसे अनेक आयु उचित गतिविधियां जारी रखें। मैजिक स्क्वेयर तैयार करके गणितीय पहेलियां हल करने, गणितीय प्रकृति के विभिन्न विषयों पर गणित संबंधी पारस्परिक चर्चा सत्र का आयोजन करें। गणित संबंधी भय को कम करने तथा छात्रों के बीच इसका अध्ययन और अधिक रूचिकर बनाने हेतु स्कूलों से कहा गया कि वे गणितीय क्रियाकलाप आयोजित करें जैसे वास्तुकला में गणित, पास्कल त्रिभुज, वैदिक गणित, क्विज प्रतियोगिता इत्यादि जैसे गणितीय क्रीडाएं आयोजित करें।

सामूहिक गणित ओलम्पियाड

संगठनों द्वारा राज्य, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर गणित ओलम्पियाडों का आयोजन किया जाता है ताकि गणित संबंधी प्रतिभा की पहचान करके उसे प्रोत्साहित, संवर्धित तथा पोषित किया जा सके। राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम) द्वारा 1997 में स्वतन्त्र समूह का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद से ही केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली अपने सम्बद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए गणित ओलम्पियाडों का आयोजन करता आ रहा है।

यह ओलम्पियड प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों से अधिकतम 30 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम) द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय गणितीय ओलम्पियाड (आईएनएमओ) में भाग लेने हेतु चुना जाता है। राष्ट्रीय स्तर से अंतराष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड पर भाग लेने हेतु चयन किया जाता है।

आविष्कार प्रश्नोत्तरी

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत 06–18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा–कक्ष के भीतर तथा कक्षा–कक्ष के बाहर क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं दोनों के माध्यम से प्रेक्षण, प्रयोग, इन्फेरंस ड्राईगं, (अनुमानित चित्र) मॉडल निर्माण इत्यादि के द्वारा विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित एवं व्यस्त करना है। यह स्कूली बच्चों में जिज्ञासा, जोश तथा नवाचारी और अन्वेषण की भावना का सृजन कर उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा माध्यमिक तथा प्रारंभिक स्कूलों के छात्रों को विज्ञान तथा गणित के अध्ययन में सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस आन्दोलन को समर्थन देने के प्रयास स्वरूप जुलाई, 2015 से क्विज प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आरंभ की है ताकि स्कूली बच्चों में विज्ञान, गणित तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सृजनात्मकता एवं नवाचार

की भावना जागृत की जा सके।

बोर्ड द्वारा आयोजित ऑन लाइन क्विज प्रतियोगिताओं में उनको पूरा करने में लिए गए समय एवं निष्पादन स्तर के आधार पर (प्राथमिक–10, मिडिल–10 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक–10) प्रत्येक श्रेणी में दस विद्यार्थियों का चयन किया जाता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभिव्यक्ति श्रृंखला

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड वर्ष भर अनेक कार्यकलापों का आयोजन करता है। इन कार्यकलापों के एक भाग के रूप में अभिव्यक्ति श्रृंखला अगस्त, 2014 में शुरू की गई थी।

उद्देश्य

- छात्रों में सभी 22 अनुसूचित भाषाओं, तथा अंग्रेजी के साक्षरता संबंधी कौशल को प्रोत्साहित करना।
- छात्रों के बीच में अनुसंधान कौशल का विकास करना।
- छोटे बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करना।
- सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना।
- छात्रों में राष्ट्रीय विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना।
- छात्रों को स्वतन्त्रता संग्राम, साहित्य तथा समकालीन समाज के निर्माणार्थ विभिन्न महान नेताओं के योगदान से अवगत कराना।
- सीबीएसई तथा राज्य बोर्डों से सम्बद्ध स्कूलों हेतु श्रृंखला के दायरे का विस्तार देना।
- विचारों के आदान–प्रदान हेतु एक साझा मंच प्रदान करना।

एक विशेष परियोजना के रूप में इसे समयबद्ध तरीके से चलाया जाता है। यह एक ऑन–लाइन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें छात्र निबन्ध/कविताएं/चित्र प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों की जांच, अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता बोर्ड/सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के अनुभवी शिक्षकों/दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा की जाती है। अब तक वर्ष 2014 और 2015 के दौरान सीबीएसई ने 20 श्रृंखलाएं आयोजित की हैं। वर्ष 2014 में कुल 3,48,061 छात्रों ने अपने साहित्यिक कौशल का प्रदर्शन किया तथा वर्ष 2015 में अब तक 1,11,629 छात्रों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।

डिजीटल इंडिया कार्यक्रम तथा सीबीएसई की ई–पहलें

सीबीएसई कक्षा X तथा XII की परीक्षाओं के आयोजन के अलावा विभिन्न प्रकार की राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है जैसे कि जेईई (मुख्य) सीटीईटी यूजीसी नेट तथा एआईपीएमटी इत्यादि। इन प्रतियोगिताओं में प्रतिवर्ष लगभग 1.25 करोड़ परीक्षार्थी भाग लेते है। सीबीएसई की परीक्षाओं ने विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता स्थापित की है। सम्पूर्ण परीक्षा–पूर्व पद्धति ऑन–लाइन है जिसमें विद्यार्थीयों के डाटा सहेजना तथा विभिन्न रिर्पोटों जैसे कि प्रवेश–पत्र, उपस्थिति शीट एवं अन्य सूचियां तैयार की जाती हैं।

सीबीएसई ने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रमुख 'डिजीटल इंडिया कार्यक्रम' में पूरे मनोयोग से भागीदारी की है तथा डिजीटल लॉकर, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एवं डीजीईटी पोर्टल हेतु नोडल एजेन्सियों से डाटा साझे किए हैं।

भारत को डिजीटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2015 को शुरू की गई इस राष्ट्रीय पहल ने वैश्विक डिजीटाइजेशन और डिजीटल क्षमता के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु किए गए सरकारी प्रयासों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की है।

सारांश

स्कूलों की व्यापक स्व–समीक्षा का साधन

सारांश सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलों और अभिभावकों के लिए व्यापक स्व–समीक्षा का साधन है। यह सुधारात्मक उपाय करने हेतु छात्रों के निष्पादन का आंकलन करने में सहायता प्रदान करता है। सारांश स्कूलों, शिक्षकों तथा अभिभावकों को एक दूसरे के निकट ले आता है, ताकि वे छात्रों के कार्य निष्पादन की निगरानी कर सकें ओर उसमें सुधार कर सकें।

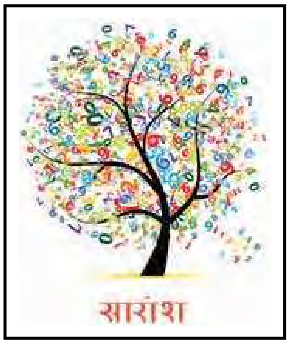

- सारांश सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा IX, X, XI अथवा XII में अध्ययनरत छात्रों के अभिभावकों के लिए उपलब्ध है।
- यह समेकित स्तर पर शैक्षिक व सह–शैक्षिक क्षेत्रों और स्कूल में प्रत्येक छात्र के स्तर पर स्कूल का कार्य प्रदर्शन देखने में सहायता करता है।
- सभी कार्य–प्रदर्शनों मेट्रिक्स को आसानी से समझने हेतु मापक संख्याओं के साथ–साथ चार्टों/ग्राफों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
- स्कूल, अखिल भारतीय, क्षेत्रीय, राज्य स्तर तथा अपने स्कूल–वर्ग (सरकारी, निजी, जेएनवी, केन्द्रीय विद्यालय व सीटीएसए) में सीबीएसई की सभी स्कूलों से कार्य–प्रदर्शन की तुलना कर सकता है।

ई–टूल वेब तथा मोबाइल प्लेटफार्म दोनों पर उपलब्ध है। 'सारांश' की सहायता से विद्यार्थी, शिक्षक तथा स्कूल नियमित फीडबैक प्राप्त करते हैं और व्यक्ति अथवा स्कूल के निष्पादन का स्थानीय, क्षेत्रीय और यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पता लगा सकते हैं।

पुरस्कार तथा अभिज्ञान

सारांश ने तीन सम्मानीय पुरस्कार जीते हैंः–

1) शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सरकारी पहल हेतु ई–इंडिया–2015 पुरस्कार

2) स्मार्ट प्रौद्योगिकी के लिए मेरिट का स्कॉच आर्डर (2500 से अधिक परियोजनाओं में से चयनित)

3) स्कॉच अवार्ड (पुरस्कार) (2500 परियोजनाओं में से छॉटी गई 1120 परियोजनाओं के बीच से सर्वोच्च स्वतन्त्रता सम्मान के लिए चयनित और मत–प्राप्त)

ई–सीबीएसई

सीबीएसई अग्रणी राष्ट्रीय बोर्ड है तथा नवाचार इसका प्रमाण–चिन्ह है। डिजीटल युग में रहने के साथ जहां अधिकाधिक छात्रों एवं शिक्षकों की आधुनिक आई–टी युक्त सेवाओं तथा उपकरणों तक पहुंच है, सीबीएसई ने छात्रों तथा शिक्षकों के लिए ई–लर्निंग अधिगम सामग्री तैयार की है। इसे उपयुक्त रूप से डिजाइन तथा ई–सीबीएसई नाम दिया गया है। विभिन्न कक्षाओं तथा विषयों (शैक्षिक, व्यावसायिक तथा सहायक सामग्री) के लिए पुस्तकें ecbse.nic.in पोर्टल और मोबाइल एप पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। निकट भविष्य में सभी हितधारकों के लाभार्थ और अधिक पुस्तकें तथा संसाधन जिनमें अतिरिक्त फीचर भी शामिल हैं, उपलब्ध कराए जाएंगे।

ई–सीबीएसई डिजीटल इंडिया नामक चल रहे आन्दोलन का एक भाग है। यह छात्र तथा शिक्षक समुदाय को विभिन्न अधिगम तथा अध्यापन संसाधन उपलब्ध कराकर पाठ्यचर्या संचालन की सहायता के लिए समृद्ध बनाने का एक प्रयास है। यह एनसीईआरटी द्वारा विद्यार्थियों के लिए उनके पास उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अलावा है।

कक्षा X तथा XII के लिए ई–सीबीएसई के तहत वेब आधारित विशेषताएं

बोर्ड ने (ई–अभिशासन के लिए तथा) सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हित–धारकों हेतु अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करने के लिए आईसीटी का अधिकतम उपयोग किया है। 17,000 स्कूलों को सीबीएसई के डिजिटल कार्यक्रम की परिधि में शामिल कर लिया गया है। बोर्ड की इस अनूठी पहल के परिणाम–स्वरूप, समय, मानव शक्ति तथा वित्तीय दृष्टि से अत्यधिक लाभपूर्ण होने की संभावना है।

कक्षा X तथा XII की आगामी वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड ने ई– सीबीएसई के तहत उपभोक्ताओं के सुविधानुकूल वेब आधारित फीचर शुरू किए हैं जिनमें स्कूल मुख्य परीक्षाओं के लिए रोल नम्बर जारी कर सकते हैं, और किसी एक विवरण में सुधार कर सकते हैं, मौजूदा पहचान पत्र तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए फोटो अपलोड कर सकते हैं। तथापि इस चरण पर विषय परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल कक्षा XII के आन्तरिक विषयों का मूल्यांकन ग्रेड भी अपलोड कर सकते हैं। पहली बार व्यावहारिक परीक्षाओं के लिए नियुक्त किए गए परीक्षक अपनी सहमति सीबीएसई के देहरादून, अजमेर, पटना, तथा भुवनेश्वर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को ऑन लाइन सूचित कर सकेंगे। यह भी पहली बार होगा कि व्यावहारिक (प्रैट्रिकल) परीक्षा का परीक्षक कक्षा XII की व्यावहारिक परीक्षा तथा परियोजना के प्राप्तांक मैन्यूअल अंक सूचियों में अंकित करने के बजाए सीधे अपलोड कर सकेंगे।

स्कूल भी अपने प्रवेश पत्र डाउन लोड कर सकेंगे और यदि वे बोर्ड द्वारा परीक्षा केन्द्र के रूप में चुने गए हैं तो उपस्थिति शीट, उम्मीदवारों की सूची जिसमें प्राइवेट उम्मीदवार भी शामिल हैं, को एक बटन के क्लिक करते ही स्कूल द्वारा डाउनलोड किया जा सकेगा।

सीबीएसई सीटीईटी प्रमाणपत्र का ऑन–लाइन अधिप्रमाणन

हित धारकों, शैक्षिक संस्थाओं/परीक्षा निकायों तथा भर्ती अभिकरणों की सुविधा के लिए सीबीएसई की केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ने फरवरी 2015 के पश्चात जारी किए गए सीटीईटी पात्रता प्रमाणपत्रों की ऑन–लाइन सत्यापन पद्धति शुरू की है। सीटीईटी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक प्रमाणपत्र वैश्विक दस्तावेज टाइप पहचानकर्ता (जीडीटीआई) से विशिष्ट रूप से पहचान गई है जिसे जीएसक्यूआर कोड द्व ारा एनकोड किया जा सकता है। जीएसक्यूआर कोड प्रमाणपत्र के दाहिने उपरी सिरे पर मुद्रित होता है। और जब क्यूआर कोड को किसी क्यूआर कोड स्कैनर मोबाइल एपलिकेशन से स्केन किया जाता है तो उस प्रमाणपत्र से संबंधित सूचना अर्थात पूरा नाम, चित्र, रोल नम्बर, जारी करने की तारीख, प्राप्त अंक इत्यादि जो सीबीएसई के सुरक्षित सर्वर में स्टोर किए गए है वे सत्यापन अभिकरण के मोबाइल पर दिखाई देते हैं।

विद्यार्थियों का सर्वांगीण स्वास्थ्य एवं तंदरूस्ती

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजनः आईसी अभियान की शुरूआत

सीबीएसई ने अत्यधिक उचित तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। जबकि सीबीएसई से सम्बद्ध स्कूलों के छात्रों ने 21 जून, 2015 को राजपथ पर योग का सजीव प्रदर्शन किया माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा भी योग पर एक आईईसी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को विभिन्न आकार–प्रकार एवं सज्जा जिसमें बच्चों के लिए योग पर एनिमेशन (सजीव) फिल्म सहित दूरदर्शन व्यापारिक/स्थल, आकाशवाणी व्यापारिक जिंगलस राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में मुद्रण विज्ञापन, आन–लाइन तथा बाहय प्रचार के माध्यम से यह प्रसारित किया गया।

'हमारी शिक्षा प्रणाली में योग के सिद्धांत और अभ्यास की सुसंगतता और आवश्यकता' पर चर्चा करने के लिए योग शिक्षकों के लिए एमएचआरडी द्वारा आयोजित सम्मेलन

योग शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 22 से 23 जून 2015 तक नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया। केवीएस, एनवीएस, शिक्षा निदेशालय और सीबीएसई के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के योग शिक्षकों के लिए इस प्रकार का सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया।

सीबीएसई द्वारा युवा छात्रों के लिए तैयार की गई लघु मीडिया फिल्म, उद्घाटन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता थी। इस कार्यक्रम में सम्पूर्ण देश तथा विदेशों के 500 से अधिक शिक्षक उपस्थित थे।

शिक्षकों तथा मेंटर्स के सीबीएसई अवार्ड 2014

सीबीएसई ने उन शिक्षकों को सम्मान देने की परम्परा को पुनः लागू किया है जिन्होंने अपने अदितीय कार्य निष्पादन, दक्षता एवं प्रवीणता से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रयोजनार्थ सीबीएसई ने वर्ष 2000 से एक पुरस्कार स्कीम शुरू की है। वर्ष 2014 के लिए इसके द्वारा देश और विदेश के 34 शिक्षकों को उनके कक्षा–कक्ष अध्यापन में नवाचार के लिए पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन का आधार अकादमिक दक्षता और सुधार की आकांक्षा, समाज में वाजिब रूचि, प्रतिष्ठा, बच्चों के प्रति प्यार तथा शिक्षा क्षेत्र में दृढ़ प्रतिबद्धता है।

मेंटर्स अवार्ड पुरस्कार–2014 16 प्रधानाचार्य को गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के आस–पास समूह में नियमित दौरे करके सहयोग प्रदान करने और प्रबंध करने हेतु दिए गए। ये मेंटर्स अवार्ड उन प्रधानाचार्यों को दिए जाते हे जो उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु अथक प्रयास करते है।

राष्ट्र स्तरीय अभिरूचि परीक्षा का विकास

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2015 में एक कार्यदल का गठन किया गया है जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, सीबीएसई एनसीईआरटी, जेएनयू तथा डीआईपीआर के विशेषज्ञ शामिल हैं ताकि कक्षा 9 के लिए राष्ट्रस्तरीय आदर्श अभिरूचि परीक्षा विकसित की जा सके।

इसके अतिरिक्त सीबीएसई को नोडल ऐजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वह समिति को कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासनिक, वित्तीय, मानव शक्ति तथा संभारतन्त्र संबंधी सहायता प्रदान कर सके।

परीक्षा के लिए बोर्ड की वृहत रूप रेखा

- यह कक्षा IX के छात्रों का तीन मुख्य क्षेत्रों नामतः सामान्य अभिरूचि, स्कूल संबंधी अभिरूचि तथा स्वयं से संबंधित लक्षणों का विभिन्न प्रकार की मदों जैसे कि बहु–विकल्प, मामला अध्ययन तथा परिस्थिति विशेष के माध्यम से आकलन करेगा।
- यह जांच परीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी तथा इसकी समयविधि लगभग 75–90 मिनट की होगी।
- इस जांच में शामिल सभी जाँच मदें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के यथा संभव अनुकूल रखी जाएगी ताकि सांस्कृतिक औचित्य बनाए रखा जाएगा।

अभिभावकों, शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं के लिए जांच के प्रत्याशित निहितार्थ

1. इस परीक्षा से छात्र की क्षमताओं के संबंध में संवाद का वातावरण बनेगा।
2. इस परीक्षा के माध्यम से अभिभावकों, शिक्षकों तथा परामर्शदाताओं को छात्र विशेष की छिपी तथा अस्वीकृत क्षमता की जानकारी प्राप्त हो सकती है।
3. परीक्षा परिणाम का उपयोग छात्रों को अधिगम में सहायता प्रदान करने और उनके व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आजीविका विकास में सहायता देने के लिए किया जा सकता है।

लोक और सुशासन की प्रतिक्रियात्मकता के प्रति वृद्धि करने के लिए आरटीआई तथा लोक शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं जनसाधरण को उपलब्ध कराई जाती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम

सीबीएसई के मुख्यालय में सभी कार्य दिवसों पर सामान्य कार्य घंटों के दौरान जन–सम्पर्क एकक में लोक सूचना केन्द्र कार्यरत रहता है।

सीबीएसई में ऑन–लाइन आरटीआई सुविधा

- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर ऑन–लाइन कार्रवाई सीबीएसई द्वारा 05 अक्टूबर, 2015 से शुरू कर दी गई है।
- सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय कार्यालय, संबंधन, जेईई, सीटीईटी, एआईपीएमटी तथा शैक्षिक ईकाइयों को आरटीआई सिस्टम से जोड़ दिया गया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राप्त अपीलों तथा आवेदनों की संख्या निम्नानुसार हैंः–

प्राप्त/उत्तरित आवेदनों की संख्या– 4865

प्राप्त/उत्तरित अपीलों की संख्या –592

लोक शिकायतें

लोक शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई हेतु पहल

- शिकायतों को अत्यधिक प्रभावी, कारगर तथा वास्तविक तरीके से निपटने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- शिकायतों की संख्या कम करने तथा उनके शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विभाग के संबंधित विभागाध्यक्ष के अधीन नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- लोक शिकायत का उचित समय पर एवं सन्तोषजनक निपटान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक शिकायत की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाती है।

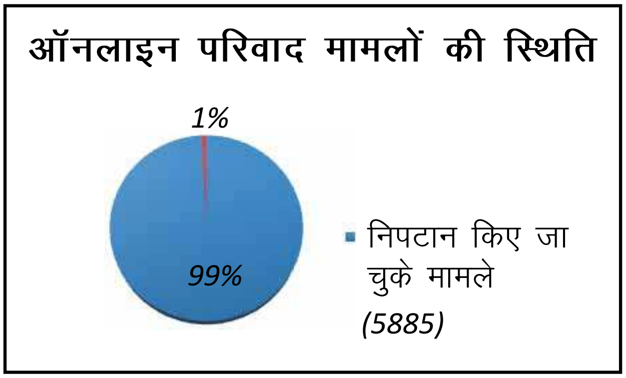

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस)

1. मूक का विकास

मूक विशाल मुक्त ऑन लाइन पाठ्यक्रम है। इस नई पहल के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने एवं किसी भी समय व किसी भी स्थान पर अपनी आकलन करवाने की पूरी छूट देता है। तथापि, प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को अपना पंजीकरण करवाना होगा तथा "मांग पर परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत अपनी सुविधानुसार लिखित परीक्षा देनी होगी।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) ने माध्यमिक स्तर के 15 विषयों में मूक विकसित कर लिए हैं और इन्हें उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 24 विषयों में विकसित किया जा रहा है। अब तक विकसित ई–कंटेट में पर्याप्त श्रव्य तथा दृश्य का समावेश है। हाल ही में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के मूक URL: http:// mooc nios.ac.in से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

2. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) सामुदायिक रेडियो शुरू करना

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 25 दिसम्बर, 2015 को डॉ. महेश शर्मा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन, भारत सरकार द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) का सामुदायिक रेडियों स्टेशन समुदाय को विशेष प्रस्ताव के साथ जनता को सेवाएं पेश करता है। इसकी सीआरएस फ्रीक्वैन्सी 91.2 मेगाहर्टज है और यहां से 10–15 किलोमीटर क्षेत्र के बीच लोकप्रिय तथा स्थानीय रूप से संगत एवं श्रोताओं की प्रसन्द के विषय प्रसारित किए जाते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) व्यक्तियों, समूहों तथा समुदायों को एक ऐसा तन्त्र उपलब्ध कराता है जहां वे अपनी आप बीती तथा अनुभव साझा कर सकते हैं और इस मीडिया प्रधान विश्व में मीडिया के सर्जक एवं योगदायी बन सकते हैं।

3. पूर्वोत्तर के लिए पहलें

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फैले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) के शिक्षार्थी भूगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं इसलिए गुवाहाटी स्थित एक क्षेत्रीय केन्द्र के माध्यम से उनकी आवश्यकताएं पूरी करना कठिन है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) ने सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैण्ड इत्यादि में और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (एनआईओएस) ने वर्ष 2015 में पूर्वोत्तर भारत के 32 केन्द्रों में शिक्षार्थी व्यस्तता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जिनमें 14–25 वर्ष की आयु वर्ग के समाज के ऐसे (कमजोर) वंचित वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लिया जिन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े इस वर्ग को एकत्र किया गया और इन्होंने अपने शिक्षकों के साथ इस आयोजन में भाग लिया। मुक्त विद्यालयों के कार्यकर्ताओं के लिए महिलाओं के प्रति एक संचेतना कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एलईए–2015 का विषय था "जनसंख्या एवं विकास" इस कार्यक्रम में लगभग 4000 शिक्षुओं ने भाग लिया जिनमें से 2000 अपने शिक्षकों के साथ पूर्वोत्तर से आये थे। मुक्त विद्यालयों के कार्यकर्ताओं के लिए महिलाओं के प्रति एक संचेतना कार्यशाला भी आयोजित किया गया।

एनआईओएस के शिक्षुओं की शैक्षिक सहायता प्रदान करने तथा उनकी सुविधा हेतु गुवाहटी क्षेत्रीय केन्द्र में मॉडल अध्ययन केन्द्र की स्थापना की गई है।

4. परीक्षाओं में कदाचार का उन्मूलन

विगत वर्ष में, एनआईओएस ने परीक्षाओं में उत्पात मचाने वाले कदाचारों का दमन करने हेतु अनेक उपाय किए हैं जैसे कि, फ्लाईंग स्कॉवड, परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाएं एकत्रित करने हेतु केन्द्रों की स्थापना ऐसे केन्द्र जिनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके विशेष मूल्यांकन केन्द्र स्थापित करना इत्यादि। जालसाजी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की गई और उम्मीदवारों को कड़ा संदेश दिया गया ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जन–साधारण में कारगर संदेश प्रसारित किया जा सके।

5. मुक्त विद्यालय खोलने संबंधी आवश्यकता की पहचान हेतु पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुसंधान

एनआईओएस ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुसंधान परियोजना पूरी कर ली है। इस परियोजना में बलिया, देवरिया, गोरखपुर, सुलतानपुर, अम्बेड़कर नगर, फैजाबाद, रायबरेली तथा अमेठी नामक आठ जिलों को शामिल किया गया। परियोजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में मुक्त विद्यालयों की पहुंच विशेष रूप से 14–19 वर्ष के आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं की पहुंच

का पता लगाना था। इसके अतिरिक्त इन जिलों के संभावित प्रशिक्षुओ के सामाजिक–आर्थिक, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रौफाइल का विकास करना भी था। इस परियोजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं, अभिरूचियों, संधारणीयता तथा कार्यक्षेत्र का पता लगाकर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चुनाव करना तथा एनआईओएस को इन जिलों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देश देना भी था।

6. विद्यालय शिक्षा में सहकारिता सुधार हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन

एनआईओएस ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हें ताकि वंचितों तक पहुंच के लिए संसाधनों को साझा करके विद्यालयीन शिक्षा में गुणात्मक सुधार प्रदान करने और लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें। परिणाम–स्वरूप एनआईओएस सभी एकल पाली केन्द्रीय विद्यालयों को एनआईओएस के साथ–साथ परीक्षा केन्द्रों के रूप में पंजीकृत करेगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने भी प्रत्येक ऐसे केन्द्रीय विद्यालय में जहां अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध है एनआईओएस के लिए मांग पर परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया है।

7. बिहार राज्य में अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल प्रशिक्षण

ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधांए उपलब्ध नहीं है जिसके कारण अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, हकीम, वैद्य तथा डाक्टरों के साथ काम करने वाले कार्मिक सक्रिय हैं और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

एनआईओएस तथा राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, बिहार राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि बिहार के 4 लाख अप्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस परियोजना को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी द्वारा 31 अगस्त, 2015 को शुरू किया गया था। 25000 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रवेश ले लिया है।

अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी एनआईओएस का ''सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम'' का प्रशिक्षण लेंगे। इस प्रशिक्षण की कुल अवधि (सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनों को मिलाकर) एक साल (400 घंटे) होगी। एनआईओएस प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण अभ्यास के अलावा स्व अध्ययन सामग्री (एसएलएम) श्रव्य वीडियो कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा। स्वास्थ्य कर्मियों को सेवारत रहते हुए (सेवा छोड़े बगैर) सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए पात्रता कम से कम कक्षा X उत्तीण होना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्मिक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव प्राप्त होना है। बिहार राज्य सरकार ने प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना के उपयोग की अनुमति दे दी है। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम बिहार के सभी 38 जिलों में प्रदान किया जाएगा। 149 FRU प्रथम रैफरल ईकाईयां तथा 533 (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) को अध्ययन केन्द्रों के रूप में प्रत्यायित किया गया है।

8. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आशा कर्मियों का प्रमाणन

एनआईओएस ने 9 लाख आशा कर्मियों के प्रमाणन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमएचएफडब्लू) भारत सरकार के तकनीकी स्कंध राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली पद्धति संसाधन केन्द्र के साथ मिलकर काम किया है। इसके एक मुख्य घटक के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रत्येक गांव में एक ''प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी'' (आशा) नामक महिला स्वास्थ्य कार्मिक उपलब्ध करवाता है। आशा प्रमाणन कार्यक्रम, आशा कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता व्यावसायिकता, विश्वसनीयता तथा समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की उनकी गुणवत्ता में विकास करने हेतु शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, एनआईओएस आशा कार्यकर्ताओं के लिए छः माह का पाठ्यक्रम आयोजित करेगा।

आशा प्रमाणन कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप से सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी तैयारी के आधार पर लागू किया जाएगा क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण (प्रमाणन हेतु एनएचएसआरसी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति भी लेनी आवश्यक होती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय द्वारा संस्तुत आशा प्रशिक्षण स्थल प्रत्यापित व्यावसायिक संस्थाओं (एवीआईएस) की भांति कार्य करेंगे तथा यह प्रस्तावित किया गया है कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित सभी आशा कार्यकर्ता/सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता 6 (छः) माह अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए एनआईओएस के पास अपना नाम रजिस्टर करायेंगी और तद्नुसार उनका प्रमाणन किया जाएगा। यह कार्य 6 (छः) राज्यों नामतः त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में शुरू कर दिया गया है।

9. व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अधिक बल

एनआईओएस ने विभिन्न एजेन्सियों तथा संगठनों जिनमें सरकारी तथा गैर सरकारी के साथ–साथ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां एवं संगठन भी शामिल हैं के साथ भागीदारी की है ताकि व्यक्तिगत नियोजनीयता को बढ़ावा देकर, विशेषरूप से वंचित वर्गों को औपचारिक शिक्षा पद्धति का लाभ प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एजेन्सियों जैसे कि भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) भारतीय चिकित्सा एसोसिऐशन (आईएमए) निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) राष्ट्रीय संसूचना केन्द्र (एनआईसी) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) इत्यादि से मिलकर नए सुसंगत पाठयक्रमों को उपलब्ध कराना है। एनएसडीए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि भारत–यूरोपीय संघ कौशल विकास परियोजना के अन्तर्गत संयुक्त रूप से स्थानीय संस्थाओं की क्षमता का विकास किया जा सके और यथा अपेक्षित इन्हे अन्य पणधारियों/हितधारकों को दिया जा सकें। एनआईओएस के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता अवसंरचना) के अनुसार संशोधित किया जा रहा है। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय कौशल परिषद (एसएससी) द्वारा यथा निर्धारित राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के आधार पर उद्योगों की मांग के अनुसार होंगे।

10. जम्मू तथा कश्मीर में अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण

एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार "अनिवार्य तथा निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35)" 01 अप्रैल से प्रभावी, के अनुसार यह नितान्त अनिवार्य है कि प्रारंभिक स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक, यदि प्रशिक्षित नहीं हैं, तो उन्हें पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण की अर्हता हासिल करनी होगी। ओडीएल पद्धति (मोड) में प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा पर एनआईओएस द्वारा विचार किया गया और प्रारंभिक स्तर के अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए इसे तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में 02 वर्ष की अवधि के भीतर 64 क्रैडिट और 750 अध्ययन घंटे व्यावहारिक एवं सम्पर्क सत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं। ओडीएल मोड में एनआईओएस का डीईआई–ईडी कार्यक्रम झारखण्ड, मेघालय, नागालैण्ड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में चलाया जा रहा है।

अब एनआईओएस ने जम्मू और कश्मीर राज्य के साथ नवम्बर, 2015 से बीईआई–ईडी कार्यक्रम शुरू करने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य द्वारा 5000 प्रशिक्षकों की पहचान की ली गई है। यह प्रशिक्षक अध्ययन केन्द्र समन्वयकों, शिक्षक प्रशिक्षकों–सह–निगरानी अधिकारियों, संसाधन व्यक्तियों, परामर्शदाताओं तथा पर्यवेक्षकों को दिया जाएगा। जिस पर होने वाला व्यय संबंधित राज्य द्वारा पाठ्यक्रम के लिए दिए जाने वाले शुल्क से वहन किया जाएगा।

11. प्रारंभिक शिक्षा का व्यावसायिक विकास कार्यक्रम

प्रारंभिक स्तर पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं बीएड शिक्षकों के लिए छः माह की अवधि का प्रारंभिक शिक्षा का विशेष व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (पीडीपीईटी) हिमाचल प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। 1329 शिक्षक प्रशिक्षुओं को इस कार्यक्रम हेतु नामांकित कर लिया गया है। प्राथमिक स्तर पर कार्यरत ऐसे शिक्षक/बीएड विशेष अर्हता प्राप्त है इस पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं। इस पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि छः माह है। हालांकि इस कार्यक्रम को पूरा करने हेतु अधिकतम अनुमेय अवधि 18 माह होगी।

12. जन शिक्षण संस्थानों/डीएई द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अन्य पक्ष द्वारा मूल्यांकन

शैक्षिक के साथ–साथ व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए जन शिक्षण संस्थानों के कार्यकर्ताओं का एनआईओएस के साथ समन्वय करने हेतु एनआईओएस तथा एनएलएमए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डीएई ने 5 एनएसक्यूएफ शिकायत पाठ्यक्रमों (प्रारंभिक स्तर पर निपटान) का चुनाव किया है जिन्हें प्रायोगिक आधार पर जन शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाया जाएगा। ये पांच कार्यक्रम हैं:– सहायक ब्यूटिशियन, मधु मक्खी पालन, अनआर्मड (बिना बन्दूक) सुरक्षा गार्ड, पलम्बर, सहायक केश सज्जाकार। दिशा–निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और अन्य पक्षकार मूल्यांकन शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

13. नव–साक्षरों द्वारा शिक्षा जारी रखने हेतु समकक्षता कार्यक्रम

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाए जा रहे समकक्षता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बुनियादी साक्षरता आकलन में प्राप्त सफलता ने साक्षर भारत के लाभार्थियों के बीच इस कार्यक्रम को जारी रखने तथा शैक्षिक अर्हताओं की

प्रोन्नति करने की मांग उत्पन्न की है। समकक्षता कार्यक्रम–नव साक्षरों, बीच में ही पढ़ाई छोड देने वाले 15+वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा के पश्चात पढ़ाई जारी रखने तथा औपचाररिक शिक्षा स्तरों तक शिक्षा हासिल करने के समर्थ बनाता है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने तीन स्तरों (क) कक्षा 3 के समकक्ष, (ख) कक्षा 5 के समकक्ष तथा (ग) कक्षा 8 के समकक्ष स्तरों पर स्वाध्ययन सामग्री तैयार कर ली है। प्रौढ़ प्रशिक्षुओं के जीवनानुभव तथा स्थानीय ज्ञान पद्धति समकक्षता कार्यक्रम की कतिपय प्रमुख विशेषताएं हैं। समकक्षता कार्यक्रम के दिशा–निदेश तैयार कर लिए गए हैं तथा यह कार्यक्रम एनएलएमए के सहयोग से शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जाएगा।

14. भारतीय भाषाओं में भाषा अध्ययन पाठ्यक्रमों का विकास

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य–ढांचा, 2005 ने शिक्षा के माध्यम से देश में बहु–भाषावाद और राष्ट्रीय सौंहार्द को बढ़ावा देने राष्ट्रीय समरसता (सौहार्दभाव) के लिए दिशा–निदेश प्रस्तावित किए हैं। यदि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा हो तो विद्यार्थी को आज्ञात विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रोत्साहन मिलता है तथा अभिव्यक्ति सहज हो जाती है। अतः मातृभाषा में अध्ययन को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। तथापि, मातृभाषा के अलावा, अन्य भाषाओं को सीखना भी अनिवार्य है।

हाल ही में एनआईओएस विद्यार्थियों की इच्छा अथवा आवश्यकता के आधार पर कमसे कम एक तथा अधिकतम दो भाषाओं को सीखने के अवसर प्रदान कराता हैं। विद्यार्थी अतिरिक्त विषयों के रूप में अधिकतम दो भाषा भी सीख सकता है। शुरूआत में विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा के रूप में एक आधुनिक भारतीय भाषा के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा तीसरी भाषा को बुनियादी भाषा अधिगम पाठ्यक्रम के रूप में चुनाव कर सकेंगे।

15. राष्ट्रीय डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम का मूल्यांकन एवं प्रमाणन

एनआईओएस, राष्ट्रीय डिजीटल साक्षरता मिशन प्राधिकरण के राष्ट्रीय डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम का आकलन साझेदार एवं प्रमाणन निकाय है। जिसके अन्तर्गत, प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को प्राधिकरण द्वारा डिजीटल साक्षरता प्रदान की जाती है तथा उसका आकलन एवं प्रमाणन एनआईओएस द्वारा किया जाता है। आकलन का कार्य दिसम्बर, 2015 में शुरू किया गया था तथा आज की तारीख तक लगभग 1.75 लाख व्यक्तियों का आकलन किया जा चुका है।

16. निःशक्तजनों को शिक्षा तथा आजीविका सहायता

भारत सरकार का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 06–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बचचों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। एनआईओएस का मुख्य उद्देश्य उन वंचित वर्गों तक पहुंचना है जो अभी तक पहुंच के दायरे से बाहर हैं ताकि शिक्षुओं के विभिन्न समूहों जिनमें निशक्त शिक्षार्थी भी शामिल है, की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। एनआईओएस ने जनसंख्या के निःशक्तजन वर्ग के लिए शिक्षा तथा आजीविका सहायता प्रदान करने हेतु मॉडूयल्स विकसित करना आरंभ कर दिया है।

एनआईओएस ने वंचित वर्ग से संबंधित शिक्षुओं के प्रयासों को तरजीह देते हुए उनकी चित्रकारी को 2016 के वार्षिक कलैंडर में शामिल किया है। विभिन्न श्रेणियों के निशक्त शिक्षुओं के लिए शिक्षा को अधिक सुकर और अनुकुल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

17. हरित पर्यावरण हेतु पहलें

नोएडा विकास प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त पौधों द्वारा एनआईओएस के नोएडा कार्यालयों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल कार्य स्थल पर सौहार्द पूर्ण वातावरण का सृजन करना है अपितु दीर्घकालिक पर्यावरण स्थायित्व में योगदान देना भी है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)

भारत में रहने वाले तिब्बती बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा, शिक्षा मंत्रालय (जिसे अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है) के एक संकल्प द्वारा केन्द्रीय तिब्बती स्कूलों की स्थापना 1961 में गई की और उन्हें 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXXI के तहत पंजीकृत किया।

प्रशासन का मूल उद्देश्य भारत में तिब्बती निवासियों की संस्कृति तथा विरासत को सुरक्षित रखते हुए तिब्बती बच्चों के शिक्षा संस्थानों को चलाना, उनका रख–रखाव करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना था।

अद्यतन स्थिति के अनुसार इस समय भारत में 9 उच्चतर सैकन्डरी स्कूल (06 आवासीय तथा 3 दैनिक स्कूल) 05 माध्यमिक दैनिक स्कूल तथा 07 मिडिल स्कूल, 02 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 5772 विद्यार्थी नामांकित थे।

ये स्कूल मुख्यतः तिब्बती बच्चों, की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कक्षा VI से स्थानीय भारतीय बच्चे भी 10 % तक दाखिल किए जा सकते हैं। कक्षा 1 से V तक शिक्षा का माध्यम तिब्बती भाषा ही है।

सीटीएसए का मुख्य उद्देश्य तिब्बती संस्कृति की विरासत, अस्तिव तथा भारतीय भूमि में उसके मूल के संरक्षण और पोषण के साथ–साथ तिब्बती बच्चों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके और वे इस परिवर्तनशील विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन सकें।

सभी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब, विज्ञान लैब, गणित लैब, एक्टिविटि लैब, आधुनिक इलैक्ट्रानिक गैजेट के साथ न्यूनतम स्तर के अधिगम लैब हैं। ऐसे तिब्बती विद्यार्थी जो सीटीएसए द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से पास हो जाते हैं उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मेधा–छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

17–22 वर्ष की आयुवर्ग के 15 मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री स्तर पर विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना अध्ययन जारी रखने हेतु मेधावी–छावृत्तियां प्रदान की गईं। तिब्बती विद्यार्थियों को डिप्लोमा स्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 5 (पांच) छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं तथा संसाधनों के साथ पर्याप्त रूप से सुसज्जित एवं लैस किया गया है। उनके पास आधुनिक कम्प्यूटर, स्काईवीडियों, कान्फ्रेंसिंग गैजेट, इन्टर एक्टिव क्लासों के आयोजन हेतु संसाधन केन्द्र हैं। भावी विकास के लिए, भारत सरकार, वर्ष 2000 से प्लान बजट से धनराशि जारी कर रही है ताकि इन स्कूलों को पूर्णतया एक नया रूप तथा आयाम प्रदान किया जा सके जिससे तिब्बती बच्चों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक स्कूल में खेल का मैदान, उपकरण, स्टाफ क्वॅाटर तथा बहुप्रयोजनीय हाल (बड़े कमरे) उपलब्ध हैं।

कक्षा X तथा कक्षा XII के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शीतकालीन अवकाश के दौरान एक माह की तैयारी कोचिंग भी प्रदान की जाती है।

शिक्षकों का प्रशिक्षण एक नियमित कार्यकलाप है, अध्यापकों तथा संस्थानों के प्रमुखों के अध्यापन कौशल को अद्यतन बनाए रखने हेतु उन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) एनसीईआरटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2000 से सीटीएसए योजनागत बजट से प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त कर रहा है जिसका उपयोग अवसंरचना निर्माण तथा मरम्मत अर्थात् कक्षा कमरे, भवन, होस्टल, खेल का मैदान, चारदीवारी, स्टाफ क्वार्टर, बहुप्रयोजनीय हाल (बड़े कमरे) इत्यादि के लिए किया जाना अपेक्षित है। इस अनुदान से सीटीएसए स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना विकास हुआ है। अद्यतन स्थिति के अनुसार सीटीएसए स्कूल परिसरों में 345 स्टाफ क्वार्टस, 45 स्कूल भवन, 29 खेल के मैदान और 07 होस्टल ब्लाक हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है ताकि सीटीएसए के अन्तर्गत सभी स्कूलों में यथा संभव बेहतर अवसंरचना का निर्माण किया जा सके।

सीटीएसए के विद्यार्थी प्रति वर्ष सीबीएसई की क्षेत्रीय अधिवेशनों/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों में विजयी भी होते हैं। तिब्बती विद्यार्थी नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप आदि में स्कूल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भाग लेते रहते हैं।

सीटीएसए के विद्यार्थियों ने भारत स्काउटस एण्ड गाइडस के कार्यकलापों में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया।

प्रशासन ने मार्च 2015 में सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कक्षा XII में 88.93% तथा कक्षा X में 95.99% परिणाम प्राप्त किए हैं।

राष्ट्रीय पुरस्कार–परिश्रमी और समर्पित शिक्षकों की सेवाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2004 से सीटीएसए को दो राष्ट्रीय पुरस्कार आबंटित किए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निदेशों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाऐं वास्तविक रूप से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(क) सभी सीएसटी विद्यालयों में स्वच्छ विद्यालय तथा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है।

(ख) कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों का यौन–शोषण तथा बाल शोषण निवारण– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा–निदेशों के अनुसार मुख्यालय स्तर पर सभी सीएसटी स्कूलों में समितियों का गठन किया गया है।

(ग) इस प्रशासन के पीडब्लयूडी कर्मियों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना।

(घ) योग को कक्षा–कक्ष अध्यापन पाठ्यचर्या में नियमित रूप से शामिल करना।

(ड.) इस प्रसाशन के अधीन सभी स्कूलों में अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में प्रगति के साधन आईसीटी को महत्व प्रदान किया गया है।

विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती है, योग एंव एरोबिक भी नियमित कार्यकलाप है। कुछ स्कूलों में बेहतरीन बैंड पार्टियां और नर्तक दल हैं। वे स्थानीय, जिला तथा राज्य उत्सवों में भाग लेते हैं।

दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा शिविर स्मार्ट क्लास सुविधाएं स्थापित की गई हैं तथा 03 (तीन) स्कूलों नामतः तिब्बती केन्द्रीय विद्यालय, मुंडगॉड, मंसूरी तथा बाइलक्कुपी में विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें विज्ञान में रूचि जागृत करने के लिए सीटीए धर्मशाला द्वारा मॉड्यूल, अवधारणा, आदि के साथ सज्जित किया जाएगा।

कक्षा X तथा कक्षा XII के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की अवधि के दौरान एक माह की तैयारी कोचिंग भी दी जा रही है। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे–शिक्षण, साक्षरता, खेलकूद तथा संगीत एवं नृत्य में विशेष कोचिंग दिए जाने का भी प्रावधान है ताकि उनके कौशल को विश्व की चुनौतियों का सामना करने के सक्षम बनाया जा सके। होस्टल में रहने वालों को रसोई के उपकरण, बिस्तर तथा गद्दे, कपड़े तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करवा कर उनकी विशेष देखभाल की जाती है।

यह भी सूचित किया जाता है कि सीटीएसए से शिक्षा विभाग, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, (सीटीए) धर्मशाला में अंतरण का मुद्दा पत्र संख्या एफ–4–3 / 2002–यूटी–2 / स्कूल–3 दिनांक 18.01.2013 अभी प्रक्रियाधीन है तथा 33–पूर्व तथा 4 प्राथमिक विद्यालयों को दिसम्बर, 2013 में सीटीए धर्मशाला को अंतरित किया जा चुका है। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में तीन वर्ष से अधिक का समय लगेगा। यह सीटीएसए के भारतीय अध्यापन तथा अध्यापन से इतर स्टाफ को केवीएस/एनवीएस/एनसीईआरटी/सीबीएसई में सेवा करने का विकल्प प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। एक आंदोलन के रूप में बाल भवन का प्रचार सम्पूर्ण देशभर में किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध देश भर में 136 बाल भवन और बाल केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली में स्कूलों के एक भाग के रूप में 50 बाल भवन केन्द्र तथा मंडी जिले के ग्रामीण क्षेत्र एक बाल भवन कार्यरत है। ये संस्थान बच्चों के लिए विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करते हैं ताकि उन्हें ऐसे कार्यकलाप एवं अनुभव उपलब्ध कराए जा सकें जो उन्हें अन्यथा प्राप्त नहीं होते।

प्रत्येक वर्ष बच्चे राष्ट्रीय बाल भवन, जवाहर बाल भवन, मंडी और दिल्ली के 50 बाल भवनों में वार्षिक सदस्यता लेते हैं। इस वर्ष (29.09.2015 तक) 5539 बच्चों (जिनमें 1460 अज/अजजा/अन्य पिछड़ावर्ग के बच्चे भी शामिल हैं, इनमें 3343 लड़कों तथा 2196 लड़कियों) ने राष्ट्रीय बाल भवन में सदस्यता प्राप्त की। 153 (117 लड़कों तथा 36 लड़कियों ने जेबीबी, मंडी और 10,388 (5106 लड़कों तथा 5282 लड़कियों ने 31.08.2015 की स्थिति के अनुसार दिल्ली स्थित 50 बाल केन्द्रों में सदस्यता ली। व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा सभी सरकारी स्कूलों को निःशुल्क संस्थागत सदस्यता दी जाती है, 09 पब्लिक स्कूलों तथा दिल्ली में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के संस्थानों ने राष्ट्रीय बाल भवन में संस्थागत सदस्यता प्राप्त की है।

कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल भवन, स्थानीय, राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों में हजारों बच्चे भाग लेते हैं। पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न प्रसंगों और विषयों पर कई विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा वर्ष 2015 के दौरान आयोजित कुछ विशेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

ग्रीष्म उत्सव

ग्रीष्म उत्सव 12 मई से 19 जून, 2015 तक आयोजित किया गया जिसमें 5466 बच्चों को राष्ट्रीय बाल भवन के विभिन्न कार्यकलापों में भाग लेने हेतु नामांकित किया गया। इस वर्ष बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बाल भवन केन्द्रों ने भी ग्रीष्म उत्सव के दौरान राष्ट्रीय बाल भवन के कार्यकलापों में भी भाग लिया। वर्ष भर चलने पाले इस ग्रीष्म उत्सव की विशेषता ऊर्जा उत्सव थी। जिसे 22 मई से 18 जून, 2015 तक आयोजित किया गया जिसमें बच्चों को व्याख्यान–सह–प्रदर्शन सत्र में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ जिसका अन्तर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा अभिनन्दन किया गया। राष्ट्रीय बाल भवन के बच्चों जिनमें निशक्त बच्चे भी शामिल हैं, ने 22 जून, 2015 को तालकटोरा स्टेडियम में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया। राष्ट्रीय बाल भवन तथा जेबीबी मण्डी हाउस के 27 कर्मचारियों ने 17 जुलाई, 2015 को आयोजित कम्प्यूटर कार्यशाला में भाग लिया। 100 बच्चों ने 21 अगस्त, 2015 को ग्रामीण केन्द्र में आयोजित वृक्षारोपण तथा चित्रकला कार्यकलापों में भाग लिया।

ग्रीष्म उत्सव के दौरान सहयोगी कार्यक्रम

1. भारतीय बाल फिल्म सोसायटी के सहयोग से बाल फिल्म उत्सव आयोजित किया गया।
2. नोबल शान्ति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी, ने 25 मई, 2015 को बच्चों के साथ बातचीत की। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सहयोग से आयोजित किया गया था।
3. 30 मई, 2015 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस आयोजित किया गया जिसमें 3000 बच्चों ने धूम्रपान एवं तम्बाकू के उत्पादों इत्यादि से दूर रहने की शपथ ली। इस कार्यक्रम का आयोजन केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के सहयोग से किया गया।

ग्रीष्म उत्सव के दौरान बच्चों द्वारा नाटक प्रस्तुति

05 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय बाल भवन के गायक दल के बच्चो ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर विज्ञान भवन में एक गीत प्रस्तुत किया। इस समारोह की अध्यक्षता भारत के माननीय राष्ट्रपति तथा मानव संसाधन विकास मंत्री ने की। 50 बच्चों ने (जिनमें मित्र देशों के विदेशी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल भी शामिल हैं) पारंपरिक कला तथा हस्तशिल्प एवं लोक संगीत कार्यकलापों में 08 अक्टूबर, 2015 को भाग लिया।

राज्य स्तरीय बाल श्री चयन–2015

राज्य स्तरीय बाल श्री चयन–2015, भारत के दिल्ली समेत 18 केन्द्रों में आयोजित किया गया। 300 बच्चों ने सृजनात्मक लेखन, निष्पादन, सृजनातमक कला, सृजनात्मक वैज्ञानिक नवाचार की उप–धाराओं में भाग लिया। यह क्रमशः 31 अक्टूबर तथा 01 नवंबर, 2015 को आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय बाल सभा तथा समेकन शिविर–2015

'मेरा गांव मेरा गौरव' विषय पर राष्ट्रीय बाल सभा का उद्घाटन रंगारंग कार्यक्रम के साथ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी द्वारा 14 नवंबर, 2015 को किया गया।

बच्चों को यह कार्यक्रम बहुत आनंददायक लगा और इसके माध्यम से वे भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सीख सके हैं। उन्होंने विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की कलाएं सीखी। ये कार्यशालाएं बच्चों के लाभार्थ आयोजित की जाती हैं। प्रतिष्ठित कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है तथा छात्र उनसे चरखे पर सूत कातना; बांस की वस्तुएं बनाना; कठपुतली, मेंहदी, पतंग बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि कलाएं सीख सकते हैं।

इस कार्यक्रम में 47 दलों ने भाग लिया। देश के अलग–अलग भागों में स्थित विभिन्न बाल भवनों से लगभग 300 सदस्य बच्चों तथा 60 एस्कॉर्ट्स ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाया।

उद्घाटन समारोह में विभिन्न बाल केन्द्रों के 1000 बच्चों तथा ग्रामीण बाल भवन जेबीबी मंडी के 100 बच्चों ने भाग लिया। विभिन्न बाल भवनों से प्राप्त पेंटिंग्स और चित्र प्रदर्शनी में लगाए गए और इनके साथ–साथ देश के 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण परिदृश्य भी प्रदर्शित किए गए।

सदस्य बच्चों को दो दिनों के दौरान दिल्ली के विभिन्न संग्रहालयों जैसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय, हस्तशिल्प संग्रहालय, गांधी समृति संग्रहालय एंव कृषि संग्रहालय का दौरा किया ताकि बच्चे भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं की झलकियां देख सकें।

26.11.2015 को संविधान दिवस मनाना

बच्चों तथा कर्मचारियों के समक्ष हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान की प्रस्तावना पढी गई। संग्रहालय अनुभाग ने झंडे को रंग करना संविधान का अर्थ समझना जैसे कार्यकलापों का आयोजन। संविधान की मुख्य विशेषता तथा संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका की भी व्याख्या की गई।

★★★★★

अध्याय 06

प्रौढ़ शिक्षा

अध्याय 06

प्रौढ़ शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की 86 प्रतिशत जनसंख्या निरक्षर थी और उस समय प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य सबसे निचले पायदान पर था अर्थात इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'बुनियादी साक्षरता' प्रदान करने पर था; प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, इनमें से सबसे प्रमुख राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 15+ (पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु) के वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने हेतु 1988 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को 2009 में जीवन पर्यत शिक्षा के नए शिक्षा के नए शिक्षा शास्त्रों के अनुरूप साक्षर भारत 2009 के रूप में पुनः निरूपित किया गया। देश की साक्षरता दरों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है परंतु साक्षरता का स्तर विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में अभी भी असमान है। प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उच्च गुणवत्ता और मानक के माध्यम से एक पूर्ण रूप से साक्षर समाज की स्थापना करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) प्रौढ़ साक्षरता और कौशल विकास में परिकल्पित सभी कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालन और कार्यान्वयन संगठन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएलएमए साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा पुरूष–महिला अंतर को 10 प्रतिशत से नीचे लाने का प्रयास करेगा।

410 जिलों में से जो साक्षर भारत कार्यक्रम के अधीन कवरेज के लिए अर्हता रखते हैं 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 397 जिलों को मिलाकर 1.63 लाख पंचायतें स्वीकृत की गई हैं। 2015–16 के दौरान यह कार्यक्रम इन 397 जिलों में जारी रखा गया है। अक्तूबर, 2015 के अंत तक लगभग 1.54 लाख प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी थी। लगभग 1.63 ग्राम पंचायतों तथा 10.39 करोड़ शिक्षार्थियों की पहचान कर ली गई है। 45 लाख साक्षरता केन्द्रों में अध्ययन अध्यापन कार्य शुरू हो गया है। अब तक लगभग 35.63 लाख स्वैच्छिक शिक्षकों को मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा तथा 2.18 लाख मास्टर प्रशिक्षकों को रिसोर्स व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब तक लगभग 12 हजार संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 2.65 लाख प्रेरकों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कार्यकलाप आयोजित कर सकें। 13 भाषाओं और 26 स्थानीय बोलियों में बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका पुस्तिकाएं छपवाई गई और शिक्षुओं में वितरित की गई है। अक्तूबर, 2015 तक लगभग 6.31 करोड़ शिक्षुओं को बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत नामांकित कर लिया गया है। कुल 4.98 करोड़ शिक्षुओं में से 3.65 करोड़ (2.62 करोड़ महिलाओं तथा 1.03 करोड़ पुरूषों ने) एनओआईएस द्वारा अगस्त 2010 से मार्च 2015 के दौरान आयोजित आकलन टेस्ट सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिये हैं। 1.22 करोड़ शिक्षु जिन्होंने अगस्त 2015 में आयोजित परीक्षा में भाग लिया था उनका परिणाम घोषित होना अभी शेष है। समुदाय–वार 86.5 लाख अ.जा., 46.5 लाख अ.ज.जा., 300 लाख अल्पसंख्यक और 202.5 लाख अन्य समुदायों के उम्मीदवारों को साक्षर के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। 15 दिसंबर, 2015 तक 227.81 करोड़ रू. की राशि राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में जारी की गई ताकि वे वर्ष 2015–16 के दौरान भारत साक्षरता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर सकें।

राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) शिक्षण अध्ययन सामग्री के विकास, कार्यकर्ताओं के शिक्षण, पर्यावरण निर्माण कार्यकलापों, कार्य अनुसंधान, निगरानी तथा मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा के लिए अकादमिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है। इस समय देश में 32 एसआरसी हैं। जन शिक्षा संस्थान (जेएसएस) निरक्षर नव–साक्षर प्रौढ़ों और साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को लगातार ऐसे कौशलों का पता लगवा कर जिनका उनके प्रतिष्ठान के क्षेत्र में एक बाजार हो सकता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। जेएसएस की कार्यप्रणाली में कार्यदक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सार्वजनिक सुरक्षा अंतर–निविष्ट करने के उद्देश्य से एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय जो कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

का अधीनस्थ कार्यालय है। इस कार्यक्रम में एनएलएमए को सहायता प्रदान करता है। 8 सितंबर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। इस अवसर पर साक्षर भारत पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अंतर–वैयक्तिक मीडिया के माध्यम से मीडिया अभियान आरंभ किया गया। क्षमता निर्माण कार्यकलाप आरंभ किए गए। जेएसएस की निगरानी की गई है और एनआईओएस के माध्यम से मूल्यांकन को भी सहायता दी गई।

प्रस्तावना

सभी के लिए बुनियादी शिक्षा और सभी मानव क्षमताओं का केन्द्र साक्षरता है। गरीबी उन्मूलन, बाल मृत्यु दर को कम करने, जनसंख्या वृद्धि रोकने, महिला–पुरूष समानता प्राप्त करने और सतत विकास शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी साक्षरता आवश्यक है। सार्वभौमिक साक्षरता का उनके लिए भी विशेष महत्व है जो ऐतिहासिक कारणों से शिक्षा की प्राप्ति से वंचित रहे हैं। शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के माध्यम से युवाओं और वयस्कों को सशक्त बनाने के अलावा, सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता के लक्ष्य प्राप्ति प्रौढ़ और सतत शिक्षा का एक मौलिक लक्ष्य है। वास्तव में, बुनियादी साक्षरता कार्यक्रमों की शुरूआत को इस क्षेत्र की गतिविधियों के साथ शिक्षा को जीवन पर्यन्त सीखने से एक परिपेक्ष्य के रूप में देखा जाता है।

साक्षरता प्रोफाइल

नियोजित हस्तक्षेपों तथा निरंतर प्रयासों के साथ, उल्लेखनीय प्रगति की गई है। वर्ष 2001 में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 72.98 प्रतिशत हो गई। दिलचस्प बात यह है, महिलाओं की साक्षरता दर 53.67 प्रतिशत से 64. 63 तक बढ़ी है जिसमें 10.96 प्रतिशत का तीव्र सुधार हुआ है जबकि इसकी तुलना में पुरूषों के मामले में सुधार 75.26 से बढ़कर 80.88 प्रतिशत तक का हुआ है जो 5.62 प्रतिशत बिंदु की बढ़ोतरी है।

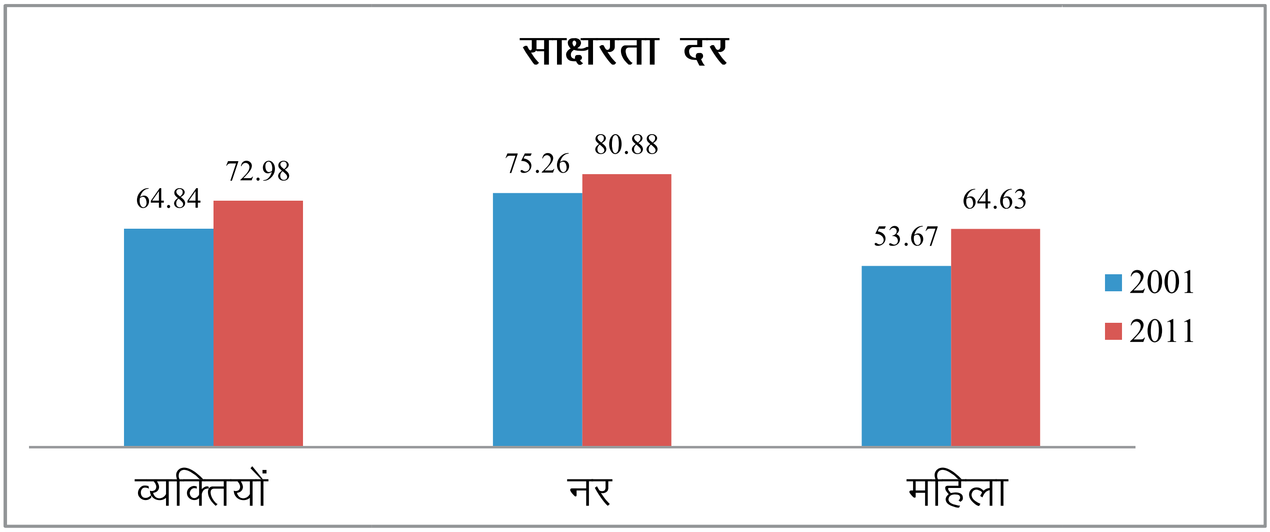

साक्षरता के स्तर विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में अभी भी असमान है। जबकि कुछ राज्यों ने विशेष साक्षरता अभियान के आरंभ तथा समुदायिक समर्थन से उच्च साक्षरता का स्तर हासिल कर लिया है, जबकि कुछ राज्य अभी भी पीछे चल रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता के स्तर में सुधार हुआ है, परंतु मुस्लिम समुदाय की साक्षरता का स्तर अभी भी काफी नीचे है। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करके असमानताओं को कम करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं।

लक्ष्य

प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य'प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उच्च गुणवत्ता और मानकों के माध्यम से पूरी तरह से साक्षर समाज की स्थापना करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

अधिदेश

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) को साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में

उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त स्कंध के रूप में स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रचालन एवं कार्यात्मक संगठन है तथा इससे प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित मानी गई अन्य गतिविधियों का संचालन करना भी अपेक्षित होता है। इस प्राधिकरण की विविधीकृत भूमिका में प्रौढ़ शिक्षा नीति एवं नियोजन, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन निगरानी, अनुसंधान और मूल्यांकन, समर्थन और पर्यावरण निर्माण, प्रौद्योगिकी लागू करना, क्षमता समर्थन निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रकाशन भी शामिल हैं।

संगठनात्मक ढांचा

एनएलएमए के दो मुख्य निकाय हैं नामतः परिषद तथा कार्यकारी समिति एलएनएमए परिषद में अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और उपाध्यक्ष मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। यह परिषद प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में किए गए सभी कार्यकलापों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हैं। एनएलएमए की कार्यकारी समिति (ईसी) के अध्यक्ष स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव भी है। एनएलएमए की कार्यकारी समिति, परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुसार एलएनएमए के सभी कार्यों का निर्वाह करती है। कार्य नीतिगत सूचना से संबंधित मुद्दों की संपूर्ण निगरानी के लिए मानवीय मानव संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कार्य नीति सूचना समूह का गठन किया गया है। संयुक्त सचिव (प्रौढ़ शिक्षा) तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कार्यनीति सूचना कार्यान्वयन समूह भी गठित किया है जो सूचना कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

एनएलएमए को अपने अधिदेश के निर्वहन में सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) का गठन किया गया है। जो सामान्य प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, मास मोबाइजेशन, मूल्यांकन, आईसीटी आदि के क्षेत्र में इस मिशन की तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता करेगा।

नीति और योजना

11वीं योजना के दौरान साक्षर भारत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अल्प साक्षर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों पर मुख्य रूप से ध्यान संकेद्रित करने के उद्देश्य से सिंतबर, 2009 में आरंभ किया गया था। यह गुणवत्ता पर बल देता है। बड़े पैमान पर देश भर के पर्यावरण निर्माण एवं जन संघटन अभियान स्वैच्छिक शिक्षकों/प्रेरकों को बड़ी संख्या में प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया है और इससे समाज में सक्रियता आई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने और महिला–पुरूष अंतर को 10 प्रतिशत से कम करने के लिए प्रयास करेगा। साक्षर भारत युवा वयस्कों और स्कूल छोड़ चुके किशोरों पर विशेष रूप से ध्यान संकेद्रित करेगा। इसी दौरान न केवल साक्षरता को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है बल्कि आदर्श परिवर्तन की ओर उन्मुख होते हुए बुनियादी साक्षरता से जीवन–पर्यन्त अधिगम की ओर बढ़ने की भी आवश्यकता है।

शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण दो योजनाओं को लागू कर रहा है नामतः साक्षर भारत मिशन और प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहयोग।

साक्षर भारत

साक्षर भारत (एसबी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया संस्करण है जिसका शुभारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 8 सितंबर 2009 को किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 11वीं योजना अवधि के समाप्ति अर्थात 31.3.2012 तक प्रचलन में थी, अब साक्षर भारत कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए बढ़ा दिया गया है।

उद्देश्य

इस मिशन के चार व्यापक उद्देश्य हैं, नामतः

i. कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना और निरक्षर तथा गणित न जानने वाले प्रोंढों को कार्यात्मक अक्षर ज्ञान एवं अंकगणित का ज्ञान प्रदान करना।

ii. नव–साक्षर प्रौढ़ों को उनकी बुनियादी साक्षरता से अधिक अध्ययन जारी रखने के लिए सक्षम बनाना और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की समकक्षता प्राप्त करना।

iii. निरक्षर तथा नव–साक्षरों के लिए संबंधित कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रसार करना ताकि उनके आय अर्जन तथा जीवन यापन की शैली में सुधार हो।

iv. नव–साक्षर प्रौढ़ों को शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करते हुए अध्ययनरत समाज को प्रोत्साहन देना।

घटक

इस कार्यक्रम के घटक हैः i. आजीवन–शिक्षा ii. औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समकक्षता के माध्यम से बुनियादी शिक्षा iii. व्यावसायिक कौशल विकास और iv. कार्यात्मक साक्षरता।

कवरेज

साक्षर भारत के अधीन एक जिला जिसमें पूर्व जिले में से काटकर एक नए जिले को शामिल किया गया हो तथा जिसकी प्रौढ़ महिलाओं की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी, उसे शामिल करने के लिए पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूईए) सभी जिले, साक्षरता दर पर ध्यान दिए बगैर इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने के पात्र हैं। तदनुसार 410 जिलों को इस प्रकार शामिल किए जाने के योग्य माना गया है जिसमें 35 एलडब्ल्यूईए जिले शामिल हैं। वर्ष 2009–10 के दौरान 167 जिले शामिल किए गए थे। वर्ष 2010–11 के दौरान 115 जिले मंजूर किए गए थे और वर्ष 2011–12 के दौरान 90 अन्य जिलों को मंजूरी प्रदान की गई थी। दिसंबर, 2015 के अंत तक इस कार्यक्रम में 26 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में 397 जिले शामिल हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान प्रगति

1. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

अनेक ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय, वाचनालय, जागरूकता जैसी सतत शिक्षा सुविधाएं और इन पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों की जीवन–यापन और खर्च संबंधी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए इन ग्राम पंचायतों में 1,52,902 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कुछ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता कक्षाएं भी आयोजित की जा रही है।

2. पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा अब तक लगभग 35.64 लाख स्वैच्छिक शिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं तथा संसाधन व्यक्तियों द्वारा भी 2.18 लाख मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 12 हजार संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। एईसी में कार्यकलाप आयोजित करने के लिए 2.65 लाख प्रेरकों को भी अनुस्थापना और प्रशिक्षण दिया गया है।

3. साक्षरता– प्रवेशिकाओं का वितरण

एआरसी ने विभिन्न भाषाओं में प्रारंभिक साक्षरता प्रवेशिकाएं तैयार की हैं। ये प्रवेशिकाएं भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय की गुणवत्ता आश्वासन समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं। एसएलएम ने बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम में उपयोग।

4. शिक्षण अधिगम कार्यकलाप व मूल्यांकन तथा बुनियादी साक्षरता– प्रमाणन

देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 45 लाख साक्षरता अधिगम केन्द्र काम कर रहे हैं। अगस्त, 2015 तक बुनियादी साक्षरता के अन्तर्गत लगभग 60.34 मिलियन शिक्षु नामांकित किए गए हैं। प्रौढ़ों के वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा सक्षमता स्तरों को ऐसा प्रमाणन भारत के साक्षरता आंदोलन के इतिहास में पहली बार शुरू किया गया जो एक अनूठा नवाचार है। केवल वही प्रौढ़, जो पठन, लेखन के व संख्यात्मकता के निर्धारित सक्षमता स्तरों के अनुरूप हो को साक्षर के रूप में प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) द्वारा विकसित प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के परामर्श से किए जाते हैं। शिक्षुओं का मूल्यांकन पठन, लेखन व अंकगणितीय कौशलों में किया जाता

है। ये मूल्यांकन सामाजिक मुद्दों व किसी के कार्य जीवन के वातावरण सहित शिक्षा की सामान्य जागरूकता को मापने के लिए तैयार किया जाता है। वे शिक्षु, जो सभी तीनों घटकों में क्रमशः 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, सफल घोषित किए जाते हैं तथा उन्हें एनएलएमए और एनआईओएस द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र दिए जाते हैं।

असफल रहने वाले उम्मीदवारों को उन कौशलों में अपनी श्रेणी–सुधार के लिए आगे और अवसर दिए जाते हैं, जिसमें वे सफल नहीं रहे होते। इस प्रकार का मूल्यांकन नव–साक्षरों का विश्वास बढ़ाता है और उनके लिए सुअवसर कार्यक्रम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है। हर वर्ष अर्द्ध वार्षिक मूल्यांकन किए जाते हैं।

एनआईओएस द्वारा आयोजित अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षण ों में लगभग 49.89 मिलियन शिक्षु सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित मूल्यांकन परीक्षण में मार्च, 2015 तक लगभग 36.57 मिलियन शिक्षु (26.21 मिलियन महिलायें सहित) उत्तीर्ण चुके हैं और साक्षर प्रमाणित किए जा चुके हैं। 36.57 मिलियन प्रमाणित साक्षर शिक्षुओं में से 8.63 मिलियन (23.65%), अ.जा. 4.64 मिलियन (12.72%) अ.ज.जा. तथा 3.02 मिलियन (लगभग 8.29%) अल्पसंख्यक थे। इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2015 में आयोजित पिछली मूल्यांकन परीक्षा में 120 लाख शिक्षु सम्मिलित हुए हैं और सफल शिक्षुओं का परिणाम तैयार किया जा रहा है। अगली मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन मार्च, 2016 में होना निश्चित हुआ है।

निधि की उपयोगिता

वित्त वर्ष के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 450.00 करोड़ रूपए का बजट रखा गया था जिसमें से 227.81 करोड़ रूपए की धनराशि एसएलएमए को 15 दिसम्बर, 2015 तक साक्षर भारत कार्यक्रम–कार्यान्वयन के लिए जारी की गई।

समर्थन तथा वातावरण निर्माण

विज्ञापन एवं प्रचार

वर्ष 2015–16 के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार एकक के अन्तर्गत बड़े कार्यकलाप साक्षर–भारत कार्यक्रम की जमीनी–सक्रियता के लिए अन्तर्वैयक्तिक मीडिया अभियान पर केन्द्रित थे। हालांकि, साक्षर भारत कार्यक्रम की परिकल्पना सुसंगत, सम्बद्ध और आकर्षित कार्यक्रम के रूप में की गई थी फिर भी, वातावरण निर्माण गतिविधियों के तमाम प्रयासों के बावजूद यह कार्यक्रम लघु रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और तरीके से तैयार किए गए कार्यक्रम और कार्यान्वित किया जा रहे कार्यक्रम में व्यापक खाई बनती जा रही है। अन्तर्वैयक्तिक मीडिया अभियान में परिचालन स्तर पर कार्यान्वयन एजेन्सियों के सक्रिय समर्थन व सहयोग से साक्षर भारत मिशन के निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य सभी अंशधारकों, के बीच खासकर ग्राम पंचायत स्तर पर, साक्षर भारत को दर्शन, भावना और वैचारिक संकल्पना को मजबूती प्रदान करना है। इस अभियान का आशय ब्रांड इक्विटी बढ़ाना भी है।

विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सहक्रियाशीलता की महता और आवश्यकता को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित विषयों पर अभिमुखी सूचना देना प्रस्तावित हैः (1) वित्तीय साक्षरता (2) विधिक साक्षरताः कर्तव्य, अधिकार व पात्रता, (3) मतदाता साक्षरता तथा (4) साक्षर भारत की प्रस्तुतियां। इस अभियान से जुड़े कुछ बड़े कार्यों में सम्मिलित हैंः– (क) आईईसी सामग्रियों का विकास और (ख) साक्षरता कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण।

प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

8 सितम्बर, 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर "वित्तीय समावेशन व सामाजिक सुरक्षा सम्मिलित करने के लिए साक्षरता कार्यक्षेत्र का विस्तार" सफल कथाओं पर पॉच मिनट की अवधि की एक लघु फिल्म निर्मित और प्रदर्शित की गई थी। देश के लघु, मध्यम व बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए थे। 7 पूर्वोत्तर और 16 गैर–पूर्वोत्तर राज्यों की 14 भाषाओं में शिक्षु के मूल्यांकन का ऑडियो प्रसारित किया गया था। दस हिन्दी भाषी राज्यों के दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता पर दो वीडियो स्पॉट 'तारीक व विमला' प्रसारित किए गए। कार्यक्रम के प्रोत्साहन तथा शिक्षुओं की गतिशीलता के लिए वर्ष के दौरान डिजिटल सिनेमा थिएटरों, रेल टिकटों के पीछे विज्ञापन छापने और

उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसों पर विज्ञापनों के जरिए भी प्रचार अभियान शुरू किए गए थे।

विशेष पहलें

निर्वाचन संबंधी साक्षरताः

निर्वाचक साक्षरता के भाग के रूप में की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एनएलएमए और निर्वाचन आयोग के बीच 21.05. 2013 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। जो, निर्वाचन साक्षरता से संबंधित सभी कार्यकलापों को संयुक्त रूप से विभिन्न उद्देश्यों के साथ उठाने में शामिल हैं। (क) जीपी की मतदाता सूचियों में महिलाओं व युवाओं का 100 प्रतिशत नामांकन तथा (ख) जीपीएस में सभी निर्वाचन प्रक्रियाओं में मतदान प्रतिशतता बढ़ाना।
- विशेषज्ञों की सहायता से हिन्दी में पैरोकारी व प्रशिक्षण की आईईसी सामग्रियां तैयार की गईं।

वित्तीय साक्षरताः

वित्तीय साक्षरता के भाग के रूप में शुरू की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- एनएलएमए द्वारा शुरू किए गए अन्तर्वैक्तिक मीडिया अभियान में संयुक्त सरकारी सूचना के लिए चयनित विषयों में एक विषय वित्तीय साक्षरता है।
- **एनएलएमए द्वारा प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई)** के अन्तर्गत एक करोड़ से अधिक साक्षर भारत के लाभार्थियों को अपने बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित और तैयार करने के लिए 17 साक्षर भारत राज्यों में विशेष अभियान शुरू किया गया।
- एनएलएमए ने **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)** के लिए सुरक्षा बंधन अभियान में भाग लिया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों, राज्य संसाधन केन्द्रो और जनशिक्षण संस्थानों ने 1.02 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

विधिक साक्षरताः

विधिक साक्षरता के भाग के रूप में शुरू की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- विधिक साक्षरता पर आईईसी सामग्रियां तैयार की गई हैं तथा इन्हें एसएलएमए व एसआरसी को परिचालित करने से पहले इनका विधि विभाग से पुनरीक्षण कराया गया।
- विधिक साक्षरता सामग्रियों की विषय–वस्तुओं में सम्मिलित हैं: अधिकार, कर्तव्य और पात्रताएं, लिंग–पहचान के विरूद्ध कानून, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, महिलाओं के यौन–उत्पीड़न के खिलाफ कानून, दहेज के विरूद्ध कानून, अ.जा., अ.ज. जा. के प्रति अत्याचारों की रोकथाम, वनवासियों और जनजातियों के अधिकार तथा शिक्षा का अधिकार आदि।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के साथ साक्षर भारत का सुयोजन

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा संसद सदस्यों द्वारा अपनाई गई ग्राम पंचायतों के समग्र विकास की बुनियादी सुख–सुविध ााओं व अवसरों को ग्रामीण भारत की गुणवत्ता युक्त पहुंच के साथ उपलब्ध कराने के लिए 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) शुरू की गई थी। 'प्रौढ़ साक्षरता' की एक आर्दश ग्राम के मानवीय विकास के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक के रूप में पहचान की गई है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि साक्षर भारत जिलों के आदर्श ग्रामों में प्रौढ़ साक्षरता गतिविधियां सम्मिलित करने के लिए उन्हें कार्यक्रम की गतिविधियों से जोड़ा जाए। तद्नुसार, साक्षर भारत राज्यों के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारियों से अपने राज्यों के साक्षर भारत जिलों में ऐसे आदर्श ग्रामों को प्रौढ़ साक्षरता गतिविधियों में प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार, जन शिक्षण संस्थानों को यह सलाह भी दी गई थी कि स्थानीय/बाजार मांग के अनुसार रोड़ मैप तैयार करें तथा अपने क्षेत्राधिकार के आदर्श ग्रामों में कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करें ।

यह संकल्प किया गया है कि साक्षर भारत क्षेत्रों में एसएजीवाई के अंतर्गत अपनाई गई सांसद ग्राम पंचायतों में समयबद्ध तरीके से 100% साक्षरता लक्ष्य अर्जित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। यह लक्ष्य समयबद्ध पद्धति से ऐसे आदर्श ग्रामों

में चल रही प्रौढ़ साक्षरता गतिविधियों को गति देने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) तथा संबद्ध राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से अर्जित किया जाएगा। एसएलएमए से आदर्श ग्रामों के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को अपेक्षित अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराने तथा पहचान किए गए गैर साक्षरों को मार्च, 2016 में आयोजित की जाने वाली साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संघटित/प्रेरित किया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

एसएजीवाई के अन्तर्गत अब तक साक्षर भारत जिले की 408 ग्राम पंचायतों को आदर्श ग्रामों के रूप में अपनाया गया है। एसएलएमए से इन आदर्श ग्रामों में प्रौढ़ साक्षरता गतिविधियों की प्रगति की गहराई से निगरानी करने तथा साक्षरता का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। एनएलएमए तथा इसकी एजेन्सियों अर्थात जन शिक्षण संस्थान व राज्य संसाधन केन्द्रों को आदर्श ग्रामों की कार्यनीति को कार्यान्वित करने का कार्य दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता संबंधी योजना

स्वैच्छिक सेवा क्षेत्र के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के क्रम में एक संशोधित योजना, नामतः प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता संबंधी योजना 1 अप्रैल 2009 से आरंभ की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्रों की सरकार द्वारा साक्षर भारत की समग्र छत्रछाया में वयस्कों के लिए कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास तथा निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में विस्तृत तथा गहन भागीदारी को बनाए रखना है। राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षण संस्थानों और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता नामक इस योजना के तीन प्रमुख घटक हैं जिन्हें योजना के मानदंडों के अनुसार आवर्ती तथा अनावर्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी)

राज्य संसाधन केन्द्र के लिए सामग्री एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास एवं उत्पादन के माध्यम से प्रोढ़ों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना तथा निरंतर शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित है। एसआरसी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: (क) साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अध्ययन तथा प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना (ख) प्रौढ़ शिक्षा के लिए साहित्य का उत्पादन और प्रसार (अनुवाद सहित) (ग) साक्षरता कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (घ) प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रेरक और परिवेश निर्माण संबंधी गतिविधियों को चलाना (ड.) मल्टीमीडिया कार्य (च) क्षेत्रीय कार्यक्रमों को चलाना (छ) साक्षरता परियोजनाओं की कार्रवाई का अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी करना (ज) साक्षरता कार्यक्रमों की भावी आवश्यकताओं की पहचान के लिए नवाचारी परियोजनाएं शुरू करना। इस समय 32 एसआरसी चल रहे हैं। एसआरसी का 'क' और 'ख' नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और वे क्रमशः 100 लाख रूपए तथा 70 लाख रूपए तक वार्षिक अनुदान के पात्र हैं।

वर्ष 2014–15 की वार्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एसआरसी के निदेशकों की 17–18 अप्रैल, 2015 को वार्षिक बैठक तथा वर्ष 2015–16 की कार्ययोजना की वार्षिक बैठक हुई।

वर्ष के दौरान देश में कार्यरत 32 एसआरसी ने पूरे देश में साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलाप आरंभ किए। सांसद आदर्श ग्राम में 100% साक्षरता की उपलब्धि की सुविधा के लिए विशिष्ट कार्य इन एसआरसी को दिया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा सांसद आर्दश ग्राम में एसआरसी के नियमित पहलों की निगरानी की जा रही है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) गैर– साक्षरों, नव साक्षरों, प्रौढ़ों के साथ–साथ स्कूल बीच में छोड़ देने वालों को ऐसे कौशलों की पहचान करते हुए निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण देता रहा है जिनका उनके स्थापना के क्षेत्र में बाजार है। कुल संस्वीकृत 271 जेएसएस में से इस समय केवल 252 ही कार्य कर रहे हैं और शेष या तो कार्यरत नहीं है या रद्द कर दिए गए हैं।

जेएसएस तीन श्रेणियों 'क' 'ख' और 'ग' में श्रेणीबद्ध हैं और क्रमशः 40 लाख, 35 लाख व 30 लाख रूपए तक के वार्षिक अनुदान के हकदार हैं। जिनमें कटिंग–टेलरिंग, सौन्दर्य एवं स्वास्थ्य देखभाल, फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल रिपेयर, सॉफ्ट खिलौना निर्माण, कृषि व सहायक पाठ्यक्रम, कुटीर उद्योग पाठ्यक्रम, हस्तशिल्प, बेकरी और कन्फेक्शनरी, वस्त्र प्रौद्योगिकी, चर्म

प्रौद्योगिकी आदि सहित लगभग 450 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पोर्टल पर अपलोड जेएसएस आंकड़ों के अनुसार 2014–15 के दौरान 4.39 लाख लाभार्थियों नें व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं। इसमें क्रमशः 3.94 लाख (89.90 प्रतिशत) महिलाएं. 1.28 लाख (29.21 प्रतिशत) अजा. और 0.69 लाख (15.63 प्रतिशत) अ.ज.जा. शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015–16 में (29.12. 2015 तक) जेएसएस द्वारा संचालित विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम में कुल 2.72 लाख लाभार्थी कवर किए गए हैं।

राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्य ढ़ांचा (एनएसक्यूएफ) के साथ जेएसएस द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सुयोजन के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेन्सी तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं।

जेएसएस की 2015–16 की वार्षिक कार्य योजना में एनएसक्यूएफ अनुपालनकर्ता व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आरम्भ करने के संबंध में एनआईओएस व डीजीईएण्डटी के साथ बैठकें की गईं। जेएसएस द्वारा 2015–16 के दौरान संचालित किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची को अन्तिम रूप दिया गया तथा कार्य–योजना में समावेशन के लिए जेएसएस और इसे जेएसएस के पोर्टल पर अपलोडिंग के लिए एनआईसी को भेजा गया।

चालू वित्त वर्ष अर्थात 2015–16 के दौरान प्रौढ़ व कौशल विकास (एसआरसी और जेएसएस के लिए अनुदान) के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता की योजना के लिए 75.00 करोड़ रूपए के कुल बजट प्राक्लन में से 10 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 66.70 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई।

लाभार्थियों के चयन में, महिलाओं, अ.जा., अ.ज.जा.अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

पौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है। यह देश में प्रौढ़ शिक्षा व साक्षरता कार्य्रक्रमों के राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तत्वाधान में समय–समय पर प्रारंभ किये गए कार्य्रक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यावसायिक अकादमिक व तकनीकी संसाधन सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करता है। यह निदेशालय शिक्षण–अधिगम सामग्रियां तैयार करता है, प्रशिक्षण व अभिमुखी कार्यक्रमों का आयोजन करता है, मीडिया सामग्री–निर्माण, सभी प्रकार के मीडिया के उपयोग, शिक्षु–मूल्यांकन, कार्य–निरीक्षण करना और प्रौढ़ शिक्षा व कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य संसाधन केन्द्रों और जन शिक्षण संस्थाओं को परामर्श देता है। वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए मुख्य कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस (आईएलडी) 2015 समारोह

8 सितंबर 2015 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार ने समारोह की अध्यक्षता की। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के निदेशक और सदस्य सचिवों, एसआरसी के निदेशकों, जेएसएस और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

साक्षर भारत पुरस्कार

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य, जिलों, ग्राम पंचायतों, राज्य संसाधन केन्द्र और जन शिक्षण संस्थान को साक्षर भारत पुरस्कार 2015 प्रदान किए।

पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची नीचे दी गई है:

उत्कृष्ट राज्य	एसएलएमए, तमिलनाडु
उत्कृष्ट जिले (जेएलएसएस)	बस्तर (छत्तीसगढ़)
	धर्मपुरी (तमिलनाडु)
	हवेरी (कर्नाटक)
उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें (जीएलएसएस)	पलामलाई, सलेमजिला, तमिलनाडु;
	गिरौद, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़;
	अंकीरेड्डीगुडम, नालगाण्डा जिला, तेलंगाना;
	खंग्गाबोक्क, भाग–।। थोबल जिला, मणिपुर;
	पूसरलापाडु श्रीकाकुलम जिला, आंध्रप्रदेश
संसाधन सहायता संगठन	राज्य संसाधन केन्द्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
	जन शिक्षण संस्थान,इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश

क्षमता निर्माण

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने भारतीय स्टेट बैंक, तिरूपति के सहयोग से राज्य संसाधन केन्द्रों के कार्यक्रम समन्वयकों के लिए वित्तीय साक्षरता पर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया है। निर्वाचन आयोग के सहयोग से बिहार के जिला समन्वयकों के लिए पटना में निर्वाचक साक्षरता पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, और पूर्वोत्तर राज्यों में रायपुर, रांची और गुवाहाटी में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के लिए साक्षर भारत के विभिन्न घटकों के बारे में क्षमता–निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

★★★★★

अध्याय 07

उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

अध्याय 07

उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

उच्चतर शिक्षा प्रणाली– उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विकास का सांख्यिकीय सिंहावलोकन

संस्थाओं नामांकनों की संख्या/	2011–12 (11वीं योजना का समाप्ति वर्ष)	2014–15 (12वीं योजना का तीसरा वर्ष)
विश्वविद्यालय (केन्द्रिय/राज्य/निजी/राज्य विधानमंडल के अन्तर्गत स्थापित संस्थाएं	585#	760
कॉलेज	35539#	38498
एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थाएं	13507	
दूरस्थ शिक्षण विश्वविद्यालय/संस्थाएं	200*	363
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन (लाख में)	203.27#	315.6^
मुक्त दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) प्रणाली	38.56**	38.12 (in lakh)
पोस्ट–स्कूल डिप्लोमा/पीजी डिप्लोमा में नामांकन	23.02**	27.23 (in lakh)
एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश	30.14	

स्रोतः यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2011–12
^ एआईएसएचई व यूजीसी के पिछले वर्षों के आकडों पर आधारित अनन्तिम सांख्यिकीय आकड़े/ आकलन

एआईसीटीई वार्षिक रिपोर्ट 2011–12 // उच्चतर व तकनीकी शिक्षा सांख्यिकी 2009–10 (अनन्तिम)//' दूरस्थ पद्धति के माध्यम से दी जा रही शिक्षा के मानकों के नियमन के उपाय सुझाने के लिए प्रो.एन.आर.माधव मेनन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2009–10 का स्तर दोहराया गया//**अनुमानित।

भारत में आजादी की प्राप्ति से ही उच्चतर शिक्षा के विकास की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आजादी के समय केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे। विश्वविद्यालयों के मामलों में ये संख्या 38 गुना (अर्थात 760) और कॉलेजों के मामले में 77 गुना (अर्थात 38498) बढ़ी है। इसी प्रकार नामांकन में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। शैक्षिक वर्ष 2014–15 में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की औपचारिक प्रणाली में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 315.6 लाख बताई गई है। ऊपर, उच्चतर शिक्षा प्रणाली का सांख्यिकीय सिंहावलोकन दर्शाता है कि आजादी के समय से ही संस्थाओं (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, तकनीकी संस्थाओं) के साथ प्रवेश, नामांकन आदि में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

उच्चतर शिक्षा में नामांकन– तुलनात्मक अध्ययन

क) वर्ष 2011–12 और वर्ष 2014–15 (12वीं योजना के तीसरे वर्ष की समाप्ति) के बीच संकायवार नामांकन का तुलनात्मक अध्ययन।

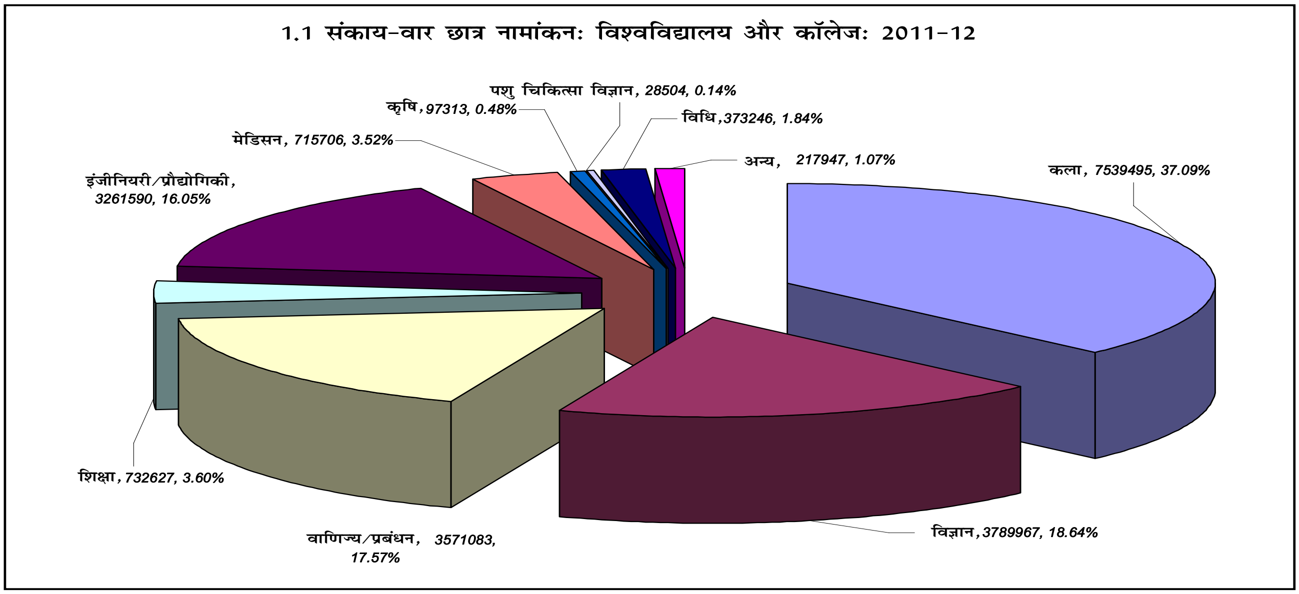

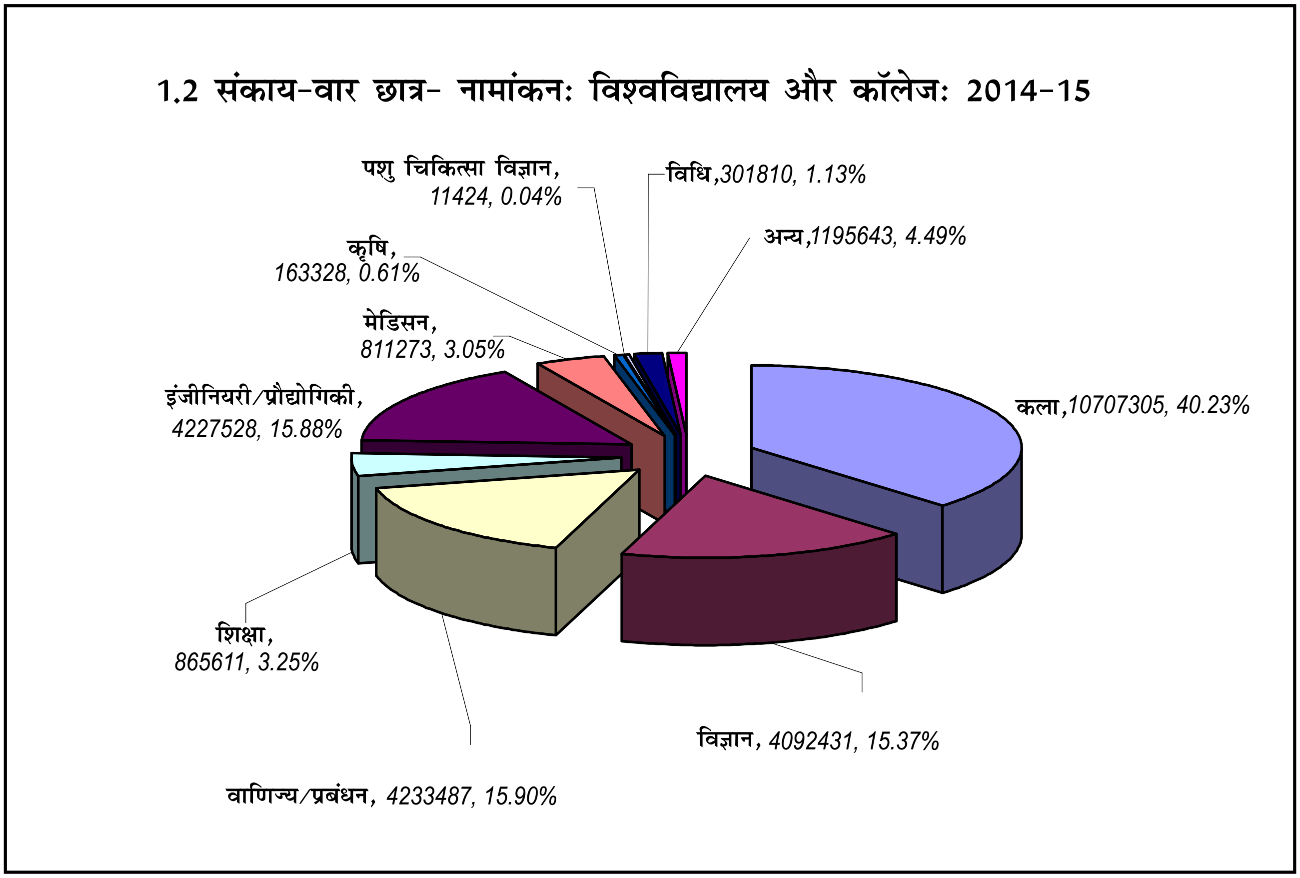

वर्ष 2011–12 व 2014–15 में उच्चतर शिक्षा का संकायवार नामांकन (चित्र 1.1 और 1.2) दर्शाता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान सभी संकायों में छात्र–नामांकन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2014–15 के दौरान कुल नामांकन में कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, शिक्षा, इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी, मेडिसिन, कृषि, विधि एवं अन्य संकायों में छात्र–नामांकन क्रमशः 40.23%, 15.37%, 15.90%, 3.25%, 15.88%, 3.05%, 0.61%, 0.04%, 1.13%और 4.49% 1.19% है।

2.1: स्तर–वार छात्र–नामांकन: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय कॉलेज तथा संबद्ध कॉलेज: 2011–12

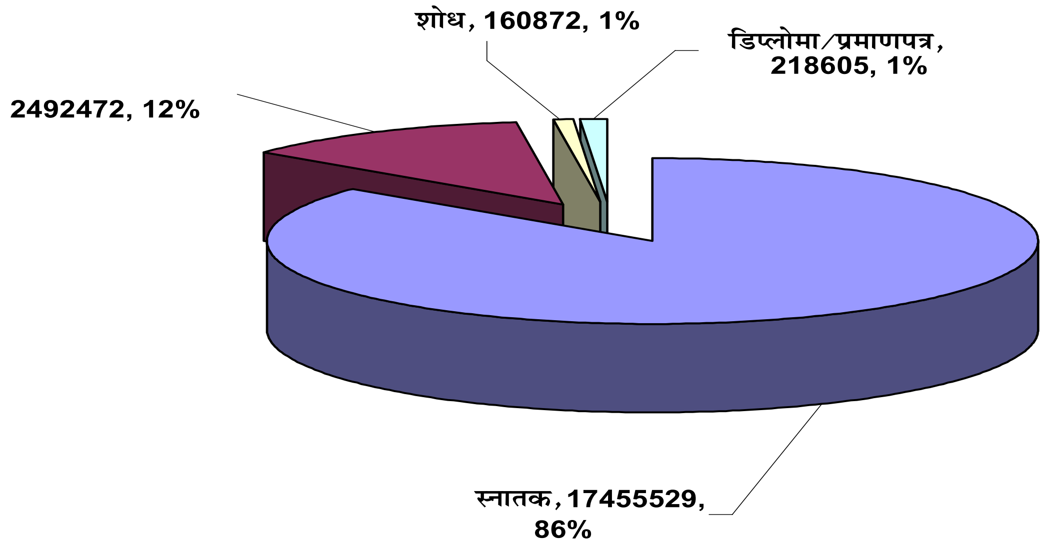

2.2: स्तर–वार छात्र–नामांकन: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/विश्वविद्यालय, कॉलेज व सबद्ध कॉलेज: 2014–15

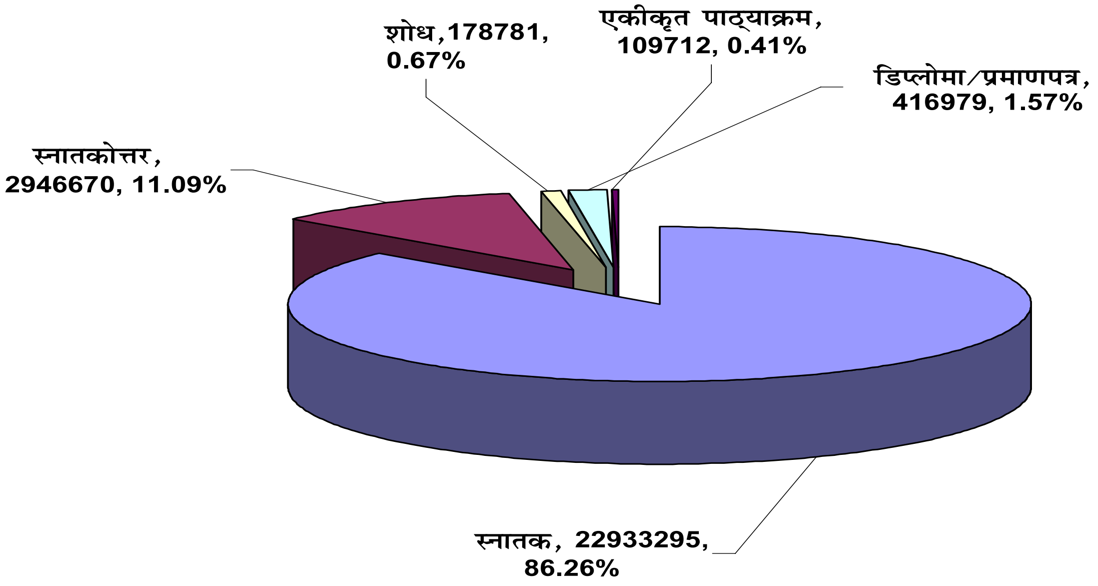

वर्ष 2011–12 व 2014–15 में उच्चतर शिक्षा के स्तर वार नामांकन (चित्र 2.1व 2.2) का तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों का नामांकन क्रमशः 55.55% और 53.71% बढ़ा है तथा यह एकीकृत पाठ्यक्रमों को छोड़कर है, जो कुल नामांकन का 0.44% है। इस अवधि में नामांकन में कुल 58.30% की वृद्धि रही है।

भारत–जर्मन उच्चतर शिक्षा भागीदारी (आईजीपी) पर विश्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) भारत और जर्मन एकेडमिक एक्सेंज सर्विस (डीएएडी) के बीच हैदाबाद हाउस, नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2015 को समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। चित्र में दाये से प्रो. वेद प्रकाश, अध्यक्ष,यूजीसी और प्रोफेसर (डॉ.) मुखर्जी,उपाध्यक्ष डीएएडी दिखाई दे रहे हैं।

प्रो. वेद प्रकाश, अध्यक्ष यूजीसी नई शिक्षा नीति (एनईपी) पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 11 अगस्त, 2015 को हुई बैठक में भाषण देते हुए

विश्व शैक्षिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन): उच्चतर शिक्षा का विश्व शैक्षिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन) एक कार्यक्रम है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव जुटाने के लिए 30 नवम्बर, 2015 को शुरू किया गया ताकि, छात्रों और संकाय को विश्व भर के श्रेष्ठ अकादमिक व उद्योग–विशेषज्ञों के साथ ताल मेल बैठाने में समर्थ बनाया जा सके।

इस कार्यक्रम के तहत अन्तर्राष्ट्रीय संकाय एक भारतीय संस्था में एक या दो सप्ताह का पाठ्यक्रम आयोजत करेगी। ऐसे प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कुल अनुमत व्यय की अधिकतम सीमा 12–14 घंटों के पाठ्यक्रम के लिए 8000 डॉलर तथा 20–28 घंटों के पाठ्यक्रम के लिए 12000 डॉलर है।

विभिन्न पाठ्यक्रमों को अन्तिम रूप और अनुमोदन देने तथा बजट आवंटन पर निर्णय देने के लिए भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में जीआईएएन समिति गठित की गई है। 31 मार्च, 2016 तक देश की 160 से अधिक संस्थाओं से 1248 पाठ्यक्रम प्रस्ताव प्राप्त हुए हें जिसमें से 403 पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं। श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आर्कषित करने के लिए 40 से अधिक देशों के साथ सहयोग चल रहा है। स्थानीय व राष्ट्रीय जीआईएएन (ज्ञान) पोर्टल तथा नेशनल डिजिटल लाईब्रेरी के जरिए बाद में अन्यों देखे जाने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों को ऑन–लाइन और/अथवा उनका वीडियो रिकार्ड करके सम्प्रेषण द्वारा किए जाने की आशा है।

उन्नत भारत अभियान (यूबीए): मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नवम्बर, 2014 में कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ किया गया था जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की प्रभावी मदद से धारणीय ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में तेजी लाना है। यूबीए का विजन और ध्येय निम्नानुसार है:–

यह एक समावेश भारत का स्थापत्य निर्माण में सहायता के लिए ज्ञान संस्थाओं का लाभ उठाते हुए ग्रामीण विकास कार्यों में परिवर्तनकारी– परिवर्तन के विजन से प्रोत्साहित है। कार्य को पूरा करने के लिए इसकी उस अभियान के रूप में अवधारणा की गई है। जो धारणीय विकास में गति लाने के लिए भागीदारी प्रक्रिया और समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण भारत की विकासीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्थानीय समुदायों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को जोड़ती है।

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी नई दिल्ली में 19 जून 2015 को 'उन्नत भारत अभियान' की शीर्ष समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए

यूबीए के तहत देश के पेशेवर और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज विचार के अनुरूप आत्मनिर्भर और धारणीय गांव समूहोंके विकास में शामिल होना है।

देश में यूबीए कार्यकलापों के लिए 44 संस्थाओं और 89 जिलो की पहचान की गई है जहां उच्चतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा कार्य किए जाएंगे। ये उच्चतर शिक्षण संस्थाएं केन्द्र/राज्य सरकार विभाग के निकट सानिध्य में कार्य करते हैं

जो ग्रामीण विकास, पंचायती राज, उर्जा, पेयजल/स्वच्छता, स्वास्थ्य, कपड़ा और कृषि को कवर करते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी संस्थान उस संस्थान के प्रमुखकी अध्यक्षता में यूबीए सेल की स्थापना कर सकता है। इस संबंध में आईआईटी दिल्ली सभी संस्थाओं के प्रयासों का समन्वय करेगी।

विधायी और नीतिगत सुधारः मौजूदा चुनौती का सामना करने तथा उच्चतर शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना करने के लिए अनेक विधायी और नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं जिनमें सम्मिलित हैं:

आईआईआईटी अधिनियम, 2014 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–।। खण्ड 1 (2014 का अधिनियम 30) में 8 दिसम्बर, 2014 को अधिसूचित किया गया था तथा 5 जनवरी, 2015 से लागू हुआ। इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कॉचीपुरम स्थित चारों मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईआईटी को संविधिक दर्जा देने और उन्हें एक छत के नीचे लाना है।

इम्प्रिंट

माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकासमंत्री द्वारा 5 नम्बर 2015 को शुरू किया गया। प्रभावी अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (इम्प्रिन्ट) सरकार की अग्रणी राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को समावेशी विकास और आत्मनिर्भर बनने में समर्थ, सशक्त और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चयनित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में ज्ञान का व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में अतंरण (उत्पाद या प्रक्रिया) करते हुए राष्ट्र के समक्ष अत्यधिक तर्कसंगत इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान और उसमें उपाय सुझाना है यह अनुसंधान के लिए एक कार्यनीति तैयार करने में आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है।

मा. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी एवं अन्य – इम्प्रिन्ट इंडिया ब्राउजर के विचोचन पर

इंप्रिन्ट पहल के फोकस हेतु पहचान किये गये डोमेन क्षेत्र हैं– (1) स्वास्थ्य देखभाल (2) उर्जा (3) धारणीय आवास (4) नैनो टेक्नॉलॉजी हार्डवेयर (5) जल संसाधन और नदी प्रणाली (6) एडवांस्ड मैटीरियल (7) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (8) उत्पादन (9) सुरक्षा और रक्षा और (10) पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन

आईआईटी कानपुर इस पहल का राष्ट्रीय समन्वयक है। इम्प्रिन्ट के तहत अनुसंधान सहायता के लिए समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च, 2016 को 25 प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षरित किए गए।

ईशान उदय– पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के उच्चतर शिक्षा के प्रोत्साहन के संबंध में विशेष पहल की है। यूजीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए और सकल नामांकन दर (जीईआर) में सुधार करने और उच्चतर शिक्षा के संवर्धन के लिए ''ईशान उदय'' नामक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। मेडिकल और पैरा–मेडिकल सहित सामान्य डिग्री, तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2014–15 के आरम्भ से प्रतिवर्ष 10,000 नई छात्रवृत्तियां देने पर विचार किया जाता है।

वे छात्र, जो पूर्वोत्तर के मूल निवासी हैं और जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के दायरे में स्थित सीबीएसई, आईसीएससी, एनआईओएस स्कूल सहित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड के माध्यम से कक्षा XIIवीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में या बाहर यूजीसी अधिनियम की धारा 2 (च) के अन्तर्गत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थाओं में मेडिकल व पैरा–मेडिकल पाठ्यक्रम (एकीकृत पाठ्यक्रमों) सहित सामान्य डिग्री, तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिला है, केवल वे ही इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने के पात्र होंगे बशर्ते; उनके माता पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रूपए से अधिक न हो। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए लाभार्थी छात्रों को सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिमाह 5400 रूपए तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (मेडिकल और पैरा–मेडिकल सहित) के लिए 7800 रूपए की धनराशि प्रतिमाह दी जाएगी।

ईसान विकासः ईसान विकास पूवोत्तर राज्यों से चुनिंदा स्कूली छात्रों को उनकी अवकाश अवधि में आईआईटी,

आईआईएसईआर और एनआईएए के निकट सम्पर्क में लाने की एक व्यापक योजना है ताकि उन्हें विज्ञान,प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी व गणित के अध्ययन तथा पूर्वोत्तर राज्यों के इंजीनियरी छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न संस्थानों में इन्टर्नशिप के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जा सके।

संस्थाओं में गर्मी व सर्दी में आने वाले दो समूहों (प्रत्येक में 32 छात्र) में हर शैक्षिक सत्र में 2112 छात्र कवर किए जाएंगे। 14 स्कूली बच्चे और 36 इजीनियरी छात्र दिसम्बर, 2014 की पायलट परियोजना कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्कूली छात्रों को आईआईटी, गुवाहाटी जबकि इंजीनियरी छात्रों को आईआईटी बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी मद्रास और एनआईएएस में ठहराया गया। मई–जून, 2015 में 165 स्कूली छात्र, जिसमें विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों की 36 छात्राएं शामिल थीं, कार्यक्रम का हिस्सा बने। इसी के साथ–साथ पूर्वोत्तर राज्यों ने विभिन्न कॉलेजों के 93 इंजीनियरिंग छात्रों को विभिन्न आईआईटी में होस्ट किया गया था। सर्दी में 2015 में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 523 है।

शीर्ष स्तरीय निकाय

(क) विनियामक निकाय

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

यूजीसी एक संवैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा और शिक्षण, परीक्षा,अनुसंधान और विश्व विद्यालयों के विस्तार में समन्वय और मानकों को बनाए रखने के लिए की गई है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त, आयोग उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर केन्द्र व राज्य सरकारों को परामर्श भी देता है। यह नई दिल्ली मुख्यालय साथ ही साथ हैदराबाद, बंगलुरू, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल और पुणे स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।

यूजीसी की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम का निष्पादनः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में दी जा रही शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत आयोग द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान को संवितरित करता है। सामान्य विकास अनुदान केन्द्रीय, राज्य और समवत विश्वविद्यालयों को उनके समग्र विकास जिसमें विभिन्न घटक जैसे अभिगम्यता, समानता सुनिश्चित करना, सुसंगत शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता सुधार, प्रशासन को प्रभावी बनाना, छात्रों की सुविधाओं को बढ़ाना, अनुसंधान सुविधाओं और विश्वविद्यालय की अन्य योजनाओं को आरंभ करना शामिल हैं, अनुदान प्रदान करता है। सीमित संख्या में विश्वविद्यालयों को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के वेतन पर अनुवर्ती व्यय, प्रयोगशालाओं,पुस्तकालयों, भवनों के रख–रखाव और साथ ही अनिवार्य भुगतान जैसे कर, टेलिफोन और बिजली के बिल, डाकखर्च इत्यादि के लिए रख–रखाव अनुदान प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय और कुछ सम विश्वविद्यालयों को आयोजना और गैर–आयोजना अनुदान का भुगतान किया जा रहा है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों को केवल योजनागत अनुदान ही दिया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान शैक्षिक सुधारः उच्चतर शिक्षा के मानकों के निर्धारण और समन्वय करने के मुख्य कार्यकलाप के निर्वहन के तहत यूजीसी ने वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण विनियामक निर्णय लिये। आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली को अपनाने के दिशा–निर्देश दिये गये। आयोग ने संसद के एक अधिनियम के तहत डिग्री प्रदान करने की किसी विश्वविद्यालय या संस्थान की शक्तियों के तहत दी जा सकने वाली डिग्रियों की सूची को निर्दिष्ट किया है। इसके अतिरिक्त आयोग ने यूजीसी (विश्वविद्यालायों द्वारा दी जाने वाली जानकारी) विनियम, 2015 को अनुमोदित किया है। इन्हें केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अधिसूचित किया गया। आयोग ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) प्रणाली के अंतर्गत कार्यक्रमों के अनुमोदन हेतु लम्बित नवीन प्रस्तावों पर विचार किया और संस्वीकृति प्रदान की। आयोग ने यूजीसी अधिनिमय,1956 की धारा 12 (घ) के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय को चार वर्षीय अवरस्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) के निर्माण की समीक्षा/पुर्नविचार की सलाह देने का संकल्प किया। यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 में संशोधनों पर आयोग द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए यूजीसी **''उत्कृष्टता संभारयता विश्वविद्यालय''** की हैसियत प्रदान करने के लिए चिन्हित विश्वविद्यालयों की सहायता कर रहा है। योजना के तहत अब तक 15 विश्वविद्यालयों को चयनित किया गया है। मुख्य रूप से शिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और कॉलेजों में शोध परंपरा शुरू करने के लिए यूजीसी ''उत्कृष्टता संभारता विश्वविद्यालय'' की अपनी योजना के तहत पात्र कॉलेजों की सहायता कर रहा है। वर्तमान में 172 कॉलेज सीपीई हैसियत प्राप्त किए हैं और

14 कॉलेज सीई हैसियत प्राप्त किए है। 2014–15 के दौरान उत्कृष्टता हेतु क्षमता सहित कॉलेजों को कुल 51.93 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया था।

शोध में उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए और स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए **विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)** योजना के तहत बॉयोसाइंस, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान का विश्वविद्यालय विभाग की वित्तीय रूप से सहायता की जा रही है। 31.3.2015 को एसएपी समर्थित विभाग 863 थे। 2014–15 के दौरान विभिन्न स्तरों के विभागों की 31.26 करोड़ रूपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा (एनएसक्यूएफ) के तहत **कौशल विकास** प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कौशल विकास हेतु क्रेडिट कार्यढांचों को अपनाने हेतु विश्वविद्यालयों को सूचित किया गया था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक संकाय के पैनलबद्ध हेतु दिशा–निदेश भी अनुमोदित किए गए हैं। बी.वॉक के कार्यान्वयन और कौशल विकास हेतु सामुदायिक कॉलेज योजना के अतिरिक्त आयोग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में पंडित दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना भी अनुमोदित की है।

वर्ष 2014–15 के दौरान योजना के तहत कम लागत स्थानीय उच्च गुणवत्ता शिक्षा के लिए सामुदायिक कॉलेज योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत 157 सामुदायिक कॉलेज अनुमोदित किए गए थे। (16 विश्वविद्यालयों में और 141 कॉलेजों में) वर्ष 2014–15 के दौरान 35.89 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी।

बहु प्रविष्टि और निकासी विकल्प सहित बी.वॉक डिग्री योजना कार्यान्वित की जा रही है जैसे एनएसक्यूएफ के तहत डिप्लोमा/अग्रिम डिप्लोमा। योजना के तहत 127 विश्वविद्यालय और कॉलेज (20 विश्वविद्यालय + 107 कॉलेज) अनुमोदित किए गए तथा 2014–15 के दौरान 80.64 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया था।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एसआईसीटीई)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का उद्देश्य सम्पूर्ण देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वय विकास सुनिश्चित करना, योजनाबद्ध बहुआयामी विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा में बहुआयामी सुधार और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों की उचित देखरेख और उससे संबंधित मामलों की देखरेख करना है। उनमें निम्नलिखित पहल की हैं:

- एआईसीटीई ने 2015–16 को बढ़ाने और विद्यमान पाठ्यक्रमों में प्रवेश संख्या में वृद्धि करने के लिए एनबीए प्रत्यायन को अनिवार्य किया है। अधिक सुधार करने और हितधारकों के लाभ के लिए अनुमोदन प्रक्रिया नियम पुस्तिका 2016–17 में कुछ बड़े बदलाव किए हैं जैसे भूमि क्षेत्र में कमी, मेट्रो सीटी श्रेणी को शामिल करना, उद्योग से 20 प्रतिशत सहायक संकाय प्रावधान या प्रसिद्ध सेवानिवृत्त प्रोफेसर और कक्षा–कक्ष की संख्या में कम्प्यूटर टर्मिनल में कमी बैंड विडथ में वृद्धि सुरक्षा, पर्यावरण मानक।

- एआईसीटीई तकनीकी शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता लाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। विद्यमान 20 ऐसी योजनाओं के अतिरिक्त एआईसीटीई ने सितम्बर, 2015 माह के दौरान चार नई योजनाएं शुरू की हैं: (i) मार्गदर्शन (ii) सहायक संकाय (iii) प्रशिक्षु शिक्षक योजना (iv) उन्नत भारत अभियान।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तकनीकी शिक्षा में विकास लाने के लिए एआईसीटीई ने 2013 में एआईसीटीई–एनईक्यूआईपी योजना आरंभ की है और डिग्री/पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु इसके लाभ दिए है। अब तक इस योजना के तहत 23 संस्थाओं को लाभ हुआ है।

- जम्मू–कश्मीर के युवा वर्ग की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृति योजना की परिकल्पना की गई है जिससे वे वर्ष 2013 में एआईसीटीइ द्वारा प्रांरभ किए गए सामान्य पाठ्यक्रम को पूरा करने में समर्थ हो सके। यह प्रतिवर्ष 5000 नई छात्रवृतियां प्रदान करते है इनमें से 4500 छात्रवृतियां सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम के लिए, 250 इंजिनियरिंग और 250 चिकित्सा अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है।

- एआईसीटीई एमई/एमटेक/एमफार्मा कार्यक्रम में वैद जीएटीई/जीएपीटी के साथ अर्हक अंक प्राप्त करने वाले सभी पात्र विद्यार्थियों के लिए डीबीटी के माध्यम से जीएटीई/जीपीएटी छात्रवृति प्रदान करना है।

- तकनीकी शिक्षा में पारदर्शिता ओर गुणवत्ता लाने के लिए एआईसीटीई ने वर्ष 2013 से देशभर में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा सीएमएटी (सामान्य प्रबंध प्रवेश परीक्षा) और जीपीएटी (स्नातक फार्मेसी एप्टीट्यूट टेस्ट) सफलतापूर्वक आयोजित किया है।
- 2014 में कौशल विकास पहलों के तहत, एआईसीटीई ने अपने द्वारा अनुमोदित सभी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं के लिए एनएसक्यूएफ (राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा) के तहत प्रत्येक वर्ष कम से कम 100 विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने को अनिवार्य बना दिया है।
- महिलाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त करने के लिए एआईसीटीई ने 2014 में छात्राओं के लिए ''प्रगति'' नामक विशेष योजना प्रांरभ की है जिसके तहत तकनीकी शिक्षा में छात्राओं के भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृतियों की संख्या 4000 है।
- वर्ष 2014 में एआईसीटीई द्वारा प्रांरभ की गई सक्षम (निःशक्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति) योजना का लक्ष्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए निःशक्त बच्चों को प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना है। प्रतिवर्ष छात्रवृतियों की संख्या 1000 है।
- तकनीकी शिक्षा में मानक और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एआईसीटीई ने समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया है जो समय सीमा में विद्यार्थियों और स्टेकहोल्डरों की सभी शिकायतों को देखता है।
- एआईसीटीई में ई–अभिशासन प्रकोष्ठ न केवल अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने में समर्थ है बल्कि सभी ब्यौरो की ऑनलाइन सेवाओं को सरल बनाता है जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, संकाय, कर्मचारी, सभी अनुमोदित संस्थाओं और गैर–अनुमोदित संस्थाओं के विद्यार्थी के डाटा बेस का रखरखाव, जो परिषद के लिए एक वरदान है। ई–अभिशासन एक पोर्टल है जंहा नागरिक और स्टेकहोल्डर की सूचना प्रसार के लिए एकल खिड़की प्रणाली के तहत सूचना और सेवा में पहुंच होती है। यह स्मार्ट ई–अभिशासन पोर्टल एक समय में 10000 संस्थाओं के लिए एक क्लिक में वार्षिक अनुमोदन सम्भव बनाता है जो देश के चारों ओर फैला है।
- एआईसीटीई ने सभी कॉलेजों के बारे में जानकारी लेने के लिए विद्यार्थियों को नो यूअर कॉलेज पोर्टल विकसित किया है।
- एआईसीटीइ एमओओसी पाठ्यक्रमों को होस्ट करने के लिए राष्ट्रीय मंच स्वंय (युवा आकांक्षियों के लिए सक्रीय अध्ययन के वेब अध्ययन) बनाने की प्रक्रिया में है।
- एआईसीटीइ एनबीए के सहयोग से इंजीनियरिंग, प्रबंध फार्मेसी और वास्तुकला विषय में राष्ट्रीय रेंकिंग कार्यढाचां (एनआईआरएफ) प्रांरभ कर रहा है।

वास्तुकला परिषद (सीओए)

वास्तुकला परिषद का गठन भारत सरकार द्वारा, संसद द्वारा पारित वास्तुकला अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, जो 01 सितम्बर, 1972 से लागू हुआ था। इस अधिनियम में वास्तुकारों या उनके साथ संबंधित मामलों के पंजीकरण का प्रावधान है। ये सीओए, वास्तुकारों का एक रजिस्टर रखने के अलावा मानकों के रखरखाव, विशेषज्ञ मितियों के माध्यम से निरीक्षण आयोजित करने और अधिनियम के अंतर्गत आवधिक रूप से मान्यता प्राप्त अर्हताओं की निगरानी करती है। निरीक्षणों के आधार पर यह सीओए संबंधित सरकारों को संस्थानों द्वारा रखे गए मानकों की अपर्याप्तता के संबंध में प्रतिवेदन दे सकती है। केन्द्र सरकार और जांच के बाद, जैसा आवश्यक माना जाए और समुचित सरकारों और वास्तुकला संस्थानों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वास्तुकला अर्हताओं की मान्यता रद्द करने की अधिसूचना के संबंध में निर्णय ले सकती है। सीओए की सिफारिशें केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किसी वास्तुकला अर्हता की मान्यता के रूप में अधिसूचित किए जाने से पहले, की जाएंगी। सीओए के पास वास्तुकला रजिस्टरों की कुल संख्या 77,000 है।

(ख) अनुसंधान परिषदें

(i) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) नई दिल्ली

भारत सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष 1969 में स्थापना की। आईसीएसएसआर के छह क्षेत्रीय केन्द्र हैं और यह 25 अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण एवं विकास

अनुदान प्रदान करती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2015–16 के लिए 12250.00 लाख रूपए योजनागत में से 11182.26 लाख रूपए जारी किए हैं और वर्ष 2015–16 के लिए गैर–योजना के अंतर्गत 6236.00 लाख रूपये में से 5989.59 रूपये जारी कर दिए हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं हैं:

अपने 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम' के अंतर्गत आईसीएसएसआर ने सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी)/शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों (सीईसी)/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कार्यक्रमों के ढांचे के अंतर्गत कई देशों के साथ सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और अनुसंधान नेटवर्किंग स्थापित किया है। इसके अलावा, यह कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों–अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संघों (आईएफएएसओ), एसोसिएशन ऑफ एशियन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिलों (एएएसएसआरईसी), अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद (आईएसएससी), एशिया विज्ञान परिषद (एससीए), यूनेस्को इत्यादि के साथ जुड़ी है। समाज विज्ञानों और मानविकी के बारे में ईयू इंडिया प्लेटफार्म प्रारंभ किया गया है जिसमें भारत की ओर से आईसीएसएसआर नोडल एजेंसी है। समाज विज्ञान अनुसंधान में भारत में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने के लिए आईसीएसएसआर वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि समाज विज्ञान अनुसंधान का संवर्द्धन किया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत कुल प्राप्त वास्तविक लक्ष्य 220 (सा.–170, अ.जा.–30, अ.ज.जा.–20) है।

आईसीएसएसआर विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों से संबंधित समाज विज्ञान विभागों के संक्या सदस्यों को 'अनुसंधान प्रणाली विज्ञान' पाठ्यक्रम को पीएच.डी छात्रों के लिए आयोजित करने और युवा समाज विज्ञान संकाय के लिए अपनी 'अनुसंधान क्षमताओं' का विकास करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। कुल भौतिक लक्ष्य 111 हासिल किया गया है। (सामा.–60, अ.ज.–35, अ.ज. जा.16)

आईसीएसएसआर हर साल अनेक डॉक्टरल, पोस्ट–डॉक्टरल, वरिष्ठ और राष्ट्रीय अध्येयतावृत्तियां उन प्रसिद्ध समाज विज्ञानियों को प्रदान करती है जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्रों में अनुसंधान में उत्कृष्ट योगदान किया है। डॉक्टरल फैलोशिप के तहत कुल प्राप्त वास्तविक लक्ष्य 492 (सा–275, अ.ज. –159, अ.ज.जा.–58) है और पोस्ट–डॉक्टरल, कनिष्ठ एवं राष्ट्रीय फैलोशिप में कुल प्राप्त वास्तविक लक्ष्य 377 (सा. –293, अ.ज.–58, अ.ज.जा.–26) है। परिषद व्यक्तिगत विद्व ानों को समाज विज्ञानों में अपनी रूचि के क्षेत्र में अनुसंधान आयोजित करने के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करती है। इस वर्ष 01 दिसम्बर, 2015 के अंत तक) इस श्रेणी के तहत कुल 399 (सा.–217, अ.ज.–132, अ.ज.जा.–50) अनुसंधान अनुदान प्रदान किए गए हैं।

(ii) भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली

भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार द्वारा मार्च 1977 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत गठित की गई थी। तथापि इसने वास्तव में जुलाई, 1981 में कार्य करना प्रारंभ किया।

परिषद को निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ गठित किया गया था जैसे कि (i) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की समय–समय पर प्रगति की समीक्षा करना (ii) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रायोजित अथवा सहायता देना (iii) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना (iv) व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा दर्शनशास्त्र में शोध परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना और/या अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए सांस्थानिक या अन्य प्रबंधनों का आयोजन और सहायता करना; और (v) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के क्षेत्रों और विषयों जिनमें दर्शनशास्त्र में अनुसंधान प्रोत्साहित करना चाहिए, का आवधिक संकेत देना और दर्शनशास्त्र में नजरअंदाज या विकसित होने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिए विशेष उपाय अपनाना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वित्त–वर्ष 2015–16 के दौरान, योजना आवंटन के तहत 600/– लाख रूपये में से, 456.70 लाख रूपए की राशि विमुक्त की गई और गैर–योजना और आबंटन के तहत 860.41/– लाख रूपये में से और 757.45/– लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई थी।

अपने अध्येतावृत्ति क्रियाकलापों के तहत, परिषद ने एक राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति, 3 वरिष्ठ अध्येतावृत्ति, 14 सामान्य अध्येतावृत्ति और 27 कनिष्ठ अध्येतावृत्ति प्रदान की; जिन अध्येताओं ने वर्ष 2014–15 के दौरान कार्यभार ग्रहण किया था वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भी उन्होंने अपनी अध्येतावृत्ति जारी रखी।

जीम परिषद ने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और इसके शैक्षणिक केन्द्र लखनऊ में भी 5 कार्यशालाएं, 20 राष्ट्रीय संगोष्ठियां और 3 ''लेखक से मिलें कार्यकम'' आयोजित किए/वित्तीय सहायता प्रदान की। जनवरी–मार्च 2016 की अवधि के दौरान इस तरह के 50 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। परिषद ने 2 ''शिक्षक बैठकों'' का आयोजन किया और मार्च 2016 से पहले इस प्रकार के 5 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हैं।

परिषद ने देश के साथ–साथ विदेश के 20 विजिटिंग प्रोफेसरों का व्याख्यान आयोजित किया और देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में 40 व्याख्यान आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की तथा ''विश्व दर्शन दिवस 2015–16'' मनाने के उपलक्ष्य में 49 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए अनुदान भी जारी किया।

(iii) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना सन 1972 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत की गई थी। परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं ऐतिहासिक अनुसंधान को उचित निर्देश देना और इतिहास के यथार्थ लक्ष्य और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। परिषद के मौटे तौर पर लक्ष्य हैं इतिहासकारों को एकत्र करना, उनके बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए मंच प्रदान करना, इतिहास की यथार्थ और युक्तियुक्त प्रस्तुतीकरण व्याख्या के लिए राष्ट्रीय निदेश देना, ऐतिहासिक अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं को स्पांसर करना तथा ऐतिहासिक अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं और संगठनों की सहायता करना। इसको इतिहास की विशाल समझ होती है ताकि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कला और साहित्य, दर्शनशास्त्र, पुरालेखशास्त्र मुद्राशास्त्रीय, पुरातत्व विज्ञान, सामाजिक–आर्थिक रचना प्रक्रियाएं और संबद्ध विषय जिनकी सशक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति और विषयवस्तु होती है

वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) के लिए कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के ब्यौरे दर्शाने वाला सारः–

क्र.सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्राप्त लक्ष्य
1.	शोध परियोजनाएं	लागू नहीं	19
2.	वरिष्ठ अकादमिक अध्येतावृत्ति	10	07
3.	विदेशी यात्रा अनुदान	लागू नहीं	18
4.	प्रकाशन सबसिडी	लागू नहीं	31
5.	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	80	77
6.	पोस्ट–डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	10	09
7.	अध्ययन–सह–यात्रा अनुदान	लागू नहीं	73
8.	सेमिनार/सिम्पोजिया/सम्मेलन इत्यादि	लागू नहीं	79
9.	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	03	02

परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं का निष्पादन भी कर रही है जैसे (i) स्वतंत्रता परियोजना की ओर (ii) भारत में 1858–1947 के अंग्रेजी शासन के आर्थिक इतिहास के बारे में दस्तावेज (iii) भारत/दक्षिण एशियाई शिलालेख में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दावली; (iv) 1857 परियोजनाएं और (v) शहीदों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1857–1947)।

वित्त–वर्ष 2015–16 के दौरान, योजना आवंटन के तहत 800.00 लाख रूपये में से, 700.00 लाख रूपए की राशि विमुक्त की गई और गैर–योजना और आबंटन के तहत 1241.00 लाख रूपये में से और 1239.00 लाख रूपये विमुक्त की गई थी।

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई) की स्थापना, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–1986 से संबंधित कार्यक्रम योजना (पीओए) के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में 1995 में की गई थी।

इस परिषद की स्थापना, एनपीई के अनुसार शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा का संवर्धन करने, नेटवर्क समेकित करने और ग्रामीण संस्थाओं का विकास करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने, ग्रामीण संस्थानों को क्षेत्रीय विकास संस्थानों तथा ग्रामीण विश्वविद्यालयों में अंतरित करने और भारत में सभी विश्वविद्यालयों में ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के क्षेत्रों में ग्रामीण संस्थानों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए की गई थी। परिषद से एक ओर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर जोर देते हुए और दूसरी ओर पारंपरिक बुद्धिमत्ता पर जोर देते हुए उभरते ग्रामीण व्यवसायों में तृतीयक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करने, गांधीवादी मूल शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने, इन सभी संस्थानों की विषय–वस्तु सुदृढ़ करने, आत्मनिर्भरता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पहलों का संवर्द्धन करने और ग्रामीण संस्थानों से संबंधित ऐसे सभी मामलों के बारे में, भारत सरकार को सलाह देना जिसका समय–समय पर संदर्भ दिया जाता है।

एनसीआरआई ने पूरे देश में क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों, प्रशिक्षकों, किसानों के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित विषय जैसे ''ग्रामीण संस्थान और सामाजिक विकास सुदृढ़ीकरण'', ''ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम प्रबंधन में स्वच्छ भारत नवाचार'' आदि पर 8 पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं/सेमीनार आयोजित किए।

इसके अलावा, एनसीआरआई ने जनजातीय महिलाओं के लिए अरूणाचल प्रदेश में कौशल विकास पर एक ग्यारह दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। एनसीआरआई ने देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी/एनजीओ/उद्यमियों/ग्रामीण विश्वविद्यालय अधिकारियों के लिए डाटा प्रोसेसिंग और विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया। एनसीआरआई ने तेलंगाना राज्य में सहयोगात्मक पहल के रूप में ग्रामीण महिलाओं के लिए परिधान बनाने, कढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग, रजाई वस्तुएं बनाने, फैन्सी बैग, कपड़ा छपाई और रंगाई एवं जरदोजी तथा आरी कार्य में 10 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान गैर–योजना के तहत कुल 123.64 लाख रूपये में से 68.05 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई।

(ग) अन्य निकाय

(i) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

मौलिक विषयों एवं जीवन की समस्याओं एवं विचार के संबंध में निःशुल्क एवं सृजनात्मक पूछताछ के लिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एक उच्च आवासीय अनुसंधान केन्द्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत हुई थी तथा ये राष्ट्रपति निवास, शिमला में अवस्थित है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य, उन क्षेत्रों, जिनमें गहरी मानव विशेषताएं हों, में सृजनात्मक विचार को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करना तथा इसके अतिरिक्त मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान शुरू करना, आयोजित करना, मार्गदर्शन करना तथा प्रोत्साहित करना है।

अध्येता आईआईएएस का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समुदाय है। वर्ष 2015–16 के दौरान चार राष्ट्रीय अध्येता, दो टैगोर अध्येता, 26 अध्येता और 3 अतिथि अध्येता संस्थान में थे। इसके अलावा संस्थान प्रसिद्ध विद्वानों को संस्थान में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। इस संबंध में 5 विजिटिंग प्रोफेसरों और 9 विजिटिंग विद्वानों ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संस्थान का दौरा किया।

संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बड़ी संख्या में सेमिनार, सम्मेलन, अध्ययन सप्ताह, स्कूल, सिम्पोजिया और राउंड टेबल आयोजित करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 15 सेमिनार, सम्मेलन, अध्ययन सप्ताह, स्कूल, संगोष्ठी तथा राउन्ड टेबल आयोजित किए गए थे।

आईआईएएस सामाजिक विज्ञान और मानविकी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र भी है जिसमें महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को वर्ष में एक माह अपने स्वयं के हितों में समय बिताने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वर्तमान वर्ष में अप्रैल से नवम्बर, 2015 तक 91 विद्वानों ने आरयूसी एसोसिएट्स के रूप में आईआईएएस का दौरा किया।

संस्थान की प्रकृति और जनादेश को देखते हुए और अनुसंधान का प्रसार करने के लिए, यह इसके निवासी अध्येताओं, दौरा करने वाले विद्वानों के शोध कार्यों और किताबों और मोनोग्राफों के रूप में संस्थान दवारा आयोजित संगोष्ठी की कार्यवाहियां प्रकाशित करती हैं। इस संस्थान के पास ऐसे 460 प्रकाशन हैं जो आईआईएएस बुक शॉप में उपलब्ध हैं और इनमें संस्थान की वेबसाइट के मार्फत ऑनलाइन द्वारा भी खरीदा जा सकता है। इस संस्थान ने वर्ष 2015 में बीस मोनोग्राफ प्रकाशित किए हैं।

इस संस्थान ने अपने स्वयं के पीयर–समीक्षा पत्रिकाएं भी प्रकाशित की हैं। मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में अध्ययन को एक द्विवार्षिक डबल–ब्लाइंड पीयर–समीक्षा अंतर्विषयक पत्रिका, जिसका पहला अंक 1994 में निकाला गया था। ये पत्रिका एक अवधाराणात्मक प्लेन के साथ जुड़ी हुई है जिसमें हमारी व्यक्ति, सभ्यताओं, संस्कृति तथा समाज की समझ के साथ संबद्ध है। संस्थान 'समरहिल' भी प्रकाशित करता है जो इसकी द्विवार्षिक समीक्षा पत्रिका है।

संस्थान का पुस्तकालय देश का एक सर्वोत्तम पुस्तकालय है जो मानविकी और समाज विज्ञान के क्षेत्र में है। इसने संस्थान द्वारा प्रकाशित अपनी दुर्लभ पुस्तकों तथा मोनोग्राफ को डिजिटाइज करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इस पुस्तकालय ने वर्ष 2015 में 311 मोनोग्राफ डिजिटाईज्ड किए हैं और शेष को डिजिटाइज किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान, योजना के अंतर्गत 1825.00 लाख रूपये में से 1812.41 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई और गैर योजना के तहत 1148.70 लाख रूपये में से 1148.70 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई।

केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर एवं तकनीकी शैक्षिक संस्थान

i) **केन्द्रीय विश्वविद्यालयः** केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जिन्हें शोध तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर विषयक अध्ययन प्रदान करने द्वारा और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में नवाचार प्रदान करते हुए ज्ञान के सृजन और प्रसार की दृष्टि से स्थापित किया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि ये विश्वविद्यालय स्वयं को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में प्रदर्शित करेंगे और सामान्य रूप से तथा अपने आसपास शैक्षिक संस्थाओं में समाज के समग्र विकास में उत्प्रेरक भूमिका निभाएंगे। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संगत अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए संविधियों एवं अध्यादेशों के अंतर्गत अभिशासित होते है, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित 41 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 40 का वित्तपोषण यूजीसी के जरिए किया जाता है जबकि इग्नू का वित्तपोषण सीधे मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ii) **सम विश्वविद्यालय संस्थानः** सम विश्वविद्यालय, प्रशासनिक आदेश द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत बनाए जाते हैं। वर्तमान में, 123 सम विश्वविद्यालय संस्थान हैं। इन संस्थानों समय–समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान केवल एक संस्थान नामतः केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोग्लामसर, लेह को 15.01.2016 को सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

इन विनियमों में संशोधन के जरिए सम विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को आसान बनाने का प्रयास है। वित्त वर्ष 2015–16 में, दिनांक 08.02.2016 की अधिसूचना के जरिए, केवल छह ऑफ कैंपस परिसरों को सम विश्वविद्यालय के लिए अनुमति के प्रावधानों में सरकार नियंत्रित संस्थानों के लिए ढील दी गई है और साथ ही सम विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आसान बनाई गई है। सम विश्वविद्यालयों की सूची संलग्नक–2(I) में संलग्न है। वर्तमान में, इन सम विश्वविद्यालयों को समय–समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा की गई है। इस समय देश में 232 राज्य निजी विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इन निजी विश्वविद्यालयों की सूची संलग्नक–2 (II) में संलग्न है।

निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन यूजीसी द्वारा, यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और मानकों का रखरखाव) विनियम, 2003 के माध्यम से किया जाता है।

(iii) प्रौद्योगिकी संस्थानः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान का शीर्ष संस्थान हैं। वर्तमान में, बीस भारतीय प्रौद्योगिकी

संस्थान (आईआईटी) अर्थात मुंबई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रासए गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी, वाराणसी, तिरुपति, पलक्कड़ए गोवा, जम्मू, धारवाड़ और भिलाई में हैं। सभी समय–समय पर यथासंशोधित प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होते हैं और जिसके द्वारा उन्हें 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित किया हैए और जो शासन के लिए उनकी शक्तियां, कर्तव्य, रूपरेखा तैयार करता है।

आईआईटी का मुख्य उद्देश्यए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करनाय संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करनाए और अधिगम एवं ज्ञान के प्रसार को आगे बढाना है। ये संस्थान बुनियादी विज्ञान और मानविकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान में भी काफी अधिक योगदान दे रहे हैं।

आईआईटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में स्नातक कार्यक्रमय विशेषज्ञता वाले स्नातकोत्तर कार्यक्रम और विभिन्न इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों में और पीएच.डी. कराते हैं और आधारभूत, प्रायोगिक एवं प्रायोजित अनुसंधान आयोजित कराता है। वर्तमान में, आईआईटी बी.टेक, बी. आर्क, एम्. एससी., एम. डिजाइन, एम फिल, एम. टेक, एमबीए और पीएचडी डिग्री कराते हैं। आईआईटी में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों की है। संस्थान, उद्योग में उभरते रुझानों के अनुसार पाठ्यक्रम का निरंतर मूल्यांकन और परिशोधन कर रहे हैं। वे गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय के ज्ञान को अद्यतन करने में योगदान भी करते हैं।

आईआईटी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलाए प्रवेश परीक्षाओं बी. टेक के लिए जैसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा (एडवांस), एम टेक के लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट (गेट) और एम. एससी. के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेएएम) में मेरिट के आधार पर किया जाता है।

आईआईटी की सूची

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
(http://www.iitk.gp.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
(http://www.iitb.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
(http://www.iitm.ac.in)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर
(http://www.iitk.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली
(http://www.iitd.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
(http://www.iitg.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
(http://www.iitr.ernet.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
(http://www.iith.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
(http://www.iiti.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़
(http://www.iitrpr.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मांडी
(http://www.iitmandi.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंदौर
(http://www.iiti.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना
(http://www.iitp.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर
(http://www.iitgn.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
(http://www.iitbbs.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय), वाराणसी
(http:// www .iitbhu.ac)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुपति
(http://iittp.ac.in/)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पलक्कड़
(http://iitpkd.ac.in)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जम्मू
(http://iitjammu.ac.in)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानए, भिलाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (भारतीय खान स्कूल), धनबाद
(http://www.ismdhanbad.ac.in)

आईआईटी सामग्री यहां दी जाए।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (जिसे पहले क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेज कहा जाता था) जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा 14.05.2003 से अपने अधिकार में ले लिया गया है, केन्द्रीय वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थाएं हैं, और इन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 (जून 2012 तक यथासंशोधित) के अंतर्गत दिनांक 15. 08.2007 से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है।

2. अकादमिक सत्र 2009–10 तक बीस एनआईटी इन स्थानों पर स्थित थेः अगरतला (त्रिपुरा), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरूक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), पटना (बिहार), रायपुर (छत्तीसगढ़), राऊरकेला (उडीसा), सिल्चर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सूरथकल (कर्नाटक), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आन्ध्र प्रदेश)। वर्ष 2009 में इस अधिनियम के अंतर्गत इन संस्थानों को और स्वायतता प्रदान करने के लिए एनआईटी की प्रथम संविधियां तैयार की गई थीं।

3. 11वीं योजना अवधि के दौरान 10 नए एनआईटी, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुद्दुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सितम्बर 2009 में स्थापित किए गए हैं। इन 10 नए एनआईटी ने अपने प्रथम अकादमिक सत्र वर्ष 2010–11 से आगे, प्रत्येक नए एनआईटी में 90 छात्रों के वार्षिक दाखिले के साथ शुरू किए। एनआईटी, आंध्र प्रदेश एक नया स्थापित एनआईटी है और उसका पहला अकादमिक सत्र 2015–16 से शुरू किया गया है। इस प्रकार से एनआईटी की कुल संख्या 31 तक पहुंच गई है अर्थात् सभी राज्यों और प्रमुख संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली एवं पुद्दुचेरी प्रत्येक में एक एनआईटी स्थापित हो गया है।

4. एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 10 नए एनआईटी और 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को शामिल करने के संशोधनों पर भारत के राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 07.06.2012 को प्राप्त हुई और तब से ये नए एनआईटी भी इस एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के क्षेत्राधिकार में हैं। बंगाल इंजीनियरिंग एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (वीईएसयू), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) को आईआईईएसटी शिबपुर के रूप में परिवर्तित करके इसे एनआईटीएसईआर (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2014 से एक राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान के रूप में बना दिया गया है।

एनआईटी आन्ध्र प्रदेश की स्थापना

5. केन्द्र सरकार ने 12वीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के राज्य में एक एनआईटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। एनआईटी के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए पहचानी गई भूमि आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में टाडेपल्लीगुडेम में अवस्थित है।

6. मौजूदा आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखन पर 1 मार्च, 2014 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के परिणामस्वरूप/ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची 13 (शिक्षा) के अनुसार, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य में एनआईटी स्थापित किया है।

7. संस्थान के स्थायी परिसर के लिए भूमि का टाडेपल्लीगुडेम, पश्चिम गोदावरी जिला में 174 एकड एयर फील्डस भूमि पर अंतिम फैसला कर लिया गया है। संस्थान का पहला सत्र, श्रीवासावी इंजीनियरिंग कॉलेज, टाडेपल्लीगुडेम, में अवस्थित इसके अस्थायी परिसर में 11 सितंबर, 2015 को शुरू किया गया है।

8. एनआईटी, आन्ध्र प्रदेश में वर्तमान में शाखाओं की प्रवेश क्षमता 900 छात्र और वार्षिक प्रवेश 480 छात्र है।

9. चूंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 में संशोधन पारित किया गया है। अतः,

एनआईटी, आन्ध्र प्रदेश अब कथित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शासित होगा।

10. निर्धारित वर्तमान दाखिला नीति के अनुसार, एनआईटी और आईआईईएसटी में 50% सीटें उसी राज्य के छात्रों के लिए निर्धारित हैं, जहां एनआईटी स्थित है, शेष 50% सीटें अन्य राज्यों से उम्मीदवारों के अखिल भारतीय रैंक के आधार पर भरी जाती हैं।

11. यह प्रणाली देश में मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में सफल रही है। देश के दूरस्थ/सुदूर कोनों में इंजीनियरी शिक्षा के समान अवसर के स्कोप का प्रचार करते समय एनआईटी देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं जो गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा और शोध को बढ़ावा देते हैं। उनकी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अपेक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता प्राप्त तकनीकी मानव शक्ति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इन 10 नए एनआईटी की एक आऊटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापना के बाद देश भर से छात्र तकनीकी शिक्षा जारी रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त कर रहे हैं।

एनआईटी के सांख्यकीय ब्यौरे

(करोड रू. में)

शीर्ष	2010–2011	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2030
योजना	925	1039	1022	1353	1474	1503
योजनेत्तर	490	628	747	778	835	935

आईआईईएसटी **(करोड रू. में)**

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16
योजना	5	57	65

छात्र (एनआईटी–आईआईईएसटी शिबपुर)

कुल छात्र (25.10.2016 के अनुसार)

अवर स्नातक	:	68164
स्नातकोत्तर	:	21375
पीएच.डी.	:	9105
कुल		**98644**

संकाय (एनआईटी + आईआईईएसटी शिबपुर) (25.10.2016 तक)

स्वीकृत	:	7001
भरे	:	5564

2016–2017 के बजट अनुमान

i) 20 पुरानी एनआईटी : 940.00 करोड रू. (योजना)
1065.05 करोड रू. (गैर योजना)

ii) 10 नए एनआईटी : 504.90 करोड रू.

iii) एचईएसटी शिबपुर : 80.00 करोड रू.

iv) एनआईटी–आन्ध्र प्रदेश : 50.00 करोड रू.

एनआईटी की सूची (राज्य–वार)

क्रम सं.	संस्थान का नाम	राज्य का नाम
1.	एनआईटी–अगरतला	त्रिपुरा
2.	एनआईटी–इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
3.	एनआईटी–भोपाल	मध्य प्रदेश
4.	एनआईटी–कालीकट	केरल
5.	एनआईटी–दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
6.	एनआईटी हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश
7.	एनआईटी–जयपुर	राजस्थान
8.	बी.आर. अम्बेडकर एनआईटी जालंधर	पंजाब
9.	एनआईटी–जमशेदपुर	झारखंड
10.	एनआईटी कुरुक्षेत्र	हरियाणा
11.	वीएनआईटी–नागपुर	महाराष्ट्र
12.	एनआईटी–पटना	बिहार
13.	एनआईटी–रायपुर	छत्तीसगढ़
14.	एनआईटी राउरकेला	उड़ीसा
15.	एनआईटी–सिलचर	असम
16.	एनआईटी–श्रीनगर	जम्मू–कश्मीर
17.	एसवीएनआईटी–सूरत	गुजरात
18.	एनआईटीके–सूरथकल	कर्नाटक
19.	एनआईटी–तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
20.	एनआईटी–वारंगल	आंध्र प्रदेश
21	एनआईटी–अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश
22.	एनआईटी–दिल्ली	दिल्ली
23.	एनआईटी–गोवा	गोवा
24.	एनआईटी–मणिपुर	मणिपुर
25.	एनआईटी–मेघालय	मेघालय
26.	एनआईटी–मिजोरम	मिजोरम
27.	एनआईटी नागालैंड	नागालैंड
28.	एनआईटी–पुडुचेरी	पुडुचेरी
29.	एनआईटी–सिक्किम	सिक्किम
30.	एनआईटी–उत्तराखंड	उत्तराखंड
31.	एनआईटी –आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश
32.	आईआईएसटी–शिबपुर	पश्चिम बंगाल

12. माननीय राष्ट्रपति एनआईटी, आईआईईएसटी शिबपुर के विजिटर हैं और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, इस परिषद के अध्यक्ष है जो इन संस्थानों का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। एनआईटी के कार्यों का प्रबंधन उनके संबंधित शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

आईआईईएसटी –शिबपुर

बंगाल इंजीनीयरिंग और विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू) शिबपुर (पश्चिम बंगाल) को भारतीय इंजीनियरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी)–शिबपुर (पश्चिम बंगाल) के रूप में शामिल करने संबंधी संशोधन और इसे एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 04.03.2014 को प्राप्त हुई।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, आईआईईएसटी–शिबपुर को इसकी आवर्ती और गैर–आवर्ती देयताओं को पूरा करने के लिए 56.54 करोड़ रूपये की सीमा तक निधियां संस्वीकृत की गई हैं।

भारत के माननीय राष्ट्रपति एनआईटी और आईआईईएसटी–शिबपुर के विजिटर हैं और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री उस परिषद के अध्यक्ष हैं जो इन संस्थानों का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है। एनआईटी के मामलों का प्रबंधन उनके संबद्ध शासी बोर्डों द्वारा किया जाता है।

(iv) प्रबंधन संस्थान:

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान हैं जिनकी स्थापना देश में प्रबंधन शिक्षा में और अधिक उत्कृष्टता लाने के लिए की गई थी। इस समय ऐसे 19 आईआईएम हैं जो इस प्रकार हैं:

i. अहमदाबाद (1961)

ii. कोलकता (1961)

iii. बैंगलोर (1973)

iv. लखनऊ (1984)

v. इंदौर (1996)

vi. कोजीकोड (1997)

vii. शिलांग (2008)

viii. रोहतक (2010)

ix. रायपुर (2010)

x. रांची (2010)

xi. तिरूचिरापल्ली (2010)

xii. काशीपुर (2011)

xiii. उदयपुर (2011)

xiv. अमृतसर (2015)

xv. बोध गया (2015)

xvi. नागपुर (2015)

xvii. संबलपुर (2015)

xviii. सिरमौर (2015)

उक्त में से, 6 नए आईआईएम वर्ष 2015–16 में शुरू किए गए थे। उन्होंने अस्थायी परिसरों से काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों ने इन संस्थानों के स्थायी परिसरों की स्थापना के लिए भूमि की पहचान भी कर ली है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन संस्थानों को अस्थायी परिसरों की स्थापना करने और स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान कर रहा है जो अकादमिक कार्यकलापों को चलाने के लिए जारी किए गए अनुदानों के अतिरिक्त है।

आईआईएमएस के कार्यकलाप: इन सभी शीर्ष संस्थानों में छात्रों के लिए अनेक कार्यक्रम जैसे प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, (पीजीपीएम) कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम,

(ईपीजीपी) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी), प्रबंधन में फैलो कार्यक्रम (एफपीएम) आदि उपलब्ध हैं। इन आईआईएम में (एफपीएम सहित) वर्ष के दौरान छात्रों का कुल दाखिला 4023 था और उसमें 611 संकाय सदस्य थे। वर्ष के दौरान इन आईआईएमएस को जारी की गई कुल निधियां 462.85 करोड़ रूपये थी। संस्थान वार ब्यौरे **संलग्नक–3** पर हैः

(V) सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाएंः सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च कौशल प्राप्त व्यावसायिकों की मांग को पूरा करने के लिए ग्वालियर (1998), इलाहाबाद (1999), जबलपुर (2005) तथा कांचीपुरम (2007) में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई है।

भारतीय आईटी उद्योग द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने तथा घरेलू आईटी मार्केट में वृद्धि के लिए मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 07.12.2010 को यथाअनुमोदित मा.स. वि. मंत्रालय का लाभ के लिए नहीं–सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति (एनपीपीपी) आधार पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का विचार है। तद्नुसार मा.स.वि. मंत्रालय ने 20 आईआईआईटी की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। आज की तारीख तक पीपीपी में आईआईआईटी की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से 19 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। ये हैंः आईआईआईटी, चित्तूर (आंध्र प्रदेश), आईआईआईटी, काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश), आईआईआईटी, गुवाहाटी (असम), आईआईआईटी, धारवाड़ (कर्नाटक), आईआईआईटी, कोटायम (केरल), आईआईआईटी, तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु), आईआईआईटी, वडोदरा (गुजरात), आईआईआईटी, पुणे (महाराष्ट्र), आईआईआईटी, सेनापति (मणिपुर), आईआईआईटी, बोद्धजंगनगर (त्रिपुरा), आईआईआईटी, भोपाल (मध्य प्रदेश), आईआईआईटी, सोनीपत (हरियाणा), आईआईआईटी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आईआईआईटी, ऊना (हिमाचल प्रदेश), आईआईआईटी, कल्याणी (पश्चिम बंगाल), आईआईआईटी, कोटा (राजस्थान), आईआईआईटी, सूरत (गुजरात), आईआईआईटी, नागपुर (महाराष्ट्र) और आईआईआईटी, रांची (झारखंड) में हैं। 4 आईआईआईटी ने अकादमिक सत्र 2015–16 से काम शुरू कर दिया है। आज की तारीख में 12 नए आईआईआईटी–पीपीपी पद्धति में अकादमिक सत्र शुरू हो गए हैं।

आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची के अनुसरण में, आन्ध्र प्रदेश के करनूल जिले में एक केन्द्रीय वित्त पोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) की स्थापना की जा रही है। आईआईआईटी आन्ध्र प्रदेश ने 2015–16 में अपना अकादमिक सत्र शुरू कर दिया है।

(vi) विज्ञान और अनुसंधान परिषदें

आईआईएसईआर और आईआईएससी बैंगलोर

1. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर): भारत सरकार ने प्रधानमंत्री को वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एसएसी–प्रधानमंत्री) की सिफारिश के आधार पर पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल और तिरुवनंतपुरम में पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) की स्थापना की परिकल्पना है। ये आईआईएसईआर विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करेंगी और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान की गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करेंगी। इन पांच आईआईएसईआर में से, पुणे और कोलकाता ने अपनी शैक्षिक गतिविधियां 2006 में और मोहाली ने अपनी शैक्षिक गतिविधियां 2007 में शुरू कर दी हैं। दो अन्य आईआईएसईआरए भोपाल और तिरुवनंतपुरम ने अपना शैक्षिक सत्र अगस्त, 2008 में शुरू किया है। ये सभी आईआईएसईआर स्वायत्त संस्थाएं हैं और अपने संबंधित शासी बोर्ड द्वारा शासित पंजीकृत सोसायटी हैं।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुक्रम में, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में भी एक नया आईआईएसईआर स्थापित किया गया है। संस्थान को परामर्श आईआईएसईआर पुणे द्वारा दिया जाता है और इसने तिरुपति में एक अस्थायी/ पारगमन परिसर से 2015–16 से अपना शैक्षिक सत्र शुरू कर दिया है।

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, आईआईएसईआर पुणे दस वर्षीय समारोह के शुभारंभ के अवसर पर आईआईएसईआर पुणे के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सभा को संबोधित करते हुए (फरवरी 19, 2016)

आईआईएसईआर का केंद्रीय विषय, अनुसंधान को शिक्षा के साथ एकीकृत करना है ताकि सिंबायोसिस में अवर स्नातक शिक्षण के साथ ही डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान कार्य का निष्पादन किया जा सके। छात्रों को आईआईएसईआर के बाहर विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में उनके स्नातकोत्तर

कार्यक्रम के पहले चार वर्षों में छुट्टी की अवधि के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पांचवें वर्ष में छात्रों को अनुसंधान सेमिनार में भाग लेने और अनुसंधान परियोजना का निष्पादन करना भी अपेक्षित है जिसके आधार पर शोध लिखा जाना होगा।

आईआईएसईआर के स्थायी परिसर का निर्माण 12वीं योजना अवधि को दौरान पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस बीच, कक्षात अस्थायी परिसर में संचालित की जा रही है। ये संस्थान बीएस–एमएस/पीएच.डी./एकीकृत पीएच.डी. कार्यक्रम प्रदान करता है :

II. **भारतीय विज्ञान संस्थान,** (आईआईएससी), बंगलौरः आरंभ से भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बुनियादी ज्ञान के साथ ही औद्योगिक और सामाजिक लाभ के लिए अपने शोध निष्कर्षों के अनुप्रयोग पर आगे काम करने पर संतुलित बल दिया है। संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़त पर उच्च अधिगम और उन्नत अनुसंधान का काम करता है और इसके पास उच्च अर्हक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित 460 संकाय हैं। इस संदर्भ में छात्रों की संख्या 3398 है, यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ अनुपात है।

आईआईएससी, बंगलौर ने शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में कई नवाचार शुरू किए हैं जिनसे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान हुआ है। पारंपरिक कार्यक्रम एमई, एम.टेक., एम.डीईएस., एमबीए, एम.एससी (इंजी.) और पीएच.डी डिग्रियां हैं। जीवविज्ञान, भौतिकी, रासायनिक और गणित विज्ञान में एकीकृत पीएचडी. (बी.एससी के बाद) ने देश के प्रतिभावान छात्रों को आकर्षित किया है और यह काफी लोकप्रिय है। अन्य नवाचार कार्यक्रम, विज्ञान में युवा अध्येतावृत्ति कार्यक्रम और युवा इंजीनियरिंग अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हैं। इसके अलावा, पाठ्यक्रम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, सतत् शिक्षा और प्रोफिसिएंस कार्यक्रमों के तहत प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष में, संस्थान 150 पीएचडी डिग्री, 75 एम.एससी. (इंजीनियरिंग) और 300 मास्टर की डिग्री, एमई/एम. टेक. आई.एम. डेस/एमबीए प्रदान करता है।

आईआईएससी, बैंगलोर सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्र में, विभिन्न एजेंसियों/संगठनों द्वारा वित्त पोषित बहुत–सी अनुसंधान परियोजनाएं भी निष्पादित करती हैं। संस्थान और उद्योग के बीच अंतक्रिया में वैज्ञानिक और औद्योगिक परामर्श केन्द्र (सीएसआईसी), नवाचार और विकास सोसायटी (सिड) और उन्नत जैव अवशेष ऊर्जा प्रौद्योगिकियों सोसायटी (एबीईटीएस) के जरिए मजबूती मिली है।

संस्थान के पास देश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ी कंप्यूटिंग सुविधाओं में से एक है और इसके पास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे अच्छा पुस्तकालय संग्रह भी है। संस्थान ने अपने संकाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की है और परिसर समुदाय की ई–पत्रिकाओं और ई–संसाधनों के विशाल चयन तक पहुंच भी है। वर्ष 2015–16 के दौरान, आईआईएसईआर और आईआईएससी बंगलौर में दाखिल छात्रों की संख्याए संकाय में पदों और जारी निधियां निम्नवत हैं:

क्र.सं.	संस्थान	छात्रों की सं.	संकाय संख्या	31.12.2015 को जारी निधियां (करोड रू. में)
1.	आईआईएसईआर, पुणे	973	89	51.00
2.	आईआईएसईआर, कोलकाता	788	87	87.00
3.	आईआईएसईआर, मोहाली	706	78	77.00
4.	आईआईएसईआर, भोपाल	650	77	94.00
5.	आईआईएसईआर, टीवीएम	558	57	120.00
6.	आईआईएसईआर, तिरूपति	49	12	18.00
7.	आईआईएससी, बैंगलोर	3398	460	75.00

(vii) योजना और वास्तुकला संस्थाएंः भारत में योजना और वास्तुकला की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए, योजना एवं वास्तुकला अधिनियम, 2014 के अंतर्गत दिल्ली, विजयवाड़ा और भोपाल में योजना और वास्तुकला स्कूलों की स्थापना भी की गई है। इन स्कूलों को ''राष्ट्रीय महत्व के संस्थान'' के रूप में घोषित किया गया है।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, दिल्ली, एक वैश्विक स्तर का संस्थान, गतिशील भारतीय अर्थव्यवस्था हेतु आधुनिकतम आयोजना, वास्तुकला और डिजाइन सॉल्यूशन और परामर्श तथा अनुसंधान वातावरण प्रदान करता है। एसपीए के राष्ट्रीय

और अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, भारत सरकार ने संसद के आयोजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) अधिनियम,2014 के तहत विद्यालय को ''राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' स्तर प्रदान किया है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय को इस प्रकार समर्थ बनाना है कि वह अपने शैक्षणिक दायरे का विस्तार कर सके और वास्तुकला, आयोजना और संबद्ध गतिविधियों में अनुसंधान और नवाचार शुरू कर सके। वर्तमान में, यह विद्यालय दो अवर स्नातक कार्यक्रम, वास्तुकला स्नातक और आयोजना स्नातक प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विद्यालय आयोजना, वास्तुकला और डिजाइन में 10 स्नातकोत्तर कार्यक्रम भी प्रदान करता है। ये स्नातकोत्तर कार्यक्रम हैः वास्तुकला संरक्षण, पर्यावरण आयोजना, औद्योगिक डिजाइन, आवास, शहरी डिजाइन, क्षेत्रीय आयोजना, परिवहन आयोजना, शहरी आयोजना, परिदृश्य आयोजना और भवन अभियांत्रिकी और प्रबंधन। इसके अतिरिक्त, विद्यालय में सभी अध्ययन विभाग 1985 से डॉक्टरल कार्यक्रम भी प्रदान कर रहे हैं। सत्र 2015–16 के दौरान, विद्यालय ने वास्तुकला स्नातक में 113, आयोजना स्नातक में 30 और विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 221 छात्रों को प्रवेश दिया था। वर्तमान में, विविध विषय क्षेत्र को कवर करते हुए विभिन्न अध्ययन विभागों में 58 डॉक्टरल स्कॉलर कार्यरत हैं। शिक्षण के अतिरिक्त, विद्यालय का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। वर्ष 2015–16 में, विगत वर्षों की भांति, विशिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की गई थीं। विद्यालय का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यावसायिक कंसलटैंसी है। यह विद्यालय मानव व्यवस्थापन आयोजना और निर्मित पर्यावरण डिजाइन के क्षेत्र में सरकारी विभागों और निजी क्षेत्रों को विभिन्न स्तरों पर आधुनिक परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2015–16 में, एसपीए नई दिल्ली ने राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे रिवरफंट विकास विरासत प्रभाव आकलन, सामाजिक प्रभाव आकलन हाइवे विकास, हर्बल गार्डन–डिजाइन संबंधी 13 कंसलटेंसी परियोजना चलाई। विद्यालय ने वर्ष 1 अप्रैल, 2015 से 10 फरवरी, 2016 तक कुल 189,76,893 रूपए का परामर्श शुल्क प्राप्त किया था।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा (एसपीएवी) की एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7 जुलाई, 2008 को आयोजना और वास्तुकला के क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आयोजना और वास्तुकला अधिनियम, 2014 के अंतर्गत इस विद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्था घोषित किया गया है। एसपी, विजयवाड़ा का शैक्षणिक फोकस और दृष्टिकोण सामाजिक उद्देश्य के साथ डिजाइन, सृजनता और वास्तविकता का बेजोड़ सम्मिश्रण है। छात्र न केवल आवश्यक कौशल ज्ञान प्राप्त करते हैं बल्कि स्टूडियों, क्षेत्र दौरों और अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से मौलिक एवं बौद्धिक प्रेरक सत्रों में भी भाग लेते हैं, जो उनमें सर्वोत्तम सृजनात्मकता सामने लाता है। यह संस्थान अधिकांश ज्ञान की प्रगति के लिए स्वतंत्र और विद्वानोचित योगदान को विकसित करने के दृष्टिकोण से अनुसंधान को बढ़ावा देता है। एसपीए विजयवाड़ा आयोजना और वास्तुकला के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान करता है। वर्तमान में, विद्यालय दो विभाग चलाता है (1) वास्तुकला विभाग और (2) आयोजना विभाग। कुल दो अवरस्नातक डिग्री कार्यक्रम, तीन स्नातकोत्तर डिग्री और डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2008–09 में दो अवर–स्नातक कार्यक्रमः दोनों विभागों में प्रत्येक में एक–एक शुरू किए गए थे। शैक्षणिक वर्ष 2013–14 में तीन स्नातकोत्तर कार्यक्रमः मास्टर ऑफ प्लानिंग (पर्यावरणीय आयोजना और प्रबंधन) शुरू किए गए और शैक्षणिक वर्ष 2014–15 में मास्टर ऑफ प्लानिंग (शहरी और क्षेत्रीय आयोजना) और मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (धारणीय वास्तुकला) शुरू किए गए थे। 2015–16 के दौरान, स्कूल में वास्तुकलास्नातक में 67 छात्रों, नियोजन स्नातक में 22 और विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 49 छात्रों को प्रवेश दिया गया।

आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल

एसपीए भोपाल की स्थापना वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। आयोजना और वास्तुकला अधिनियम, 2014 के अंतर्गत इस विद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्था घोषित किया गया है। विद्यालय वैश्विक मानकों के वास्तविक और सामाजिक–पर्यावरणीय विकास की चुनौतियों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम वास्तुशिल्प और आयोजक तैयार करने हेतु वचनबद्ध है। वर्ष 2008–09 से, एसपीए भोपाल यूजी स्तर पर वास्तुकला और आयोजना के क्षेत्र में स्नातक स्तर के कार्यक्रम प्रदान करा रहा है और वर्ष 2010–11 से एसपीए भोपाल वास्तुकला और आयोजना के क्षेत्र में शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में एम–प्लान और शहरी डिजाइन में एम–आर्क मास्टर स्तर कार्यक्रमों के साथ–साथ पीएचडी कार्यक्रम भी प्रदान कर रहा है। वर्ष 2013–14 से एसपीए भोपाल तीन और

नए मास्टर स्तर कार्यक्रम जैसे मास्टर भू–दृश्य वास्तुकला, वास्तुकला में वास्तुकला (संरक्षण) मास्टर, मास्टर आयोजना (पर्यावरणीय आयोजना) प्रदान कर रहा है। सन 2015–16 के दौरान, इस विद्यालय ने विभिन्न स्नातक कार्यक्रम में 96 छात्रों और विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 80 छात्रों को दाखिला दिया। संस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला जैसे सिंहस्थ–कुंभ, उज्जैन, धारणीय शहरी पर्यावास पर स्थायी कार्यक्रम आदि और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं जैसे एनओएसपीएलएएन आयोजना के छात्रों के लिए वार्षिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। आयोजना और वास्तुकला विद्यालय अधिनियम–2014 पारित किया गया और सभी उत्तीर्ण छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। वर्ष के दौरान कुल 429 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई थी:

राष्ट्रीय अभिनव डिजाइन पहल की योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अभिनव डिजाइन पहल की शुरूआत की है। इस पहल के तहत, 20 नए डिजाइन अभिनव केन्द्र (डीआईसी), एक मुक्त डिजाइन स्कूल (ओडीएस) और एक राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क (एनडीआईएन), इन सभी स्कूलों को एकसाथ जोड़कर अनुमानत 240 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। इस योजना के तहत, संकाय और भूमि सहित मौजूदा संसाधनों के इष्टतम उपयोग को आसान बनाने के लिए आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के मौजूदा सरकारी वित्तपोषित संस्थानों में उन्हें सह–अवस्थित कर 20 डीआईसी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक डीआईसी को 10 करोड़ रुपये तक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। डीआईसी की पहचान देश की लंबाई और चौडाई को कवर करने के लिए की जाएगी और इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर उदारवादी कला तक के शामिल किए जाने की आशा है। ओडीएस विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शैक्षिक संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम को जोड़कर) के माध्यम से देश में डिजाइन शिक्षा और अभ्यास तक अधिकतम पहुंच और इंटरनेट के माध्यम से अपनी पाठ्य सामग्री का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन, उन डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा जो सभी क्षेत्रों में डिजाईन नवाचार को बढावा देने और संस्थानों के बीच वृहद रेंज वाली सहयोगी परियोजनाएं विकसित करने के लिए डिजाइन शिक्षा तक पहुंच और एक्सेस को और आगे बढाने के लिए उद्योग और शिक्षाए गैर सरकारी संगठनों और सरकार के अग्रणी संस्थानों के साथ घनिष्ठता से काम करते हैं।

वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान, परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने दस संस्थानों अर्थात– आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी, गुवाहाटी, आईआईएससी बंगलौर, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी बीएचयू, राजस्थान विश्वविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय – के परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी थी ।

वर्ष 2015–16 के दौरान, डीआईसी की स्थापना के लिए अभी तक छह संस्थानों–योजना एवं वास्तुकला स्कूल, आईआईटी कानपुर, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनटीयू, काकीनाडा, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी खड़गपुर के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(viii) प्रशिक्षण संस्थाः राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत देश में तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु चेन्नई, भोपाल, कोलकाता और चंडीगढ़ में स्वायत्त समितियों के रूप में चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) स्थापित किए गए। इन संस्थानों का अधिदेश तकनीकी शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, पाठ्यक्रम और संस्थागत संसाधनों का विकास करना, संबंधित प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुधार हेतु राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और तकनीकी संस्थानों की सहायता करना है।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भोपाल

i) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल भारत के पश्चिमी क्षेत्रों (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा संघ शासित प्रदेश) में परीक्षण और परीक्षा, शिक्षा प्रबंधन, शैक्षणिक अनुसंधान, निर्देशात्मक संसाधन विकास, मल्टीमीडिया विकास, संस्थागत स्वायत्तता संवर्धन एवं कार्यक्रमों में लचीलापन, विस्तार सेवाएं, परामर्श और दीर्घावधि कार्यक्रमों सहित अपने अल्पावधि कार्यक्रमों और कार्यशालाओं, पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से राज्य निदेशालयों एवं बोर्डों, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों, उद्योग, क्षेत्र एजेंसियों और सामुदायिक पॉलिटेक्निकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है।

21 जून, 2015 को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" को यादगार बनाने के लिए शिक्षक और कर्मचारी योगासन करते हुए

एच. ई. हसन शेख मोहम्मद, सोमालिया के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति ने 31 अक्तूबर, 2015 को एनआईटीटीआर, भोपाल का दौरा किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

अप्रैल– अक्तूबर, 2015 के दौरान संस्थान की उपलब्धियों का संक्षेप

1. **प्रशिक्षण कार्यक्रमः** संस्थान शिक्षा–शास्त्र में संकाय के विकास के साथ–साथ विषयवस्तु उन्नयन और अर्हता सुधार के लिए दीर्घावधि एवं अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

2. **नाइजीरिया में तकनीकी स्कूल के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**

नाइजीरिया के तकनीकी स्कूल के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य तथा इलेक्ट्रिकल संस्थापना हेतु पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के माध्यम से नाइजीरिया के तकनीकी स्कूलों में उत्पाद की नियोजनीयता में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जीटीए इंजीनियरिंग (नाइजीरिया) लिमिटेड के तत्वाध ाान में स्कीपर इलेक्ट्रिकल (भारत) लिमिटेड ने ''इलेक्ट्रिकल संस्थापना और अनुरक्षण कार्य'' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक–प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ से संपर्क किया था। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा 14 अप्रैल से 01 मई, 2015 तक आयोजित किया गया था। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य नाइजीरिया के तकनीकी स्कूल के 06 शिक्षकों को मुख्यतः विद्युत संस्थापना और अनुरक्षण कार्य के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान करना था।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) चंडीगढ़ को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी), भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वरा हरित अर्थव्यवस्था की पहलों के सहयोग से आईएसओ/आईईसी– 17025:2005 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रयोगशाला प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान प्रणाली के तौर पर प्रत्यायन प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेन्नई

i) **संस्थान की संक्षिप्त पृष्ठभूमिः** राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) चेन्नई की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में, विशेष रूप से दक्षिण क्षेत्र में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीवीईटी) प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु, एक स्वयात्त संस्थान के रूप में की गई थी। इस अधिदेश के भीतर, संस्थान उचित साधनों के माध्यम से आवश्यकता आधारित मानव संसाधन विकास कार्यक्रम प्रदान करने तथा पाठ्यचर्या विकसित करने और निर्देशात्मक संसाधनों के लिए पहलें करता है। यह मुख्य इंजीनियरिंग क्षेत्र और इंजीनियरिंग शिक्षा के अंतर–विषयी क्षेत्र में अनुसंधान तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक्स, व्यावसायिक संस्थाओं, उद्योग, सर्विस सेक्टर और समुदाय के समग्र विकास के लिए विस्तार सेवाएं भी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तकनीकी शिक्षा पर पहली क्षेत्रीय कार्यशाला का 17–19 अप्रैल, 2015 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजन किया गया।

कैम्पस वाइड बैकबोन नेटवर्क और वाई–फाई प्रणाली 20 जुलाई, 2015

संस्थान ने हाल ही में फाइबर ओपटिक्स चैनल पर एक बैकबोन नेटवर्क विकसित किया था जो विभिन्न भवनों और कैम्पस वाइड वाई–फाई नेटवर्क के बीच 10 गीगाबीट नेटवर्क कनेक्टिविटी को सहायता देता है। इस वाई–फाई प्रणाली को 802.11बी/जी/एन/एसी नेटवर्क के माध्यम से गीगाबीट वायरलैस कनेक्टिविटी को सहायता देने के लिए डिजाइन किया जाता है। वाई–फाई नेटवर्क लगभग 500 प्रयोक्ताओं की सहायता कर सकता है तथा अभिज्ञात प्रबंधन प्रणाली पर कार्य करता है। बैकबोन नेटवर्क सर्वरों को इन–हाउस परिनियोजन और भावी संस्थान अधिगम की सहायता हेतु डिजाइन किया जाता है।

निदेशक, एनआईटीटीटीआर, कोलकाता, पूरे कैम्पस में वाईफाई नेटवर्क और बैकबोन नेटवर्क का उद्‌घाटन करते हुए

(ix) एरिया/क्षेत्र विशिष्ट संस्थाएं

भारतीय खनन स्कूल (आईएसएम), धनबाद

भारतीय खनन स्कूल (आईएसएम), धनबाद की स्थापना खनन और संबद्ध क्षेत्रों में अनुदेश और अनुसंधान प्रदान करने के लिए 1926 में की गई थी। सन् 1967 में, आईएसएम का स्वायत्त संस्था के रूप में समवत विश्वविद्यालय में परिवर्तन किया गया। भारतीय खनन स्कूल खनन, खनिज, तेल, इस्पात, इंजीनियरिंग, विनिर्माण क्षेत्रों और उभरते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, आईएसएम के संकाय सदस्य और अनुसंधान विद्वान सीमावर्ती क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन में अनुसंधान संचालित करते हैं, और विभिन्न उद्योगों की वास्तविक जीवन समस्याओं का हल करने के लिए बड़ी संख्या में उद्योग प्रायोजित परियोजनाओं को कार्यान्वित करते हैं।

वित्तीय बजट 2015 में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि भारतीय खनन स्कूल, धनबाद को पूर्ण–विकसित आईआईटी दर्जे में उन्नयन किया जाएगा।

भारतीय खनन स्कूल, धनबाद में वर्ष 2014–2015 (अप्रैल 2014 से मार्च 2015) में उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रगति को जारी रखा है जिसका ब्यौरा निम्नवत हैः

शैक्षणिक

निम्नलिखित नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए

- बी.टेक. (इंजीनियरिंग भौतिकी)
- अप्लाइड जियोलॉजी विभाग से 5 वर्षीय एकीकृत एम.टेक

- अप्लाइड जियोफिजिक्स विभाग से 5 वर्षीय एकीकृत एम.टेक
- मैकेनिक इंजीनियरिंग विभाग से थर्मल इंजीनियरिंग में एम.टेक

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), लोंगोवाल (पंजाब)

भारत सरकार द्वारा 1989 में स्थापित, संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के व्यावसायिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। संस्थान, विभिन्न विषयों में प्रमाणपत्र से लेकर डॉक्टरेट के कार्यक्रमों के साथ इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों में पुख्ता आधार के साथ सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले लचीले इंजीनियरिंग कौशलों को सृजित करता है, जबकि इंजीनियरिंग प्रणाली और दृष्टिकोण का अंतर्निवेशन स्नातकों को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने योग्य बनाते हैं और 'वास्तविक विश्व' की समस्याओं पर सर्जक एवं व्यावहारिक परिणामों के साथ पकड़ बनाने में समर्थ बनाता है।

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), लोंगोवाल (एसएलआईईटी) की स्थापना मानव संस्थान विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौते के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। यह शिक्षा की मॉड्यूलर प्रणाली की नई अवधारणा को अपनाते हुए और उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल देते हुए तकनीकी जनशक्ति की विभिन्न स्तरों पर आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रम गैर–पारंपरिक, नवाचारी और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर बल देने के साथ–साथ उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने वाले होते हैं।

एसएलआईईटी को दिसंबर, 2015 तक, योजना आवंटन और गैर योजना शीर्षों के तहत क्रमशः 1500.00 लाख रूपए और 2666.26 लाख रूपए में से क्रमशः 750.00 और 2666.26 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरूणाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1986 में स्वायत्त संस्था के रूप में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी एवं प्रायोगिक विज्ञान विषयों में मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी और कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए की गई थी। इस संस्था को 31.5.2005 से समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया और यह पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

संस्थान शिक्षा का मॉडयूलर पैटर्न प्रदान करता है। संस्थान अतिरिक्त बाह्य अध्ययनों, विस्तार कार्यक्रमों और स्थानीय समुदाय के विकास में योगदान के लिए फील्ड आउटरीच कार्यकलाप का भी संचालन करता है।

एनईआरआईएसटी इंजनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञानों में दो वर्ष की अवधि के माड्यूलर पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान एम.टेक, एमएससी, एमबीए और पी.एचडी कार्यक्रमों के साथ–साथ उन्नीस (छः प्रमाणपत्र, छः डिप्लोमा और सात डिग्री स्तर के) पाठ्यक्रम चलाता है। ये माड्यूलर कार्यक्रम नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं जैसे कि टेक्नीशियन, पर्यवेक्षक और इंजीनियर्स। प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम अगले उच्चतर माड्यूल में प्रवेश दिला सकते हैं बशर्ते निम्न स्तर के माड्यूलों में छात्रों ने संतोषजनक निष्पादन किया हो और यदि जरूरत पड़े तो सेतु पाठ्यक्रमों को करने की व्यवस्था की जाती है। इस माड्यूलर और नवाचारी प्रणाली का दबाव छात्रों को या तो अपवाद स्वरूप उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रमों को करने द्वारा अच्छा निष्पादन करने अथवा वे अवसर पर निर्भर करते हुए नौकरियां पा सकें, उन्हें इस क्षैतिज रूप से प्रणाली से बाहर निकलने की अनुमति देता है।

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का इस संस्थान में बराबर का कोटा है। सीटों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत सीटें बराबर–बराबर आठ राज्यों को आवंटित की गई हैं। अन्य 7 प्रतिशत सीटें इन आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवास प्रमाण–पत्रों वाले उम्मीदवारों में से भरी जाती हैं अर्थात उन लोगों से जो अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हों लेकिन इन आठ राज्यों में स्थायी रूप से रहते हों, पूर्णतया योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं। शेष बची 10 प्रतिशत सीटें संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर देश के बाकी हिस्से से भरी जाती हैं। 3 प्रतिशत सीटें कुल मिलाकर सभी वर्गों से संबंधित शारीरिक रूप निःशक्त लोगों के लिए आरक्षित हैं। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञानों में नियमित

के संचालन के अलावा संस्थान अपने शिक्षकों के लिए विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं, का आयोजन करने जैसे कार्यकलाप करता है और छात्रों के लिए अध्ययन दौरे भी आयोजित करता है तथा राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय अभिकरणों के विभिन्न अनुसंधान और विकास के कार्य संचालित करता है।

एनईआरआईएसटी, ईटानगर को दिसंबर, 2015 तक, योजना आवंटन और गैर योजना शीर्षों के तहत क्रमशः 4500.00 लाख रूपए और 4938.22 लाख रूपए में से क्रमशः 3375.00 और 3592.11 लाख रूपये की राशि विमुक्त की गई थी।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी), रांची

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी), रांची एक विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी–यूनेस्को के सहयोग से फांउडरी और फोर्ज उद्योगों को चलाने के लिए अर्हक इंजीनियर और विशेषज्ञ देने हेतु 1966 में की गई थी।

संस्थान का विजन तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना तथा मैटीरियल प्रौद्योगिकी और अन्य संगत/उभरती हुई इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी शाखाओं की राष्ट्र के औद्योगिक उन्नति के साथ सहभागिता के क्षेत्र में अत्याधुनिक ज्ञान और विशेषज्ञता का प्रसार करने वाले रिपोजिटरी और मुखिया के रूप में और साथ ही फाउंड्री प्रौद्योगिकी और फोर्ज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बतौर मुखिया अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए और सुदृढ़ करते हुए कार्य करना है। एनआईएफएफटी रांची के पांच विभाग हैं–अर्थात (i) फाउंड्री प्रौद्योगिकी, (ii) फोर्ज प्रौद्योगिकी (iii) विनिर्माण इंजीनियरिंग (iv) मैटीरियल और धातुकर्मी इंजीनियरिंग तथा प्रायोगिक विज्ञान और मानविकी। संस्थान अवर स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान करने के लिए रांची विश्वविद्यालय से संबंधित है। एडवांस डिप्लोमा स्वयं संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है।

शैक्षणिक कार्यक्रमः एनआईएफएफटी के अध्ययन के पांच विभाग अर्थात् फाउंड्री प्रौद्योगिकी, फोर्ज प्रौद्योगिकी, विनिर्माण इंजीनियरिंग, मैटीरियल और धातुकर्मी इंजीनियरी तथा प्रायोगिक विज्ञान और मानविकी। संस्थान निम्नलिखित नियमित कार्यक्रम प्रदान करता हैः–

- पोस्ट–डॉक्टरल कार्यक्रम
- डॉक्टरल कार्यक्रम
- फाउंड्री–फोर्ज प्रौद्योगिकी में एम.टेक पाठ्यक्रम
- विनिर्माण इंजीनियरिंग में एम.टेक पाठ्यक्रम
- पर्यावरणीय इंजीनियरिंग में एम.टेक पाठ्यक्रम
- मैटीरियल विज्ञान और इंजीनियरिंग में बी.टेक पाठ्यक्रम
- धातुकर्मी और मैटीरियल इंजीनियरिंग में बी.टेक पाठ्यक्रम
- फाउंड्री प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम
- फोर्ज प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए), नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित किया जाता है। अवर स्नातक कार्यक्रमों में दाखिले के लिए चयन अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा (सीबीएसई द्वारा पूरे भारत में आयोजित) के माध्यम से किया जाता है जबकि, ग्रेजुएट एप्टीट्यूट टेस्ट फॉर इंजीनियर्स (गेट) में किए गए स्कोर पर एम.टेक में दाखिले हेतु विचार किया जाता है। उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, डॉक्टरल एवं पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों में दाखिला एनआईएफएफटी द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाता है।

संस्थान समाज की आवश्यकताओं और उद्योगों के आयामों को अपनाने के लिए समय के साथ अपने उद्देश्यों और पाठ्यक्रमों में विस्तार कर रहा है।

चालू वित्त वर्ष 2015–16 में, एनआईएफएफटी रांची को योजना और गैर योजना शीर्षों के तहत क्रमशः 1000.00 लाख रूपए और 3063.00 लाख रूपए आबंटित किए गए हैं। अभी तक एनआईएफएफटी रांची को कोई धनराशि विमुक्त नहीं की गई है क्योंकि संस्थान द्वारा कोई मांग नहीं की गई है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुम्बई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), भारत की प्रमुख संस्थाओं में से एक है जो औद्योगिक इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षा देने में लगा है। संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से सन 1963 में की गई थी। एनआईटीआईई ने अब तक पांच दशकों से उद्योग की सेवा की है और आज इसके स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या और प्रबंधन विकास कार्यक्रम इस सहजीवी संबंध

को गर्व से प्रदर्शित करते हैं। एनआईटीआईई परिसर मुम्बई के अति सुरम्य वातावरण से घिरे स्थान पर जिसके बगल में पोवाई और बिहार लेक हैं, एक पहाड़ी पर 63 एकड़ भूमि के क्षेत्र में अवस्थित है।

एनआईटीआईई शासी बोर्ड के माध्यम से प्रशासित होता है जिसमें उद्योग, सरकारी, श्रम और व्यावसायिक निकायों (पुनर्गठित किया जाएगा) के प्रतिनिधि होते हैं। एनआईटीआईई शासी बोर्ड में श्री वी.एस. ओबराय, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अध्यक्ष के रूप में तथा प्रो.(सुश्री) करूणा जैन, निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

उत्पादकता सुधार, प्रचालनों और विनिर्माण प्रबंधन में अग्रणी एनआईटीआईई आज देश के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ऊपर है जिसने प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का सफलतापूर्वक सम्मिश्रण किया है। संस्थान तटस्थ/स्थायी गुणवत्ता प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, लोजिस्टिक्स, बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग (बीपीआर), एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी), आपूर्ति चैन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एमडीपी), व्यावसायिक औद्योगिक परामर्श और औद्योगिकी इंजीनियरिंग और संबद्ध क्षेत्रों में प्रायोगिक अनुसंधान में लगे एनआईटीआईई को ख्यातिप्राप्त भारतीय संस्थान के रूप में भी मान्यताप्राप्त है।

शैक्षणिक कार्यकलाप

एनआईटीआईटीई निम्नलिखित दो वर्षीय आवासीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्रदान करता हैः–

1. अध्येता कार्यक्रम (पीएचडी के समकक्ष)
2. औद्योगिक इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई)
3. विनिर्माण प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम)
4. परियोजना प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएम)
5. औद्योगिक प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम)
6. औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रबंधन स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएसईएम)

एनआईटीआईई, मुम्बई को दिसंबर, 2015 तक बजटीय आबंटन 400.00 लाख रूपए और 2714.00 लाख रूपए की तुलना में योजना और गैर योजना शीर्षों के तहत क्रमशः 200.00 लाख रूपए और 1357.00 लाख रूपए विमुक्त किए गए हैं।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) कोकराझार एक स्वायत्त संस्थान है जिसका वित्तपोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना असम सरकार, संघ सरकार और बोडो लिब्रेशन टाइगर के बीच फरवरी 10, 2003 को नई दिल्ली में हुए समझौता ज्ञापन का परिणाम है। सीआईटी ने दिसंबर 06, 2006 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

सीआईटी की स्थापना बोडो लोगों की उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, शिक्षा और समग्र क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित अभिलाषाओं को पूरा करने के मूल उद्देश्य से की गई थी। अकादमिक कार्यक्रमों और पाठ्यचर्या में अपेक्षित कार्यबल सृजित करने, युवाओं को अपेक्षित प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करने और बोडोलैंड को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यध ाारा के जोड़ने पर जोर दिया जाता है।

सीआईटी निम्नलिखित कार्यक्रमों को संचालित करती हैः

1. इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग
2. कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग
3. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
4. इंस्ट्रूमेन्टेशन इंजीनियरिंग
5. सिविल इंजीनियरिंग
6. सूचना प्रौद्योगिकी
7. ऐनीमेशन और मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी
8. एलाइड इंजीनियरिंग
   - i. मकैनिकल इंजीनियरिंग
   - ii. इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
9. आधारभूत विज्ञान
   - i. भौतिक विज्ञान
   - ii. रसायन विज्ञान
   - iii. गणित
10. मानविकी और सामाजिक विज्ञान

योजना शीर्ष के 4500.00 लाख रूपये के सापेक्ष 2125.00 लाख रूपये की कुल राशि सीआईटी, कोकराझार को योजनागत शीर्ष के तहत दिसम्बर, 2015 तक जारी की गई।

घनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल

घनी खान चौधरी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2010 में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य बहु–स्तरीय अंतर–विषयी और अंतर–क्षेत्र, सक्षम व्यावसायिक तकनीकी जनशक्ति का सृजन करना और अकादमियों में तकनीकी क्षमता के विकास और अंतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना था।

जीकेसीआईईटी, मालदा को योजनाशीर्ष में निर्धारित 2000.00 लाख रूपये के सापेक्ष दिसम्बर, 2015 तक योजना शीर्ष के अंतर्गत 1000.00 लाख रूपये की राशि जारी की गई है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक की स्थापना 1959 में एसईएटीओ सदस्य राज्यों की उच्च तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से एसईएटीओ स्नातक इंजीनियरिंग विद्यालय के रूप में की गई थी। सन् 1967 में एसईएटीओ ने अपना नियंत्रण त्याग दिया और संस्थान का नाम एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान रख दिया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपे जा रहे है, प्रबंधन के साथ एक स्वायत्त संस्थान हो गया। इस समय बैंकाक में भारत के राजदूत एआईटी बैंकाक न्यासी बोर्ड के सदस्य हैं। भारत सरकार विशिष्ट चुनिंदा क्षेत्रों में 16 सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय संकाय की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति द्वारा एआईटी को सहायता प्रदान करती है और प्रति वर्ष संकाय की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के लिए 33.00 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति करती है। मंत्रालय ने जनवरी 2016 अवधियों के लिए 8 उम्मीदवार तैनात किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार एआईटी को प्रत्येक वर्ष भारतीय उपकरण, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने के लिए 3 लाख रूपए भी प्रदान करती है।

कोलंबो तकनीकी शिक्षा प्लान स्टॉफ कॉलेज (सीपीएससी) मनीला को सहायता

टेक्नीशियनों के लिए कोलबो प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी), मनीला कोलंबो योजना की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है। इसकी स्थापना कोलंबो योजना के सदस्य देशों की सहायता करने के लिए वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित कोलंबो योजना की परामर्शदात्री समिति की 23वीं बैठक में 5 दिसंबर, 1973 को की गई थी। बारह वर्षों के लिए प्रथम मेजबान सरकार के रूप में कार्य कर रहे सिंगापुर गणराज्य के साथ यह 1974 में प्रचालनशील हुआ। 1986 में सीपीएससी मनीला, फिलीपींस चला गया। कोलंबो योजना स्टाफ कॉलेज एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों का अनूठा संगठन है जो टेक्नीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मामलों का समाधान करने वाला एशियन पेसिफिक क्षेत्र में केवल अकेला क्षेत्रीय संस्थान है। स्टॉफ कॉलेज का उद्देश्य है कि टेक्नीशियन शिक्षक, शिक्षाविद और प्रशिक्षकों और टेक्नीशियन शिक्षा में वरिष्ठ स्टाफ की जरूरत पूरी करके सेवाकालीन प्रशिक्षण और स्टाफ विकास कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भाग लेने द्वारा कोलंबो योजना क्षेत्र में टेक्नीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

मुक्त तथा दूरस्थ अध्ययन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इग्नू की राष्ट्रीय स्तर पर स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा देश की शैक्षिक पद्धति में मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के चलाने और प्रोत्साहन देने हेतु की गई थी।

इग्नू विद्यार्थियों जिनमें वंचित समूहों, दिव्यांग, गृहणियां, अल्पसंख्यकों और जो व्यावसायिक विकास हेतु सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, को नवाचारी और आवश्यकता आधारित शिक्षा प्रदान करती है। विश्वविद्यालय ने सीखने की विधियों और स्थानों, पाठ्यक्रमों के समन्वय और नामांकन हेतु अर्हता, प्रवेश की आयु और मूल्यांकन आदि की विधियों के संबंध में एक लचीला और मुक्त प्रणाली अपनाया है। विश्वविद्यालय ने निर्देशों को प्रदान करने हेतु एक एकीकृत कार्यनीति अपनाई है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश में स्थित अपने अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से मुद्रित सामग्री, दृश्य–श्रव्य टेप, रेडियों प्रसारण और शैक्षिक टीवी चैनल्स, टेलीकॉन्फ्रेसिंग, वीडियो कान्फ्रेसिंग और आमने–सामने परामर्श प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों में नामांकित अपने विद्यार्थियों के प्रदर्शन

के मूल्यांकन हेतु लगातार मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षा विधि अपनाई है।

विश्वविद्यालय भारतीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं के प्रबंधन हेतु 227 शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करता है। वर्ष 2015–16 के प्रवेशचक्र के दौरान विद्यार्थियों की नामांकित संख्या 7,96,127 है इस बीच तालिका (संचयी) में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2.98 मिलियन है। 2015–16 के नए नामांकन के आंकडों से पता चलता है कि इनमें से 45.5 फीसदी महिलाएं हैं, 8.8 फीसदी अनु.जन जाति से है, 10 फीसदी अनु. जाति से और 20.8 फीसदी अन्य पिछडा वर्ग से हैं जिससे समावेशी शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण सामाजिक फैलाव हो रहा है।

विश्वविद्यालय में मुख्यालय में 280 शिक्षक और 256 शैक्षणिक कर्मचारी और 986 प्रशासनिक एवं 427 तकनीकी कर्मचारियों से समर्थित क्षेत्रीय केन्द्र हैं। यहां परंपरागत उच्चतर अग्रिगम संस्थाओं और पेशेवर संगठनों से लगभग 52,830 शैक्षणिक काउंसलर अंशकालिक तौर पर कार्य कर रहे हैं। विद्यार्थी भारत में विश्वविद्यालय नेटवर्क के 67 क्षेत्रीय केन्द्र और 3,098 प्रशिक्षु सहायता केन्द्र (एलएसयू) की सहायता करते हैं। रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में छात्र सहायता नेटवर्क का 137 नए एलएससी की स्थापना कर विस्तार किया गया जिनमें से 31 विशेष अध्ययन केन्द्र हैं।

विश्वविद्यालय ने दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच और उत्कृष्ट गुणवत्ता प्राप्त करने हेतु आईसीटी के प्रयोग और विकास में उल्लेखनीय परिवर्तन के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। ईएमपीसी ने 4616 संचयी संख्या के साथ 117 नए विडियो कार्यक्रम और ऑडियो कार्यक्रमों की 2,491 संचयी संख्या से साथ 157 आडियो कार्यक्रमों का योगदान किया है।

विश्वविद्यालय ने ''नवधारणा'' नामक मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) प्रणाली में नवप्रवर्तन के संबंध में इंटरेक्टिव ऑनलाईन डाटाबेस डिजाईन एवं तैयार किया है जिसमें हितधारकों के लिए सौ से अधिक नवप्रवर्तन और विचार हैं। इन नवप्रवर्तनों का विभिन्न मीडिया जैसे रिपोर्टों, ई–न्यूजलेटरों, ब्लॉग और बुकलेट्स आदि के जरिए प्रचार–प्रसार किया जाता है।

मुख्यालय में स्थित केन्द्रीय पुस्तकालय में 1,38,858 पुस्तकों का संग्रह है जबकि क्षेत्रीय केन्द्रों में पुस्तकालयों में 2,51,762 पुस्तकों का संग्रह है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान एलएंडडीडी ने लगभग 75,000 ई–पत्रिकाओं और 1,711 ई–पुस्तकों की सदस्यता ली है। केन्द्रीय पुस्तकालय संसाधन वेब–ओपेक और एकीकृत खोज इंजन के माध्यम से होस्ट वेबसाइट और रिमोट पहुंच के जरिए इग्नू के सभी हितधारकों के लिए उपयोग के लिए खुले हैं।

विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय केंद्र विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों जैसे इस तरह के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण आदि के लिए विशेष पहल करते हैं और साथ ही, ऑन स्पाट प्रवेश, नुक्कड नाटक, मोबाईल गाडियों के जरिए प्रचार आदि सहित नामांकन में बढोत्तरी के लिए नवाचारी एप्रोच भी अपनाते हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, लखनऊ और कोच्चि में स्थित क्षेत्रीय केंद्रों के भवनों का उद्घाटन किया गया और क्षेत्रीय केंद्र, वाटकरा के लिए भवन की आधारशिला भी रखी गई थी।

विश्वविद्यालय के बागवानी प्रकोष्ठ ने विश्वविद्यालय परिसर के अंदर आवासीय कॉम्पलैक्स में लॉन (0.45 हेक्टेयर क्षेत्र कवर) तैयार किया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभिन्न प्रजातियों के 1,000 वृक्ष, मौसमी पुष्प पादप और 12,000 से अधिक गमले लगाए गए थे। विश्वविद्यालय में परिसर में 50 से अधिक औषधीय और सुगंध वाले पौधों का बागान लगाया है।

विश्वविद्यालय ने दिव्यांगों को मदद देने के लिए विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। इग्नू पर सांकेतिक भाषा में एक वीडियो ब्रोशर तैयार किया है ताकि भावी दिव्यांग छात्र इग्नू और इसके शैक्षिक कार्यक्रमों से परिचित हो सकें। विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान, दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों पर छह रेडियो कार्यक्रम विकसित किए और दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों पर छह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

विश्वविद्यालय भी पैन अफ्रीकी ई–नेटवर्क के तहत अफ्रीकी महाद्वीप के 31 देशों में 32 संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रबंधन अध्ययन और आरंभिक शिशु देखभाल और शिक्षा के विषयों में अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को करा रहा है। पैन अफ्रीकी ई–नेटवर्क परियोजना के तहत कुल 2678 छात्र पंजीकृत किए गए।

कॉमनवेल्थ अध्ययन (सीओएल): राष्ट्रमंडल अध्ययन, मुक्त अध्ययन/दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, संसाधन और प्रौद्योगिकी के विकास और उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के राष्ट्रमंडल प्रमुखों द्वारा बनाया गया अंतर्सरकारी संगठन है। राष्ट्रमंडल अध्ययन मुक्त और दूरस्थ अध्ययन के क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा और प्रशिक्षण में पहुंच में सुधार

करने के लिए विकासशील देशों की सहायता कर रहा है। सहभागी संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए कार्य करता है। यह राष्ट्रमंडल के 53 सदस्य देशों तक बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाने में सहायता करता है।

राष्ट्रमंडल अध्ययन को राष्ट्रमंडल देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत एक बड़ा दानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 8.00 करोड़ (गैर–योजना) बजट का प्रावधान राष्ट्रमंडल को पहले ही संस्वीकृत और राष्ट्रमंडल अध्ययन को जारी किया जा चुका है। राष्ट्रमंडल के शासक मंडल और कार्यकारी परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग ने किया। राष्ट्रमंडल अध्ययन ने कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर एशिया (सीईएमसीए) की स्थापना की, सीईएमसीए क्षेत्र में परामर्श क्षमता निर्माण और सूचना संसाधन तथा विनिमय तंत्र प्रदान करती है। सीईएमसीए 10,000 शैक्षिक रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों को कवर करने के लिए समाचार का प्रबंधन करता है जो पूरे एशियाई क्षेत्र में उपयोग हेतु उपलब्ध है।

कार्यक्रम / योजनाएं

(i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)

रूसा का उद्देश्य निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए एक अनिवार्य गुणवत्ता आश्वासन ढांचाकार्य को अपनाकर वर्तमान राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार करता है। रूसा राज्य के उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का संबद्धता प्रणाली और शासन, शैक्षणिक और परीक्षा (और मूल्यांकन) सुधार करने में सक्षम बनायेगा। नामांकन लक्ष्यों को पूरा करने और क्षेत्रीय एवं सामाजिक रिक्तियों को भरने हेतु वर्तमान संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता को बढ़ाकर और असेवित एवं अल्प सेवित क्षेत्र में नए संस्थानों की स्थापना करके विस्तार किया जा रहा है। रूसा सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की सही उपलब्धता और अनुसंधान एवं नवाचार के प्रोत्साहन के लिए उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण और अर्द्ध नगरीय क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच को आसान बनाकर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाएगा। रूसा उच्चतर शिक्षा में सामाजिक रूप से वंचित समुदाय को उचित अवसर प्रदान करके, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी/ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों के सम्मिलन को बढ़ावा देकर निष्पक्षता में भी सुधार करेगा।

योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग से पूरे देश में किया जाएगा। योजना का उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाकर और उन्हें सहायता प्रदान करके और राज्य और संस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करके उच्चतर शिक्षा में वर्तमान अंतरों की पहचान और उनको भरना है जिससे उच्चतर शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए केन्द्रीय निधियन 60:40 प्रस्तावित होगा और विशेष वर्ग के राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए 90:10 होगा और संघ राज्यक्षेत्र के लिए यह अनुपात शत प्रतिशत होगा।

12वीं योजना के भौतिक लक्ष्य निम्न हैं:

क्र.सं.	घटक	विश्वविद्यालयों / कॉलेज / राज्य / इकाईयों की लक्षित संख्या	उपलब्धि और कवरेज	पीएबी द्वारा अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ में)	जारी अनुदान (रु. करोड़ में)
1	क्षमता निर्माण और तैयारी, डाटा कलेक्शन एवं योजना	20	लक्षद्वीप को छोड़कर 35 राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	95.1995	95.1995
2	सांस्थानिक पुनर्निर्माण एवं सुधार	20			
3	मूल्यांकन एवं अनुसंधान निधि निगरानी प्रबंधन (किसी भी राशि का (1% जारी किया गया)			3.69699	3.69699
4	वर्तमान स्वायत्त कॉलेजों को उन्नत करके विश्वविद्यालयों का निर्माण	45	7 (6 राज्य)	385	-

क्र.सं.	घटक	विश्वविद्यालयों / कॉलेज / राज्य / इकाईयों की लक्षित संख्या	उपलब्धि और कवरेज	पीएबी द्वारा अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ में)	जारी अनुदान (रु. करोड़ में)
5	कॉलेजों का क्लस्टर में रूपान्तरण करके विश्वविद्यालयों का निर्माण	35	8 (आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर और ओडिशा)	440	8.23
6	विश्वविद्यालयों को ढांचागत अनुदान	150	115 (22 राज्य)	2279.53	372.799
7	न, मॉडल कॉलेज (असामान्य)	60	72 (आंध्र प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैण्ड, तेलंगाना)	859.69	201.7724
8	वर्तमान डिग्री कॉलेजों को मॉडल कॉलेज के रूप में उन्नत करना	54	55 (19 राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)	216.36	15.556
9	नए कॉलेज (प्रोफेशनल)	40	25(15 राज्य)	702	67.5826
10	कॉलेजों को ढांचागत अनुदान	3500	1211 (31 राज्य / संघ राज्यक्षेत्र)	2407.25	443.743
11	अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता में सुधार	10	3 (नागालैंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु)	37.27	8.0355
12	समानता पहलें	20	18 राज्य	77.45	17.95
13	संकाय भर्ती सहायता	5000	2 (नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश)	13.67	0.6525
14	संकाय सुधार	20	8 राज्य	41.49	4.47
15	उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण	20	7 राज्य	83.55	13.4255
16	शैक्षिक प्रशासन का नेतृत्व विकास	20	टीआईएसएस की सहायता से केन्द्रीय प्रशासन की शुरूआत	7.2	5.7
17	सूचना प्रणाली प्रबंधन	20	केन्द्रीय प्रशासित	0.04 परामर्श सहायता हेतु	0.04 परामर्श सहायता हेतु
	कुल			**7649.396**	**1258.852**

अभी तक, 29 राज्यों और 6 केन्द्रशासित राज्यों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसे मिशन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उच्चतर शिक्षा में सहायता और शिक्षकों की भर्ती की सकारात्मक प्रवृत्ति की राज्यों द्वारा बढ़ रही प्रतिबद्धता से शिक्षक विद्यार्थी अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राज्य उच्चतर शिक्षा में

विद्यार्थियों के नामांकन बढ़वाने और उचित ढांचागत सुविधा की कमी में सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसलिए ढांचागत और अन्य विद्यार्थी केन्द्रित सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यों ने उच्चतर शिक्षा में अपने योगदान को बढ़ाने में अपनी जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है। शिक्षकों की भर्ती में गुणवत्ता मानक को बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को अवगत करा दिया गया है। राज्य सांविधिक आधार पर राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों को धीरे–धीरे कानूनी रूप दे रहे हैं जो राज्य में क्षमता निर्माण, शैक्षिक भागीदारी, निगरानी और रूसा के कार्यान्वयन का आधार है।

रूसा के सुधार एजेंडा में प्रत्यायन, संबद्धता, शासन और प्रशासनिक नाम से सुधार के कदम उठाये जा रहे हैं और राज्यों के बीच प्रसारित किए जा रहे हैं।

राज्यों ने प्रत्यायन स्थिति और एनआईआरएफ में भागीदारी की निगरानी अपने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों दवारा शुरू कर दी गई है।

वर्ष 2015–16 हेतु अंतिम अनुदान बजट 1045 करोड़ रूपये (पॉलिटेक्निक सहित) है और 31 मार्च, 2016 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का व्यय 861.82 करोड़ रूपये है।

निधि सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के आधार पर राज्यों, उपयोगी प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण और पूरी दस्तावेजों के साथ विस्तृत परियोजना द्वारा जारी की जाती है।

(ii) शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसआईएस)

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी, महिलाओं और निःशक्तजनों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से कोई भी केवल इस कारण से व्यावसायिक शिक्षा की सुलभता से वंचित न रहे कि वह अथवा वे गरीब हैं।

इस योजना का आशय 4.5 लाख रूपए प्रति वर्ष की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस के सभी छात्रों को शामिल करना है। इस योजना में इंडियन बैंक एसोसिएशन की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से ईडब्ल्यूएस के सभी छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण पर मोराटोरियम की अवधि के दौरान (अर्थात रोजगार के बाद मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि जमा 1 वर्ष अथवा 6 महीने, जो भी पहले हो) पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है।

इस योजना के लिए संशोधित अनुमान 2015–16 में शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएसईएल) के 1960 करोड़ रूपए चिह्नित किए गए हैं।

(iii) शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी कोष

शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी कोष योजना 17 सितम्बर, 2015 को अधिसूचित की गई है। क्रेडिट गारंटी निधि के लाभ हैः–

i) यह संस्थान के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करेगा और ज्यादा नकदी उपलब्ध करायेगा, उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को कवर करेगा जो उच्चतर शिक्षा के जीईआर बढ़ाने में योगदान करेगा।

ii) शैक्षिक उद्देश्यों हेतु ऋण देने के लिए लोन (ईजी और फ्लेक्सी–लोन शामिल) पर ज्यादा संस्थान आगे आयेंगे और यह सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता लायेगा।

iii) शैक्षिक लोन में ब्याज सब्सिडी का अर्थ केवल भारत में अध्ययन से है लेकिन क्रेडिट गारंटी ने विदेश के साथ–साथ देश में उच्चतर शिक्षा का अध्ययन कर रहे कारपोरेट शैक्षिक लोन को स्वीकृत किया। यह डीआरटी में भी मामले कम करेंगे यद्यपि बैंक को क्रेडिट गारंटी फंड का उपयोग करने से पहले सभी विकल्पों का सहारा लेने की अपेक्षा है।

शैक्षिक ऋण हेतु नेशनल क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफईएल) के अंतर्गत, केन्द्र सरकार निश्चित शर्तों के तहत लोन लिए हुए विद्यार्थियों द्वारा राशि न चुका पाने की स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिए गारंटी राशि के 75 प्रतिशत को बढ़ाकर 7.5 लाख रूपये तक कर दिया है।

केन्द्र सरकार निधियों को जारी करती है और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) ट्रस्टी है।

(iv) राष्ट्रीय रैगिंग निवारण कार्यक्रम

शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग के संकट पर रोकथाम लगाने के लिए और भारत को एक रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाना।

यह कार्यक्रम पूरे देश को कवर करता है। रोकथाम (i) कॉलेज प्राधिकारियों और माता–पिता एवं छात्रों के बीच उन्नत संचार (ii) कारगर निगरानी तथा कानूनों का पालन और (iii) सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस कार्यक्रम में छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावकारी कार्यतंत्र का भी प्रावधान है।

1. राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम हेल्पलाइन 20 जून, 2009 को 24×7 आधार पर शुरू कर दी गई। विभिन्न भाषाएं बोलने में सक्षम 12 एजेन्ट, प्रत्येक शिफ्ट में पुरूष कर्मचारियों को रखा गया है। निम्न जगहों पर शिकायतें की जा सकती है
   1. टॉल फ्री न.: 1800–180–5522
   ii. ई मेल के द्वारा भी इस पते पर – helpline@antiragging.in
2. पिछले 3 वर्षों में, रैगिंग केलगभग 1572 शिकायतें राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम हेल्प लाइन द्वारा रिकार्ड किए गए थे।
3. एक रैगिंग रोकथाम वेब पोर्टल (www.antiragging.in) का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा एड.सिल (भारत) लिमिटेड और प्लेनेट ई–कॉम सॉल्यूसन्स के सहयोग से विकास किया है। यह पोर्टल विद्यार्थियों को एक दूसरे से बातचीत करने का प्लेटफार्म प्रदान करता है।
4. एंटी रैगिंग रोकथाम हेल्पलाइन और इसके सहयोगी तंत्र के क्षेत्र को विस्तारित करके पूरे देश के विद्यार्थियों के बीच के नस्लीय और जातीय भेदभाव मामलों को शामिल किया गया था। अब यह रैगिंग रोधी और जातीय भेदभाव रोधी हेल्पलाइन है।
5. जन जागरूकता अभियान नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।
6. कार्यक्रम की संपूर्ण निगरानी राघवन समिति द्वारा की जा रही है। समिति में शैक्षणिक और शिक्षा के क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। पूर्व सीबीआई निदेशक डॉ. आर. के. राघवन समिति के अध्यक्ष हैं। इस शीर्ष निकाय की पिछली मीटिंग 05.06.2015 को आयोजित की गई थी।

रैगिंग की घटनाएं कम हो रही हैं।

(v) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) चरण – II

i) सार

टीईक्यूआईपी के प्रथम चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर वर्तमान में इसके दूसरे चरण (टीईक्यूआईपी–II) का संस्थागत तथा चरणबद्ध सुधारों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें अधिक कड़ी और विस्तृत निगरानी प्रक्रिया के साथ क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए तथा नीति सुधारों पर जोर डालते हुए प्रथम चरण के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है। द्वितीय चरण योग्यता प्राप्त संकाय सदस्यों की कमी को कम करने के लिए अधिक स्नातकोत्तर छात्र तैयार करने और उद्योग जगत के सहयोग से अधिक आरएंडडी तैयार करने के प्रयासों में तेजी लाता है।

उद्देश्य:

इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- बेहतर नियोजनीयता के लिए उच्च गुणवत्ता इंजीनियर तैयार करने के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना,
- स्नातकोत्तर शिक्षा एवं मांग–प्रेरक अनुसंधान और विकास तथा नवाचार में वृद्धि करना,
- फोकस्ड एप्लिकेशन अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना,
- प्रभावी शिक्षण के लिए संकाय का प्रशिक्षण तथा
- संस्थागत तथा प्रणाली प्रबंधन का विस्तार करना।

ii) कवरेज

इस परियोजना में भागीदारी के लिए कुल 191 संस्थाओं अर्थात (26 केन्द्र द्वारा वित्तपोषित 127 राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित और सहायता प्राप्त तथा 38 निजी गैर–सहायता प्राप्त संस्थाओं) का चयन किया जाएगा।

iii) उल्लेखनीय उपलब्धियां (31 मार्च, 2016 तक)

1. आईआईटी (बम्बई, दिल्ली, गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास तथा रूड़की) में शिक्षाशास्त्र और विषय डोमेन प्रशिक्षण के लिए ज्ञान इंन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना। अभी तक कुल 3686 संकाय सदस्यों को केआईटी कार्यक्रम के प्रशिक्षित किया गया है।

2. पहले चरण के सफलतापूर्ण होने के बाद, इंजीनियरिंग शिक्षा में गुणवत्ता प्रोन्नति (क्यूईईई) के चरण–।। का आरंभ। आईआईटी मद्रास द्वारा टीईक्यूआईपी के अधीन परियोजना संस्थाओं के लिए डारेक्ट टू स्टूडेंड प्रोग्राम किया जा रहा है जिसमें लगभग 70 परियोजना संस्थान भागीदारी कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप, शिक्षक/विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

3. आईआईएम (इंदौर, लखनऊ, बंगलौर, कोझीकोड, त्रिची, उदयपुर, रायपुर और तिरूचिरापल्ली) के साथ क्षमता विकास कार्यक्रम के माध्यम से जिसमें टीईक्यूआईपी संस्थानों के वरिष्ठ शिक्षकों सहित 2296 प्रशासन और राज्यों एवं केन्द्र के कार्यान्वयकों को प्रशिक्षित किया गया है।

4. भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद को 30 परियोजना संस्थाओं के एक नमूने में परियोजना मूल्यांकन अध्ययन के लिए चुना गया है। मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विशेषतः अनुसंधान एवं विकास दृष्टिकोण और प्रशिक्षण क्षेत्रों में ज्यादा बेहतर करना था।

5. ऑनलाइन वेब आधारित छात्र, संकाय नॉन–टीचिंग स्टॉफ संतुष्टि सर्वेक्षण 5 बिंदु पैमानों पर कराया गया जिसमें से 190 संस्थाओं से प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है। राष्ट्रीय स्तर पर संतुष्टि सूचकांक 3.2 मापा गया है।

6. आज की तारीख तक, सलाह और प्रदर्शन लेखा परीक्षण की स्थिति नीचे दर्शाई गई हैः–

गतिविधि	मेंटरिंग					डाटा लेखापरीक्षा के साथ कार्य–निष्पादन लेखापरीक्षा			
मेंटरिंग/लेखापरीक्षा की सं.	1st	2nd	3rd	4th	5th	1st	2nd	3rd	4th और अंतिम
संस्थानों की संख्या	187	164	122	40	24	190	176	26	101

7. फरवरी, 2014 में छात्र गतिशीलता आदान–प्रदान कार्यक्रम के लिए मिटाक्सए कनाडा के साथ एक आशय–पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहले बैच में मिटाक्स ने 32 भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों को कनाडा में उनके अनुसंधान कार्य हेतु चयनित किया था। चयनित विद्यार्थियों में से, 24 भारतीय इंजीनियरिंग विद्यार्थी अपने अनुसंधान कार्य हेतु कनाडा गये और इनको घरेलू संस्थान टीईक्यूआईपी–II ने धनराशि जारी की। इसके अलावा, तीन कनाडाई विद्यार्थी भारत में अध्ययन हेतु आईआईटी, बॉम्बे और आईआईटी गांधीनगर आए।

   कार्यक्रम के तहत अपने शोध कार्य के लिए छात्रों के दूसरे बैच में 117 भारतीय इंजीनियरिंग छात्रों का चयन किया गया और इन 117 छात्रों में से 102 ने कनाडा का दौरा किया। इसके अलावाए 20 कनाडाई छात्रों को 6 आईआईटी अर्थात आईआईटी बॉम्बे, खड़गपुर, गांधीनगर, गुवाहाटी, कानपुर व रुड़की में अध्ययन करने के लिए भारत में अनुसंधान कार्य के लिए चयनित किया गया। 20 में से 19 ने आईआईटी में अपना शोध कार्य शुरू कर दिया है।

8. आरंभ से 31.03.2014 तक टीईक्यूआईपी–।। परियोजना के अधीन सहभागी चुनी हुई संस्थाओं, एसपीएफयू, आईआईएम और आईआईटी को 1178.26 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान भी ऊपर उल्लिखित संस्थाओं को 276.95 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) चरण–II

टीईक्यूआईपी के पहले चरण के संतोषजनक तरीके से पूरा होने पर वर्तमान में इसका दूसरा चरण (टीईक्यूआईपी–II) संस्थान और प्रणाली में सुधार के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)

को कार्यान्वित किया जा रहा है। दृढ़ और विस्तृत मॉनीटरिंग प्रक्रियाओं और नीति संबंधी सुधारों पर जोर देने के साथ कार्यान्वयन को बढ़ाते हुए, पहले चरण के रूप में यह ऐसे ही सिद्धांतों का अनुसरण करता है। देश में तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए परियोजना के पहले और दूसरे चरण के तहत तीसरे चरण को कम करने और उद्योगों के साथ और अधिक अनुसंधान और विकास बढ़ाने के लिए यह चरण अधिक से अधिक स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए अपने प्रयासों को भी बढ़ाएगा।

उद्देश्यः–

- संस्थाओं के सशक्तीकरण के माध्यम से **विद्यार्थी अध्ययन परिणामों** में सुधार करना
- नवाचारी और बहुविषयक अनुप्रयोग अभिमुखी अनुसंधान को बढ़ाना
- प्रभावशाली सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहायक तकनीकी शिक्षा पारिस्थितिकीय तंत्र निर्मित करना

टीईक्यूआईपी–III के लिए फोकस क्षेत्र

गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता

- **शैक्षिक**– उत्कृष्ट सामग्री (वैश्विक रूप से प्रसारित), प्रभावशाली रूप से प्रदान की गई
- **अनुसंधान एवं नवाचार**– विद्यार्थियों में अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त मेंटरों के साथ उपयुक्त अवसंरचना
- **उद्योग–शैक्षिक पारस्परिक संबंध**– विद्यार्थी के शैक्षणिक अवधि के दौरान कक्षा में प्राप्त शिक्षाओं के निरन्तर प्रयोग से लाभ प्राप्त करना।
- **प्रबंधन क्षमता**– विज़न, रोडमैप और उसके अनुसार सही तरीके से विकास हेतु कार्यो की औसत दर्जे की योजना को तैयार करने की संस्थान प्रबंधन में प्रतिबद्ध ता एवं योग्यता।

शासन

- **राज्य**– संस्थानों की अधिनियमों, संसाधनों और संचालन दक्षता के संबंध में उनके विज़न को वास्तविक बनाने में उचित सहायता
- **संस्थान**– पहुंच, साम्यता, वित्त, अधिनियम, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन आदि प्रभाव और दक्षता सुनिश्चित करते हुए तंत्र स्थापित करना।

योजना आयोग (नीति आयोग), आर्थिक मामले विभाग और विश्व बैंक ने टीईक्यूआईपी–III के प्रस्ताव के अनुमोदन के सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत किया है। कुल प्रस्तावित परियोजना लागत 3600 करोड़ रूपये की है जिसमें से विश्व बैंक की सहायता 1800 करोड़ रूपये की होगी।

vi) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)

प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी, प्रबंधन, फार्मेसी एवं आर्किटेक्चर आदि में डिप्लोमा से स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी संस्थान कार्यक्रम की गुणवत्ता क्षमता के मूल्यांकन के क्रम में एआईसीटीई की ध ारा 10 के तहत 1994 में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कार्यक्रमों को मान्यता देता है न कि संस्थानों को।

वर्ष 2010 में, कार्यक्रमों के उपार्जन के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड स्वायत्त हो गया। वर्ष 2013 में, संगम ज्ञापन (एमओए) और राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नियमों को संशोधित किया गया।

प्रत्यायन गुणवत्ता आश्वासन और सुधार की एक प्रक्रिया है जिसमें एक कार्यक्रम के आलोचनात्मक मूल्यांकन से समय–समय पर विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों एवं स्तरों तक कार्यक्रम की निरंतर पहुंच की जांच की जाती है।

एनबीए संस्थानों का प्रत्यायन नहीं करता है। यह उन कार्यक्रमों का प्रत्यायित करता है जिसमें कम से कम दो बैच स्नातक हो चुके हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, एनबीए ने 341 कार्यक्रमों पर विचार किया जिसमें से 394 कार्यक्रमों को मान्यता दी गई थी।

एनबीए 18–20 मार्च, 2016 को श्रृंखला से तीसरा, परिणाम आधारित उपार्जन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन विषय पर विश्व सम्मेलन (डब्ल्यूओएसए) आयोजित कर रहा है।

(vii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों (एफएएसटी) में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

कतिपय क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए

उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु तकनीकी शिक्षा संबंधी 11वीं योजना कार्य समूह की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसने इस योजना के संबंध में एक अवधारणा नोट तैयार किया है और इस योजना के विकास एवं केन्द्रों के चयन हेतु एक उप–समिति का गठन किया है।

सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक ईएफसी मीटिंग का आयोजन 31.07.2012 को किया गया था। उप समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए संस्थानों में से,16 संस्थानों को पहले चरण के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 05.07.2013 को ईएफसी की बैठक को पुनः आयोजित किया गया, जिसमें यह निर्णय किया गया कि ऐसे केन्द्रों की कुल संख्या 36 होनी चाहिए।

आरंभ से 31.03.2016 तक एफएएसटी योजना के अधीन चुनी गई सहभागी संस्थाओं को 64.60 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी।

viii) पॉलिटेक्निकों का उप–मिशन

पॉलिटेक्निक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निन्मलिखित घटकों के साथ कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटेक्निकों का उप–मिशन आरंभ किया गया था:–

1. नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना
2. विद्यमान पॉलिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण
3. पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण
4. पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना (सीडीटीपी)

पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना के तहत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, भोपाल, मध्य प्रदेश में मोबाईल मरम्मत में कौशल विकास प्रशिक्षण

पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना के तहत मिजोरम पॉलिटेक्निक, लुंगलेई में बेसिक मोटर वाहन सर्विसिंग (चार पपहिया) में कौशल विकास प्रशिक्षण

1. **नये पॉलिटेक्निकों की स्थापनाः**–इस घटक के तहत, भारत सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 300 अभिज्ञात असेवित अल्प सेवित जिलों में एक पॉलिटेक्निक स्थापित करने की लाग पूरी करने के लिए प्रति पॉलिटेक्निक 12.30 करोड़ रूपए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, बशर्ते, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश मुफ्त भूमि उपलब्ध कराए तो 12.30 करोड़ रूपए से अधिक यदि कोई हो, के 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय तथा गैर.आवर्ती व्यय को भी पूरा करे।

2. **मौजूदा पॉलेटेक्निकों को सुदृढ़ बनानाः**– इस घटक के तहत सरकार द्वारा 500 मौजूदा डिप्लोमा स्तर के सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित पॉलिटेक्निकों की अवसरंचना सुविधाओं के उन्नयन हेतु 2 करोड़ रूपये प्रति पॉलिटेक्निक की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

3. **पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माणः**– पॉलिटेक्निक शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के निमित्त, महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण की परिकल्पना करते हुए पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 11वीं योजनाअवधि के दौरान 500 विद्यमान एआईसीटीई अनुमोदित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निकों को प्रति पॉलिटेक्निक 1 करोड़ रूपए की अधिकतम राशि की शर्त पर एकबारगी वित्तीय सहायता दी जानी है।

पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना के तहत परिधान डिजाईनिंग में कौशल विकास प्रशिक्षण

4. **पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना (सीडीटीपी)**:– सामुदायिक विकास (सीडीटीपी)योजना का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतौर पर ग्रामीण, असंगठित व अलाभप्राप्त वर्गों को एआईसीटीई अनुमोदित पॉलिटेक्निकों के माध्यम से गैर औपचारिक, अल्पकालीन, रोजगार अभिमुख कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना है जिससे उन्हें लाभकारी स्व.मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतया 3 से 6 माह होती है। ये पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निकों द्वारा अपने परिसरों तथा विस्तार केन्द्रों, जिन्हें नजदीक के क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जहां से स्थानीय समुदाय को ये पाठ्यक्रम पढ़ाए जा सकें। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं से कोई फीस नहीं ली जाती है और आयु तथा योग्यता की कोई सीमा नहीं है।

योजना की समग्र उपलब्धियां:

300 असेवित/अल्प सेवित जिलों जिन्हें 12.30 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी जानी है, इनमें से 06.11.2015 तक सरकारी पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु 291 जिलों को 2319.62 करोड़ रूपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आज की तारीख तक 130 पॉलिटेक्निक परिचालन बन गए हैं।

500 पॉलिटेक्निकों को अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए 06.11.2015 तक 525.49 करोड़ रूपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीटीटीपी) योजना के तहत सती, विदिशा, मध्यप्रदेश में दुपहिया मरम्मत में कौशल विकास प्रशिक्षण

496 पॉलिटेक्निकों को इन पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 06.11.2015 तक 387.93 करोड़ रूपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 213 महिला छात्रावास आज की तारीख तक पूरे हो चुके हैं।

पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास की योजना का 518 पॉलिटेक्निक कार्यान्वयन कर रहे हैं और योजना की गतिविधियों के संचालन के लिए 2015.16 के अक्टूबर 2015 तक 244.79 करोड़ रूपए की आवर्ती वित्तीय सहायता जारी की गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर 31.10.2014 तक सीडीटीपी योजना के तहत अनौपचारिक लघु अवधि, कौशल विकास कार्यक्रमों में 76482 व्यक्तियों ने भाग लिया है। योजनाओं की गतिविधियों की कुछ तस्वीरें नीचे दिए गए हैं:

पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना के तहत जहाजनिमार्ण तकनीक,गोवा में वेल्डिंग और फेब्रिकेशन में कौशल विकास प्रशिक्षण

ix) निःशक्तों को तकनीकी और व्यावसायिक की मुख्य धारा में एकीकृत करने हेतु मौजूदा पॉलिटेक्निकों के उन्नयन की योजना

योजना का आरंभ 1999–2000 में कुछ चयनित पॉलिटेक्निकों के उन्नयन के उद्देश्य से किया गया था कि निःशक्तों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में एकीकृत किया जा सके।

योजना में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय नियमित डिप्लोमा कार्यक्रमों में औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम 25 निःशक्त छात्रों और व्यावसायिक/कौशल विकास कार्यक्रमों के अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम 100 निःशक्त व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करेगा। निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकों/शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति, वर्दियों, निःशुल्क भोजन एवं आवास सुविधाओं इत्यादि जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। इस समय इस योजना में देशभर के 50 पॉलिटेक्निक शामिल है। योजना के कार्यान्वयन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन 50 पॉलिटेक्निकों को वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है।

x) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (बीओएटी/बीओपीटी)

राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई स्थित 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षु/व्यवहारिक बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती

है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों (तकनीशियनों) तथा 10+2 पास व्यावसायिक छात्रों को औद्योगिक स्थापनाओं/संगठनों में केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद (सीएसी), जो प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के तहत गठित शीर्ष सांविधिक निकाय है, द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर उपलब्ध कराती है। इन क्षेत्रीय बीओएटी/बीओपीटी को, जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है, उनको अपने क्षेत्रों में समय–समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने के उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

योजना का मूल उद्देश्य नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा और 10+2 पास व्यावसायिक छात्रों को अनुभव हेतु व्यावहारिक बनाने में किसी अंतर को अनुभव हेतु व्यावहारिक बनाने में किसी अंतर को पाटना/पूरा करना है और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार में स्थापित होने में उनकी उपयुक्तता बनाने हेतु उनके तकनीकी कौशलों को भी बढ़ाना है।

अधिनियम के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा दिया जाता है जिसे केन्द्र सरकार और नियोक्ता के मध्य 50:50 के आधार पर बांटा जाता है। विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षुओं को दिए गए वजीफों के दर का विवरण निम्नवत है:

प्रशिक्षु की श्रेणी	19 दिसम्बर, 2014 में बढ़ी हुई दरें
ग्रेजुएट प्रशिक्षु	₹ 4984
ग्रेजुएट प्रशिक्षु (सैंडविच)	₹ 3542
तकनीकी प्रशिक्षु	₹ 3542
तकनीकी प्रशिक्षु (सैंडविच)	₹ 2890
तकनीकी (व्यावसायिक) प्रशिक्षु	₹ 2758

पहले, चार (बीओएटी/बीओपीटी के चार विभिन्न पोर्टल थे और उस विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को योजना के तहत अपने को प्रशिक्षुता के लिए पंजीकृत रहने हेतु उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले विशिष्ट बोर्ड के माध्यम से आवेदन करना होता था। इन पोर्टलों को एकीकृत किया जा चुका है और एक एकल राष्ट्रीय वेब पोर्टल विकसित किया गया है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 10 सितम्बर 2015 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना का राष्ट्रीय वेब पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल दर्शी प्रशासन हेतु पूरे देश के विद्यार्थियों, प्रतिष्ठानों और तकनीकी संस्थानों सहित सभी स्टेक होल्डर्स के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। पोर्टल एक बहुभाषी प्लेटफार्म भी बनेगा जो इस समय अंग्रेजी, मराठी, बंगाली और हिन्दी के प्रयोग में संलग्न है। कुछ समय बाद, पोर्टल की सेवाएं अन्य भाषाओं में उपलब्ध होंगी।

राष्ट्रीय वेब पोर्टल ज्यादा विशेषताओं के साथ सुधारा जाएगा जो निम्नलिखित कार्य करने में समर्थ होगा:

- ❖ बीओएटी/बीओपीटी के चार क्षेत्रीय पोर्टलों का एकीकरण अब विद्यार्थियों, प्रतिष्ठानों और इनके कर्मचारियों को एक सिंगल यूनीफाइड इंटरफेस प्रदान करता है;
- ❖ पेपरलैस ऑनलाइन व्यापार लेनदेन;
- ❖ ऑनलाइन डाटा शेयरिंग के माध्यम से उन्नत एवं प्रभावी रिपोर्टिंग योग्यता;
- ❖ पूरे देश में प्रक्रियाओं का मानकीकरण और कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करना;
- ❖ उचित निर्णय और संसाधनों का अधिकतम उपयोग
- ❖ प्रशिक्षुओं की मांग अल्प, मध्यम और दीर्घ कालीन पूर्वानुमान प्लेसमेंट और बजट आवश्यकता को सुगम बनाना।

संबंधित शीर्ष के निर्धारित 450.00 लाख रूपये और 1201.00 लाख रूपये के सापेक्ष क्रमशः योजना और योजना शीर्ष के अंतर्गत स्थापना संबंधित व्यय हेतु 281.58 लाख रूपये और 900.73 लाख रूपये की तीन बोओएटी और एक बीओपीटी को दिसम्बर, 2015 तक जारी किया गया है।

संबंधित शीर्ष के निर्धारित क्रमशः 7950.00 लाख रूपये और 1822.00 लाख रूपये के सापेक्ष क्रमशः योजना और गैर योजना शीर्ष के अंतर्गत व्यय 5309.91 लाख रूपये और 1321. 53 लाख रूपये की राशि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण (छात्रवृत्तियां/वृत्तियां) की योजना हेतु दिसम्बर 2015 तक जारी की जा चुकी है।

(xi) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

1. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2011 में आरंभ किया गया जिसमें वर्ष 2010–11 के आंकड़े एकत्रित किए गए।

यह सर्वेक्षण परम आवश्यक था क्योंकि उच्चतर शिक्षा पर कोई भी डाटा स्रोत नहीं था जो देश में उच्चतर शिक्षा की पूर्व छवि प्रस्तुत कर सके। तथापि और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे जिससे नीति तैयार करने के लिए डाटा आवश्यक थे परंतु कोई डाटा उपलब्ध नहीं था अथवा अपूर्ण डाटा उपलब्ध था। इस योजना में पहली बार उच्चतर शिक्षा में सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने आंकड़ा संकलन कार्य में भाग लिया है। संपूर्ण सर्वेक्षण इलैक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से किया गया था और इस प्रयोजन के लिए एक पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था। इस प्रकार इस कार्य को पूरी तरह पेपरलेस बनाया गया। इस सर्वेक्षण में उच्च्तर शिक्षा प्रदान करने में लगे देश में सभी संस्थाओं को शामिल करता है। आंकड़े अनेक मानकों पर समय किए गए है जैसे शिक्षक, छात्र नामांकन कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, अवसंरचना आदि। शैक्षिक विकास के संकेतक जैसे संस्था घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, पुरूष–महिला समानता सूचकांक आदि की एआईएसएचई के माध्यम से एकत्र आंकड़ो से गणना की जा रही है। ये शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु नीति निर्णयों तथा अनुसंधान करने के लिए उपयोगी हैं।

2. **एआईएसएचई 2010–11 से 2015–16:** सर्वे के पहले ही वर्ष लगभग 90 प्रतिशत विश्वविद्यालय, 50% कॉलेजों और 5% स्व वित्तपोषित संस्थाओं ने उत्तर दिया। आगामी वर्षो में सर्वे पर प्रतिक्रिया देने वाले संस्थानों की संख्या में धीमी वृद्धि देखी गई जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय या यूजीसी द्वारा उच्चतर शिक्षा पर डाटा कलेक्शन का सबसे बड़ा प्रयोग है। 6 सालों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। एआईएसएचई की 2010–11 से 2014–15 तक की सभी रिपोर्टे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. **एआईएसएचई 2014–15 और 2015–16:** वर्तमान में एआईएसएचई 2014–15 जारी है और एआईएसएचई 2015–16 को 21.12.2015 को शुरू किया गया है तथा प्रसार में समय अंतराल के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा डाटा हटा दिया गया है।

4. **संचालन समिति:** साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और प्रभावी योजना हेतु 12वीं योजना में वर्ग–वार सशक्त वर्तमान एवं व्यापक डाटा पर प्रकाश डाला गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण का सहारा योजना दस्तावेज में दिया गया है और दर्शाया गया कि यह उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और एक व्यापक उच्चतर शिक्षा डाटा देखते हुए एक नई योजना उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी एवं सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) स्कीम का 12वीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदन किया गया है। इन सारे प्रयासों पर समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप में डाटा कलेक्शन प्रयासों और ऐसे प्रयासों में तालमेल का लाभ के विचार के साथ सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता और सदस्यों के तौर पर अनेक स्टेक होल्डरों के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी एवं सार्वजनिक सूचना प्रणाली हेतु एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2014–15 के मुख्य परिणाम:

एआईएसएचई 2014–15 के मुख्य परिणाम

- इस सर्वेक्षण में देश में संपूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को शामिल किया गया है। संस्थाओं को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है; विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टेंड–अलोन संस्थाएं।
- **760 विश्वविद्यालय, 38498 कॉलेज और 12276 स्टेंड अलोन संस्थाएं हैं** जिनमें से 740 विश्वविद्यालय, 34452 कॉलेज और 7627 स्टेंड अलोन संस्थाओं ने सर्वेक्षण के दौरान प्रतिक्रिया दी है। 256 विश्वविद्यालयों में कॉलेज भी संबद्ध हैं।
- 261 विश्वविद्यालय निजी रूप संचालित किए जाते हैं। 293 विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
- 11 विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए जिनमें 3 राजस्थान, 2 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड प्रत्येक में 1–1 विश्वविद्यालय हैं।
- इसके अतिरिक्त 1 केन्द्रीय, 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय हैं। 116 दोहरी प्रणाली वाले विश्वविद्यालय हैं जो दूरस्थ प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करते हैं। 112 दोहरी प्रणाली वाले विश्वविद्यालयों में से सर्वाधिक (18) तमिलनाडु में हैं।
- 430 सामान्य, 90 तकनीकी, 46 कृषि एवं संबद्ध, 45 मेडिकल, 20 विधि, 11 संस्कृत, 7 भाषा और 60 अन्य विश्वविद्यालय हैं।

- भारत में सर्वाधिक कॉलेजों की संख्या वाले शीर्ष 8 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश हैं।
- 948 कॉलेजों के साथ बंगलौर जिला सर्वाधिक कॉलेजों की संख्या में शीर्ष पर है। जयपुर 590 कॉलेजों के साथ दूसरे स्थान पर है। शीर्ष 50 जिलों में लगभग 35% कॉलेज हैं।
- भिन्न–भिन्न कॉलेज घनत्व जोकि प्रतिलाख अर्ह जनसंख्या (18–23 वर्ष वाले आयु वर्ग की जनसंख्या) बिहार के 7 से तेलंगाना में 60 की तुलना में संपूर्ण भारत का औसत कॉलेज घनत्व 27 है।
- 58% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। 10.7% कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हैं।
- केवल 1.7% कॉलेज पीएच.डी चलाते हैं और 33% कॉलेज स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाते हैं।
- 36% कॉलेज हैं जो केवल एकल कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें से 76% कॉलेज निजी तौर पर संचालित किए जाते हैं इनमें से 14.4% कॉलेज केवल बी.एड पाठ्यक्रम चलाते हैं।
- 77% कॉलेज निजी तौर पर संचालित किए जाते हैं; 63% निजी गैर–सहायता और 14% निजी–सहायता प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 80% से ज्यादा निजी–गैर–सहायता प्राप्त कॉलेज हैं और तमिलनाडु में 76% कॉलेज हैं जबकि बिहार में 11% और असम में केवल 10% निजी गैर–सहायता प्राप्त कॉलेज हैं।
- 19.1% कॉलेजों में 100 से कम नामांकन है केवल 4.4% कॉलेजों में 3000 से अधिक नामांकन है।
- **उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन 34.2 लाख अनुमानित किया गया है जिसमें से 18.5 लाख लड़के और 15.7 लाख लड़कियां शामिल हैं। कुल नामांकन का 45.5% लड़कियां हैं।**
- **भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 24.3% है जिसकी गणना 18–23 वर्ष की आयु वर्ग से की गई है। पुरूष जनसंख्या का जीईआर 25.3% और महिला जनसंख्या का जीईआर 23.1% है। अनुसूचित जाति के लिए यह 19.1% और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 13.7 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय जीईआर 24.3% है।**
- उच्चतर शिक्षा में दूरस्थ नामांकन कुल नामांकन का 11.14% बैठता है जिसमें 46% महिला छात्र हैं।
- लगभग 79.4% छात्रों को अवर स्नातक स्तर कार्यक्रम में नामांकित किया जाता है। 1,17,301 छात्रों को पी.एचडी में नामांकित किया जाता है जो कुल छात्र नामांकन का 0.34% से कम है।
- विद्यार्थियों का सर्वाधिक संख्या में नामांकन बी.ए. कार्यक्रम में है इसके बाद क्रमश बी.कॉम और बी. एससी कार्यक्रम में है। लगभग 180 में से केवल 10 कार्यक्रम उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकित विद्यार्थियों का 85% कवर करता है।
- अवर स्नातक स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या (40%) कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम और इसके बाद क्रमशः अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (16%), वाणिज्य (15%) और विज्ञान (14%) में है।
- पीएच.डी स्तर पर नामांकित विद्यार्थियों की सर्वाधिक संख्या विज्ञान वर्ग में और इसके बाद सामाजिक विज्ञान में है। दूसरी तरफ परा–स्नातक स्तर पर सर्वाधिक विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान वर्ग में और इसके बाद विज्ञान वर्ग में दूसरे स्थान पर नामांकित हैं।
- उत्तर प्रदेश उच्च छात्र नामांकन के साथ प्रथम स्थान पर हैं उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं।
- कुल नामांकन में अनूसचित जाति के छात्र 13.44 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के छात्र कुल नामांकन के 4.8 प्रतिशत बैठते हैं। 32.8 प्रतिशत छात्र अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। 4.5 प्रतिशत छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक और 1.9 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।
- उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 42,293 है।
- विदेशी छात्र पूरे विश्व के 163 विभिन्न देशों से आते हैं। शीर्ष 10 देशों में कुल विदेशी छात्रों का 64% नामांकन है।

- विदेशी छात्रों की सर्वाधिक संख्या पडोसी देशों से है जिसमें से नेपाल से कुल छात्रों की संख्या का 21%, उसके बाद क्रमशः अफगानिस्तार (9%), भूटान (6%), मलेशिया (5%) है। सूडान और ईराक प्रत्येक के 5% विद्यार्थियों में नामांकित हैं।

- निजी क्षेत्रों में 77% से ज्यादा सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कॉलेज साथ–साथ संचालित हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुल नामांकन का केवल 67% शामिल है।

- कुल अध्यापकों की संख्या 14,73,255 है जिसमें से आधे से अधिक लगभग 61.4% पुरूष अध्यापक हैं और 38.6% महिला अध्यापिकाएं हैं।

- अखिल भारतीय स्तर पर 100 पुरूष अध्यापकों पर केवल 63 महिला अध्यापिकाएं हैं।

- **विश्वविद्यालयों और कालेजों में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 21 है।**

- गैर शिक्षण कर्मचारियों के मध्य समूह–ग की भागीदारी 40% के साथ सर्वाधिक है जबकि समूह–घ 29% के साथ दूसरे स्थान पर है। समूह–क और समूह–ख के अंतर्गत क्रमशः 14 और 17 प्रतिशत गैर शिक्षण पद शामिल हैं।

- प्रति 100 पुरूष गैर शिक्षण कर्मचारियों पर महिलाओं की औसत संख्या लगभग 40 है।

- 2013 के दौरान 21,830 **विद्यार्थियों को पीएच.डी की डिग्री प्रदान की गई** जिसमें 13,252 पुरूष और 8,578 महिलाएं थीं।

- सर्वाधिक संख्या में विद्यार्थियों को बी.ए. (22.94 लाख) की डिग्री प्रदान की गई। और दूसरे स्थान पर बी. एससी (8.52 लाख) और इसके बाद बी.कॉम (8.23 लाख) विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई।

- स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए. उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या सर्वाधिक रही और इसके बाद क्रमशः एम.एससी. और एम.बीए. के विद्यार्थियों की संख्या रही।

- स्नातक करने वाले सर्वाधिक विद्यार्थियों (24.9 लाख) की संख्या कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रमों में रही।

- पीएच.डी स्तर पर सर्वाधिक संख्या में उत्तीर्ण विद्यार्थी विज्ञान वर्ग में और इसके बाद सामाजिक विज्ञान में रहे। दूसरी तरफ स्नातकोत्तर स्तर पर निकलने वाले सर्वाधिक विद्यार्थी प्रबंधन विषय में रहे और इसके बाद दूसरे स्थान पर सामाजिक विज्ञान रहा।

- पीएच.डी विद्यार्थियों की संख्या राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (33.2%) में सर्वाधिक रही। इसके बाद क्रमशः राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (22.2%), केन्द्रीय विश्वविद्यालय (17.8%) और सम विश्वविद्यालय–निजी (11.3%) रही।

- राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में महिला विद्यार्थियों की संख्या सबसे कम रही। इसके बाद क्रमशः सम विश्वविद्यालय – सरकारी, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और सम विश्वविद्यालय–निजी में रही।

छात्रवृत्ति

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(i) कॉलेज व केन्द्रीय विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को, जिनके परिवार की प्रतिवर्ष आय 6 लाख रूपए प्रतिवर्ष से कम हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान उनके कुछ दैनिक व्ययों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 82,000 (छात्रों के लिए 41000 और छात्राओं के लिए 41,000) है और इसे राज्य बोर्डों के बीच 18–25 वर्ष आयु समूहों में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। छात्र, जो किसी परीक्षा बोर्ड विशेष में 10+2 पैटर्न अथवा समकक्ष की 12वीं कक्षा में संबंधित विषय में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशत से अधिक के हैं और वे मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, इस योजना के तहत पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 10,000/– रूपए तथा चौथे और पांचवे वर्ष में 20,000/– रूपए प्रतिमाह है।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना, दिनांक 1.1.2013 से सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) हेतु कवर है जिसमें छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में संवितरित किया जा रहा है। दिनांक 1.4.2015 से दिनांक 16.3.2016 तक छात्रवृत्ति का राज्य–वार संवितरण परिशिष्ट पर है।

दिनांक 25.06.2015 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यशाला

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति की केन्द्रीय सेक्टर योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति दिनांक 1.8.2015 से पोर्टल www.scholarships.gov.in पर दिया गया है। सभी पात्र विद्यार्थी, जिन्होंने 2015 में कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30.11.2015 है।

(ii) हिंदी में मैट्रिक पश्चात अध्ययन के लिए गैर–हिंदी भाषी राज्यों से छात्रों को छात्रवृत्ति की योजना

इस योजना का उद्देश्य गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा राज्यों की सरकारों को शिक्षण हेतु कर्मचारियों व उन अन्य पदों के लिए जहां हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है।

संशोधित योजना के तहत, 2500 छात्रवृत्तियां मैट्रिक पश्चात से पीएचडी स्तरों तक के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रतिभावान छात्रों को प्रदान की गई है जिन्होंने हिंदी विषय के अध्ययन को शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी स्वैच्छिक हिंदी संगठन द्वारा आयोजित 'अब तक की परीक्षाओं' के परिणामों के आधार पर एक विषय के रूप में चुना है। अध्ययन/पाठ्यक्रम के आधार पर इस छात्रवृत्ति की प्रति माह सीमा 300 से 1000 रूपए तक है। इस योजना को राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से लागू किया गया है।

(iii) जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के उन छात्रों को, जिनके माता–पिता की आय प्रतिवर्ष 6 लाख से कम है और जिन्होंने कक्षा 12 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जम्मू–कश्मीर राज्य के बाहर प्रवेश के सरकारी महाविद्यालयों / संस्थानों / अन्य गैर–सरकारी संस्थानों से जनरल डिग्री पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई जारी करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम की धारा 12 ख अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीएल) या संबंधित नियामक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रवेश हासिल किया है, के शिक्षण शुल्क, छात्रावास की फीस, किताबों और अन्य अनुषंगी लागतें पूरी करना है।

इस योजना में प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती है जिनमें से 4500 छात्रवृत्तियां सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों, 250 इंजीनियरिंग के लिए और 250 चिकित्सा अध्ययन के लिए होती हैं। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में कमी की वजह से प्रोद्भूत बचत के अध्यधीन सामान्य डिग्री, मेडिकल और इंजीनियरिंग विषयों में स्लॉट की अंतरपरिवर्तनीयता का प्रावधान है।

शैक्षिक वर्ष 2015–16 से नई और नीवकरण छात्रवृत्तियों का लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा संवितरण किया जा रहा है।

शैक्षिक वर्ष 2014–15 के दौरान 6843 छात्रों को नई और नीवकरण छात्रवृत्तियों का संवितरण किया गया। शैक्षिक वर्ष 2015–16 के दौरान, 4656 छात्रों को नई छात्रवृत्तियां अनुमोदित की गई और 3703 छात्रों को नई और नीवकरण छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(ख) विदेशी छात्रवृत्ति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्नातकोत्तर/अनुसंधान/पी.एचडी के लिए सांस्कृतिक/शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तावित विदेशी छात्रवृत्तियों को प्रदान करने की प्रक्रिया को सुकर बनाता है। छात्रवृत्तियों की जानकारी को मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और विस्तृत प्रसार के लिए केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों और यूजीसी, इग्नू में भी प्रचालित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन–पत्र http://proposal.sakshat.ac.in/scholarships पर आमंत्रित किए जाते हैं।

मंत्रालय, 'मिस अगाथा हैरीसन मेमोरियल फैलोशिप' का शासी है और इसके द्वारा वित्तपोषित है जोकि इतिहास/अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में एक शोध–सह–शिक्षण फैलोशिप है। चुनिंदा अध्येता को सेंट एंथनी कॉलेज,

ऑक्सफोर्ड (यूके) में नियोजित किया जाता है। अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिवर्ष 29944.85 पाउंड का समेकित वज़ीफा दिया जाता है। अध्येतावृत्ति, जो शैक्षिक वर्ष 2014–15 के लिए अवार्ड किया गया था, का अगले एक वर्ष के लिए नवीकरण किया गया है। शैक्षिक वर्ष 2016–17 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग के लिए साक्षात्कारों का आयोजन करने, वजीफा के भुगतान, अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ते का भुगतान करने के लिए 90 लाख रूपए का एक बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए विभिन्न देशों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:–

विदेशों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियां

(31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्र.स.	देश का नाम	नामांकित उम्मीदवारों की संख्या	दाता देश द्वारा स्वीकृत	उपयोग
1.	कोरिया	10	चुने प्रत्यर्थियों के नाम कोरिया सरकार से प्रतीक्षित हैं।	----
2.	चीन	24	22	19
3.	जापान	58	19	----
4.	इटली	15	11	----
5	मेक्सिको	9	4	----
6	इजराइल	5	चुने प्रत्यर्थियों के नाम इजराइल सरकार से प्रतीक्षित हैं।	----
7.	यूके (सीएसएफपी) –2015	51	चुने प्रत्यर्थियों के नाम राष्ट्रमंडल आयोग, यूके से प्रतीक्षित हैं।	-----
8.	न्यूजीलैण्ड (सीएसएफपी)	4	1	1
9	श्रीलंका **(राष्ट्रपति** छात्रवृत्ति)	1	0	----

अध्येतावृत्ति (भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित)

1	मिस अगाथा हैरीसन मेमोरियल फैलोशिप (यूके)	1	1	1 2014–15 में एक फैलोशिप को दूसरे साल के लिए नवीनीकृत किया गया

(ग) भारत में वापसी की वचनबद्धता नहीं (एनओआरआई)

उस व्यक्ति के लिए, जो जे–1 वीजा पर यूएसए गया है और उसने भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास से वीजा अवधि की समाप्ति पर भारत में 2 वर्ष की वास्तविक उपस्थिति की शर्त से छूट के लिए आवेदन किया है, भारत में वापसी की वचनबद्धता न होने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अपेक्षा पूरी करने के लिए अपने मूल देश वापस आने में समर्थ नहीं है, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास/केसलेट जनरल ऑफ इंडिया से छूट लेनी चाहिए। आव्रजन के प्रयोजन के लिए, दूतावास को "छूट प्रमाण पत्र" जारी करने में समर्थ बनाने के लिए, आवेदक के लिए आवश्यक है कि वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करे।

मंत्रालय ने एनओआरआई के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक नई वेबसाइट nori.ac.in शुरू की है जो दिनांक 27.02.2016 से कार्यात्मक हो गई है। इसे सेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाएगा। इस मंत्रालय के विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग ने डिवीजन के दिनांक 31.03.2016 तक "भारत वापसी पर अनापत्ति" के 797 पत्र जारी किए हैं।

उच्चतर अविष्कार योजना

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने आईआईटी कॉउंसिल मीटिंग में 6 अक्टूबर, 2015 को उच्चतर स्तर तक नवाचार को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए 250.00 करोड़ रूपये के वार्षिक निवेश की घोषणा की है जो उद्योग की आवश्यकता को प्रभावित करता है और उसके द्वारा भारतीय उत्पादक के प्रतिस्पर्धात्मक स्तर को सुधारता है। देश के बाहर और भीतर परियोजना में शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग होना चाहिए। कुल वार्षिक निवेश को 250.00 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष तक सीमित किया जाएगा। परियोजनाओं के 25% वित्तपोषण पद्धति का चयन उद्योग/उद्योगों द्वारा, 25% भागीदारी कर रहे विभाग/मंत्रालय और 50% मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगाः–

(क) उन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण और डिजाइन उद्योग से है।

(ख) प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान में विद्यार्थियों और अध्यापकों को मौलिकता की मानसिकता को प्रोत्साहित करना।

(ग) शिक्षा और उद्योग के मध्य समन्वयात्मक कार्रवाई करना।

(घ) प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रयोगशाला और अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(ड.) परिणाम आधारित अनुसंधान वित्तपोषण करना।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों हेतु 29 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा शुरू किया। यह ढांचा पूरे देश के संस्थानों की रैंकिंग कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करती है। ढांचे के अंतर्गत 5 मानकों को रखा गया है जो हैं (i) अध्यापक शिक्षण और संसाधन (ii) अनुसंधान व्यावसायिक कार्य और सहयोगी निष्पादन (iii) स्नातक परिणाम (iv) आउटरीच और समावेशी, और (v) समझ–6 श्रेणी के संस्थान जोकि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं, के लिए रैंकिंग ढांचा दस्तावेज एनआईआरएफ के वेब पोर्टल www.nirfindia.org पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

नए आईआईटी की स्थापना

वर्ष 2014–15 के बजट भाषण में यह घोषित किया गया था कि जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और केरल में आईआईटी स्थापित किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त, 2015–16 के बजट भाषण में यह घोषित किया गया था कि एक आईआईटी कर्नाटक में स्थापित किया जाना है और आईएसएम, धनबाद का आईआईटी में अंतरण किया जाना है। इन आईआईटी के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए जम्मू (जम्मू–कश्मीर), भिलाई (छत्तीसगढ़), कानकोना (गोवा), धारवाड़ (कर्नाटक), पलक्कड़ (केरल) और तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है। वर्तमान में शैक्षिक सत्र 2015–16 में प्रत्यक संस्थान में 120 छात्रों के प्रवेश के अनुमोदन से आईआईटी पलक्कड़, केरल और आईआईटी तिरूपति, आंध्र प्रदेश शुरू किए जा चुके हैं।

उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कौशल विकास

भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से नीचे की है। जबकि बड़े देशों में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, भारत युवाओं के देश के रूप में विकसित हो रहा है। यह लाभकारी परिवर्तन होगा यदि युवा कुशल बन जाता है। व्यावसायिक शिक्षा प्रचलन में रही है लेकिन भारतीय समाज में इसे शैक्षणिक कार्यक्रमों की तुलना में सम्मानजनक स्वीकारोक्ति नहीं प्राप्त हुई। स्कूल स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक व्यावसायिक विषयों को शुरू करने का प्रयास किया गया। लेकिन व्यावसायिक विषयों की उच्चतर शिक्षा में गतिशीलता की स्वीकृति निरूत्साहित करने वाली थी। वर्तमान में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अधिकतम ध्यान भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने पर है।

देश में कौशल की भारी मांग को पहचानते हुए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् (सीएबीई) ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता अवसंरचना (एनवीईक्यूएफ) पर जोर दिया है। विभिन्न व्यावसायिक योग्यता से जोड़ने और शैक्षिक प्रणाली और मानकों की राष्ट्रीय मान्यता के लिए समान नियम एवं दिशानिर्देशों की व्यवस्था हेतु एक समान निर्देश ढांचा प्रदान करता है।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को आयोजित बैठक में कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुपालन में, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 के अधिसूचना संख्या 8/6/2013–आईएनवीटी के अनुसार राष्ट्रीय कौशल

अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) की अधिसूचना जारी किया। एनएसक्यूएफ के 7 स्तर हैं जिनमें व्यावसायिक कौशल घंटों को ऊर्ध्व एवं समानान्तर गतिशीलता बढ़ाने के लिए शैक्षिक कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में घंटों के भिन्न–भिन्न अनुपात में बांटा जाता है। स्तर 8–10 में स्नातकोत्तर और आगे को श्रेणीबद्ध किए जाने की अपेक्षा है। अवसंरचना व्यावसायिक शिक्षा–कौशल, शिक्षा और जॉब मार्केट के मध्य विभिन्न रास्तों को अनुमति देता है। यह शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को न तो प्रतिस्थापित करने की मांग करती है और नहीं वर्तमान शिक्षा आदर्श का पुनः परिभाषित करती है। अवसंरचना आईटीआई और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली तथा फलतः परम्परागत शिक्षा प्रणाली के मध्य स्पष्ट रास्तों की अनुमति देता है।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतर शिक्षा में कौशल के प्रभावी एकीकरण की संपूर्ण संरचना के विकास के 'राष्ट्रीय अभियान' की शुरूआत की गई है। कौशल विकास पर राष्ट्रीय अभियान की सहायता के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा में विद्यार्थियों की ऊर्ध्व गतिशीलता के लिए च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर स्किल्स की और 04 योजनाएं जिनके नाम, समुदाय कॉलेज योजना, कैरियर आधारित पाठ्यक्रम, बी.वॉक और चल रही योजनाओं (भाषा प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब आदि) की शुरूआत प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा दिए गए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु की गई है।

नौकरी के अवसरों में सुधार करने के लिए, यह मंत्रालय ऑल इंडिया कॉउंसिल फॉर टेक्निकल ऐजुकेशन (एआईसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से रोजगार वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी) और राष्ट्रीय रोजगार वृद्धि अभियान (एनईईएम), समुदाय कॉलेज, बी. वॉक और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्रों नामक विभिन्न योजनाएं चला रहा है। एनईईएम का उद्देश्य किसी तकनीकी या गैर–तकनीकी विषय में स्नातक/डिप्लोमा कर रहे या अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए डिग्री या डिप्लोमा अध्ययन बंद कर देने वाले व्यक्ति की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु रोजगार में व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रस्ताव देना है। ईईटीपी एक रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम है, जो युवाओं में रोजगार क्षमता की वृद्धि करती है।

इस संबंध में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को शैक्षिक वर्ष 2016–17 से प्रारंभ करके 3 वर्षों तक देश के 10,00,000 युवाओं को कुशल बनाने के लक्ष्य के साथ तकनीकी संस्थान द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नामतः ''पीएमकेवीवाई'' के अधीन कौशल विकास योजना को प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। योजना का कार्यान्वयन वर्तमान इंजीनियरिंग कॉलेजों/संस्थानों/पॉलिटेक्निकों की आधारिक संरचना और प्रयोगशाला सुविधाओं के माध्यम से की जाएगी।

★★★★★

अध्याय 08

प्रौद्योगिकी समर्थ अध्ययन

अध्याय 08

प्रौद्योगिकी समर्थ अध्ययन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आईसीटी)

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) का संचालन कर रहा है ताकि किसी भी समय कहीं भी पद्धति से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट/इंटरानेट पर उच्च गुणवत्तायुक्त व्यक्तिपरक और पारस्परिक ज्ञान माड्यूल्स उपलब्ध करवाने में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाया जा सके।

शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों यथा सर्वसुलभता, समानता और गुणवत्ता को, सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान कर, छात्रों व शिक्षकों को कम लागत और वहनीय एक्सेस–कम–कम्प्यूटिंग डिवाइस उपलब्ध करवा कर और देश में सभी शिक्षुओं को उच्च गुणवत्तापरक निःशुल्क ई–विषय–वस्तु प्रदान कर, प्राप्त किया जा सकता है। एनएमईआईसीटी में सभी तीन घटक शामिल हैं।

मिशन के प्रमुख घटक हैं: (क) विषय वस्तु तैयार करना (ख) संस्थाओं और शिक्षुओं को सुलभ उपकरणों के प्रावधान के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटिल डिवाइड अर्थात उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षकों/विद्यार्थियों के बीच शिक्षण और सीखने के प्रयोजनार्थ कम्प्यूटिंग यंत्र का प्रयोग करने की दक्षता के अंतर को पाटना है और उन्हें सशक्त बनाना है जो अब तक डिजीटल क्रांति से अनछुए रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़ नहीं सकें हैं। इसमें ई–शिक्षा के लिए समुचित अध्यापन कला, वर्चुअल प्रयोगशालाओं के जरिए प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना, ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन, प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता, लगभग सभी पाठ्यक्रमों की डिलिवरी के लिए 24×7 घंटों के आधार पर 50 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) शैक्षिक चैनलों का शुरू किए जाने की योजना बनाई गई है।

साक्षात वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल www.sakshat.ac.in है जिसके द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों को निःशुल्क जीवन पर्यन्त शिक्षा में सुविधा प्रदान की जाती है। पोर्टल एनएमईआईसीटी के तहत तैयार किए गए कंटेंट के लिए प्रमुख डिलीवरी पोर्टल होगा।

मिशन से संबंधित सूचना के लिए तथा मिशन द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक जांच, फीडबैक और पारदर्शिता को सुकर बनाने के लिए एनएमईआईसीटी हेतु एक नई वेबसाइट www.sakshat.ac.in बनाई गई है।

एनएमईआईसीटी योजना के अंतर्गत संस्वीकृत कुछ परियोजनाओं की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं:

I) **कैम्पस कनेक्टिविटी:** एनएमईआईसीटी के अधीन विश्वविद्यालयों को 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी तथा कॉलेजों को 10 एमबीपीएस के कनेक्शनों का प्रावधान किया गया है। कुल 438 विश्वविद्यालयों को 1 जीबीपीएस ऑप्टीकल फाइबर के माध्यम से जोड़ा गया है; 22026 कॉलेजों को अब तक 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ द्वारा कनेक्ट किया गया है। कैम्पस कनेक्टिविटी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय को 90 प्रतिशत केन्द्र अंश दिया जा रहा है। अन्य राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों को 75 प्रतिशत का भुगतान करना होता है और शेष राशि का भुगतान संबंधित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा किया जाता है। 69 विश्वविद्यालयों में एलएएन कार्य पूरा हो गया है और 48 विश्वविद्यालयों में बीएसएनएल वाई–फाई कैम्पस कनेक्टिविटी की सुविधा पर कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की डिजिटल इंडिया की तर्ज पर एमएचआरडी ने अब यह निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालयों (1 जीबीपीएस बैंड विड्थ वाले) के परिसरों को 'कैम्पस कनेक्ट' अर्थात वाई–फाई युक्त परिसर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रारंभिक स्तर पर 'कैम्पस कनेक्ट' को 2016 के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

(ii) **ई–कंटेंट:** यह मिशन उच्चतर शिक्षा स्तर पर सभी विषयों को कवर करते हुए लक्ष्य समूहों के लिए उच्च क्वालिटी ई–कंटेंट सृजित किए हैं। ई–कंटेंट सृजन करने के लिए फ्लेगशिप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी युक्त अधिगम संबंधी एनपीटीएल राष्ट्रीय कार्यक्रम है। एनपीटीईएल (http://nptel.ac.in) एनएमईआईसीटी द्वारा वित्तपोषित 7 आईआईटी और आईआईएस की संयुक्त पहल है जो इंजीनियरिंग, विज्ञान और मानविकी शाखाओं में ऑनलाइन वेब और वीडियों आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई–अधिगम प्रदान करते हैं। 933 से अधिक पाठ्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं और एनपीटीईएल वेबसाइट में उपलब्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 150 ई–कंटेंट पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। चरण IV के तहत, एनपीटीईएल व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (मूक) के विकास और उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पहले से तैयार किए गए ई–कंटेंट का पुनः प्रयोग कर रहा है।

एनपीटीईएल की वेबसाइट और यू–ट्यूब पर वेब एंड वीडियो आधारित कार्यक्रमों को अपलोड किया गया है। अभी तक दोनों वेबसाइटों पर एनपीटीईएल कार्यक्रमों के 250 लाख से अधिक हिट्स प्राप्त हुए हैं और एनपीटीईएल को यू–ट्यूब पर सबसे अधिक देखा जाने वाला शैक्षिक चैनल माना गया है।

इसके अलावा, एनपीटीईएल ने प्रोक्टर्ड कम्प्यूटर आधारित प्रमाणपत्र परीक्षा के साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरूआत की है। एनपीटीईएल समूह ने अब तक 93 ऑनलाइन पाठ्यक्रम को शुरू और उन्हें पूरा किया है तथा 3.7 लाख नामांकित उपभोक्ताओं में से 2.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए प्रोक्टर्ड परीक्षा आयोजित की है और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर 13,000 उपभोक्ताओं को प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

अवर स्नातक पठ्यक्रमों के लिए शिक्षा संचार संघ (सीईसी) (यूजीसी का एक अंतः विश्वविद्यालय केन्द्र) को ई–कंटेंट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। सीईसी द्वारा 29 विषयों से युक्त लगभग 9,000 मॉड्यूल्स ई–कंटेंट पूरे कर लिए गए हैं और 26 विषयों के ई–कंटेंट को सीईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा सीईसी को उम्मीद है कि 2016 के अंत तक 17 मीडिया केन्द्रों के सहयोग से 58 अवर स्नातक विषयों के ई–कंटेंट पूरे कर लिए जाएंगे। सीईसी द्वारा तैयार किए गए ई–कंटेंट में एनएमईआईसीटी प्रणाली के चार आयामों का अनुपालन किया गया है जिसमें पहला आयाम आडियो–वीडियो कंटेंट दूसरा आयाम ई–बुक्स शैक्षिक लेखन, शब्दावली, आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न और प्रतिलेखन (वीडियो का टेक्स्ट); तीसरा आयाम ट्यूटोरियल और मूल्यांकन तथा इसके सही उत्तरों की विशेषताओं से युक्त है और चौथा आयाम वेब लिंक आदि उपलब्ध कराता है।

77 स्नातकोत्तर विषयों के ई–कंटेंट निर्माण संबंधी कार्यकलापों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सौंपा गया है। सभी विषयों में ई–कंटेंट का निर्माण शुरू कर दिया गया है और वर्ष 2016 तक इसे पूरा किया जाना है। यूजीसी द्व ारा तैयार किए गए ई–कंटेंट में भी एनएमईआईसीटी की चार आयामी प्रणाली का अनुपालन किया गया है।

(iii) **इंटीग्रेटिड ई–कंटेंट पोर्टल**: इनफ्लिबनेट केन्द्र ने ''ई–आचार्य: नामक एक वेब आधारित पोर्टल तैयार किया है द् यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत विकसित और वित्तपोषित सभी ई–कंटेंट परियोजनाओं के लिए एकीकृत ई–कंटेंट पोर्टल है (http://eacharya.inflibnet.ac.in)। एनएमईआईसीटी के तहत ई–कंटेंट पर 50 से अधिक परियोजनाएं हैं जिन्हें विभिन्न भारतीय संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों द्वारा विभिन्न विषयों की विषय–वस्तु (विज्ञान, कला, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान आदि) में तैयार किया गया/तैयार किया जा रहा है। अब तक 13,723 वीडियो, 5862 ई–टेक्स्ट, 2,225 क्विज और 20 परियोजनाओं के ई–कंटेंट के 4,509 अन्य घटकों को इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है और अन्य विषयों से और अधिक कंटेंट को अपलोड किया जा रहा है। पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रत्येक माड्यूल की खोज और डिस्कवरी सुविधा प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सबजेक्ट हैडिंग का प्रयोग करते हुए प्रत्येक माड्यूल को विस्तृत मेटाडेटा निर्धारित किया गया है।

(iv) **स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम)**: मूक और ऑनलाईन पाठ्यक्रम तकनीकी उन्नति के उदाहरण हैं जिनसे जीवनपर्यन्त अधिगम को संभव बनाने के लिए कहीं भी किसी भी समय मापन योग्य समाधान प्राप्त होंगे और इस प्रकार यह अधिगमकर्ताओं के लिए सहज और सुविधाजनक बन जाएगा। मुद्रित पुस्तकों के जरिए अधि ागम के परंपरागत तरीके की अपेक्षा ऑनलाईन विषय–सामग्री को प्राप्त करना, ब्राउज करना और समझना आसान है। यह जीवनपर्यन्त अधिगमकर्ताओं के लिए अधिक रूचिकर होगा क्योंकि इसमें पठन सामग्री के अलावा, आडियो/वीडियों फाईलें, एनीमेशन आदि हो सकते हैं।

स्वदेशी मूक प्लेटफार्म (स्वयम) को तैयार करने का प्रस्ताव है जो एनआईसी क्लाउड प्लेटफार्म/डाटा सेंटर को चलाने के लिए एकमात्र प्लेटफार्म होगा और यह एक मिलियन छात्रों की समवर्ती पहुंच और समय के साथ जीवनपर्यन्त शिक्षण के प्रावधानों के साथ–साथ बहुत से अंत: प्रचालनीय पाठ्यक्रमों को चलाने में समर्थ होगा।

भारतीय मूक विषय–सामग्री की मेजबानी करने के लिए 2016 के मध्य तक स्वयं मंच स्थापित करने का प्रस्ताव है जो विभिन्न साझेदार संस्थानों द्वारा विकसित किया जा रहा है जैसा ऊपर बताया गया है। इसके बाद, तदोपरांत मानव संसाध ान विकास मंत्रालय अपने संस्थानों के जरिए वार्षिक लगभग 2000 मूक प्रदान करेगा। स्वयं मंच पर संचालित मूक को मान्यता प्रदान करने हेतु परामर्शी सिफारिशें जारीकरने के संबंध में नियामकों के साथ चर्चा की जा रही है और इसके बाद छात्रों द्वारा उनके संबंधित संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों में अर्जित किए गए अंकों का अंतरण किया जाएगा।

(V) **राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल)**: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) स्थापित कर रहा है जिसका उद्देश्य देश में शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा ई–कंटेंट और एमएमईआईईसीटी के तहत विकसित ई–कंटेंट के राष्ट्रीय निक्षेपागार की मेजबानी करना है।

आईआईटी, खड़गपुर को राष्ट्रीय धरोहर निर्माण हेतु भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) की मेजबानी, समन्वय और स्थापना का काम सौंपा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य, सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को एकल खिडकी पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं/निकायों में सभी मौजूदा डिजीटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करना है। एनडीएल, विषयसामग्री का मेटाडाटा को पकडेगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय सर्वर में इन मेडाडेटा को संरक्षित और इंडेक्स करेगा ताकि सभी विषयसामग्री को एकल खिडकी के जरिए उपयोगकर्ता द्व ारा पूरे पाठ में तलाशा और प्राप्त किया जा सके; एनडीएल अपने सर्वर में वास्तविक (पूर्ण–पाठ) की विषयवस्तु को संरक्षित नहीं करता। बल्कि यह उपयोगकर्ता को परिणाम तलाशने के भाग के रूप में संबंधित विषय सामग्री होस्टिंग साईटों का उपयोगकता लिंक प्रदान करता है। संबंधित विषय सामग्री होस्टिंग साईटों पर क्लिक करके उपयोगकर्ता विषयसामग्री प्राप्त करता है।

राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के पहले चरण को 2016 की दूसरी तिमाही में शुरू किए जाने की आशा है।

(vi) **टाक–टू–टीचर**: आईआईटी मुम्बई द्वारा तैयार किया गया टाक–टू–टीचर कार्यक्रम आईआईटी–बॉम्बे में प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों और विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ाए जाने

वाले चयनित कुछ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रति निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए एमएचआरडी द्वारा वित्तपोषित, आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की एक पहल है। यह देशभर के संकायों को एक आभासी शिक्षा–कक्ष उपलब्ध करवाने के लिए अमृता विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए ए–वियू सहयोगी साधन का प्रयोग करता है।

यह पाठ्यक्रम हैडफोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी वैयक्तिगत कम्प्यूटर/लैपटॉप पर कम बैडविड्थ पर बिल्कुल निःशुल्क देखा जा सकता है। इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है चूंकि इसमें कोई मूल्यांकन/सत्यापन प्रक्रिया शामिल नहीं है। ये पाठ्यक्रम आईआईटी बाम्बे के शिक्षण–कक्ष से सीधे रिकार्ड किए जाते हैं और हो सकता है इनमें पाठ्यक्रम के पूरे कंटेंट प्रदर्शित ना हों। इंजीनियरिंग और कम्प्यूटर साइंस विषयों के मूल पाठ्यक्रमों के अलावा कार्यक्रम में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों को भी कवर किया जाता है।

इस परियोजना के तहत आईआईटी, मुम्बई और आईआईटी, खड़गपुर से पाठ्यक्रमों की समकालिक डिलिवरी को शामिल करते हुए अब तक 80,000 से अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(vii) आस्क अ क्वेस्चनः आस्क अ क्वेस्चन एक अद्वितीय प्लेटफार्म है जिसके माध्यम से पूरे भारत के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं और आईआईटी, बॉम्बे के संकाय उसका उत्तर देते हैं। छात्र या तो ऑनलाइन फोरम के माध्यम से या आपसी बातचीत के सीधे सत्र के दौरान प्रश्न पूछ सकते हैं। वीरवार सायं 4:00 से 5:00 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हर शुक्रवार सायं 4:00 से 5:00 बजे भौतिकी विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(viii) आभासी प्रयोगशालाएंः भौतिकी दूरियां और संसाधनों की कमी हमें प्रयोग करने से रोकते हैं। अच्छे अध्यापक भी दुर्लभ संसाधन बने हुए हैं। वेब और वीडियो आधारित पाठ्यक्रम कुछ हद तक शिक्षण के मुद्दे को हल करते हैं। दो भागीदारी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग करना और कीमती संसाधनों को शेयर करना हमेशा एक चुनौती रहा है। आज की इंटरनेट और कम्प्यूटर तकनीक सहायता से उपर्युक्त कमियां छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने से रोक नहीं सकती। वेब आधारित प्रयोगों के रिमोट प्रचालन और उन्हें देखने की दृष्टि से इस प्रकार बनाया जा सकता है जो छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को प्रेरित कर सकें। यह, रिमोट प्रयोग के माध्यम से आधारभूत और उन्नत परिकल्पना के सिखने में मदद करेगा। आजकल अधिकतर उपकरणों में अनेक नियंत्रण और डाटा इक्ट्ठा करने के लिए कम्प्यूटर इंटरनेट है। कुछ उपकरणों के उपयोग द्वारा अच्छे प्रयोगों को डिजाइन करना संभव है जो छात्रों के शिक्षण में वृद्धि करेगा। इसके अलावा, इंटरनेट आधारित प्रयोग उन कौशलतापूर्ण प्रयोग जिनको अलग–अलग स्थानों (संभवत अलग–अलग समय) पर एक साथ कार्यान्वित किया जाता है, को बढ़ावा देने के अतिरिक्त ज्ञान, साफ्टवेयर और वेब पर उपलब्ध आकड़ों जैसे संसाधनों के प्रयोग की अनुमति देता है।

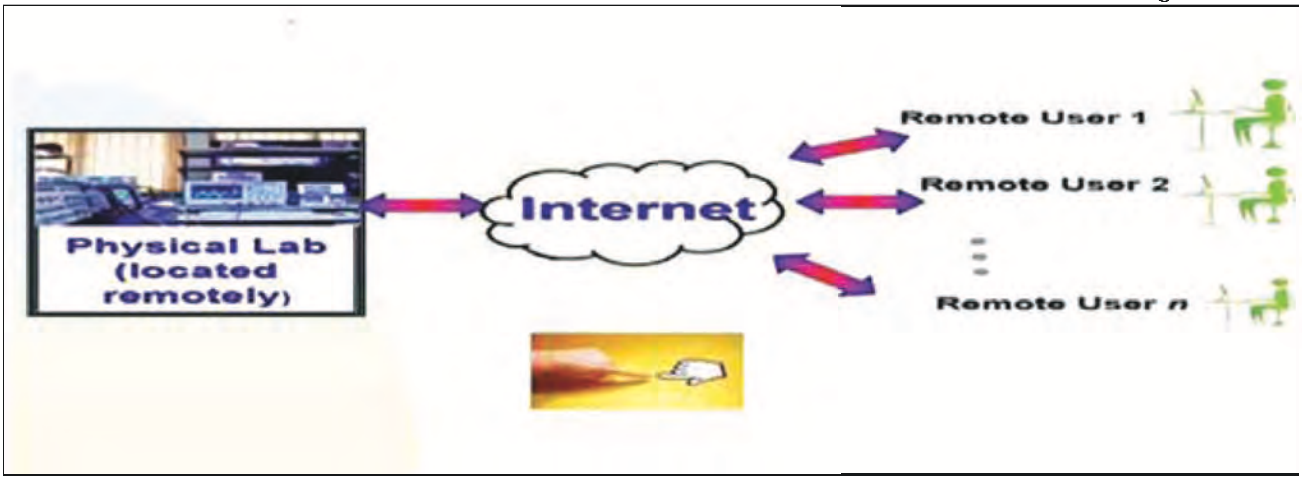

इन आभासी प्रयोगशालाओं को उपभात्ता परिसर पर प्रयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त ढांचे की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। दूर से प्रयोग करने के लिए बस जो जरूरी है वह है एक ब्राड–बैंड कनेक्टिविटी के साथ एक कम्प्यूटर। 09 इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों, जिसमें लगभग 1515 प्रयोग शामिल हैं, में 205 से अधिक आभासी प्रयोगशालाओं को 6 लाख से अधिक छात्रों द्वारा इस समय एक्सेस किया जा रहा है।

(ix) **ई–यन्त्रः** एमएचआरडी की एनएमईआईसीटी के तहत एक पहल 'ई–यन्त्र' प्रोजेक्ट का उद्देश्य गणित, कम्प्यूटर साइंस और इंजीनिरिंग सिद्धान्तों को रोमांचक व्यावहारिक शिक्षा में अनुप्रयोग के माध्यम से छात्रों को जोड़ने के साथ इंजीनिरिंग शिक्षा में रोबोटिक्स को शामिल करना है, परियोजना के प्रथम चरण के रूप में रोबोटिक्स प्लेटफार्म के सृजन को सफलतापूर्वक दर्शाया गया है। इस समय ई–यन्त्र को 100 कालेजों में कार्यान्वित किया गया है, यह ई–यन्त्र उन 100 कालेजों में परियोजना आधारित शिक्षण और अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना स्थापना के माध्यम से कौशल का सजृन कर रहा है। आगे बढ़ते हुए एमएचआरडी आईआईटीबी द्वारा विकसित मूल कौशल को प्रायोगिक कौशल युक्त मानवशक्ति तैयार करने के लिए उनका सृजनात्मक, संवितरक और विश्लेषक कंटेंट के रूप में प्रयोग करने की सोच रहा है।

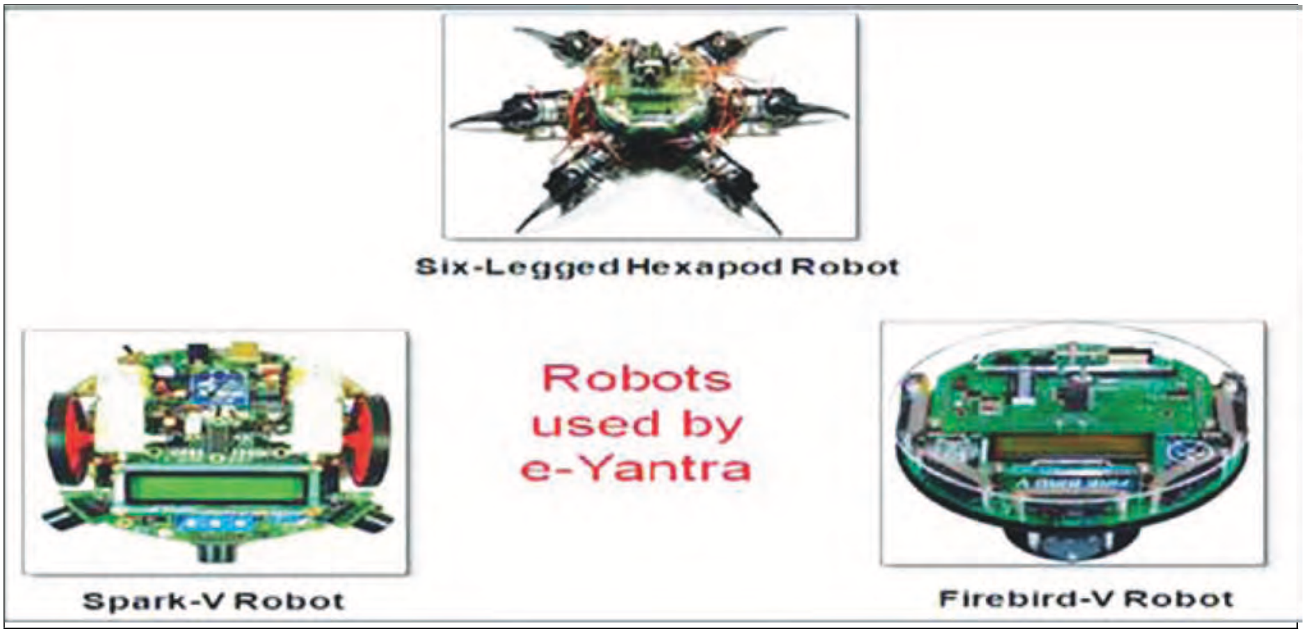

आंकडेः ई–कल्प द्वारा प्रयुक्त रोबोट

ई–यंत्र की वेबसाइट www.e-yantra.org पर खुले स्रोत कंटेंट के रूप में 11 परियोजनएं और कोड उपलब्ध हैं।

(x) **ई–कल्पः** एमएचआरडी/एनएमईआईसीटी की अन्य पहल 'ई–कल्प': भारत में डिजाइन हेतु डिजिटल शिक्षण वातावरण का सृजन ने परियोजना को सफलता पूर्वक प्रदर्शित किया गया है, चरण–। में इसके उद्देश्यों की उपलब्धियां निम्नलिखित हैंः–

1. डिजाइन पर ई–लर्निंग कार्यक्रमों के साथ डिजाइन शिक्षण के लिए डिजिटल ऑन–लाइन कंटेंट
2. क्राफ्ट सेक्टर सहित डिजिटल डिजाइन संसाधन डाटाबेस
3. डिजाइन के सहयोगात्मक शिक्षण विस्तार के साथ उच्चतर शिक्षण के लिए सामाजिक नेटवर्किंग
4. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के परिणामों पर डिजाइन इनपुट्स

दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, 'डी–सोर्स' नामक ई–कल्प वेब साइट के कंटेंट में विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन शिक्षण पर 160 पाठ्यक्रम, डिजाइन और क्राफ्ट के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में 400 संसाधन, पेशेवरों और डिजाइन छात्रों द्वारा कार्यान्वित डिजाइन प्रोजेक्ट के 110 विषय अध्ययन, विषय विशेषज्ञों द्वारा 50 वीडियो लेक्चर और प्रस्तुतिकरण और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखी गई कला और डिजाइन की समृद्ध परम्परा कृतियों का प्रलेखीकरण करने वाली चित्र दीर्घा के 600 उदाहरण शामिल हैं।

(xi) **शिक्षा के लिए निःशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (एफओएसएसईई):** आईआईटी–बॉम्बे को संस्वीकृत एफओएसएसईई परियोजना शैक्षिक संस्थाओं में सॉफ्टवेयर के मुक्त स्रोत के प्रयोग को प्रोत्साहित करता रहा है। इसकी वेबसाइट http://fossee.in है। यह कार्य स्पोकन ट्यूटोरियल जैसी अनुदेशात्मक सामग्री, पाठ्यपुस्तक अभियान जैसे दस्तावेजीकरण और सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यशालाओं जैसे जागरूकता कार्यक्रमों और इंटर्नशिप के माध्यम से किया जाता है।

टेक्स्टबुक कैम्पियन (टीबीसी) मानक पाठ्यपुस्तकों के हल किए गए उदाहरणों के कोड का संग्रहण है। लगभग 2000 कॉलेज छात्रों एवं अध्यापकों ने इस कार्यकलाप में भाग लिया और 1000 के करीब टीबीसी को अकेले स्किलैब और पायथन में तैयार किया गया है। एफओएसएसईई ने टीबीसी को एक मुक्त स्रोत बना दिया है और उन्हें निःशुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाया है। स्किलैप और पायथन टीबीसी दोनों क्लाउड पर उपलब्ध हैं और उपभोक्ता को टीबीसी कोड को डाउनलोड करने के लिए केवल एक ब्राउसर की जरूरत होती है।

एफओएसएसईई एक सुस्थापित मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर को प्रोत्साहित कर रहा हैः ओपन एफओएएम, स्वामित्व प्राप्त फ्लूएंट सॉफ्टवेयर का विकल्प है जो कम्प्यूटेशनल फ्ल्यूड डाइनेमिक्स के लिए है; डीडब्ल्यूएसआईएम दृ कैमिकल प्रोसेस साइमुलेशन के लिए स्वामित्व प्राप्त ऐस्पेन सॉफ्टवेयर का विकल्प है। एफओएसएसईई ने भी कतिपय नई मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर गतिविधियां भी शुरू की हैं: स्किलैब टूलबॉक्सेज को मैटलैब तक ले जाना; ई–सिम एक इलेक्ट्रानिक डिजाइन आटोमेशन सॉफ्टवेयर को तैयार करना; जो ऑरकाड का विकल्प है; संधि को तैयार करना; जो डाटा प्राप्ति और नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर है और लैबवियू का विकल्प। एफओएसएसईई टीम ओपन पीएलसी और आरड्यूनो जैसे मुक्त स्रोत हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर कार्य करता है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से देशभर के बड़ी संख्या में छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।

(xii) विद्वानः वर्ष 2015–16 के दौरान 'सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क' (इनफ्लिबनेट) केन्द्र ने एनएमईआईसीटी की वित्तीय सहायता से ''विद्वानः विशेषज्ञ डाटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ता नेटवर्क'' नामक पहल की शुरूआत की, विद्वान के उद्देश्य हैं i) भारत और विदेशी में अग्रणी शैक्षिक और आरएंडी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदयों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल इकट्ठा करना; ii) देश में शिष्टजनों, भावी सहयोगकर्ताओं, निधियन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विदवानों को विशेषज्ञों के बारे में शोध और सुविधाजनकरूप से सूचना उपलब्ध कराना; iii) अनुसंधान विद्वानों द्वारा जरूरी विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों के साथ सीधे बात–चीत स्थापित करना; iv) लेख और अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा के लिए शिष्टजन समीक्षकों की पहचान करना; और v) वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान–प्रदान और नेटवर्किंग सुविधाओं का सृजन करने के लिए शुरू किया गया है।

यह डाटाबेस मंत्रालयों/सरकार द्वारा निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों, कार्यबलों के लिए विशेषज्ञ पैनल के चयन में मददगार होगा। इसके अलावा, एक ही जगह पर विशेषज्ञ डाटाबेस की उपलब्धता नीति निर्धारकों और निधियन एजेंसियों की निर्णय लेने और नीति हस्तक्षेपों में मदद करेगी। 31 दिसम्बर, 2015 तक डाटाबेस आईआईटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ सहित 2,0000 अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं और आरएडंडी संगठनों के 17,500 विशेषज्ञों की प्रोफाइल हैं।

(xiii) इनफ्लिबनेट केन्द्र का ई–शोध सिंधु

एमएचआरडी ने अपने 1 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना के तहत निम्नलिखित 03 कन्सार्टिया का ई–शोध सिंधू में विलय किया हैः

1. यूजीसी–इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम
2. इनडेस्ट–एआईसीटीई कंसोर्टियम
3. एनलिस्ट कार्यक्रम

इनफ्लिबनेट केन्द्र को ई–शोध सिंधू के कार्यान्वयन और प्रचालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ई–शोध सिंधू, एक विलय किया गया कंसोर्टियम, यूजीसी की धारा 12(ख) और 2(च) के तहत कवर किए गए 220 विश्वविद्यालय और 4,400 कॉलेजों और आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी आदि सहित 75 केन्द्रीय–वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं को अपनी सेवा देता रहेगा। ई–शोध सिंधू 42 प्रकाशकों और संग्रहकर्ताओं (एग्रीगेटर) के 12,000 ई–जर्नल्स से अधिक 12 ग्रंथ और 06 तथ्यात्मक डाटाबेस को सदस्यता प्रदान करेगा। ई–शोध सिंधू के कालेज घटक (पूर्व में एनएलआईएसटी) के तहत 6,500 इलेक्ट्रानिक जर्नल्स और एक लाख इलेक्ट्रानिक्स पुस्तकों की एक्सेस प्रदान करता रहेगा। इस समय इनफ्लिबनेट सदस्य संस्थाओं के साथ दरों पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है। ई–शोध सिंधू के सहायक सदस्यता कार्यक्रम को भी ई–शोध सिंधू द्वारा तय की गई दरों पर निजी शैक्षिक संस्थाओं को ई–संसाधनों के प्रति पहुंच का फायदा देने के लिए तैयार किया जाएगा। ई–शोध सिंधू सदस्य संस्थाओं के संघ के अंतर्गत सदस्यता प्रदत्त जर्नल्स प्रलेखों के मेटाडाटा और पूरे पाठों की एक्सेस भी उपलब्ध करवाएगा।

डीटीएच चैनलों की शुरूआतः 1000 डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) चैनलों के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया

गया है ताकि अधिकतम संभावित सीमा तक विभिन्न भाषाओं में प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय हेतु 24x7 आधार पर एक अलग डीटीएच चैनल उपलब्ध हो सके अंतरिक्ष विभाग ने इनसेट–8 के दो ट्रांस्पोंडर निर्धारित किए हैं जो 50 चैनल उपलब्ध करवाने की क्षमता रखते हैं। एमएचआरडी एक वर्ष के भीतर अत्यधिक महत्वाकांक्षी 50 डीटीएच चैनलों की शुरूआत के लिए पूरी तरह तैयार है यह जनता को ई–एज्यूकेशन की डिलिवरी के लिए अत्यधिक लागत प्रभावी तरीका होगा।

एमएचआरडी डीटीएच जब शुरू किया जाएगा तब यह (क) संस्थाओं को कंटेंट प्राप्ति के अलावा छात्रों तक ई–एज्यूकेशन के पहुंचाने, (ख) डीटीएच चैनल उच्चतर शिक्षा में पढ़ाए जा रहे लगभग सभी विषय/पाठों के संरचित लेक्चर की डिलिवरी को सुनिश्चित करेगा।

एमएचआरडी का डीटीएच चैनल पर पाठ्यचर्या आधारित कंटेंट होंगे और कार्यक्रम को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि एकमुश्त लगभग 2000 रूपए की लागत पर एक सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग करते हुए शैक्षिक कंटेंट्स को टीवी पर देखने के अलावा उस पर कोई और पुनरावृति लागत नहीं होगी। डीटीएच पर डिलिवर किए कार्यक्रमों को दर्शकों के लिए पीसी, टेबलेट और स्मार्ट फोन तथा अन्य व्यक्तिगत डिवाइस जैसी आईपी डिवासेज पर साथ–साथ उपलब्ध करवाया जाएगा।

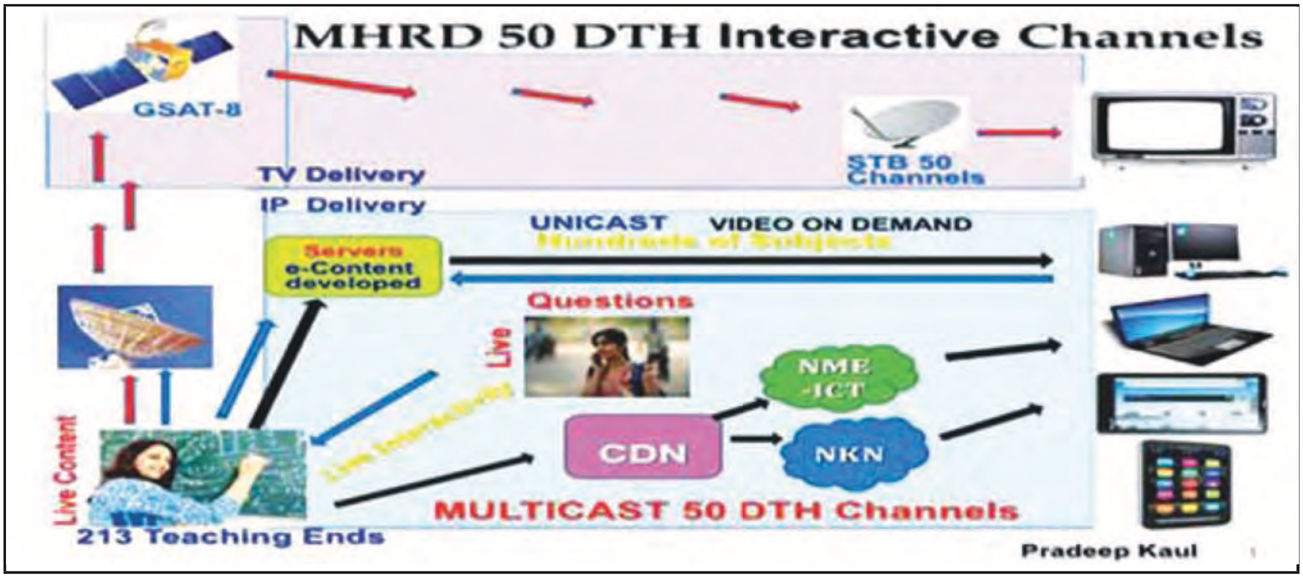

प्रत्येक चैनल अधिकतर सीधा प्रसारण करेंगे, प्रतिदिन नए कंटेंट का 8 घंटे जिन्हें अगले 16 घंटों में पुनः प्रसारित किया जाएगा। एक चैनल पर नए कंटेंट्स का सृजन और डिलिवरी 50 डीटीएच चैनलों पर प्रतिवर्ष प्रति चैनल 8x365 = 2920 घंटे की होगी डिलिवर किए गए कंटेट्स वर्ष में 1,46,000 घंटों की नवनिर्मित शिक्षा सामग्री होगी जो यूजी, पीजी विषयों, प्रशिक्षण आदि के 3650 (40 घंटे की अवधि का प्रत्येक पाठ्यक्रम) के बराबर होगी।

★★★★★

अध्याय 09

भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र

अध्याय 09

भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए 01 मार्च, 1960 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (जिसका अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय **चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता** में स्थित हैं। यह केन्द्र सरकार का शीर्ष निकाय अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक हिन्दी को अखिल भारतीय दर्जा देने, इस भाषा के माध्यम से विभिन्न लोगों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को बार–बार चलाने में निरन्तर प्रयासरत है और हिन्दी को वैश्विक स्तर पर एक सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

निदेशालय हिन्दी के विकास, सवर्धन और समृद्धि के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जो निम्नलिखित हैं:–

1. पत्राचार कार्यक्रम
2. अनुपूरक शिक्षा सामग्री
3. विस्तार कार्यक्रम–पुरस्कार, शिविर, यात्रा, शोध, छात्र यात्रा अनुदान, प्राध्यापक व्याख्यानमाला और संगोष्ठी।
4. हिन्दी के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को वित्तीय सहायता योजना।
5. प्रकाशन–शब्दकोश और भाषा वार्षिकी और साहित्यमाला जैसे जर्नलों को तैयार करना और उनका प्रकाशन।
6. हिन्दी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
7. देवनागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण।
8. पुस्तक प्रदर्शनियां और बिक्री।

सीएचडी की वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
1. पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण	इसका उद्देश्य गैर हिन्दी भाषी राज्यों के लोगों, विदेश में बसे भारतीय और विदेशी पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 1. हिन्दी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला भाषा माध्यम)	अधिदेश के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाने संबंधी विज्ञापन। पाठ की सामग्री तथा वार्षिक परीक्षाओं का संशोधन और मुद्रण तथा देवनागरी लिपि का मानकीकरण और स्वरों के विशिष्ट चिह्नों को उपभोक्ता अनुकूल बनाने के लिए 14 पीसीपी का आयोजन।	विभिन्न पाठ्यक्रमों में 6,720 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विज्ञापन। प्रमाणपत्र, डिप्लोमा (सभी माध्यमों में) और उन्नत डिप्लोमा, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ और हिन्दी सिविल सेवा पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु प्रक्रिया।

योजना का नाम	उद्देश्य / परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
	2. हिन्दी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला भाषा माध्यम) 3. हिन्दी का एडवांस डिप्लोमा 4. सिविल सेवा हिन्दी पाठ्यक्रम 5. प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम 6. अनुपूरक शिक्षण सामग्री तैयार करना (क) स्वः अध्ययन (ख) संवादी गाइड (ग) व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम	स्व अध्ययन तथा संवाद गाइड तेयार करना और उन्हें सीडी में परिवर्तित करना।	14 पीसीपीएस का आयोजन। अनुसूची के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन और सारणी संबंधी कार्य। देश के 63 और विदेश के 8 केन्द्रों पर सभी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा (सभी माध्यमों में) और उन्नत डिप्लोमा की परीक्षाओं का आयोजन करना। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ स्तर की समिति बैठकों का आयोजन। 06 संवाद गाइडों की कैमरा अनुकूल प्रतियों को तैयार करना और द्विभाषी संवाद गाइड से 01 स्वअध्ययन संवाद की सीड़ी तैयार करना। भारत सरकार के प्रेस की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न माध्यमों के सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री का प्रकाशन। देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर एक बुकलेट का प्रकाशन, यह सामग्री मुद्रण एकक / प्रेस में है।
2. कैसेटों के माध्यम से हिन्दी की अनुपूरक शिक्षण सामग्री	कैसेटों / डीवीडी और उनके प्रसारण के माध्यम से हिन्दी शिक्षण एवं संवर्धन।	शिक्षा सामग्री पर आधारित 4 विजुअल डीवीडी तैयार करना।	अनुसूची के अनुसार चार डीवीडी का निर्माण और उनके प्रसारण की प्रक्रिया पूरी करना।
3. हिन्दी लेखकों को पुरस्कार	हिन्दी तथा गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी लेखकों को बढ़ावा देने के लिए और शिक्षा पुरस्कार	24 लेखक	प्रक्रियाधीन

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
4. सेवा और कार्यक्रम की योजनाएं	राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषा और साहित्य का संवर्धन तथा प्रचार	08 शिविर	आज की तारीख तक 06 पूरे हो गए हैं और शेष को जनवरी 2016 में आयोजित किया जाएगा।
		02 यात्राएं	01 पूरी कर ली गई है दूसरी प्रक्रियाधीन।
		20 शोध छात्र यात्रा अनुदान	प्रक्रियाधीन।
		08 प्राध्यापक व्याख्यान माला	प्रक्रियाधीन।
		06 संगोष्ठियां	आज की तारीख में 03 पूरी कर ली गई हैं। शेष को 2015 में आयोजित किया जा रहा है।
5. (i) हिन्दी के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	इस योजना के तहत, संगठनों/शिक्षण संस्थानों को अपनी गतिविधियां जारी रखने और/अथवा उनका विस्तार करने के लिए अथवा हिन्दी प्रसार और विकास में नए आधार तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। और इसने न केवल सहयोग को सूचीबद्ध किया है बल्कि हिन्दी के प्रसार कार्य में लगे व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य हिन्दी भाषी तथा गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा का सवर्धन करना है।	213 वीएचओ	213 वीएचओ का भुगतान जारी किए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
(ii) हिन्दी प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना	प्रकाशन का उद्देश्य विभिन्न लेखकों और पांडुलिपियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	लगभग 63 लेखक	भुगतान राशि जारी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

योजना का नाम	उद्देश्य / परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
6. प्रकाशन की योजनाएं **(i) शब्दकोशों को तैयार करना।** **(ii) भाषा वार्षिकी और साहित्यमाला**	हिन्दी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार की महत्ता को ध्यान में रखते हुए समेकित राष्ट्रों और पड़ोसी देशों की भाषा के शब्दकोश तैयार किए जा रहे हैं। विदेशों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों के साथ शिक्षा आदान–प्रदान कार्यक्रम योजना के तहत शब्दकोशों और संवादी गाइडों को तैयार किया गया है। ये शब्दकोश पड़ोसी राज्य के साथ अच्छी सोच और मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने और उपर्युक्त देशों के बीच भाषा अंतराल को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। हिन्दी–हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा कोश। इस परियोजना का मूल उद्देश्य वैश्विक स्तर की हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के समग्र शब्दकोश को तैयार करना है। यह योजना भाषा और साहित्य छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और हिन्दी साहित्य के अध्ययनकर्ताओं सहित लोगों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित है। क्षेत्रीय भाषा कोश योजना को सीएचडी द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को हिन्दी के साथ जोड़ना और गैर–हिन्दीभाषी लोगों को हिन्दी अपनाने के लिए उन्हें अच्छी तरह से तैयार करना और देश के विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहन देना भी है। हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लेखकों को प्रोत्साहित करना और हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करना।	आठ शब्दकोशों के तैयार करने का कार्य जारी रहेगा। दो शब्दकोश (हिन्दी व्युत्पत्तिकोश और भारतीय भाषा कोश को तैयार किया जाएगा और तीन (वृहद हिन्दी कोश, गुजराती–हिन्दी कोश, पंजाबी–हिन्दी कोश) को प्रकाशित किया जाएगा। द्विमासिक भाषा पत्रिका के 6 संस्करणों का प्रकाशन। वार्षिकी–वार्षिक पत्रिका का एक संस्करण। साहित्यमाला के तहत एक पुस्तक।	i) 01* शब्दकोश की सीआरसी को प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। ii) 03** शब्दकोशों की पांडुलिपि को प्रूफ प्रमाणन के लिए भेज दिया है। iii) 04*** शब्दकोशों का कार्य चल रहा है। 'इंडोनेशियन–हिन्दी शब्दकोश **i) हिन्दी–फ्रेंच शब्दकोश ii) हिन्दी–रूसी शब्दकोश iii) पारसी–हिन्दी शब्दकोश ***i) पुश्तो–हिन्दी शब्दकोश ii) बर्मी–हिन्दी शब्दकोश iii) पॉलिश–हिन्दी शब्दकोश iv) जर्मन–हिन्दी शब्दकोश (खण्ड 33 और 4) 02 शब्दकोश (हिन्दी पारिभाषिक लघुकोश और तमिल–हिन्दी लघुकोश को प्रकाशित कर दिया गया है और 02 (हिन्दी व्युत्पत्तिकोश और भारतीय भाषाकोश) शब्दकोशों को आज की तारीख में तैयार किया जा रहा है। 'भाषा' पत्रिका के संस्करण प्रकाशित कर दिए गए हैं जिनमें विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर जुलाई–अक्टूबर 2015 का विशेष अंक शामिल है। वार्षिकी का एक अंक प्रकाशित किया गया है, 'भाषा' के दो अंक और वार्षिकी का एक अंक प्रक्रियाधीन है। साहित्यमाला (आदिसासी विमर्श) प्रक्रियाधीन है।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
7. वितरण	हिन्दी के प्रचार और संवर्धन के लिए हिन्दीत्तर क्षेत्रों में हिन्दी पुस्तकों और पत्रिकाओं की निःशुल्क भेंट।	2,10,295 पुस्तकें और 115 पत्रिकाओं को 1003 लाभार्थियों के बीच वितरित करने का लक्ष्य है।	सभी पुस्तकों को बांट दिया गया है।
8. देवनागरी लिपि और हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण	देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर बुकलेट का प्रकाशन।	देवनागरी लिपि के मानकीकरण पर बुकलेट का प्रकाशन। उपर्युक्त सामग्री मुद्रण एकक/प्रेस में है।	....
9. प्रदर्शनी और बिक्री	हिन्दी और हिन्दीत्तर राज्यों में निदेशालय के प्रकाशनों को रियायत मूल्यों पर उपलब्ध कराना।	9 पुस्तक प्रदर्शनियां	07 पुस्तक प्रदर्शनियां आज की तारीख में पूरी कर ली गई है और शेष 02 को दिसम्बर 2015/जनवरी 2016 में पूरा किया जाएगा।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, दिल्ली

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 01 अक्टूबर, 1961 की हुई थी। सरकार का संकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में निहित प्रावधानों के तहत गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप था। वर्ष 1960 के संकल्प के अनुसार आयोग के कार्य निम्नलिखित हैः–

(क) 1960 के राष्ट्रपति आदेश में निर्धारित सिद्धान्तों के आलोक में अब तक वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में किए गए कार्य की समीक्षा।

(ख) हिन्दी और अन्य भाषाओं की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के मूल्यांकन और समन्वयन संबंधित सिद्धान्तों को तैयार करना।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों की सहमति या उनके कहने पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली क्षेत्र में राज्यों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का समन्वयन और शब्दावलियों का अनुमोदन हिन्दी मे प्रयोग और अन्य भाषाओं में प्रयोग के लिए, जैसाकि संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोग को प्रस्तुत की जाती है।

(घ) आयोग इसके द्वारा विकसित या अनुमोदित शब्दावली का प्रयोग करते हुए मानव वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने का कार्य शुरू कर सकता है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को तैयार करना और विदेशी भाषाओं की वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना।

उपर्युक्त अधिदेश और बाद में जारी राष्ट्रपति आदेशों के अनुसार आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए आयोग के कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

आयोग के कर्तव्य और कार्य:

(क) हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित और परिभाषित करना और शब्दावलियों, परिभाषिक शब्दकोशों, विश्वकोश का प्रकाशन करना।

(ख) यह देखना कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएं छात्रों, अध्यापकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों अधिकारियों आदि तक पहुंचे।

(ग) उपयोगी फीडबैक लेकर किए गए कार्य (कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अभिविन्यास कार्यक्रमों/सेमिनारों के माध्यम से) पर उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतन/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना।

(घ) वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर सेमिनार/संगोष्ठियों के प्रायोजन द्वारा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करना।

(ड) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों में समन्वय करना कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाअें में एकरूपता हो (राज्य सरकारों/ग्रन्थ अकादमियों/विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों/ शब्दावली क्लबों या अन्य एजेंसियों के जरिए)

(च) मानव शब्दावली को लोकप्रिय बनाने तथा उपयोग के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करना/प्रकाशन को प्रोत्साहित करना।

आयोग के कार्यक्रम:

आयोग इस समय निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है:

क) अंग्रेजी–हिन्दी, अंग्रेजी–क्षेत्रीय भाषा और त्रिभाषा तकनीकी शब्दकोश/शब्दावलियां तैयार करना।

ख) राष्ट्रीय शब्दावली तैयार करना

ग) पैन भारतीय पारिभाषित शब्दों की पहचान करना

घ) परिभाषीय शब्दकोश और विश्वकोश तैयार करना

ड) निःशुल्क वितरण के लिए छात्रों हेतु प्रशिक्षु शब्दावली (स्कूल स्तर की) और मूल शब्दावली तैयार करना।

च) विभिन्न सरकारी इकाइयों, वैज्ञानिक संगठनों और पीएसयू के लिए विभागीय शब्दावली का अनुमोदन एवं उन्हें तैयार करना।

छ) सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण/अभिमुखी कार्यक्रमों के माध्यम से गढ़े गए और परिभाषित शब्दों का प्रचार, विस्तार और विवेचनात्मक समीक्षा करना।

ज) ग्रंथ अकादमी, पाठ्य–पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठ के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य–पुस्तकों हेतु सहायता अनुदान।

झ) तकनीकी साहित्य के माध्यम से तकनीकी शब्दावली के प्रचार के लिए जर्नल्स, मोनोग्राफ्स, डाइजेस्ट्स आदि का प्रकाशन।

त्र) अन्य गतिविधियां जैसे प्रदर्शनियों का आयोजन, शब्दावली क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन और बिक्री का आयोजन।

अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग, इसके द्वारा देश के विभिन्न भागों में आयोजित भिन्न–भिन्न कार्यक्रमों में विशेषज्ञों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों; वैज्ञानिकों, अनुसंधान विद्वानों, पत्रकारों, लेखकों, सरकारी अधिकारियों, पेशेवरों और अन्य विद्वानों की भागीदारी करता है।

पूरे देश के अध्यापकों/विद्वानों/वैज्ञानिकों/अधिकारियों/भाषाविदों/भाषा विशेषज्ञों/सरकारी अधिकारियों/पेशेवरों जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में चयन/मूल्यांकन/मानकीकरण/प्रचार में भाग लेने के इच्छुक हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है और उन लोगों, जो अपने–अपने क्षेत्र में विख्यात हैं, से समय–समय पर निर्धारित प्रपत्र में अपना बायो–डाटा आयोग को प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया जाता है ताकि उन्हें 'तकनीकी शब्द चयन समिति' **'विशेषज्ञ परामर्शी समिति', शब्दावली मानकीकरण बैठकों, में एक विशेषज्ञ या 'प्रशिक्षण कार्यक्रमों', 'अभिमुखी कार्यक्रमों', 'कार्यशालाओं', 'सेमिनारों', 'सम्मेलनों', 'संगोष्ठियों' आदि** में उनकी अर्हताओं और आयोग की जरूरतों के अनुसार संसाधन व्यक्ति/प्रतिभागी के रूप में शामिल किया जा सके।

आयोग अपने कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध करवाने हेतु स्कूलों/कॉलेजों/ विश्वविद्यालयों/वैज्ञानिक संगठनों/अन्य संगठनों से सम्पर्क करता है। वैकल्पिक तौर पर, संस्थाओं या संगठनों से विभिन्न कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए समय–समय पर अनुरोध किया जाता है।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

आयोग का मिशन पढ़ाई के माध्यम और अन्य संबंधित कार्यों को परिवर्तनात्मक सुविधा प्रदान करने के लिए हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास और उन्हें परिभाषित करना है। आयोग की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं:–

1. **हिन्दी शब्दावली का विकासः** अंग्रेजी तकनीकी शब्दों के चयन के बाद समानांतर शब्दों को विकसित किया जाता है और उनका मानकीकरण करने के बाद उनकी फीडबैक प्राप्त करने हेतु शब्दों की प्रायोगिक जांच की जाती है।

2. **राष्ट्रीय शब्दावली:** यह योजना गत 2–3 वर्षों के दौरान शुरू की गई है जिसके तहत विभिन्न भारतीय

भाषाओं में एक ही स्थान पर शब्दावली का संकलन विकास तथा राष्ट्रीय शब्दावली शब्दकोश तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

3. **विभागीय शब्दावली:** आयोग विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और सामान्य प्रयोग के लिए शब्दावलियों को अनुमोदित या विकसित करता है।

4. **प्रशिक्षु शब्दावली:** इस योजना का उद्देश्य शब्दावली के समुचित प्रयोग के लिए स्कूल स्तर के छात्रों और अध्यापकों के लिए विशेष शब्दावली का विकास करना है।

5. **पारिभाषीय शब्दकोश और विश्वकोश:** परिभाषीय शब्दकोश या विश्वकोश में ना केवल तकनीकी शब्दों के समानांतर शब्द दिए होते हैं अपितु उन्हें सरल शब्दों में परिभाषित भी किया जाता है ताकि उसका सिद्धांत भी समझ में आ सके।

6. **प्रचार कार्यक्रम:** आयोग उसके द्वारा किए गए कार्य के प्रचार, समीक्षा और अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभिमुखी कार्यक्रम, कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन/संगोष्ठियां आयोजित करता है।

   आयोग देश के विभिन्न भागों में वर्ष के दौरान 30 कार्यक्रम आयोजित करता है।

7. **विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तक प्रकाशन:** यह एक सहायता अनुदान योजना है जिसमें आयोग पाठ्य–पुस्तकों, संदर्भ सामग्री आदि के प्रकाशन के लिए विभिन्न 22 ग्रन्थ अकादमी, राज्य पाठ्य–पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय एकक को अनुदान देता है।

8. **मोनोग्राफ और जर्नल्स का प्रकाशन:** आयोग विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हिन्दी में संदर्भ सामग्री और हिन्दी में दो जर्नल–ज्ञान गरिमा सिंधु (मानविकी और सामाजिक विज्ञान) तथा विज्ञान गरिमा सिंधु (विशुद्ध एवं अनुप्रयोगात्मक विज्ञान) प्रकाशित करता है।

   सीएसटीटी वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मोनोग्राफ प्रकाशित करता है जो एक लघु पुस्तक के रूप में एक विषय पर विस्तृत सूचना उपलब्ध करवा सकता है। वे पाठकों को अनुपूरक सामग्री उपलब्ध करवाता है।

   सीएसटीटी लघु रिपोर्टें प्रकाशित करता है संक्षिप्त और प्रदर्शनीय स्वरूप में प्रदान की गई सूचनाओं के प्रति आसान पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी रिपोर्ट या हिन्दी डाइजेस्ट के रूप में छोटी रिपोर्टों के संग्रह के अधिकतम महत्वपूर्ण बिन्दुओं को लघु रिपोर्टों के रूप में प्रकाशित करता है।

ज्ञान गरिमा सिंधु: यह एक तिमाही जर्नल है जो मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों और शब्दावली संबंधित लेखों को प्रकाशित करता है। जर्नल का आशय उन छात्रों, जो हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं, के बीच मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं नवीनतम पाठ–अभिमुखी और अनुपूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। जर्नल एक संमिश्रित प्रकृति का है जिसमें मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कार्टून, तकनीकी सूचना, तकनीकी समाचार, पुस्तक समीक्षाएं आदि से संबंधित तकनीकी लेख, शोध–पत्र, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावली और परिभाषीय शब्दकोशों, कविता और कहानियां शामिल की जाती हैं।

विज्ञान गरिमा सिंधु: यह एक तिमाही जर्नल है जो मूल विज्ञान, अनुप्रयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित लेखों को प्रकाशित करता है। जर्नल का आशय उन छात्रों, जो हिन्दी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, के लिए विज्ञान संबंधी विषयों पर उपयोगी और अद्यतन पाठ–अभिमुखी और अनुपूरक साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। जर्नल एक संमिश्रित प्रकृति का है जिसमें विज्ञान, कार्टून, वैज्ञानिक सूचना, विज्ञान समाचार, पुस्तक समीक्षाएं आदि से संबंधित वैज्ञानिक लेख, शोध–पत्र, तकनीकी निबंध, मॉडल शब्दावलियां और पारिभाषिक शब्दकोश, कविता और कहानियां शामिल हैं।

वर्ष 2015–16 में लक्ष्यों की अभिप्राप्ति के लिए आयोग ने शैक्षिक वार्षिक कलेंडर के माध्यम से अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया है जिनमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:–

- कम्प्यूटर साइंस अर्थशास्त्र
- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
- इलेक्ट्रानिक्स
- पर्यावरण विज्ञान
- कृषि
- आयुर्वेद
- जैव विज्ञान
- वनस्पति विज्ञान
- व्यापार अध्ययन एवं लेखापद्धति
- पर्यावरण विज्ञान
- वाणिज्य
- मत्स्य पालन
- भूगोल
- इतिहास
- पत्रकारिता
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- भाषा विज्ञान
- गणित
- औषध
- संगीत एवं ललित कला
- नैनोटेक्नोलॉजी
- भौतिकी
- राजनीतिक विज्ञान
- लोक प्रशासन
- खगोल विज्ञान
- दूरसंचार
- विष विज्ञान
- जीव विज्ञान

कुछ अन्य गतिविधियों में शामिल हैं:

(क) व्यापक शब्दावली (इंजीनियरिंग)

(ख) 22 क्षेत्रीय भाषाओं को कवर करने वाली राष्ट्रीय प्रशासनिक शब्दावली।

(ग) सेमिनार, कार्यशाला, प्रशिक्षण/अभिमुखी कार्यक्रमों के माध्यम से सृजित और परिभाषित शब्दों का प्रचार, विस्तार और महत्वपूर्ण समीक्षा।

(घ) देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों का आयोजन।

(ड) 'विज्ञान गरिमा सिंधु' और 'ज्ञान गरिमा सिंधु' दोनों जर्नलों के लिए लेख लिखने हेतु अध्यापकों, विद्वानों और लेखकों को आमंत्रित करना।

(च) सहायता अनुदान

(छ) प्रकाशन

(ज) वेबसाइट

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल एक स्वायत निकाय है। यह निकाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियन्त्रण में है। मंडल अपने संरक्षण में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान चलाता है। संस्थान अध्यापन, प्रायोगिक हिन्दी, भाषा विज्ञान एवं कार्यात्मक हिन्दी में प्रशिक्षण और अनुसंधान के उन्नत केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में 08 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। ये केन्द्र अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी, तुलनात्मक और विषम भाषा विज्ञान में अनुसंधान, शोध क्षेत्र के हिन्दी शिक्षुओं की आवश्यकतानुसार अध्ययन सामग्री तैयार करते हैं। इसके अलावा संस्थान के पास नागालैंड, मिजोरम, असम और कर्नाटक सरकार के स्वामित्व और अधिदेश में 04 सम्बद्ध कालेज हैं।

संस्थान हिन्दी अध्यापन और प्रशिक्षण के 25 से ज्यादा पाठ्यक्रम चलाता है। दिनांक 31.03.2015 तक संस्थान द्वारा 81324 भारतीय और विदेशी छात्र/अध्यापक/छात्र–सह–अध्यापक/सेवाकालीन अध्यापक और अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं। बहुत से देशों के 3762 विदेशी छात्रों ने केएचएस से 'विदेश में हिन्दी प्रचार' कार्यक्रम के तहत हिन्दी सीखी है। वर्ष 2014–15 के दौरान संस्थान का योजना–वार कार्य प्रदर्शन नीचे दिया गया है:–

(क) प्रशिक्षण (अध्यापक शिक्षा विभाग)

क. हिन्दी शिक्षण निशनात (एम.एड. के समकक्ष)	कुल 15 छात्र
ख. हिन्दी शिक्षण पारंगत (बी.एएड. के समकक्ष)	कुल 47 छात्र
ग. हिन्दी शिक्षण प्रवीण (बीटीसी के समकक्ष)	कुल 63 छात्र
घ. हिन्दी शिक्षण विशेष गहन (पूर्वोत्तर राज्यों के अनर्ह प्राथमिक स्कूलों के लिए)	कुल 29 छात्र
ड. नागालैंड के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	नागालैंड से कुल 39 छात्र

(ख) शिक्षण कार्यक्रम

क) व्यावसायिक पाठ्यक्रम (सांयकालीन कार्यक्रम)

अनुवाद में डिप्लोमा: सिद्धांत और अभ्यास	**26**
जनसंचार और पत्रकारिता में डिप्लोमा	**46**
कुल छात्र	**72**

ख) अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी शिक्षण का विदेश कार्यक्रम विभाग

'हिन्दी का विदेश में प्रचार' योजना के तहत आगरा में 73 और दिल्ली में 65 छात्रों ने प्रतियोगिता की। कुल 138 छात्रों ने इसमें भाग लिया।

ग) अल्पावधि (अभिमुखी और भाषा विस्तार विभाग तथा केन्द्र)

इस योजना के तहत 61 कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है और 01.04.2014 से 31.03.2015 तक 2620 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(ग) अनुदेशी सामग्री तैयार करना (अनुदेशी सामग्री निर्माण विभाग)

पूर्वोत्तर लोक साहित्य परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की 57 भाषाओं के लोक साहित्य संग्रह द्वारा हिन्दी पुस्तकों को तैयार किया जाएगा। 2014–15 के सत्र के दौरान विभाग ने निम्नलिखित पुस्तकों को तैयार करने का कार्य किया है–

(क) हिन्दी–मिजो – प्रशिक्षु शब्दकोश प्रकाशित।

(ख) हिन्दी–मणिपुरी – पुस्तक प्रकाशित।

(ग) हिन्दी–बोडो – कार्य प्रगति पर है।

(घ) हिन्दी–गारो –कार्य प्रगति पर है।

(ड) हिन्दी–खासी–कार्य प्रगति पर है।

(च) हिन्दी–कोक बराक – कार्य प्रगति पर है।

(छ) हिन्दी–लोठा – कार्य प्रगति पर है।

(छ) हिन्दी–असमी – कार्य प्रगति पर है।

(घ) दृश्य–श्रृव्य अनुदेशी सामग्री

क) हिन्दी कोर्पोरा प्रोजेक्ट

i) इस योजना के तहत उप–नामित और गैर–उपनामित डाटा की मदद से विभिन्न प्रकार के पुनरावृत्तित शब्दों का चयन किया गया है। क्विक–क्योक कार्यक्रम की सहायता से यथा चयनित पुनरावृत्तित शब्दों के डाटा का विश्लेषण कार्य चल रहा है।

ii) क्विक–क्योक कार्यक्रम की सहायता से व्याकरण शब्दकोश के निर्माण के लिए चयनित कार्य के वाक्यों का पहले ही चयन कर लिया है। शब्दकोश निर्माण के लिए चयनित शब्दों का कार्य उपर्युक्त चयनित वाक्यों की सहायता से शुरू कर दिया गया है।

ख) **भाषा–साहित्य सीडी निर्माण योजना:** नज़ीर अकबरवादी के जीवन और उनकी कृतियों पर आध ाारित 'आदमीनामा' शैक्षणिक वीडियो फिल्म को इस सत्र के दौरान अंतिम रूप दिया गया। फिल्म की अंग्रेजी और शीर्षक लेखन, मोनताज एवं क्रेडिट्स, रूप–रेखा, तकनीकी, फाइन, ट्यूनिंग, निर्माण, प्रतिलिपि, डिजाइन, शीर्षक कवर तैयार किए गए थे। फिल्म रिलीज और वितरण के लिए तैयार है।

ग) **हिन्दी लोक शब्दकोश परियोजना:** विभाग द्वारा हिन्दी भाषा की संकटापन्न किंतु समृद्ध भाषायी धरोहर के संरक्षण के लिए हिन्दी लोकशब्द कोश परियोजना चलाई जा रही है। हिन्दी भाषा की बोलियों की सांस्कृ तिक और सामाजिक महता को ध्यान में रखते हुए 48 बोलियों के प्रकाशन और डिजिटलीकरण की योजना है। इसे इंटरनेट पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

i) पहले चरण में भोजपुरी–हिन्दी–अंग्रेजी लोकशब्द कोश (2009) का प्रकाशन, पुनर्लेखन कार्य को पूरा करना और परिशिष्ट एवं प्रविष्टियों का पुनरीक्षण।

ii) बृज–हिन्दी–अंग्रेजी लोक शब्दकोश की 10,000 प्रविष्टियां के संपादन के बाद 8,301 प्रविष्टियों का चयन किया गया है और शब्दकोश प्रकाशन के लिए लगभग तैयार है (अंग्रेजी अनुवाद जारी है)।

iii) राजस्थानी–लोक शब्दकोश की 9,500 प्रविष्टियों के संपादन के पश्चात 8387 प्रविष्टियों का चयन किया गया है और शब्दकोश प्रकाशन के लिए लगभग तैयार है (अंग्रेजी अनुवाद जारी है)।

iv) अवधी–हिन्दी–अंग्रेजी लोक शब्दकोश में 10,297 प्रविष्टियों का संग्रह और अत्याधुनिक लेक्जिकोग्राफिक सॉफ्टवेयर में टंकण कार्य पूरा हो गया है। हिन्दी में अर्थों के संशोधन का और रोमन पद्धतिकरण का कार्य जारी है।

v) बुंदेली लोक शब्दकोश की 9,335 प्रविष्टियों का संग्रह और अत्याधुनिक लेक्जिकोग्राफ सॉफ्टवेयर में टंकण कार्य पूरा हो गया है। परिशिष्ट, हिन्दी अर्थों और व्याकरण श्रेणियों पर संशोधन कार्य चल रहा है।

vi) हरियाणवी–हिन्दी–अंग्रेजी लोक शब्दकोश के लिए प्रकाशित साहित्य और सामग्री का संग्रह कर लिया गया है और 4,500 प्रविष्टियों का लेखन कार्य पूरा कर लिया गया है। हरियाणवी विद्वानों को सूचना दे दी गई है और संस्थान के निदेशक ने कार्यशाला आयोजन को अनुमोदित कर दिया है। क्षेत्रीय कार्य को विनिश्चित कर दिया गया है और भाषा संपादकों की एक सूची तैयार की जा रही है।

vii) गढ़वाली–हिन्दी–अंग्रेजी लोक शब्दकोश के लिए प्रकाशित साहित्य और सामग्री प्राप्त कर ली है और 500 प्रविष्टियों का लेखन कार्य पूरा कर लिया गया है। गढ़वाल के लोक साहित्य का संग्रह किया जा रहा है। योजना के तहत मगही, छत्तीसगढ़ी, मालवी, कांगड़ी शब्दकोशों के निर्माण के लिए साहित्य सामग्री इकट्ठी की जा रही है।

घ. **लघु हिन्दी विश्वकोश परियोजनाः** योजना के तहत चालू सत्र में लघु हिन्दी विश्वकोश परियोजना के 'विश्व और भूगोल' का पहला खंड तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही प्रकाशन के लिए भेज दिया जाएगा। इस सत्र के दौरा प्राप्त लिखित प्रविष्टियों की संख्या नीचे दी गई है:–

i. कला एवं साहित्य	225
ii. स्वास्थ्य और फिटनेस	08
iii. विज्ञान	836
iv. प्रौद्योगिकी	606
v. इतिहास	74
vi. जन संचार	170
vii. गणित	217

ङ) **प्रकाशनः** वर्ष 2014–15 के दौरान 02 पुस्तकें और 06 पत्रिकाओं को प्रकाशित किया गया और 07 (03 पुस्तकें और 04 प्रशिक्षु शब्दकोश) प्रकाशन के लिए तैयार हैं।

च) **पुस्तकालयः** आगरा मुख्यालय और इसके केन्द्रों में 1182 पुस्तकें खरीदी गईं और लेखकों एवं अन्य साधनों से 355 पुस्तकें प्राप्त हुईं। मार्च, 2015 तक मुख्यालय पुस्तकालय में कुल संदर्भ पुस्तकों की संख्या 47639 और बाल साहित्य की संख्या 22425 है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

सीआईआईएल को वैज्ञानिक अध्ययन, अन्तर्विषयक अनुसंधान संवर्धन, भारत के लोगों के बीच भावात्मक एकता के प्रति योगदान के माध्यम से भारतीय भाषाओं में आवश्यक एकता लाने के लिए भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वयन करने के लिए स्थापित किया गया था।

लक्ष्य और उद्देश्य

1. भाषाओं के संबंध में केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकार को परामर्श देना।
2. कंटेंट और कोश सृजन के माध्यम से भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान।
3. अल्प, अल्पसंख्यक और जनजातीय भाषाओं का संरक्षण।
4. शिक्षण के माध्यम से भाषायी एकता को प्रोत्साहन।
5. विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय भाषाएं।

चालू वित्त वर्ष (2015–16) के दौरान सीआईआईएल, मैसूर ने भारतीय भाषाओं पर विभिन्न कार्यक्रम और बहुत सी सामग्री तैयार की है जिसे नीचे दिया गया है:

क) शैक्षिक कार्यक्रमः

पूरे वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित जारी कार्यक्रमों को आयोजित किया गयाः

1. ए.सी. समुदायों द्वारा बोली जाने वाली असमी और मणिपुरी बोलियों का बोली सर्वेक्षण
2. भाषायी सूचना सर्वेक्षण– भारत (एलआईएस–इंडिया) 34 जनजातीय और पूर्वोत्तर भाषाओं का प्रलेखीकरण
3. गैर–अनुसूचित जनजातीय और पूर्वोत्तर भाषाओं की चित्रात्मक शब्दावलियां
4. एससी, जनजातीय और पूर्वोत्तर मातृभाषा शिक्षकों का प्रशिक्षण
5. जनजातीय और पूर्वोत्तर भाषाओं के प्रीमियर तैयार करना
6. सीआईआईएल के क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों पर 20 अनुसूचित भाषाओं में 10 महीने का भाषा शिक्षण कार्यक्रम

पूर्वोत्तर सहित लगभग 48 शैक्षिक कार्यक्रमों (सम्मेलनों/सेमिनारों/कार्यशालाओं) का आयोजन, सीएसपी आयोजित किए गए और 12 त्रि–भाषायी शब्दकोशों के लिए सामग्री तैयार की गई।

संस्थान ने नई शिक्षा नीति के गठन के लिए ''भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक एकता संवर्धन'' विषय पर विषयघटक बैठकों की कई श्रृंखलाएं, देश में एक व्यापक भाषा नीति हेतु भाषा विशेषज्ञ समिति की बैठकें और भारतवाणी परियोजना की कुछ उच्चस्तरीय बैठकें तथा राष्ट्रीय कश्मीरी भाषा संवर्धन परिषद की स्थापना के लिए बैठकें आयोजित कीं।

ख. लघु अवधि परियोजनाएं

एससी योजना के तहत अनुसूचित समुदायों की भिन्न–भिन्न भाषाओं के प्रलेखीकरण पर 12 लघु अवधि परियोजनाओं को पूरे देश के विभिन्न विद्वानों को सौंपा गया था। परन्तु केवल 05 विद्वानों ने परियोजना को अपनाया और वे अपनी रिपोर्टों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

योजनाएं

क. राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (एनटीएस)

एनटीएस ने लगभग 100 कार्यक्रम (सेमिनार और कार्यशालाएं) आयोजित किए और 07 संदर्भ सामग्री तैयार की।

ख. भारतीय भाषाओं के लिए भाषायी डाटा संघ (एलडीसी –आईएल)

एलडीसी–आईएल ने 45 कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

ग. राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम)

एनटीएम ने विभिन्न अनुसूचित भारतीय भाषाओं में कार्यशाला और अभिमुखी कार्यक्रमों सहित लगभग 40 कार्यक्रम आयोजित किए। इसने 06 पुस्तकें प्रकाशित कीं और 12 पुस्तकों को प्रकाशन हेतु सौंपा गया। एनटीएम ने 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम के बैच आयोजित किए जिसमें 72 व्यक्तियों को अनुवाद में प्रशिक्षित किया गया।

घ. शास्त्रीय कन्नड़ उत्कृष्टता अध्ययन केन्द्र (सीईएससीके)

सीईएससीके ने शास्त्री भाषा कन्नड़ में 10 दिवसीय अभिमुखी कार्यक्रमों सहित 20 कार्यक्रम आयोजित किए।

ङ. शास्त्रीय तेलुगु उत्कृष्टता अध्ययन केन्द्र (सीईएससीटी)

''शास्त्रीय भाषा तेलुगु पाठ अभिमूल्यन पाठ्यक्रम (भाषा और साहित्य)'' में लगभग 09 कार्यशालाएं और एक 21 दिवसीय पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। शास्त्रीय पाठ के दो अनुवाद कार्य पूरे हो गए हैं।

च. संकटापन्न भाषाओं का परीक्षण और संरक्षण योजना (एसपीपीईएल)

चालू वित्त वर्ष के दौरान दस हजार लोगों से कम द्वारा बोली जाने वाली 30 भाषाओं/मातृ भाषाओं का क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन किया गया। निम्नलिखित भाषाओं/मातृ भाषाओं का कार्य प्रगति पर है, ये हैं– अंटाग, बेडा, भद्रालियम, भारवाद, भुंजिया, बिरहोर, बिरजिया, बोंडो/रीमो, चिनाली, चिरू, चोथी, दरमिया, धीमल, धीरंग, मोन्पा, गाहरी, गोजापुरी, खम्बा, खम्मियांग, खाना, खास, कुटिया, मालासर, मालयान, मांडा, मनन्न, मेशाबी, मुपन, मुदुगा, पड्डारी, पलिया, पुरम्म, रांगलोंग, शेरदुक्पेन, सिद्दी, सिमांग, सिंगपो, सिरम, सोलिंगा, ताई फाके, तोतो, उराली।

छ. भारतवाणी परियोजना (बीवीपी)

परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऑन–लाइन पोर्टल के माध्यम से मल्टीमीडिया (पाठ, ओडियो, वीडियो, चित्र) फार्मेट्स में लगभग सभी भारतीय भाषाओं में और उनसे संबंधी ज्ञान का प्रसारण करना है। यह परियोजना डिजिटल भारत के युग में बौद्धिक समाज के निर्माण का अंग है। यह परियोजना आयु,

महिला–पुरूष, आय, पृष्ठभूमि और शिक्षा को ध्यान में रखे बिना समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ होगी। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को सेवा देना है। यह परियोजना मई, 2016 को शुरू की जानी प्रस्तावित है। पहले चरण में 22 अनुसूचित भाषाओं को कवर किया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चैन्नई (सीआईसीटी)

भारत सरकार ने 12 अक्टूबर, 2004 को तमिल को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किए जाने के बाद केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 19 मई, 2008 को स्थापित किया गया। सीआईसीटी तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

इस संस्थान को जिसे शास्त्रीय तमिल के कल्याणकारी प्रयोजन को सवंर्धित करने को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था, विशेष तौर पर तमिल भाषा के शास्त्रीय चरण अर्थात 600 ईसा पूर्व की अवधि से संबंधित अनुसंधानों पर ध्यान संकेद्रित करना है। इस संस्थान की भूमिका अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है क्योकि यह प्राचीन तमिल समाज पर शोध कार्य कर रहा है और तमिलों की प्राचीनता से संबंधित अथवा दर्शाने वाली वस्तुओं का प्रलेखन व परिरक्षण भी करता है। 600 ईसा पूर्व की अवधि तक के 41 प्राचीन तमिल कार्यों की पहचान की गई है ताकि प्राचीन तमिल और उसकी सभ्यता की प्राचीनता और अद्वितीयता का अध्ययन किया जा सके।

राष्ट्रपति भवन में दिनांक 14.5.2015 को राष्ट्रपति पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया (अलंकरण समारोह), जिसमें माननीय राष्ट्रपति द्वारा 11 विद्वानों को वर्ष 2011–12 और 2012–13 का राष्ट्रपति शास्त्रीय भाषा तमिल पुरस्कार प्रदान किया गया।

संस्थान के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए समिति, शैक्षिक परिषद की बैठक हुई। शास्त्रीय भाषा तमिल के संवर्धन के लिए अल्प अवधि परियोजनाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीआईसीटी द्वारा सहायता दी जाती है। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान सीआईसीटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1147.00 लाख रूपए (500.00 लाख पूंजीगत अनुदान और 647.00 लाख आवर्ती अनुदान के तहत) का अनुदान प्राप्त किया। इस अनुदान का वेतन भुगतान, कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति, पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति और विविध व्यय के लिए उपयोग किया जाता है। 500.00 लाख रूपए के अनुदान को सीआईसीटी, चेन्नई के लिए प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अंतरित किया गया है।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल), दिल्ली

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (धारा 21) के तहत पंजीकृत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंर्तगत एक स्वायत निकाय है। इसकी स्थापना 26.05.1994 को पंजीकरण संख्या 1085 के तहत वडोदरा, गुजरात में की गई थी। वर्ष 2006 से परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। इस परिषद का उद्देश्य सिंधी भाषा का संवर्धन, विकास तथा प्रचार करना और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास के ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक संदर्भ में विचारों को विकसित करने के ज्ञान को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही करना है तथा भारत सरकार को सिंध ी भाषा से संबंधित मुद्दों के संबंध में परामर्श देना है। सिंधी भाषा के प्रचार और विकास के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

क. परिषद के उद्देश्य

i) सिंधी भाषा का संवर्धन, विकास और प्रचार।

ii) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विकास के ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक संदर्भ में उत्पन्न विचारों के ज्ञान को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई।

iii) सिंधी भाषा संबंधी और इसकी शिक्षा से संबंध रखने वाले मुद्दों, जो सरकार के ध्यान में लाए जा सकते हैं, पर भारत सरकार को परामर्श देना।

iv) सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए किन्हीं अन्य कार्यकलापों, जैसाकि परिषद उचित समझे, पर कार्य करना।

सिंधी भाषा से के प्रचार और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है:–

i) सिंधी भाषा से संबंधित चयनित संवर्धन कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

ii) शैक्षिक संस्थाओं/स्कूलों/कालेजों/सार्वजनिक पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित/तैयार की गई सिंधी भाषा से संबंधित पुस्तकें/ पत्रिकाओं/ आडियो–वीडियो कैसेटों की बड़ी मात्रा में खरीद।

iii) सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता

iv) सिंधी भाषा शिक्षण कक्षाओं का आयोजन और

v) साहित्यिक कृतियों के लिए सिंधी लेखकों को सम्मान।

ख. स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

एनसीपीएसएल सिंधी भाषा से संबंधित कतिपय संवर्धनात्मक कार्यकलापों के संबंध में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जो स्वैच्छिक संगठन/ सोसायटी/ (चेरिटेबल) धर्मार्थ/ट्रस्ट मौजूदा लागू संबंधित केन्द्र या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, इस योजना के तहत सहायता के पात्र होंगे।

ग. थोक क्रय योजना

थोक क्रय योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो भारत में सिंधी भाषी लोगों के लिए उपयुक्त साहित्य और अन्य पठन सामग्री के साथ–साथ संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से मानक साहित्य के प्रकाशन के लिए बनाई गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य, उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों जहां सिंधी पढ़ाई के माध्यम के रूप में या वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, के स्कूल/कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को निःशुल्क भेंट के रूप में न्यायसंगत ढंग से चयनित पुस्तकों और आवधिकों की आपूर्ति के माध्यम से सिंधी भाषा के अध्ययन में अभिरूचि पैदा करना है।

थोक क्रय समिति की सिफारिशों के अनुसरण और तदुपरांत कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन के बाद योजना के तहत सिंधी भाषा के संवर्धन और लेखकों को मूल्यवान पुस्तकों और पत्रिकाओं के लेखन हेतु प्रोत्साहित और ऑडियो/वीडियो कैसेट/सीडी/वीसीडी/डीवीडी आदि तैयार की जाती हैं। चयनित पुस्तकों/पत्रिकाओं/ऑडियो/वीडियो कैसेट/ सीडी/वीसीडी/डीवीडी की प्रतियों को पूरे देश के 150 स्कूलों/कॉलेजों/पुस्तकालयों/शैक्षणिक संस्थाओं में वितरण के लिए खरीदा जाता है।

घ. पुस्तकों/पांडुलिपियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता

योजना के तहत विचार के लिए निम्नलिखित प्रकाशन पात्र पाए गए हैं:

1. विश्वकोश, ज्ञान पुस्तकें, संकलन और संग्रह, ग्रंथसूची और शब्दकोश जैसी संदर्भ पुस्तकें,
2. दुर्लभ पांडुलिपियों की विवेचनात्मक पुस्तक सूची,
3. अन्य भाषा में लिखी गई सिंधी भाषा के लिए स्वः अनुदेशी पुस्तकें,
4. भाषायी मूल लेखन, कहानी साहित्य, ड्रामा, कविता, सामाजिक विचारधारा, मानवीय और सांस्कृतिक विषयवस्तु,
5. पुरानी पांडुलिपियों का अनुवाद सहित या बिना अनुवाद के विवेचानात्मक सम्पादन और/या प्रकाशन (अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में),
6. पुस्तकों का सिंधी भाषा में अनुवाद और प्रकाशन,

स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/धर्मार्थ संस्थाएं/ट्रस्ट जो संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और लंबे समय से चली आ रही हैं के साथ–साथ वे व्यक्ति जो लेखक, संपादक, अनुवादक या संदर्भित पुस्तक को प्रकाशित करने का आशय और उनके प्रतिलिप्याधिकार रखते हैं (वाणिज्यिक प्रकाशकों को छोड़कर) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

योजना के तहत वित्तीय सहायता संदर्भित प्रकाशन के लिए कुल अनुमोदित व्यय के 80% और दुर्लभ पांडुलिपियों की विवेचनात्मक सूची हेतु 100% से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए मुद्रण आदेश विवेचनात्मक पुस्तक सूची और अन्य प्रकाशनों के लिए 500 प्रतियों तक सीमित होगा।

ड. सिंधी भाषा शिक्षण पाठ्यक्रम

योजना का उद्देश्य उन लोगों के बीच सिंधी भाषा को लोकप्रिय बनाना और उसका विस्तार करना है जिन्होंने स्कूल स्तर पर सिंधी भाषा की पढ़ाई नहीं की है। योजना को शैक्षणिक संस्थाओं, सामाजिक सेवा संगठनों/सिंधी

पंचायतों, राज्य सिंधी अकादमियों और इस प्रयोजन के लिए एनसीपीएसएल द्वारा मान्यता प्राप्त उपयुक्त संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना में तीन प्रकार के एसएलसीसी प्रमाणपत्र होंगे– प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम। प्रत्येक पाठ्यक्रम 100 घंटे की अवधि का होगा जिसका विस्तार 12 महीनों से अधिक की अवधि में नहीं होगा। एसएलएलसी परीक्षाएं प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती हैं।

च. पुरस्कार योजना

i) **दो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार नामतः** साहित्यकार सम्मान और साहित्य रचना सम्मान –प्रत्येक पांच लाख रूपएः साहित्याकार सम्मान लेखकों को उनके सिंधी साहित्य में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। साहित्य रचना सम्मान लेखकों कला/संस्कृति/शिक्षा और सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में सिंधी भाषा में किए गए साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है।

ii) **दस मेरिट/साहित्यिक पुरस्कार–प्रत्येक एक लाख रूपएः** ये पुरस्कार सिंधी साहित्य के क्षेत्र में लेखकों के योगदान की पहचान करते हुए पात्र लेखकों को दिए जाते हैं।

2015–16 के दौरान उपलब्धियां

1. अहमदाबाद में मातृभाषा दिवस पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। मातृभाषा दिवस दिनांक 21.02. 2015 को आदिपुर (गुजरात), ठाणे, पुणे और मुम्बई में भी आयोजित किया गया।
2. सिंधी दिवस देश के विभिन्न भागों में 10 अप्रैल 2015 को आयोजित किया गया था।
3. एनसीपीएसएल का स्थापना दिवस एनसीपीएसएल के कार्यालय में 26 मई 2015 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रो. एन.के. जेटली द्वारा व्याख्यान दिया गया। 50 व्यक्तियों ने इसमें प्रतिभागिता की। इसके अलावा इंदौर/अहमदाबाद/ जोधपुर/नागपुर में भी स्थापना दिवस आयोजित किया गया था।
4. स्थापना दिवस के अवसर पर 26 मई 2015 को बिक्री काउंटर को कार्यात्मक किया गया।
5. सिंधी शोध पीठ को कायिक निधि के रूप में एक करोड़ रूपए का अनुदान देते हुए जुलाई, 2015 में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। 08.07.2015 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
6. एनसीपीएसएल द्वारा मुम्बई में 22–23 अगस्त 2015 को सिंधु महोत्सव का आयोजन किया गया था।
7. लेखक एवं कला कल्याण संघ द्वारा 23.08.2015 को मुम्बई में प्रभु वफा सेन्टेनरी महोत्सव का आयोजन किया गया।
8. सदाह्यात गोविंद माली की जयंती पर भगवन्ती नमानी चेरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2015 को मुम्बई में एक सेमिनार–सह–सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
9. सिंधी नाट्य उत्सव पर दिनांक 06–07 सितम्बर, 2015 को नागपुर में एक सेमिनार आयोजित किया गया।
10. सिंधी सांस्कृतिक सोसायटी जोधपुर द्वारा भारत विभाजन के बाद सिंधी थिएटर एवं बेले के विकास पर एक सम्मेलन और सिंधी नाटक नाचनी का 20–21 सितम्बर, 2015 को जोधपुर में आयोजन किया गया।
11. अखिल भारतीय महिला लेखक सम्मेलन जयपुर में 26–27 सितम्बर, 2015 को आयोजित किया गया।
12. एनसीपीएसएल द्वारा जारी की गई एक करोड़ रूपए की कायिक निधि से इग्नू परिसर में स्थापित सिंधी पीठ के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों को करने के लिए दिनांक 28.10.2015 को एनसीपीएसएल और इग्नू के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
13. सिंधी क्लब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। ड्रामा, कविता, लेखन, एक्टिंग, प्ले, संगीत और मंच कलाओं के लिए देश के अन्य राज्यों में भी सिंधी क्लब स्थापित किए जा रहे हैं।
14. परिषद ने अजमेर, लखनऊ, फैजाबाद और दिल्ली की प्रदर्शनियों में भाग लिया और एनसीपीएसएल की पुस्तकों को प्रदर्शित किया।
15. अध्यापकों को शिक्षण के नए तरीके समझाने के लिए अहमदाबाद और रायपुर, छत्तीसगढ़ में अभिमुखी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

16. एनसीपीएसएल द्वारा गोंडया, ठाणे, उदयपुर, इंदौर, बेंगलौर और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में कैरियर मार्गदर्शन के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

17. 6095 छात्रों ने सिंधी भाषा शिक्षण कार्यक्रम योजना के तहत वर्ष 2015–16 के दौरान एनसीपीएसएल के प्रमाणपत्र/उन्नत डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रम में पंजीकृत करवाया है।

    i) 25.08.2015 से देश के विभिन्न भागों में, जहां भारी संख्या में सिंधी लोग रहते हैं, कक्षाएं शुरू हो गई हैं।

    ii) 20 दिसम्बर, 2015 को परीक्षाएं आयोजित की गईं।

18. सिंधी भाषा में टूल्स और टेक्नोलॉजी विकास के लिए सी–डेक पुणे को 35 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। एनसीपीएसएल और सी–डेक के बीच 13.10. 2015 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

19. वर्ष 2014–15 के लिए 74 पुस्तकें, 28 सीडी/वीसीडी/डीवीडी और 12 पत्रिकाएं अनुमोदित की गई हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं/स्कूलों/कॉलेजों/पुस्तकालयों के निःशुल्क वितरण के लिए 30 सीडी/वीसीडी/डीवीडी अनुमोदित की गई हैं।

20. वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए पुस्तक/पांडुलिपि प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना के तहत क्रमशः सिंधी लेखकों की 29 और 26 पांडुलिपियों को अनुमोदित किया गया है।

21. वर्ष 2014–15 और 2015–16 में दो आजीवन उपलब्धि पुरस्कार, वर्ष 2014–15 के लिए 6 साहित्य पुरस्कार और वर्ष 2015–16 के 7 साहित्य पुरस्कार अनुमोदित किए गए हैं और उन्हें शीघ्र ही आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में प्रदान किया जाएगा। आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है और साहित्य पुरस्कार की राशि को 50,000 से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है।

22. सिंधी पीठ की स्थापना के लिए एनसीपीएसएल और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और कायिक निधि के रूप में विश्वविद्यालय को एक करोड़ की राशि जारी की गई है।

23. भोपाल में 20.12.2015 को के.आर. मालकानी मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया गया था।

24. आज सिंधी समुदाय द्वारा सामना की जा रही उनकी पहचान संबंधी समस्या से कैसे उबरा जाए, विषय पर एनसीपीएसएल की वित्तीय सहायता से भारतीय सिंधी शास्त्र संस्थान, आदिपुर द्वारा 25.12.2015 को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

25. भारतीय सिंधु सभा द्वारा एनसीपीएसएल की वित्तीय सहायता से दिनांक 27.12.2015 को जलगांव में सिंधु महोत्सव का आयोजन किया गया।

स्थानीय संगठनों की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ–साथ जम्मू–कश्मीर में भी सेमिनार–सह–सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनाएं सिंधी समुदाय के सभी व्यक्तियों और निःशक्तजनों के लिए लाभकारी हैं और वे सेमिनार/सम्मेलन/ कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। श्री विनोद आशुदानी, जो एक दिव्यांग हैं, को वर्ष 2013–14 के दौरान 50,000 रूपए का साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल), दिल्ली

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के संवर्धन पर ध्यान देता है और यह भारत सरकार को शिक्षा को प्रभावित करने वाले उर्दू भाषा से संबंधित उन मुद्दों, जिन्हें इसे सौंपा जाता है, पर सलाह देता है, जो, शिक्षा पर प्रभाव डालते हो।

वर्ष 2015–16 के दौरान

कम्प्यूटर एप्लीकेशन की स्थापना और बहुभाषी डीटीपी केन्द्र

पंजीकृत एनजीओ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक पूर्णतया सहायता प्राप्त 50 नए एनसीपीयूएल अध्ययन केन्द्र में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित एक वर्षीय कम्प्यूटर एप्लीकेशन

डिप्लोमा, बिजनेस अकाउंटिंग और मल्टी लिंगुअल डीटीपी (सीएबीए–एमडीटीपी) शुरू किए गए। यह मौजूदा 404 केन्द्रों से अलग है और इस केन्द्र सहित कुल केन्द्र की संख्या 455 हो गई है जिनमें उर्दू भाषी लड़के और लड़कियों को रोजगार योग्य तकनीकी कार्यबल बनाने के लिए उन्हें तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु 8,506 छात्राओं सहित 21,724 छात्र पढ़ रहे हैं। इस योजना के तहत आज की तारीख में 69,118 छात्राओं सहित 17,26,51 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किए गए हैं। लड़कियों सहित लगभग 60 प्रतिशत छात्रों ने निजी और स्थानीय संस्थाओं में रोजगार मिल गया है।

कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्र

कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्र परम्परागत कैलिग्राफी के संरक्षण और संवर्धन के लिए 07 नए कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्र खोले गए जिससे इनकी संख्या 60 अध्ययन केन्द्र हो गई है और इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत 1600 छात्राओं सहित 2825 छात्रों को लगातार पढ़ा रहे हैं।

सहायता अनुदान (उर्दू)

चयनित उर्दू संवर्धन कार्यकलापों – 271 सेमिनारों, 47 व्याख्यान श्रृंखलाओं के आयोजनों को सहायता देने के लिए 183 एनजीओ/संस्थाओं/एजेंसियों को वित्तीय सहायता, 223 लेखकों की पांडुलिपियों और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता और मूल लेखकों के 553 उर्दू पुस्तकों/जर्नल्स (496 पुस्तकों और 57 जर्नल्स) को वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई।

उर्दू प्रेस संवर्धन

एनसीपीयूएल यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की उर्दू सेवा लेने के लिए 104 छोटे और मध्यम उर्दू समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देता है। डीएवीपी दरों पर लगभग 1054 समाचार पत्र विज्ञापन देते हैं।

प्रकाशन गतिविधियां

एनसीपीयूएल भारत सरकार के अधीन प्रधान प्रकाशन हाउस है। वर्ष में किए गए प्रकाशन कार्य में 52 नए शीर्षक, 20 पुनः मुद्रण, 61 पाठ्यक्रम पुस्तकें, उर्दू दुनिया के 12 अंक, मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया के 12 अंक, और त्रिमासिक जर्नरल फिकर–ओ–तहकीक के 4 अंकों का प्रकाशन शामिल है।

पुस्तक संवर्धन

उर्दू पुस्तकों का संवर्धन, उर्दू पुस्तक मेलों के आयोजन के माध्यम से बिक्री और प्रदर्शनी लगाकर किया जाता है। एनसीपीयूएल ने 14–22 नवंबर, 2015 को दिल्ली में और 12–20 दिसंबर, 2015 को हैदराबाद में दो कुल हिन्द उर्दू किताब मेलों का आयोजन किया। एनसीपीयूएल ने अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित पांच पुस्तक मेलों में प्रतिभागिता की और एनसीपीयूएल सेमिनारों के दौरान तीन पुस्तक मेलों में भागीदारी की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के विभिन्न जिलों को कवर करते हुए प्रदर्शनी वाहन की 06 यात्राएं आयोजित कीं।

शैक्षिक परियोजनाएं/सहयोग

एनसीपीयूएल प्रकाशन कार्य के परियोजनाओं को लगातार जारी रख रहा है जिसमें 50 परियोजनाएं/ पांडुलिपियां, 14 मोनोग्रामों का प्रकाशन किया गया और 04 द्विभाषी शब्दकोश, 02 विश्वकोश और 04 शब्दावालियां पर कार्य चल रहा है। 24 बैठकों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। साहित्य, भाषा विज्ञान, सामाजिक भाषा विज्ञान, उर्दू साहित्य का इतिहास एवं शब्दकोश, यूनानी औषधि, विधि अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पारसी, अरबी, इस्लाम अध्ययन और सृजनात्मक लेखन पर कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं सांस्कृतिक आयोजन

i) 'गालिब संस्थान' के सहयोग से नई दिल्ली में 11–13 सितम्बर, 2015 को तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शोध विद्वान सेमिनार आयोजित किया गया।

ii) मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के सहयोग से भोपाल में 07–08 नवम्बर, 2015 को दो दिवसीय राज्य उर्दू अकादमी सम्मेलन आयोजित किया गया।

iii) समकालीन युग में मौलाना अबुल कलाम आजाद' पर 19 से 20 नवम्बर, 2015 को लखनऊ में दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया।

iv) रांची, झारखण्ड में 11–20 मार्च, 2016 तक 'सीएबीए–एमडीटीपी का चार दिवसीय संकाय सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

v) आईआईसी, नई दिल्ली में 3 मार्च, 2016 को मातृभाषा दिवस पर का आयोजन।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू)

एनसीपीयूएल, प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे अध्ययन कर्ताओं के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। इस समय मौजूद 1117 केन्द्रों के अलावा 100 उर्दू केन्द्रों की स्थापना की गई है, इस प्रकार 1217 के (762 उर्दू डिप्लोमा और 455 सीएबीए–एमडीटीपी हैं) जिनमें कम्प्यूटर केन्द्र सम्मिलित हैं जिनके लिए कंप्यूटर पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए अधिगमकर्ताओं के लिए उर्दू डिप्लोमा अनिवार्य है। लगभग 1739 अंश–कालिक उर्दू अध्यापकों को रोजगार दिया गया और 73909 (52185 उर्दू डिप्लोमा + 21274 सीएबीए–एमडीटीपी) छात्रों, जिनमें 34616 (26110 उर्दू डिप्लोमा + 8506 सीएबीए–एमडीटीपी) छात्राएं शामिल हैं, ने प्रवेश लिया। उर्दू ऑन लाइन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें 15153 भारतीयों और 1556 विदेशी छात्रों को मिलाकर 16709 छात्रों ने ऑन–लाइन पंजीकरण किया।

अरबी और फारसी भाषा का संवर्धन

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए प्राचीन भाषा अरबी और फारसी के संवर्धन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। कार्यात्मक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे प्रशिक्षुओं के माध्यम से चलाए जाते हैं। मौजूदा 556 केन्द्रों के अतिरिक्त 53 नए अध्ययन केन्द्र कुल मिलाकर 609 केन्द्र जारी रहे। 1391 अंशकालीन अरबी अध्यापकों ने दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली 16257 बालिकाओं को शामिल करते हुए 38367 प्रशिक्षुओं को पढ़ाने के लिए रोजगार प्राप्त किया। फारसी के पांच (05) केन्द्र भी चल रहे हैं जिसमें 227 छात्रों को पढ़ाने के लिए 06 अंशकालीन फारसी अध्यापकों को नियुक्त किया गया।

सहायता अनुदान (अरबी/फारसी)

15 एनजीओ/संस्थाओं/एजेंसियों को प्रिंटिंग सहायता प्रदान करने के लिए लेखकों की 05 पांडुलिपियों हेतु चुनिंदा अरबी/फारसी संवर्धन कार्यकलापों के लिए सहायका प्रदान की गई और प्रख्यात लेखकों की 27 अरबी/फारसी पुस्तकें अनुमोदित की गई।

अनुदान सहायता (अरबी, फारसी)

चयनित अरबी/पारसी संवर्धन कार्यकलापों की सहायता के लिए लेखकों की 05 पांडुलिपियों के मुद्रण और मूल लेखकों की 27 अरबी/पारसी पुस्तकों की सहायता के लिए 15 गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं/ एजेंसियों को वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा टीवी कार्यक्रम

जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 03 केन्द्रों पर कागज़ लुगदी में 6 महीने का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया। 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर दिया गया है। ई टीवी के चैनल जरिए उर्दू दुनिया के 17 एपिसोड का निर्माण और प्रसारण किया।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसवी), दिल्ली

संस्कृत ने भारतीय भाषाओं के यहां तक कि कुछ विदेशी भाषाओं के विकास और विशेष रूप से भारत की और सामान्य तौर पर पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग सभी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और बिना संस्कृत की भाषायी सहायता के बिना कोई भी भाषा फल–फूल नहीं सकती। संस्कृत की संपन्नता ने सभी भारतीय भाषाओं को पोषित किया है और उनका विकास किया है। संस्कृत पुरातन विज्ञान का आधार भी है। अतः यह अनिवार्य है कि भारत में इसके समग्र विकास के लिए संस्कृत का परिरक्षण और प्रचार किया जाए। इस उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग, भारत सरकार ने संस्कृत भाषा एवं साहित्य तथा पारम्परिक शास्त्रों के परिरक्षण और प्रचार और पूरे भारत एवं विदेशों में संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1970 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत आरएसकेएस की स्थापना की। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है और संस्कृत भाषा एवं संस्कृति संबंधी नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षण और अनुसंधान का प्रचार, विकास और उसे प्रोत्साहित करना है। संस्कृत अभिन्न रूप से पालि और प्राकृत से जुड़ी हुई है, और वर्ष 2009–10 से संस्थान ने पालि और प्राकृत दोनों भाषाओं और उनके साहित्य के संवर्धन का कार्य अपने हाथ में लिया है। संस्थान अपने सभी परिसरों के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक एवं समन्वयन तन्त्र के रूप में कार्य करता है। केन्द्र सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं और यह इन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है और संस्थान अपने पद की गरिमा के अनुरूप शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य से संबंधित सभी प्रयासों के समन्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में बहु–परिसरीय संस्थानिक कार्यों को करता है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी द्वारा 7 मई, 2002 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को समवत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इस समय नई दिल्ली (मुख्यालय), इलाहाबाद (यूपी), पुरी (ओडिशा), जम्मू (जेएंडके), गुरूवयूर (केरल), जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (यूपी), श्रंगेरी (कर्नाटक), बालाहार (गार्ली) (एच.पी.), भोपाल (म.प्र.), मुम्बई (महाराष्ट्र) और अगरतला (त्रिपुरा) में स्थित 12 परिसरों को प्रबंधन कर रहा है। परिसर अनुसंधान अध्ययन करवाते हैं जो छात्रों को विद्यावृद्धि (पी.एचडी) की डिग्री प्रदान करता है तथा परिसर आचार्य और शास्त्री स्तर पर विभिन्न संस्कृत विषयों की शिक्षा भी देते हैं। 10 परिसरों में शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) और जयपुर, भोपाल, जम्मू और पुरी 04 परिसरों में शिक्षा आचार्य (एम.एड) भी उपलब्ध है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान अंग्रेजी, हिन्दी, कम्प्यूटर विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान सहित नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, सर्व दर्शन, वेद, न्याय (नव्या), मीमांसा, अद्वैत वेदान्त, धर्मशास्त्र, वेदान्त, सांख्य योग, पुरोहित्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पुरानेतिहास विषयों में शास्त्री (बी.ए.) और आचार्य (एम.ए.) स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा अवर स्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थ–शास्त्र, सामाजिक विज्ञान के रूप में एक आधुनिक विषय में शिक्षण की सुविधा भी है। परिसरों में शिक्षा शास्त्री (बी.एड) और शिक्षा आचार्य (एम.एड) के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते हैं। परिसरों में अनुसंधान अध्ययन भी करवाया जाता है जो छात्रों को विद्यावृथी (पी.एचडी) की डिग्री दिलाता है। संस्थान की पिछली परीक्षा में 19,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था।

मुख्य गतिविधियां

I **संस्कृत सप्ताहोत्सव** – संस्थान ने 26.8.2015 से 01.09.2015 तक सप्ताहोत्सव मनाया। इस अवधि में प्रख्यात संस्कृत विद्वानों और छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की। कार्यक्रम को माननीय डॉ. महेश शर्मा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, संस्कृत भारती, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और अन्य संगठनों के सहयोग से मालवनकर हाल, रफी मार्ग, नई दिल्ली में 26 अगस्त, 2015 को उद्घाटित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) नई दिल्ली में दिनांक 01.09.2015 को विदाई समारोह आयोजित किया गया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए।

ii) **5वां दीक्षांत समारोह** – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत–विश्वविद्यालय) का 5वां दीक्षान्त समारोह को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के सम्मेलन हाल में आयोजित किया गया। माननीया स्मृति जूबिन इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री और कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत–विश्वविद्यालय) ने समारोह की अध्यक्षता की। छात्रों को यूजी, पीजी, और डॉक्टरल स्तर की डिग्रियां प्रदान की गई। मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए।

iii) **स्थापना दिवस** – दिनांक 15.10.1970 को संस्थान की स्थापना हुई थी। संस्थान के मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 15.10.2015 को स्थापना दिवस मनाया गया। प्रो. वी. कुटुम्ब शास्त्री, पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, विरावल, गुजरात, प्रो. राजेन्द्र मिश्र, पूर्व कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी जैसे प्रख्यात विद्वान और अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे। प्रो. पी.एन. शास्त्री, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

(IV) **16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन**–16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन दिनांक 28.06.2015 से 02.07.2015 तक बैंकॉक, थाइलैंड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने विद्वत्सापरया कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति प्रो. पी.एन. शास्त्री ने समापन सत्र की अध्यक्षता की।

इस प्रतिनिधि–मंडल की उपस्थिति ने विश्व के अलग–अलग कोनों से आए अध्येताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और पूरे विश्व को भारत की शास्त्रीय परंपरा और अनोखी संस्कृति का महत्व समझाया। साथ ही यह विचारधारा विकसित की कि संस्कृत साहित्य में अंतर्निहित भारत की मूल्य आधारित परंपरा अभी भी जीवंत है और यह पूरे विश्व में समृद्धि और शांति ला सकती है।

(V) हिन्दी पखवाड़ा– राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने दिनांक 14.09.2015 से 28.09.2015 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया। इस अवसर पर अलग–अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संस्थान के अधिकारियों ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना–

(I) यह संस्थान निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है

(क) संस्कृत के प्रचार, विकास और संवर्धन में संलग्न परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं/स्कूलों/कॉलेजों में संस्कृत शिक्षकों को 6,000/– रूपए प्रतिमाह वेतन के भुगतान द्वारा संस्कृत शिक्षण

(ख) संस्कृत छात्रों को प्रतिमाह 300/– रूपए की दर से छात्रवृत्तियाँ

(ग) भवन निर्माण व मरम्मत के लिए

(घ) फर्नीचर तथा पुस्तकालय की पुस्तकों आदि की खरीद हेतु।

वर्ष के दौरान संस्कृत शिक्षा विकास योजना के तहत 509 संस्कृत संस्थाओं/संगठनों को 719.25 लाख रूपये की सहायता अनुदान राशि की सहायता दी गई। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 4 शोध संस्थानों सहित 22 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसके अनुसार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा 95 प्रतिशत आवर्ती तथा 75 प्रतिशत गैर–आवर्ती व्यय प्रदान किया जाता है। ये संस्थाएं देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान, इन 26 संस्थाओं के 4671 छात्र लाभान्वित हुए। संस्थान द्वारा 104 सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को कैम्पसों, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य राज्य संस्कृत कॉलेजों में शिक्षण कार्य के लिए शास्त्र चुड़ामणि योजना के तहत प्रतिमाह 6,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय का भी भुगतान किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करने, दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों के क्रय एवं प्रकाशन के लिए तथा अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता आदि के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(II) संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पुणे को वित्तीय सहायता –डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे ने ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर विश्वकोशीय स्तर के संस्कृत शब्दकोश को तैयार करने के लिए परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के व्यय का मुख्य स्रोत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, (समविश्वविद्यालय), नई दिल्ली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा कुल 100.67 लाख रूपये की राशि जारी की गई।

(III) अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा–विभिन्न स्थानों पर कुल 72 अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र एक वर्ष में दो बार तीन स्तरों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में लगभग 1951 छात्र संस्कृत सीखने से लाभान्वित हुए हैं।

(IV) आधुनिक विषयों के शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता –संस्थान द्वारा पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/

महाविद्यालयों में आधुनिक विषय के शिक्षकों के वेतन के लिए, उन राज्य सरकारों, जो इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं, के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्कृत शिक्षकों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा आधुनिक विषय शिक्षकों के लिए 104 संस्थानों को और संस्कृत शिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में राजकीय विद्यालयों के 46 संस्कृत शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा संस्कृत शिक्षा की विकास योजना के अंतर्गत कक्षा नौ से पीएचडी स्तर तक के 11,103 छात्रों को 359 लाख रूपये तक की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

(V) निर्धनता की स्थिति में संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि – संस्थान द्वारा 55 वर्ष की आयु से अधिक के निर्धन स्थिति में रह रहे प्रख्यात संस्कृत पंडितों को भी सम्मान राशि के रूप में प्रतिवर्ष 24,000/– रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 264 पंडितों को सम्मान राशि प्राप्त हो रही है।

(VI) राष्ट्रपति पुरस्कार योजना– एनआरआई अथवा विदेशी व्यक्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सहित 16 विद्वानों को संस्कृत के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर का पुरस्कार, अरबी और फारसी के लिए प्रत्येक के लिए 3 तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रख्यात विद्वानों के लिए पाली/प्राकृत हेतु एक और संस्कृत के लिए महर्षि बर्धायन व्यास सम्मान के 5 पुरस्कार तथा 30–40 वर्ष की आयु समूह में युवा विद्वानों के लिए पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी में प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015–16 के लिए, संस्कृत के क्षेत्र में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विदेशी विद्वान को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सहित संस्कृत के 16 पुरस्कार, फारसी में 3 और अरबी में 2, पाली/प्राकृत में एक–एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ–साथ महर्षि बदरायन व्यास सम्मान के पुरस्कार घोषित किए गए थे। इनमें 5 संस्कृत के लिए, 1 फारसी के लिए, 1 अरबी तथा 1 पाली/प्राकृत के लिए हैं। इस पुरस्कार में संस्कृत विद्वानों के लिए 5 लाख रूपये का एकमुश्त आर्थिक अनुदान और महर्षि बदरायन व्यास सम्मान में प्रत्येक के लिए 1 लाख रूपये के एकमुश्त आर्थिक अनुदान की व्यवस्था है।

(VII) विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता – संस्कृत के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु गैर–सरकारी संगठनों और सम संस्कृत विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों को वर्ष के दौरान 25 लाख रूपये की सीमा तक वित्तीय सहायता का आवंटन किया गया है।

(VIII)संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई–डाटा बैंक –सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने संस्कृत के विकास के लिए ई–पुस्तकें और पत्रिकाएं तैयार की हैं। ई–पुस्तकें विकसित की गई हैं ताकि छात्रों/विद्वानों द्वारा उपयोग करने हेतु उन तक पहुंचा जा सके। ये पुस्तकें छात्रों/विद्वानों की आवश्यकता के अनुसार संस्कृत सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं। संस्कृत की 551 पुस्तकें ऐसी हैं जो दुर्लभ हैं, जिन्हें स्कैन किया गया है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 86 ई–पुस्तकें तथा एक ई–पत्रिका भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है और वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 41 ई–टेक्स्ट के सर्च इंजिन के साथ एचटीएमएल में टैग किया जा रहा है। इन पुस्तकों तक यूआरएल www.sanskrit.nic.in के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। संस्थान की संस्कृत वार्ता त्रैमासिक समाचार बुलेटिन और संस्कृत विमर्श (अर्द्ध वार्षिक शोध पत्रिका) का प्रकाशन किया जा रहा है और इसे डिजिटल सामग्री के रूप में अपलोड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, (क) संस्कृत क्रियाओं का कम्प्यूटेशनल संयोजन (ख) पांडुलिपि संरक्षण कार्यक्रम और (ग) महाभारत पादानुक्रम कोश नामक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(IX) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए विशेष प्रावधान– यह संस्थान स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों के शिक्षकों को वेतन, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और पूर्वोत्तर में विभिन्न सेमिनारों, राष्ट्रीय संस्कृत नाटक/पर्व आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 69 अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा केन्द्रों के लिए 16.21 लाख रूपये की राशि संस्वीकृत की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 396 विद्यार्थियों को 14.12 लाख रूपये की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। संस्कृत शिक्षा विकास योजना के तहत 35 संस्कृत और 09 आधुनिक विषय शिक्षकों को भुगतान करने हेतु 31.68 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। इन कार्यकलापों के अतिरिक्त, संस्थान ने त्रिपुरा में अपना 12वां परिसर स्थापित किया है और इसका नाम एकलव्य परिसर रखा गया है। इस परिसर ने शैक्षिक वर्ष 2013–14 से पश्चिम त्रिपुरा में अगरतला से काम करना आरंभ कर दिया है। त्रिपुरा

राज्य सरकार ने संस्थान को परिसर के लिए सदर उप–मंडल के तहत डीसी नगर में 3.25 एकड़ भूमि आवंटित की है।

(X) **मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान)** – मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान) जो यूजीसी, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तहत एक संस्थान है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के परिसरों में यह अध्ययन केन्द्र स्वाध्याय केन्द्र कहलाते हैं। ये प्रकशास्त्री से आचार्य स्तर तक परम्परागत कार्यक्रम प्रदान करता है। ये प्राक शास्त्री से आचार्य स्तर तक के परम्परागत कार्यक्रम प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान 1167 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया। बैठकों, कार्यशालाओं और अभिमुखी कार्यक्रमों द्वारा शिक्षण कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति में एक पंजीकृत समिति के रूप में केन्द्रीय संस्कृत आयोग की सिफारिशों पर मानव संसाधान विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित की गई थी। इस विद्यापीठ ने वर्ष 1991 से समविश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

अधिदेशः विद्यापीठ को एक ऐसे संस्थान के रूप में विशिष्ट सम्मान प्राप्त है जहां संस्कृत को संस्कृत माध्यम में ही पढ़ाया जा रहा है। विद्यापीठ के अधिदेश में निम्नलिखित शामिल हैंः (क) शास्त्रीय परम्परा को संरक्षित करना; (ख) शास्त्रों की व्याख्या करना; (ग) आधुनिक संदर्भ में समस्याओं के लिए अपनी प्रासंगिकता स्थापित करना; (घ) शिक्षकों के लिए शास्त्रीय शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा में गहन प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना; (ड.) इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जिससे विद्यापीठ अपनी प्रकृति के स्वयं के विशिष्ट चरित्र को बनाए रख सके।

यह विद्यापीठ यूजीसी, नई दिल्ली के माध्यम से एमएचआरडी की वित्तीय सहायता से निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही हैः–

1. **पारंपरिक शास्त्रों में उत्कृष्टता केन्द्रः** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विद्यापीठ को पारंपरिक शास्त्र विषय में उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मान्यता दी। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य–कलाप किए गएः

1. शास्त्रवरीधि पाठ्यक्रम
2. पब्लीकेशन्स
3. ऑडियो और वीडियो डॉक्यूमेन्टेशन
4. ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग सेन्टर एक्टीविटी
5. लिपि विकास प्रदर्शनी
6. प्राचीन लिपि सीखने हेतु विद्युत यंत्र
7. स्वयं संस्कृत सीखने हेतु किट
8. आर्टफैक्टस का डॉक्यूमेन्टेशन
9. मैन्यूस्क्रिप्ट का डिजीटलाइजेशन
10. योगा, स्ट्रैस मैनेजमेन्ट एंड हीलिंग सेन्टर
11. सेमिनार / वर्कशॉप
12. कम्प्यूटर साइंस और संस्कृतभाषा प्रौद्योगिकी को जोड़ने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

2. **वाल्मीकि रामायण परियोजनाः** इस परियोजना के अन्तर्गत वाल्मीकि रामायण के सात काण्डों पर सात टीका–टिप्पणी एकत्र की गई हैं और इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अभी तक बाल काण्ड (खण्ड–I), अयोध्या काण्ड (खण्ड–I एवं II), अरण्य काण्ड (खण्ड–I), किषकिंधा काण्ड (खण्ड–I), सुंदर काण्ड (खण्ड–I), पूरे किए जा चुके हैं और युद्ध काण्ड, उत्तरकाण्ड अभी पूरे किए जाने शेष हैं।

3. **अगमकोस परियोजनाः** इस परियोजना के अन्तर्गत वैखानासा अगमा सबंधित 11 खण्ड मुद्रित की जा चुकी है और अब पंचतन्त्र अगमा पर कार्य चल रहा है।

4. **बहु–भाषी व्युत्पत्तिशास्त्र शब्दकोशः** यह परियोजना विश्वविद्यालय के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है। इस शब्दकोश के लिए चुनी गई भाषाओं में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी, गुजराती, उड़िया, मराठी, असमी, बंगाली, तेलुगू, तमिल, कन्नड़, मलयालम भाषा शामिल है।

5. **एसएपी / डीआरएस–II–** विद्यापीठ ने साहित्य और शिक्षा विभाग के लिए दर्शन डीआरएस–II में एसएपी की स्वीकृति दी है। डीआरएस का उद्देश्य यूजीसी के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वित्तीय सहायता से विभाग में टीम रिसर्च को बढ़ावा देना है।

6. **नवीनतम कार्यक्रमः** विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित विषयों में 4 नए कार्यक्रम शुरू किए हैंः

1. संस्कृत और प्रबंधन
2. संस्कृत और विधि
3. कम्पैरेटिव एस्थेटिक्स
4. संस्कृत और कम्प्यूटर साइंस
5. योग और स्ट्रैस मैनेजमेन्ट

ये सभी कार्यक्रम यूजीसी के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हैं।

7. कैरियर उन्मुखी पाठ्यक्रमः विद्यापीठ के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु डीटीपी, वेब टेक्नोलॉजी, पुराण प्रवचन, वास्तु आदि जैसे विषयों में कैरियर–उन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

वर्ष 2015–16 के लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले कार्यक्रम

(1): राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, शास्त्रीय विषयों नामतः साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, पुरानेतिशा , मीमांसा, सामाख्या योग, धर्मशास्त्र और अगमास में संस्कृत माध्यम में शिक्षा प्रदान करता है। विद्यापीठ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करके अखिल भारतीय आधार पर विद्यार्थियों को दाखिला देती है। विद्यापीठ में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं प्राक शास्त्रीय (इंटर के समकक्ष); शास्त्री (बी.ए के समकक्ष); शिक्षा शास्त्री (बीएड के समकक्ष); आचार्य (एमए के समकक्ष); शिक्षा आचार्य (एमएड के समकक्ष) 11 शास्त्रों में एमफिल; विद्यापरीधि (पीएचडी के समकक्ष) और विद्यावाचस्पति (डीलिट)।

(2) पुस्तकों का प्रकाशनः विद्यापीठ में वर्ष 2015–16 के दौरान अब तक वेद, वेदांत, अगम, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, साहित्य, शिक्षा, संस्कृत–विज्ञान पर 300 पुस्तकें और प्रारंभिक अध्ययन करने वालों के लिए संस्कृत अध्ययन की सीडी जैसे चार सीडी रोम और 5 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। विद्यापीठ के प्रारंभ होने से अब तक अनुसंधान पत्रिका महांश्विनी वर्ष में दो बार प्रकाशित की गई।

(3) विशेष सहायता कार्यक्रम –साहित्य, शिक्षा और दर्शन विभागः वर्ष 2011 के दौरान, साहित्य, शिक्षा और दर्शन विभाग के लिए यूजीसी द्वारा डीआरएस–II स्तर पर तीन विशेष सहायता कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए जो वर्ष 2015–16 में जारी हैं।

(4) संस्कृत सप्ताह का आयोजनः बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी श्रावण पूर्णिमा के पवित्र दिन के संबंध में बड़े पर्वोत्साह के साथ वर्ष 2015 के दौरान, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के परिसर में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया।

(5) 10वां अखिल भारतीय संस्कृत विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव –2016: वागबरधिनी परिषद के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत के विद्यार्थियों के परम्परागत शास्त्रीय ज्ञान में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए 28 से 31 जनवरी 2016 तक दसवें अखिल भारतीय संस्कृत विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव मनाने का निर्णय लिया है। इसमें सम्पूर्ण भारतवर्ष से 25 संस्थाओं ने भाग लिया।

(6) XIX दीक्षांत समारोहः 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 1 फरवरी, 2016 को किया गया। श्री एम.ए. लक्ष्मीथथाचर, अध्यक्ष, सेन्टर फॉर लिटरेरी रिसर्च, भारतीय आयुर्वेद संस्थान और इंटीग्रेटिव मेडिसिन, बंगलौर ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। श्री एन. गोपालस्वामी, आई.ए.एस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय चुनाव आयोग, नई दिल्ली और माननीय कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति ने समारोह की अध्यक्षता की और मानद टाइटिल और डिग्रीयां प्रदान की। इस अवसर पर निम्नलिखित प्रख्यात अध्येताओं को ऑनररी डॉक्टोरेट्स की उपाधि दी गईः

महामहोपाध्यायः

(1) श्री एम.ए. लक्ष्मीथथाचर

(2) स्वामी तत्वाविदानंद

(3) श्री के. सत्यवागीश्वर गवापतिगल

(4) श्री कोमपेल्ला सत्यनारायण

वाचस्पति (ऑनररी डी. लिट्.):

(1) श्री गोपावझाला बालसुब्रह्मण्य शास्त्री

(2) प्रो. वरदाचारियर कन्नन

(3) डॉ. पप्पू वेणुगोपाल राव

(7) महामहोपाध्याय पट्टाभिरमा शास्त्री व्याख्यानमाला –2015–16: प्रत्येक वर्ष, महामहोपाध्याय पट्टाभिरमा शास्त्री, विद्यापीठ के प्रथम कुलपति की याद में अनेक प्रसार व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यापीठ के संकाय और विद्यार्थियों के लाभ के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान व्याख्यानों को विभिन्न शास्त्रों में संजोया जाता है। परम्परागत शास्त्रों पर देश के विभिन्न भागों

से विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रसिद्ध विद्वानों ने अब तक सात व्याख्यान दिए।

(8) मैक्स मुलर इंगलिश क्लबः मैक्स मुलर इंगलिश क्लब विद्यापीठ के छात्रों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे अंग्रेजी विभाग के स्टाफ के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य संस्कृत छात्रों को संगठनात्मक कौशल प्रदान करने के साथ–साथ उनके अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करना है। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्लब ने शैक्षिक वर्ष 2015–16 के दौरान 12वें सत्र में अब तक विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया।

प्रो. डी.पी. सिंह, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर द्वारा 6 जुलाई, 2015 को शैक्षिक वर्ष 2015–16 के लिए क्लब का उद्‌घाटन किया गया। प्रो. सिंह ने अपने उद्‌घाटन–भाषण में छात्रों के भाषा कौशल, विशेषतौर पर संस्कृत छात्रों के अंग्रेजी बोलने के कौशल, को विकसित करने के विद्यापीठ के प्रयासों को सराहा। प्रो. एच.के सतपथी, कुलपति ने समारोह की अध्यक्षता की और प्रो. आर.के.ठाकुर, शैक्षिक कार्यों के डीन मुख्य अतिथि थे।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रामानुजम मुखर्जी ऑडीटोरियम में स्टाफ के सभी सदस्यों और छात्रों ने प्रतिज्ञा ली। प्रो. एच.के. सतपथी, कुलपति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। डॅा. एस. दक्षिणमूर्ति शर्मा, एनएसएस समन्वयक और डॅा. सी. गिरूकुमार, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक द्वारा 'रन फॅार यूनिटी' का आयोजन किया गया।

(9) राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशालाएंः

(i) भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की वर्षगांठ चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय विधि दिवस मनाने हेतु राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय, बैंगलौर के सहयोग से राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, धर्म शास्त्र विभाग द्वारा एक दिवसीय राष्ट्रीय मिताक्षर और भारतीय दंड संहिता कार्यशाला आयोजित की गई। प्रो. आर. वेंकट राव, राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय, बैंगलौर, मुख्य अतिथि ने उद्‌घाटन भाषण दिया और प्रो. एच. के. सतपथी, कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने समारोह की अध्यक्षता की, डॅा. सीतांशुभूषण पांडा संयोजक थे।

(ii) **विश्व योग दिवसः** दिनांक 21.06.2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तथा सेमिनार और रैली का आयोजन किया गया। डॅा. वी.आर. पंचमुखी, पूर्व कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस आयोजन का उद्‌घाटन किया गया।

(iii) **आचार्य पाठ्‌यक्रम में नए विद्यार्थियों के लिए ब्रिज पाठ्‌यक्रमः** यह विद्यापीठ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दाखिल किए गए विद्यार्थियों के लिए ब्रिज पाठ्‌यक्रम आयोजित कर रहा है। शैक्षिक सत्र 2015–16 में विभिन्न शास्त्रों अर्थात्‌ साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेदांत, वी. वेदांत, डी. वेदांत, मीमांसा, पुराण और अन्य शास्त्रों से 180 से भी अधिक विद्यार्थियों ने ब्रिज पाठ्‌यक्रम में भाग लिया। हमारी विद्यापीठ के बुद्धिजीवी प्रोफेसरों और बाहर से आमंत्रित किए गए विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए।

(iv) हिंदी दिवस विद्यापीठ के प्रो. रामानुजम मुखर्जी सभागार में दिनांक 14.09.2015 को हिन्दी दिवस मनाया गया।

(10) दूरस्थ शिक्षा निदेशालयः विद्यापीठ ने वर्ष 2003 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, प्राक शास्त्री से आचार्य स्तर तक और डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट पाठ्‌यक्रम भी दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्‌यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) इग्नू, नई दिल्ली, द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्‌यक्रमों में 1246 छात्रों को दाखिला दिया गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान शुरू की गई मुख्य नीति/सुधारः

स्वच्छ भारत : माननीय प्रधानमंत्री के आह्‌वान और मंत्रालय के निर्देशों के प्रत्युत्तर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए और विद्यार्थियों, कर्मचारियों और विद्वानों ने स्वैच्छिक रूप से भाग लिया और एनएसएस बैनर के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अवसंरचनाः बालिका छात्राओं की संख्या में भारी वृद्धि होने के कारण बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ यूजीसी द्वारा योजनागत वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई थी।

ई–पाठशाला : यूजीसी ने फरवरी, 2015 में व्याकरण विषय के लिए ई–पाठशाला संस्वीकृत की है और 112 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। इसमें से 67.20 लाख रूपए की राशि प्राप्त कर ली गई थी और उपयोग–प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। 352 मॅाड्यूल्स पूरे कर लिए गए थे।

योगी नारायण परियोजना: विद्यापीठ ने कालज्ञान या भविष्यवाणी के योगी नारायण दार्शनिक कार्यों के संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में अनुवाद के लिए गोकुल शिक्षा प्रतिष्ठान, काइवाड़ा, कर्नाटक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना के लिए परामर्शदाता, 3 प्रोजेक्ट फैलो को नियुक्त किया गया है और परियोजना कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

विद्यापीठ के मिशन का कथन ''विद्या वंदे अमृतम्'' है जिसका अर्थ है ''आत्मज्ञान के लिए शिक्षा''।

विद्यापीठ के उद्देश्य हैं:

(क) शास्त्र संबंधी परंपरा का संरक्षण करना।

(ख) शास्त्रों की व्याख्या करना।

(ग) आधुनिक संदर्भ में समस्याओं को शास्त्रों की प्रासंगिकता से जोड़ना।

(घ) शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण के साथ–साथ शास्त्र विद्या में गहन प्रशिक्षण देने के लिए साधन उपलब्ध कराना।

(ड.) अपनी स्वयं की विशेष छवि बनाने के लिए अपने विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

कार्रवाई और कार्यनीति की भावी योजना: श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी XIIवीं योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। ई–पीजी परियोजनाओं को पूरा करना, एमओओसीएस का कार्यान्वयन, एनआईआरएफ की कार्रवाई, विदेशी छात्रों के लिए संस्कृत केन्द्र की स्थापना, पीजी स्तर के पाठ्यक्रम में संशोधन आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके विषय में कार्रवाई की जाएगी। सभी रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दिया जाएगा और नियमित संकाय सदस्यों की नियुक्ति के प्रयास किए जाएंगे।

वर्ष 2015 के दौरान विद्यापीठ में शैक्षिक कार्यकलाप

विद्यापीठ में 4 फैकल्टी और 20 विभाग हैं। विद्यापीठ में अनुसंधान और प्रकाशन के स्वतंत्र विभाग हैं, जो देश के प्रतिष्ठित अध्येताओं द्वारा अधिकृत ऐतिहासिक प्रकाशन करते हैं, उन्हें एकत्र करते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं। विद्यापीठ शोध प्रभा नामक शोध पत्रिका भी निकालती है जिसकी अपनी विशिष्टता है। इसके अतिरिक्त, विद्यापीठ ने विभिन्न सम्मेलनों और व्याख्यानों का आयोजन भी किया जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **डॉ. मंडन मिश्र व्याख्यान–माला:** साहित्य विभाग ने 26.03.2015 को डॉ. मंडन मिश्र व्याख्यान–माला का आयोजन किया।

2. **आचार्य वाचस्पति उपाध्याय मेमोरियल व्याख्यान–माला:** साहित्य विभाग ने 28.03.2015 को आचार्य वाचस्पति उपाध्याय मेमोरियल व्याख्यान–माला का आयोजन किया।

3. **आचार्य कुंदकुंद व्याख्यान–माला:** साहित्य विभाग ने 25.02.2015 को आचार्य कुंदकुंद व्याख्यान–माला का आयोजन किया।

4. **पट्टाभिराम शास्त्री स्मारक व्याख्यान–माला:** सर्वदर्शन विभाग ने 17.03.2015 को व्याख्यान–माला का आयोजन किया

5. **आचार्य गौरीनाथ शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान–माला:** न्याय वैशेषिक विभाग ने 24.03.2015 को आचार्य गौरीनाथ शास्त्री व्याख्यान–माला का आयोजन किया।

छात्रों का पाठ्यक्रम–वार ब्यौरा

विद्यापीठ एम.फिल और पीएच.डी डिग्री प्रदान करने के अतिरिक्त छात्रों को विभिन्न विशिष्ट विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करती है। विद्यापीठ शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री, शिक्षा आचार्य, विशिष्टाचार्य एवं विद्यावरीधि के भी पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, छात्रों में वयावसायिक कौशल सुनिश्चित करने हेतु ज्योतिष, वास्तु–शास्त्र, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, योग एवं पुरोहित्य में सर्टीफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किए हैं।

वर्ष 2015 के दौरान विद्यापीठ में सांस्कृतिक कार्यकलाप

1. विद्यापीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशानुसार 21 जून, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। सभी शिक्षण और शिक्षणेतर स्टाफ और छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया।

विश्व योग दिवस पर दुनिया भर में योग कार्यक्रम आरंभ करने के फलस्वरूप विद्यापीठ के छात्रों और अन्य हितधारकों की जबर्दस्त प्रतिक्रिया रही।

2. विद्यापीठ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

3. अगस्त, 2015 में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया।

4. 10 अगस्त, 2015 को नेशनल म्यूज़ियम, नई दिल्ली में संस्कृत दिवस मनाया गया।

5. सितम्बर, 2015 में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया।

6. स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। महात्मा गांधी जी के सपने को सच करने की दृष्टि से विद्यापीठ के कर्मचारियों और छात्रों ने विद्यापीठ और उसके आस–पास के क्षेत्र की सफाई में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

7. विद्यापीठ ने फरवरी, 2015 में 'फाउंडेशन कोर्स ऑन वुमेन्स स्टडीज़' का आयोजन किया।

8. 25 फरवरी, 2015 से 27 फरवरी, 2015 तक ''जेन्डर सेन्सीटाइज़ेशनः येस्टरडे एंड टुडे'' पर एक विस्तार व्याख्यान आयोजित किया गया।

9. मार्च, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

10. विद्यापीठ ने आरटीआई कार्यशाला का आयोजन किया।

11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशानुसार कोन्सटीट्यूशन डे (26.11.2015) पर एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया।

12. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ द्वारा 27.11.2015 को आयोजित 15वें दीक्षांत समारोह में श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अध्येताओं को संबोधित किया। दीक्षांत समारोह में 1800 से अधिक छात्रों को डिग्रीयां प्रदान की गईं। आठ प्रतिष्ठित संस्कृत अध्येताओं को भी मानद डिग्रीयां प्रदान की गई।

लाभार्थियों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षकों, महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. आदि) की संख्या सहित लक्षित समूह का कवरेज

यूजीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार विद्यापीठ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। विद्यापीठ दाखिलों और नियुक्ति में अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों को आरक्षण देती है। संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

विद्यापीठ ने अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.(नॉन क्रीमी लेयर), अल्पसंख्यक छात्रों के विभिन्न विषयों में शैक्षिक ज्ञान, कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार करने और उनकी बोधगम्यता के स्तर को बढ़ाने तथा आगे के शैक्षिक कार्यों के लिए मजबूत नींव रखने के लिए यूजीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है।

उपलब्धियां

` विद्यापीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय/यूजीसी के निदेशानुसार विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, कौशल विकास कार्यक्रम, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी और हिन्दी का अनिवार्य शिक्षण जैसे कार्यक्रम आरंभ किए। विद्यापीठ ने शिक्षण और अधिगम की शास्त्र संबंधी परंपरा में नवीन शैक्षिक उपलब्धियों के लिए एनसीटीई विनियम, 2014 को भी अपनाया है। विद्यापीठ शैक्षिक कैलेण्डर के कार्यक्रमों के अनुसार अपने लक्ष्यों और परिणामों को मॉनीटर करती है।

एनएएसी की मान्यता

मई, 2015 में एनएएसी की टीम ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ का दौरा किया। टीम ने विद्यापीठ के शैक्षिक और अन्य कार्यकलापों का निरीक्षण किया। टीम विद्यापीठ के शैक्षिक कार्यकलापों से प्रभावित हुई। विद्यापीठ को एनएएसी द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए 'ए' ग्रेड से सम्मानित किया गया है।

प्रकाशनों की सूची

संकाय सदस्यों ने अपने शोध और शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर पुस्तकें प्रकाशित की। शोध एवं प्रकाशन विभाग ने शोधप्रभा (अप्रैल–अक्टूबर) नामक पत्रिका प्रकाशित की तथा वास्तु और ज्योतिष विभागों ने वार्षिक रूप से **पंचांग वास्तु विमर्श** और **भयशज्य ज्योतिष** का प्रकाशन किया।

विद्यापीठ के लक्ष्य

1. विद्यापीठ में छात्रों और शिक्षकों के लिए इंटरनेट सुविधा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, इंटरएक्टिव बोर्ड, ई–लर्निंग ओपन रिसोर्सिज आन द वेब, पूरे विश्व की ई–लाइब्रेरीज, निःशुल्क ई–बुक्स उपलब्ध हैं। वर्चुअल क्लासरूम सुविधा मुहैया कराने की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पूरी हो जाएगी। ज्योतिष विभाग ने कुंडली की गणितीय गणना के लिए दो नए सोफ्टवेयर उपार्जित किए हैं।

2. विद्यापीठ शास्त्र संबंधी परंपरा को बनाए रखने, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में नई प्रौद्योगिकियां शुरू करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कम्प्यूटर के संचालन में प्रशिक्षित किया जाता है जिसके लिए कम्प्यूटर केन्द्र नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

नई योजनाएं/कार्यक्रम

सर्वसाधारण को संस्कृत सिखाने के लिए निम्नलिखित दो नए अंशकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव हैः 1. संस्कृत संभाषण पाठ्यक्रम, 2. संस्कृत पत्रकारिता

मंत्रालय के निदेशानुसार विद्यापीठ ने संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु वर्चुअल क्लासरूम्स की स्थापना, ऑनलाइन पाठ्यक्रम आदि की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। ई–पाठशाला परियोजना पर भी काम चल रहा है। एमओओसीएस क्रियान्वित करने और एनआईआरएफ के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में संशोधन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जनवरी, 1987 में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापनी की गई थी। प्रतिष्ठान का उद्देश्य वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा को संरक्षित और विकसित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिष्ठान ने विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए हैं, जैसे कि पारंपरिक वैदिक संस्थाओं और अध्येताओं की सहायता, अध्येतावृत्तियां/छात्रवृत्तियां प्रदान करना, ऑडियो/वीडियो टेप्स तैयार करना आदि।

प्रतिष्ठान की विभिन्न योजनाएं और कार्यकलाप

(1) वैदिक मंत्रोच्चारण की मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना– वैदिक मंत्रोच्चारण की मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठान ने अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने, प्रबंध करने या निरीक्षण करने और बनाए रखने या क्रियान्वित करने के लिए पूरे देश में वैदिक पाठशालाएं और गुरू शिष्य परंपरा यूनिट स्थापित की है। इस योजना के तहत वैदिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु देश की विभिन्न वेद पाठशालाओं/विद्यालयों/गुरू शिष्य परंपरा यूनिटों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक छात्र के लिए शिक्षण की अवधि सात वर्ष है।

(2) वैदिक सम्मेलन– वैदिक सम्मेलन प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पूरे देश में वैदिक अध्ययन और ज्ञान का प्रचार–प्रसार करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

(3) सेमिनार– प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार आयोजित की जा रही है। इनका वित्तपोषण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है।

(4) प्रकाशन– शोध पत्रिका एवं मासिक समाचार–पत्र का प्रकाशन– प्रतिष्ठानों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत वैदिक साहित्य से संबंधित अप्राप्य और दुर्लभ पाठों को पुनःमुद्रित और प्रकाशित किया जाता है। महत्वपूर्ण संस्करणों का मुद्रण और कुछ पाठों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, महत्वपूर्ण विषयों पर मोनोग्राफ तथा प्रतिष्ठान के अध्येताओं द्वारा किए गए शोध कार्य की रिपोर्ट जैसे कार्य भी किए जाते हैं।

नए शोध कार्यो को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठान ''वेद विद्या'' नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका प्रकाशित करता है, जिसमें वेद से संबंधित अच्छे निबंध हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वैदिक अध्येताओं के साथ–साथ सर्वसाधारण भी इनका लाभ उठा सकें। प्रतिष्ठान ''वेद वार्ता'' नामक एक मासिक समाचार–पत्र भी प्रकाशित करता है।

(5) अध्येतावृत्तियां– वैदिक शोध को बढ़ावा देने के लिए अध्येतावृत्ति का प्रावधान है। इस प्रयोजनार्थ प्रतिष्ठान अध्येतावृत्ति योजना क्रियान्वित करता है।

(6) सभी के लिए वैदिक कक्षाएं– प्रतिष्ठान में वैदिक ज्ञान के प्रचार–प्रसार हेतु और वैदिक अध्ययन को लोकप्रिय बनाने के लिए इसमें रूचि रखने वालों के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता न होने पर भी उनके लिए वैदिक कक्षाओं के आयोजन की योजना है। इस योजना के तहत वेद के सभी विशिष्ट विषयों में कुल मिलाकर 100 व्याख्यान दिए गए हैं।

(7) वेद ज्ञान सप्ताह समारोह– देश में वैदिक साक्षरता को बढ़ावा देने और वेदों, वैदिक ज्ञान तथा भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिष्ठान ने देश के विभिन्न भागों में सात दिवसीय कार्यक्रम वेद ज्ञान सप्ताह समारोह आयोजित किया जाता है।

(8) नित्याग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता– प्रतिष्ठान प्रत्येक नित्याग्निहोत्री को प्रतिमाह 2000/– रू. की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना क्रियान्वित करता है। यह सहायता उन नित्याग्निहोत्रियों को दी जाती है जो अपने घरों में अग्निहोत्र अनुष्ठान में नियमित रूप से गौ पूजा करते हैं और प्रक्रिया–विधि के अनुसार अपनी पत्नियों के साथ अग्नेयधन सहित पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चारण करते हैं।

(9) वृद्ध वेद–पाठियों को वित्तीय सहायता– प्रतिष्ठान उन वृद्ध वेद–पाठियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है या वे निःशक्त हैं।

(10) वैदिक मंत्रोच्चारण की टेप–रिकॉर्डिंग– टेप–रिकॉर्डिंग सीडी/डीवीडी के माध्यम से वेदों की विभिन्न शाखाओं की मौखिक परंपरा के संरक्षण हेतु रिकॉर्ड को बनाए रखना प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण कार्यकलापों में से एक है।

(11) वेदों की गृह–शिक्षा– प्रतिष्ठान ने ''घर बैठे वेदों की शिक्षा'' के संबंध में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है। उत्तीर्ण वेदानुरागियों को ''वेद निपुण'' प्रमाण–पत्र दिया जाता है।

(12) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या पुरस्कार– प्रतिष्ठान ने वैदिक अध्ययन तथा वेदांग साहित्य में मूल लेखन, मैनुअल लिपियों के संस्करण, वैदिक शिक्षा में शोध, वैदिक साहित्य और दुर्लभ वैदिक ज्ञान के संरक्षण हेतु शोध को बढ़ावा देने के लिए 1, 00,000/– रू. के पुरस्कार की शुरूआत की है।

(13) वैदिक रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की शुरूआत– प्रतिष्ठान ने वैदिक शिक्षा के तकनीकी विकास, उनकी योग्यता एवं कौशल विकास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सभी पंजीकृत सहायता–प्राप्त वेद पाठशालाओं के वैदिक शिक्षकों हेतु एक रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया।

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता

'भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता' की योजना के तीन भाग हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान हैंः–

गैर–हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षक। यह कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य त्रि–भाषा सूत्र के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अतिरिक्त हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज खोलने/सुदृढ़ करने के जरिए गैर–हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता प्रदान करना है।

जिन जिलों में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी है उनके स्कूलों में उर्दू शिक्षक। यह योजना 1999 से क्रियान्वित की जा रही है। 'भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता' की केन्द्र–प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और छात्रों को उर्दू पढ़ाने के लिए अंश–कालिक शिक्षकों को प्रतिमाह 1000/– रू. की दर से मानदेय भी दिया जाता है। भारत सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय नए कार्यक्रम के अनुसरण में किसी भी ऐसे इलाके में, जहां 25% से अधिक आबादी उर्दू भाषी समुदाय से है, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। केवल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय की बहुलता वाले ब्लॉक/जिलों में 'उर्दू शिक्षकों' की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के पिछले मानदण्डों को बदल दिया गया है। वित्तीय सहायता पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2012–17 तक ही स्वीकार्य है। योजना का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां भी आवश्यक हो, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने की दृष्टि से छात्रों को उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षक नियुक्त करने/मौजूदा शिक्षकों को मानदेय देने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मांग आधारित है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर है।

हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में, उनकी मांग के अनुसार तीसरी भाषा (विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा) पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा के शिक्षकों की व्यवस्था

करना योजना के भागों में से एक है। यह योजना 1993–94 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य त्रि–भाषा सूत्र के क्रियान्वयन हेतु और आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा, के लिए जन–शक्ति तैयार करने हेतु हिन्दी भाषी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायतार्थ पिछली योजनाओं को पूरा करना है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

प्रस्तावनाः मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ओर यथोचित ध्यान दिया जाता है। मंत्रालय के दोनों विभाग, नामतः उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित हैं।

मंत्रालय में राजभाषा का कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के साथ–साथ राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अधिसूचित किए गए कार्यालय : रिपोर्ट की अवधि के दौरान इस मंत्रालय के दोनों विभागों के तहत 92 कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग

(क) वर्ष 2015–16 के दौरान, मंत्रालय द्वारा 39 कार्यालयों/विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके दृष्टिगत, मंत्रालय ने आज की तारीख तक 33 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की ओर से समय–समय पर अधीनस्थ कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(ख) मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं भाषा) की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में उचित कार्रवाई की जा रही है।

(ग) मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की निगरानी के लिए उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्राप्त कर उनकी समीक्षा करता है तथा उपचारात्मक उपायों के सुझाव देता है।

राजभाषा सम्मेलन : वर्ष के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 14–15 मई, 2015 को सूरत में एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षणः संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मंत्रालय के तहत कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

हिन्दी सलाहकार समितिः मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की पहली बैठक माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

प्रशिक्षणः सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में मंत्रालय के शेष कर्मचारियों, जिन्हें अभी हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जाना है, को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी मंत्रालय में शेष नहीं है जिसे अभी हिन्दी भाषा और हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना बाकी हो।

विभागीय पत्रिका ''शिक्षायण'': इस मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी रचनात्मकता व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने हेतु एक विभागीय पत्रिका ''शिक्षायण'' का प्रकाशन इस मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इस पत्रिका का 8वां संस्करण प्रकाशित किया गया है।

अनुवाद कार्यः सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सभी प्रकार के पत्रों, दस्तावेजों, रिपोर्टों आदि के अनुवाद कार्य को भी निष्पादित किया है जिन्हें मंत्रालय द्वारा द्विभाषी रूप (हिन्दी और अंग्रेजी) में जारी किया जाना होता है।

मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ाः वर्ष के दौरान, सितम्बर माह में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर, निबन्ध लेखन, हिन्दी टिप्पण/मसौदा लेखन, कविता पाठ, हिन्दी लिखावट और हिन्दी वाद–विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वेबसाइट : मंत्रालय के दोनों विभागों की वेबसाइटों को द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। इसे समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है। मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अपनी वेबसाइट को द्विभाषी बनाने से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

"हिन्दी शब्द" : मंत्रालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मार्च 2008 से अब तक दैनिक कार्य में उपयोग हेतु एक शब्द प्रतिदिन हिन्दी और अंग्रेजी में "आज का शब्द" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा रहा है।

★★★★★

अध्याय 10

कॉपीराइट और पुस्तक संवर्धन

अध्याय 10

कॉपीराइट और पुस्तक संवर्धन

कॉपीराइट कार्यालय

कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत 1958 में की गई थी। यह उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसका संचालन कॉपीराइट के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिनके अधिकार क्षेत्र में कॉपीराइट से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अर्ध न्यायिक शक्तियां है। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट के पंजीकरण का कार्य करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख–रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट के कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कॉपीराइट कार्यालय को योजनेतर के तहत 2.35 करोड़ रूपए का अलग बजट शीर्ष आबंटित किया गया है। पंजीकरण के अलावा, रजिस्टर का निरीक्षण करने और उससे सार लेने जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय में उपलब्ध हैं। जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों से निर्वाह करता है:

क) मूल साहित्यिक, साफ्टवेयर, संगीत और कलात्मक कार्य;

ख) चलचित्र की फिल्में; और

ग) ध्वनि रिकॉर्डिंग।

कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 70 के अनुसार कॉपीराइट रजिस्टर में दर्ज कॉपीराइट के ब्यौरों में परिवर्तनों को भी दर्ज करता है। कॉपीराइट का अधिग्रहण स्वचालित है और इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही कोई कृति तैयार होती है कॉपीराइट उसी क्षण से अस्तित्व में आ जाता है और इसके लिए कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, इस अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और इसमें की गई प्रविष्टियों, कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद के संदर्भ में न्यायिक अदालतों में प्रथम दृष्टया प्रमाण होते हैं।

इस अधिनियम की धारा 47 में किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर कॉपीराइट के रजिस्टर का निरीक्षण करने अथवा कॉपीराइट के रजिस्टर से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के प्रावधान भी किए गए हैं। यह सुविधा प्रदान करने के लिए, कार्यों की एक अनुक्रमणिका, जिसके विवरण रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं, का रख–रखाव भी कॉपीराइट कार्यालय द्वारा किया जाता है। जबकि रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में दर्ज ब्यौरे में मामूली सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है, कॉपीराइट बोर्ड को रजिस्ट्रार अथवा किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर रजिस्टर में की गई किन्हीं भी प्रविष्टियों को हटाने का अधिकार प्राप्त हैं।

कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अनुसार, लेखक अथवा प्रकाशक अथवा कॉपीराइट का स्वामी अथवा किसी कार्य के कॉपीराइट में रूचि रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, कॉपीराइट के रजिस्टर में कार्य के विवरणों को दर्ज करवाने के लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रार को निर्धारित फीस के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा सभी प्रकार की कृतियों के पंजीकरण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इन कृतियों के पंजीकरण के लिए कॉपीराइट कार्यालय आवेदन को डाक द्वारा भेजा जा सकता है, और ऑनलाइन आवेदन भी दायर किए जा सकते हैं। 7500 कृतियों का पंजीकरण किया गया है इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.04.2015 से 28.12.2016 तक की अवधि के दौरान 12348 कृतियां प्राप्त की गई हैं।

कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण: ई–फाइलिंग की सुविधा को 17.02.2014 से आरंभ किया गया है और नए डिजाइन और एक नए प्रतीक चिन्ह से युक्त कॉपीराइट प्रमाणपत्र भी जारी किया गया हैं। कॉपीराइट रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है और लगभग 6.00 लाख कॉपीराइट रजिस्टर स्केन किए गए हैं।

काउंटर डायरी 2015													
कृति की श्रेणी	**जन.**	**फर.**	**मार्च**	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अग.**	**सित.**	**अक्टू.**	**नव.**	**दिस.**	**कुल**
कलात्मक कृति	155	151	166	170	138	139	155	180	139	466	184	142	2185
सिनेमेटोग्राफी कृति	-	1	7	2	3	2	2	3	2	8	-	1	31
साहित्यिक कृति	156	124	162	156	156	157	139	170	122	134	78	111	1665
संगीत	7	3	3	11	8	-	2	-	2	5	-	1	42
ध्वनि रिकार्डिंग कृति	6	38	57	71	20	13	30	50	7	16	39	49	396
साफ्टवेअर रिकार्डिंग	16	15	50	33	26	23	28	17	-	6	3	26	243
कुल	**340**	**332**	**445**	**443**	**351**	**334**	**356**	**420**	**272**	**635**	**304**	**330**	**4562**
सकल योग	**4562**												

आनलाईन डायरी 2015													
कृति की श्रेणी	**जन.**	**फर.**	**मार्च**	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अग.**	**सित.**	**अक्टू.**	**नव.**	**दिस.**	**कुल**
कलात्मक कृति	98	82	148	212	157	118	152	252	338	379	262	188	2386
सिनेमेटोग्राफी कृति	**2**	3	8	6	8	10	13	10	6	121	**12**	12	211
साहित्यिक कृति	255	274	358	322	271	491	337	286	340	51	381	350	3716
संगीत	9	23	13	7	17	**17**	10	**15**	22	13	**14**	16	176
ध्वनि रिकार्डिंग कृति	24	23	30	15	35	13	17	21	32	3	23	8	244
साफ्टवेअर रिकार्डिंग	32	33	55	47	57	100	41	88	**130**	9	66	60	718
कुल	**420**	**438**	**612**	**609**	**545**	**749**	**570**	**672**	**868**	**576**	**758**	**634**	**7451**
सकल योग	**7451**												

कॉपीराइट बोर्डः कॉपीराइट बोर्ड जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, का सितंबर 1958 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 11 के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए पहली बार गठन किया गया था और बोर्ड का अंशकालिन आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात पुनः गठन किया जाता है। तथापि, 21.06.2012 को अधिनियमित कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 में अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए पूर्णकालीन कॉपीराइट बोर्ड का प्रावधान है। केन्द्र सरकार द्वारा यथाशीघ्र बोर्ड का पुनर्गठन करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

इस बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण तथा कॉपीराइट के कार्य, पंजीकरण के संशोधन करने, पब्लिक से रोकी गई कृतियों के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने, अप्रकाशित भारतीय कृतियों, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ, कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुवाद और कृतियों के प्रकाशन से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन का कार्य सौंपा गया है। बोर्ड द्वारा कवर संस्करणों और साहित्यिक और संगीत के कृतियों का प्रसारण करने तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित सांविधिक लाइसेंसों की रॉयल्टी की दर का भी निर्धारण एवं उसे लागू

किया जाता है। यह बोर्ड, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई भी करता है।

कॉपीराइट सोसायटी: 21.06.2012 को अधिनियमित होने के बाद से और संशोधित कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत और कार्यरत दो कॉपीराइट सोसायटी हैं:–

i) इंडियन्स सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (आईएसआरए), मुंबई को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 33 के तहत सिंगर्स के लिए एक नई कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

ii) इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स आर्गेनाइजेशन (आईआरआरओ), दिल्ली को कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 33 के तहत रिप्रोग्राफिक राइट्स के लिए एक कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पुनः पंजीकृत किया गया है। भारत सरकार को संशोधन कार्य का आबंटन नियमावली, 1962, अधिसूचित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 17.03.2016 की अधिसूचना एस.ओ. (1163)(ई) के जरिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट पर अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से डीआईपीपी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

भारत, वर्ष 1976 से, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) का सदस्य है, जो डब्ल्यूआईपीओ के मामलों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी हैं। भारत बर्न कन्वेंशन और ट्रिप्स समझौते का भी सदस्य है। वर्ष 2015–16 के दौरान, इस मंत्रालय ने डब्ल्यूआईपीओ और इसकी समितियाँ द्वारा आयोजित बौद्धिक संपदा अधिकार और कॉपीराइट कार्यक्रम विषयक निम्नलिखित बैठकों और सेमिनारों में प्रतिनिधित्व किया है:–

डब्ल्यूआईपीओ कॉपीराइट और तत्संबंधी अधिकार के बारे में स्थायी समिति (एससीसीआर) सत्र:

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 29 जून से 31 जुलाई 2015 तक एससीसीआर के 30वें सत्र तथा 07.12.2015 से 11.12.2015 तक 31वें सत्र, दोनों जिनेवा में आयोजित, में भाग लिया। निम्नलिखित संधियों पर विचार–विमर्श किया गया: (i) प्रसारण संगठनों का संरक्षण; (ii) पुस्तकालयों और पुरातत्वों की सीमा और अपवाद; (iii) शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं तथा अन्य निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए सीमा और अपवाद।

(i) डब्ल्यूआईपीओ अध्ययन दौरा

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 2–6 नवंबर, 2015 तक कोरिया गणराज्य में कोरिया कॉपीराइट आयोग में डब्ल्यूआईपीओ अध्ययन दौरे में भाग लिया।

(ii) मरक्केश संधि हेतु कार्यान्वयन समिति

कॉपीराइट संशोधन अधिनियम, 2012 में प्रिंट डिसेबल के प्रावधानों का संवर्धन करने के लिए कार्यान्वयन समिति तथा नेत्रहीन, विजुअली इम्पेयर्ड अथवा अन्यथा प्रिंट डिसेबल व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यों तक पहुंच सुलभ बनाने हेतु मरक्केश संधि का दिनांक 25.05.2015 के आदेश संख्या 6–1/2013–डब्ल्यूआईपीओ (पार्ट फाईल) द्वारा गठन किया गया।

कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन की योजना

कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के संवर्धन की योजना निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ कार्यान्वित की जा रही है:

उद्देश्य और लक्ष्य

आईपी परिणाम में सुधार करने और आईपी संपदा के सृजन के लिए अपेक्षित कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक उत्साही ज्ञान समाज की उभरती हुई चुनौतियों को पूरा करने के लिए भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों में विश्व स्तर की गुणवत्ता और विविध मानव संसाधन तैयार करने में समर्थ बनाना।

दीर्घावधि मिशन– आईपी प्रबंधन, प्रवर्तन, जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध में बहु–विषयक दृष्टिकोण के जरिए क्षमता सृजन और क्षमता।

लघु अवधि मिशन:–

क) आईपी शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण में शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास करना।

ख) आईपी अधिकारों के महत्व पर जोर देने के लिए सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं के लिए समुचित पाठ्यक्रम सामग्री और सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए आनलाईन/दूरस्थ शिक्षण मॉडयूल्स तैयार करना।

ग) विकास पहलों में बौद्धिक संपदा के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करना।

घ) ज्ञान तथा सूचना का प्रसार एवं शेयरिंग, तथा

ङ) आउटरीच कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के जरिए समुदाय तथा सहभागियों की शामिल करना।

च) आईपी के लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान में सक्रिय रूप से योगदान देना।

स्कीम का कार्यक्षेत्र

इस योजना के तहत, यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

(i) उच्चतर शिक्षा और उसके साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन के अध्ययन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अध्ययनों के लिए पीठों की स्थापना।

(ii) पाठ्यक्रम सहित शिक्षण अध्ययन सामग्री विकसित करने के लिए राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना।

(iii) बौद्धिक संपदा अधिकार और गैट्स के अध्ययन के संबंध में सेमिनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।

(iv) किसी नोडल संस्था में बौद्धिक संपदा अधिकार और विश्व व्यापार संगठन के साहित्य/सामग्री/मामलों का अध्ययन करने के लिए एक कोष की स्थापना करना।

(v) प्रत्यक्ष शिक्षा के साथ–साथ दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा सेवाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार पाठ्यक्रम/गैट्स के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के साथ–साथ इस प्रयोजन के लिए उपाय कुशल व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

(vi) बौद्धिक संपदा अधिकार और गैट्सः विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था विषय पर शिक्षा के पाठ्यक्रमों के संभावित संकाय के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

(vii) देश के हितों से संबंधित नए और विलयित हो रहे बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्रों/विश्व व्यापार संगठनः गैट्स के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और प्रौद्योगिकी पहलुओं में अनुसंधान के आयोजन के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप प्रदान करना।

(viii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित शैक्षणिक सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करना और उनके निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

(ix) कॉपीराइट और संबद्ध अधिकारों के मुद्दों पर राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करना।

(x) कॉपीराइट कानून के प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करना।

(xi) क्षेत्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन करना और सार्क तथा एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र से व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन करना।

(xii) क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन करना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय बौद्धिक संपदा अधिकार पीठ (आईपीआर चेयर्स)

इस योजना के तहत आईपीआर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के विकास और वृद्धि के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 19 एमएचआरडी–आईपीआर पीठों को अब तक स्थापित किया गया है। इन 19 मानव संसाधन विकास मंत्रालय– बौद्धिक संपदा अधिकार पीठों में से छह (6) आईपीआर चेयर विश्वविद्यालयों (अर्थात् सीयूएसएटी, कोचीन, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, मद्रास विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय) में हैं, छह (6) आईपीआर चेयर आईआईटी (दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मुंबई, रूड़की और मद्रास) में हैं, पांच (5) आईपीआर चेयर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलएसआईयू, बंगलौर, एनएएलएसएआर, हैदराबाद; डब्ल्यूबीएनयूजेएस, कोलकाता, एनएलआईयू, भोपाल और एनएलआईयू, जोधपुर में हैं) और दो (2) चेयर आईआईएम (कोलकाता और बंगलौर) में हैं। इन पीठों में से कुछ ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को तैयार किया है, संकाय सदस्यों की नियुक्ति की है और पूर्ण रूप से कार्य आरंभ कर दिया है, जबकि कुछ अन्य संचालन के विभिन्न चरणों में हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय'– बौद्धिक संपदा अधिकार चेयर के कार्यः योजना के मानदंडों के अनुसार, मंत्रालय को नीति समर्थन प्रदान करने के अतिरिक्त प्रत्येक मानव संसाधन विकास मंत्रालय–बौद्धिक संपदा अधिकार चेयर को उच्चकोटि के शोध कार्य करने होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च मूल्य के शैक्षिक प्रलेख तैयार होते हैं, आईपीआर अनुसंधान में रूचि

बनाने तथा बनाए रखने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आईपीआर सम्मेलन तथा आईपीआर मुद्दों पर एक सेमिनार अथवा कार्यशाला का आयोजन करना अपेक्षित होता है। आईपीआर व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने हेतु हाल ही में एमएचआरडी आईपीआर चेयर्स से संबंधित मानदंडों में संशोधन किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के उदय के साथ, सेवाओं में व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के उद्देश्य से, सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक व्यापक समझौता करने के लिए कई अग्रणी दौर की वार्ता हो चुकी हैं। शुरूआत में वे गैट्स के तहत संचालित की गईं और इनका ध्यान माल व्यापार पर संकेंन्द्रित रहा। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन के उदय के साथ इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ और इसमें सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा को शामिल किया गया। शिक्षा को, 12 सेवाओं में से एक सेवा के रूप में पहचाना गया है।

गैट्स की आधारभूत संरचना:

- मुख्य पाठ में निहित सामान्य दायित्व और विषय (अर्थात् एमएफएन);
- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियमों से संबंधित संलग्नक;
- प्रत्येक सदस्य का दायित्व है कि वह सदस्य बाजार तक पहुंच प्रदान कराए, किसी अनुप्रयुक्त अनुप्रयोग (अर्थात् बाजार तक पहुंच, राष्ट्रीय व्यवहार तथा संदर्भ पत्रों का पालन) उपलब्ध कराए।

''सरकारी अधिकार का प्रयोग करते हुए सेवाओं की आपूर्ति'' को छोड़कर, गैट्स सभी सेवा क्षेत्रों के लिए सिद्धांत रूप में लागू होता है। ये वे सेवाएं हैं जिनकी आपूर्ति न तो वाणिज्यिक आधार पर की जाती है और न ही अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा में। इन पर वार्ता, 'प्रस्ताव' और 'अनुरोध' के दृष्टिकोण की रूपरेखा के तहत होती है। देशों द्वारा उनके आंतरिक बाजार के लिए उपयोग हेतु व्यापार पाने के लिए विदेशी सेवा प्रदाता को प्रस्ताव भेजा जाता है। इसी प्रकार से देशों द्वारा अपने बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपने साथियों से अनुरोध किया जाता है। गैट्स सेवाओं के व्यापार को, आपूर्ति के चार मोड के माध्यम से होने वाले व्यापार के रूप में परिभाषित करता है जो सभी शिक्षा के लिए प्रासंगिक हैं।

गैट्स/डब्ल्यूटीओ व्यापार के निम्नलिखित चार मोड का उल्लेख शिक्षा सेवा सहित, सेवाओं के रूप में करता है:

- **सीमा पार आपूर्ति:** इंटरनेट (दूरस्थ शिक्षा, टेली शिक्षा, शिक्षा परीक्षण सेवाओं) के माध्यम से शिक्षा सेवाओं का संवितरण।
- **विदेश में उपभोग:** उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों का एक देश से दूसरे देश में आना–जाना।
- **वाणिज्यिक उपस्थिति:** विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य देशों में स्थानीय शाखा कैंपसों अथवा सहायक संस्थाओं की स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां प्रदान करने के लिए घरेलू निजी कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रमों की पेशकश, ट्विनिंग, फ्रेंचाइसिस।
- **प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन:** विदेशों में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों, व्याख्याताओं और शिक्षा कर्मियों का अस्थायी आवागमन।

इन विधियों में से प्रत्येक में, बाजार तक पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार की शर्त पर अपवाद दिए जा सकते हैं। ''शिक्षा सेवा'' के तहत उच्च शिक्षा क्षेत्र को खोलने के लिए भारत की ओर से संशोधित प्रस्ताव इस शर्त के साथ था कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस वसूल करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते यह फीस कैपिटेशन शुल्क या मुनाफाखोरी के लिए न हो। उच्चतर शिक्षा सेवाओं के प्रावधान भी उन नियमों की शर्त पर आधारित हों जो पहले से ही स्थापित हों अथवा उन्हें उचित नियामक प्राधिकरण ने निर्धारित करना हो।

शिक्षा के क्षेत्र में गैट्स के तहत मुख्य उप क्षेत्र हैं:

- प्राथमिक शिक्षा (सीपीसी 921)
- माध्यमिक शिक्षा (सीपीसी 922)
- उच्चतर शिक्षा (सीपीसी 923)
- माध्यमिक उपरांत तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष
- प्रौढ़ शिक्षा और (सीपीसी 924)
- अन्य शिक्षा (सीपीसी 929)।

सभी कार्यक्रमों के दो खण्ड हैं: (i) क्षैतिज प्रतिबद्धता खण्ड, जो उन सीमाओं को स्थापित करता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों पर लागू होती हैं; और (ii) सेवाओं का वह विशेष व्यापार, जो किसी क्षेत्र विशेष अथवा उप क्षेत्र पर लागू होता है। किसी देश के क्षेत्र विशेष की विशिष्ट प्रतिबद्धता का निर्धारण करने में, समग्र क्षैतिज प्रतिबद्धताओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सेवा अनुसूची में दी गई एक ''विशिष्ट प्रतिबद्धता'' देश की अनुसूची में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध सेवा के लिए बाजार तक पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने से संबंधित प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं और एक बार यदि किसी विशिष्ट प्रकार की प्रतिबद्धता कर दी जाती है, तब वह सरकार ''बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार के उस विशिष्ट स्तर तक के लिए बाध्य होती है और बाद में, उसके लिए ऐसे उपाय नहीं किए जाएंगे जो उन बाजारों में उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर देंगे।

बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार की प्रतिबद्धताएं और सीमाएं प्रत्येक से संबंधित आपूर्ति की विधि के रूप में सेवा अनुसूची में प्रविष्ट होती हैं। इसलिए, उच्चतर शिक्षा सेवाओं के उप क्षेत्र से संबंधित प्रतिबद्धता (जो शिक्षा सेवा उप क्षेत्र के भीतर है और परिणामस्वरूप शिक्षा सेवाओं के व्यापक क्षेत्रीय वर्गीकरण के भीतर है) के आठ केन्द्र होंगेः इनमें से 4 बाजार प्रवेश के कॉलम में (आपूर्ति की 4 भिन्न रीतियों में प्रत्येक के लिए एक) और 4 राष्ट्रीय व्यवहार की सीमाओं के कॉलम के अंतर्गत होंगे।

शिक्षा सेवा		
	बाजार प्रवेश	**राष्ट्रीय व्यवहार**
प्राथमिक शिक्षा सेवा (सीपीसी 921)	**निर्बाध**	
माध्यमिक शिक्षा सेवा (सीपीसी 922)		
उच्चतर शिक्षा सेवा (सीपीसी 923)	1) कुछ भी नहीं, इस शर्त के साथ होगा कि सेवा प्रदाता, विनियमों के शर्त पर होगा जो कि मूल उत्पत्ति के देश में घरेलू प्रदाता के लिए लागू हैं और भारत के घरेलू प्रदाता पर लागू हैं। 2) कुछ भी नहीं 3) ''कुछ भी नहीं'' की शर्त ये होगी कि वसूल की जाने वाली फीस को एक उचित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और यह कि उस फीस के आधार पर कैपिटेशन फीस अथवा मुनाफाखोरी नहीं की जाएगी, इसके अलावा बशर्ते इन विनियमनों को पहले ही स्थापित किया गया है और इन्हें उचित विनियामक प्राधिकरण में उल्लिखित किया जाना है। 4) क्षैतिज खंड में उल्लिखित अनुसार के अलावा निर्बाध।	1) कुछ भी नहीं 2) कुछ भी नहीं 3) इन्हें यूजीसी अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी से किसी प्रकार की सहायता अथवा सहयोग राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा अथवा वे घरेलू सेवा प्रदाता को उपलब्ध होने वाली किसी प्रकार की राज सहायता को प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। 4) क्षैतिज खंड में उल्लिखित अनुसार के अलावा निर्बाध।
प्रौढ़ शिक्षा सेवा (सीपीसी 924)	**निर्बाध**	
अन्य शिक्षा सेवा (सीपीसी 929)		

इन प्रविष्टियों में पढ़ा जाए कि ''कुछ भी नहीं'' का तात्पर्य है कि शिक्षा सेवाओं के राष्ट्रीय व्यवहार में किसी प्रकार की सीमाएं नहीं हैं और ये (1) सीमा पार आपूर्ति (2) विदेश में खपत और (3) वाणिज्यिक उपस्थिति से संबंधित हैं। शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति की ''विदेश में खपत'' रीति में बाजार प्रवेश की किसी प्रकार की सीमाएं भी नहीं हैं।

तथापि, जहां भी अनुसूची में ''निर्बाध'' निर्दिष्ट किया जाता है वह अभिज्ञात आपूर्ति की रीति के संदर्भ में और इसमें उल्लिखित शर्तों (जैसे कि एकाधिकार अथवा क्षैतिज प्रतिबद्धताओं की समाप्ति) के आधार पर बाजार प्रवेश तथा राष्ट्रीय व्यवहार पर सीमाएं लागू कर सकता है।

भारत में कॉपीराइट को लागू करना

वर्ष 2012 में यथा संशोधित कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अध्याय XII में अधिनियम की धारा 54–62 में सिविल उपचारों अर्थात् सूचना, हानि की व्यवस्था है। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी कृति या किसी अन्य अधिकार में कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में इस अध्याय के कारण होने वाले प्रत्येक मुकदमे या कोई अन्य दीवानी विवाद अपने क्षेत्राधिकार के तहत जिला न्यायालय में दायर होंगे। इसके अतिरिक्त, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अध्याय XIII में इस अधिनियम की धारा 63, 63ए, 63बी, 64, 65, 65ए, 65बी, 66, 67, 68, 68ए और 69 के तहत किए गए अपराधों के लिए दंडों की व्यवस्था है। राज्य सरकार अपने संबंधित पुलिस बलों के माध्यम से कॉपीराइट कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(i) कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी)

इसे, कॉपीराइट अधिनियम को लागू करने और अधिनियम को लागू करने में सुधार करने की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नवंबर 6, 1991 को स्थापित किया गया था। सीईएसी की अवधि तीन वर्षों की होती है और इसे तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्गठित किया जाता है। दिनांक 18.03.2013 को पुनर्गठित सीईएसी अप्रैल, 2015 में भंग कर दिया गया है तथा इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है।

(ii) नोडल अधिकारी

इस मंत्रालय के अनुरोध पर, सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों ने आईपीआर सेल/कॉपीराइट प्रवर्तन प्रकोष्ठ/विंग अथवा इकाई गठित की है तथा अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉपीराइट/बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने और कॉपीराइट प्रवर्तन तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (एनबीटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने और उन्हें जनसाधारण को कम दाम पर उपलब्ध कराना अधिदेशित है। ट्रस्ट के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने और देश में लोगों में पुस्तकों के प्रति रूचि पैदा करने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाना अधिदेशित है।

ट्रस्ट के कार्यकलाप

प्रकाशन

यह ट्रस्ट सामान्य पठन सामग्री का प्रकाशन करता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों तथा सभी आयु समूहों के लिए काल्पनिक कथाएं, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रकाशन शामिल होते हैं। यह ट्रस्ट नव साक्षरों, बालकों के लिए पुस्तकें तथा साक्षरता पश्चात उपयोग हेतु एक विस्तृत विविधतायुक्त पठन सामग्री का प्रकाशन भी करता है। एनबीटी प्रकाशन अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मामूली दाम पर होते हैं। एनबीटी द्वारा 21 श्रृंखलाओं के तहत पुस्तकें प्रकाशित होती हैं जैसे कि (क) भारत–देश और इसके लोग (ख) लोकप्रिय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान (ग) लोकगीत (घ) उन भारतीयों की राष्ट्रीय जीवनी और आत्मकथा जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया है (ङ) नेहरू बाल पुस्तकालय (च) रचनात्मक अध्ययन (छ) नव साक्षरों के लिए पुस्तकें (ज) विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक साहित्य के आदान–प्रदान से राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए आदान–प्रदान (झ) भारतीय साहित्य (ण) प्रवासी भारतीय अध्ययन (ट) सामान्य श्रृंखलाएं और (ठ) ब्रेल पुस्तकें।

भारत के प्रकाशन क्षेत्र में वर्तमान में तकनीकी विकास और विशेष रूप से युवाओं में पढ़ने के पैटर्न में बदलाव के कारण तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह ट्रस्ट अपने प्रकाशन और पुस्तकों से संबंधित संवर्धनात्मक गतिविधियों में अभिनव परिवर्तन लाते हुए इसे बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट, सभी विषयों पर सभी आयु समूहों के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकें प्रदान करने में सक्षम हो गया है। अपनी वर्तमान गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए, ट्रस्ट ने विभिन्न अल्प भाषाओं जैसे कि धुरबी, डोरली, गोंडी आदि में पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी विशेष प्रयास आरंभ कर दिए हैं। ट्रस्ट प्रकाशन की उन शैलियों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है जिन्हें महत्व के बावजूद भारत के अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ, राजीव गांधी–लोंगोवाल समझौते के अंतर्गत, ट्रस्ट द्वारा पंजाबी भाषा, इसके साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी में चुनिंदा पुस्तकें प्रकाशित करता है। वर्ष 2015 के दौरान, ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 656 शीर्षकों का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है:

वर्ष 2015 में एनबीटी द्वारा प्रकाशित शीर्षकों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	मूल	अनुवादित	पुनः मुद्रित	संशोधित	कुल
1.	असमिया	0	1	52	0	53
2.	बंगला	12	4	45	2	63
3.	भीली	3	0	0	0	3
4.	अंग्रेजी	18	2	88	3	111
5.	गोंडी	2	0	0	0	2
6.	गुजराती	1	1	0	0	2
7.	हलबी	3	0	0	0	3
8.	हिन्दी	48	23	176	3	250
9.	कन्नड़	1	7	33	0	41
10.	मैथिली	1	0	0	0	1
11.	मलयालम	0	8	5	0	13
12.	मराठी	2	0	42	1	45
13.	उडिया	5	6	6	0	17
14.	तमिल	0	9	3	1	13
15.	तेलुगू	1	6	31	0	38
16.	तिब्बती	0	1	0	0	1
	कुल	**97**	**68**	**481**	**10**	**656**

एनीबीटी प्रकाशनों की बिक्री और वितरण

एनबीटी प्रकाशनों को वर्तमान में प्रत्यक्ष बिक्री, एजेंटों, वितरकों और राज्य सरकारों को थोक आपूर्ति के माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। प्रकाशनों का विक्रय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगलौर में स्थित एनबीटी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एनबीटी पुस्तकें अब कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर भी उपलब्ध हैं। एनबीटी की पुस्तकें संपूर्ण देश के एनबीटी पुस्तक संवर्धन केन्द्रों पर भी बेची जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने 11,63,84,330.11 (लगभग) रूपए के प्रकाशन की कुल बिक्री दर्ज की है।

देश में पुस्तक मेलों का आयोजन और अन्य पुस्तक संवर्धन गतिविधियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने देशभर में छः पुस्तक मेलों का आयोजन किया जिनमें इटानगर पुस्तक मेला (28 मार्च – 5 अप्रैल, 2015); धर्मपुरी पुस्तक मेला (2–10 मई, 2015); शिलांग पुस्तक मेला (8–16 जून, 2015); देहरादून पुस्तक मेला (12–20 सितम्बर 2015); उदयपुर पुस्तक मेला (3–11 अक्टूबर, 2015) और पटना पुस्तक मेला (24 नवंबर– 2 दिसंबर 2015) शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न्यास ने कई पुस्तक मेलों, साक्षरता गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के जरिए पूर्वोत्तर में अपनी पुस्तक संवर्धन गतिविधियों में वृद्धि की, इटानगर और शिलांग में आयोजित पुस्तक मेलों के अतिरिक्त ट्रस्ट ने गंगटोक (23–31 मार्च 2016) और अगरतला (7–14 जुलाई 2015) में पुस्तक प्रकाशन में दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, गंगटोक, सिक्किम (29–30 अप्रैल 2015) में एक साक्षरता इवेंट टेन, टेन का आयोजन किया गया तथा 31 अक्टूबर, 2015 को गुवाहाटी में एक बुक रिलीज समारोह का आयोजन किया गया।

ट्रस्ट ने पुस्तकों के प्रति अभिरूचि पैदा करने और एनबीटी को पुस्तकें घाटी के लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए जम्मू

और कश्मीर में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने श्रीनगर में 1 से 2 सितंबर 2015 तक 'कश्मीरी भाषा की वर्तमान स्थिति और संरक्षण' संबंधी दो–दिवसीय सेमीनार का भी आयोजन किया गया। चार–दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2016 का आयोजन

ट्रस्ट ने 9 से 17 जनवरी 2016 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया। यह मेला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के सहयोग से आयोजित किया गया। श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार ने मेले का उद्घाटन किया।

मेले का विषय *विविध भारतः* भारत की सांस्कृतिक विरासत था जिसमें उस दर्शन, ज्ञान–परंपरा तथा बहु–भाषीय साक्षरता पद्धतियों पर जोर दिया गया जिसने देश की संस्कृति को ढाला है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1,000 से अधिक पुस्तकें प्रदर्शित की गई और भारतीय स्क्रिप्ट तथा पांडुलिपि के विकास का प्रदर्शन किया गया। माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा उद्घाटित थीम पवेलियन में एनबीटी द्वारा प्रकाशित नौ भाषाओं में युवा लेखकों द्वारा नवलेखन मेला और पुस्तक संस्कृति की नई पुस्तक श्रृंखला, एनबीटी के हिन्दी साहित्य जर्नल जारी किए गए थे।

इस वर्ष के मेले के लिए चीन मुख्य अतिथि देश था। चीनी पवेलियन में 10,000 से अधिक पुस्तकों के प्रदर्शन के साथ लगभग 70 प्रकाशक थे। विशेष प्रदर्शनी में चीनी भारतीय अनुवाद डिस्पले, चीनी भारतीय सांस्कृतिक संबंध फोटो प्रदर्शनी, प्राचीन चीन में प्रकाशन और मुद्रण तथा चीनी की चाय संस्कृति प्रदर्शनी शामिल थी। चीन के अतिरिक्त, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, अबुधाबी, मिश्र, सउदी अरब, इंडोनेशिया, पोलेंड, शारजाह, इरान सहित 30 से अधिक देश तथा डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मेले में भाग लिया। उन्हें विदेशी पवेलियन में स्थान दिया गया जिसमें विजिटरों को विश्व की परंपरा और संस्कृति की झलकियां प्रस्तुत की गई । मेले के भव्य आकर्षणों में बच्चों की भागीदारी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 100 से अधिक गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किए, आर्थर्स कार्नर, सीईओ स्पीक और न्यू दिल्ली राइटस टेबल शामिल थे।

विदेश में भारतीय पुस्तकों का संवर्धन

विदेशों में भारतीय पुस्तकों के संवर्धन के लिए ट्रस्ट ने विभिन्न भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित भारतीय प्रकाशनों के प्रतिनिधि के क्रॉस वर्ग का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया। वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने प्रख्यात लाहौर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (5–9 फरवरी, 2015); हवाना अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (13–20 फरवरी, 2015); बोलोगना बाल पुस्तक मेले (30 मार्च– 2 अप्रैल, 2015); आबु धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (7–13 मई, 2015); वारसा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (14–17 मई, 2015); नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (21–29 अगस्त, 2015); बीजींग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (26–30 अगस्त, 2015); इंडोनेशिया अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (2–6 सितम्बर, 2015); कोलम्बो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (18–27 सितम्बर, 2015); सिओल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (7–11 अक्टूबर,2015); फ्रैंकफर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (14–18 अक्टूबर 2015) और शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले (4–14 नवम्बर, 2015) सहित 12 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया।

एनबीटी एफएपी

विदेशों में भारतीय पुस्तकों का संवर्धन करने के लिए ट्रस्ट ने उन विदेशी प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता कार्यक्रम (एफएपी) आरंभ किया है जो भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के इच्छुक हैं। वर्ष के दौरान तीन पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता दी गई थी जिनमें अम्बई द्वारा लिखित और कालाचुवाडु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित अम्बई की चुनिंदा कहानियां के फ्रैंच में अनुवाद, एनबीटी को दो पुस्तकों मनोज दास द्वारा लिखित माई लिटिल इंडिया, तथा एन.ए.वोहरा व सब्यसाची भट्टाचार्य द्वारा संपादित लूकिंग बैकः इंडिया इन टवेल्थ संचुरी को उनके कोरियाई में अनुवाद के लिए वित्तीय सहायता दी गई। अम्बई की चुनिंदा कहानियों के फ्रैंच अंक का प्रकाशन एडिशन्स जुलमा, पेरिस द्वारा और एनबीटी पुस्तकों के कोरियाई अंक का प्रकाशन बुकशी पब्लिशिंग कं., सिओल द्वारा किया गया।

पुस्तक परिक्रमा– ग्राम स्तरीय सचल प्रदर्शनी का आयोजन

ट्रस्ट, संपूर्ण देश में जहां पर्याप्त पुस्तकों की दुकानें नहीं है वहां दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण स्तरीय पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करता रहा है। अभी तक पूर्वोत्तर राज्यों सहित संपूर्ण देश में 12000 से भी अधिक मोबाइल प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 11 राज्यों में लगभग 927 स्थानों पर मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र (एनसीसीएल)

राष्ट्रीय बाल साहित्यक केन्द्र की स्थापना भारत की सभी भाषाओं में बच्चों के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। एनसीसीएल, देश में बच्चों की पुस्तकों के सृजन और अनुवाद तथा बच्चों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन की मॉनीटरिंग, संयोजन, योजना और सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनसीसीएल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, बच्चों के साहित्य के तीव्र और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त भारतीय और विदेशी सामग्री और विशेषता को उपलब्ध कराना है। एनसीसीएल स्कूल में रीडर क्लब के माध्यम से बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित भी करता है और माता–पिता, शिक्षकों, शिक्षाविदों और योजनाकारों के बीच बच्चों के साहित्य पर सूचना को प्रोत्साहित करता है। स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित और विकसित करने की दृष्टि से एनसीसीएल देशभर में स्कूलों में रीडर क्लब स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है और बच्चों के साहित्य से संबंधित सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

अब तक देशभर में 35,200 रीडर क्लब स्थापित किए जा चुके हैं। समीक्षा अवधि के दौरान एनसीसीएल ने देशभर के विभिन्न भागों मीट–दी–आर्थर कार्यक्रम, कहानी सुनाने के सत्र, कार्यशालाएं, सेमिनार, पाठक क्लब अभिमुखी कार्यक्रम और अन्य बच्चों के कार्यकलापों के अतिरिक्त 200 रीडर क्लब स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, रीडर क्लब बुलेटिन के 7 मासिक संस्करणों (जून 2015 से मासिक/त्रैमासिक) बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए द्विभाषी पत्रिका भी निकाली हैं। इस अवधि के दौरान, देश के विभिन्न स्थानों में 64 कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

एनबीटी स्थापना दिवस का आयोजन

58वें स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में ''बुक्स एंड रीडिंग्स इन टूडेस इंडिया'' पर दिनांक 01.08.2015 को एनबीटी मुख्यालय, वसन्त कुंज में चौथा एनबीटी स्थापना दिवस समारोह का व्याख्यान आयोजित किया गया। प्रो. कपिल कपूर, कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा और अध्यक्ष, एमएचआरडी व्यापक भाषा नीति संबंधी विशेष समिति इस अवसर पर अतिथि वक्ता थे।

पुस्तक क्लब

बुक क्लब योजना, पुस्तकों और सर्वसाधारण के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। इस अवधि के दौरान, ट्रस्ट द्वारा बुक क्लब के 1323 नए सदस्यों को नामांकित किया है। इस योजना में सभी एनबीटी प्रकाशनों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

सेमिनार, कार्यशालाओं और पुस्तकों के विमोचन तथा प्रकाशकों और मीट द आथर कार्यक्रम जैसी साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन

वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने सेमीनार; मीट–द–ऑथर कार्यक्रम, पुस्तक संवर्धन हेतु कार्यशाला तथा 'बच्चों एवं युवा पाठकों के लिए योग संबंधी विकास पुस्तकें' संबंधी कार्यशाला सहित पुस्तक रिलीज समारोह, एनबीटी द्वारा हाल में प्रकाशित द इंटरनेटः ए रिवोलयुशन इन प्रोग्रेस, मधुरंतकम राजाराम उत्तम

कठालु जारी करना इत्यादि, अन्यों में 'समकालीन समय में पुस्तकों की भूमिका' शामिल हैं।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रस्ताव लेखन प्रतिस्पर्धा के रूप में स्कूली छात्रों के लिए अन्य एशियाई देशों के साथ भारत के एतिहासिक संबंधों का पता लगाने के लिए **शोध यात्री प्रतिस्पर्धा** का आयोजन किया।

रक्षा मंत्रालय की मदद से विकसित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत द्वारा प्रकाशित **वीरगाथा** श्रृंखला के तहत बच्चों के लिए पांच पुस्तकों के सेट को 67वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर जारी पांच पुस्तकें मेजर सोमनाथ शर्मा (1947 युद्ध), मेजर शैतान सिंह (1962 युद्ध), सीक्यूएमएच अब्दुल हामिद (1965 युद्ध), द्वितीय लेफटिनेंट अरूण खेत्रपाल (1971 युद्ध) और लेफटिनेंट मनोज कुमार पांडे (1999 कारगिल युद्ध) सहित परमवीर चक्र प्राप्त कर्ताओं की बहादुरी का वर्णन चित्रित है।

वीरगाथा श्रृंखला में बच्चों में शुरूआती चरण में प्रेरणा और देशभक्ती की भावना पैदा करने के लिए परमवीर चक्र पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं की बहादुरी के किस्से शामिल करने की परिकल्पना है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं वर्षगांठ के आयोजन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने देशभर में कई साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिसमें हैदराबाद में पुस्तक संवर्धन केन्द्र में 'सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और कार्य' विषय पर एक वार्ता; गुवाहाटी, असम में एनबीटी के शीर्षक गांधी पटेलः पत्र और भाषण के असमी में अनुवाद की पुस्तक जारी करना; गुजराती में शीर्षक आत्मप्रकाश एनबीटी पुस्तक जारी समारोह और कटक, ओडिसा में 'सरदार पटेल' पर एक वार्ता शामिल थे।

संविधान दिवस का आयोजन

देशभर में आयोजित पहले संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने 26 नवंबर 2015 को एनबीटी कान्फ्रेंस कक्ष में एक लेकचर प्रदान किया। डॉ. एस.सी. कश्यप, प्रख्यात राजनीतिक वैज्ञानिक भारतीय संविधान, संवैधानिक कानून पर विशेषज्ञ, प्रबुद्ध विद्वान इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे।

पुस्तक संवर्धन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ट्रस्ट की पुस्तक संवर्धन गतिविधियों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन/पुस्तक मेले आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक/निजी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना प्रदान की। वर्ष 2015 के दौरान पुस्तक मेले/प्रदर्शनी/सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए अनुमोदित व्यय के 75% को पूरा करने के लिए ट्रस्ट द्वारा 226 संगठनों को अनुदान जारी किया गया।

पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

ट्रस्ट, प्रकाशन उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों का टेलेंट पुल बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पुस्तक प्रकाशन में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अगरतला, गंगटोक और उदयपुर में तीन अल्पावधि प्रकाशन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी (आईएसबीएन)

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी (आईएसबीएन), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय प्रकाशकों, लेखकों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों जो पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी हैं, के कार्यों को पंजीकृत करने में संलग्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या होती है जो कि मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए बनी है।

यह प्रणाली स्वदेशी प्रकाशनों के संवर्धन तथा प्रकाशकों की पहचान में सहायक होती है। 13 डिजिट की मौजूदा आईएसबीएन प्रणाली 01.01.2007 से लागू है।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा आवंटित पांच वर्ग हैं जिनके तहत प्रकाशक पंजीकृत किए जाते हैं और आवंटित संख्या उनकी आवश्यकता/उत्पादन पर निर्भर होती है।

आईएसबीएन के लिए राष्ट्रीय राजा राम मोहन राय एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी, लंदन की सदस्य है। राष्ट्रीय एजेंसी ने 1 जनवरी, 2015 से दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान, विभिन्न वर्गों के तहत 4696 भारतीय प्रकाशकों को पंजीकृत किया है जो निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	पंजीकरण की संख्या
2	02
3	44
4	850 (लगभग)
5	1600 (लगभग)
एकल आईएसबीएन (लेखक–सह–प्रकाशक)	2200 (लगभग)
कुल	4696 (वर्ष 2014–15) 01.01.2015 से 31.12.2015 तक

★★★★★

अध्याय 11

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूनेस्को

अध्याय 11

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूनेस्को

भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग (आईएनसीसीयू)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के साथ सहयोग के लिए नोड्ल मंत्रालय है। भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में पांच उप–आयोग से मिलकर बना है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आयोग की अध्यक्ष हैं और सचिव (उच्चतर शिक्षा) इसके पदेन महासचिव हैं।

यूनेस्कों से संबंधित मुख्य कार्यकलाप

भारत के स्थाई प्रतिनिधिमंडल का यूनेस्को पेरिस दौरा, प्रधानमंत्री जी का यूनेस्को दौरा : 10 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने संगठन की 70वीं वर्षगांठ में भाग लेने के लिए पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय का दौरा किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूनेस्को का यह अब तक का पहला दौरा था। प्रसन्नचित, उमड़े हुए श्रोताओं से बोलते हुए प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर भारत के संगठन से रिश्ते के महत्व पर जोर दिया। उनके भाषण से पहले प्रधानमंत्री जी और यूनेस्को के महानिदेशक के बीच एक द्विपक्षीय बैठक रखी गई जिसने भारत और यूनेस्को के बीच इसके आगे सहयोग के क्षेत्रों को चिन्हित किया।

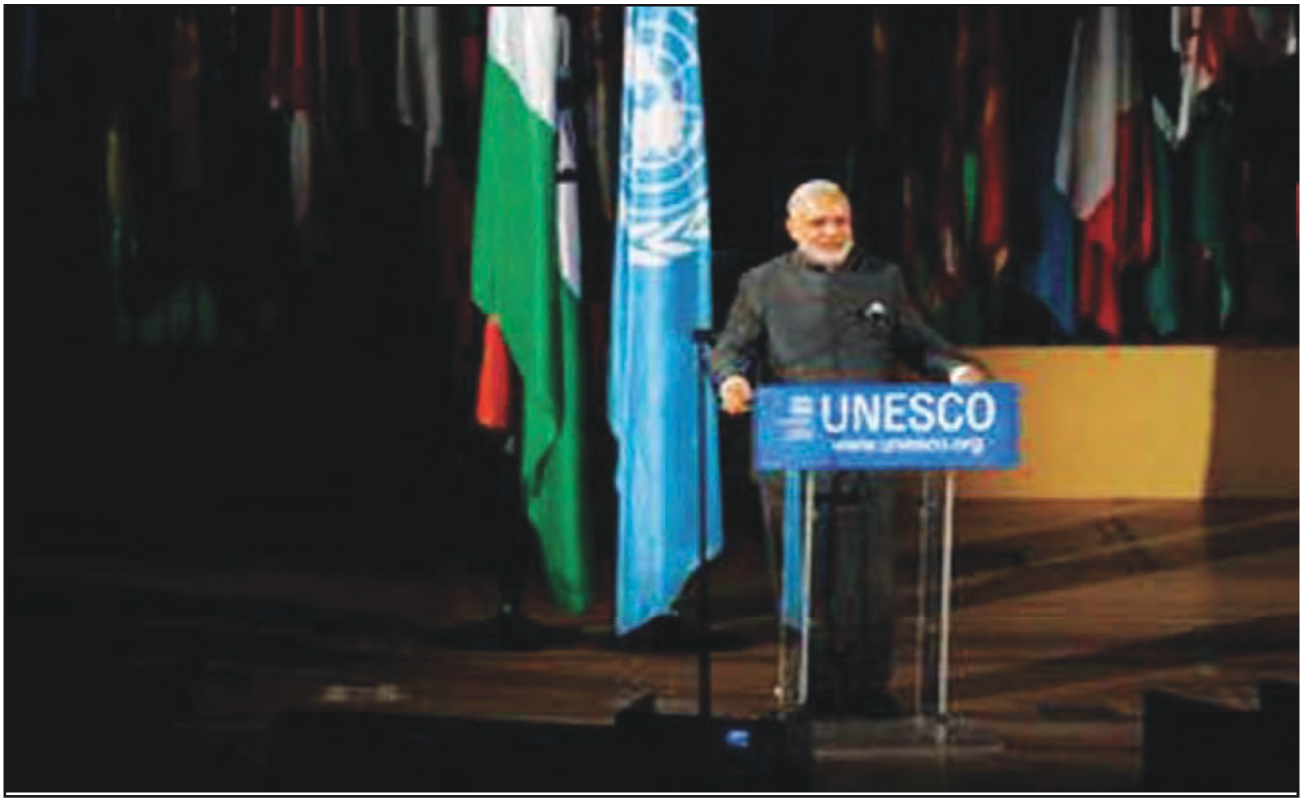

मा. प्रधान मंत्री यूएनईएससीओ सभी को संबोधित करते हुए (10 अप्रैल, 2015)

आम सभा : यूनेस्को की आम सभा का 38वां सत्र 3–18 नवंबर, 2015 तक चला। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने राज्यों/सरकारों के प्रमुखों के साथ 16–17 नवंबर, 2015 को नेतृत्व फोरम में भाग लेते हुए, सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। पेरिस आतंकी हमलों के परिणामस्वरूप एचआरएम की भागीदारी ने यूनेस्को को सहयोग के लिए मजबूत प्रदर्शन के साथ–साथ फ्रांस के साथ सहयोग एवं भाईचारा के मजबूत संकेत दिए। नेतृत्व फोरम मंडल में एचआरएम ने यूनेस्को के महानिदेशक के साथ एक द्विपक्षीय बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत की यूनेस्कों के साथ सहयोग की सम्पूर्ण श्रेणी को कवर किया जिसमें एक सहयोगात्मक भागीदारी के लिए नई परियोजनाओं को भी चिह्नित किया गया।

16–17 नवम्बर, 2015 को यूनेस्को के अपने दौरे के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री सुश्री स्मृति जुबिन मेहता यूनेस्को के महानिदेशक के साथ।

आम सभा ने नामीबिया गणराज्य के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उप मंत्री **श्री स्टेनली मुतुम्बा सिमाता** को दो वर्ष की अवधि के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में चुना। अम्बेसेडर/पीआर ने 6 नवंबर, 2015 की आम सभा में भारत की राष्ट्रीय नीति के बारे में बताया।

कार्यकारी बोर्ड: यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का 196वां सत्र 8 से 23 अप्रैल, 2015 तक आयोजित हुआ। भारत के कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ. करण सिंह ने कार्यकारी बोर्ड सत्र में भाग लिया और पूर्ण वाद–विवाद में राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। इसकी बैठक के दौरान, कार्यकारी बोर्ड ने अगले द्वि वर्षीय 2016–17 के लिए बजट और यूनेस्को के कार्यक्रम एवं बाद–2015 विकास एजेंडा में यूनेस्को की भागीदारी सहित यूनेस्को के कार्यकलाप तथा कार्यक्रम से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का 197वां सत्र 7–22 अक्तूबर, 2015 तक चला। भारत के कार्यकारी बोर्ड के प्रतिनिधि डॉ. करण सिंह सत्र में सम्मिलित हुए और पूर्ण वाद–विवाद के दौरान राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। कार्यकारी बोर्ड सत्र के दौरान महत्वपूर्ण मुद्दों में विचार–विमर्श किए गए मुद्दों में थे : सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक बहुलवाद का संवर्धन तथा संस्कृति की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के कदम का मजबूरीकरण; कोसोको गणराज्य को यूनेस्को में शामिल करने का अनुरोध; हिंसक अतिवाद को रोकने के उपकरण के तौर पर शिक्षा के संवर्धन में यूनेस्को की भूमिका।

अंतराष्ट्रीय योगा दिवसः 19 जून, 2015 को भारत के स्थाई प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूनेस्को में अंतराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। इस समारोह में योगाचार्य श्री बी.के.एस आयंगर के शिष्य, श्री फाईक बिरिया के द्वारा प्रस्तुतीकरण तथा पेरिस में आयंगर योगा केन्द्र के विद्यार्थियों द्वारा संगीतमय योगा प्रदर्शन की प्रस्तुती शामिल थी। इस अवसर पर सुश्री निवेदिता जोशी द्वारा पुस्तक 'योगिकास्पर्श' जोकि दृष्टि बाधितों के लिए ब्रेल में एक विशिष्ट योगा ग्रन्थ है, का विमोचन किया गया। समारोह का समापन एक छोटे से ध्यान से हुआ जिसमें सभी सम्मिलित हुए तथा इसकी प्रशंसा की गई।

19 जून, 2015 को यूनेस्को में आंतरिक योग दिवस का उत्सव

श्रीश्री रविशंकर का दौरा : 24 अप्रैल, 2015 को श्री श्री रविशंकर ने अंतर–आस्था एवं अंतर–सांस्कृतिक सामंजस्य पर यूनेस्को सदस्य राज्यों के खसाखस भरे श्रोतागणों को संबोधित किया, जो निकटतम रूप से यूनेस्को के ही आदेशों को प्रतिध्वनित करते हैं। इस समारोह ने भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर की प्रशंसा में वृद्धि की।

24 अप्रैल, 2015 को यूनेस्को को संबोधित करते श्री श्री रविशंकर

यूनेस्को कॉमनवेल्थ समूह :

अगले वर्ष के लिए अपनी अध्यक्षता को जारी रखने हेतु सौंपे गए समूह के साथ भारत ने यूनेस्को कॉमनवेल्थ समूह की अपनी अध्यक्षता जारी रखी। यूनेस्को कॉमनवेल्थ समूह के अध्यक्ष के रूप में भारत के अम्बेसेडर/पीआर ने इस वर्ष इस समूह की अनेक बैठके संचालित की। यह यूनेस्को के मेनू में मूल मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने, साथ ही यूनेस्को में ऐसी सभी गतिविधियों पर जानकारी एवं सर्वोत्तम पद्धति, विचार के आदान–प्रदन का प्रयास करता है।

शिक्षा

विश्व शिक्षा फोरम इनकियोन, कोरिया गणराज्य, 21 मई, 2015

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की अगुवाई वाले शिष्टमंडल ने विश्व शिक्षा फोरम में भाग लिया। फोरम ने इनकियोन की घोषणा :– अगले 15 वर्षों में शिक्षा के लिए रूपान्तरकारी दर्शन को अंगीकार किया। देश एवं वैश्विक शिक्षा समुदाय एकल शिक्षा एजेंडा–शिक्षा 2030 के लिए प्रतिबद्ध है जो साकल्यवादी, महत्वाकांक्षी, समावेशी और आकांक्षी है। यह घोषणा शिक्षा 2030 एजेंडा का समन्वय करने तथा नेतृत्व के लिए इसकी आदेशित भूमिका को जारी रखने के लिए यूनेस्को को शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्रों के विशेषीकृत एजेंसी का कार्य सौंपता है। जबकि सभी लोग सभी के लिए शिक्षा हेतु प्रयत्नशील हैं ऐसे में भारत के दृष्टिकोण कि प्रत्येक देश की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और संसाधन को ध्यान में रखते हुए शिक्षा 2030 एजेंडा प्रासंगिक होना चाहिए, को इनकियोन में उपस्थित सदस्य राज्यों का बहुमत से व्यापक समर्थन मिला।

आईसीटी एवं 2015 के बाद की शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किंगडाओ, चीन जन गणराज्य, 23–25 मई, 2015

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी ने आईसीटी एवं 2015 के बाद की शिक्षा पर किंगडाओ में हुए सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सम्मेलन के समापन पर शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर किंगडाओ घोषणा को मंजूरी दी गई। यह घोषणा नए संधारणीय विकास उद्देश्यों में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आईसीटी के उपयोग का संवर्धन करता है।

शिक्षा 2030 कार्रवाई हेतु ढांचा (एफएफए) का अंगीकरण

4 नवंबर, 2015 को 38वीं यूनेस्को आम सभा के साथ बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा 2030 कार्रवाई हेतु ढांचा (एफएफए) का अंगीकरण एवं शुरूआत की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में 70 से ज्यादा मंत्री सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि, संयुक्त राज्य, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसिया, सिविल सोसायटी, क्षेत्रीय संगठन, शिक्षण व्यवसायी, अकादमिक, युवा एवं निजी क्षेत्रों ने भाग लिया। ईएफए शिक्षा पर संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) 4 के कार्यान्वयन के लिए देशों को मार्गदर्शन मुहैया कराता है। मई, 2015 में कोरिया गणराज्य, इनकियोन में विश्व शिक्षा फोरम में एफएफए के मूलभूत तत्वों पर सहमति दी गई।

2015 के बाद की शिक्षा एजेंडा के लिए संकेतकों पर तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) बैठक, यूनेस्को, पेरिस, 22–23 सितंबर, 2015

इन लक्ष्यों की महत्वकांक्षाओं में अच्छी तरह से पकड़ बनाने वाले एक संकेतक ढांचे की सिफारिश के साथ–साथ 2015 के बाद एजेंडा के शिक्षा लक्ष्यों के प्रतिपादन पर विद्यमान तकनीकी सलाह मुहैया कराने के लिए प्रोफेसर जनदयाल

बी.जी.तिलक, कुलपति, एनयूईपीए एव श्री बी.एन.तिवारी डीडीजी (सांख्यिकी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2015 के बाद शिक्षा संकेतक (टीएजी) पर तकनीकी सलाहकार समूह की चर्चा में भाग लिया। शिक्षा (लक्ष्य 4) से संबंधित संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लिए शिक्षा हेतु विषयगत संकेतकों का एक व्यापक ढांचा तथा वैश्विक संकेतकों के एक लघु ढांचे को परिभाषित करने में तकनीकी सलाहकार समूह (टैग) ने एक केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह किया।

'संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति : शिक्षा एवं अधिगम पुनर्चिन्तन' पर एमजीआईईपी सत्र, 5 नवंबर, 2015

5 नवंबर को महात्मा गांधी शांति एवं संधारणीय विकास शिक्षा संस्थान (एमजीआईईपी) के साथ पीडीआइ ने 'संधारणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति : शिक्षा एवं अधिगम पुनर्चिन्तन' विषयक कार्यक्रम का अलग से आयोजन किया। डॉ. ए.दुरईअप्पा निदेशक, एमजीआईईपी ने एक एमजीआईईपी ऑनलाईन वेल्थ जनरेटर गेम को प्रस्तुत करते हुए एक पारस्परिक सत्र के माध्यम से शिक्षा 2030 एजेंडा में एमजीआईईपी की भागीदारी का अवलोकन मुहैया कराया। उन्होंने युवाओं पर एमजीआईईपी के हाल ही के सर्वेक्षणों से ग्रहण किए मूल अध्यायों को साझा किया जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिगम एवं नवीन ज्ञान प्राप्त करने तथा सक्षमता के नए और नवाचार तरीकों की जरूरत को सुझाता है। इस सत्र में अन्य सदस्य राज्यों एवं संस्थानों के लिए एमजीआईईपी के साथ सहयोग के लिए मार्गों पर भी जोर दिया गया।

2015 सभी के लिए शिक्षा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय आरंभ, नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

9 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में 2015 सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) वैश्विक निगरानी रिपोर्ट (जीएमआर) का अंतर्राष्ट्रीय आरम्भ हुआ। इसका शुभारंभ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी के द्वारा हुआ। ईएफए जीएमआर शिक्षा पर यूनेस्को का प्रकाशन है। यह वैश्विक प्रतिष्ठा का मूल निगरानी एवं समर्थन माध्यम है जो शिक्षा नीति निर्माण की जानकारी देता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति विचार–विमर्श को प्रभावित करता है।

संस्कृति

सांस्कृतिक संपत्तियों की अवैध तस्करी पर 1970 कन्वेंशन

सांस्कृतिक संपत्तियों के अवैध आयात–निर्यात एवं स्वामित्व के अंतरण को निषेध करने व रोकने पर 18 से 20 मई, 2015 को आयोजित 1970 यूनेस्को कन्वेंशन की राज्य दलों की बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण विकास की कड़ी में भारत का सर्वसम्मति से चार साल की अवधि के लिए कन्वेंशन की सहायक समिति में चुना गया। यह चुनाव इस तथ्य के नजरिए से महत्वपूर्ण था कि सांस्कृतिक संपत्तियों की वापसी/प्रत्यास्थापन के मुद्दे भारत सरकार के विशेष हित के हैं। राज्य दलों की बैठक ने कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए संचालन दिशा–निर्देशों को भी अपनाया। सहायक समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों के रूप में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में 28 से 30 सितंबर, 2015 को आयोजित समिति की बैठक में भाग लिया। इस बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2015–17 के लिए समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया।

विश्व धरोहर कन्वेंशन

विश्व धरोहर समिति के सदस्य एवं उपाध्यक्ष के रूप में, 28 जून से 8 जुलाई, 2015 तक बॉन (जर्मनी) में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 39वें सत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय भूमिका निभाई। उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए, समिति के सभी विचार–विमर्श में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के अलावा, भारतीय अम्बेसेडर/पीआर ने जर्मनी के साथ–साथ विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की। भारतीय शिष्टमंडल ने विश्व धरोहर कन्वेंशन के संचालन दिशा–निर्देशों के महत्वपूर्ण संसाधनों के अंगीकरण में भी अत्यधिक योगदान दिया है जो नामांकन के मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता तथा परामर्श/संवाद के संवर्धन से संबंधित है। समिति में भारत की भूमिका की अन्य सदस्य राज्यों द्वारा अत्यंत प्रशंसा की गई।

भारतीय शिष्टमंडल ने 18 से 20 नवंबर, 2015 को यूनेस्को में आयोजित मुख्यालय में आयोजित विश्व धरोहर कन्वेंशन की राज्य दलों की आम सभा के 20वें सत्र में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक में विश्व धरोहर कन्वेंशन के नौ नए सदस्यों का चुनाव किया गया। भारत उन सदस्यों में एक था जिन्होंने इस वर्ष समिति में अपनी अवधि पूर्ण की।

अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर

भारतीय शिष्टमंडल ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर, 2015 को विंडहोएक नामीबिया में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अंतर–सरकारी समिति के 10वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत समिति का सदस्य एवं उपाध्यक्ष है। भारत ने अनेक सदस्य राज्यों के मुद्दो का समर्थन किया जिन्होंने इस विषय के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी।

विज्ञान

अंतर–सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी)

जून, 2015 में आईओसी सभा के 48वें सत्र के दौरान आयोजित चुनावों में भारत को अंतर–सरकारी आयोग (आईओसी) के कार्यकारी परिषद् के लिए चुना गया।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा की स्वर्ण जयन्ती मनाने हेतु हिंद महासागर पर अंतराष्ट्रीय संगोष्ठी और अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान (आईआईओई) के समापन की 50वीं वर्षगांठ, 30 नवंबर– 4 दिसंबर, 2015, गोवा

30 नवंबर से 4 दिसंबर तक आईआईओई की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अन्य देशों से 150 प्रतिभागीयों सहित 600 से भी ज्यादा प्रतिभागीयों ने भाग लिया। आईआईओई–2 का आरंभ 4 दिसंबर 2015 संगोष्ठी के समापन दिवस पर हुआ। ऑन बोर्ड इंडियन रिसर्च वेसेल सागर निधि पर पहले अभियान को इसी समय हरी झंडी दी गई।

भारत द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महासागर अभियान की 50वीं वर्षगांठ पहले से संबंधित गतिविधियों के समन्वय की अगुवाई कर रहा है जिसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भू–विज्ञान मंत्रालय ने आईओसी और यूनेस्को में अन्य सदस्य देशों के साथ 2015–2020 के दौरान आईआईओई–2 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करने के लिए आईएनसीओआईएस हैदराबाद में एक परियोजना कार्यालय की स्थापना की है।

कलिंग पुरस्कार

4 नवंबर 2015 को बुडापेस्त, हंगरी में विश्व विज्ञान फोरम के समारोह में ब्यूनस एयरेस, अर्जेंटीना में यूनिवर्सिटी ऑफ किल्मेस के प्रोफेसर डिगों एन्ड्रेस गोलोमबेक को विज्ञान की लोकप्रियता बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। ओडीसा, भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री बिजू पटनायक से दान के पश्चात् 1951 में यूनेस्को द्वारा शुरू विज्ञान की लोकप्रियता बनाने के लिए यूनेस्को कलिंग पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का पुरस्कार है। प्रति दो वर्ष में 5000 डॉलर पुरस्कार ऐसे व्यक्ति के प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए दिया जाता है जिसका एक लेखक, संपादक, व्याख्याता, रेडिया या दूरदर्शन कार्यक्रम निर्देशक या फिल्म निर्माता के रूप में एक प्रतिष्ठित करिअर रहा है, जिसने विज्ञान शोध और प्रौद्योगिकी की व्याख्या जनता को कराने में मदद की है।

यूनेस्को–आईएचपी विश्व की बृहद नदी पहल (डब्ल्यूएलआरआई) वियना आस्ट्रिया की कार्यकारी समूह बैठक, 25–26 जून, 2015

25–26 जून, 2015 के दौरान बोकु– प्राकृतिक संसाधन एवं जैव विज्ञान विश्वविद्यालय, वियना, आस्ट्रिया में यूनेस्को–आईएचपी विश्व की वृहद नदी पहल (डब्ल्यूएलआरआई) की कार्यकारी समूह बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का आयोजन 18–20जून, 2014 के दौरान पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल कार्यक्रम (आईएचपी), यूनेस्को के अंतर–सरकारी परिषद् के 21वीं सत्र के निर्णय के अनुसार किया गया। परिषद ने विश्व की वृहद नदी पहल (डब्ल्यूएलआरआई) की स्थापना का निर्णय लिया और एकीकृत नदी शोध एवं प्रबंधन पर यूनेस्को अध्यक्ष के सहयोग से अवसर कार्यकलाप और इस पहल के इच्छित उत्पादन को प्रतिपादित करने के आदेशों के साथ आईएचपी के सदस्य राज्यों के

कार्यकारी समूह से किया है। डब्ल्यूएलआरआई विश्व की वृहद नदियां (डब्ल्यूएलआरआई) की स्थिति के एक समग्र वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए जरूरी ज्ञान आधार का सृजन करने और उनके एकीकृत एवं संधारणीय प्रबंधन के संवर्धन का कार्य देखता है। भारत की ओर से डॉ. विजय कुमार, भू–विज्ञान मंत्रालय ने भाग लिया।

संचार एवं सूचना

निःशक्तजनों के लिए समावेशी आईसीटी पर नई दिल्ली घोषणा

निःशक्जनों को आगे सशक्त करने तथा निःशक्त मुद्दों का संधारणीय विकास एजेंडा में समावेशन निश्चित करने की दृष्टि से यूनेस्को ने भारत सरकार के सहयोग से 24 से 26 नवंबर 2014 को नई दिल्ली में 'अपवर्जन से सशक्तिकरण की ओर : निःशक्तजनों के लिए सूचना एवं संचार की भूमिका' शीर्षक से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में निःशक्तता मुद्दों के इर्द–गिर्द विषय पर फिल्म उत्सव एक आईसीटी समाधान उन्मुख प्रदर्शनी और एक विशेष कार्यशाला के साथ 80 देशों से कुछ 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सम्मेलन ने 'इनक्लूजिव आईसीटी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीजः मेकिंग एमपावरमेंट अ रियलिटी' पर नई दिल्ली घोषणा' शीर्षक का एक निष्कर्ष दस्तावेज तैयार किया। निष्कर्ष दस्तावेज निःशक्तता और जेंडर के बीच एक समावेशी क्रासकटिंग इंटरसेक्शनल तरीके का समर्थन करता है जो संधारणीय विकास उन्मुखी है और जीवन के समस्त क्षेत्रों में समावेशी और किफायती प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक समाधानों का खुलकर उपयोग करके निःशक्तजनों के सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करने के अधिकार एवं स्वतंत्रता को मान्यता देता है। निष्कर्ष दस्तावेज को नवंबर 2015 में 38वीं यूनेस्को आम सभा के द्वारा अंगीकार किया गया।

सामाजिक और मानव विज्ञान सेक्टर

अंतर–सरकारी जैवनैतिकता कमेटी (आईजीबीसी) का नौंवा सत्र, यूनेस्को पेरिस, फ्रांस 16–17 जुलाई, 2015

अंतर–सरकारी जैव–नैतिकता कमेटी (आईजीबीसी) के 9वें सत्र का आयोजन यूनेस्को पेरिस में 16 से 17 जुलाई 2015 को हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैव नैतिकता एवं अंतर–सरकारी जैव नैतिकता का संयुक्त सत्र शामिल था। आईजीबीसी का यह सत्र 2014–2015 द्विवार्षिकी में यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय जैव नैतिकता कमेटी (आईबीसी) के द्वारा किए गए कार्यों की जांच को समर्पित था। इन सत्रों के दौरान विचार–विमर्श किए गए दो मुख्य विषय थे। जैव नैतिकता एवं मानव अधिकार (2005) पर वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट लाभ के भागीदारी के सिद्धांत का प्रतिपादन और मानव जीनोम तथा मानव अधिकार पर आईबीसी के चिन्तन का अद्यतन भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलौर के प्रोफेसर शरत एच.चंद्रा के द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञ की हैसियत से 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय जैव नैतिकता कमेटी पर भारत का प्रतिनिधित्व किया गया।

ओरोविले फाउंडेशन ओरोविले की स्थापना तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पुद्दुचेरी के बाहरी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय नगर के रूप में 28 फरवरी 1968 को श्री ओरबिंदो की आध्यात्मिक सहयोगी 'मां' के द्वारा की गई थी जहां भारत सहित 46 राष्ट्रों से 2166 लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं और स्वयं को सांस्कृतिक शैक्षिक वैज्ञानिक और मानव एकता के उद्देश्य के अन्य गतिविधियों में शामिल करते हैं। यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983 में चार संकल्पों के माध्यम से ओराविले की परियोजना का समर्थन किया। ये नगर 1980 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसका अभिशासन भारतीय संसद द्वारा पारित ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के प्रावधनों के अनुसार होता है।

ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार फाउंडेशन को योजनागत तथा गैर–योजना के तहत ओरोविले के स्थापन, अनुरक्षण और विकास पर अपने व्यय पूरे करने के लिए अनुदानों के रूप में आंशिक निधि प्रदान करती है। 2015–16 के दौरान ओरोविले फाउंडेशन को योजनागत के अंतर्गत 1300.00 लाख रुपये की राशि और गैर–योजना के अंतर्गत 199.98 लाख रुपए की राशि जारी की गई (आज की तारीख तक)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों को ताकतवर बनाने के लिए भारत विभिन्न देशों के साथ सहयोग में शामिल हुआ है। इस संबंध में ली गई मुख्य पहल निम्न प्रकार से हैः

I) भारत और यूके के बीच यूकेआईईआरआई–III पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) : 2016–2021 के बीच, यूके– भारत शिक्षा अनुसंधान पहल (यूकेआईईआरआई) चरण III के लिए ढांचे पर व्यवसाय नवाचार एवं कौशल विभाग ग्रेट ब्रिटेन की संयुक्त राज्य सरकार और उत्तरी आयरलैंड तथा मानव संसाधन विकास मंत्रलाय, भारत सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू)। 18 मार्च/07 अप्रैल, 2015 को भारत की ओर से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा यूके की ओर से विश्वविद्यालय विज्ञान एवं नगर मंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

II) एएसईएम शिक्षा मंत्रियों की बैठक: एक शिष्टमंडल के साथ सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) ने 27–28 अप्रैल, 2015 के दौरान रीगा, लेटविया में एएसईएम शिक्षा मंत्रियों की 5वीं बैठक में भाग लिया।

III) ''सार्क क्षेत्र में मानव संसाधन संधारणीय वृद्धि'' सार्क पर कार्यशाला : मानव संसाधन विकास केंद्र और मानव संसाधन विकासमंत्रालय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में 27–30 अप्रैल, 2015 के दौरान ''सार्क क्षेत्र में मानव संसाधन संधारणीय वृद्धि'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।

IV) अकादमिक शिष्टमंडल का रूस दौरा : 7–11 मई, 2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के उनकी रूस के राज्य दौरे के दौरान सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अगुवाई में एक पांच सदस्यीय शिष्टमंडल साथ गया। इस दौरे के दौरान निम्न समझौता ज्ञापन/घोषणा/आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

क) आईआईटी बाम्बे और रूसी रिऐक्टर संघ के बीच भारत गणराज्य के उच्चतर शिक्षा ता रूसी फेडरेशन की संस्थानों के नेटवर्क की स्थापना पर **आशय ज्ञापन** पर हस्ताक्षर।

ख) भारत एवं रूसी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भारतीय– रूसी– नेटवर्क की स्थापना संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर।

ग) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बाम्बे** और नेशनल रिसर्च टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन।

घ) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास,** चेन्नई, भारत और नेशनल रिसर्च टॉम्स्कस्टेट यूनिवर्सिटी टॉम्स्क रूस के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

ङ) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास,** चेन्नई, भारत और नेशनल रिसर्च टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी टॉम्स्क रूस के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

च) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली** और नेशनल रिसर्च टॉम्स्क पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन।

छ) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली** और रूप के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्कोलकोवो के बीच समझौता ज्ञापन।

ज) **इंजिनियर संस्थान** (भारत) और वैज्ञानिक एवं इंजिनियर एसोसिएशन के रूसी संघ के बीच सहयोग की सहमति।

झ) **यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली** और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन।

V) भारत–दक्षिण अफ्रीका उप–समिति बैठक : मानव संसाधन विकास और भारत–दक्षिण अफ्रीका संयुक्त मंत्रालयी आयोग एवं वरिष्ठ आधिकारिक बैठक पर भारत–दक्षिण अफ्रीका उप–समिति में शामिल होने के लिए 17–19 मई, 2015 के दौरान एक 2 सदस्यीय शिष्टमंडल ने प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया।

VI) अकादमिक शिष्टमंडल का स्वीडन और बेलारुस दौरा: 31 मई – 4 जून, 2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति के उनकी स्वीडन और बेलारुस के राज्य दौरे के दौरान

आईआईटी– गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम विश्वास की अगुवाई में एक शैक्षिक शिष्टमंडल साथ गया। इस दौरे के दौरान निम्न समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए :

स्वीडन के साथ समझौता ज्ञापन

1. अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग के लिए कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री ग्रुप (सीसीजी), स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और डिपार्टमेंट ऑफ थेरटीकल केमिस्ट्री एण्ड बायोलॉजी (थियोकेम), रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॅजी (केटीएच), स्टॉकहोम, स्वीडन।

2. अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग के लिए कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री ग्रुप (सीसीजी), स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और कंडेन्सड मैटर थ्योरी ग्रुप (सीएमटी) डिवीजन ऑफ मटेरियल थ्योरी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजीक्स एण्ड एस्ट्रोनामी, अपसाला यूनिवर्सिटी (यूयू), अपसाला स्वीडन।

3. अनुसंधान और शिक्षा एवं ट्विनिंग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग के विकास के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, एम.पी और कार्लस्टाड यूनिवर्सिटी स्वीडन।

4. अनुसंधान और शिक्ष एवं ट्विनिंग के क्षेत्रमें अकादमिक सहयोग के विकास के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, एम.पी और लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन।

5. इंजिनयरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक रूप से हितधारियों के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में संभव सहयोग के लिए विश्वैश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (वीएनआईटी), नागपुर और लुन्द यूनिवर्सिटी स्वीडन।

6. अकादमिक शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईएसईआर, तिरूवनन्तपुरम और लुन्द यूनिवर्सिटी स्वीडन।

7. शिक्षा, अनुसंधान एवं अन्य कार्यकलापों के क्षेत्रों में अकादमिक और विनिमय के विकास करने आईआईएसईआर, तिरूवनन्तपुरम और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, स्वीडन।

8. अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा और अनुसंधान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गड़वाल यूनिवर्सिटी और लिनाइयस यूनिवर्सिटी स्वीडन।

9. अकादमिक शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, गुवाहाटी और लुण्द यूनिवर्सिटी, स्वीडन।

10. अकादमिक शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देनेके लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॅाजी, गुवाहाटी और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, स्वीडन।

11. अकादमिक शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी गुवाहाटी और अपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन।

12. अकादमिक अनुसंधान और शैक्षिक विनिमय के सहयोग तथा तरक्की को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, गुवाहाटी और कार्लस्टाड यूनिवर्सिटी, कार्लस्टाड, स्वीडन।

13. अनुसंधान, शैक्षिक एवं सामुदायिक सेवा के लिए अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस और कार्लस्टेड यूनिवर्सिटी, कार्लस्टेड, स्वीडन।

14. इंजिनियरिंग और टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में व्यापक रूप से हितधारियों के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में सहयोग के लिए विश्वैश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (वीएनआईटी), नागपुर और अपसाला यूनिवर्सिटी, स्वीडन।

15. इंजिनियरिंग और टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में व्यापक रूप से हितधारियों के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में संभव सहयोग के लिए विश्वैश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (वीएनआईटी), नागपुर और स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, स्वीडन।

बेलारूस के साथ समझौता ज्ञापन

16. अनुसंधान और शिक्षा एवं ट्विनिंग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग के विकास के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, एम.पी और बेलारसियन स्टेट यूनिर्विटी ऑफ इनफर्मेटिक्स एण्ड रेडियो इलेक्ट्रानिक्स, वुलिका पिऐट्रसिया ब्राउकी 6, मिन्स्क, बेलारूस।

17. अनुसंधान और शिक्षा एवं ट्विनिंग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग के विकास के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, एम.पी और बेलारसियन स्टेट यूनिर्विटी ऑफ फिजीकल कल्चर, मिन्स्क।

18. अनुसंधान और शिक्षा एवं ट्बिनिंग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग के विकास के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक, एम.पी और द बेलारसियन स्टेट यूनिर्विटी ऑफ कल्चर एण्ड आटर्स।

19. अकादमिक शिक्षा एवं अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी गुवाहाटी और बेलारसियन नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बेलारुस।

20. अकादमिक शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी गुवाहाटी और बेलारसियन स्टेट यूनिवर्सिटी बेलारुस ऑफ इन्फर्मेटिक्स एण्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, बेलारुस।

21. इंजिनियरिंग और टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में व्यापक रूप से हितधारियों के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में संभव सहयोग के लिए विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (वीएनआईटी), नागपुर और बेलारसियन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इनफर्मेटिक्स एण्ड रेडियो इलेक्ट्रानिक्स बेलारुस।

22. इंजिनियरिंग और टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में व्यापक रूप से हितधारियों के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण में संभव सहयोग के लिए विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी (वीएनआईटी), नागपुर और बेलारसियन नेशनल टेक्निकल यूनिर्विटी, बेलरुस।

VII) कॉमनवेल्थ शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन : कॉमनवेल्थ शिक्षा मंत्रियों के 19वें सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22–26 जून, 2015 के दौरान माननीय एचआरएम ने बाहमस दौरे में शिष्टमंडल की अगुवाई की।

सम्मेलन के दौरान माननीय एचआरएम द्वारा निम्नलिखित वचनबद्धता की गई :

क) क्रास बार्डर अध्यापक शिक्षा के लिए मालवीय कॉमनवेल्थ पीठ की स्थापना करना जो पाठ्यक्रम विकास, शिक्षा–शास्त्र, छात्र मूल्यांकन, प्री–सर्विस और इन–सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण एवं सक्षमता विकास से संबंधित मुद्दों पर फोकस करेगी।

ख) अनुसंधान के लिए कॉमनवेल्थ कनसोर्टियम की स्थापना करना जो कॉमनवेल्थ एजुकेशन हब के सहयोग से कार्य कर सके तथा अनुसंधान परियोजनाओं के लिए क्रास फंडिग, जो सदस्य राष्ट्र उचित माने, मुहैया कराना।

ग) सभी स्तरों पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सार्वजनिक संस्थानों का मजबूतीकरण।

घ) कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा विकसित होस्ट ई–कोर्सवेअर को ई–लर्निंग प्लेटफार्म स्वयं मुहैया कराना।

ङ) शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली नेशनल ई–लायब्रेरी पर कॉमनवेल्थ देशों के डिजीटलीकृत मटेरियल रखना।

VIII) विश्व विज्ञान सम्मेलन: एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल 'भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलौर से तीन छात्र और एक समन्वयक और भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे और तिरूवनन्तपुरम) प्रत्येक में से दो छात्र, ने 15 से 20 अगस्त, 2015 तक जेरूशलम, इजरायल में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन इजरायल में भाग लिया। छात्रों को विश्व भर के पांच महाद्वीपों से लगभग

300 मेधावी छात्रों सहित संसार भर से 20 नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं अन्य अग्रणी वैज्ञानिकों से परस्पर सम्पर्क का अवसर मिला।

IX) आस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद बैठकः तीसरी एआईईसी बैठक का आयोजन 24 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में किया गया। बैठक के दौरान कार्यकारी समूह ने कौशल, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान, गुणवत्ता आश्वासन एवं अर्हता मान्यता तथा छात्र गतिशीलता तथा कल्याण जैसे एआईईसी के प्रकरणगत क्षेत्रों में प्रगति और भावी संभावनाओं की सार–संक्षेप पेश किया। आस्ट्रेलिया समूह ने न्यू कोलम्बो प्लान सहित आस्ट्रेलियन सरकार की सिग्नेचर स्टुडेंट मोबिलिटी प्रोग्राम का अवलोकन मुहैया कराया। भारतीय समूह ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (जीआईएएन) कार्यक्रम की मूल विशेषताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की।

X) आस्ट्रेलिया और भारत के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापनः 24 अगस्त, 2015 को आस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद (एआईईसी) बैठक के मौके पर शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर भारत की गणराज्य सरकार और आस्ट्रेलिया सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और आस्ट्रेलिया की तरफ से माननीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

XI) भारत और यूएई के बीच उच्चतर शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन : नई दिल्ली में 3 सितंबर, 2015 को भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा संयुक्त अरब अमीरात के उच्चतर शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के बीच उच्चतर शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की तरफ से एमएचआरडी के संयुक्त सचिव श्री राकेश रंजन तथा यूएई की तरफ से श्री सैफ रशीद अलमजरेई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

XII) भारत और जर्मनी के शिक्षा मंत्रियों के बीच द्वि पक्षीय बैठक : माननीय एचआरएम और डॉ.(श्रीमती) जोहाना वान्का, शिक्षा एवं अनुसंधान संघीय मंत्री, जर्मनी के बीच नई दिल्ली में 05 अक्तूबर, 2015 को एक द्विपक्षीय मंत्रालयी स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के पश्चात् जर्मनी में आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन और भारत में जर्मन का एक विदेशी भाषा के रूप में संवर्धन के संबंध में जर्मनी संघीय गणराज्य के शिक्षा एवं अनुसंधान संघीय मंत्रालय और भारत गणराज्य के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच उच्चतर शिक्षा पर इंडो–जर्मन कार्यक्रम तथा आशय की एक संयुक्त घोषणा(जेडीआइ) पर यूजीसी और डीएएडी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

XIII) अकादमिक शिष्टमंडल का जॉर्डन, फिलीस्तीन और इजरायल दौरा : 10 से 15 अक्तूबर, 2015 तक भारत के माननीय राष्ट्रपति के उनकी जॉर्डन, फिलीस्तीन और इजरायल दौरे के दौरान आईआईटी खड़गपुर के निदेशक, प्रोफेसर पी. पी.चक्रवर्ती की अगुवाई में एक शैक्षिक शिष्टमंडल साथ गया।

इस दौरे के दौरान निम्नलिखित 23 शैक्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

क्र.सं.	भारतीय संस्थान	विदेशी संस्थान
1	आईआईटी, खड़गपुर	द हिब्रु यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम
2	दिल्ली विश्वविद्यालय	द हिब्रु यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम
3	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	द हिब्रु यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम
4	आईआईटी, खड़गपुर	यूनिवर्सिटी ऑफ हाईफा, हाइफा, इजरायल
5	आईआईटी, खड़गपुर	बेन–गुरिओन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव
6	दिल्ली विश्वविद्यालय	बेन–गुरिओन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव
7	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	बेन–गुरिओन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव
8	दिल्ली विश्वविद्यालय	इंटरडिसीप्लीनरी सेंटर (आईडीसी), हरज़लिया

क्र.सं.	भारतीय संस्थान	विदेशी संस्थान
9	आईआईटी, खड़गपुर	यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन
10	दिल्ली विश्वविद्यालय	यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन
11	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन
12	जामिया मिलिया इस्लामिया	यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्डन
13	जामिया मिलिया इस्लामिया	अल अल–बयत यूनिवर्सिटी
14	जामिया मिलिया इस्लामिया	यरमोउक यूनिवर्सिटी
15	आईआईटी, खड़गपुर	प्रिंसेस सुमाया यूनिवर्सिटी फॉर टैक्नॉनाजी
16	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	अल बल्क अप्लायड यूनिवर्सिटी
17	दिल्ली विश्वविद्यालय	इसरा यूनिवर्सिटी
18	जामिया मिलिया इस्लामिया	इसरा यूनिवर्सिटी
19	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	अन–नाजाह नेशनल यूनिवर्सिटी, नेबलस
20	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	बिरज़ित यूनिवर्सिटी
21	जामिया मिलिया इस्लामिया	अल–कद्स यूनिवर्सिटी, जेरूशलम
22	जामिया मिलिया इस्लामिया	हेबरॉन यूनिवर्सिटी, हेबरॉन
23	जामिया मिलिया इस्लामिया	अल इस्तिकलल यूनिवर्सिटी, जेरिका

XIV) शिक्षा पर ब्रिक्स कार्य समूहः 25–26 जून, 2015 को मॉस्कों, रूस में एक 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा पर ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक में भाग लिया।

XV) ब्रिक्स शिक्षा मंत्री बैठक : ब्रिक्स शिक्षा मंत्री बैठक मास्को, रूस में 18 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई। इसके पूर्व, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की स्थापना पर विचार–विमर्श करने के लिए 17 नवंबर, 2015 को एक वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। विचार–विमर्श के दौरान अपर सचिव (टीई) ने एमएचआरडी का प्रतिनिधित्व किया।

XVI) ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीः 17–18 नवम्बर, 2015 को मास्को, रूस में ब्रिक्स देश यानि ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका के बीच ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की स्थापना संबंधी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत की ओर से एएस (टीई) ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी एक शैक्षिक परियोजना है जिसका उद्देश्यए विशेषतः द्विपक्षीय/बहुपक्षीय, अल्पकालिक संयुक्त प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रम विकसित करना है, जो आरंभ में छह विषयगत क्षेत्रों यथा ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सूचना सुरक्षा, ब्रिक्स अध्ययन, पारिस्थितिकीय एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन एवं प्रदूषण शोधन और अर्थशास्त्र में किया जा रहा है। प्रत्येक ब्रिक्स सदस्य 12 प्रमुख संस्थानों की पहचान करेगा, जिनमें से प्रत्येक 2 विषयगत क्षेत्रों में से होगा।

ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी का अभिशासन, अंतरराष्ट्रीय शासी बोर्ड (आईजीबी) प्रत्येक देश के तीन प्रतिनिधियों, के माध्यम से किया जाएगा, राष्ट्रीय समन्वय समिति जिन्हें शिक्षण संस्थान के प्रतिनिधियों और सरकार/अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से चुना गया है, और अंतर्राष्ट्रीय विषयगत समूहों (6 में से प्रत्येक विषय के संबंध में शिक्षा संस्था के प्रतिनिधि हैं)।

अन्य बातों के साथ–साथ एमओयू के मुख्य उद्देश्य हैं:

i) शिक्षा के विभिन्न रूप जैसे पारंपरिक अकादमिक कार्यक्र, लघु–अवधि कार्यक्रम, मोड्यूलर पाठ्यक्रम आदि के द्वारा उच्च गुणवत्ता जीवन–पर्यन्त अधिगम के अवसर मुहैया कराना;

ii) प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, मानविकी इंजिनियरिंग एवं बहुलवाद और विविधता की भावना में अन्य क्षेत्रों के द्वारा ज्ञान और कौशल के सर्जन एवं प्रसार के माध्यम से ब्रिक्स देशों के संधारणीय विकास को सुकर बनाना;

iii) ब्रिक्स एनयू शैक्षिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के ढांचों के अन्दर समकालीन तरीकों, रूपों एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी में छात्रों की पहुंच में विस्तार करके विशिष्ट क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उच्च अर्हता के व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए की गई है।ब्रिक्स एनयू एमओयू के संचालन के लिए सदस्य राष्ट्रों के प्रत्येक के द्वारा राष्ट्रीय समन्वय कमेटी (एनसीसी) के साथ–साथ एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है।

भारत के लिए लाभ– छात्रों और शिक्षकों की वर्धित गतिशीलता वाली संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं और स्नातकोत्तर/पीएचडी कार्यक्रम से उच्च प्रशिक्षित श्रमशक्तियों के सृजन के अलावा ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच शैक्षिक संबंधों में सुधार होगा जो इन देशों के बीच उन्नत आर्थिक संबंधों के लिए आधारशिला बनेगा।

XVII) भारत–इज़रायल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमः वीडियो– कान्फ्रेंसिंग के जरिए 07.12.2015 को सचिव (एचई) की अध्यक्षता में संयुक्त भारत इजरायल कमेटी बैठक आयोजित की गई तथा इस बैठक में 11 अनुसंधान परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें भारत–इज़रायल संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां जारी की जानी है।

XVIII) भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन (एमओसी): 11 दिसंबर, 2015 को शिक्षा के क्षेत्र में भारत और जापान ने एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

XIX) ब्रिटेन– भारत शिक्षा वर्षः 2016: 9 दिसंबर, 2015 को निम्नलिखित उद्देश्यों से भारत–ब्रिटेन शिक्षाए अनुसंधान और नवाचार वर्ष शुरू किया गया था:

i) शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में ब्रिटेन भारत के द्विपक्षी; संबंधों की सुदृढता को रेखांकित करना।

ii) ब्रिटेन–भारत की भागीदारी को और अधिक प्रेरित करना और संगठनों, संस्थाओं एवं उद्योग को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

iii) शिक्षाए अनुसंधान और नवाचार में नई पहलों में मद्द करना–ई ही मौजूदा द्विपक्षीय गतिविधि पर प्रकाश डालना।

XX) अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से **संस्कृत, शीर्षकः एक शास्त्रीय भाषा– धरोहर से परे पर फोकस देते हुए एक विशेष आयोजन की मेजबानी की।** प्रख्यात भारतविद, अर्थशास्त्री और सदस्य, नीति आयोग, भारत सरकार, डॉ. बिबेक देबरॉय और श्री राकेश रंजन, संयुक्त सचिव (आईसीसी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 3.4 अप्रैल, 2016 को आयोजन में भाग लिया।

इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं को संस्कृत के समृद्ध एवं विविध खजाने की बारीकियों के बारे में बताया गया जिनमें राजनयिक, यूनेस्को का सिविल स्टाफ, भारतविज्ञ, शिक्षाविद्, आदि शामिल थे।

★★★★★

अध्याय 12

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अध्याय 12

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा

शैक्षिक विकास समाज के कमजोर वर्ग जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं, के सामाजिक–आर्थिक बेहतरी हेतु मुख्य भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों का प्रोन्नयन करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी करके बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास भी किए गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 (1992 में यथा संशोधित) विभिन्न सामाजिक वर्गों में असमानता को दूर करने पर बहुत अधिक बल देती है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता पर भी बल देती है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। उन क्षेत्रों का उल्लेख करने के साथ–साथ, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह दिशा–निर्देश भी निर्धारित करती है ताकि असमानता को दूर किया जा सके और समानता को बढ़ाया जा सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों हेतु शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों के सहयोगी उपाय जैसे छात्रवृत्तियां, उपचारी कक्षाएं, छात्रावास सुविधाएं और तकनीकी शिक्षा के औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रमों के अन्य रूपों का भी सुझाव दिया है।

उप योजना और जनजातीय उप योजना (एससीएसपी और टीएसपी)

राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति की सलाह के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एससी एसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित निधियां क्रमशः 15% और 7.50% हैं तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हेतु निर्धारित निधियां क्रमशः एससीएसपी और टीएसपी हेतु 20.02% और 11% हैं।

एससीएसपी और टीएसपी के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

i) **निधियों का आबंटन:** उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग हेतु एससीएसपी और टीएसपी के तहत वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित निधियों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: (i) लाभार्थी फोकस: एससीएसपी/टीएसपी के तहत केवल कार्यक्रमों की उन्हीं योजनाओं/घटकों को शामिल करना चाहिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करती हों।

ii) **बढ़ाना:** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संबंधित अनुपात (प्रतिशत) से अधिक व्यक्तियों को लाभ देने के लिए, लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या शामिल होनी चाहिए।

iii) **नई योजनाएं:** परियोजना/योजनाओं के मामले में, जो सामान्य प्रकृति के हैं और व्यय जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अविभाजित है, ऐसे मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई योजनाओं को उनके और अन्य के मध्य अंतराल को पाटने के लिए बनाया जाना चाहिए।

iv) माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मौजूदा एनएमसी, एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी और इस समिति को अपनी स्थाई समिति द्वारा सहायता दी जाएगी।

एससीएसपी और टीएसपी के तहत निर्धारित निधियां (बजटीय अनुमान–2015–16)

(रूपये करोड़ में)

विभाग	ब.अ.	अ.जा.	अ.ज.जा
स्कूल शिक्षा और साक्षरता	39038.50	7816.40 (20.02%)	4297.25 (11%)
उच्चतर शिक्षा	15855.26	2378.30 (15.00%)	1189.17 (7.50%)

स्कूल शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.9% (जनगणना 2001) से 73% (जनगणना 2011) तक बढ़ गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में 10 प्रतिशत बिन्दुओं का सुधार हुआ है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों हेतु साक्षरता दर 12 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गई है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन शेयर (20.24%) है जो उनकी जनसंख्या (16.60%) में उनके शेयर से अधिक है और इन वर्षों में बढ़ रही प्रवृति भी देखी जा सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन शेयर (10.85%) है जो उनकी जनसंख्या (8.60%) में उनके शेयर से अधिक है और इन वर्षों में बढ़ रही प्रवृति देखी जा सकती है। यूडीआईएसई 2015–16 (अनंतिम) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 47.72 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का नामांकन 48.36 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिपादन के साथ, भारत ने सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों को शुरू किया है। सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) वर्ष 2000–01 में शुरू किया गया था। एसएसए हस्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ–साथ नए स्कूलों को खोलना, स्कूलों का निर्माण और अतिरिक्त कक्षा–कक्षाएं, प्रसाधन तथा पानी पीने की सुविधाओं का निर्माण, शिक्षकों हेतु प्रावधान बनाना, शिक्षकों हेतु सेवा–कालीन प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहयोग निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म, अधिक प्राप्ति स्तरों में सुधार करने, अनुसंधान, मूल्यांकन और अनुवीक्षण हेतु सहायता शामिल है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु संवैधानिक और कानूनी आधार की स्थापना हाल के वर्षों की एक मुख्य उपलब्धि है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से संचालित हो गया है।

उच्चतर शिक्षा

जहां तक उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता का संबंध है, अनुसूचित जाति के नामांकन में वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। तथापि, वर्ष 2014–15 के लिए अनंतिम आंकड़े नामांकन में किसी प्रमुख वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं। अनुसूचित जनजातियों का नामांकन कई वर्षों से स्थिर रहा है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 4.8% और 13.44% है जबकि दाखिलों के आरक्षण में निर्धारित प्रतिशतता क्रमशः 7.5% और 15% है। यह दर्शाता है कि उनमें से प्रत्येक की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व में कुछ वृद्धि हो सकती है।

पुनः जीईआर आंकड़े भी समान प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2012–13 से 2014–15 तक अनुसूचित जाति के जीईआर में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन अनुसूचित जनजाति के जीईआर कई वर्षों से समान हैं। महत्वपूर्ण रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों हेतु, कई उपाय पहले से ही शुरू करने के बावजूद, सामाजिक और लैंगिक अंतराल मौजूद रहता है। अनुसूचित जाति के मामले में, सामाजिक अंतराल और लैंगिक अंतराल में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन कई वर्षों से अपरिवर्तनीय रहा है। तथापि, अनुसूचित जनजाति पूर्णतया भिन्न चित्र दर्शाते हैं। अनुसूचित जनजाति के मामले में सामाजिक अंतराल और लैंगिक अंतराल में कई वर्षों से सीमांत वृद्धि हुई है।

उच्चतर शिक्षा में जीईआर (18–23 वर्ष)

वर्ष	सभी वर्ग	अ.जा. के छात्र	अ.ज.जा के छात्र
2012-13	21.5	16.0	11.1
2013-14	23.0	17.1	11.3
2014-15	24.3	19.1	13.7

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक–आर्थिक वृद्धि में इन बाधाओं के कारण, 12 वीं पंचवर्षीय योजना, शैक्षिक अवसरों की असमानता के मुद्दों का निपटान करने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केन्द्र असमानता कम करने के उद्देश्यार्थ उपायों हेतु निधियन को बढ़ावा देना और एक छत्र के तहत उच्चतर शिक्षा की योजनाओं से संबंधित सभी समानताओं को लाना है। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने के लिए विधान एवं संकल्प, पहुंच, कौशल विकास, छात्र सहयोग कार्यक्रम और समानता प्रोन्नयन के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई थीं।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2006 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु दाखिलों में 15% और 7.5% आरक्षण किया जाता है, जो उच्चतर शिक्षा

को जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहित करता है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कुछ प्रतिशत का नामांकन करने हेतु संस्थाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है। अधिनियम के निरन्तर कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए जाते हैं। यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में समानता के प्रोन्नयन के साथ 2012 में शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक विनियम तैयार किए हैं। एआईसीटीई ने भी शिकायतों के निवारण हेतु उपाय शुरू किए हैं। ये विनियम, उच्चतर शिक्षा में समानता का प्रोन्नयन करने और इसी के लिए स्थापित समानता मानदण्ड के साथ अनुपालन न करने की शिकायतों का निपटान करने के लिए संगठनों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये विनियम और विधान उच्चतर शिक्षा में समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन की दर में सुधार लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में एक भूमिका निभाएंगे।

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए, केन्द्रीकृत वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं असेवित क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और अन्य योजनाएं जैसे सामुदायिक कॉलेज, पोलिटेक्निक संबंधी उप–मिशन, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को विकास सहायता और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में इग्नू अध्ययन केन्द्रों को खोलना, ये सभी समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर प्रभाव डाल रहे हैं। पहुंच में सुधार लाने के लिए लगभग 874 नए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं का एक प्रावधान बनाया गया है।

इनके अतिरिक्त, कई अन्य कार्यक्रम/योजनाएं भी शुरू की गई हैं जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित छात्रों के शैक्षिक विकास पर समान रूप से बल देती हैं, जिनमें विभिन्न छात्र सहयोगी पहलें, जैसे छात्रवृत्तियां, उपचारी कोचिंग कक्षाएं, विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ को खोलना, राजीव गांधी अध्येतावृत्तियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, पोस्ट–डॉक्टोरल अध्येतावृत्ति, नेट/सेट हेतु उपचारी कोचिंग, आईआईटी हेतु प्रारंभिक कक्षाएं, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, विशेष तौर पर बालिकाओं हेतु छात्रावास सुविधाएं शामिल हैं। उपचारी कोचिंग हेतु लाभार्थियों की संख्या जिनमें नेट/सेट कोचिंग शामिल हैं, करीब 19 लाख है। अब 250 विश्वविद्यालयों और 2252 कॉलेजों ने समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

कौशल विकास हेतु कई योजनाएं, बेरोजगारी की समस्या का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए तैयार भी की गई हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यढांचा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार क्षेत्र के बीच छात्र की आसान गतिशीलता को समर्थ बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। अन्य योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, सामुदायिक कॉलेज योजना और सामुदायिक विकास योजना, पोलिटेक्निकों के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण पर फोकस करती हैं और समुदाय, कॉलेजों और रोजगार क्षेत्र के बीच सहक्रिया का सृजन कर रही हैं।

पी–अनंतिम, स्रोत– सांख्यिकीय प्रभाग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु कार्यक्रम/योजनाएं

1. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति** : यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में एम.फिल. और पीएच.डी डिग्री (पूर्ण कालिक) में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्तियां प्रदान करना है। वर्ष 2005–06 से वर्ष 2014–15 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों में क्रमशः कुल 16,707 और 6,164 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कार्यशील है। अंतिम तारीख 31/7/15 है।

2. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां** : इस योजना का उद्देश्य मान्यता–प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों के व्यावसायिक विषयों में स्नातकोत्तर स्तरीय अध्ययन हेतु 1000 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2006–07 से इसके आरंभ होने से वर्ष 2014–15 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 6896 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल कार्यशील है। अंतिम तारीख 30.9.15 है।

3. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पोस्ट–डाक्टोरल अध्येतावृत्ति** : योजना का उद्देश्य

मान्यता–प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/कॉलेजों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान में उच्च अध्ययन और पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करना है। वर्ष 2006–07 से इस योजना के आरंभ होने से लेकर वर्ष 2014–15 तक कुल 860 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। वर्ष 2015–16 हेतु चयन की प्रक्रिया चल रही है।

उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाओं पर एक दृष्टि

क्र.सं.	छात्रवृत्ति का नाम	प्रति वर्ष लाभार्थियों की संख्या
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
1.	अनुसूचित जाति छात्रों हेतु पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	सभी पात्रों को दी जाती है
2.	अनुसूचित जाति हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा की केन्द्र सेक्टर की छात्रवृत्ति योजना	1250 स्लॉट
3.	अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	30 (अनुसूचित जाति–27 विमुक्त, यायावर और अर्ध यावर जनजाति–2, भूमिरहित कृषि मजदूर और परंपरागत कारीगर–1
4.	अनुसूचित जाति हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (यूजीसी द्वारा कार्यान्वित)	2000 स्लॉट
	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
5.	अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति	सभी पात्रों को दी जाती है
6.	अनुसूचित जनजाति हेतु उच्च स्तरीय शिक्षा की केन्द्र सेक्टर की छात्रवृत्ति योजना	1000 स्लॉट (वर्ष 2015–16 से 625 से बढ़ा दी गई है)
7.	अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति	20 (वर्ष 2013–14 से 13 से बढ़ा दी गई है)
8.	अनुसूचित जनजाति हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (यूजीसी द्वारा कार्यान्वित)	750 स्लॉट (वर्ष 2015–16 से 667 से बढ़ा दी गई है)
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
9.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां	1000 स्लॉट (दिशा निर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु स्लॉट को बांटा नहीं गया है)
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु पोस्ट– डाक्टोरल अध्येतावृत्ति	100 स्लॉट
11.	पूर्वोत्तर के छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना (ईशान उउदय)	10000
12.	पूर्वोत्तर के छात्रों हेतु 'ईशान उदय' की विशेष छात्रवृत्ति योजना	10000
13.	सामाजिक विज्ञान में डॉ. एस.राधाकृष्णन पोस्ट– डाक्टोरल अध्येतावृत्ति	300
	उच्चतर शिक्षा विभाग	
14.	कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना	82,000

क्र.सं.	छात्रवृत्ति का नाम	प्रति वर्ष लाभार्थियों की संख्या
15.	जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना	5000
	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	
16.	गेट से अर्हता प्राप्त एमई/एम टेक छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	
17.	तकनीकी शिक्षा पहल में बलिकाओं के प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना (प्रगति)	4000
18.	निःशक्त छात्रों हेतु सक्षम छात्रवृत्ति	1000
19.	सीएसआईआर/डीआरडीओ प्रयोगशालाओं अथवा **अन्य उत्कृष्ट संस्थाओं** में पीएचडी करने हेतु छात्रवृत्ति	1000

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्प संख्यकों हेतु उपचारी कोचिंग : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को जिन्हें प्रभावी रूप से उच्च अध्ययन करने और उनकी अनुत्तीर्णता तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी करने के लिए आवश्यक स्तर तक उन्हें पहुंचाने हेतु उपचारी कोचिंग की आवश्यकता है, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमित समय सारिणी से इतर विशेष कक्षाएं आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यकों हेतु एनईटी/ एसईटी के लिए कोचिंग : योजना का मुख्य उद्देश्य एनईटी अथवा एसईटी में भाग लेने वालों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को तैयारी करवाना है ताकि विश्वविद्यालय प्रणाली में लेक्चरर के चयन हेतु इन वर्गों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकें।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत प्रदान की गई विभागीय सहायता नीचे दी गई है

क्र.सं.		उपचारी कोचिंग	सेवा में प्रवेश हेतु कोचिंग	एनईटी कोचिंग	समान अवसर सेल (करोड़ में)	कुल राशि
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कॉलेजों को अनुदान					
1.	ईआरओ, कोलकाता	19.70	13.33	1.07	1.72	**35.82**
2.	एनईआरओ, गुवाहाटी	09.18	07.56	0.27	0.23	**17.24**
3.	एसईआरओ, हैदराबाद	12.08	08.3	3.52	1.05	**24.95**
4.	एसडब्ल्यूआरओ, बंगलौर	08.53	05.42	1.51	1.20	**16.66**
5.	डब्ल्यूआरओ, पुणे	19.43	13.74	3.06	2.28	**38.51**
6.	एनआरसीबी, नई दिल्ली	09.46	06.80	2.09	0.39	**18.74**
7.	सीआरओ, भोपाल ©	4.38				**4.38**
	विश्वविद्यालयों को अनुदान					
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय/मानद विश्वविद्यालय*	3.84	03.84	3.52	0.44	**12.04**
2.	राज्य विश्वविद्यालय ©	21.95			0.60	**22.56**
कुल					68.06	**190.90**

*वर्ष 2015–16 के दौरान जारी अनुदान

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमियों की स्थापना : इस कोचिंग योजना का बुनियादी उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप 'ए' 'बी' और 'सी', राज्य सेवाओं अथवा निजी सेक्टर के समान पदों पर लाभदायक रोज़गार प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। योजना के अंतर्गत आईएएस, राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती आदि जैसी सेवाओं में चयन हेतु परीक्षाओं के आयोजन का लक्ष्य है।

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	कुल आबंटन	अब तक जारी अनुदान	वर्ष
1.	जामिया मिलिया इस्लामिया	1500.00	750.00	2010-2011
			650.00	2014-2015
2.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	828.78	414.39	2009-2010
			369.39	2014-2015
3.	अलीगढ़ मुस्लिम	1328.78	664.39	2009-2010
			654.89	2015-2016
4.	डॉ. बी. आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय	1078.78	539.39	2009-2010
			455.89	2012-2013
5.	**जामिया हमदर्द**	1395.38	697.69	2009-2010
			687.69	2012-2013
	कुल	**6131.72**	**5883.73**	

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों हेतु समान अवसर सेल की स्थापना : कॉलेजों को लाभवंचित सामाजिक वर्गों की आवश्यकताओं और बाध्यताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) और 12बी के अंतर्गत शामिल सभी कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समान अवसर सेल की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस योजना का लक्ष्य और उद्देश्य लाभवंचित समूहों हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की देख–रेख, अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में निदेश और काउंसलिंग प्रदान करना और कैंपस के भीतर विविधता में वृद्धि करना है। वर्तमान में 250 विश्वविद्यालय और 2252 कॉलेजों में ईओसी संचालनरत हैं।

8. सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों में केन्द्रों की स्थापना : सामाजिक बहिष्कार से न केवल टेंशन, हिंसा और गड़बड़ उत्पन्न होती है बल्कि इससे समाज में विकास का लाभ उठाने के मामले में कुछ समुदाय जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/धार्मिक अल्पसंख्यक प्रणालीगत बहिश्कार का अनुभव करते हैं। सामाजिक बहिष्कार जटिल और बहु आयामी प्रकरण है जिसके सामाजिक, संस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव हैं। गरीबी, बेरोजगारी और अस्वैच्छिक प्रवर्जन जैसे मैक्रोइकोनॉमिक घटकों के परिणामों में प्रभावी को आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक कार्यों में शामिल नहीं किया जाता। ऐसी प्राथमिक जगह जहां 'बहिष्कार' का अध्ययन किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, वह स्थान है हमारे विश्वविद्यालय, जिन्हें समाज के कर्णधार के रूप में कार्य करना चाहिए। अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामाजिक बहिष्कार के मामले पर अनुसंधान का समर्थन करने का निर्णय लिया है जिसका नीतिगत महत्व है। कोशिश यह है कि निम्नलिखित उद्देश्यों वाले विश्वविद्यालयों में शिक्षण–सह–अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना द्वारा प्राप्त किया जाए :–

i) जाति/धर्म के आधार पर विभिन्नता, बहिष्कार और समावेशन को संदर्भगत बनाना;

ii) विभेद और बहिष्कार हेतु समझ विकसित करना;

iii) विभेद, बहिष्कार और समावेशन को संदर्भगत और परेशानी अनुसार समझना;

iv) आनुभविक स्तर पर विभेद को समझना;

v) इन वर्गों के अधिकारों की संरक्षा और बहिष्कार तथा विभेद की समस्या के निवारण हेतु नीतियां बनाना।

कार्य

i) एमए और एम. फिल स्तरों पर पाठ्यक्रम पढ़ाना जिससे सामाजिक बहिष्कार अध्ययन में संपूर्ण एमए और एम.फिल कार्यक्रम किए जा सकें।

ii) एम.फिल और पीएचडी पर्यवेक्षण करना।

iii) सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से आनुभविक अध्ययन करना और तुलनात्मक अध्ययन और नीतिगत/कार्यक्रम मूल्यांकन हेतु समय–बद्ध डाटा बैंक बनाना।

iv) सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए गए सामाजिक–आर्थिक डाटा पर आधारित विस्तृत मूल्यांकन करना।

v) सामाजिक बहिष्कार के शीर्षक पर कांफ्रेंस, सेमिनार और संगोष्ठी आयोजित करना।

vi) संकाय और छात्रों के अनुसंधान परिणामों को नियमित रूप से प्रकाशित करना।

vii) प्रख्यात शिक्षाविदों द्वारा विषय पर सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित करना।

viii) विजिटिंग संकाय को आमंत्रित करने के सक्रिय कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विशेष रूप से युवा शिक्षाविदों तक पहुंचना।

ix) सामाजिक बहिष्कार से निपटने में लगे सिविल सोसायटी संगठनों के साथ संबंध बनाना।

x) राजनैतिक नेताओं, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, ट्रेड यूनियन वालों और मीडिया वालों के लिए लघु–कालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलना।

लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या: 35 विश्वविद्यालय : इस योजना के आरंभ होने से अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में 35 केन्द्रों की स्थापना की है (वर्ष 2006–07 में **13** और वर्ष 2007–08 में **22**)

वर्ष	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
2012-13	496.00
2013-14	शुन्य
2014-15	777.00
2015-16	378.00
कुल	**1651.00**

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों हेतु विशेष सेल की स्थापना : विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को देखने के लिए वर्ष 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर स्थायी समिति का गठन किया गया है। समिति में उच्चतर शिक्षा का प्रतिनिधित्व उपकुलपति और पूर्व उप कुलपति द्वारा किया जाता है।

भारतीय समाज के सबसे शोषित वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ की सुरक्षा हेतु संविधान में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अंतर्गत विभिन्न सेवाओंमें आरक्षणप्रदान किया गया है। प्रमुख प्रमुख उद्देश्य सेवाओं में उनके आरण में वृद्धि कर उन्हें रोजगार प्रदन करना नहीं है बल्कि उनका सामाजिक और शैक्षिक स्तर सुधारना है ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में उनकी सही जगह प्राप्त हो सके। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति का आरक्षण 15% और अनुसूचित जनजाति का 7.5% है और संबंधित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों में आरक्षण प्रदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 1983 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल की स्थापना की योजना आरंभ की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष सेल की स्थापना योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति और विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार के कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करना;

(ii) दाखिलों, शिक्षण और शिक्षणेतर पदों पर नियुक्ति आदि के संबंध में नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित डाटा एकत्र करना;

(iii) उद्देश्य हेतु बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाना;

(iv) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में आरक्षण नीति को लगातार कार्यान्वित, मॉनीटर और मूल्यांकित करने और भारत सरकार की नीति और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की योजना बनाना।

विशेष सेल का कार्य

(i) निर्धारित तिथि द्वारा विनिर्दिष्ट तरीकों से और जहां आवश्यक हो अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम–वार दाखिलों के संबंध में वार्षिक आधार पर नियमित सूचना एकत्र करना और भारत सरकार तथा आयोग के निर्णय परिचालित करना।

(ii) निर्धारित तिथि द्वारा विनिर्दिष्ट तरीकों से और जहां आवश्यवक हो अनुवर्ती कार्रवाई हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षण और शिक्षणेतर पदों के लिए इन समुदायों की भर्ती, प्रशिक्षण के संबंध में सूचना एकत्र करना और भारत सरकार तथा आयोग के निर्णय परिचालित करना।

(iii) आयोग द्वारा वर्तमान नीति में संशोधन अथवा नई नीतियां बनाने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए, शिक्षा के विभिन्न पहलू पर भारत सरकार के आदेशों के संबंध में रिपोर्ट और सूचना एकत्र करना।

(iv) मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य प्राधिकरणों, जैसा भी आवश्यक हो, को अग्रेषित करने के लिए रिपोर्ट तैयार करना और ऊपर एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना।

(v) विश्वविद्यालयों/कालेजों में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के दाखिले, भर्ती प्रोन्नति और अन्य समान मामलों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कार्य करना।

(vi) संबंधित कॉलेज और विश्वविद्यालय में अनुमोदित उपचारी कोचिंग योजना के कार्य की मॉनीटरिंग करना।

(vii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की शिकायतों हेतु शिकायत निवारण सेल के रूप में कार्य करना और अकादमिक तथा प्रशासनिक समस्याओं का समाधान कर उनकी आवश्यक सहायता करना।

(viii) विश्वविद्यालय/कालेज में विभिन्न पदों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार हेतु रजिस्टर तैयार करना।

(ix) आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित इन दो समुदायों के लोगों में उच्चतर शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य करना।

(x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मामलों से संबंधित कार्यों को देखते हैं और इन्हें कोई और कार्य नहीं सौंपा जाता है।

(xi) यदि दी गई तारीख तक आवश्यक डाटा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तब तक योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान को रोकने का अधिकार होगा जब तक कि आवश्यक सूचना/डाटा प्राप्त नहीं हो जाता। अतः विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को आवश्यक सूचना प्रदान करने की सलाह दी जाती है।

लाभार्थी विश्वविद्यालयों की संख्या : 127 (विश्वविद्यालय/मानद विश्वविद्यालय और इंटर यूनिवर्सिटी कॉनसोर्टियम)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सेवा में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं : कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों से केन्द्रीय सेवाओं के ग्रुप 'ए' 'बी' अथवा 'सी' राज्य सेवाओं अथवा निजी सेक्टर में समान पदों पर लाभपरक रोजगार दिलाना है। योजना के अंतर्गत कोचिंग को परीक्षा विशिष्ट होना चाहिए जैसे आईएएस, राज्य लोक सेवा, बैंक भर्ती आदि। कोचिंग को केन्द्रित होना चाहिए; जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए कॉलेज परीक्षा सूचना सेल विकसित कर सकता है।

11. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना : योजना का उद्देश्य कम आमदनी वाले परिवारों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के दैनंदिन खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयोंमें स्नातक/स्नातकोत्तर अध्ययन और मेडिकल, इंजीनियरी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष 82000 नई छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष (छात्रों के लिए 41000 और छात्राओं के लिए 41000) प्रदान की जा रही है। वर्तमान में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण इस प्रकार हैः अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और सभी वर्गों में शारीरिक रूप से निःशक्त हेतु 3%।

12. जम्मू और कश्मीर हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना: जम्मू और कश्मीर में रोज़गार के अवसर बढ़ाने और सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर को शामिल करते हुए रोज़गार योजना बनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई। विशेषज्ञ समूह की प्रमुख सिफारिशों में से एक जम्मू और कश्मीर के युवाओं को राज्य से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अगले पांच वर्षों में प्रति वर्ष 5000 छात्रवृत्तियां प्रदान करना है। इस योजना द्वारा जम्मू और कश्मीर के ऐसे छात्रों जिन्होंने कक्षा ग्प् अथवा समान परीक्षा उत्तीर्ण कर सरकारी कॉलेजों/संस्थानों/एआईसीटीई अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य गैर–सरकारी संस्थानों अथवा राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के राज्य से बाहर स्थित संस्थानों में दाखिला पा लिया है, को ट्यूशन फीस, छात्रावास फीस, पुस्तकों की लागत और अन्य प्रभार प्रदानकिए जाते हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के मानकों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए भी आरक्षण होगा। अगले पांचवर्ष में इस पहल हेतु 1200 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की गई है। यह योजनावर्ष 2011–12 से कार्यान्वित की जा रही है।

जम्मू और कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निधियां जारी करने की स्थिति

वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	संख्या	निधियां	संख्या	निधियां
2012-13	84	88.90 लाख	152	174.64 लाख
2013-14	160	195.14 लाख	180	231.41 लाख
2014-15	54	57.90 लाख	30	33.69 लाख

13. शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी : यह केन्द्रीय सेक्टर की योजना जिसका नाम शैक्षिक ऋणों पर ब्याज की केन्द्रीय सेक्टर की योजना (सीएसआईएसएस) है। यह योजनागत योजना दिनांक 01/04/09 को आरंभ हुई। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 15/08/09 को की गई घोषणा पर आधारित है। माननीय वित्त मंत्री ने भी दिनांक 06/07/09 के अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। योजना के अंतर्गत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों जिनके माता–पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपए तक है और जो भारत में उच्च शिक्षा के संबंधित निकायों द्वारा मान्यता–प्राप्त और अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम रहे हैं, को ब्याज सब्सिडी दी जाती है। पिछले 3 वर्ष के दौरान वर्ग–वार लाभार्थियों का विवरण और जारी ब्याज सब्सिडी नीचे दी गई है :

वर्ग	2012-13		2013-14		2014-15		कुल	
	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि	खाता	राशि
सामान्य	957521	1511.38	841130	1438.68	1511062	357.56*	3309713	3307.62
%	88.86	89.86	88.85	90.62	92.45	74.36	90.46	88.19
SC	97549	81.56	88711	115.49	105395	103.32	261655	300.37
%	6.27	4.85	9.37	7.27	6.45	21.49	7.15	8.01
ST	52435	88.93	16855	33.47	17964	21.13	87254	143.52
%	4.87	5.29	1.78	2.11	1.10	4.38	2.38	3.83
कुल	1077505	1681.86	946696	1587.64	1634421	482.01	3658622	3751.51

(स्रोत : केनरा बैंक)

*सामान्य वर्ग में वर्ष 2014–15 के लिए प्राथमिक क्लेम के लिए केनरा बैंक को भुगतान का कुछ भाग जारी कर दिया गया है।

नोट : केनरा बैंक ने वर्ष 2015–16 हेतु अभी सब्सिडी नहीं ली है।

14. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) : केन्द्र सरकार ने बारहवीं योजना के दौरान असेवित अथवा कम सेवित क्षेत्रों में गुणवत्तापरक नई संस्थाएं स्थापित कर और वर्तमान संस्थाओं के अवसंरचना तथा सुविधाओं में सुधार कर पहुंच, समानता और गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा में सुधार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) नामक केन्द्र प्रयोजित योजना आरंभ की है। सीसीएस द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं को अवसंरचनात्मक अनुदानों, वर्तमान संस्थाओं के स्तरोन्नयन, कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के सृजन जैसे विभिन्न घटकों के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है। राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं में उच्च शिक्षामें समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों को संबोधित करने के लिए प्रत्येक राज्य की कार्यनीति पर ध्यान दिया जाता है। रूसा में बारहवीं योजनावधि में कुल 22855 करोड़ रुपए का परिव्यय है और वार्षिक योजना 2014–15 में 2200 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। आज तक 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों ने रूसा में भाग लिया है। वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आदि के शैक्षिक रूप से पिछड़े विभिन्न जिलों को निधियां जारी की गई हैं। इन कॉलेजों के प्रमुख लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग जैसे कमजोर वर्गों से हैं। नगालैण्ड, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और विभिन्न अन्य राज्यों के विभिन्न कॉलेजों के अवसरंचनात्मक अनुदानों, उच्च शिक्षा का व्यावसायिकरण, समानता पहल, नए व्यावसायिक कॉलेजों आदि जैसे विभिन्न घटकों हेतु भी निधियां जारी की गई है। राज्यों को जारी इन निधियों में से लगभग 15% को अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना और जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत लगभग 7.5% की राशि जारी की गई है।

15. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की उच्च बहुलता वाले कालेज : योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों तक पहुंच को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत 3028 संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

16. सामुदायिक कॉलेज योजना : फरवरी, 2012 में हुई राज्य शिक्षा मंत्रियों की कांफ्रेस में गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे सामुदायिक कॉलेजों के पैटर्न पर वर्तमान कॉलेजों/पॉलिटेक्नीकों में अकादमिक वर्ष 2013–14 से पायलेट आधार पर 200 सामुदायिक कॉलेजों को संचालनरत करने की योजना है। ये कॉलेज विशेष रूप से जनसंख्या के लाभवंचित वर्गों, स्थानीय समुदाय को दाखिला देने को प्राथमिकता देते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 102 सामुदायिक कॉलेजों और 127बी,वोक. डिग्री कार्यक्रमों को संस्वीकृति प्रदान की है जिसमें 329 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय होगा, इससे इन संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने वाले छात्रों को सीधा लाभ होगा।

17. जीएटीई अर्हता प्राप्त एमई/एम.टैक छात्रों हेतु एआईसीटीई की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति : जेंडर को ध्यान में रखे बगैर जीएटीई अर्हता प्राप्त एमई/एमटेक छात्रों और जीपीएटी अर्हता प्राप्त एम.फार्मा छात्रों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति/स्नातकोत्तर कार्यक्रम में 18 छात्रों के बैच के लिए 2 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं के लिए 1 छात्रवृत्ति आरक्षित है।

18. एआईसीटीई की ट्यूशन फीस में छूट की योजना : यह योजना अनिवार्य रूप से एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित ऐसी सभी तकनीकी संस्थओं पर लागू होती है जो अवर स्नातक कार्यक्रम, डिप्लोमा और ठ वर्ष के स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करते हैं। इन दाखिलों के लिए प्रति पाठ्यक्रम संस्वीकृत दाखिल की अधिकतम 5% सीटें उपलब्ध हैं। ये सीटें संख्या से अधिक होती हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल वही छात्र पात्र हैं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2.50 लाख रुपए से कम है।

19. तकनीकी शिक्षा पहल में बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु सहायता प्रदान करना (प्रगति)–एआईसीटीई : इस योजना से 6 लाख प्रति वर्ष से कम की वार्षिक आय वाले परिवार की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने की अर्हता परीक्षा में मेरिट आधार पर प्रति परिवार एक बालिका के चयन की परिकल्पना की गई है। इस योजना को संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकृत दाखिला केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। प्रति वर्ष लगभग 4000 बालिकाएं इन छात्रवृतियों का लाभ उठाएंगी। छात्रवृत्ति की राशि 30000/– रुपए अथवा ट्यूश्न फीस अथवा वास्तविक, जो भी कम हो और आकस्मिक भत्ते के रूप में दस माह के लिए 2000/– रुपए प्रतिमाह है। आरक्षणः अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

वर्ष 2014–15 के दौरान जारी छात्रवृत्ति

वर्ग	राशि (रुपए)	लाभार्थी
सामान्य	314261	06
अन्य पिछड़ा वर्ग	622635	23
अनुसूचित जाति	124956	04
अनुसूचित जनजाति	21200	01
कुल	**1083052**	**34**

21. सीएसआईआर/डीआरडीओ में पीएचडी करने वालों को एआईसीटीई छात्रवृत्तियां : एआईसीटीई में सीएसआईआर/डीआरडीओ प्रयोगशालाओं अथवा अन्य विख्यात संस्थाओं में पीएचडी करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को प्रति वर्ष 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की घोषणा की है। छात्रवृत्तियों का भुगतान सरकार के इस उद्देश्यार्थ मानकों के अनुसार किया जाता है। आरक्षण : अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

22. एआईसीटीई छात्रावास योजनाः इंजीनियरी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पेश आ रही मुश्किलों पर ध्यान देते हुए एआईसीटीई ने संस्था की आवश्यकतानुसार पुरूषों और महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना आरंभ की है। योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों/अनुसंधानकर्ताओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु छात्राओं/छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सरकारी/सरकारी सहायता–प्राप्त इंजीनियरी कॉलेजों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। इन छात्रावासों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कौशल ज्ञान से सशक्त बनाने के लिए सामुदायिक कौशल विकास केन्द्र की अतिरिक्त सुविधा भी होगी। एआईसीटीई ने राष्ट्रीय व्यावसायिक अर्हता फ्रेमवर्क (एनवीक्यूएफ) और सामुदायिक कॉलेजों के माध्यम से कौशल विकास हेतु नई पहल आरंभ की है। ये केन्द्र लाभवंचित वर्गों को कौशलज्ञान प्रदान करेंगे। यह संभावना है कि व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ऐसी सुविधा प्रदान कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन में वृद्धि के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

पिछले कई सालों से विद्यमान सरकारी/सरकारी सहायता–प्राप्त इंजीनियरी कॉलेज/विश्वविद्यालय विभाग और पिछले तीन वर्षों में जिनमें 150 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं वे अनुदान के पात्र हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु प्रस्तावित/अनुमोदित छात्रावास अधिकतम करोड़ रुपए के अनुदान के पात्र हैं जो उन्हें 03 किश्तों में मिलेगा।

23. सामाजिक विज्ञान में डा0 एस. राधकृष्णन पोस्ट–डाक्टोरल अध्येताविद्ः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भाषा सहित सामाजिक विज्ञान में डा0 एस. राधकृष्णन पोस्ट–डाक्टोरल अध्येताविद् नामक नई योजना

आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत चयनित अध्येताविदों को 3 वर्ष की अवधि हेतु 25,000 रुपए प्रति माह + एचआरए आदि की दर से 300 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएंगी। आरक्षण % अनुसूचित जाति 15% और अनुसूचित जनजाति 7.5%।

24. एआईसीटीई द्वारा उठाए गए अन्य कदम

(i) इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी और फार्मेसी के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एआईसीटी, जीएटीई/जीपीएटी उत्तीर्ण पूर्णकालिक छात्रों और एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं में दाखिल छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

(ii) अकादमिक वर्ष 2013–14 के दौरान, एआईसीटीई अनुमोदित सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों (छात्र और छात्राओं) के लिए 'छात्रावासों की स्थापना' हेतु अनुदान प्रदान करने की एआईसीटीई द्वारा नई योजना आरंभ की गई है।

(iii) 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावासों के निर्माण' के लिए वित्तपोषित ऐसी सभी संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कौशल ज्ञान में सशक्त बनाने हेतु 'सामुदायिक कौशल विकास केन्द्र 'की अतिरिक्त सुविधा के प्रावधान के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल विकास पहल को भी प्रोत्साहित किया गया है। संबंधित संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल वृद्धि के लिए कौशल विकास केन्द्र आवश्यक और अनिवार्य है।

(iv) सभी स्तरों पर इंजीनियरी अवर स्नातक/डिप्लोमा छात्रों को उभरते रोजगार अवसरों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एआईसीटीई 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम केन्द्र' योजना प्रदान करता है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमित अध्ययन के अतिरिक्त विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है और संचार, पर्सनेलिटी विकास तथा अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता के माड्यूल की सहायता से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कौशल को विकसित करती है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के आत्मविश्वास को दृढ़ करेगी और उन्हें रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करेगी ताकि उद्योग में उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके।

(v) 'अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावासों के निर्माण' के लिए वित्तपोषित ऐसी सभी संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कौशल ज्ञान में सशक्त बनाने हेतु 'सामुदायिक कौशल विकास केन्द्र' की अतिरिक्त सुविधा के प्रावधान के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल विकास पहल को भी प्रोत्साहित किया गया है। संबंधित संस्था में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कौशल वृद्धि के लिए कौशल विकास केन्द्र आवश्यक और अनिवार्य है।

25. आईआईटी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त लाभ

(क) बी.टेक, ड्यूअल डिग्री, एम.टेक, एमएससी, एम.एस और पीएच.डी. कार्यक्रमों में दाखिल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रों को ट्यूशन फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होती है चाहे उनके माता–पिता की आय कितनी भी हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संस्थान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रति सेमिस्टर 500/– रुपए के छात्रावास किराए से भी छूट होती है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बी.टेक कार्यक्रम के छात्रों को निवास स्थान से संस्थान तक जाने के लिए यात्रा भत्ता (द्वितीय क्लास ट्रेन किराया/सामान्य बस का किराया) प्रदान किया जाता है।

(ग) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र के माता–पिता की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो उसे छात्रवृत्ति यथा निःशुल्क मेस (बेसिक मेनू) और 250/– रुपए प्रति माह का जेब खर्च प्रदान किया जाता है।

(घ) बी.टेक और ड्यूअल डिग्री कार्यक्रम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बुक बैंक की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होती है।

(ड़) ड्यूअल डिग्री के अंतिम वर्ष (9वें और 10वें सेमिस्टर) के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र, जीएटीई स्कोर पर अथवा 8वें सेमिस्टर के अंत में 7.5 के छूट प्राप्त सीजीपीए स्कोर पर 12 माह के लिए 5000/– रुपए प्रति माह की दर से एचटीटीए के पात्र होते हैं।

(च) आईआईटी से बी.टैक डिग्री करने वाले सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र 7.5 सीजीपीए की प्राप्ति पर एम.टैक कार्यक्रम में सीधे दाखिले के पात्र होते हैं।

(छ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अकादमिक वर्ष 1983–84 के दौरान केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक प्राथमिक पाठ्यक्रम आरंभ किया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की सूची से ऐसे छात्रों का चयन किया गया जो दाखिला नहीं पा सके थे। आईआईटी में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् वे बी. टेक कार्यक्रम में जाने के पात्र होंगे आर उन्हें फिर से जेईई परीक्ष नहीं देनी होगी। इस पाठ्यक्रम में आने वाले छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जाएगा।

(ज) कुछ आईआईटी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्र परामर्शक हैं जो उनके प्रत्यावेदनों पर ध्यान देंगे और उन्हें सलाह भी देंगे।

26. इग्नू द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रदत्त सुविधाएं : देश के विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और छात्र सहायता केन्द्रों को संचालनरत बनाने के लिए फरवरी, 1986 में क्षेत्रीय सेवा प्रभाग (आरएसडी) स्थापित किए गए। वर्तमान में पूरे भारत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 61 अध्ययन केन्द्र चल रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की बहुल जनसंख्या होने के कारण इग्नू ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए हैं। क्षेत्रीय केन्द्र स्थानीय मेलों, त्यौहारों में भाग लेते हैं और छात्रों की अकादमिक, व्यवसायिक और व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपयुक्त पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करने में मदद करते हैं। विश्वविद्यालय ने एससीएसपी और टीएसपी योजना प्रस्ताव के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु उपचारी अकादमिक काउंसलिंग सत्र प्रस्तावित किया है। विश्वविद्यालय ने सरकार के सामाजिक घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) अनुदानों के अंतर्गत शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया है। यह अगले वित्तीय वर्ष से कार्यान्वित होगा।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वाविद्यालय (इग्नू) द्वारा नया प्रस्ताव : इग्नू ने इग्नू में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और निःशक्त व्यक्तियों के लिए शुल्क में छूट/वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सेक्टर योजना का प्रस्ताव किया है।

योजना का उद्देश्य छात्रवृत्ति/शुल्क में छूट के माध्यम से सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों; आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि इन वर्गों के शैक्षिक विकास के अंतराल को कम किया जा सके और समाज में इन वर्गों के समान शैक्षिक विकास के प्रोत्साहन से उच्च तर शिक्षा में इनकी भागीदारी में वृद्धि की जा सके।

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

क. उच्चतर शिक्षा विभाग

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को हुई थी जिसमें अपनी पसंद और अन्य मामलों की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने तथा संबद्ध मामलों पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना था। इसके अतिरिक्त, इस आयोग की शक्तियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 और 2010 के माध्यम से और परिवर्तित किया गया है। यह आयोग एक अर्ध न्यायायिक निकाय है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

वर्ष 2015 के दौरान (1.4.2015 से 30.9.2015 तक) आयोग में कुल 1013 याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। 1013 मामलों में से,

769 मामलों का कोर्ट में निपटान किया गया था जिनमें पुराने मामले शामिल थे और 123 मामले आयोग द्वारा संक्षेपतः अस्वीकृत किए गए थे।

आयोग ने 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2015 तक 509 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी किए हैं। आयोग द्वारा 30.9.2015 तक कुल 11320 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति (एनएमसीएमई)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति (एनएमसीएमई) में विख्यात शिक्षाविद, संसद सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्थाएं और अन्य हित–धारक शामिल हैं।

3. मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना

मॉडल डिग्री कॉलेज शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों (ईबीडी), जिनमें 64 अल्पसंख्यक बहुल जिले शामिल हैं, में स्थापित किए जाने के लिए लक्षित थे। एमसीडी में 27 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत जारी रहेगी।

4. पॉलिटेक्निक

पॉलिटेक्निकों से संबंधित उपमिशन के अंतर्गत, असेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना करने के लिए 12.30 करोड़ रूपये प्रति पॉलीटेक्नीक की सीमा तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 57 पात्र अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से 55 में पॉलिटेक्निकों की स्थापना की गई है। शामिल नहीं किए गए 2 अल्पसंख्यक जिले दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सरकार ने योजना को शुरू करने की अपनी असमर्थता को पहले से ही व्यक्त कर दिया है। दिल्ली के एक जिले के संबंध में राज्य सरकार ने स्थान का चयन कर लिया है। परंतु इसके लिए भूमि प्रदान नहीं की है। अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मामले की पुनः जांच के पश्चात् इस मामले को शीघ्रता से निपटाने को कहा गया है।

5. महिला छात्रावास

महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य को प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावना का लाभ उठाने हेतु छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एवं महिलाओं में महिला–पुरूष समानता लाने और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महिला छात्रावास के निर्माण की योजना कार्यान्वित कर रहा है।

संस्वीकृत 211 छात्रावासों में से दिनांक 31.3.15 तक 9.91 करोड़ रुपयों के वित्तीय आबंटन के साथ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से 29 छात्रावास संस्वीकृत किए गए हैं। अप्रैल से सितंबर, 2015 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कार्य किए गए हैं।

6. समान अवसर प्रकोष्ठ

चूंकि उच्चतर शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक समानता हेतु एक उपकरण है, यूजीसी भारत सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करके एवं लाभवंचित समूहों हेतु कई योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रोन्नयन करके तथा सामाजिक असमानता को दूर करके पहुंच, साम्यता, समानता की राष्ट्रीय चिंताओं का समाधान कर रहा है। लाभवंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाध्यताओं हेतु कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजीसी ने लाभवंचित समूहों हेतु नीतियों और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और अकादमिक, वित्तीय सामाजिक और अन्य मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की एक योजना शुरू की है। ईओसी के कार्यालय की स्थापना हेतु 2.00 लाख रुपए का एक कालिक अनुदान प्रदान किया गया है।

7. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

XIवीं योजना के दौरान उर्दू माध्यम के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु अकादमियां शुरू की गई थीं। ये अकादमियां तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), हैदराबाद में स्थापित की गई हैं।

देश में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए एएमयू में 5 आवासीय कोचिंग अकादमियां हैं, जिन्होंने निम्नलिखित कार्य किए :

I. अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए:

- 106 छात्रों हेतु सिविल सर्विस कोचिंग कार्यक्रम;
- 68 छात्रों हेतु ज्यूडिशियल सर्विस कोचिंग कार्यक्रम; और
- 94 छात्रों हेतु सिविल सर्विस के लिए सुपर–50 कोचिंग कार्यक्रम

II. एएमयू छात्रों के लिए:

- 167 इंजीनियरी छात्रों को जीएटीई कोचिंग;
- इंजीनियर्स जोन, नई दिल्ली से दिनांक 01.12.2015 से ऑनलाईन कक्षाएं आरंभ की गई;
- जेडएचसीईटी के शिक्षकों द्वारा दिनांक 12.10.2015 से नियमित कक्षाएं शुरू की गई;
- 144 छात्रों के लिए कला और मानविकी हेतु यूजीसी–नेट कक्षाएं;
- 123 छात्रों के लिए गणितीय विज्ञान, 52 छात्रों के लिए रसायन विज्ञान और 82 छात्रों के लिए जीव विज्ञान पर सीएसआईआर–नेट विषय कक्षाएं।

जेएमआई स्थित अकादमी ने वर्ष 2013–14 के दौरान 268 भागीदारों के लाभार्थ राष्ट्रीय सेमिनार, 6 पुनश्चर्या कार्यक्रम और 6 कार्यशालाएं आयोजित की।

एमएएनयूयू ने अल्पसंख्यकों हेतु यूजीसी–नेट की कोचिंग का संचालन किया है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए तैयार किया गया था। अब तक 20 बैचों को कोचिंग प्रदान की गई थी जिससे 983 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है। 1395 छात्रों ने एमएएनयूयू के उपचारी कोचिंग केन्द्र में कोचिंग प्राप्त की थी। एमएएनयूयू ने सेवा में प्रवेश के लिए अल्पसंख्यकों को कोचिंग देने हेतु केन्द्र (सीसीएमईएस) ने समूह–I परीक्षा के लिए कोचिंग कार्यक्रम संचालित किया था, इस कार्यक्रम से 52 अभ्यर्थियों ने लाभ प्राप्त किया है। उर्दू माध्यम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु केन्द्र (सीपीडीयूएमटी) ने 2855 शिक्षकों हेतु 55 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।

8. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद् (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का संवर्धन करता है तथा उर्दू भाषा से संबंधित मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है व इसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है।

कम्प्यूटर एप्लीकेशन और बहुभाषी डीटीपी केंद्रों की स्थापना :

वर्ष 2015–16 के दौरान (30.09.2015 तक), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग तथा बहु–भाषीय डीटीपी (सीएबीए–एमडीटीपी) में एक वर्षीय डिप्लोमा के संचालन के लिए पंजीकृत गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक नए एनसीपीयूएल पूर्णतया सहायता प्राप्त अध्ययन केन्द्र खोले गए थे। यह मौजूदा 402 केन्द्रों के अतिरिक्त हैं जिससे कुल संख्या 403 हो गई है जिसमें 9190 बालिकाओं सहित 22973 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया ताकि उर्दू भाषी लड़कों और लड़कियों को रोजगार योग्य प्रौद्योगिकीय कार्यबल बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 60712 बालिकाओं सहित 150927 विद्यार्थियों ने डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन बालिकाओं सहित लगभग 60% विद्यार्थियों ने निजी और स्थानीय संस्थाओं में नियोजन प्राप्त किया है।

कैलीग्राफी और ग्राफिक डिज़ाइन केन्द्र :

पारंपरिक कैलीग्राफी के संरक्षण और संवर्धन के लिए 53 कैलीग्राफी तथा ग्राफिक डिजाईन केन्द्रों ने इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत करीब 664 बालिकाओं सहित 1325 छात्रों को पढ़ाया।

सहायता अनुदान (उर्दू)

139 सेमिनार, 44 व्याख्यान श्रृखंला का आयोजन करने, मुद्रण सहायता प्रदान करने के लिए 139 लेखकों की पांडुलिपियां और अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सहित वास्तविक लेखकों की 350 उर्दू पुस्तकों हेतु चयनित उर्दू संवर्धन कार्यकलापों को सहायता देने के लिए 183 एनजीओ/एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई।

उर्दू प्रेस प्रोमोशन

एनसीपीयूएल यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की उर्दू सेवा प्राप्त करने के लिए 92 लघु और मध्यम उर्दू पत्रों की वित्तीय

सहायता प्रदान करता है। लगभग 600 समाचार पत्रों ने भी डीएवीपी दर पर विज्ञापन प्रदान किए।

प्रकाशन कार्य

एनसीपीयूएल, भारत सरकार के तहत मुख्य उर्दू प्रकाशन गृह है। वर्ष में प्रकाशन कार्य 16 नए शीर्षक, 16 पुर्नमुद्रण, 16 पाठ्यक्रम पुस्तकें, उर्दू दुनिया के 07 अंक, मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया के 07 अंक और तिमाही पत्रिका फिक्र–ओ–तहकीक के 02 अंक शामिल हैं, को प्रकाशित किया गया है।

पुस्तक संवर्धन

उर्दू पुस्तक मेलों के आयोजन द्वारा बिक्री और प्रदर्शनी के माध्यम से उर्दू पुस्तकों का संवर्धन किया जाता है। एनसीपीयूएल ने अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 2 पुस्तक मेलों में भाग लिया।

अकादमिक परियोजना/सहयोग

एनसीपीयूएल ने निर्माण की कई अकादमिक परियोजनाएं जारी रखीं जिसमें से 16 परियोजनाएं/पांडुलिपियां, 16 पुनः प्रकाशन और 01 शब्दावली प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 04 शब्दावलियों, 02 एनसाइक्लोपीडिया, 03 शब्दावलियों का कार्य प्रगति पर है। 17 बैठकें/कार्यशालाएं हुई। साहित्य, भाषा और सामाजिक भाषा, उर्दू साहित्य का इतिहास और एनसाइक्लोपीडिया, यूनानी औषधि, कानूनी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, फारसी, अरबी, इस्लामिक अध्ययन और सृजनात्मक लेखन पैनल के अंतर्गत 144 परियोजनाएं प्रगतिशील है।

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/कांफ्रेंस/कार्यशाला/सांस्कृतिक कार्यक्रम

- दिल्ली में 11–13 सितंबर, 2015 तक ''गालिब संस्थान'' के सहयोग से तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान शिक्षाविद् सम्मेलन।
- कोलकाता में 19–20 सितंबर, 2015 तक ''उर्दू पत्रकारिता के दो सौ वर्ष'' पर दो दिवसीय सेमिनार।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू)

एनसीपीयूएल प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है। कुल 1165 केन्द्रों को तैयार करने के लिए 756 मौजूदा केन्द्रों के अतिरिक्त 53 उर्दू अध्ययन केन्द्र (762 उर्दू डिप्लोमा (47 केन्द्र बंद हो गए) और 403 सीएबीए–एमडीटीपी) स्थापित किए गए थे जिनमें कम्प्यूटर केन्द्र शामिल हैं, उर्दू डिप्लोमा उन अध्योताओं के लिए अनिवार्य है जो कम्प्यूटर पाठ्यक्रम सीख रहे हैं। करीब 1284 अंश–कालिक उर्दू शिक्षकों को रोज़गार प्राप्त हुआ और 75137 (52164 उर्दू डिप्लोमा + 22973 सीएबीए–एमडीटीपी) छात्र जिनमें 35300 (26110 उर्दू डिप्लोमा + 9190 सीएबीए–एमडीटीपी) बालिकाओं ने दाखिला लिया। उर्दू ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रम शुरू हुआ जिनमें 14914 भारतीय और ऑनलाइन पंजीकृत 1594 विदेशियों सहित 16508 अध्येता शामिल थे।

अरबी और फारसी को प्रोत्साहन

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए शास्त्रीय भाषा अरबी और फारसी का प्रोन्नयन करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी सुपुर्द की गई है। कार्यात्मक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे आने वाले अध्येताओं के लिए संचालित है। 609 केन्द्रों को (13 बंद है) जारी रखने के लिए, मौजूदा 570 केन्द्रों के अतिरिक्त 53 नए अध्ययन केन्द्र हैं। 970 अंश कालिक अरबी शिक्षकों को 38367 अध्येताओं को शिक्षण देने का रोजगार प्राप्त हुआ था जिनमें दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिल 16252 बालिकाएं शामिल थीं। 5 फारसी केन्द्र भी चल रहे हैं जिनमें 227 छात्रों को 6 अंशकालिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं।

अनुदान सहायता (अरबी/फारसी)

प्रकाशन सहायता प्रदान करने के लिए लेखकों की 05 पांडुलिपियों के चयनित अरबी/फारसी प्रोत्साहन कार्यों और अनुमोदित लेखकों की 31 अरबी/फारसी पुस्तकों की सहायतार्थ 05 एनजीओ/संस्थाओं/एजेंसियों को वित्तीय सहायता।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 03 केन्द्रों में 'पेपर मेश' में छह माह का प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया और पाठ्यक्रम का प्रथम बैच पूरा हुआ।

ख. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

1. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सुलभता, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान करता है और हमारे राज्यतंत्र की धर्म निरपेक्ष परिधि में स्कूलों को मुक्त और समावेशी बनाता है। इस योजना की कवरेज का इस प्रकार विस्तार किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त स्वयंसेवी मदरसों/मकतबों की पहचान करने के साथ–साथ अन्य स्वयंसेवी मदरसों/मकतबों जो पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त

न हो लेकिन राज्य परियोजना निदेशालयों के साथ समन्वय करके सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों के तहत सहायता प्राप्त करते हों।

अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करने से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ सुनिश्चित किया जा सके जैसा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के मामले में है जहां अल्पसंख्यकों का शेयर 20% तक का है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं– सर्व शिक्षा अभियान ने देश में 88 मुस्लिम बहुल जिलों की पहचान की है जिसमें वर्ष 2015–16 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1154047.34 लाख रूपए, जो कुल आबंटनों का (19%) है, को इन 88 विशेष फोकस वाले जिलों के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2014–15 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूलों और 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूलों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 204643 प्राथमिक स्कूलों और 159359 उच्च प्राथमिक स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम)

एसपीक्यूईएम, मदरसों में गुणवत्तायुक्त सुधार लाना चाहता है ताकि औपचारिक शिक्षा विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को समर्थ बनाया जा सके। एसपीक्यूईएम योजना की मुख्य विशेषताएं है.

i. औपचारिक पाठ्यचर्या विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि के शिक्षण हेतु मदरसा में शिक्षकों के मानदेय भुगतान में बढ़ोतरी के माध्यम से क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।

ii. इन शिक्षकों को नए शिक्षा शास्त्र पद्धतियों में प्रत्येक दो वर्ष में प्रशिक्षण।

iii. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में वार्षिक रखरखाव लागतों के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध करना।

iv. प्रारंभिक/उच्च प्रारंभिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किटों का प्रावधान।

v. मदरसों के सभी स्तरों में पुस्तकालय/पुस्तक बैंक और शिक्षण शिक्षा सामग्री का सुदृढ़ीकरण करना।

vi. इस संशोधित योजना की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा प्रदान के लिए प्रत्यायित केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के साथ मदरसों को संपर्क में रहने को प्रोत्साहित करेगी, जो कक्षा 5,8,10 और 12 हेतु प्रमाणन प्राप्त करने के लिए इन मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को सक्षम बनाएगी। यह योजना उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवृत्त होने के लिए सक्षम बनाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के सदृश गुणवत्तायुक्त मानक भी सुनिश्चित करेगी। एनआईओएस की पंजीकरण और परीक्षा फीस के साथ–साथ उपयोग की जाने वाली शिक्षण और अधिगम सामग्रियों को भी इस योजना में कवर किया जाएगा।

vii. मदरसों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए इस योजना के तहत एनआईओएस के साथ संपर्क को बढ़ाया जाएगा।

viii. योजना की निगरानी करने और लोकप्रिय बनाने हेतु यह राज्य मदरसा बोर्डों को निधियां प्रदान करेगा। भारत सरकार स्वयं आवधिक मूल्यांकन करेगी जिसमें पहला मूल्यांकन दो वर्षों के भीतर होगा।

इस योजना के तहत, 12वीं योजना में 900 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान, 375 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान, मदरसों और अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना के लिए किया गया है जिनमें एमपीक्यूईएम शामिल है। एसपीईक्यूएम योजना के अंतर्गत वर्ष 2014–15 के दौरान 11654 मदरसों और 26673 शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए 107.83 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान मदरसों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के लिए 375.50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। दिनांक 31.10.2015 तक 73.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसमें से एसपीक्यूईएम योजना के अंतर्गत 7574 मदरसों और 19003 शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के लिए 6 राज्यों को 72.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

3. अल्प संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)

आईडीएमआई का उद्देश्य अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निजी सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल/संस्थाओं में अवसंरचना

में वृद्धि करना है। आईडीएमआई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैंः–.

i. यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना में वृद्धि करने और उन्हें सुदृढ़ करके अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी।

ii. यह योजना सम्पूर्ण देश को शामिल करेगी लेकिन वरीयता अल्पसंख्यक संस्थाओं (निजी सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त स्कूल) जो उन जिला ब्लॉकों और शहरों में स्थित हैं जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या 20ः से अधिक है, को दी जाएगी।

iii. यह योजनाएं अन्य बातों के साथ–साथ बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वे बच्चे जो अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से सर्वाधिक वंचित हैं, को शिक्षा सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित करेगी।

iv. यह योजना निजी सहायता प्राप्त/गैर–सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के अवसंरचना विकास और बच्चों के लिए मौजूदा स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना और भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 50 लाख रूपए प्रति संस्थान के अध्यधीन 75% की सीमा तक निधि प्रदान करेगी जिनमें (i) अतिरिक्त कक्षा–कक्ष (ii) विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला कक्ष (iii) लाइब्रेरी कक्ष (iv) शौचालय (v) पेयजल सुविधाएं और (vi) छात्रावास भवन विशेषतया लड़कियों के लिए, शामिल हैं।

इस योजना के तहत 12वीं योजना में इस योजना के लिए 325 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान मदरसों और अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने की योजना हेतु 375 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई शामिल हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान मदरसों और अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के लिए 375.50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया। दिनांक 31.10.2015 तक 73.38 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसमें से आईडीएमआई योजना के अंतर्गत 4 संस्थाओं के लाभ हेतु एक राज्य को 39.58 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल हैं, जिनमें न्यूनतम 75% सीटें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए होती हैं।

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में संस्वीकृत सभी 544 केजीबीवी, जिसमें 20% मुस्लिम जनसंख्या शामिल हैं, (देश में ईबीबी में संस्वीकृत 3609 में से) अब चल रहे हैं।

अल्पसंख्यक ब्लॉकों में स्थित केजीबीवी में उर्दू माध्यम प्रशिक्षण हेतु एक पृथक अनुभाग बनाने का प्रावधान किया गया है।

5. जवाहर नवोदय विद्यालय योजना (जेएनवी)

जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का उद्देश्य परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना ग्रामीण क्षेत्रों से श्रेष्ठ प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्ता परक आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। देश के 628 जिलों में से (15.04.2012 की स्थिति के अनुसार) तमिलनाडु राज्य को छोड़कर, जिसने नवोदय विद्यालय योजना को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, कुल 576 जिलों को नवोदय विद्यालय योजना के तहत पहले से ही शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2008–09 के दौरान उन जिलों में 20 अतिरिक्त जेएनवी को संस्वीकृति भी दी है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है और मणिपुर राज्य में 2 और जेएनवी स्वीकृत किए हैं। 12 जेएनवी में कक्षा 6 से 8 के लिए अध्ययन का माध्यम उर्दू है। इसके अतिरिक्त, उर्दू को 35 स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

6. बालिका छात्रावास

आरएमएसए के बालिका छात्रावास घटक में देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3448ब्लॉकों में से प्रत्येक में 100 बालिकाओं की क्षमता वाला एक छात्रावास का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, पहुंच में सुधार करना और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षा (9 से 12) में बालिकाओं को बनाए रखना है ताकि **बालिकाएं स्कूल की दूरी,** माता–पिता की वित्तीय क्षमता और अन्य संबद्ध सामाजिक कारको के कारण अपने अध्ययन को जारी रखने के अवसर से वंचित न रह सकें। वर्ष 2015–16 के दौरान 12046 लाख रूपए (दिनांक 30.9.15 तक) की राशि अनुमोदित 2225 बालिका छात्रावासों के लिए जारी की गई है जिसमें वर्ष 2015–16 में अनुमोदित 92 बालिका छात्रावास शामिल हैं। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 319 बालिका छात्रावासों को संस्वीकृत किया गया है जिनमें से 36 छात्रावास अल्पसंख्यक बहुल जिलों में चल रहा है।

7. भाषा शिक्षकों की नियुक्ति

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और 1000 रूपए प्रतिमाह की दर से छात्रों को उर्दू सिखाने हेतु अंश–कालिक शिक्षकों को मानदेय प्रदान करना भी अनुमत्य है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में जिस स्थान पर उर्दू भाषी जनसंख्या 25% से अधिक हो वहां उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक ब्लॉकों/जिलों में ''उर्दू शिक्षकों'' की नियुक्ति के पिछले मानदंड में परिवर्तन किया गया है। यह वित्तीय सहायता अगली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2012–17 तक लागू है। यह योजना हिंदीतर राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जहां तक आवश्यक हो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू के प्रोन्नयन को ध्यान में रखते हुए छात्रों को उर्दू पढ़ाने हेतु मौजूदा शिक्षकों को मानदेय देने के लिए/उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मांग पर आधारित है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्भर करती है। अतः कोई वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य निश्चित नहीं किया जा सकता। वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 के दौरान पंजाब सरकार को उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु क्रमशः 1.13 करोड़ रुपए और 1.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

8. शिक्षक शिक्षा

शिक्षक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में 196 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शिक्षक शिक्षा की ब्लॉक संस्थाओं (बीआईटीई) की स्थापना का प्रावधान है। 12वीं योजना अवधि के वर्ष 2012–13, 2013–14 और 2014–15 के दौरान, अनुमोदित 88 बीआईटीई में से, 24 बीआईटीई को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में संस्वीकृति दी गई है।

9. अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) द्वारा की गई पहल

अंतर्राष्ट्रीय पहचान और उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस), शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ पद्धति (ओडीएल) के माध्यम से अनवरत और शिक्षु केंद्रित गुणवत्तापरक स्कूल शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। एनआईओएस अल्पसंख्यक समुदायों में गुणवत्तापरक स्कूल शिक्षा के प्रोत्साहन का भी प्रयास कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार एनआईओएस ने अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 2006 में अल्पसंख्यक सेल की स्थापना की है।

10. अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के तहत विशेष छूट

मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए, एनआईओएस द्वारा कई छूट प्रदान की गई हैं जैसे ख्याति प्राप्त मदरसे, जो राज्य मदरसा बोर्ड के साथ संबद्ध नहीं है उनको भी कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रत्यायन प्रदान किया जा सकता है। प्रत्यायित मदरसों और मकतबों को प्रत्यायन शुल्क के रूप में 5000 रूपये का भुगतान करने की छूट दी गई है। प्रत्यायन के लिए अवसंरचनात्मक मानदण्डों में भी छूट दी गई है। मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) को संचालनरत करने के लिए, एनआईओएस पाठ्यक्रमों में मदरसों के माध्यम से नामांकित मुस्लिम छात्रों को शुल्क में पूरी छूट दी जाती है। एसपीक्यूईएम योजना के तहत मदरसे/मकतब/दारूल–उलूम, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एनआईओएस के साथ प्रत्यायित अध्ययन केन्द्र बनने का विकल्प चुन सकते हैं। वे मदरसे जो कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं और केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम अथवा मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बोर्ड अथवा एनआईओएस के तहत पंजीकृत थे, इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु आवेदन के पात्र होंगे। एनआईओएस पाठ्यक्रम, उर्दू पृष्ठभूमि वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लाभ के लिए उर्दू माध्यम में उपलब्ध कराए गए हैं। एनआईओएस भाषा श्रेणी में मौजूदा आठ विषयों के अतिरिक्त स्कूल पाठ्यचर्या हेतु अतिरिक्त विषयों के रूप में अरबी और फारसी को शुरू करने की भी योजना बना रहा है।

वर्तमान में एसपीक्यूईएम के अंतर्गत 26 मदरसे एनआईओएस के अध्ययन केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनमें 5000 से अधिक शिक्षुओं ने दाखिला लिया है तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में योजना के अंतर्गत लगभग 2500 पहले ही प्रमाण–पत्र प्राप्त कर चुके हैं।

एसपीक्यूईएम के अंतर्गत अन्य राज्यों में भी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एडवोकेसी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पांच मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रमों को समानता का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। मदरसा बोर्ड के इन पाठ्यक्रमों को अब एनआईओएस के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण–पत्र के समान माना जाएगा।

★★★★★

अध्याय 13

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य

अध्याय 13

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य

प्रस्तावना – विशेष श्रेणी वाले राज्य

वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जो विशेष श्रेणी वाले राज्यों के अन्तर्गत आते हैं: अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन राज्यों की कुछ भिन्न विशेषताएं हैं। इनकी अतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पर्वतीय भू–भाग हैं और विशिष्ट रूप से भिन्न सामाजिक आर्थिक विकासात्मक मानदंड हैं। इन राज्यों को अवसंरचनात्मक विकास हेतु अपने प्रयासों में भौगोलिक असुविधाएं भी होती हैं। इन राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास भी देरी से हुआ है। उपर्युक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों को योजना सहायता में अनुदान के रूप में 90 प्रतिशत संस्वीकृति प्रदान करती है।

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में शिक्षा की एक झलक

क्र. सं.	राज्य	संस्थाओं की संख्या		नामांकन		सकल नामांकन अनुपात		लैंगिक समता सूचकांक		जीएसडीपी के प्रतिशत के तौर पर शिक्षा व्यय (2013–14)
		स्कूल शिक्षा I-XII 2015–16 (अनंतिम)	उच्चतर शिक्षा 2014–15	स्कूल शिक्षा I-XII 2015–16 (अनंतिम)	उच्चतर शिक्षा 2014–15	कक्षाएं I-XII (6–17 वर्ष) 2011–12	उच्चतर शिक्षा (18–23 वर्ष) 2014–15	कक्षाएं I-XII 2011–12	उच्चतर शिक्षा (18–23 वर्ष) 2014–15	
1	अरुणाचल प्रदेश	4047	47	411280	46116	95.2	28.3	0.95	0.97	4.83
2	असम	71042	643	6826486	546265	63.7	14.8	1.18	0.93	5.98
3	मणिपुर	4993	105	648463	105128	94.5	35.9	1.03	0.94	7.42
4	मेघालय	14514	95	934691	71171	90.0	20.5	1.08	1.07	4.17
5	मिजोरम	3825	47	278837	30564	95.7	23.3	0.96	0.98	7.50
6	नागालैंड	2826	82	339658	38970	66.0	15.6	1.01	1.06	8.52
7	सिक्किम	1279	26	149586	24023	94.8	30.3	1.08	1.14	3.43
8	त्रिपुरा	4844	63	767456	74054	94.2	16.8	1.00	0.67	7.04
9	जम्मू और कश्मीर	29092	409	2441743	337888	75.3	24.8	1.00	1.06	4.18
10	हिमाचल प्रदेश	18039	434	1433260	234917	100.4	31.2	1.00	1.14	4.28
11	उत्तराखंड	24026	590	2409967	415768	83.9	33.9	1.01	0.94	3.41

स्रोतः (1) न्यूपा और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(2) उच्चतर शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2014–15 (अनंतिम)
(3) शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण 2013–14

स्कूल शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) समयबद्ध रूप में, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति हेतु भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है जैसाकि 6–14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, भारत के संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अधिदेशित है, एक मौलिक अधिकार है। एसएसए जीवन कौशलों सहित गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा करता है। एसएसए का विशेष ध्यान बालिका शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर है। एसएसए डिजिटल डिवाइड में सेतु बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने की अपेक्षा करता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए): आरएसएसए एक मुख्य योजना है जो मार्च, 2009 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य 15–16 वर्ष आयु समूह के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, सुलभ कराना और उसे वहनीय बनाना है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात स्कूल, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर और व्यावसायिक शिक्षा में निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा में आईसीटी, आरएमएसए के तहत वर्ष 2013–14 से शामिल की गई थी। आरएमएसए को पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90:10 के भागीदारी पैटर्न के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति

राज्य	संस्वीकृत बालिका छात्रावासों की संख्या'	व्यावसायिक शिक्षा के तहत अनुमोदित स्कूलों की संख्या'	कार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या'	कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या'	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या'	कार्य कर रहे जनशिक्षण संस्थानों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	-	11	15	16	48	1
असम	1	--	55	27	57	5
मणिपुर	-	30	8	11	11	3
मेघालय	-	--	7	8	10	--
मिजोरम	-	--	4	7	1	
नगालैंड	-	--	5	11	11	1
सिक्किम	-	8	2	4	1	--
त्रिपुरा	1	--	9	4	9	1
हिमाचल प्रदेश	-	100	24	12	10	1
जम्मू और कश्मीर	68	110	38	17	99	2
उत्तराखंड	-	33	43	13	28	6

*वर्ष 2014–15 के दौरान

पूर्वोत्तर राज्यों में जारी की गई शिक्षा ऋण सब्सिडी पर केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना

शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केंद्रीय योजना का आशय उन सभी छात्रों का समावेशन करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हैं और उनके माता–पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख तक है। यह योजना, अनुसूचित बैंकों से, जिनमें, को–ऑपरेटिव और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, शिक्षा ऋणों पर अधिस्थगन काल (मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम + 1 वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उन सभी छात्रों द्वारा लिए जाते हैं। मॉडल एड्यूकेशनल लोन्स स्कीम ऑफ इंडियन बैंक्स एशोसिएशन

के अनुसार, इन योजना के लिए कैनरा बैंक नोडल बैंक है। इस योजना का प्रारंभ शैक्षिक वर्ष 2009–10 से आगामी वर्षों के लिए किया गया था।

लाभार्थियों की संख्या और पूर्वोत्तर राज्यों की जारी की गई ब्याज सब्सिडी की राशि निम्नलिखित हैंः–

राज्य का नाम	वर्ष	लेखाओं की संख्या	सकल सब्सिडी दावे (रुपयों में)
मिजोरम	2009-10	126	806043
	2010-11	251	3726583
	2011-12	141	3095468
	2012-13	209	4650368
	2013-14	505	10394679
	2014-15	190	5110395
कुल		1422	27783536
नागालेंड	2009-10	1977	15454169
	2010-11	2927	39964903
	2011-12	2975	57034274
	2012-13	3303	73739878
	2013-14	4835	113105418
	2014-15	7687	195453854
कुल		23704	494752496
मणीपुर	2009-10	733	4738690
	2010-11	1074	12450721
	2011-12	897	17525607
	2012-13	848	19219959
	2013-14	633	16503531
	2014-15	302	9854497
कुल		4487	80293005
मेघालय	2009-10	271	2329368
	2010-11	391	5301337
	2011-12	395	8665305
	2012-13	542	12125952
	2013-14	736	13560347
	2014-15	851	16920451
कुल		3186	58902758

राज्य का नाम	वर्ष	लेखाओं की संख्या	सकल सब्सिडी दावे (रुपयों में)
मिजोरम	2009-10	121	1247401
	2010-11	177	2726542
	2011-12	32	473562
	2012-13	295	6733026
	2013-14	286	6917261
	2014-15	700	14505090
कुल		1611	32602882
मिजोरम	2009-10	25	320881
	2010-11	63	855904
	2011-12	39	805545
	2012-13	80	1468099
	2013-14	173	3288204
	2014-15	147	3352762
कुल		527	10091395
नागालैंड	2009-10	38	299314
	2010-11	46	466900
	2011-12	28	585389
	2012-13	31	589961
	2013-14	48	1210592
	2014-15	84	1776325
कुल		275	4928481
सिक्किम	2009-10	325	2192916
	2010-11	510	6551478
	2011-12	777	13143632
	2012-13	925	15274917
	2013-14	1303	27871183
	2014-15	1715	41826152
कुल		5555	106860279

उच्चतर शिक्षा

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में उच्चतर शिक्षा के सुधार की संभावना कुछ समय के लिए भारत सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक रही है। यह स्पष्ट रूप से विश्वास किया जाता है कि उत्तर पूर्व के समग्र विकास का शैक्षिक नेटवर्क के विस्तार के साथ मजबूत संबंध है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 दिसम्बर, 2014 को आयोजित अ.जा, अ.ज.जा एवं निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक विकास हेतु राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति की बैठक में भी इनके लिए रोड़–मैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे पूर्वोत्तर के लोगों की राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदार बनने की चिर–प्रतीक्षित अभिलाषा को पूरा किया जा सके।

विशेष श्रेणी के राज्यों में केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं

राज्य	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	आई आई एम	आई आई टी	एनआईटी	अनुमोदित मॉडल डिग्री कॉलेज	पोलिटेक्निकों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	01			01*	06	14
असम	02		01	01	12	21
मणिपुर	02			01*		8
मेघालय	01	01		01*	05^	4
मिजोरम	01			01*	07^	6
नागालैंड	01			01*	01	6
सिक्किम	01			01*	04^	2
त्रिपुरा	01			01	04	3
हिमाचल प्रदेश	01			01	02	5
जम्मू और कश्मीर	02			01	08	18
उत्तराखंड	01					1

*नए एनआईटी ^प्रस्तावित

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानः आरयूएसए का उद्देश्य भी उच्चतर शिक्षा में योजनागत निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। योजना के घटक में कलस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना, शोध तथा नवाचार में सुधार, डिग्री कॉलेजों का उन्नयन इत्यादि शामिल है। केन्द–राज्य निधियन पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 65:35 के अनुपात में होगा। सहायता केवल सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए दी जाएगी। 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की पूर्व योजना को पोलिटेक्निकों को शामिल करने के साथ ही आरयूएसए के तहत सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2015–16 के दौरान, निम्नलिखित विशेष श्रेणी के राज्यों में मॉडल डिग्री कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं।

राज्य	मॉडल डिग्री कॉलेज
नागालैंड	1
त्रिपुरा	4
हिमाचल प्रदेश	2
उत्तराखंड	1

विभिन्न घटकों के तहत जारी निधियां नीचे तालिका में दी गई हैं (फरवरी, 2016 के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक	जारी केंद्रीय शेयर की राशि (रुपये में)
1	अरुणाचल प्रदेश	कॉलेजों (5) को अवसरंचना अनुदान	3,15,00,000
		नए व्यावसायिक कॉलेज (1)	29,250,000
		मौजूदा कॉलेजों (2) का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	9,000,000
		संकाय भर्ती सहायता	6,525,000
		एमएमईआर अनुदान	270,000
		प्रारंभिक अनुदान	27,000,000
2	असम	कॉलेजों (36) को अवसंरचना अनुदान	81,000,000
		विश्वविद्यालयों (2) को अवसंरचना अनुदान	23,400,000
		एमएमईआर अनुदान	360,000
		मॉडल डिग्री कॉलेज (12)	60,000,000
		प्रारंभिक अनुदान	36,000,000
3	मणिपुर	कॉलेज (20) को अवसरंचना अनुदान	45,000,000
		एमएमईआर अनुदान	270,000
		प्रारंभिक अनुदान	27,000,000
		उच्चतर शिक्षा का व्यावसायिकरण (40)	1,800,000
4	मेघालय	प्रारंभिक अनुदान	27,000,000
5	मिजोरम	कॉलेज (21) को अवसरंचना अनुदान	200,812,500
		नए व्यावसायिक कॉलेज	11,70,00,000
		साम्यता पहल	2,25,00,000
		एमएमईआर अनुदान	270,000
		प्रारंभिक अनुदान	27,000,000
		मौजूदा डिग्री कॉलेजों (2) का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	9,000,000
6	नगालैंड	कॉलेज (15) को अवसंरचना अनुदान	33,750,000
		एमएमईआर अनुदान	270,000
		नए मॉडल कॉलेज (सामान्य)–(1)	13,500,000
		प्रारंभिक अनुदान	27,000,000
		उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण (15)	11,250,000
		अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता सुधार	1,02,30,300
7	सिक्किम	प्रारंभिक अनुदान	27,000,000
		कॉलेज (6) को अवसंरचना अनुदान	5,40,00,000
		साम्यता पहलें	2,25,00,000
		उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण	5,77,80,000
8	त्रिपुरा	कॉलेज (11) का अवसंरचना अनुदान	110125000
		एमएमईआर अनुदान	1,772,000
		मॉडल डिग्री कॉलेज	192494000
		प्रारंभिक अनुदान	27,000,000

क्र.सं.	राज्य का नाम	घटक	जारी केंद्रीय शेयर की राशि (रुपये में)
9	जम्मू और कश्मीर	क्लस्टर विश्वविद्यालों (2) का निर्माण	82,350,000
		कॉलेज (22) को अवसंरचना अनुदान	48,981,000
		विश्वविद्यालयों (2) को अवसरंचना अनुदान	45,000,000
		एमएमईआर अनुदान	360,000
		नए व्यावसायिक कॉलेज (2)	117,000,000
		प्रारंभिक अनुदान	36,000,000
		मौजूदा डिग्री कॉलेजों (3) का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उननयन	13,500,000
		उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण (20)	7,594,000
10	हिमाचल प्रदेश	साम्यता पहलें	17,290,451
		कॉलेजों (46) को अवसरंचना अनुदान	304,750,000
		विश्वविद्यालय (1) को अवसरंचना अनुदान	72,500,000
		एमएमईआर अनुदान	360,000
		प्रारंभिक अनुदान	36,000,000
		व्यवसायिक कॉलेज (नया)––1	98,500,000
		मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	16,500,000
11	उत्तराखंड	शैक्षिक स्टॉफ कॉलेज (1) में संकाय सुधार	2,548,000
		कॉलेजों (30) को अवसंरचना अनुदान	67,320,000
		विश्वविद्यालयों (3) को अवसरंचना अनुदान	33,750,000
		एमएमईआर अनुदान	360,000
		नया मॉडल डिग्री कॉलेज (1)	10,581,000
		प्रारंभिक अनुदान	36,000,000
		मौजूदा डिग्री कॉलेजों (5) का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	16,806,000

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

अगरतला, आइजोल, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, इटानगर, जोरहाट, कोहिमा और शिलांग में नौ क्षेत्रीय केन्द्र पूर्वोत्तर में स्थित हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र जम्मू और इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र श्रीनगर की स्थापना की गयी थी। शिमला और देहरादून में इग्नू के क्षेत्रीय केन्द्र क्रमशः हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्य में शिक्षा में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं।

इशान उदयः यूजीसी ने एनईआर में उच्च शिक्षा के संवर्धन, जीईआर में सुधार करने और एनई क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबद्ध बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक सत्र 2014–15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इशान उदय नामक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ की है। इस योजना का उददेश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए समान अवसर प्रदान करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना, एनईआर में व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना, और एनईआर बजटीय आबंटन का अधिकतम उपयोग करना है। यह योजना मेडिकल और पैरा–मेडिकल पाठयक्रमों सहित सामान्य डिग्री पाठयक्रमों, तकनीकी और व्यावसायिक पाठयक्रमों के लिए शैक्षिक वर्ष 2014–15 से आरंभ करते हुए प्रत्येक वर्ष दस हजार(10,000) नई छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। 2015–16 के दौरान यूजीसी ने इस योजना के तहत 50. 33 करोड़ रूपए का व्यय किया है।

इशान विकासः इशान विकास में चुने हुए स्कूली बच्चों और पूर्वोत्तर राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों

को उनके अवकाश के दौरान आईआईटी, एनआईटी तथा आईआईएसईआर के निकट सम्पर्क में लाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूली बच्चों के लिए इन संस्थाओं में से एक में दस दिन की अवधि के दौरे की परिकल्पना की गयी है। इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के लिए विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, और आईआईएसईआर में इंटर्नशिप कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का समन्वय आईआईटी गुवाहाटी द्वारा किया जा रहा है।

दिसंबर 2014 के दौरान, 75 से अधिक स्कूलों/कॉलेज के बच्चों और अध्यापकों/संकाय सदस्यों ने देश के विभिन्न केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थाओं का दौरा किया। आने वाले ग्रीष्म अवकाश के दौरान छात्रों के अधिक बड़े बैच का प्रस्ताव है।

जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, उनमें डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर सीटों के आरक्षण की योजना: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा स्तर के तकनीकी संस्थानों में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/फार्मेसी के पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की योजना उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज) के लिए तैयार की गई है, जिनमें, इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेक्निक नहीं हैं या जिनमें, तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा और विदेशी छात्रों सहित कुछ विशिष्ट श्रेणियों के लिए सुविधाओं का अभाव है। अकादमिक सत्र 2015–16 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिन्हित सीटों की संख्याओं का संकेत निम्नलिखित रूप में है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	डिग्री पाठ्यक्रम
1	त्रिपुरा	25	50
2	मिजोरम	18	121
3	मणिपुर	35	113
4	नगालैंड	50	150
5	अरुणाचल प्रदेश	162	150
6	असम	30	19
7	मेघालय	27	100
8	सिक्किम	30	40

उन उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या जिनको यूजीसी द्वारा विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों में कौशल विकास कार्यक्रमों का आबटन किया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	सामुदायिक कॉलेज	बी.वोक	डीडीयू कौशल केंद्र
1	अरुणाचल प्रदेश	2	-	-
2	असम	31	13	2
3	मणिपुर	6	9	2
4	मेघालय	5	-	-
5	मिजोरम	1	1	-
6	नगालैंड	-	2	1
7	सिक्किम	-	-	-
8	त्रिपुरा	-	1	-
9	जम्मू और कश्मीर	3	2	1
10	हिमालच प्रदेश	2	-	1
11	उत्तराखंड	2	1	1

XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान, विशेष श्रेणी वाले राज्यों में महिलाओं के छात्रावास के निर्माण के लिए आबंटन

(क) विश्वविद्यालय

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	आबंटन (2012–2017) (रु. लाख में)	जारी अनुदान (2015–2016) (रु. लाख में)
	असम		
1.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़–786004 असम	200.00	80.00
2.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गोपीनाथ बारदोलोई नगर, गुवाहाटी– 781014, असम	240.00	96
	जम्मू और कश्मीर		
3.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय, राजौरी–185131 जम्मू और कश्मीर	200.00	80.00
	उत्तराखंड		
4.	दून विश्वविद्यालय मोथ्रोवाला रोड, देहरादून–248001	240.00	96.00

(ख) कॉलेज

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत छात्रावासों की सं.	आबंटित अनुदान	जारी अनुदान
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	340	261
2.	असम	156	8153.65	5099.73
3.	मणिपुर	49	2226.77	2024.94
4.	मेघालय	6	280	505.19
5.	मिजोरम	3	95	355.4
6.	नगालैंड	19	930	1265.75
7.	सिक्किम	-	-	-
8.	त्रिपुरा	1	80	91

भाषा विकास:– मंत्रालय और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अपनी भाषा संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी दोनों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष पहलें शुरू की गई हैं।

(i) **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय** अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रोन्नयन, प्रचार और विकास हेतु कार्य कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु हिन्दी–बोडो–अंग्रेजी, हिन्दी–बोडो वार्तालाप पुस्तिका, हिन्दी–असमी अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय भाषा कोश और तत्सम शब्द कोश में पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं और कश्मीरी को भी शामिल किया गया है।

(ii) **केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केएचएस)**: पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के 3 केन्द्र स्थित हैं नामतः गुवाहाटी केन्द्र, शिलांग केन्द्र तथा दीमापुर केन्द्र जो हिन्दी शिक्षकों के लिए अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में लगे हुए हैं और असम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैण्ड और मणिपुर की राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

(iii) **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल):** मैसूर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न जनजातीय भाषाओं के संबंध में कार्य कर रहा है। यह संस्थान जनजातीय समूहों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह 'मातृभाषा' में शिक्षा को बढ़ावा देने और स्थानीय भाषाओं तथा संस्कति के संरक्षण हेतु भी कार्य करता है। यह संस्थान डोगरी भाषा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित भी करता है।

(iv) **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एनसीपीयूएल)** ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कई कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा बहुभाषीय डीटीपी केन्द्रों की स्थापना की है। देश के गैर–उर्दू क्षेत्रों में उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए, दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उर्दू अधिगम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, एनसीपीयूएल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई प्रत्यायित उर्दू अध्ययन केन्द्र हैं।

एनसीपीयूएल विभिन्न योजनाओं के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में उर्दू भाषा के प्रोन्नयन हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(v) **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में शब्दावलियों को असमी, मणिपुरी और बोडो भाषा में तैयार किया जा रहा है। विभिन्न विषयों की 13 शब्दावलियां प्रकाशित की जा चुकी है और कुछ का कार्य प्रगति पर है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में, त्रिभाषा शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–क्षेत्रीय भाषा) की तैयारी योजना के अंतर्गत सीएसटीटी ने कुछ परियोजनाएं अर्थात् **डोगरी** में वनस्पति–विज्ञान और कृषि की शब्दावली की तैयारी और **कश्मीरी** में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान तैयारी शुरू की हैं। सीएसटीटी की योजना के अनुसार, शब्दावलियों को प्रायः सभी विषयों में तैयार किया जाना है।

पूर्वोत्तर के लिए पहल: पूर्वोत्तर भारत में एनआईओएस प्रशिक्षु भौगोलिक रूप से कठिन क्षेत्र में फैले हैं और गुवाहाटी में स्थित एक क्षेत्रीय केन्द्र के जरिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन रहा है। सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड इत्यादि में अधिक क्षेत्रीय कार्यालय बनाने के लिए एनआईओएस ने कार्रवाई आरंभ की है।

एनआईओएस ने समाज के सर्वाधिक वंचित वर्गों से संबद्ध 14–25 वर्ष के आयु समूह में लगभग 2000 प्रशिक्षुओं को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर भारत में 32 अध्ययन केन्द्रों में एक प्रशिक्षु भागीदारी गतिविधि 2015 का आयोजन किया था जो सभी सुरक्षा उपायों का प्रावधान करती है। इन भौगोलिक रूप से बिखरे प्रशिक्षुओं को सीधे जोड़ा गया और उन्होंने आयोजित विभिन्न इवेंटों में भाग लिया। एलईए–2015 का विषय जनसंख्या और विकास था। लगभग 4000 प्रशिक्षुओं, जिनमें से 2000 पूर्वोत्तर से थे, ने अपने शिक्षकों के साथ इस इवेंट में भाग लिया। ओपन स्कूलिंग के कार्यकर्ताओं के लिए एक जेंडर संवेदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

एनआईओएस के प्रशिक्षुओं को सुविधाएं तथा शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी में एक आदर्श अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी): न्यास ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियान के माध्यम से अपनी पुस्तक संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, न्यास ने अगरतला और गुवाहाटी में अपने पुस्तक संवर्धन केन्द्र भी खोले। न्यास ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान पुस्तक पढ़ने की प्रवृति का सृजन करने और घाटी में लोगों को एनबीटी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में, पुस्तकों के संवर्धन और पढ़ने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में, न्यास बच्चों के लिए शिक्षा शिविर आयोजित कर रहा है।

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए छूट: देश के अन्य भागों में शैक्षिक संस्थाओं में कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के दाखिले के मामले में 1991–92 से वर्ष दर वर्ष आधार पर निश्चित छूट की अनुमति दी गयी थी। चूंकि कश्मीरी प्रवासी निरंतर कठिनाईयों का सामना करते हैं, उन्हें अकादमिक सत्र 2015–16 के दौरान देश के अन्य भागों की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कश्मीरी प्रवासी छात्रों को निम्नलिखित छूटें भी प्रदान की गई हैः

(i) न्यूनतम पात्रता शर्त के अध्यधीन 10 प्रतिशत तक की कट ऑफ प्रतिशत में छूट।

(ii) पाठ्यक्रम–वार 5 प्रतिशत तक की दाखिला क्षमता में वृद्धि।

(iii) तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं में मेरिट कोटा में कम–से–कम एक सीट का आरक्षण।

(iv) मूल निवास संबंधी शर्तों में छूट प्रदान करना।

सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए अधिसंख्य सीटें:

सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में, जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए अधिसंख्या कोटा के अंतर्गत 2 सीटों का सृजन किया जाता है।

जम्मू कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, 2012–13 से प्रधानमंत्री की जम्मू और कश्मीर विशेष छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के जम्मू और कश्मीर से बाहर अवर स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए 5000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की संकल्पना की गई है।

सत्र 2015–16 में विशेष छात्रवृत्ति योजना के संचालन के लिए प्रक्रिया को स्पष्ट करने के निमित्त, हितधारकों और राज्य सरकार की ओर से योजना की व्यवस्था करने वाले अधिकारियों के साथ 09.06.2015 को जम्मू में और 10.06.2015 को श्रीनगर में–दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अकादमिक वर्ष 2015–16 के लिए यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम की धारा 12(ख) के अंतर्गत अनुमोदित या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों और जम्मू और कश्मीर राज्य से बाहर स्थित संस्थानों में सामान्य और इंजीनियरिंग शाखा (स्टीम) में अवर स्नातक डिग्रीस्तर कार्यक्रम में दाखिले के लिए जम्मू और कश्मीर के पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे।

उच्चतर शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरने और योजना के अंतर्गत पात्रता के मापदंड के परीक्षण हेतु उनके दस्तावेजों की जांच करने के लिए 38 सुविधा–केंद्र स्थापित किए हैं।

पात्र छात्रों को अधिसंख्य सीटों के आबंटन के लिए निम्नलिखित स्थानों पर एक साथ, पहली बार ऑनलाइन इंटेरैक्टिव कांउसिलिंग की गई:

श्रीनगर	जम्मू
अमर सिंह कॉलेज, गोगजी बाग, श्रीनगर–19008	**जम्मू विश्वविद्यालय, गूजरबस्ती, जम्मू–180006**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दो कांउसिलिंग केंद्रों में साथ–साथ सीटों के आबंटन हेतु साफ्टवेयर विशेष रूप से तैयार किया गया था।

सत्र 2015–16 के लिए कुल आबंटन निम्नलिखित रूप में हैं।

संस्थान प्रकार/स्ट्रीम	कुल सीटें
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	1629
सामान्य	2113
कुल आबंटन	3742

★★★★★

अध्याय 14

महिलाओं का शैक्षिक विकास

अध्याय 14

महिलाओं का शैक्षिक विकास

वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986, एक दिशा परिवर्तक नीति दस्तावेज़ है जिसमें भारत सरकार की प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट होती है कि ''महिलाओं की स्थिति में मूल बदलाव लाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक एजेंट के रूप में किया जाएगा। अतीत की बुराईयों को निष्क्रिय करने के लिए, महिलाओं का एक सुविचारित पक्ष होगा.... यह विश्वसनीयता और सामाजिक निर्माण की कार्रवाई होगी... महिलाओं की निरक्षरता तथा उनकी सेवाओं की बाधाओं को दूर करना, समय संबंधी लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्रभावी निगरानीकरना''

स्कूल शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): महिला–पुरूष के अंतर और प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक वर्ग के अंतर को भरना/सर्व शिक्षा अभियान के 4 लक्ष्यों में से एक है। परिणामस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान में अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से संबंधित बालिकाओं और बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं के लिए अभिलक्षित प्रावधानों में शामिल हैं:

- कक्षा VIII तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
- बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए स्कूल शिविरों में वापसी
- बड़ी बालिकाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम
- महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती
- आईसीडीएस कार्यक्रम आदि के सहयोग से स्कूलों/अभिसरणों में/उनके निकट प्रारम्भिक शिशु देखभाल तथा शिक्षण केन्द्र
- समान शिक्षा अवसरों के संवर्धन हेतु शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम
- पाठ्यपुस्तकों सहित लैंगिक–संवेदी शिक्षण–अध्ययन सामग्री
- गहन सामुदायिक जुटाव प्रयास
- बालिकाओं की उपस्थिति और अवरोधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले को 'अभिनव कोष'

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदायों की बालिकाओं का आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं। केजीबीवी छितरी बस्ती वाले उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर स्थित होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा चुनौती भरी होती है। इसी कारण से कन्याएं अक्सर अपनी शिक्षा बंद करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। केजीबीवी इस समस्या को उनके ब्लॉकों में ही आवासीय स्कूलों को स्थापित कर के समाधान करना है।

केजीबीवी के तहत 31.12.2015 तक उपलब्धियां

- 3609 केजीबीवी स्वीकृत किए गए जिसमें से 99.75 प्रतिशत संचालन
- इन संचालनरत केजीबीवी में 3.53 लाख बालिकाएं दाखिल हैं
- न्यूनतम 75 प्रतिशत सीटे एससी/एसटी/ओबीसी अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं और बाकी न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं को वरीयता दी जाती है।

बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की हाल ही की कुछ मुख्य पहलें इस प्रकार हैं:–

(i) **''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'':** इस योजना के तहत बाल–लिंग अनुपात के आधार पर 100 विशिष्ट जिलों में बालिका शिक्षा को सशक्त करने के लिए 5 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जाएंगे जो 5 लाख रूपये प्रति जिला, निम्नलिखित मानकों के अधार पर प्रत्येक वर्ष में 5 सकूलों को दिए जाने वाले जिला स्तर के पुरस्कारों की स्थापना करने के लिए गणना में आता है:

(क) उस स्कूल प्रबंधन समिति को एक लाख रूपये दिया जा सकता है जो पड़ोस के प्राथमिक स्कूल में 100% बालिकाओं को नामांकित करता है और उन्हें पहले वर्ष तक बनाए रख भी सकता है।

(ख) अन्य एक लाख रूपये प्राथमिक स्कूल के एसएमसी को दिए जा सकते हैं जिसमें उसी/ अन्य पड़ोस के स्कूलों की कक्षा V की बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्कूल की कक्षा VI में 100% तक बालिकाएं ले जाएं।

(ग) उन उच्च प्राथमिक स्कूलों के एसएमसी को एक–एक लाख रूपये के दो पुरस्कार दिए जा सकते हैं जिसमें उसी/अन्य पड़ोस के माध्यमिक स्कूलों की कक्षा VIII में पढ़ रही 100% बालिकाओं को कक्षा IX में ले जा सकते हैं।

(घ) उस स्कूल के एसएमसी को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिया जा सकता है जिसमें उसी/ अन्य पड़ोस के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षा X में पढ़ रही 100% बालिकाओं को कक्षा XI में ले जा सकते हैं।

(ii) **अलग बालिका प्रसाधनों के साथ प्रसाधनों का निर्माणः** यूडीआईएसई 2013–14 के अनुसार कुल 2.44 लाख स्कूलों में अब तक प्रसाधन सुविधाएं नहीं है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में बालिकाओं की शिक्षा के लिए आह्वाहन किया है और राष्ट्र के प्रति एक प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसमें एक साल के अंदर प्रत्येक स्कूल में प्रसाधन के साथ एक पृथक बालिका प्रसाधन होगा जिससे बालिकाओं को स्कूल को बीच में ही छोड़ने के लिए बाध्य न होना पड़े। प्रधानमंत्री ने प्रसाधनों के निर्माण के लिए सांसदो से अपनी एमपीएलएडी निधि को प्रयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए कॉरपोरेट सेक्टर को अपने कॉरपोरेट सेक्टर उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग करने के लिए भी कहा।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राज्यों द्वारा स्कूल/गांवों/ ब्लॉक और जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर प्रसाधनों और पीने के पानी की सुविधाओं सहित स्कूल अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता की योजना बनाकर इसे अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं और बजटों में दर्शाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत सभी नए स्कूल बालिकाओं और बालकों के प्रसाधन की सुविधाओं के साथ सम्मिलित स्कूल होते हैं। वर्तमान ग्रामीण स्कूलों में प्रसाधन और पीने के पानी की सुविधाएं, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की योजनाओं के अनुरुरण में प्रदान की जाती हैं।

प्रसाधनों का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सूची में निर्धारित महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है। जिसे सभी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाना है। अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत 9.18 लाख प्रसाधन संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 4.49 लाख बालिका प्रसाधन हैं।

(iii) **उड़ान– छात्राओं को आगे बढ़ानाः** देश में शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए स्कूल शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश के बीच शिक्षण अंतराल को दूर करने और साथ ही स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित के संवर्धन के लिए सीबीएसई कक्षा XI और कक्षा XII की छात्राओं को निःशुल्क ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध करानें के लिए एक परियोजना शुरू कर रही है।

उड़ान परियोजना का विशेष फोकस इन प्रतिष्ठित संस्थाओं में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात का निराकरण करना है तथा छात्राओं को विशेष प्रोत्साहन तथा सहायता प्राप्त करने में समर्थ बनाना है ताकि वे इन संस्थाओं में शामिल हो सकें और अंततोगत्वा भविष्य में नेतृत्व की भूमिकाओं को ग्रहण कर सकें।

इस परियोजना का उद्देश्य छात्राओं को तेजीसे स्कूल से उच्च शिक्षा में बढ़ने और भविष्य में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाएं ग्रहण करने में समर्थ बनाना है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना

केंद्र प्रायोजित योजना ''माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना'' (एनएसआईजीएसई) मई 2008 में प्रारंभ की गई इसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों में मुख्य रूप से अ.जा., अ.ज.जा. समुदायों से संबंधित छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने और बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर को कम करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। योजना के अनुसार, अविवाहित पात्र बालिकाओं के कक्षा–IX में नामांकन होने पर उनके नाम में 3000/– रुपए की एक निश्चित राशि जमा करा दी जाती है, इस राशि को वे बालिकाएं Xवीं कक्षा उत्तीर्ण करने और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निकालने की हकदार होती हैं। इस योजना में एससी/एसटी समुदायों की वे सभी बालिकाएं जो कक्षा VIII उत्तीर्ण करती हैं और (ii) वे सभी बालिकाएं जो VIII की परीक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (चाहे वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों या नहीं) से उत्तीर्ण करती हैं और सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और स्थानीय निकाय के स्कूलों की कक्षा IX में नामांकन कराती हैं, शामिल हैं। कैनरा बैंक इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 510764 छात्राओं को शामिल करते हुए 153.54 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए।

''माध्यमिक स्कूलों तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण एवं परिचालन योजना''– केंद्र प्रायोजित योजना आरएमएसएकी एक घटक।

केंद्र द्वारा प्रायोजित ''माध्यमिक स्कूलों तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण एवं परिचालन योजना 2008–09 में प्रारंभ की गई थी और इसका कार्यान्वयन, पूर्व गैर–सरकारी योजना के स्थान पर 2009–10 से किया जा रहा है। यह योजना मई, 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में सम्मलित कर दी गई है। आरएमएसए की महिला छात्रावास (जीएच) घटक का मुख्य उद्देश्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं (IX-XII) में बालिकाओं के प्रवेश (एक्सेस) और उनको उन कक्षाओं में बनाए रखने में सुधार करना है, जिससे, छात्राएं, स्कूल की दूरी, माता–पिता की वित्तीय वहन क्षमता और अन्य संबंधित सामाजिक कारकों के कारण अपने अध्ययन को जारी रखने के अवसर से वंचित न हो पाएं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों से संबंधित 14–18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएं जो कक्षा XI से XII वीं कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, योजना के लक्षित समूह का गठन करती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। कुल छात्राओं में से कम से कम 50% छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से होनी चाहिए।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2225 अनुमोदित बालिका छात्रावासों में से अब तक 792 छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था और 545 छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अभी 888 छात्रावासों में निर्माण कार्य शुरू किया जाना है और 760 छात्रावासों को कार्यात्मक बना दिया गया हैं। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 2015–16 में 92 बालिका छात्रावास (असम में 1, तेलंगाना में 40, त्रिपुरा में 1 और उत्तर प्रदेश में 50) अनुमोदित किए हैं।

वर्ष 2015–16 से 2015–16 तक बालिका छात्रावासों के निर्माण कार्य के पूरा होने की स्थिति

राज्य	2015-2016	कुल
अरुणाचल प्रदेश	5	5
असम	22	22
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0
नगालैंड	0	0
सिक्किम	0	0
त्रिपुरा	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	1
जम्मू और कश्मीर	0	0
उत्तराखंड	7	7

उच्चतर शिक्षाः

महिलाओं की अत्यधिक भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करना उच्चतर शिक्षा विभाग का एक निरंतर प्रयास रहा है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करना एक ध्यान क्षेत्र है। देश में उच्चतर शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लड़कियों के नामांकन का भाग, जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या तक कुल नामांकन का 10 प्रतिशत से कम था,

शैक्षिक वर्ष 2014–15 में 45.96% तक पहुंच गया है। पुरुष और महिला दोनों के लिए जीईआर में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। 2010 से 2014 की अवधि के दौरान, जीईआर में महिला–पुरुष अंतराल कम हुआ है।

क) सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

विगत 3 वर्षों में महिला–पुरुष, दोनों के सकल नामांकन अनुपात (सामान्य) सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जाति) और सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जनजाति) में समय–श्रंखला परिवर्तन को नीचे की तालिकाएं प्रदर्शित करती हैं।

तालिका 1: सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	सभी वर्ग		
	पुरुष जीईआर	महिला जीईआर	कुल जीईआर
2012-13	22.7	20.1	21.5
2013-14	23.7	22.4	23.0
2014-15	25.3	23.2	24.3

स्रोतः अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

तालिका 2: महिला सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	महिला कुल जीईआर	अनुसूचित जाति महिला जीईआर	अनुसूचित जनजाति महिला जीईआर
2012-13	20.1	15	9.8
2013-14	22.0	16.4	10.2
2014-15	23.2	18.2	12.3

स्रोतः अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2012–13 और अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2014–15

जहां तक सकल नामांकन अनुपात (महिला) का संबंध है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों ने इसमें प्रभावशाली प्रगति की है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए)

घटकों की प्रगति

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के विभिन्न घटक महिलाओं और महिला विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को लाभ उठाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन घटकों में प्रत्येक घटक की प्रगति निम्नलिखित रूप में रही है।

मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालय में उन्नयनः कुल 7 स्वायत्त कॉलेज विश्वविद्यालयों (2016) में बदलने के लिए अनुमोदित किए गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि ओडिशा में स्वायत्त कॉलेज को रुपांतरित करके विश्वविद्यालय के रूप में सृजित किया जाने वाला विश्वविद्यालय एक महिला विश्वविद्यालय होगा।

कॉलेजों का क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रुपांतरणः 20 कि. मी. के घेरे के भीतर उच्च निष्पादक कॉलेजों को चिन्हित करके 8 क्लस्टर विश्वविद्यालय सृजित करने के लिए अनुमोदित किया गया है। ये कॉलेज अन्तर विषयी और बहु–विषयी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान करेंगे और अधिक सृजनात्मक, नवाचारी और समग्रता पूर्ण अधिगम के लिए माहौल उपलब्ध कराएंगे। 5 राज्यों, उदाहरणार्थ जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर और कर्नाटक में विस्तृत 5 महिला कॉलेज इन क्लस्टर विश्वविद्यालयों के भाग हैं।

नए मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य): शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ईबीडी) में नए मॉडल डिग्री कॉलेजों को सृजित करने का प्रयोजन, उच्चतर शिक्षा में प्रवेश (एक्सेस) और सुसंगत गुणवत्ता चेतना में सुधार करना है। यह भी लक्ष्य रहा है कि युवकों को सशक्त करके उच्चतर शिक्षा के अवसरों को उनके समीप लाकर उनके पिछड़ेपन के मुद्दों के समाधान किए जाएं। इस घटक के अन्तर्गत 72 मॉडल डिग्री कॉलेज पहले ही सृजित किए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में, कूपवाड़ा जिला स्थित एक महिला कॉलेज को इस घटक के अन्तर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

मौजूदा डिग्री कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेजों के रूप में प्रोन्नयनः मौजूदा डिग्री कॉलेजों को रुसा के घटक मॉडल कॉलेज के रूप में प्रोन्नयन करने में, गैर–आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित संस्थाओं का समावेशन करने की संकल्पना की गई है। अब तक ऐसे कुल 56 कॉलेज अनुमोदित किए गए हैं। ***तीन महिला कॉलेज हैं, जो बिहार, ओडिशा और तेलंगाना के राज्यों में हैं।*** ऊपर उल्लिखित ये तीनों घटक, देश के कठिनतम भागों में प्रवेश (एक्सेस), समानता के मुद्दों का समाधान करेंगे और उस सुसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा को प्रदान करेंगे जो अब से पहले उपलब्ध नहीं थी। तेलंगाना में, तीन निम्नलिखित मौजूदा महिला कॉलेजों को, प्रत्येक को 4 करोड़ रुपयों की रुसा निधियन के साथ शासकीय डिग्री कॉलेज (महिला), करीमनगर, पिंगले शासकीय डिग्री कॉलेज (महिला), वारंगल और शासकीय डिग्री कॉलेज (महिला), हुसैनी आलम, हैदराबाद का मॉडल डिग्री कॉलेजों के रूप में प्रोन्नयन किया गया था।

कॉलेजों को अवसरंचना अनुदानः इस योजना के अंतर्गत 3,500 कॉलेजों के लक्ष्य में से अब तक 1163 कॉलेजों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 16

राज्यों में ***120 महिला कॉलेजों को सहायता प्रदान की जा रही है।***

उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरणः– केंद्र सरकार द्वारा कौशल में सुधार लाने और लाभकारी रोजगार के लिए अवसरों को सृजित करने पर बल दिए जाने की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण घटक है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि सरकार के कौशल प्राथमिकता के बृहत्तर ढांचे के भीतर सार्थक गतिविधियों को सहायता प्राप्त होती रहे, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 20 लक्ष्यों में से लगभग 7 राज्यों को (2016) इस पहल में सहायता प्रदान की गई है। जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु के दो राज्यों में क्रमशः4 और 19 कॉलेजों को इस घटक के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है।

साम्यता पहलें: योजना के वृहद लक्ष्यों में से एक लक्ष्य, समान प्रवेश (एक्सेस) के लिए अवसरों को प्रदान करना और उनमें वृद्धि करना है। इस घटक ने अब 20 लक्ष्यों में से 17 को कवर कर लिया है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना को छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब आदि जैसे राज्यों में समर्थन प्राप्त हुआ है, इस घटक के अंतर्गत ओडिशा में जिन कॉलेजों को सहायता प्रदान की जा रही है। वे महिला कॉलेज हैं। हरियाणा और झारखंड में बालिका छात्रावासों के निर्माण में सहायता प्रदान की जा रही हैं। केरल में, चयनित शासकीय महिला कॉलेजों में और जहां पर छात्राएं अधिक संख्या में हैं, हिन्दुस्तान लैटेक्स की सहायता से आटोमेटिक सैनिटैरी नैपकिन वेंडिग मशीनें स्थापित की जाएंगी। पंजाब में, बालिका कॉमन रूम और बालिका शौचालयों के निर्माण/नवीकरण और छात्राओं को आवश्यक आत्म–रक्षा तकनीकों और मार्शल आर्ट से सुसज्जित करने के लिए प्रदान की जा रही है। सरकार ने, तेलंगाना के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए कम से कम एक मॉडल आवासीय डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में 22 महिला छात्रावास शासकीय कॉलेजों में पहले से ही क्रियाशील हैं।

तालिका–3 रुसा के अंतर्गत महिला संस्थाओं को दी गई सहायता का सारांश

घटक का नाम	महिला कॉलेजों/ संस्थानों की संख्या	संख्या/राज्यों के नाम
स्वायत्त कॉलेजों का विश्वविद्यालयों में रुपातंरण	1	ओडिशा
क्लस्टर विश्वविद्यालयों का सृजन	5	जम्मू और कश्मीर, गुजरात, मणिपुर और कर्नाटक
साम्या पहलें	4	छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा
कॉलेजों को अवसरंचना अनुदान	121	तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुद्दुचेरी, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, त्रिपुरा
विश्वविद्यालयों को अवसरंचना अनुदान	2	हरियाणा और तमिलनाडु
नए मॉडल कॉलेज	1	जम्मू और कश्मीर
मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्रीकॉलेजों में प्रोन्नयन	3	ओडिशा, बिहार और पंजाब
उच्चतर शिक्षा का व्यावसायीकरण	23	जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु
कुल योग	**160**	तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुद्दुचेरी, हिमाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

मुक्त और दूरस्थ अधिगम (ओडीएल) पद्धति से महिलाओं की उच्चतर शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

विश्वविद्यलाय शिक्षा के प्रशासन के संबंध में अग्रणी सर्वोच्च निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगके लिए महिला शिक्षा प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। इस प्रयोजन के लिए आयोग ने नामांकन को प्रोत्साहित करने और उच्चतर शिक्षा में बालिकाओं के प्रोन्नयन हेतु कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। यूजीसी द्वारा संचालित ऐसी योजनाएं संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित हैं:

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दैनिक परिचर्या केंद्र: इस योजना का लक्ष्य, लगभग 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मांग के आधार पर विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर दैनिक देखभाल उस परिस्थिति में प्रदान करना है जब उनके माता–पिता (विश्वविद्यालय/कॉलेज कर्मचारी/छात्र/अध्येता) दिन के समय में घर से दूर होते हैं और कार्य के घण्टों के दौरान उनके बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान और वातावरण भी उपलब्ध कराना है।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा में अध्ययन करने के लिए एकल बालिका (सिंगल–चाइल्ड) हेतु स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्तिः इस योजना का प्रयोजन, छात्रवृत्ति के माध्यम से उन बालिकाओं की सहायता करना, जो अपने परिवार की अकेली कन्याएं हैं और उन्हें छोटे परिवार से संबंधित मूल्यों का महत्व भी समझाना है। पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के समय पर केवल 30 वर्ष तक आयु वाली छात्राएं ही पात्र हैं। योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्लाटों की संख्या 1200 प्रतिवर्ष है। छात्रवृतति की राशि 3100/– रुपए प्रतिमाह की दर से देय है। 2015–16 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत रु. 8,05,85,067 की राशि व्यय की गई थी।

कॉलेजों के लिए महिला छात्रावासों का निर्माणः महिलाओं की स्थिति में सुधार करने और समाज के विकास के लिए और संभावित क्षमता का दोहन करने तथा एक विशेष योजना 'महिला छात्रावासों के निर्माण' के माध्यम से लैंगिक समानता और महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूजीसी, छात्रावासों और अन्य अवसरंचनात्मक सुविधाएं प्रदान करता रहा है। मुख्य लक्ष्य, छात्राओं/अनुसंधानकर्ताओं/शिक्षकों और अन्य स्टॉफ को आवासीय स्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से, महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सभी पात्र कॉलेजों की सहायता करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन केंद्रों का विकासः यह योजना, विश्वविद्यालयों को नए महिला अध्ययन केंद्र स्थापित करने और 10वीं योजना तक स्थापित किए गए विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों को विश्वविद्यालय प्रणाली में उनको सांविधिक रूप में स्थापित करके विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों को सहायता प्रदान करने, उनकी क्षमता को अन्य संघटक में नेटवर्क हेतु इस प्रकार सुविधाजनक बनाने की संकल्पना करती है, जिससे उनमें परस्पर मजबूती और सहक्रियाशीलता उत्पन्न हो सके। इन केंद्रों की मुख्य भूमिका, जब तक कार्रवाई और प्रलेखन किया जाता है, उस समय तक शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान का अनुरूपण और ज्ञान का प्रेषण है। इस योजना के अंतर्गत 2015–16 के दौरान रु. 589 करोड़ रुपए के अनुदान जारी किए गए थे।

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों की क्षमता–निर्माण योजनाः यह कार्यक्रम, उच्चतर शिक्षा में अकादमिक और प्रशासनिक शाखाओं में महिलाओं को सुग्रहीकृत करने और उनको प्रेरित करने और, उसके पश्चात् उनको उच्चतर शिक्षा में निर्णय लेने वाले पदों, जहां वर्तमान समय में, ऐसे पदों को गिनी–चुनी महिलाएं धारणकरती हैं, के लिए तैयार करना है। इस योजना का प्रयोजन, महिला–पुरुष सुग्राहीकृत प्रशासकों का एक महत्वपूर्ण जनसमूह विकसित करना, महिला–पुरुष मैत्रीपूर्ण पर्यावरण सृजित करना और ग्लास सीलिंग दूर करना है।

यह कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं को निम्नलिखित रूप में सम्मिलित करता है:

- सुग्राहीकरण, जागरूकता, अभिप्रेरणात्मक कार्यशालाएं आवासीय कार्यशालएं।
- सुग्राहीकरण, जागरूकता, अभिप्रेरणात्मक कार्यशालाएं गैर आवासीय कार्यशालाएं।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण/यात्रा सहित छः दिवसीय मास्टर प्रशिक्षक कार्यशाला।
- प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं।
- यात्रासहित पांच दिनों के लिए पुनश्चर्या कार्यशाला पाठ्यक्रम।

महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्तिः इस योजना का कार्यान्वियन, बेरोजगार महिलाएं जो अपने संबंधित विषय क्षेत्र में पीएच.डी धारी हैं, के लिए इस लक्ष्य सहित

किया जाता है कि महिला उम्मीदवारों की प्रतिभाशाली वृत्तियों को उच्चतर अध्ययनों और अनुसंधान को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। योजना के अंतर्गत उपलब्ध स्लॉटों की संख्या प्रतिवर्ष 1000 है। अवार्ड की अवधि पांच वर्ष है, जिसमें, पुनः विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य/मुक्त श्रेणी से संबंधित अभयर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा 55 वर्ष और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 60 वर्ष है, जो आवेदन वर्ष की 1 जुलाई को गणना में ली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, 2015–16 के दौरान 11,96,75,995 रुपए की राशि व्यय की गई थी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) महिला छात्रों, विशेष रूप से सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला छात्रों तक महिलाओं के लिए विशेष अध्ययन केंद्रों के माध्यम से अपनी पहुंच बनाने का सचेतन प्रयास करता रहा है। इस समय पर 38 विशेष अध्ययन केंद्र और 07 नियमित अध्ययन केंद्र हैं। (कुल 45) जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था में संलग्न हैं। विश्वविद्यालय ने 2007 में महिला–पुरुष और विकास अध्ययन विद्यालय की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य, अकादमिक कार्यक्रमों के शिक्षण द्वाराऔर महिलाओं के क्षेत्र में महिला–पुरुष अध्ययन एवं लिंग और विकास अध्ययन में अनुसंधान का आयोजन करके महिला–पुरुष न्याय और साम्यता की उपलब्धि करना है। विद्यालय, निष्णात (मास्टर), स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र स्तर पर पांच अकादमिक कार्यक्रमों का शिक्षण प्रदान करता है। अन्य अध्ययन विद्यालय भी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अकादमिक कार्यक्रमों का शिक्षण प्रदान करते हैं। लिंग और विकास अध्ययन स्कूल, स्वास्थ्य विज्ञान स्कूल, शिक्षा निरंतरता स्कूल, मानविकी स्कूल, अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण स्कूल, सामाजिक–कार्यस्कूल, मंचकला और दृश्य कला स्कूल तथा स्कूल मूल्य में पढ़ाए जाने वाले अकादमिक कार्यक्रमों में बालिका छात्राओं के नामांकन की संख्या 50% से अधिक हो गई है।

विश्वविद्यालय ने 17–18 नवम्बर, 2015 को 'टुवड्र्स जेंडर सेंसिटाइजेशनः प्लानिंग, बजटिंग एंड मेन स्ट्रीसिंग, नामक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसका लक्ष्य, कार्यस्थल पर जेंडर मेन स्ट्रीमिंग टूल की सहायता से महिला–पुरुष सुग्राहीकरण के वृहद स्तर का सृजन और कार्यशाला पर आधारित अधिगम सामग्री (ए/वी) का निर्माण करना था। कार्यशाला के लिए संसाधन व्यक्ति, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से आए थे। विश्वविद्यालय ने 20 अगस्त, 2015 को एक वार्ता ''फूड सिक्योरिटी एंड एनीसिएटिज ऑफ वुमेन कलेक्टिव्जः कंधमाल, ओडिशा जनजातीय समुदाय का नृजातीय अध्ययन'' का आयोजना किया था।

प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति (प्रभारी), इग्नू द्वारा 17–18 नवंबर, 2015 को ''जेंडर संवेदीकरण की ओर : आयोजना, बजटिंग और मुख्य धारा में लाना'' कार्यशाला का उद्घाटन।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना, तकनीकी शिक्षा पर सुविधाओं के सर्वेक्षण आयोजित करने और देश में समन्वित एवं एकीकृत पद्धति से विकास का संवर्धन करने के लिए नवम्बर, 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च निकाय के रूप में की गई थी, और इसको सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अनुबद्ध है, प्लानिंग, मानकों और मानदंडों का निर्माण करने, प्रत्यायन के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, प्राथमिकता के क्षेत्रों में निधियन, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणन की समकक्षता के अनुरक्षण और पुरस्कारों के लिए और देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए एआईसीटीई सांविधिक प्राधिकार से निहित हो।

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं के नामांकन को बढ़ाने की दृष्टि से, एआईसीटीई, नए महिला तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए विनियमों में विशेष छूट प्रदान करती हैं। इनमें, भूमि की उपलब्धता के लिए मानकों में शिथिलता, प्रकिया शुल्क और जमा आदि की छूटें शामिल हैं। सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में, कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा शुल्क को माफ करने की योजना का कार्यान्वयन अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रगति (बालिका छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति): प्रगति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) की एक योजना है, जिसका लक्ष्य, तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी

के लिए सहायता प्रदान करना है। विकास की प्रक्रिया में, पूर्ण रूप से भागीदारी करने के लिए महिलाओं को ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास से सशक्त करने के साधनों में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रत्येक युवा महिला को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने और ''तकनीकी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने'' के माध्यम, से एक सफल भविष्य के लिए तैयार होने के लिए अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।

योजना की मुख्य विशेषताएंः छात्रवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्षः 4000

'एक बालिका' प्रति परिवार, जहां पर पारिवारिक आय, प्रति वर्ष 6 लाख रुपए से कम है।

अभ्यर्थियों के चयन, तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही छात्रों के मध्य अर्हक परीक्षा की योग्यता के आधार पर किए जाएंगे।

अभ्यर्थियों को राज्य/केंद्र सरकार की दाखिला–प्रक्रिया के माध्यम से एआईसीटीई के किसी अनुमोदित संस्थान में अकादमिक वर्ष 2015–16 के दौरान, डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिला कराना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति की राशि 30000/– रुपए की शिक्षा शुल्क या वास्तविक में जो भी कम है और प्रत्येक वर्ष के 10 माह के लिए आकस्मिक व्ययों के रूप में प्रतिमाह 2000/– रुपए। आरक्षण % अनुसूचित जाति के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों/आवेदकों के लिए 27% आरक्षण। प्रत्येक योजना में, छात्रवृत्तियों की कुल संख्या में से 50% छात्रवृत्तियां प्रत्येक डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपलब्ध हैं और पात्र आवेदकों की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी भी डिग्री/डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम में स्थान्तरणीय भी हैं।

★★★★★

अध्याय 15

निःशक्तजनों का शैक्षिक विकास

अध्याय 15

निःशक्तजनों का शैक्षिक विकास

शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, न्याय और गरिमा को सुनिश्चित करता है और सभी निःशक्तजनों सहित सभी के लिए समावेशी शिक्षा के लिए अस्पष्ट रूप से अधिदेश देता है। हाल ही के वर्षों में निःशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज की अवधारणा में बड़े और सकारात्मक बदलाव आए हैं। यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास उपायों के लिए समान अवसर और कारगर पहुंच होने पर अच्छे गुणवत्तापरक जीवन यापन कर सकते हैं यदि उन्हें पुनर्वास उपायों के लिए समान अवसर और कारगर पहुँच प्राप्त हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) निःशक्तजनों की शिक्षा पर विशेष जोर देती है। इस नीति में उल्लेख किया गया है कि उद्देश्य, शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तजनों को समान भागीदारों के रूप में सामान्य समुदायों के साथ समेकित करना, ताकि सामान्य संवृद्धि के साथ उन्हें तैयार करने और साहस और विश्वास के साथ जीवन का सामना करने में समर्थ बनाया जा सके।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6–14 आयु वर्ग समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बशर्ते कि कोई बच्चा, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित निःशक्तता से ग्रस्त है तो उसके उक्त अधिनियम के अध्याय–V के प्रावधानों के अनुसार में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधन किया गया था, और जो 1 अगस्त, 2012 से प्रभावी हो गया है, के संशोधन अधिनियम में निःशक्तजनों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:–

(i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में लाभवंचित समूहों के बच्चों की परिभाषा में निःशक्त बच्चों का समावेशन।

(ii) सेरेबरल पाल्सी, मंदबुद्धि, ऑटीज़म और बहु निःशक्तता सहित निःशक्त बच्चों को निःशक्तजन (समान अवसर, संरक्षण और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय V के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(iii) "बहु–निःशक्तता" और गंभीर निःशक्तता वाले बच्चों को भी गृह आधारित शिक्षा का चयन करने का अधिकार होगा।

निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने समावेशन की अवधारणा की एक विस्तृत और व्यापक समझ को अपनाया है। जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के बहु–विकल्प मॉडल को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मॉडल को अपनाने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंब्रैला के तहत और अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाना है।

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की "निःशक्त व्यक्तियों को जोड़ने की मौजूदा पॉलिटेक्निक उन्नयन योजना" में औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रति शैक्षिक सत्र 25 निःशक्त छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, इनमें तीन वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम तथा व्यावसायिक/कौशल विकास कार्यक्रमों वाले अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रतिवर्ष 100 निःशक्त छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकें/शैक्षिक सामग्रियां, वर्दियां, निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था इत्यादि के जरिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस समय योजना में देश भर के 50 पॉलिटेक्निकों को कवर किया गया है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इन 50 पॉलिटेक्निकों को वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है। 2014–15 के दौरान (पॉलिटेक्निकों में) विभिन्न औपचारिक पाठ्यक्रमों के तहत 1212 और अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के तहत 1098 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया था।

पीडब्ल्यूडी योजना के तहत निःशक्त विद्यार्थियों का नामांकन

वर्ष	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल
2012-13	1404	1905	3309
2013-14	1199	1472	2671
2014-15	1212	1098	2310

निःशक्तजनों को तकनीकी और **व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में समेकित करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत**, निःशक्त विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में निःशक्त विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नही वसूला जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो तो पॉलिटेक्निक छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से केवल परीक्षा शुल्क वसूल कर सकते हैं।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जिसमें कहीं भी किसी भी समय पद्धति में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और शिक्षण आईसीटी की क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है। निःशक्त विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस मिशन में निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैंः

(i) विभिन्न भाषाओं में सहायता प्रदान करने और पाठ से लेकर बोली तक में डेजी प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए यूनीकोड फोन्ट का अनुसरण किया गया है जो नेत्रहीन विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करेगा।

(ii) आकाश, लॉ कॉस्ट डिवाइज में अभिगम्यता विकल्प को एकीकृत किया जा रहा है जो, जहां तक उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अधिक वहनीय सहायक हो सकती है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) निःशक्तजनों के लिए तीन योजनाएं चलाता है– निःशक्तजनों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन), विशेष शिक्षा में अध्यापक तैयारी और नेत्रहीन शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता। यूजीसी ने निःशक्त विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में 3ः आरक्षण (क्षैतिज) प्रदान करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने भवनों में अवरोध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन, जिसमें निःशक्तजनों के लिए रैम्प, रेल, लिफ्ट, व्हिलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए प्रसाधन, ब्रेल साइनेज और श्रृव्य सिग्नल, टेक्टाइल फ्लोरिंग और संस्थान की वेबसाइट को सुगम बनाना शामिल है, हेतु सभी केन्द्रीय निधिबद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए अपने 10.07.2014 के पत्र के माध्यम से सचिव के स्तर पर अनुदेश जारी किए थे।

क) विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा (एचईपीएसएन)ः– एचईपीएसएन योजना में निम्नलिखित तीन घटक हैंः

i) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के लिए समर्थनकारी यूनिटों की स्थापना

उच्च शिक्षा पद्धति में जागरूकता पैदा करने के लिए और साथ ही विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को आवश्यक दिशा–निर्देश और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए देश में संसाधन यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जिन्हें समर्थनकारी यूनिटें कहा जाएगा। इन समर्थनकारी यूनिटों के प्रकार्य निम्नलिखित होंगेः

क) विभिन्न पाठ्यक्रमों में विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के दाखिले में सहायता करना;

ख) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को दिशा–निर्देश और परामर्श उपलब्ध कराना;

ग) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं और उनके शिक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

घ) विशेष रूप से योग्य स्नातकों को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में सफलतापूर्वक रोजगार प्राप्त करने मे सहायता करना।

ii) विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को पहुंच उपलब्ध करानाः यह अनुभव किया गया है कि विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को उनकी गतिशीलता और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए वातावरण में विशेष प्रबंधों की आवश्यकता होती है। यह भी एक तथ्य है कि कई संस्थानों में वास्तुकला संबंधी बाधाएं हैं जिनको निःशक्तजन उनके दैनिक कार्यों के लिए कठिन पाते है। इस योजना के तहत कॉलेजों से आशा की जाती है कि वे निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के अनुबंधों के अनुसार पहुंच क्षमता संबंधी मुद्दों का समाधान करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मौजूदा संरचनाओं के साथ–साथ उनके परिसरों में भविष्यागामी निर्माण परियोजनाओं को निःशक्तजन के अनुरूप बनाया जा रहा है।

iii) निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक सेवाओं में वृद्धि करने के लिए विशेष उपकरण उपलब्ध कराना: विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों को उनके दैनिक काम–काज के लिए विशेष सहायक सामग्रियों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये सहायता सामग्रियां, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सहायक तंत्र के अधिप्रापण के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा संस्थान को उच्च शिक्षा में नामांकित विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों की सहायता करने के लिए विशेष शिक्षण और मूल्यांकन यंत्रों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लिखने वालों की आवश्यकता होती है।

संस्थान में यंत्रों जैसे कि स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर, लो विजन सहायक–सामग्रियां, स्कैनर्स, गतिशीलता यंत्र इत्यादि से विभिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों के शैक्षिक अनुभवों में वृद्धि होगी। इसलिए कॉलेजों को इस प्रकार के निःशक्त विद्यार्थियों को दाखिला प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यूजीसी, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रति कॉलेज 1.50 लाख रु. का एक एकबारगी तदर्थ अनुदान उपलब्ध कराएंगी।

ख) विशेष शिक्षा योजना में अध्यापक तैयार करना (टीईपीएसई)– टीईपीएसई योजना शिक्षा विभाग की सहायता करने के लिए है ताकि निःशक्त् विद्यार्थियों को विशेष और समावेशी दोनों परिवेशों में पढ़ाने के लिए विशेष अध्यापक तैयार करने के लिए शिक्षा विभाग की सहायता करने विशेष शिक्षा अध्यापक तैयारी कार्यक्रम शुरू किए जा सकें। यह योजना किसी एक निःशक्त विषय शिक्षा अध्यापक तैयार कार्यक्रम शुरू किए जा सकें। यह योजना किसी एक निःशक्त विषय में विशेषज्ञता सहित बी.एड और एम.एड डिग्री पाठ्यक्रम कराने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

ग) दृष्टि–बाधित अध्यापकों के लिए वित्तीय सहायता (एफएवीसीटी)– यह योजना पाठक को भत्ता और ब्रेल पुस्तकों, रिकॉर्ड की गई सामग्रियों इत्यादि के लिए निधियां उपलब्ध कराने के माध्यम से दृष्टि बाधित स्थायी अध्यापकों के लिए तैयार की गई है ताकि वे एक पाठक की सहायता से और अध्यापन और अधिगम सामग्रियों का उपयोग करते हुए अध्यापन और शोध को जारी रख सकें। योजना का उद्देश्य दृष्टिबाधित स्थायी अध्यापकों को सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वे अध्यापन, शिक्षण और शोध के लिए विभिन्न सहायक यंत्रों का उपयोग करते हुए आत्म–निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सभी दृष्टिबाधित अध्यापक, जो भारत के कॉलेजों में कार्य कर रहे हैं और जिन्हें यूजीसी अधिनियम की धाराओं 2(च) और 12(ख) के तहत शामिल किया गया है, को योजना के तहत शामिल किया जाता है।

यूजीसी द्वारा एचईपीएसईएन, टीईपीएसई और एफएवीसीटी योजनाओं के तहत जारी निधियां: 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 132 विश्वविद्यालयों को उपर्युक्त 3 योजनाओं के तहत 4.13 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। घ) 'अध्यापकों के लिए वित्तीय सहायता' और 'विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा' की योजना के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः 266 और 666 निःशक्त् जन लाभांवित हुए हैं।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित सामान्य योजनाएं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन के लिए) भी हैं जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं:

(क) कॉलेज और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना: इस योजना के तहत, कुल 82,000 छात्रवृत्तियों में 3ः स्लॉट्स को निःशक्त विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ख) विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठों (ईओसी) की स्थापना: कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को लाभवंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाधाओं के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए यूजीसी ने लाभंवचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और शैक्षिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में दिशा–निर्देश और परामर्श–सेवा उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना करने के लिए संस्थाओं को वित्त–पोषित किया है। समान अवसर प्रकोष्ठ कार्यालय की स्थापना करने के लिए 2.00 लाख रु. का एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इस समय, विभिन्न विश्वविद्यालयों में 128 ईओसी कार्य कर रहे हैं।

(ग) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन (आईसीटी): मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जिसमें कहीं भी किसी भी समय पद्धति में उच्च शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और शिक्षण, आईसीटी की क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय

प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है। निःशक्त जन विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस मिशन में निम्नलिखित उपाय शामिल किए गए हैंः–

i) विभिन्न भाषाओं में सहायता प्रदान करने और पाठ से बोली हेतु डीजी प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए यूनिकोड फोन्ट का अनुसरण किया गया है जो नेत्रहीन विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करेगा।

ii) आकाश, लो कॉस्ट डिवाइज में अभिगम्यता विकल्प को एकीकृत किया जा रहा है जो, जहां तक उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अधिक वहनीय सहायक हो सकती है।

(घ) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में संशोधनः निःशक्त जन की सहायता करने के लिए प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैंः– धारा 52 (1) निम्नलिखित कृत्य, अर्थात् रुपांतरण, प्रतिलिपि, सर्वसुलभ प्रपत्र में किसी भी कार्य की प्रतियां अथवा पत्राचार जनता को जारी करना, प्रतिलिप्याधिकार का अतिक्रमण नहीं होगा–

i) कोई भी व्यक्ति जो किसी निःशक्तजन को उसके निजी या व्यक्तिगत उपयोग, शैक्षिक प्रयोजन या शोध के लिए किसी सुलभ प्रपत्र की सूचना देने सहित निःशक्त जन को कार्यों की पहुंच में लाने के लिए सहायता प्रदान करता है, अथवा

ii) यदि किसी मामले में सामान्य प्रपत्र ऐसे व्यक्तियों द्वारा कार्यों के करने में बाधा उत्पन्न करता है तो निःशक्तजनों के लाभार्थ कार्य कर रहा कोई संगठनः बशर्ते कि निःशक्तजन को कार्य की प्रतियां बिना लाभ के ऐसे सुलभ प्रपत्र में उपलब्ध कराई जाती है सिवाय उनसे अनुलिपि की लागत वसूल करने के लिए इसके अतिरिक्त यह प्रावधान किया गया है कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि निःशक्तजन द्वारा ऐसे सुलभ प्रपत्र में कार्यों की प्रतियों का उपयोग किया जाता है और वह व्यवसाय के साधारण माध्यमों में इसके प्रवेश को रोकने के लिए उचित कदम उठाता है।

व्याख्याः उप–खंड के प्रयोजनार्थ ''किसी संगठन'' में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा के तहत पंजीकृत और निःशक्तजन के लाभार्थ कार्य कर रहा अथवा निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 के अध्याय x के तहत मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान अथवा पुस्तकालय या अभिलेखागार में निःशक्त्जनों की पहुंच में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाला एक संगठन शामिल है।

4. यूजीसी द्वारा निःशक्तजनों को एनईटी परीक्षा में उपलब्ध कराई गई छूट

– जूनियर रिसर्च फैलोशिप के लिए आयु–सीमा में 5 वर्ष की छूट।
– अंतिम अंक निर्धारित करने के समय पर अंकों में 5% की छूट।
– जेआरएफ प्रदान करने के लिए 3% आरक्षण।
– एनईटी फीस में छूट।
– पेपर–I और पेपर–II के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय और पेपर–III के लिए 45 मिनट का अतिरिक्त समय।
– एक लिखने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराना यदि वे पेपर लिखने की स्थिति में नहीं हैं।

5. **प्रवेश में आरक्षणः** यूजीसी ने निःशक्त (पीडब्ल्युडी) विद्यार्थियों के लिए दाखिले में 3% आरक्षण (क्षैतिज रूप से) उपलब्ध कराने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

6. **तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में पीडब्लयूडी को एकीकृत (जोड़ने) करने के लिए केंद्र वित्त–पोषित योजना के तहत पीडब्ल्युडी विद्यार्थियों को सहायता देनाः** मंत्रालय का यह निर्णय कि अब से पीडब्ल्युडी विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी, तथापि, पॉलिटेक्निक, यदि अपेक्षित हो, उन विद्यार्थियों से केवल परीक्षा फीस ले सकते हैं और वह भी तक जब विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त होती हैं, उपर्युक्त योजना के तहत सभी पॉलिटेक्निक प्रमुखों को पहले से ही जारी कर दिया गया है।

7. **निःशक्तता की श्रेणियों के अनुसार पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठितः** निःशक्तजनों की नियोजनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निःशक्तजनों के वर्गों के अनुसार उचित पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए श्रीमती नीलम नाथ, भा.प्रशा.सेवा, पूर्व सचिव, (ईएसडब्ल्यू), रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मई, 2014 को प्रस्तुत की है और उचित

कार्रवाई हेतु सभी स्टेक–होल्डरों को यह रिपोर्ट परिचालित कर दी गई है। सिफारिशों के प्रमुख क्षेत्रों को निम्नानुसार दिया गया है:–

i) सभी पाठ्यक्रमों में पहुंच,

ii) एचईपीएसएन योजना का निजी संस्थान में प्रसार,

iii) शैक्षिक अध्ययन के साथ मैपिंग कार्य,

iv) निःशक्त प्रबंधन पर उच्चतर शिक्षा व्यावसायिकों का अभिमुखीकरण,

v) निःशक्तजनों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना,

vi) उच्चतर शिक्षा के लिए निधियन बढ़ाना,

vii) पॉलिटेक्निक योजना का प्रसार,

viii) समावेशी कार्य करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए पुरस्कार,

ix) निःशक्तता सेक्टर में कार्यों का प्रलेखन,

x) नियोजनीयता कौशल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

8.1 भारत का प्रथम साइन भाषा केंद्र

भारतीय साइन भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) को स्थापित करने के द्वारा इग्नू ने भारत के तीन मिलियन श्रवण बाधित जनसंख्या के उत्थान के प्रति एक मुख्य कदम उठाया है, जिसका उद्घाटन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 4 अक्तूबर, 2011 को किया गया था। आईएसएलआरटीसी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहायता से स्थापित किया गया है। यह केंद्र भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है जो लघु–अवधि और पूर्ण कार्यक्रमों के लिए दूरस्थ शिक्षा के साथ–साथ पूर्णकालिक शिक्षण भी प्रदान कर रहा है। केंद्र, भाषा और साहित्य के निकाय स्थापित करके बधिर भाषा के विकास के लिए सतत अनुसंधान और छात्रवृत्तियां को बढ़ावा देगा।

8.2 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय निःशक्तता अध्ययन केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र ने पीडब्ल्युडी के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का कार्य अपने हाथ में लिया है:

i) मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए निःशक्तता प्रबंध में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएमडी)

ii) बी.एड (विशेष शिक्षा)

iii) निःशक्त बच्चों को पढ़ाने के लिए सेवाकालीन अध्यापकों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम

iv) निःशक्तता अध्ययन में कारगर पाठ्यक्रम

v) विशेष शिक्षा में एम.एड

vi) मंद–बुद्धि, दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित को शामिल करते हुए प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेष समर्थनकारी प्रमाणपत्र

vii) परामर्श और परिवार थेरेपी में विज्ञान मास्टर

9. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न निर्णय दिए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्देशों के मद्देनजर, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने दिनांक 29.12.2005 के का.ज्ञा. सं.–36035, 3/2004–स्था. (रेस.) के पैरा 14 को संशोधित किया है जिसके जरिए पीडीब्ल्यूडी के लिए आरक्षण के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए गए थें। तद्नुसार, सभी केंद्र वित्त–पोषित उच्च शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी।

10. विभाग ने भवनों में अवरोध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन जिसमें निःशक्त्जनों के लिए रैम्प, रेल, लिफ्ट, व्हीलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए प्रसाधन, ब्रेल साइनेज और श्रव्य सिग्नल, टेक्टाइल फ्लोरिंग और संस्थान की वेबसाइट को सुगम बनाना शामिल है, हेतु सभी केंद्रीय निधिबद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए अपने 10.07.2014 के पत्र के माध्यम से सचिव के स्तर पर अनुदेश जारी किए थे। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि यदि आवश्यक हो, इस संबंध में सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय की ''निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना (एसआईपीडीए) के लाभ को उठाएं।

11. निःशक्तजनों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस): वर्ष 2009–10 से निःशक्तजनों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस) शुरू की गई है। यह योजना, निःशक्त बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा(आईईडीसी) की पूर्व योजना के स्थान पर आई है और यह कक्षा IX-XII में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता उपलब्ध कराती है।

i) लक्ष्य और उद्देश्यः आईईडीएसएस की केंद्र वित्त–पोषित योजना का लक्ष्य सभी निःशक्त विद्यार्थियों को आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात् एक समावेशी और अनुरूप वातावरण में आगे चार वर्ष की माध्यमिक शिक्षा (कक्षा IX से XII) जारी रखने के लिए सक्षम बनाना है।

योजना के घटकों में शामिल हैंः i) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन; ii) विद्यार्थी विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान, iii) शिक्षक सामग्री को तैयार करना; iv) सहायता सेवाएं जैसे विशेष शिक्षक; v) संसाधन कक्षों का निर्माण और सुसज्जिकरण; vi) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य स्कूल अध्यापकों का प्रशिक्षण ताकि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका क्षमता निर्माण किया जा सके; vii) स्कूलों को बाधारहित बनाना। प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी स्कूलों को स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई हैं।

ii) लक्ष्य समूहः निःशक्तजन अधिनियम (1995) और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम (1999) के तहत यथा परिभाषित अनुसार इस योजना में 14+ से 18+ आयु वर्ग के (कक्षा IX से XII) प्रारंभिक स्कूलों में उत्तीर्ण बच्चों और सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे एक या अधिक निःशक्तता अर्थात् (i) दृष्टिहीनता; (ii) कमदृष्टि; (iii) उपचारित कुष्ठरोग; (iv) श्रवण बाधिता; (v) लोकोमीटर (गति–संचालन) निःशक्तता; (vi) मंदबुद्धि; (vii) मानसिक रोग; (viii) ऑटिज्म (स्वलीनता); और (ix) सेरेब्रल पल्सी (मस्तिष्क घात) वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा।

निःशक्त लड़कियों को विशेष ध्यान प्राप्त होता है ताकि उन्हें माध्यमिक शिक्षा की पहुंच का लाभ मिल सके। छात्रा के लिए 200 रु. मासिक स्टिपैड (वज़ीफा) का प्रावधान है।

वर्ष	जारी अनुदान (करोड़ रु. में)	शामिल/शामिल करने के लिए अनुमोदित निःशक्तता सहित कुल बच्चे	नियुक्त उपाय–कुशल अध्यापकों की कुल सं.
2009-10	55.13	76,242	2565
2010-11	80.35	1,46,292	4959
2011-12	83.16	1,38,586	7311
2012-13	26.98	81,207	2854
2013-14	34.85	1,23,356	3599
2014-15	193.33	2,27,319	4052
2015-16*	87.55	2,27,961	4458

12. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई): The facilities extended by the Board to the disabled candidates (Dyslexic, Blind, Spastic and Candidates with Visual Impairment) are as under:

i) बोर्ड द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों (डिस्लोक्सिया, दृष्टिहीन, अंगव्यवस्थात्मक और दृष्टिबाधित) के पास दो की तुलना में एक अनिवार्य भाषा का अध्ययन का विकल्प है। उनके द्वारा चयन की गई भाषा, बोर्ड द्वारा निर्धारित भाषा फॉर्मूला की समग्र भावना के अनुरूप होना चाहिए। एक भाषा के अतिरिक्त निम्नलिखित चार विषयोंः गणित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, एक अन्य भाषा, संगीत, पेंटिंग, गृह विज्ञान और परिचायक सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी एक विषय की पेशकश कर सकते हैं

ii) 2002 परीक्षा से, माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा–X) के लिए गणित और विज्ञान में दृष्टि इनपुट के आधार पर विशेष कौशलों की अपेक्षा वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं।

iii) दृष्टिहीन, शारीरिक रूप से विकलांग और डिस्लोक्सिास विद्यार्थियों को उपयोग करने और लिपिक की अनुमति दी जाती है। लिपिक उस विद्यार्थी की कक्षा से नीचे की कक्षा का विद्यार्थी होना चाहिए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहा है।

iv) दिल्ली से बैठ रहे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को 2003 परीक्षा के लिए बड़े आकार के प्रिंट वाले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे।

v) निःशक्त अभ्यर्थियों को बाह्य परीक्षा के प्रत्येक पेपर के लिए एक घंटा अतिरिक्त (60 मिनट) की अनुमति दी गई थी।

vi) बोर्ड इसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों में छूट नहीं देता है।

vii) तीसरी भाषा में परीक्षा से छूट।

viii) बोर्ड, फिजियोथेरपी अभ्यास को बोर्ड के शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम के समकक्ष मानता है।

ix) केंद्र अधीक्षकों को ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जहां तक संभव हो, भूतल पर परीक्षा संचालित करने के प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

x) शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चे विशेष रूप से उनकी श्रेणी को दर्शाएंगे और साथ ही उल्लेख करेंगे कि क्या उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए कॉलमों में लिखने वाला उपलब्ध कराया गया है।

xi) ऐसे अथ्यर्थियों की उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक नोडल केंद्र में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

xii) केंद्र अधीक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे अभ्यर्थियों की उत्तर–पुस्तिकाओं को एक पृथक लिफ़ाफे में संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजें।

xiii) 2003 परीक्षा से दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक (कक्षा–X) स्तर पर विज्ञान और गणित के पृथक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

xiv) दृष्टिहीनों के लिए सहायक अधीक्षक उन स्कूलों के अध्यापक होते हैं जहां पर दृष्टिहीन अध्ययन कर रहे हैं। जहां तक संभव हो, उसी विषय के अध्यापक की परीक्षा के दिन नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक निरीक्षक स्कूल से बाहर का होता है।

xv) शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों, जिन्हें 60 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है, का निरीक्षण कर रहे सहायक निरीक्षकों को 50 रु.+20 रु. की दर पर पारिश्रिमिक दिया जाएगा।

xvi) केंद्र निरीक्षकों द्वारा केंद्र प्रभार राशि में से लिपिकों को (पेपर के लिए प्रतिदिन) 100 रु. का भुगतान किया जाएगा।

13. राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान

13.1 भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और मौजूदगी सहित एक स्वायत्त संगठन, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान (ओडीएल) मोड के माध्यम से पूर्व–डिग्री स्तर तक सतत और शिक्षु केंद्रित गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराता है। एनआईओएस इसके प्राथमिकता वाले उन लक्ष्य समूहों को पूर्व–डिग्री तक शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों पाठ्यक्रम कराता है, जो अन्यथा फेस–टू–फेस (आमने–सामने) की शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। एनआईओएस, अधि–प्रमाणन कराने के लिए मांग आधारित, मांग–उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम करा रहा है और इस प्रकार कौशलों को अपग्रेड करा रहा है और साथ ही अत्यधिक संख्या में विद्यार्थियों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराने का अवसर भी दे रहा है।

13.2 विगत पांच वर्ष के लिए 2.02 मिलियन बच्चों के इसके संचयी नामांकन और लगभग 500 हजार बच्चों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के साथ ही इसे विश्व में सर्वाधिक बड़ी मुक्त शिक्षा पद्धति मानी गई है। एनआईओएस ने लक्ष्य समूहों को प्राथमिकता दी है जिनमें से अधिकांश औपचारिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ने वाले (ड्रापऑउट) और जनसंख्या के लाभवंचित वर्ग से हैं, जो अन्यथा विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और भावनात्मक कारणों से औपचारिक शिक्षा पद्धति का लाभ नहीं उठा पाए हैं। ऐसा ही एक प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य समूह विशेष रूप से योग्य शिक्षु हैं जिन्हें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वार्षिक रूप से शैक्षिक (माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक) दोनों स्तरों तथा व्यावसायिक विषयों में 10,000 से अधिक शिक्षुओं को दाखिला प्रदान करता है। एनआईओएस लाभवंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित 85 संस्थाओं (एसएआईईडी) की सहायता के जरिए इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करता है, जो देश–भर में विभिन्न राज्यों में विशेष स्कूलों और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ के परिसरों में स्थित हैं। भारत सरकार के नियम के अनुसार शिक्षुओं को फीस में छूट प्रदान की जाती है। शिक्षा को उनकी जीविका के संगत बनाने के लिए, विद्यार्थियों को

उनकी XIवीं और XIIवीं करने के समय पर एक व्यावसायिक विषय लेने के लिए पुरजोर सहायता दी जाती है। चूंकि यह प्रणाली आंतरक है और लोच–सहित स्थापित की गई है ताकि शिक्षुओं की क्षमता के अनुसार उनके अध्ययन को गति दी जा सके, उनके द्वारा चयन किया गया विषय भी उनकी अभिरुचि और अभिवृत्ति के अनुरूप होते हैं।

13.3 निःशक्त शिक्षुओं की परीक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वे अपने पेपर को पूरा करने के लिए एक लिपिक (या एक लिखने वाला) अथवा एक अतिरिक्त घंटा ले सकते हैं। उनके बैठने के लिए पृथक् प्रबंध किए जाते हैं। दृष्टिबाधित शिक्षुओं को ब्रेलर टाइपराइटर अथवा एक कम्प्यूटर का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही उन्हें उपकरणों का जैसे कि बोलने वाला केल्कुलेटर, एबेक्स, टेलर फ्रेम और रेखागणित ड्राईंग किट का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। प्रश्नों को समझने के लिए श्रवण–बाधित परीक्षार्थियों के लिए कक्ष में एक दुभाषिया (इंगित भाषा व्यक्ति) की अनुमति दी गई है।

13.4 अनुकूल हार्डवेयर जैसे ट्रेकबॉल, माउस के स्थान पर तेज गति के बोर्डों की अनुमति भी दी जा सकती है। गंभीर निःशक्त बच्चों के लिए (बहु–निःशक्तता / मस्तिष्क घात (सेरेब्रल पल्सी) के लिए परीक्षा कक्ष में अनुकूल कुर्सी, मेज, बिस्तर, इत्यादि की अनुमति दी जा सकती है, यदि उन्हें इनकी आवश्यकता है। कुछ चरम–सीमा के मामले में भी एक विशेष मामले के रूप में शिक्षुओं के निवास पर परीक्षा आयोजित की जाती है इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान में मानचित्र प्रश्नों के स्थान पर एक वैकल्पिक प्रश्न दिया जाता है।

★★★★★

CHAPTER 16

प्रशासन एवं नीति

अध्याय 16

प्रशासन एवं नीति

संगठनात्मक ढांचा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री के समग्र प्रभार में है जिनकी सहायता दो राज्य मंत्री करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग नामक दो विभाग हैं।

2. प्रत्येक विभाग के मुखिया भारत सरकार के सचिव हैं। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सहायता के लिए 1 अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव तथा 1 आर्थिक सलाहकार हैं। इसी प्रकार, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग की सहायता के लिए 1 अपर सचिव, 5 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार तथा 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) हैं। इसके अलावा दोनों विभागों के लिए समान रूप से काम करने हेतु 1 संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों एवं एककों के रूप में संगठित हैं। प्रत्येक ब्यूरो एक अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन है जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार के स्तर पर विभागीय प्रमुख हैं।

3. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का पदानुक्रमिक ढांचा क्रमशः परिशिष्ट–I और परिशिष्ट–II में संलग्न है।

4. सचिवालय में दोनों विभागों से संबंधित नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थापना और सेवा मामले उच्चतर शिक्षा विभाग प्रशासनिक ब्यूरो द्वारा देखे जाते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) दोनों विभागों के लिए केन्द्रीय कर्मचारी योजना और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और पूर्व–संवर्ग पद अर्थात परामर्शीय कॉडर, सांख्यिकी कॉडर आदि के तहत नियुक्त अधिकारियों के प्रशासनिक मामले।

ख) कैलेंडर वर्ष 2014 (01.01.2015 के अनुसार) के लिए, वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति रिटर्न, संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों के पास भेजना।

ग) इस मंत्रालय में अगले महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पंजियों का सत्यापन, वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ परामर्श करके पूरा किया जा रहा है।

घ) राष्ट्रीय ई–अभिशासन योजना तथा मिशन मोड परियोजनाओं के तत्वाधान में इस मंत्रालय ने ई–ऑफिस (फाईल ट्रेकिंग पद्धति, ई–अवकाश, ई–दौरा), विधि/न्यायलय मामलों की मॉनीटरिंग प्रणाली तथा कोम्प डीडीओ के माध्यम से कर्मचारी भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय में सभी भा.प्रशा. सेवा अधिकारियों के लिए ''स्पैरो'' (स्मार्ट प्रफोर्मेंस अप्रेज़ल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एक ऑनलाइन पद्धति सफलतापूर्वक शुरू की गई है। इन अधिकारियों के एपीए मामलों पर कार्रवाई केवल इस पोर्टल के जरिए की जा रही है। साथ ही पेन्शन स्वीकृति और भुगतान ट्रेकिंग पद्धति के लिए ''भविष्य'' नामक एक ऑनलाईन पद्धति का उपयोग किया जा रहा है।

ङ) शाखा में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के प्राप्त होने पर आंकड़ो को अद्यतन किया जाता है। सभी मामलों में, शाखा में प्राप्त वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, प्रतिधारण के लिए संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रेषित करने से पूर्व संबद्ध अधिकारियों को प्रकट की गई थी।

च) वर्ष 2015 के लिए पद्म पुरस्कारों हेतु नामांकन पर कार्यवाही कर दी गई है, और ये जांच समिति के समक्ष रख दिए गए हैं और गृह मंत्रालय को इस मंत्रालय से पद्म पुरस्कारों के लिए पांच नामांकन जिनमें 1 पद्म भूषण के लिए और 4 पद्म श्री के लिए हैं, भेज दिए गए हैं।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

स्थापना प्रभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, दोनों विभागों अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली और राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद इत्यादि संस्थाओं के साथ, प्रबंधन, प्रशासन, सतर्कता, रोकड़ एवं लेखा, कार्मिक आदि के क्षेत्र में, विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भी समन्वय स्थापित करता है।

2. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, विदेशी प्रशिक्षण के घरेलू निधियन की योजना, कोलम्बो योजना, द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम इत्यादि के तहत विदेश में अल्पावधि एवं दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, और आर्थिक कार्य विभाग इत्यादि द्वारा जारी परिपत्रों के उत्तर में पात्र और समुचित अभ्यर्थियों के नामांकनों को भी भेजता है।

3. वर्ष 2015–16 (1.04.2016 से 31.12.2015) के दौरान विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों/पदाधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण/नामांकन में भाग लेने हेतु भेजा गया था।

क्र. सं.	प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु की नामावली	प्रशिक्षण संस्थान	भेजे गए अधिकारियों/पदाधिकारियों की संख्या
I.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/ समूह 'क' अधिकारी की विदेश प्रशिक्षण योजना के घरेलू वित्तपोषण के अंतर्गत अल्पावधि प्रशिक्षण	ड्यूक युनिवर्सिटी यूएसए और केंद्रीय यूनिवर्सिटी यूके	2
II.	आईएएस/समूह 'क' अधिकारी के लिए बिंदु करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	एलबीएसएनएए, मसूरी	2
III.	विधायी ड्राफ्टिंग/ समूह 'क' अधिकारी मे द्विसाप्ताहिक पाठ्यक्रम	लंदन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सर विलियम डेल सेंटर फार लेजिस्लेटिव स्टडीज	2
IV.	आईएसएस अधिकारी के लिए परीवीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम चरण	एनएसटीटीए, नोएडा	1
V	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण (बी.डीडी.ई., स्तर II, स्तर III, इत्यादि)	आईएसटीएम, नई दिल्ली	27
VI	मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ मंत्रीमंडल मंत्रिमंडल नोट तैयार करने से संबंधित अनुभाग अधिकारी और ऊपर स्तर के लिए द्विदिवसीय/एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम, नई दिल्ली	23
VII	दोनों विभागों के सचिव सहित निजी स्टाफ (उच्चतर शिक्षा) सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता), अपर सचिवए संयुक्त सचिवों और सतर्कता शाखा (सचिव और अनुभाग के अंतर्गत) के लिए विशेष सुरक्षा संवेदी कार्यक्रम	कांफ्रेंस रूम, शास्त्री भवन	54
VIII	एमटीएस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम	4
IX	कैंटीन कर्मचारियों के लिए कुक संवर्ग का प्रशिक्षण कार्यक्रम	होटल प्रबंधन संस्थान, पूसा नई दिल्ली	2

क्र. सं.	प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षु की नामावली	प्रशिक्षण संस्थान	भेजे गए अधिकारियों / पदाधिकारियों की संख्या
X	आईएसएस के वरिष्ठ सतर के अधिकारियों के लिए जनसंख्या अध्ययन, जनसांख्यिकी तथा प्रजनन प्रस्ताव पद्धति पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	सेंटर फार डिवलेपमेंट स्टडीज, तिरूवनन्तपुरम	2
XI	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निः शक्त जनों तथ्य अन्य पिछड़ा वर्ग क संपर्क अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	आईएसटीएम, दिल्ली	2
XII	नवाचार/ईगवर्नेंस में श्रेष्ठ पद्धतियों पर सुग्राहीकरण कार्यशाला	आईएसटीएम, दिल्ली	1
XIII	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रबंधन के लिए क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना'' (सीबाईसीएम) पर जीआईजेड तकनीकी सहयोग कार्यक्रम	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	1
XIV	संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष के लिए विभागीय सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	गुप्तचर ब्यूरों एमएचए	3

सतर्कता संबंधी गतिविधियां

मंत्रालय में सतर्कता ढांचा, सचिव (उच्चतर शिक्षा) के समग्र पर्यवेक्षण में है, जिनकी सहायता संयुक्त सचिव के रैंक के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी, अंशकालिक अवर सचिव तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ में विभिन्न स्रोतों से कुल चौबीस सौ पचासी (2485) संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त संदर्भ भी शामिल हैं। चौदह (14) शिकायतें लोकहित प्रकटन संकल्प के तहत प्राप्त हुई थी, जो जांच के विभिन्न चरणों पर हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सर्तकता आयोग से परामर्श करके 8 शिकायतें बंद की गईं। अनेक शिकायतें अन्वेषण के अंतिम चरण पर हैं।

वर्ष के दौरान तीन मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई। पिछले वर्ष से इस वर्ष लाए गए पुराने आठ (8) अनुशासनात्मक विभागीय मामलों में से पांच मामलों का निष्कर्ष निकाल कर समाप्त कर दिया गया।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभिन्न स्वायत्त संगठनों में रिक्त पदों पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किया गया।

26 अक्तूबर 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक ''उत्तम अभिशासन के एक माध्यम के रूप में निवारक सतर्कता'' के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। बैनर और पोस्टर भी लगाए गए तथा सभी सार्वजनिक पदों पर कार्य करने में ईमानदारी बनाए रखने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शौषण की शिकायतों से संबंधित समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिशा–निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उनके निवारण के लिए मौजूद है।

सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी)

सूचना और सुविधा केन्द्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आने वाली सामान्य जन और एनजीओ की सूचना को सुकर बनाने के लिए जून 1997 में स्थापित किया था। सूचना और सुविधा केन्द्र के मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली, प्रतिक्रियात्मक और सामान्य जन अनुकूल प्रशासन को प्रोत्साहित करना है। यह केन्द्र मंत्रालय की योजनाओं के बारे में उच्च अध्ययन के लिए आने वाले भारतीय विद्यार्थियों और विदेशी विद्यार्थियों, विजिटरों, एनजीओ को जानकारी प्रदान करता है। योजना से संबंधित मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही जानकारी और सेवाओं अर्थात् विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों और आवेदन फार्म के दिशा–निर्देश का उपयोग करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। आंकड़े/जानकारी इंटरनेट की सुविधा वाले कम्प्यूटर से

ली जा सकती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट का पता http://www.education.nic.in है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट:

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया है। जब भी इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होते हैं तो सामान्यतया उसी दिन सूचना एवं सुविधा केन्द्र द्वारा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। प्रति आवेदन 10 रूपये का आवेदन शुल्क, विभाग के खजांची के पास जमा कराया जाता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की बढ़ती संख्या (ऑनलाइन सहित) के मद्देनजर तथा सूचना के आदान–प्रदान में सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में अधिकारियों को पदनामित करने के कार्य की समीक्षा की गई है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव एवं अवर सचिव स्तर के रैंक के अधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं तथा विभागीय प्रमुखों को धारा 19(1) के तहत अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। दोनों विभागों नामतः उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार यह सूचना वार्षिक आधार पर अद्यतन की जाती है। केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2009–10 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में सूचना संकलित की गई तथा उनको ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया।

यह विभाग, इस अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख अपने स्वायत्ता संगठनों द्वारा ब्यूरों प्रमुखों के माध्यम से करता है। 2010–2011 से केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना एकत्र करने की प्रणाली को सीआईसी ने संशोधित किया है। अब यह तिमाही आधार पर तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती है। इस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठनों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए सभी संगठनों को पासवर्ड दिए गए हैं तथा सीआईसी की साइट पर सूचना स्वयं अपलोड करने के लिए उन्हें सूचित किया गया है।

निम्नलिखित विवरण, मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदनों/अपीलों की वर्षवार प्राप्ति दर्शाता है:

वर्ष	आवेदनों एवं अपीलों की संख्या और की गई कार्रवाई
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235
2011	4833
2012	3940
2013	11028
2014	17681
2015	16643 *(ऑफफलाइन, एवं ऑनलाइन सहित 31.12.2015 तक की स्थिति)*

लोक शिकायत

उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव के अधिकारी जिसे निदेशक, लोक शिकायत कहा जाता है, के अंतर्गत विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है। इस अवधि के दौरान (1.4.15 – 31.3.16) प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय (लोक शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय और पेंशन तथा पेंशनधारी कल्याण विभाग जैसे विभिन्न स्रोतों से 50004 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन शिकायतों के निवारण हेतु कदम उठाए गए।

यद्यपि यह कहा गया है कि प्रत्येक बुधवार प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक लोक शिकयत निदेशक से स्टाफ के साथ–साथ आम जनता भी अपनी समस्याएं प्रकट कर सकती है परंतु वास्तव में वे सभी कार्यदिवसों में हर वक्त उपलब्ध होते हैं। निदेशक अपने ई–मेल पर मिली शिकायतों का भी निवारण करते हैं। उनके ई–मेल का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रचार किया गया है। सरकार

को लोक शिकायत निवारण संबंधी नीति के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत स्वायत्त/अधीनस्थ संगठन और पीएसयू में भी निदेशक, लोक शिकायत के रूप में अधिकारी नामित है। डीएआरएंडपीजी कि सिफारिश के अनुसार केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएम) कार्य कर रही है।

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिक को संदेय सेवाओं के संबंध में सशक्त बनाने के उद्देश्य और साथ ही उन्हें ऐसी प्रत्येक प्रदान की जा रही सेवा के प्रति इस मंत्रालय की प्रतिबद्धता के साथ, नागरिक प्रशासन इंटरफेस के वास्तविक माध्यमों के रूप में चार्टरों की सुपुर्दगी के माध्यम से नागरिक और सरकारी अधिकारियों के मध्य सेतु का निर्माण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभाग (अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग) ने उत्तम अभिशासन पर बल देने के लिए अपने नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी)प्रकाशित किए हैं।

नई शिक्षा नीति (एनईपी)

सरकार द्वसास नई शिक्षा नीति (एनईपी) तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए लगभग एक वर्ष तक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई। परामर्श प्रक्रिया पर विचार–विमर्श करने हेतु भारत सरकार के मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य शिक्षा मंत्रियों, शिक्षा सचिवों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में जमीनी स्तर की परामर्श प्रक्रिया को स्पष्ट कर उनसे सुझाव मांगे गए।

सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए, 33 अभिचिन्हित विषयों पर ऑनलाईन, जमीनी स्तर और ऑफलाईन विचार–विमर्श के माध्यम से सहयोगी, बहु स्टेकहोल्डर और बहु–स्तरीय विचार विमर्श किया गया। ऑनलाईन परामर्श प्रक्रिया दिनांक 26 जनवरी, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक www.mygon.in पोर्टल पर की गई और 29000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। मई से अक्तूबर, 2015 के दौरान सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, शहरी स्थानीय निकायों और जिलों में विस्तृत, समयबद्ध, सहभागितापूर्ण, नीचे–से–ऊपर स्तर की परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई। मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् जैसी संस्थाओं और केन्द्र द्वारा वित्तपोषित कई विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, संबद्ध कार्यालयों द्वारा प्रकरणगत विचार–विमर्श किए गए जिसमें विशेषज्ञों, अकादमिकों, औद्योगिक प्रतिनिधियों, सिविल सोयायटी सहित सभी संगत स्टेकहोल्डरों से वैयक्तिक प्रकरणों पर विचार आमंत्रित किए गए। सितंबर–अक्तूबर, 2015 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा पूर्वी, मध्य, पूर्वोत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी जोन से छः जोनल बैठकें की गईं।

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है। जिसको 'नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति' का नाम दिया गया है। समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री टी.एस. आर. सुब्रहमण्यम, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव और श्रीमती शैलजा चंद्रा, पूर्व मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्री सेवाराम शर्मा, पूर्व गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, श्री सुधीर मांकड़, पूर्व मुख्य सचिव, गुजरात और प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, पूर्व निदेशक, एनसीईआरटी, सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। समिति ने परिणामी दस्तावेजों, प्राप्त सिफारिशों और सुझावों की जांच की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के साथ ही एक कार्रवाई फ्रेमवर्क (एफएफए) तैयार किया।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए केब उच्चतम सलाहकार बोर्ड है। दिनांक 11 जून, 2015 के संकल्प सं. 2–8/2011–पीएन ५ द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए इसका पुनर्गठन किया गया। नई दिल्ली में दिनांक 19 अगस्त, 2015 को श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में केब की 63वीं बैठक हुई।

बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री जे.पी.नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और श्री आर.एस.कठेरिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने भाग लिया।

मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी दिनांक 19 अगस्त, 2015 को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 63वीं बैठक को संबोधित करते हुए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री जे.पी.नड्डा, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती मेनका संजय गांधी, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, प्रो.(डा.)राम शंकर कठेरिया और सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग और सदस्य सचिव, केब, श्री वी.एस. ओबराय ने भी बैठक में भाग लिया।

19 राज्यों के शिक्षा मंत्री, 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केब के सदस्य, स्वायत्त संगठनों के प्रधान, विश्वविद्यालयों के कुलपति भी बैठक में उपस्थित थे। केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री वी.एस. ओबराय, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग और सदस्य सचिव, केब और डा. सुभाष सी.खूंटिया, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग बैठक में उपस्थित थे।

एजेण्डा के अनुरूप और राज्य सरकारों तथा विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बैठक में कई निर्णय लिए गए और निम्नलिखित संकल्प अपनाए गए :

i) केब की तीन उप–समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया ताकि निम्नलिखित पर विचार किया जा सके (क) स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने से संबंधित मुद्दों और बाधाओं पर विचार करना तथा उन्हें वापस शैक्षिक प्रणाली में लाने के लिए कदम उठाना, (ख) सरकारी स्कूलों की अवसंरचना, वातावरण और अधिगम परिणामों में सुधार के कदम उठाना और सुझाव देना, (ग) स्कूल और उच्च शैक्षिक प्रणालियों में कौशल और तकनीकी शिक्षा में सुधार और वृद्धि हेतु कदम। राज्यों, अकादमिकों और विशेषज्ञों वाली ये सभी उप–समितियां एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी।

ii) नेशनल केडट कार्पस और नेशनल सर्विस स्कीम में भाग लेने के लिए स्कूल और कॉलेज छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु केब के सदस्यों ने विचार–विमर्श किया। इससे छात्रों में अनुशासन, राष्ट्रीय एकता की भावना तथा सामुदायिक सेवा को बढ़ावा मिलेगा। यह माना गया है कि ये छात्रों की उन्नति और अधिगम के लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी होने के साथ–साथ समाज के लिए भी मूल्यवान हैं। ये कार्यकलाप कई कार्यों की श्रेणी का आरंभ होते हैं, सही प्रकार से किए जाने पर ये छात्रों हेतु अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग बन सकते हैं। अन्य सह–पाठ्यचर्या कार्यों में सृजनात्मक कला के साथ–साथ सामुदायिक सेवा शामिल हैं।

iii) केब ने स्कूली बच्चों के बोझ को कम करने के मामले पर विचार किया। कई टिप्पणियां और सुझाव रखे गए।

iv) यह निर्णय लिया गया कि अक्तूबर, 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य मंत्रियों के साथ शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण और भर्ती पर विचार–विमर्श करने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

v) बैठक में व्यापक सहमति हुई। राज्य सरकारें इस बात पर सहमत थीं कि ''नो डिटेंशन'' नीति को रद्द किया जाए। शिक्षा मंत्री, राज्यों के प्रतिनिधि और केब सदस्य इस बात से सहमत थे। तथापि, भारत सरकार ने प्रस्ताव रखा कि राज्य सरकारें 15 दिन के भीतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखित में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकती हैं, तो इन सिफारिशों के आधार पर अगले कदमों पर विचार किया जाएगा।

परियोजना और मॉनीटरिंग (पीएंडएम)

''पीएंडएम इकाई, वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की समीक्षा, आबंटित योजनागत परिव्यय की तुलना में योजनागत व्यय की निगरानी हेतु योजना आयोग के लिए संपर्क इकाई के रूप में कार्य

करना तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वास्तविक व्यय का विश्लेषण करने में शामिल हैं। पीएंडएम इकाई 'शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय के विश्लेषण' के वार्षिक प्रकाशन भी प्रकाशित करता है जिसमें शिक्षा के संबंध में सार्वजनिक व्यय की प्रवृति का विश्लेषण दिया जाता है। इस दस्तावेज के लिए आंकड़े राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बजट दस्तावेजों से एकत्रित किए जाते हैं और योजनागत, गैर–योजना, राजस्व और पूंजी को अलग करते हुए शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा किए गए खर्च के ब्यौरों के साथ विश्लेषण सहित प्रकाशित करती हैं। यह इकाई शिक्षा क्षेत्र के वार्षिक वित्तीय आंकड़े भी प्रकाशित करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में योजना–वार आंकड़े (केन्द्र तथा राज्य) दर्शाते हैं।

XIIवीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) का परिव्यय 4,53,728 करोड़ रूपए (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 3,43,028 करोड़ रूपये और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1,10,700 करोड़ रूपये) है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वार्षिक योजना 2015–16 में अनुमोदित योजनागत परिव्यय 39038.50 करोड़ रूपए तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 15,885.26 करोड़ रूपए है।''

एडसिल (भारत) लिमिटेड

एडसिल (भारत) लिमिटेड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, आईएसओ 9001–2008 और 14001:2004 प्रमाणित भारत सरकार का एक उपक्रम है।

एडसिल, शिक्षा सेक्टर में एकमात्र परामर्शीय संगठन है जो गुणवत्तायुक्त शिक्षा में नए मानकों को स्थापित करने के लिए मुख्य समर्थक के रूप में टर्नकी आधार पर मॉड्यूलर आधार पर शिक्षा और मानव संसाधन विकास कार्यकलापों की वृहत पहुंच को कवर करता है। एडसिल, भारतीय शिक्षा को विदेशों में प्रोत्साहित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है और भारत में संस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु एकल खिड़की एजेंसी के रूप में समन्वय मानव संसाधनों के विकास सहित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों का समाधान प्रस्तुत करते हुए सेवाओं के विभिन्न लक्ष्यों के माध्यम से व्यापक समाधान प्रदान करने की व्यवस्था करता है।

शैक्षिक और मानव संसाध्न परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सबसे अधिक विश्वसनीय परामर्शी संगठन।

तकनीकी सहायता सेवाएं

एड्सिल ने, विविध आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों वाले देशों में परियोजनाओं का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया है। एड्सिल की तकनीकी सहायता प्रभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में शामिल है:

- शैक्षिक आयोजना और प्रशासन
- शैक्षिक संस्थानों के लिए व्यवहार्य रिपोर्ट
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)
- आईसीटी सहित शिक्षण संसाधनों और कम्प्यूटर अवसंरचना का विकास
- मानव संसाधन आयोजना/जनशक्ति पूर्वानुमान/संस्थागत नियोजन
- पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक विकास और
- प्रशिक्षण आवश्यकताएं/आकलन
- सरकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा)

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकर द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंधन में क्षमता निर्णण और शोध कार्यों में संलग्न एक प्रमुख संगठन है। 1961–62 में शैक्षिक आयोजकों के प्रशिक्षण, प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय केंद्र के रूप में प्रारम्भ तथा उसकी कार्यपद्धति एवं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के चलते, इसे 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) के रूप में रूपान्तरित किया गया। संगठन द्वारा शैक्षिक नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए जाने को मान्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार ने अगस्त, 2006 में इसे सम विश्वविद्यालय का दर्जा देते हुए डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया है। अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भांति न्यूपा का रखरखाव पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

अधिदेश

एनयूईपीए वस्तुतः शिक्षा नीति, आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्रों में शिक्षण, शोध तथा सलाहकार सेवाओं जैसे कार्यों में सेवारत है। विश्वविद्यालय की मुख्य गतिविधियों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को शिक्षा नीति और आयोजना में तकनीकी सहयोग प्रदान करना, देश के शैक्षिक व्यावसायियों के लिए शिक्षा आयोजना तथा प्रशासन में व्यवसाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना, एमफिल तथा पीएचडी के कार्यक्रमों तथा अन्य क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से युवा स्कालरों में काम के प्रति लगाव विकसित करना, स्कूल तथा उच्चतर शिक्षा के सभी पहलुओं में शोधकार्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सलाहकार सेवाएं प्रदान करना, ज्ञान एवं सूचना के प्रसार के लिए क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करना तथा नीति निर्माताओं, योजनाकारों, प्रशासकों और शिक्षाविदों के लिए विचारों के परस्पर आदान–प्रदान हेतु मंच उपलब्ध कराना शामिल हैं।

लक्ष्य एवं उपलब्धियां दर्शाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

एनयूईपीए ने 2007 से शैक्षिक योजना तथा प्रशासन में व्यापक अन्य विषय सामाजिक विज्ञान के परिपेक्ष्य में एम फिल तथा पीएचडी कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं। त***ब से एमफिल के 133 शोध तथा पीएचडी के 51(पूर्ण कालिक) और पीएचडी के 15 अंश कालिक शोध कार्यक्रम एनयूईपीए में नामांकित किए गए हैं। मार्च, 2016 तक 75 एमफिल तथा 13 पीएचडी डिग्रीया प्रदान की गई हैं विश्वविद्यालय एमफिल तथा पीएचडी कार्यक्रमों की दाखिला पद्धति में तथा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है।*** यह सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को भारत सरकार की शिक्षा नीति से संबद्ध मामलों जिसमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यकों की शिक्षा, शामिल हैं पर शोध करने और सेमिनार आदि आयोजित करने के लिए अनुदान प्रदान करता है। एनयूईपीए ने शिक्षा प्राप्ति के निम्न स्तरों की असमानता और गरीबी को कम करने के लिए तथा उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए अनेक सर्वोक्षण, शोध तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है।

वर्ष 2015–16 के दौरान एक सौ चार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें दीर्घावधि तथा अल्पावधि प्रशिक्षण सेमिनार, वरिष्ठ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति नियामकों, योजनाकारों और प्रशासकों के सम्मेलन और बैठकें शामिल हैं। एनयूईपीएने 31.03.2016 तक इस प्रकार के 46 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एनयूईपीए प्रतिवर्ष तीन डिप्लोमा कार्यक्रम (i) शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए) तथा (ii) शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडीईपीए) (iii) स्कूल नेतृत्व एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीईडीएसएलएम), आयोजित करता है। इसके अलावा एनयूईपीए शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक शोध अध्ययन पूरा किया है तथा वर्ष 2015–16 के दौरान 25 शोध अध्ययन कार्यप्रगति पर है। वर्ष 2015–16 के दौरान 13 नए प्रोजेक्ट भी प्रारम्भ किए गए है।

वर्ष 2015–16 के दौरान प्रमुख नीति/सुधार

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) के कार्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों पर शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राप्ति के अत्यंत न्यून स्तर के साथ समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं। एनयूईपीए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यकों पर सर्वेक्षण तथा शोध अध्ययन करता है तथ उनके शैक्षिक उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। यह जनजातीय क्षेत्रों में सेमिनार और स्थान विशेष पर फील्ड आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

★★★★★

संलग्नक

उच्चतर शिक्षा विभाग

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार

क्र.सं.	संस्थान का नाम	संक्षिप्त सार/संगठन का नाम
1.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय – परिहार्य अतिरिक्त देयता	*संस्थान ने परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के लिए अयोग्य करार प्रबंधन के कारण 12.67 करोड़ रुपए की परिहार्य अतिरिक्त देयता वहन की।* *(पैरा सं. 9.1)* *2015 की रिपोर्ट सं. 18*
2.	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली और पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ – 63.75 लाख रूपए के सेवाकर का अनियमित भुगतान	*भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली और पीईसी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ने आउटसोर्स सेवाओं पर सेवाकर का भुगतान किया जबकि यह सेवा ऐसे कर के भुगतान से मुक्त है।* *(पैरा सं. 9.2)* *2015 की रिपोर्ट सं. 18*
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय, सत्यावती कॉलेज–जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को ब्याज का अधिक भुगतान	*सत्यावती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने जीपीएफ/सीपीएफ अंशदाताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक ब्याज की दर का भुगतान (2008–09 से 2010–11) किया जिसके परिणामस्वरूप 83.3 लाख रूपए के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ।* *(पैरा सं. 9.3)* *2015 की रिपोर्ट सं. 18*
4.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – श्रम कल्याण सेस की वसूली न करना	*भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई का निर्माण बिलों से श्रम कल्याण सेस न काटने और बोर्ड से एकत्रित राशि को बोर्ड के पास जमा न करने में अधिनियम के नहीं होने से प्रावधानों का अनुपालन ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने को बाध्य होना पड़ा।* *(पैरा सं. 9.5)* *2015 की रिपोर्ट सं. 18*
5.	विश्व भारती– एक प्रकाशक को अनुचित लाभ	*'रविन्द्र चित्रावली' के प्रकाशक हेतु चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण थी; विश्व भारती ने बाद में प्रकाशक को 3.18 करोड़ रूपए का अनुचित लाभ देने के लिए भुगतान शर्तों में बदलाव किया। वित्तीय स्वामित्व की शर्तों के उल्लघंन के अतिरिक्त विश्व भारती के कार्य ने टैगोर कला को सभी को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उल्लिखित उद्देश्य से निराश किया।* *(पैरा सं. 9.6)* *2015 की रिपोर्ट सं. 18*

स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग

सीएंडएजी द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखा–परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

08 दिसंबरए 2015 को संसद में प्रस्तुत जनजातीय उप–योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा – वर्ष 2015 की रिपोर्ट सं. 33
1. टीएसपी निधियों के मानक निर्धारित करना और धनराशि जारी करना
यह देखा गया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विशिष्ट निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं किया था टीएसपी निधियों की निमुर्कित विभाग द्वारा किए गए आवंटन के समकालीन नहीं थी। वर्ष 2011–12 से 2013–14 के दौरान 13138.05 करोड़ रूपए की कम निर्मुक्ति की गयी। (पैरा 3.2 (क) तथा (ख))
जनजातीय विकास कार्य नीति तथा कार्यक्रमों के अनुसार, टीएसपी की अवधारणा जनजातीय बाहुल्य राज्यों जैसे अरूणाचल प्रदेश, मेघालय आदि पर लागू नहीं होती है, जहां जनजातियों का प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक है। लेखा परीक्षा ने पाया कि जनजातीय बाहुल्य राज्यों को 706.87 करोड़ रूपए की टीएसपी निधियां जारी की गई थी। (पैरा 3.3 (क))
लेखा परीक्षा ने पाया है कि टीएसपी धनराशि उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई जिनमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी जनसंख्या नहीं थी अतः टीएसपी घटक उनके लिए लागू नहीं था। (पैरा 3.3 (ख))
62 मामलों में 433.09 करोड़ रूपए की राशि वर्ष के अंत में (मार्च) में जीएफआर प्रावधान नियम 215(2) के विरूद्ध जारी की गई थी। (पैरा 3.4)
2. लेखाओं का रख–रखाव/टीएसपी निधियों की उपयोगिता तथा अव्यवगत पूल का सृजन
राज्य सरकारों से मंत्रालय को कुल जारी की गई धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हुए थे परंतु ये प्रमाणपत्र शीर्ष–वार निमुर्क्तियों के अनुसार नहीं थे। परिणमस्वरूप टीएसपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों के वास्तविक उपयोग का पता नहीं लगाया जा सका। (पैरा 3.5 तथा 3.6)

योजना आयोग के दिशा–निदेश (2010) – कि वित्तीय वर्ष के अंत में टीएसपी निधियों के अप्रयुक्त रहने को टीएसपी के अव्यपगत पूल में अंतरित कर दिया जाए ताकि उसे जनजातीय कार्य मंत्रालय को अ.ज. विकास संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटित किया जा सके, को इन दिशा–निदेशों को जारी किए जाने के चार वर्ष पश्चात भी कार्यान्वित नहीं किया गया था। (पैरा 3.7)
लेखापरीक्षा ने राज्यों में चयनित योजनाओं में टीएसपी निधियों के वित्तीय प्रबंधन में अनेक कमियां नोटिस की हैं जैसे टीएसपी निधि के अलग खाते का रख–रखाव न करना, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा निधि जारी में कमी/विलंब, टीएसपी निधि का उपयोग न करना/कम करना आदि। पैरा 3.8)
3. राज्यों में टीएसपी का कार्यान्वयन
जनजातीय कार्य मंत्रालय को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया, जैसाकि दिशा–निदेशों के तहत अपेक्षित है, में शामिल नहीं किया गया था। (पैरा 4.2)
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के तहत पांच चयनित योजनाओं के कुछ मूलभूत घटकों के कार्यान्वयन में बहुत कमियां नोटिस की गई थी जैसे स्कूल वर्दियों का बांटा न जाना, बालिकाओं के लिए मॉडल क्लॅस्टर स्कूल की स्थापना न करना और कार्य न किया जाना, मूलभूत सुविधाओं और आवश्यकताओं की कमी, रसोई–सह–स्टोर की कमी, खाद्यान्नों का कुप्रबंधन, अनुपयुक्त अवसंरचना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)/ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान (बीआईटीई) की स्थापना न होना, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, स्वास्थ्य देखरेख अवसंरचना का अपर्याप्त होना और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों आदि का आयोजन न करना भी देखी गयी थी। (पैरा 4.5)
4. निगरानी और मूल्यांकन
केन्द्रीय स्तर पर निगरानी असंतुष्टपूर्ण थी। पीएमओ के निदेशों के बावजूद, समर्पित टीएसपी यूनिट जिसकी स्थापना नवंबर, 2005 के प्रारंभ में की गई थी, योजना आयोग में कार्य नहीं कर रही थी। 28 चिन्हित मंत्रालयों/विभागों में से केवल दो विभागों ने तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। (पैरा 5.2)

09.02.2015 की स्थिति के अनुसार सम–विश्वविद्यालय संस्थानों की सूची

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
आंध्र प्रदेश		
1.	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम) गांधी नगर कैम्पस, रूसीकोनडा, विशाखापट्टनम–530045, आंध्र प्रदेश	13.08.2007
2.	कुनेरू लक्षमइया शिक्षा फाउंडेशन, ग्रिनीफिल्ड, कुंनचनापल्ली पोस्ट, वादेशस्वरम, गुन्टूर जिला–522002, आंध्र प्रदेश	20.02.2009
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति–517507, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	16.11.1987
4.	श्री सत्य सांई उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्रसानथीनीलयाम अनंतपुर–515134, आंध्र प्रदेश	10.11.1981
5.	वेगनन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान फाउंडेशन, वड़लामुदी, गुन्टूर जिला–522213, आंध्र प्रदेश	19.12.2008
अरूणाचल प्रदेश		
6.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजुली, ईटानगर–791109, अरूणाचल प्रदेश	31.05.2005
बिहार		
7.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा–803111, बिहार	13.11.2006
चंडीगढ़		
8.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर–12, चंडीगढ़–160012	16.10.2003
दिल्ली		
9.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा इंस्टीट्यूट, पूसा, नई दिल्ली–110012	22.08.1958
10.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी–21, कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया, नई दिल्ली–110016	20.05.2002
11.	भारतीय विधि संस्थान, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001	29.10.2004
12.	लिवर और बाइलेरी विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस), डी–1, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070	10.07.2009
13.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली–110062	10.05.1989

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
14.	राष्ट्रीय कला, संरक्षण और संगीत विद्या संग्रहालय संस्थान, राष्ट्रीय संग्राहलय, जनपथ, नई दिल्ली–110001	28.04.1989
15.	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, 17–बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली 110 016	11.08.2006
16.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56, 57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110 058	07.05.2002
17.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली – 110 016	16.11.1987
18.	टेरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबिटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003	05.10.1999
गुजरात		
19.	गुजरात विद्यापीठ, पीओ नवजीवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380 014, गुजरात	16.07.1963
20.	समनदीप विद्यापीठ, गांव – पिपरिया, तालुक वागोडिया, जिला – वडोदरा, गुजरात	17.01.2007
हरियाणा		
21.	लिंगायत विश्वविद्यालय, नाचौली, पुराना फरीदाबाद– जसाना रोड, फरीदाबाद – 121 002, हरियाणा	05.01.2009
22.	महर्षि मार्कंडश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना, अंबाला, हरियाणा	12.06.2007
23.	मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, हरियाणा	21.10.2008
24.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, एस.सी.ओ, 5, 6, 7, सेक्टर 15 (2), राष्ट्रीय राजमार्ग 8, गुड़गांव, हरियाणा–122 050	20.05.2002
25.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल–132 001, हरियाणा	28.03.1989
26.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन (एनआईएफटीईएम) संस्थान, प्लाट नंबर 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक एस्टेट, कुंडली, जिला–सोनीपत, हरियाणा	08.05.2012
जम्मू एवं कश्मीर		
27.	केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह (लद्दाख) जम्मू और कश्मीर	15.01.2016
झारखंड		
28.	बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मेसरा, रांची–835 215, झारखंड	28.08.1986

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
29.	इंडियन ऑफ स्कूल माइन्स धनबाद–826 004, झारखंड	18.09.1967
कर्नाटक		
30.	बी.एल.डी.ई. यूनिवर्सिटी, बिजापुर, कर्नाटक	29.02.2008
31.	क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, होसुर रोड, बंगलूरू – 560 029, कर्नाटक	22.07.2008
32.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरू–560 012, कर्नाटक	12.05.1958
33.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 26/सी, विपरीत इन्फोसिस (गेट – 1) के सामने, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बंगलूरू – 560 100, कर्नाटक	28.02.2005
34.	जगद्गुरु श्री शिवारथरिसवारा विश्वविद्यालय, जगद्गुरु डॉ श्री शिवराथी राजेंद्र सर्किल, रामानुज रोड, मैसूर – 570 004, कर्नाटक	28.05.2008
35.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जाक्कुर कैम्पस, बंगलौर–560 064, कर्नाटक	17.08.2002
36.	जैन यूनिवर्सिटी, 91/2, डॉ ए.एन. कृष्णा राव रोड, वी.वी. पुरम, बंगलौर, कर्नाटक	19.12.2008
37.	के.,ल.ई. उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जे.,न. मेडिकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)	13.04.2006
38.	मणिपाल उच्चतर शिक्षा एकेडमी, माधव नगर, उडुपी, मणिपाल–576104, कर्नाटक	01.06.1993
39.	एनआईटीटीई युनिवर्सिटी, मंगलोर 575 003, कर्नाटक	04.06.2008
40.	श्री देवराज उर्स उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बी एच रोड, टमाका, कोलार – 563 101, कर्नाटक	25.05.2007
41.	श्री सिद्धार्थ उच्चतर शिक्षा अकादमी, तुमकुर जिला– 572 102, कर्नाटक	30.05.2008
42.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, सं. 9, अप्पाजप्पा अग्रहारा, चामराजपेट, बैंगलोर–560 018, कर्नाटक	08.05.2002
43.	येनेपोया युनिवर्सिटी, मंगलोर, कर्नाटक	27.02.2008
केरल		
44.	केरल कलामंडलम, वल्लथोल नगर, चेरुथुरुथी – 679 531, वाया त्रिशूर, केरल	14.03.2006
45.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल	03.07.2008
मध्य प्रदेश		
46.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर–474 002, मध्य प्रदेश	21.09.1995

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
महाराष्ट्र		
47.	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे–411 030, महाराष्ट्र	26.04.1996
48.	केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मत्स्य यूनिवर्सिटी रोड, 7 बंगला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400 061, महाराष्ट्र	27.03.1989
49.	डी.वायी. पाटिल एजुकेशनल सोसायटी, लाइन बाजार, कसाबा, बवादा, कोल्हापुर – 416 006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005
50.	दत्ता मेघे चिकित्सा विज्ञान संस्थान, अत्रे लेआउट, प्रताप नगर, नागपुर – 440 022 (महाराष्ट्र)	24.05.2005
51.	डेक्कन स्नातकोत्तर कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे–411 006, महाराष्ट्र	05.03.1990
52.	डॉ डी.वायी. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे–411 018, महाराष्ट्र	11.01.2003
53.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, बीएमसी कॉलेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे–411 004, महाराष्ट्र	07.05.1993
54.	राष्ट्रीय होमी भाभा संस्थान, पंजीकृत कार्यालयः ज्ञान प्रबंधन समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय परिसर, मुंबई 400 085, महाराष्ट्र	03.06.2005
55.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व, मुंबई 400 065, महाराष्ट्र	05.12.1995
56.	आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, गिरीनगर, पुणे–411 025, महाराष्ट्र	10.09.1999
57.	अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, गोवंदी स्टेशन रोड, देवनार, मुंबई 400 088, महाराष्ट्र	31.07.1985
58.	रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र – 400 019	12.09.2008
59.	कृष्णा मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट, मलका पुर, कराड, जिला सतारा–415 (महाराष्ट्र)	24.05.2005
60.	एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, एमजीएम परिसर, सेक्टर–18, कामोथे, नवी मुंबई 410 209 (महाराष्ट्र)	30-08-2006
61.	नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 400 056, महाराष्ट्र	13.01.2003
62.	पद्मश्री डॉ डी.वाई. पाटील विद्यापीठ, विद्या नगर, सेक्टर 7, नेरुल, नवी मुंबई – 400 706, महाराष्ट्र	20.06.2002

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
63.	प्रवर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पी ओ–लोनी बीके –413 736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	29.09.2003
64.	सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सेनापति बापट रोड, पुणे–411 004, महाराष्ट्र	06.05.2002
65.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, होमी भाभा रोड, मुंबई–400 005, महाराष्ट्र	07.05.2002
66.	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिज, वी.एन. पूरव मार्ग, देवनार, मुंबई 400 088, महाराष्ट्र	29.04.1964
67.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकडी, पुणे–411 037, महाराष्ट्र	28.04.1987
उड़ीसा		
68.	कलिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नॉलोजी, एटी/पीओ केआईआईटी पाटिया, खुर्दा, भुवनेश्वर–751 024, उड़ीसा	26.06.2002
69.	शिक्षा 'ओ' अनुसन्धान, जे – 15, खंडागिरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751 030	17.07.2007
पंजाब		
70.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी (एसएलआईईटी), लोंगोवाल, जिला संगरूर – 148 106, पंजाब	10.04.2007
71.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी, थापर टेक्नॉलोजी कैम्पस, भादसों रोड, पटियाला–147 004, पंजाब	30.12.1985
पांडिचेरी		
72.	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पोंडी–कुड्डालोर मेन रोड, पांडिचेरी – 607 402	04.08.2008
राजस्थान		
73.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली–304 022, राजस्थान	25.10.1983
74.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एंड साइंस, पिलानी–333 031, राजस्थान	27.06.1964
75.	इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एज्युकेशन, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर – 331 401, जिला– चुरू, राजस्थान	25.06.2002
76.	आई.आई.एस. विश्वविद्यालय, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	02.02.2009
77.	जैन विश्व भारती संस्थान, बॉक्स नंबर 6, लाडनूं, नागौर –341 306, राजस्थान	20.03.1991
78.	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर – 331 401, राजस्थान	12.01.1987

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
79.	एलएनएम सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्राम–रूप की नगल, पोस्ट – सुमेल, वाया कोनोता, जिला–जयपुर – 303 012 (राजस्थान)	03.02.2006
80.	मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332 311, (राजस्थान)	20.02.2004
चेन्नई		
81.	समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी, 5107, एच 2, 2 एवेन्यू, प्रथम तल, अन्ना नगर, चेन्नई – 600 0 40	21.08.2007
82.	अमृता विश्व विद्यापीठम्, एटीमडाई पोस्ट, कोयंबटूर–641 105, तमिलनाडु	13.01.2003
83.	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस एंड हायर एज्युकेशन फॉर वुमेन, भारती पार्क रोड, कोयंबटूर–641 043, तमिलनाडु	08.06.1988
84.	भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च, 173, अगहारम रोड, सैलाईयूर संस्थान, चेन्नई–600 073, तमिलनाडु	04.07.2002
85.	बी एस अब्दुर रहमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वंदालुर, चेन्नई, तमिलनाडु	16.12.2008
86.	चेन्नई गणितीय संस्थान, प्लॉट च 1, सआईपीसीओटी आईटी पार्क, पादुर पोस्ट, सिरुसेरी– 603 103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006
87.	चेत्तीनाद शिक्षा और अनुसंधान अकादमी (सीएआरई), पादुर, केलमबक्क्म, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	04.08.2008
88.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल –624 302, तमिलनाडु	03.08.1976
89.	हिन्दुस्तान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एंड साइंस (हिट्स), पादुर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलांबल्लम, कांचीपुरम जिला (तमिलनाडु)	05.05.2008
90.	कलासालींगम अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एज्युकेशन, आनंद नगर, कृष्णनकौल, विरुधुनगर – 626 190, वाया श्रीविल्लीपुथुर, तमिलनाडु	20.10.2006
91.	कारुण्या प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, कारुण्या नगर, कोयंबटूर–641 114 (तमिलनाडु)	23.06.2004
92.	कर्पगम उच्चतर शिक्षा अकादमी, पोलाची मेन रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु	25.08.2008
93.	एम.जी.आर. एज्युकेशनल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, पेरियार ईवीआर सलाई (एनएच 4 राजमार्ग), मदुरावोयाल, चेन्नई–600 095, तमिलनाडु	21.01.2003
94.	मीनाक्षी अकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च, नं. 12, वेमदुली अम्मान कोइल स्ट्रीट, पश्चिम के.के. नगर, चेन्नई–600 078, तमिलनाडु	31.03.2004

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
95.	नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एज्युकेशन एंड रिसर्च, कुमारकोइल थकले, जिला–कन्याकुमारी, तमिलनाडु – 629 175	08.12.2008
96.	पेरियार मैनियामाई इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वल्लम, तंजावुर –613 403, तमिलनाडु	17.08.2007
97.	पोंनैयाह रामाजयम इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी (पीआरआईएसटी), यगप्पा चावड़ी, तंजावुर – 614 904, तमिलनाडु	04.01.2008
98.	एस.आर.एम. इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलोजी, 2, वीरासामी स्ट्रीट, वेस्ट माम्बलम, चेन्नई–600 033, तमिलनाडु	02.08.2002
99.	सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जप्पियार नगर, पुराना ममाल्लापुरम रोड़, चेन्नई – 600119, (तमिल नाडु)।	16.07.2001
100.	सविथा चिकित्सा और प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6 नं. 162, पूनामल्ले हाई रोड, वेलाप्पांचवदि, चेन्नई– 600 077 (तमिलनाडु)।	18.03.2005
101.	शनमुघा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं अनुसंधान अकादमी (सस्त्रा), तिरुमलाई समुद्रम, तंजावुर – 613 402, तमिलनाडु।	26.04.2001
102.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, श्री जयेन्द्र सरस्वती स्ट्रीट, इनाथुर, कांचीपुरम–631 561, तमिलनाडु	26.05.1993
103.	श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचंद्र नगर, चेन्नई – 600 116	29.09.1994
104.	सेंट पीटर उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अवादी, चेन्नई 600054, तमिलनाडु	26.05.2008
105.	वेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च अध्ययन संस्थान (वीआईएसटीएएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु	04.06.2008
106.	वेल्लोर प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट, वेल्लोर – 632 014 (तमिलनाडु)	19.06.2001
107.	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, सरकारी मणि रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 अरियानूर, सालेम– 636 308, तमिलनाडु	01.03.2001
108.	वेल टेक रंगराजन डॉ. संगुंरथला अनुसंधान एवं विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु	15.10.2008
आंध्र प्रदेश		
109.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सर्वे नं 25, गांचीबावली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद .500 032, आंध्र प्रदेश	21.08.2001
110.	आईसीएफएआई उच्चतर शिक्षा फाउंडेशन, प्लॉट नं 52, द्वितीय तल, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद 500 982, आंध्र प्रदेश	16.12.2008

क्र.सं.	सम–विश्वविद्यालय	सम–विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
उत्तर प्रदेश		
111.	सैम हिंगीनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, ए पीओ कृषि संस्थान, इलाहाबाद – 211 007, उ.प्र.	15.03.2000
112.	भातखंडे संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	24.10.2000
113.	केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी–221 007, उत्तर प्रदेश	05.04.1988
114.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा–282 005, उत्तर प्रदेश	16.05.1981
115.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर–243 122, उत्तर प्रदेश	16.11.1983
116.	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ए–10, सेक्टर–62, नोएडा–201 307, उत्तर प्रदेश	01.11.2004
117.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा. जमुनीपुर, डुबवाली जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	27.06.2008
118.	शोभित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, दुल्हेड़ा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ – 250 010 (उत्तर प्रदेश)	08.11.2006
119.	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201 009	13.06.2007
उत्तराखंड		
120.	वन अनुसंधान संस्थान, पीओ न्यू फोरेस्ट, देहरादून–248 006, उत्तराखंड	28.11.1991
121.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249 404, उत्तराखंड	19.06.1962
122.	ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी, 566⁄6 बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड	14.08.2008
पश्चिम बंगाल		
123.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और अनुंसधान संस्थान, पी,ओ, बेलुर मठ, जिला हावड़ा– 711202, पश्चिम बंगाल	05.01.2005

09.02.2015 के अनुसार
निजी विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
अरुणालच प्रदेश		
1.	एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पासीघाट, जिला पूर्वी सियांग, अरुणाचल प्रदेश – 791 102	10.05.2013
2.	अरुणाचल अध्ययन विश्वविद्यालय, एनएच 52, नामसाइ, जिला – नामसाइ – 792103, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012
3.	अरुणोद, विश्वविद्यालय, ई–सेक्टर, निरजुली, ईटानगर, जिला पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश–791109	21.10.2014
4.	हिमालय विश्वविद्यालय, 401, टकर परिसर, नाहरलगुन, ईटानगर, जिला – पापुम पारे – 791110, अरुणाचल प्रदेश	03.05.2013
5.	नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर तकनीकी विश्वविद्यालय, सिबु–पुई, आलो (पीओ), पश्चिम सियांग (जिला), अरुणाचल प्रदेश–791001	03.09.2014
6.	इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जिरो, अरुणाचल प्रदेश	26.05.2012
7.	वेंकटेश्वर मुक्त विश्वविद्यालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	20.06.2012
गुवाहाटी		
8.	असम डोन बोस्को विश्वविद्यायल, अजारा, गुवाहाटी	12.02.2009
9.	असम डाउन टाउन विश्वविद्यालय, संकर माधब पाथ, गांधी नगर, पानिखैति, गुवाहाटी– 781 036	29.04.2010
10.	महापुरूष श्रीमंत शंकरदेव विश्वविद्यालय, श्रीमंत शंकरदेव संघ कॉम्प्लेस, हलधर भुयान पाथ, कालोंगपार, नागोन– 782001, असम	14.08.2013
11.	असम काजीरंगा विश्वविद्यालय, जोरहाट, असम	11.04.2012
छत्तीसगढ़		
12.	एमिटी विश्वविद्यालय, गांव–मांठ, तहसील–टिल्डा, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़	21.08.2014
13.	डॉ सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, कार्गी रोड, कोटा, बिलासपुर	03.11.2006
14.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग–6, रायपुर–भिलाई रोड, ग्राम–चोरहा, आरआई सर्किल, अहिवारा, धामधा, जिला – दुर्ग, छत्तीसगढ़	24.03.2011
15.	आईटीएम विश्वविद्यालय, पीएच संख्या 137, उपरवारा, नया रायपुर, डीटी. रायपुर – 493661, छत्तीसगढ़	03.02.2012
16.	कलिंग विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	24.03.2011
17.	महर्षि प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पोस्ट – मंगला, बिलासपुर – 495 001	18.04.2002
18.	मैट्स विश्वविद्यालय, आरंग खरोरा राजमार्ग, ग्राम पंचायतरू गुल्लू, गांवरू गुल्लु, तहसीलः आरंग, जिलारू रायपुर	03.11.2006
19.	ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, नॉलेज पार्क, घरघोडा रोड, पूंजीपथरा, रायगढ़–496001, छत्तीसगढ़	21.08.2014

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
अहमदाबाद		
20.	अहमदाबाद विश्वविद्यालय, एईएस बंगला # 2, नवरंगपुरा, अहमदाबाद – 380 009	07-07-2009
21.	ओरो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड मैनेजमेंट, सूरत, गुजरात	12.10.2011
22.	कैलोरक्स शिक्षक विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	07.07.2009
23.	चारोतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चांगा 388 421, जिला – आनंद	04.11.2009
24.	सी. यू. शाह विश्वविद्यालय, सुरेंद्रनगर–अहमदाबाद राज्य राजमार्ग, निकट कोठारिया गांव, वाधवान सिटी– 363030, डीटी. सुरेंद्रनगर, गुजरात	22.04.2013
25.	धीरूभाई अंबानी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर, पोस्ट बॉक्स नंबर 4, गांधी नगर– 382 007	06.03.2003
26.	गणपत विश्वविद्यालय, गणपत विद्यानगर, मेहसाणा, गोजारिया राजमार्ग, जिला मेहसाणा – 382 711	23.03.2005
27.	जी.एल.एस. विश्वविद्यालय, गुजरात लॉ सोसायटी कैम्पस, लॉ गार्डन के विपरीत, एलिसब्रिज, अहमदाबाद– 380006, गुजरात	15.04.2015
28.	जीएसएफसी विश्वविद्यालय, विज्ञान भवन, पीओ फर्टीलाइजर नगर – 391750, जिला वडोदरा, गुजरात	19.12.2014
29.	इंडस यूनिवर्सिटी, इंडस कैम्पस, रणचन्द्र, वाया–थालतेज, अहमदाबाद – 382115, गुजरात	02.05.2012
30.	भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान– गांधीनगर, सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान कैम्पस, ड्राइव–इन–रोड, थालतेज, अहमदाबाद– 380054, गुजरात	02.05.2015
31.	एडवांस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनल एरिया, कोबा, गांधीनगर– 382007, गुजरात	12.10.2011
32.	आई टी एम–वोकेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट 6512, अजवा निमेता रोड, रवाल तालुका, वाघोडिया, वडोदरा, गुजरात	08.05.2014
33.	कादी सर्व विश्वविद्यालय, सर्व विद्यालय परिसर, सेक्टर 15/23, गांधीनगर	16.05.2007
34	लकुलिश योग विश्वविद्यालय, 'लोटस व्यूह' निरमा विश्वविद्यालय के विपरीत एस.जी. राजमार्ग, छारोदी, अहमदाबाद–382481, गुजरात	16.04.2013
35	नवरचना विश्वविद्यालय, वसना–भायली रोड, वडोदरा – 391410, गुजरात	07.07.2009
36	निरमा यूनिवर्सिटी, सरखेज गांधीनगर राजमार्ग, गांव–छारोदी, अहमदाबाद	12.3.2003
37	पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, रायसन, जिला गांधीनगर – 382 009	04.04.2007
38.	पारुल विश्वविद्यालय, पीओ लिम्बा, ताल– वाघोडिया, जिला–वडोदरा–391760, गुजरात	21.04.2015
39.	आर.के. विश्वविद्यालय, राजकोट–भावनगर राजमार्ग, कस्तूरबा धाम, राजकोट, गुजरात	14.10.2011
40.	राय यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, गुजरात	02.05.2009
41.	टीम लीज स्किल यूनिवर्सिटी, तारसली– वडोदरा रोड, तारसली बाईपास, वडोदरा– 390009, गुजरात	22.04.2013
42.	यूके, तारसाडिया यूनिवर्सिटी, मलिबा कैम्पस, गोपाल विद्यानगर, बारोली–महुवा रोड, जिला, सूरत, गुजरात	14.10.2011

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
हरियाणा		
43.	अल–फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा	02.05.2014
44.	एमिटी विश्वविद्यालय, एमिटी एजुकेशन वेली, पंचगांवए, मानेसर, जिला– गुड़गांव 122 413, हरियाणा	26.04.2010
45.	अंसल विश्वविद्यालय, गुड़गांव, हरियाणा	10.02.2012
46.	एपीजे सत्या विश्वविद्यालय, पलवल रोड, सोहना, गुड़गांव– 122 103, हरियाणा	02.11.2010
47.	अशोक विश्वविद्यालय, प्लॉट नं 2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, कुंडली, एनसीआर, सोनीपत, हरियाणा (निजी विश्वविद्यालय)	02.05.2014
48.	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा।	10.02.2012
49.	बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय, 67 वां केएम स्टोन, एनएच–8, सिधरावली, जिला गुड़गांव– 123 413, हरियाणा	02.05.2014
50.	जी.डी. गोयनका विश्वविद्यालय, जी.डी. गोयनका एजुकेशन सिटी, गुड़गांव सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122 103	03.05.2013
51.	जगन नाथ विश्वविद्यालय, राज्य राजमार्ग 22, बहादुरगढ़.झज्जर रोड, झज्जर– 124 507, हरियाणा	03.05.2013
52.	के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा – 122 103	03.05.2013
53.	मानव रचना यूनिवर्सिटी, सेक्टर – 43, दिल्ली–सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हरियाणा	06.08.2014
54.	एम.वी.एन. विश्वविद्यालय, पलवल, हरियाणा	10.02.2012
55.	महर्षि मार्कण्डेय विश्वविद्यालय, सादोपुर, जिला. अंबाला, हरियाणा	29.10.2010
56.	एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, 9 केएम माइलस्टोन, एनएच 65, कैथल– 027 136, हरियाणा	27.09.2011
57.	ओ.पी. जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, सोनीपत	10.11.2006
58.	श्री गुरु गोबिंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय, फारुख नगर रोड, बुदेहेड़ा, जिला गुड़गांव, हरियाणा	03.05.2013
59.	एसआरएम विश्वविद्यालय, प्लॉट नं 39, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, दिल्ली–एनसीआर, सोनीपत–कुंडली शहरी परिसर, हरियाणा – 131 029	03.05.2013
60.	द नार्थकैप यूनिवर्सिटी, हुडा सेक्टर 23 ए, गुड़गांव–122 107, हरियाणा	21.10.2009
हिमाचल प्रदेश		
61.	अभिलाषी विश्वविद्यालय, चैलचौक (चैचिट), जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	23.01.2015
62.	ए.पी.जे. (अलख प्रकाश गोयलद्ध विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश	07.06.2012
63.	अर्नी यूनिवर्सिटी, काठगढ़, तहसिल इंडोरा, जिला. कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	03.11.2009
64.	बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमरजिंग सांइसिस एंड टेक्नॉलोजी, मखनुमाजरा, बद्दी जिला–सोलन	15.10.2009
65.	बाहरा यूनिवर्सिटी, वीपीओ– वाकनाघाट, तहसील– कंडाघाट, जिला– सोलन, हिमाचल प्रदेश	21.01.2011
66.	करियर प्वाइंट विश्वविद्यालय, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	03.05.2012

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
67.	चितकारा यूनिवर्सिटी, एचआईएमयूडी, एजुकेशनल हब, कल्लूझंडा (बरोटीवाला), जिला–सोलन– 174 103	21.01.2009
68.	एटरनल यूनिवर्सिटी, बारू साहिब हिमाचल	22.10.2009
69.	आई.ई.सी. (इंडिया एजुकेशन सेंटर) यूनिवर्सिटी, बड्डी, सोलन, हिमाचल प्रदेश	11.05.2012
70.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, एचआईएमयूडी, शिक्षा हब, कल्लूझंडा, पीओ मंधल, वाया बरोटीवाला, बड्डी सोलन जिला हिमाचल प्रदेश– 174 103	20.10.2011
71.	इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वी.पी.ओ. बाथू, तहसील हरोली, जिला– ऊना, हिमाचल प्रदेश– 174 301	01.02.2010
72.	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिला–सोलन– 173 215	22.05.2002
73.	महर्षि मार्कंडे विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी, सुल्तानपुर रोड, सोलन– 173 229, हिमाचल प्रदेश	19.09.2010
74.	महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, अटल शिक्षा कुंज, जिला–सोलन– 174 103, हिमाचल प्रदेश	15.01.2013
75.	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश	22.09.2009
76.	शूलीनी जैव प्रौद्योगिकी और प्रबंध विज्ञान विश्वविद्यालय, सोलन	15.10.2009
77.	श्री साई विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	27.01.2011
	झारखंड	
78.	झारखंड राय विश्वविद्यालय, कामरे, रातू रोड, रांची– 835222, झारखंड	02.02.2012
79.	साई नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	27.04.2012
80.	द इंस्ट्टीयूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ग्रांड एमेरल्ड बिल्डिंग, सड़क नंबर 1 और 2 के बीच, अशोक नगर, रांची– 834 202, झारखंड	17.06.2008
	कर्नाटक	
81.	एलायंस विश्वविद्यालय, बंगलौर (कर्नाटक)	16.09.2010
82.	अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, 134, डोड्डाकन्नेली, विप्रो कारपोरेट कार्यालय के समीप, सरजापुर रोड, बंगलौर, कर्नाटक	13.10.2010
83.	सी एम आर विश्वविद्यालय, 2,3, 'सी', 6 मेन रोड, 2 ब्लॉक, बीआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बंगलौर– 560 043, कर्नाटक	16.05.2013
84.	दयानंद सागर विश्वविद्यालय, शावीज़ मल्लेश्वरा हिल्स, कुमारस्वामी लेआउट, बंगलौर– 560078, कर्नाटक	16.05.2014
85.	ट्रांस–डिसीप्लिनरी हेल्थ साइंसिस एंड टेक्नॉलोजी इंस्टीट्यूट, 74/2 जरकाबंडे कवल, येलाहंका, वाया अत्तुर पोस्ट, बंगलौर– 560064, कर्नाटक	26.06.2013
86.	केएलई टेक्नॉलोजी यूनिवर्सिटी, बी.वी. भूमरड्डी कॉलेज कैम्पस, विद्यानगर, हुब्बली– 580031, कर्नाटक	04.04.2015

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
87.	एमएस रमैय्या अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रशासनिक ब्लॉक, नई बीईएल रोड, एमएसआरआईटी पोस्ट, बंगलौर– 560 054, कर्नाटक	09.07.2013
88.	पीईएस विश्वविद्यालय, 100 फीट रिंग रोड, बीएसके तृतीय स्टेज, बंगलौर– 560 085 (कर्नाटक)	16.05.2013
89.	प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय (कर्नाटक), दिब्बूर और इगलपुर ग्राम, हेसरघट्टा होबली, बंगलौर (कर्नाटक)	16.05.2013
90.	रेवा विश्वविद्यालय, कट्टीगेनहाली, येलहंका, बंगलौर– 560 064	16.05.2013
91.	राय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दोड्डबाल्लापुर नेलमंगला रोड, एसएच 74, नजदीक राजमार्ग 207, दोड्डाबल्लापुर, तालुक, बंगलौर– 561 204 (कर्नाटक)	17.09.2014
92.	श्रीनिवास विश्वविद्यालय, श्रीनिवास ग्रुप ऑफ कॉलेज कैम्पस, श्रीनिवास नगर, मुक्का, सूरतकल, मंगलौर–574146	20.02.2015

मेघालय

93.	सी, मजी विश्वविद्यालय, शिलांग (मेघालय)	20.07.2009
94.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, पीओ अराईमिले, मचअकोलगरे, तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय	04.01.2011
95.	मार्टिन लूथर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, डोंगत्येह, नोंग्रह, ब्लॉक– 1, शिलांग– 793006, मेघालय	13.07.2005
96.	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, शिलांग पॉलिटेक्निक परिसर, मावलई, शिलांग– 793 022	02.12.2008
97.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनेलिस्ट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, चौथी मंजिल, नजदीक सुंदरी होटल, सर्कुलर रोड, तुरा बाजार, तुरा– 794 001	04.11.2009
98.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैंड्र्स भवन, रामकृष्ण डिस्पेंसरी के समीप, लैतुमखरा, मुख्य सड़क, लुमरी, शिलांग, मेघालय	02.12.2008
99.	प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन विश्विद्यालय, शिलांग मेघालय	27.05.2011
100.	विलियम कैरे यूनिवर्सिटी, ज़ोरम विला, बोमफिल्ड रोड, शिलांग, मेघालय– 793001	13.07.2005

मिजोरम

101.	द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनेलिस्ट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सालेम वेंग, चल्टलांग, आइज़ॉल, – 798 012, मिजोरम	21.03.2006

मध्य प्रदेश

102.	ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश	31.12.2011
103.	एआईएसईसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल.चिकलोड रोड, नजदीक बंगरसिया चौराहा, भोपाल, मध्य प्रदेश	30.12.2010
104.	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	30.12.2010
105.	आईटीएम विश्वविद्यालय, आईटीएम परिसर, विपरीत सिथौली रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग– 75, झांसी रोड, ग्वालियर– 474 001, मध्य प्रदेश	04.05.2011

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
106.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत मुगलिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल– 462 044, मध्य प्रदेश	24.04.2013
107.	जेपी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एबी रोड, राघोगढ़, जिला गुना – 473 226 (मध्य प्रदेश)	13.08.2010
108.	एलएनसीटी विश्वविद्यालय, जेके टाउन, सर्वधर्म सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल– 462042, मध्य प्रदेश	08.01.2015
109.	महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जबलपुर– 482 001	29.11.1995
110.	मेडी.कैप्स विश्वविद्यालय, ए.बी. रोड, पिगदम्बर, राउ, इंदौर– 453331, मध्य प्रदेश	22.07.2015
111.	ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, विपरीत रेवती रेंज गेट नंबर 1, सनवेर रोड, पीओ बॉक्स नं 311, विजय नगर डाकघर, इंदौर– 452 010, मध्य प्रदेश	04.05.2011
112.	पीपुल्स यूनिवर्सिटी, भानपुर, भोपाल– 462 037	04.05.2011
113.	पी के विश्वविद्यालय, गांव– थानरा, तहसील– करेरा, राष्ट्रीय राजमार्ग– 27, शिवपुरी, मध्य प्रदेश– 473551	19.08.2015
114.	आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, बायपास रोड, नजदीक आरजीपीसी कैम्पस, भोपाल, मध्य प्रदेश	19.07.2011
115.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, एनएच 12, होशंगाबाद रोड, जटखेडी, भोपाल, मध्य प्रदेश।	08.01.2015
116.	श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल–इंदौर रोड, विपरीत पचमा ऑयल फेड प्लांट, पचमा, सेहोर– 466001, मध्य प्रदेश	12.02.2014
117.	स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश	31.12.2011
118.	टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी, लतेरी रोड, सिरोंज (नजदीक गोशाला), जिला– विदिशा, मध्य प्रदेश	09.01.2013
	महाराष्ट्र	
119.	अजिंक्य डी.वाय. पाटिल विश्वविद्यालय, चारहोली बद्रक, वाया लोहेगांव, पुणे–412105, महाराष्ट्र	25.02.2015
120.	एमिटी विश्वविद्यालय, मुंबई – पुणे एक्सप्रेस वे, भाटन, पोस्ट – सोमाथने, पनवेल, मुंबई, महाराष्ट्र – 410206	25.07.2014
121.	फ्लेम यूनिवर्सिटी, जीएटी सं 1270, गांव लवले, तालुका मुलशी, पुणे–411042, महाराष्ट्र	13.02.2015
122.	एमआईटी आर्ट डिजाइन एंड टेक्नॉलोजी यूनिवर्सिटी, राजबॉग, हदपसर के समीप, लोनी कलभोर, पुणे – 412201, महाराष्ट्र	13.10.2015
123.	स्पाइसर एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी, औध रोड, गंडशखिंड पोस्ट, पुणे –411004, महाराष्ट्र	25.07.2014
	मणिपुर	
124.	संगाई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, चुरचंदपुर, मणिपुर	05.05.2015
	नगालैंड	
125.	ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी, वोखा – 797 111, नगालैंड	18.09.2006

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
126.	द इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनेलिस्ट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सुपर मार्केट कॉम्प्लैक्स के पीछे, नजदीक सीजीएम, बीएसएनएल – कार्यालय, दीमापुर – 797 112, नगालैंड	04.11.2009
उड़ीसा		
127.	सेंचुरियन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, गांव अलुरी नगर, वाया उप्पलड, परलखेमुंडी–761 211, गजपति, उड़ीसा	27.08.2010
128.	श्री विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा	26.12.2009
129.	जेवियर विश्वविद्यालय, जेवियर स्क्वायर, भुवनेश्वर, ओडिशा	13.05.2013
पंजाब		
130.	आदेश विश्वविद्यालय, एनएच–7, बरनाला रोड, बठिंडा, पंजाब	10.07.2012
131.	अकाल विश्वविद्यालय तलवंडी साबो – 151302, जिला भटिंडा, पंजाब	04.06.2015
132.	चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, घराओं, मोहाली – 140413, पंजाब	10.07.2012
133.	चितकारा विश्वविद्यालय, चंडीगढ़–पटियाला राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 64), झांसला गांव, तहसील राजपुरा, जिला– पटियाला, पंजाब – 140 401	07.12.2010
134.	डी.ए.वी. विश्वविद्यालय, जालंधर–पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग –44, गांव–सरमस्तपुर, जालंधर, पंजाब	18.02.2013
135.	देश भगत विश्वविद्यालय, अमलोह रोड, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब	18.02.2013
136.	जीएन, विश्वविद्यालय, गांव–श्री हरगोबिन्दगढ़, फगवाड़ा, जिला कपूरथला–144401, पंजाब	21.08.2014
137.	गुरु काशी यूनिवर्सिटी, तलवंडी साबो, जिला–भटिंडा, पंजाब	26.12.2011
138.	लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर – लुधियाना, जी.टी. रोड, नजदीक चेहरू रेलवे ब्रिज, फगवाड़ा, जिला – कपूरथला, पंजाब – 144 002	26.12.2005
139.	रायत बाहरा विश्वविद्यालय, वीपीओ – सहारों, तहसील – खरड़, जिला – मोहाली, पंजाब – 140105	13.08.2014
140.	आरआईएमटी यूनिवर्सिटी, फ्लोटिंग रेस्तरां के सामने, सरहिंद की तरफए, मंडी गोबिंदगढ़–147301, पंजाब	08.12.2015
141.	संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय, गांव–ख्याला, पीओ–पधियाना, जिला–जालंधर–144030, पंजाब	12.02.2015
142.	श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, श्री लालगिधर निवास, फतेहगढ़ साहिब – 140 406, पंजाब	15.05.2008
जयपुर		
143.	एमिटी विश्वविद्यालय, राजस्थान एनएच 11 सी, कंत कलवर, जयपुर–303 002	29.03.2008
144.	भगवंत विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं 87, सीकर रोड, अजमेर–305 001	16.04.2008
145.	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान	02.05.2012

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
146.	डॉ के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, प्लॉट –1, आरआईआईसीओ औद्योगिक क्षेत्र, फेज़–II, नेवाई, जिला– टोंक, राजस्थान – 304 021	22.04.2010
147.	गीतांजलि विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	25.01.2011
148.	होम्योपैथी विश्वविद्यालय, साईपुरा, सांगानेर, जयपुर – 302 029, राजस्थान	03.04.2010
149.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, खसरा नं 505/1, गांव–जमदोली, आगरा रोड, जयपुर – 302 031, राजस्थान	23.08.2011
150.	आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, 1, प्रभु दयाल मार्ग, नजदीक–सांगानेर हवाई अड्डा, जयपुर –302 029, राजस्थान	26.02.2014
151.	जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	02.05.2012
152.	जे.के. लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय, ललिया का वास, पीओ महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर – 302 026, राजस्थान	15.09.2011
153.	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, गांव–रामपुरा, तहसील– चकसू, जयपुर	16.04.2008
154.	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर	21.10..2007
155.	जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, वेदांत ज्ञान वैली गांव, झरना महल, जबनेर, लिंक रोड एनएच –8, जयपुर	21.04.2008
156.	जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नरनदी झंवर रोड, जोधपुर–342 001	11.08.2008
157.	माधव विश्वविद्यालय, माधव विश्वविद्यालय, ''माधव हिल्स'', बानस ब्रिज टोल के सामने, एनएच –14, गांव–वाडा/भुजेला, पंचायत समिति–भरजा, तहसील–पिंडवारा, आबू रोड, जिला–सिरोही, राजस्थान – 307026	04.03.2014
158.	महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान।	21.03.2012
159.	महर्षि अरविंद विश्वविद्यालय, मुंदियारमसर, नजदीक बिंदायक औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302012, राजस्थान	05.10.2015
160.	महात्मा गांधी चिकित्सा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुर, टोंक रोड, जयपुर – 302 022	15.09.2011
161.	महात्मा ज्योति राव फूले विश्वविद्यालय, एसपी–2 और 3, कंत कलवर, आरआईआईसीओ इंडस्ट्रियल एरिया, ताला मोड, एनएच I, अक्रोल, जयपुर	03.02.2009
162.	मणिपाल विश्वविद्यालय, वाटिका इन्फोटेक सिटी, नजदीक जीवीके टोल प्लाज़ा, जयपुर अजमेर एक्सप्रैस वे, पोस्ट – ठिकरिया, जयपुर – 302 026, राजस्थान	15.09.2011
163.	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, गांव–बुज़वड़, तहसील – लूनी, जोधपुर – 342802, राजस्थान	16.09.2013
164.	मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान	22.09.2008
165.	एनआईआईटी यूनिवर्सिटी, नीमराना, राजस्थान	03.04.2010
166.	एनआईएमएस विश्वविद्यालय, शोभा नगर, जयपुर–303001	29.03.2008

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
167.	ओपीजेएस रावातसर, कुंजिला, तहसील–राजगढ़, जिला–चुरू, राजस्थान	16.09.2013
168.	पैसिफिक उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (पीएएचईआर) पैसिफिक हिल्स, एयरपोर्ट रोड, प्रताप नगर एक्सटेंशन, उदयपुर–313003	29.04.2010
169.	प्रशांत चिकित्सा विश्वविद्यालय, भीलों का बेडला, बाईपास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, उदयपुर, राजस्थान	04.03.2014
170.	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, रामचन्द्रपुरा, सीतापुरा एक्सटेंशन, जयपुर, राजस्थान	16.05.2012
171.	प्रताप यूनिवर्सिटी सुंदरपुरा (चांदवाजी), आमेर, दिल्ली–मुंबई राजमार्ग, जयपुर, राजस्थान	15.09.2011
172.	रैफल्स विश्वविद्यालय, जापानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, नीमराना–201705, राजस्थान	27.03.2011
173.	आर.एन.बी. ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आरएनबी ग्लोबल सिटी, गंगानगर रोड, बीकानेर–334601, राजस्थान	27.04.2015
174.	संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान	02.05.2012
175.	श्री जगदीश प्रसाद, झाबरमल तिबरेवाला विश्वविद्यालय, चुडेला–जिला, झुंझुनू	03.02.2009
176.	श्रीधर विश्वविद्यालय, पिलानी चिरावा रोड, पिलानी, राजस्थान–333031	03.04.2010
177.	सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरीबारी, झुंझनू, राजस्थान	29.03.2008
178.	सर पदमापत सिंघानिया विश्वविद्यालय, भटेवर, उदयपुर–313501	29.03.2008
179.	सनराइज विश्वविद्यालय, बागड़ राजपूत, टेक, रामगढ़, अलवर, राजस्थान	22.09.2011
180.	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, महल जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान	21.04.2008
181.	तांत्या विश्वविद्यालय, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर–335002, राजस्थान	16.09.2013
182.	इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	21.03.2012
183.	विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सेक्टर 36, एनआरआई रोड, सिस्यावास, जगतपुरा, जयपुर–303012, राजस्थान	02.05.2012

सिक्किम

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
184.	ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, जोरेथंग, सिक्किम	24.03.2006
185.	श्री रामासामी मेमोरियल विश्वविद्यालय, 5वीं मंजिल तदोंग, रानीपूल, पीओ गंगटोक, सिक्किम–737102	16.01.2014
186.	सिक्किम मनीपाल विश्वविद्यालय, गंगटोक–737101	11.10.1995
187.	दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड फाइनेंशियल एनालेस्टिस ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), रांका रोड, लोअर सिशे, गंगटोक, सिक्किम–737101	04.10.2004
188.	विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय, प्लॉट नं. 438, एन–312, सांग फाटक रोड, मिडिल टाडोंग, पीओ दारार्गान टाडोंग, पूर्वी सिक्किम–237102	30.07.2008

त्रिपुरा

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
189.	भारतीय चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक संस्थान, अगरतला त्रिपुरा–799001	31.03.2004

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
	उत्तर प्रदेश	
190.	एमिटी विश्वविद्यालय, सेक्टर–125, नो,डा–201303 (यूपी)	24.03.2005
191.	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, 55, बाबू बनारसी दास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
192.	जी.,ल., विश्वविद्यालय, मथुरा (यूपी)	01.09.2010
193.	गलगोटियास यूनिवर्सिटी, 1, नॉलेज पार्क, फेस–2, ग्रेटर नोएडा–201305, उत्तर प्रदेश	07.04.2011
194.	आईएफटीएम विश्वविद्यालय, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद–244102, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
195.	इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, लखनध–226026 (यूपी)	26.02.2004
196.	इंवनटस विश्वविद्यालय, इंवनटस ग्राम, बरेली–लखनध राष्ट्रीय राजमार्ग, 24, बरेली–243123 (यूपी)	01.09.2010
197.	जगदगुरू रामभद्राचार्य विक्लांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट धाम–210204	06.10.2001
198.	जेपी विश्वविद्यालय, अलीगढ रोड, अनूपशहर, जिला – बुलंदशहर – 23390, उत्तरप्रदेश	04.03.2014
199.	जे.एस. विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश	24.06.2015
200.	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	30.10.2006
201.	महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महर्षि बाल विद्या मंदिर और विश्वविद्यालय कैम्पस, सीतापुर रोड, पोस्ट–डिबूरिया, लखनऊ–226020, यूपी	24.09.2013
202.	मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश	19.06.2006
203.	मानद विश्वविद्यालय, कसमाबाद, पीओ–पिलखुआ, जिला हापुड, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
204.	नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेस–वे, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
205.	रामा विश्वविद्यालय, रामनगर, जी.टी. रोड, मंधना, कानपुर–209217, उत्तर प्रदेश	10.01.2014
206.	शारदा विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	24.03.2009
207.	शिव नादर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	06.04.2011
208.	शोभित विश्वविद्यालय, आदर्श इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाबू विजेन्द्र मार्ग, गंगोह– जिला, सहारनपुर–247341, उत्तर प्रदेश	05.07.2012
209.	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, हदोरी देवा–लखनऊ रोड, जिला, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश	04.07.2012
210.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, एनएच–24, राजबपुर, गजरौला, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश	12.10.2010
211.	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, दिल्ली–हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ, यूपी	05.09.2008
212.	तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, दिल्ली रोड, मुरादाबाद	05.09.2008
213.	दि ग्लोकल विश्वविद्यालय, अली अकबरपुर, मिर्जापुर पोल, तहसील–बेहट, सहारनपुर–247001, उत्तर प्रदेश	05.07.2012

क्र. सं.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	अधिसूचना की तिथि
हरिद्वार		
214.	देव संस्कृत विश्वविद्यालय, गायत्रीकुंज, शांतिकुंज, हरिद्वार–249411	22.01.2002
215.	डीआईटी विश्वविद्यालय, मसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून–248009, उत्तराखंड	15.02.2013
216.	ग्राफिक इरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, 600 बैल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून – 248002, उत्तराखंड	28.04.2011
217.	हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी, शीसमबड़ा, पीओ–शेरपुर, वाया–सहसपुर, देहरादून–248197, उत्तराखंड	11.07.2003
218.	आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी, मक्कावाला ग्रीन, मसूरी डायवर्जन रोड, देहरादून – 248248009, उत्तराखंड	15.02.2013
219.	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशिश्ल इनेलिस्टीक ऑफ इंडिया (आईसीएफएआई), सी–1/103, इंदिरा नगर, देहरादून–248006 (उत्तराखंड)	10.07.2003
220.	मदरहुड विश्वविद्यालय, गांव – करोंदी, पोस्ट–भगवानपुर, रूड़की, जिला–हरिद्वार, उत्तराखंड	19.01.2015
221.	स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जॉली ग्रांट, पीओ–दोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड	12.03.2013
222.	पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार	05.04.2006
223.	यूनिवनसटी ऑफ पेटऱ्ोलियम ,ंड ,नर्जी स्डडिज, बिऩल्डग नः– 7, स्टऱ्ीट नः– 71, वसंत विहार इन्कलेव, देहरादून–284006 (उत्तराखंड)	10.07.2003
224.	उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, आर्केडिया ग्रांट, पीओ–चंदनवारी, प्रेमनगर, देहरादून–248007, उत्तराखंड	15.02.2013
पश्चिम बंगाल		
225.	अदमास यूनिवर्सिटी, बरसात, बैरकपुर रोड़, बरबेरिया, पीओ–जगननाथपुर, पीएस–बरसात, कोलकाता–700126, पश्चिम बंगाल	11.04.2014
226.	एमिटी यूनिवर्सिटी, राजहट, न्यू टाउन, जिला–नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल.	21.01.2015
227.	जेआईएस यूनिवर्सिटी, अगरपड़ा, जिला–नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	03.02.2015
228.	सिकॉम स्किल्स यूनिवर्सिटी, गांव–केन्द्रदंगा, पीओ–सत्तौर, पीएस–पनरोई, जिला–बीरभूम–731236, पश्चिम बंगाल	11.04.2014
229.	टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ईएम–4, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकाता–700091, पश्चिम बंगाल	16.08.2012
230.	दि नियोटिया यूनिवर्सिटी, झिंगा, सरिसा, डी.एच. रोड, 24 परगना (एस), पश्चिम बंगाल–743368	03.02.2015
231.	इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय क्षेत्र, प्लाट नं. III–बी/5, मुख्य आर्टियल रोड (ईस्ट–वेस्ट), न्यू टाउन, एक्शन एरिया–III, कोलकाता–700156, पश्चिम बंगाल	03.02.2015

वर्ष 2015–16 के दौरान आईआईएम में छात्र दाखिला और जारी निधि

क्र.सं.	आईआईएम का नाम	छात्रों की संख्या (एफपीएम ससहित)	संकाय पद	जारी निधि (31.12.2015 के अनुसार) रुपये लाख में
1	अहमदाबाद	461	96	0.00
2	बैंगलोर	421	86	0.00
3	कलकत्ता	479	88	81.27
4	लखनऊ	477	76	148.00
5	इंदौर	530	79	0.00
6	कोझिकोड	355	57	0.00
7	शिलांग	160	23	3258.58
8	रोहतक	172	19	6961.01
9	रायपुर	150	14	3040.58
10	रांची	173	15	1176.20
11	तिरुचिरापल्ली	113	19	7484.36
12	काशीपुर	123	22	8150.00
13	उदयपुर	155	17	9000.00
14	अमृतसर	45	0	1285.00
15	बोधगया	30	0	1000.00
16	नागपुर	55	0	1400.00
17	संबलपुर	49	0	1000.00
18	सिरमौर	21	0	1000.00
19	विशाखापत्तनम	54	0	1300.00
	कुल	**4023**	**611**	**46285.00**

पीडब्ल्यूडी–रिपोर्ट–I

सेवारत दिव्यांग के अभ्यावेदनों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

(01.01.2016)

मंत्रालय / विभाग– मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	चिन्हित पदों पर	वीएच	एचएच	ओएच
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ग्रुप ए	192	-	0	0	0
ग्रुप बी	519	-	4	1	1
ग्रुप सी	463	-	1	0	12
कुल	**1174**	**-**	**5**	**1**	**13**

विशेषरू
(i) वीएच का अर्थ दृष्टिबाधित (व्यक्ति जो दृष्टिहीनता या मंद दृष्टि हो)
(ii) एचएच का अर्थ श्रवणबाधित (व्यक्ति जो श्रवण बाधित है)
(iii) ओएच का अर्थ अस्थिबाधित (व्यक्ति जो अंग संचालन या पक्षाघात से पीड़ित हो)

संलग्नक – 4 (II)

पीडब्ल्यूडी–रिपोर्ट–II

वर्ष के दौरान नियुक्त दिव्यांगों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (वर्ष 2015 के लिए)

मंत्रालय/विभाग– मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)

ग्रुप	सीधी भर्ती							पदोन्नति						
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या			
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप ए	-	-	-	0	0	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	21	0	0	0
ग्रुप बी	-	-	-	83	1	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	18	0	0	0
ग्रुप सी	-	-	-	3	1	0	0	-	-	-	5	0	0	0
कुल	-	-	-	86	2	0	0	-	-	-	44	0	0	0

छवजम रू (i) वीएच का अर्थ दृष्टिबाधित (व्यक्ति जो दृष्टिहीनता या मंद दृष्टि हो)

(ii) एचएच का अर्थ श्रवणबाधित (व्यक्ति जो श्रवण बाधित है)

(iii) ओएच का अर्थ अस्थिबाधित (व्यक्ति जो अंग संचालन या पक्षाघात से पीड़ित हो)

(iv) इसमें ग्रुप ए और बी के पदों के लिए पदोन्नति के मामले में विकलांग दिव्यांगों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। हालांकिए दिव्यांगों को इस तरह के पदों पर पदोन्नत किया जा सकता है बशर्ते की संबंधित पद दिव्यांगों के लिए उपयुक्त पाया गया है।

एससी/एसटी/ओबीसी रिपोर्ट–I

वर्ष की पहली जनवरी को एससी/एसटी और ओबीसी द्वारा किए गए प्रत्यावेदनों और गत वर्ष 2015 के दौरान की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण।

मंत्रालय / विभाग– मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

	एसध्एसटी/ओबीसी के अभ्यावेदन (01.01.2016 के अनुसार)				वर्ष 2015 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
		सीधी भर्ती				पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	एसएसी	एसटी	ओबीसी	कुल	एसएसी	एसटी	ओबीसी	कुल	एसएसी	एसटी	कुल	एसएसी	एसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप ए	192	38	12	12	2	2	0	0	21	2	1	4	1	0
ग्रुप बी	519	97	19	54	83	34	5	20	18	1	0	0	0	0
ग्रुप सी (सफाई ककर्मचारियों को छोड़कर)	459	136	38	51	4	0	0	1	5	0	0	0	0	0
ग्रुप सी (सफाई ककर्मचारी)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**1174**	**275**	**69**	**117**	**89**	**36**	**5**	**21**	**44**	**3**	**1**	**4**	**1**	**0**

एससी/एसटी/ओबीसी रिपोर्ट–II

विभिन्न ग्रुप ए की सेवाओं में वर्ष की पहली जनवरी को एससी/एसटी और ओबीसी द्वारा किए गए प्रत्यावेदनों और वर्ष 2014 में विभिन्न ग्रेडों की सेवाओं में की गई नियुक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण।

मंत्रालय / विभाग– मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय)

	एसध्एसटीध्ओबीसी के अभ्यावेदन (01.01. 2016 के अनुसार				वर्ष 2015 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
		सीधी भर्ती				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा					
पे बैंड और ग्रेड पे	कर्मचारियों की कुल संख्या	एसएसी	एसटी	ओबीसी	कुल	एसएसी	एसटी	ओबीसी	कुल	एसएसी	एसटी	कुल	एसएसी	एसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पीबी –3 रू. 5400	110	17	13	10	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0
पीबी 3 रू. 6000	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी –3 रू. 6600	92	15	5	5	0	0	0	0	15	2	1	1	1	0
पीबी –3 रू. 7000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी –3 रू. 7600	28	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
पीबी– 4 रू 8700	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
पीबी–4 रू 8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी–4 रू 9000	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी: 4 रू 10000	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
एचएजी और इससे ऊपर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**263**	**37**	**18**	**17**	2	2	0	0	**28**	**3**	**2**	**4**	**1**	**0**

विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम
1.	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पीओ दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश – 791 112
2.	असम	असम विश्वविद्यालय, पीओः असम विश्वविद्यालय, सिलचर – 788 011
3.		तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला। सोनितपुर, पीवी. 72, नापाम, तेजपुर
4.	तेलंगाना	हैदराबाद, विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश
5		मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गच्छीवोली, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
6.		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, ओयूए कैम्पस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
7.	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर नई दिल्ली
8.		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
9.		जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली
10.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
11.		दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
12.	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 16, पंचटीला, उमरी गांव, अरवी रोड, वर्धा, मुंबई
13.	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं 910, आइजोल, मिजोरम
14.	मेघालय	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, एनईएचयू कैम्पस, शिलांग, मेघालय – 793 022
15.	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल मणिपुर
16.		केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल मणिपुर
17.	नगालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, कैम्पस कोहिमा, मुख्यालय लुमानी, नागालैंड – 797 001
18.	पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कलापेट, पुदुचेरी, 605 014
19.	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, छठा मील, सम्दूर, पोओ. तडोंग, गंगटोक सिक्किम 737102
20.	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, त्रिपुरा 799139 अगरतला
21.	तमिलनाडु	भारतीय मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, चैन्नई
22.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, यूपी–202 002
23.		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ, यूपी – 226 025
24.		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, यूपी 221 005
25.		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, यूपी–211 002
26.		राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	राज्य	विश्वविद्यालय का नाम
27.	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल
28.	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल
29.	तमिलनाडु	तमिलनाडु, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी कैम्पस, कांगलाचेरी, तिरूवयुर (पोस्ट) 610 101 .
30.	राजस्थान	राजस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8 बंदर सिंदरी, जिला– अजमेर – 305 801, राजस्थान।
31.	पंजाब	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मानसा रोड, बठिंडा–151 001
32.	उड़ीसा	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लांडीगुडा, कोरापुट, उड़ीसा 764 020 .
33.	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश–470 003
34.		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मकल सदन, अमरकंटक, मध्य प्रदेश
35.	केरल	केरल, केंद्रीय विश्वविद्यालय वीकेएम टावर्स, नयनमार मूला विद्यानगर, कासरगोड– पी.ओ. 671 123
36.	कर्नाटक	कर्नाटक, केंद्रीय विश्वविद्यालय एलैंड रोड, एलैंड तालुक, गुलबर्गा (जिला) – 585 311, कर्नाटक
37.	झारखंड	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय –ए रातू लोहराडगें रोड, ब्रांबे, रांची 835 205, झारखंड
38.	जम्मू–कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय ट्रांजिट कैम्पस, सोनावर, जीबी पंत अस्पताल के पास, श्रीनगर – 190 005 (जम्मू–कश्मीर)
39.		जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू, बागला (राहया सूचानी), जिला सांबा– 181 143 (जम्मू–कश्मीर)।
40.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशालाएपीओ बॉक्स छव. 21 जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश –176 215
41.	हरियाणा	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांव जंत पाली, जिला महेंद्रगढ़ – 123 029, हरियाणा
42.	छत्तीसगढ़	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, कोनीए, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – 495 009
43	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी परिसर, – बीवी कॉलेज, पटना – पीओ 800 014।
44		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार
45.		नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, जिला – नालंदा – 803 116, बिहार।
46	गुजरात	गांधीनगर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेक्टर 29, गुजरात 382 029

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम		केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																		
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
	गैर–पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय																					
1	तेलंगाना	एम.ए. एन उर्दू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	36	7	3	0	1	**47**	30	2	1	0	1z	**34**	6	5	2	0	0	**13**	**384**
			एसोसिएट प्रोफेसर	66	13	6	0	3	**88**	50	0	0	0	2	**52**	16	13	6	0	1	**36**	**313**
			सहासक प्रोफसर	138	37	18	49	7	**249**	131	31	13	45	7	**227**	7	6	5	4	0	**22**	**71**
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	90	8	8	0	2	**108**	63	2	0	0	0	**65**	27	6	8	0	2	**43**	**556**
			एसोसिएट प्रोफेसर	171	37	17	0	4	**229**	158	10	1	0	1	**170**	13	27	16	0	3	**59**	**398**
			सहासक प्रोफसर	132	34	14	33	6	**219**	104	26	10	18	5	**163**	28	8	4	15	1	**56**	**158**
3		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	26	4	2	0	0	**32**	18	2	1	0	0	**21**	8	2	1	0	0	**11**	**238**
			एसोसिएट प्रोफेसर	50	6	3	0	1	**60**	33	5	1	0	1	**40**	17	1	2	0	0	**20**	**184**
			सहासक प्रोफसर	75	22	14	32	3	**146**	73	19	12	18	1	**123**	2	3	2	14	2	**23**	**54**
4	छत्तीसगढ	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	46	8	4	0	0	**58**	16	1	1	0	0	**18**	30	7	3	0	0	**40**	**433**
			एसोसिएट प्रोफसर	84	16	8	0	0	**108**	35	2	0	0	0	**37**	49	14	8	0	0	**71**	**228**
			सहासक प्रोफसर	129	39	19	72	8	**267**	92	24	11	45	1	**173**	37	15	8	27	7	**94**	**205**

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																			
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
5	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	197	39	19	0	9	**264**	126	3	1	0	1	**131**	71	36	18	0	8	**133**	**1706**
			एसोसिएट प्रोफसर	483	97	48	0	20	**648**	261	9	2	0	3	**275**	222	88	46	0	17	**373**	**843**
			सहासक प्रोफसर	379	119	59	214	23	**794**	297	56	25	42	17	**437**	82	63	34	172	6	**357**	**863**
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	प्रोफेसर	125	0	0	0	1	**126**	71	1	0	0	0	**72**	54	-1	0	0	1	**54**	**829**
			एसोसिएट प्रोफसर	198	0	0	0	3	**201**	160	0	0	0	0	**160**	38	0	0	0	3	**41**	**662**
			सहासक प्रोफसर	405	67	20	0	10	**502**	337	67	20	0	6	**430**	68	0	0	0	4	**72**	**167**
7		जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	157	27	13	0	8	**205**	97	8	0	0	2	**107**	60	19	13	0	6	**98**	**909**
			एसोसिएट प्रोफसर	280	51	24	0	11	**366**	201	11	2	0	2	**216**	79	40	22	0	9	**150**	**577**
			सहासक प्रोफसर	220	44	19	44	11	**338**	182	30	12	22	8	**254**	38	14	7	22	3	**84**	**332**
8	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	39	7	4	0	1	**51**	5	1	0	0	0	**6**	34	6	4	0	1	**45**	**329**
			एसोसिएट प्रोफसर	71	13	7	0	2	**93**	34	2	0	0	0	**36**	37	11	7	0	2	**57**	**258**
			सहासक प्रोफसर	87	28	14	50	6	**185**	121	43	7	43	2	**216**	-34	-15	7	7	4	**-31**	**71**
9		एम.जी.ए. हिंदी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	20	3	1	0	1	**25**	8	0	0	0	0	**8**	12	3	1	0	1	**17**	**153**
			एसोसिएट प्रोफसर	34	6	3	0	2	**45**	11	1	0	0	0	**12**	23	5	3	0	2	**33**	**80**
			सहासक प्रोफसर	41	12	6	22	2	**83**	29	11	5	15	0	**60**	12	1	1	7	2	**23**	**73**
10	महाराष्ट्र	एम.जी.ए. हिंदी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	15	2	1	0	0	**18**	10	1	0	0	0	**11**	5	1	1	0	0	**7**	**92**
			एसोसिएट प्रोफसर	12	2	1	0	0	**15**	9	2	0	0	0	**11**	3	0	1	0	0	**4**	**63**
			सहासक प्रोफसर	30	9	4	14	2	**59**	21	6	2	10	2	**41**	9	3	2	4	0	**18**	**29**

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																			
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
11	पुडुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	53	9	4	0	1	**67**	27	1	0	0	1	**29**	26	8	4	0	0	**38**	**489**
			एसोसिएट प्रोफसर	109	21	10	0	4	**144**	86	15	0	0	3	**104**	23	6	10	0	1	**40**	**368**
			सहासक प्रोफसर	161	41	20	46	10	**278**	142	33	17	34	9	**235**	19	8	3	12	1	**43**	**121**
12	उत्तराखंड	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय.	प्रोफेसर	33	6	3	0	1	**43**	14	0	0	0	0	**14**	19	6	3	0	1	**29**	**468**
			एसोसिएट प्रोफसर	63	12	6	0	3	**84**	32	2	0	0	1	**35**	31	10	6	0	2	**49**	**286**
			सहासक प्रोफसर	162	51	25	92	11	**341**	195	16	4	19	3	**237**	-33	35	21	73	8	**104**	**182**
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	198	0	0	0	0	**198**	132	0	0	0	0	**132**	66	0	0	0	0	**66**	**1606**
			एसोसिएट प्रोफसर	373	0	0	0	9	**382**	272	0	0	0	1	**273**	101	0	0	0	8	**109**	**1282**
			सहासक प्रोफसर	1017	0	0	0	9	**1026**	874	0	0	0	3	**877**	143	0	0	0	6	**149**	**324**
14	उत्तर प्रदेश	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	196	37	18	0	4	**255**	126	1	0	0	0	**127**	70	36	18	0	4	**128**	**1932**
			एसोसिएट प्रोफसर	407	76	37	0	11	**531**	312	11	1	0	0	**324**	95	65	36	0	11	**207**	**1218**
			सहासक प्रोफसर	574	168	84	303	17	**1146**	587	99	31	49	1	**767**	-13	69	53	254	16	**379**	**714**
15		बी.बी.ए.यू.	प्रोफेसर	22	4	1	0	0	**27**	9	0	0	0	0	**9**	13	4	1	0	0	**18**	**175**
			एसोसिएट प्रोफसर	38	8	3	0	0	**49**	30	4	0	0	0	**34**	8	4	3	0	0	**15**	**107**
			सहासक प्रोफसर	52	15	6	26	0	**99**	36	9	4	15	0	**64**	16	6	2	11	0	**35**	**68**
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	60	11	5	0	3	**79**	13	0	0	0	0	**13**	47	11	5	0	3	**66**	**852**
			एसोसिएट प्रोफसर	142	28	14	0	5	**189**	51	1	0	0	2	**54**	91	27	14	0	3	**135**	**318**
			सहासक प्रोफसर	295	82	41	149	17	**584**	189	22	8	31	1	**251**	106	60	33	118	16	**333**	**534**

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																			
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	प्रोफेसर	53	10	5	0	2	**70**	46	4	0	0	0	**50**	7	6	5	0	2	**20**	**639**
			एसोसिएट प्रोफसर	116	23	11	0	4	**154**	104	12	2	0	0	**118**	12	11	9	0	4	**36**	**544**
			सहासक प्रोफसर	285	62	31	25	12	**415**	236	55	26	55	4	**376**	49	7	5	-30	8	**39**	**95**
	कुल (I)गैर–पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	**1366**	**182**	**91**	**0**	**34**	**1673**	**811**	**27**	**4**	**0**	**5**	**847**	**555**	**155**	**87**	**0**	**29**	**826**	**11790**
			एसोसिएट प्रोफसर	**2697**	**409**	**198**	**0**	**82**	**3386**	**1839**	**87**	**9**	**0**	**16**	**1951**	**858**	**322**	**189**	**0**	**66**	**1435**	**7729**
			सहासक प्रोफसर	**4182**	**830**	**394**	**1171**	**154**	**6731**	**3646**	**547**	**207**	**461**	**70**	**4931**	**536**	**283**	**187**	**710**	**84**	**1800**	**4061**
	नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय																					
18	बिहार	दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	1	**22**	2	0	0	0	0	**2**	15	3	1	0	1	**20**	**153**
			एसोसिएट प्रोफसर	32	6	3	0	2	**43**	7	0	0	0	0	**7**	25	6	3	0	2	**36**	**74**
			सहासक प्रोफसर	43	13	6	23	3	**88**	39	8	3	15	0	**65**	4	5	3	8	3	**23**	**79**
19	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	**21**	6	1	0	0	0	**7**	11	2	1	0	0	**14**	**147**
			एसोसिएट प्रोफेसर	32	6	3	0	1	**42**	7	0	0	0	0	**7**	25	6	3	0	1	**35**	**59**
			सहायक प्रोफेसर	42	12	6	22	2	**84**	23	5	4	11	2	**45**	19	7	2	11	0	**39**	**88**
20	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	20	3	1	0	1	**25**	0	0	0	0	0	**0**	20	3	1	0	1	**25**	**175**
			एसोसिएट प्रोफेसर	38	7	3	0	2	**50**	3	0	0	0	0	**3**	35	7	3	0	2	**47**	**30**
			सहायक प्रोफेसर	48	15	7	27	3	**100**	16	4	1	6	0	**27**	32	11	6	21	3	**73**	**145**
21	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	4	1	0	0	**27**	5	0	0	0	0	**5**	17	4	1	0	0	**22**	**188**
			एसोसिएट प्रोफेसर	42	7	3	0	1	**53**	9	1	1	0	0	**11**	33	6	2	0	1	**42**	**67**
			सहायक प्रोफेसर	53	16	8	28	3	**108**	26	10	3	9	3	**51**	27	6	5	19	0	**57**	**121**

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम		संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
22	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	3	1	0	1	**21**	9	0	0	0	0	**9**	7	3	1	0	1	**12**	**147**
			एसोसिएट प्रोफेसर	31	6	3	0	2	**42**	2	0	0	0	0	**2**	29	6	3	0	2	**40**	**71**
			सहायक प्रोफेसर	41	12	6	22	3	**84**	40	6	1	12	1	**60**	1	6	5	10	2	**24**	**76**
23		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	17	3	1	0	0	**21**	6	0	0	0	0	**6**	11	3	1	0	0	**15**	**152**
			एसोसिएट प्रोफेसर	31	6	3	0	1	**41**	3	0	0	0	0	**3**	28	6	3	0	1	**38**	**47**
			सहायक प्रोफेसर	45	13	6	24	2	**90**	22	5	3	8	0	**38**	23	8	3	16	2	**52**	**105**
24	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	19	3	1	0	0	**23**	8	0	0	0	0	**8**	11	3	1	0	0	**15**	**167**
			एसोसिएट प्रोफेसर	35	6	3	0	1	**45**	10	0	0	0	0	**10**	25	6	3	0	1	**35**	**93**
			सहायक प्रोफेसर	48	15	7	26	3	**99**	40	10	4	20	1	**75**	8	5	3	6	2	**24**	**74**
25	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	3	1	0	0	**20**	6	0	0	0	0	**6**	10	3	1	0	0	**14**	**140**
			एसोसिएट प्रोफेसर	31	5	3	0	1	**40**	7	1	0	0	0	**8**	24	4	3	0	1	**32**	**52**
			सहायक प्रोफेसर	40	11	6	21	2	**80**	22	5	2	9	0	**38**	18	6	4	12	2	**42**	**88**
26	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	3	1	0	1	**21**	1	0	0	0	0	**1**	15	3	1	0	1	**20**	**147**
			एसोसिएट प्रोफेसर	31	6	3	0	2	**42**	10	0	0	0	0	**10**	21	6	3	0	2	**32**	**46**
			सहायक प्रोफेसर	41	12	6	22	3	**84**	19	5	2	9	0	**35**	22	7	4	13	3	**49**	**101**
27	उडीसा	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	1	**23**	0	0	0	0	0	**0**	18	3	1	0	1	**23**	**154**
			एसोसिएट प्रोफेसर	33	6	3	0	1	**43**	1	0	0	0	0	**1**	32	6	3	0	1	**42**	**18**
			सहायक प्रोफेसर	44	13	6	23	2	**88**	10	2	1	3	1	**17**	34	11	5	20	1	**71**	**136**

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																		
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
28	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	0	**22**	2	0	0	0	0	**2**	16	3	1	0	0	**20**	**151**
			एसोसिएट प्रोफेसर	33	6	3	0	1	**43**	8	0	0	0	0	**8**	25	6	3	0	1	**35**	**73**
			सहायक प्रोफेसर	43	12	6	23	2	**86**	34	10	2	16	1	**63**	9	2	4	7	1	**23**	**78**
29	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	16	4	1	0	6	**27**	5	0	1	0	0	**6**	11	4	0	0	6	**21**	**188**
			एसोसिएट प्रोफेसर	43	7	3	0	0	**53**	17	0	0	0	0	**17**	26	7	3	0	0	**36**	**90**
			सहायक प्रोफेसर	56	16	8	28	0	**108**	40	7	4	16	0	**67**	16	9	4	12	0	**41**	**98**
30	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	18	3	1	0	0	**22**	2	0	0	0	0	**2**	16	3	1	0	0	**20**	**151**
			एसोसिएट प्रोफेसर	34	6	3	0	0	**43**	6	0	0	0	0	**6**	28	6	3	0	0	**37**	**29**
			सहायक प्रोफेसर	44	14	6	22	0	**86**	10	4	1	5	1	**21**	34	10	5	17	-1	**65**	**122**
	कुल–II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	**230**	**41**	**13**	**0**	**11**	**295**	**52**	**1**	**1**	**0**	**0**	**54**	**178**	**40**	**12**	**0**	**11**	**241**	**2060**
			एसोसिएट प्रोफेसर	**446**	**80**	**39**	**0**	**15**	**580**	**90**	**2**	**1**	**0**	**0**	**93**	**356**	**78**	**38**	**0**	**15**	**487**	**749**
			सहायक प्रोफेसर	**588**	**174**	**84**	**311**	**28**	**1185**	**341**	**81**	**31**	**139**	**10**	**602**	**247**	**93**	**53**	**172**	**18**	**583**	**1311**
	कुल (I + II)		**प्रोफेसर**	**1596**	**223**	**104**	**0**	**45**	**1968**	**863**	**28**	**5**	**0**	**5**	**901**	**733**	**195**	**99**	**0**	**40**	**1067**	**13850**
			एसोसिएट प्रोफेसर	**3143**	**489**	**237**	**0**	**97**	**3966**	**1929**	**89**	**10**	**0**	**16**	**2044**	**1214**	**400**	**227**	**0**	**81**	**1922**	**8478**
			सहायक प्रोफेसर	**4770**	**1004**	**478**	**1482**	**182**	**7916**	**3987**	**628**	**238**	**600**	**80**	**5533**	**783**	**376**	**240**	**882**	**102**	**2383**	**5372**
पूर्वोत्तर क्षेत्र के नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय																						
31	असम	असम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	34	4	2	0	1	**41**	26	1	0	0	1	**28**	8	3	2	0	0	**13**	**387**
			एसोसिएट प्रोफेसर	92	9	4	0	1	**106**	84	6	2	0	1	**93**	8	3	2	0	0	**13**	**355**
			सहायक प्रोफेसर	159	30	15	34	2	**240**	153	30	15	34	2	**234**	6	0	0	0	0	**6**	**32**

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																			
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
32			प्रोफेसर	39	7	3	0	1	**50**	38	2	1	0	0	**41**	1	5	2	0	1	**9**	**249**
		तेजपुर विश्वविद्यालय	एसोसिएट प्रोफेसर	52	10	5	0	2	**69**	46	7	1	0	1	**55**	6	3	4	0	1	**14**	**222**
			सहायक प्रोफेसर	62	19	9	36	4	**130**	63	18	9	35	1	**126**	-1	1	0	1	3	**4**	**27**
33		राजीव गांधी विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	19	3	2	0	0	**24**	13	0	1	0	0	**14**	6	3	1	0	0	**10**	**184**
	अरूणाचल प्रदेश		एसोसिएट प्रोफेसर	34	5	2	0	0	**41**	26	3	1	0	0	**30**	8	2	1	0	0	**11**	**153**
			सहायक प्रोफेसर	65	8	22	22	2	**119**	60	7	19	23	0	**109**	5	1	3	-1	2	**10**	**31**
34		मणिपुर विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	31	5	2	0	0	**38**	14	1	0	0	0	**15**	17	4	2	0	0	**23**	**320**
	मणिपुर		एसोसिएट प्रोफेसर	69	11	6	0	1	**87**	40	4	4	0	0	**48**	29	7	2	0	1	**39**	**228**
			सहायक प्रोफेसर	139	18	10	25	3	**195**	140	12	10	3	0	**165**	-1	6	0	22	3	**30**	**92**
35		पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	83	6	3	0	1	**93**	57	1	1	0	0	**59**	26	5	2	0	1	**34**	**445**
	मेघालय		एसोसिएट प्रोफेसर	130	10	6	0	1	**147**	87	1	5	0	0	**93**	43	9	1	0	1	**54**	**340**
			सहायक प्रोफेसर	141	25	16	21	2	**205**	132	21	15	19	1	**188**	9	4	1	2	1	**17**	**105**
36		मिजोरम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	41	5	1	0	0	**47**	29	0	0	0	0	**29**	12	5	1	0	0	**18**	**367**
	मिजोरम		एसोसिएट प्रोफेसर	65	5	3	0	1	**74**	44	3	1	0	0	**48**	21	2	2	0	1	**26**	**318**
			सहायक प्रोफेसर	169	26	19	30	2	**246**	167	25	19	28	2	**241**	2	1	0	2	0	**5**	**49**
37		नागालैंड विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	37	5	2	0	1	**45**	12	0	1	0	0	**13**	25	5	1	0	1	**32**	**253**
	नागालैंड		एसोसिएट प्रोफेसर	54	5	2	0	1	**62**	43	1	2	0	0	**46**	11	4	0	0	1	**16**	**185**
			सहायक प्रोफेसर	100	15	7	21	3	**146**	91	12	11	12	0	**126**	9	3	-4	9	3	**20**	**68**

क्र. सं	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में में संस्वीकृत/मौजूदा/रिक्त पदों को 01.09.2015 की स्थिति (श्रेणी–वार) को दर्शाने वाला शिक्षण पदों का ब्यौरा																			
				संस्वीकृत पदों की संख्या						वर्तमान पदों की संख्या						रिक्त पदों की संख्या						संस्वीकृत
				सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	
1	2	3	4	5						6						7						
38	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	22	4	2	0	1	**29**	2	0	1	0	1	**4**	20	4	1	0	0	**25**	**201**
			एसोसिएट प्रोफेसर	52	10	4	0	2	**68**	26	1	0	0	0	**27**	26	9	4	0	2	**41**	**119**
			सहायक प्रोफेसर	51	15	7	28	3	**104**	47	8	7	23	3	**88**	4	7	0	5	0	**16**	**82**
39	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	प्रोफेसर	35	7	3	0	1	**46**	4	0	0	0	0	**4**	31	7	3	0	1	**42**	**269**
			एसोसिएट प्रोफेसर	50	11	4	0	2	**67**	20	2	1	0	0	**23**	30	9	3	0	2	**44**	**140**
			सहायक प्रोफेसर	81	22	17	32	4	**156**	60	13	14	24	2	**113**	21	9	3	8	2	**43**	**129**
	कुल–III (पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		**प्रोफेसर**	**341**	**46**	**20**	**0**	**6**	**413**	**195**	**5**	**5**	**0**	**2**	**207**	**146**	**41**	**15**	**0**	**4**	**206**	**2675**
			एसोसिएट प्रोफेसर	**598**	**76**	**36**	**0**	**11**	**721**	**416**	**28**	**17**	**0**	**2**	**463**	**182**	**48**	**19**	**0**	**9**	**258**	**2060**
			सहायक प्रोफेसर	**967**	**178**	**122**	**249**	**25**	**1541**	**913**	**146**	**119**	**201**	**11**	**1390**	**54**	**32**	**3**	**48**	**14**	**151**	**615**
	कुल–I (गैर–पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	**1366**	**182**	**91**	**0**	**34**	**1673**	**811**	**27**	**4**	**0**	**5**	**847**	**555**	**155**	**87**	**0**	**29**	**826**	**11790**
			एसोसिएट प्रोफेसर	**2697**	**409**	**198**	**0**	**82**	**3386**	**1839**	**87**	**9**	**0**	**16**	**1951**	**858**	**322**	**189**	**0**	**66**	**1435**	**7729**
			सहायक प्रोफेसर	**4182**	**830**	**394**	**1171**	**154**	**6731**	**3646**	**547**	**207**	**461**	**70**	**4931**	**536**	**283**	**187**	**710**	**84**	**1800**	**4061**
	कुल–II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		प्रोफेसर	**230**	**41**	**13**	**0**	**11**	**295**	**52**	**1**	**1**	**0**	**0**	**54**	**178**	**40**	**12**	**0**	**11**	**241**	**2060**
			एसोसिएट प्रोफेसर	**446**	**80**	**39**	**0**	**15**	**580**	**90**	**2**	**1**	**0**	**0**	**93**	**356**	**78**	**38**	**0**	**15**	**487**	**749**
			सहायक प्रोफेसर	**588**	**174**	**84**	**311**	**28**	**1185**	**341**	**81**	**31**	**139**	**10**	**602**	**247**	**93**	**53**	**172**	**18**	**583**	**1311**
	सकल योग (गैर+पूर्वोत्तर के. वि. + नए के.वि. + पूर्वोत्तर क्षेत्र के.वि.)		प्रोफेसर	**1937**	**269**	**124**	**0**	**51**	**2381**	**1058**	**33**	**10**	**0**	**7**	**1108**	**879**	**236**	**114**	**0**	**44**	**1273**	**16525**
			एसोसिएट प्रोफेसर	**3741**	**565**	**273**	**0**	**108**	**4687**	**2345**	**117**	**27**	**0**	**18**	**2507**	**1396**	**448**	**246**	**0**	**90**	**2180**	**10538**
			सहायक प्रोफेसर	**5737**	**1182**	**600**	**1731**	**207**	**9457**	**4900**	**774**	**357**	**801**	**91**	**6923**	**837**	**408**	**243**	**930**	**116**	**2534**	**5987**
				11415	**2016**	**997**	**1731**	**366**	**16525**	**8303**	**924**	**394**	**801**	**116**	**10538**	**3112**	**1092**	**603**	**930**	**250**	**5987**	

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कुल छात्रों का नामांकन
(महिला–पुरूष वार तथा श्रेणी–वार छात्रों का प्रतिशत)

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्व- विद्यालय का नाम	छात्र नामांकन							महिला–पुरूष–वार छात्रों का प्रतिशत				श्रेणी–वार छात्रों का प्रतिशत												
			डिप्लोमा /प्रमाणपत्र	यू.जी.	पी.जी.	5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम	एम. फिल/ एम.टेक	पीएच.डी	कुल	पुरूष	कुल छात्रों का प्रतिशत	महिला	कुल छात्रों का प्रतिशत	सामान्य	सामान्य बच्चों की आयु का %	एससी	एससी बच्चों की आयु का %	एसटी	एसटी बच्चों की आयु का %	ओबीसी	ओबीसी छात्रों की आयु का प्रतिशत	पी डब्ल्यू डी	पी डब्ल्यू डी छात्रों की आयु का प्रतिशत	टीजी	टीजी छात्रों की आयु का प्रतिशत	कुल
1	2	3	4							5				6												
गैर–पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय																										
1	आंध्र प्रदेश	एम.ए. एन उर्दू विश्वविद्यालय	1081	1043	612	131	99	79	3045	2517	82.66%	528	17.34%	1764	57.93%	35	1.15%	38	1.25%	1173	38.52%	35	1.15%	0	0	3045
2		हैदराबाद विश्वविद्यालय	8	0	1945	964	688	1644	5249	3355	63.92%	1894	36.08%	2039	38.85%	972	18.52%	483	9.20%	1639	31.22%	116	2.21%	0	0	5249
3		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्याल	377	480	537	0	0	600	1994	1164	58.38%	830	41.62%	905	45.39%	278	13.94%	170	8.53%	568	28.49%	73	3.66%	0	0	1994
4	छतीसगढ़	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	121	2041	1370	2881	0	57	6470	3599	55.63%	2871	44.37%	2724	42.10%	961	14.85%	678	10.48%	2107	32.57%	0	0.00%	0	0	6470
5	दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	2222	722	17019	13	569	2853	23398	12569	53.72%	10829	46.28%	14598	62.39%	2409	10.30%	875	3.74%	5312	22.70%	204	0.87%	0	0	23398
6		जामिया मिलिया इस्लामिया	3234	7474	3269	371	540	1805	16693	11469	68.71%	5224	31.29%	13930	83.45%	0	0.00%	0	0.00%	2493	14.93%	270	1.62%	0	0	16693
7		जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय	153	1115	2050	0		4990	8308	4197	50.52%	4111	49.48%	3811	45.87%	1201	14.46%	643	7.74%	2434	29.30%	219	2.64%	0	0	8308
8	मध्य प्रदेश	डॉ. हरिसिंह गौड विश्वविद्यालय	0	2685	1022	0	50	69	3826	2498	65.29%	1328	34.71%	1154	30.16%	767	20.05%	244	6.38%	1640	42.86%	21	0.55%	0	0	3826
9		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	0	1545	618	189	20	37	2409	1310	54.38%	1099	45.62%	468	19.43%	284	11.79%	1062	44.08%	585	24.28%	10	0.42%	0	0	2409
10	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	438	0	159	0	201	82	880	547	62.16%	333	37.84%	384	43.64%	207	23.52%	50	5.68%	223	25.34%	16	1.82%	0	0	880
11	पुडुचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	118	681	3989	937	351	776	6852	4142	60.45%	2710	39.55%	2817	41.11%	1079	15.75%	353	5.15%	2540	37.07%	63	0.92%	0	0	6852
12	उत्तराखंड	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय.	58	8230	2005	23	11	281	10608	5039	47.50%	5569	52.50%	8153	76.86%	1597	15.05%	272	2.56%	556	5.24%	30	0.28%	0	0	10608

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्व- विद्यालय का नाम	छात्र नामांकन							महिला–पुरूष–वार छात्रों का प्रतिशत				श्रेणी–वार छात्रों का प्रतिशत												
			डिप्लोमा /प्रमाणपत्र	यू.जी.	पी.जी.	5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम	एम. फिल/ एम.टेक	पीएच.डी	कुल	पुरूष	कुल छात्रों का प्रतिशत	महिला	कुल छात्रों का प्रतिशत	सामान्य	सामान्य बच्चों की आयु का %	एससी	एससी बच्चों की आयु का %	एसटी	एसटी बच्चों की आयु का %	ओबीसी	ओबीसी छात्रों की आयु का प्रतिशत	पी डब्ल्यू डी	पी डब्ल्यू डी छात्रों की आयु का प्रतिशत	टीजी	टीजी छात्रों की आयु का प्रतिशत	कुल
1	2	3	4							5				6												
13	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	1898	13824	3848	1468	512	1674	**23224**	16593	**71.45%**	6631	**28.55%**	14751	**63.52%**	325	**1.40%**	56	**0.24%**	7974	**34.34%**	**118**	**0.51%**	0	**0**	**23224**
14		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	3046	14103	8297	0	41	4725	**30212**	19174	**63.46%**	11038	**36.54%**	15345	**50.79%**	3896	**12.90%**	1549	**5.13%**	9028	**29.88%**	**394**	**1.30%**	0	**0**	**30212**
15		बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	13	411	1828	21	94	451	**2818**	1718	**60.97%**	1100	**39.03%**	1040	**36.91%**	1254	**44.50%**	71	**2.52%**	426	**15.12%**	**27**	**0.96%**	0	**0**	**2818**
16		इलाहाबाद विश्वविद्यालय	480	15893	6907	606	77	1726	**25689**	18309	**71.27%**	7380	**28.73%**	10061	**39.16%**	4637	**18.05%**	329	**1.28%**	10658	**41.49%**	**4**	**0.02%**	0	**0**	**25689**
17	पश्चिम बंगाल	विश्व भारती	183	3379	2191	17	118	1006	**6894**	3879	**56.27%**	3015	**43.73%**	3681	**53.39%**	1175	**17.04%**	429	**6.22%**	1548	**22.45%**	**61**	**0.88%**	0	**0**	**6894**
	कुल (I) (गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		**13430**	**73626**	**57666**	**7621**	**3371**	**22855**	**178569**	**112079**	**62.77%**	**66490**	**37.23%**	**97625**	**54.67%**	**21077**	**11.80%**	**7302**	**4.09%**	**50904**	**28.51%**	**1661**	**0.93%**	**0**	**0**	**178569**
नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय																										
18	**बिहार**	बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	99	384	85	55	0	**623**	359	**57.62%**	264	**42.38%**	323	**51.85%**	64	**10.27%**	4	**0.64%**	229	**36.76%**	3	**0.48%**	0	**0**	**623**
19	**गुजरात**	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	236	196	533	9	**974**	619	**63.55%**	355	**36.45%**	428	**43.94%**	191	**19.61%**	78	**8.01%**	269	**27.62%**	8	**0.82%**	0	**0**	**974**
20	**हरियाणा**	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	474	0	51	98	**623**	361	**57.95%**	262	**42.05%**	197	**31.62%**	125	**20.06%**	16	**2.57%**	281	**45.10%**	4	**0.64%**	0	**0**	**623**
21	**हिमाचल प्रदेश**	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	658	0	0	122	**780**	385	**49.36%**	395	**50.64%**	394	**50.51%**	126	**16.15%**	64	**8.21%**	193	**24.74%**	3	**0.38%**	0	**0**	**780**
22	**जम्मू एवं कश्मीर**	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	441	0	105	0	**546**	195	**35.71%**	351	**64.29%**	332	**60.81%**	92	**16.85%**	33	**6.04%**	89	**16.30%**	0	**0.00%**	0	**0**	**546**
23		कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	571	173	23	16	**783**	477	**60.92%**	306	**39.08%**	673	**85.95%**	5	**0.64%**	56	**7.15%**	43	**5.49%**	6	**0.77%**	0	**0**	**783**
24	**झारखंड**	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय	27	63	115	1865	0	88	**2158**	1182	**54.77%**	976	**45.23%**	1132	**52.46%**	129	**5.98%**	188	**8.71%**	709	**32.85%**	0	**0.00%**	0	**0**	**2158**
25	**कर्नाटक**	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	58	663	363	0	99	**1183**	784	**66.27%**	399	**33.73%**	433	**36.60%**	277	**23.42%**	98	**8.28%**	367	**31.02%**	8	**0.68%**	0	**0**	**1183**
26	**केरल**	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	51	549	0	0	107	**707**	217	**30.69%**	490	**69.31%**	222	**31.40%**	49	**6.93%**	12	**1.70%**	421	**59.55%**	3	**0.42%**	0	**0**	**707**
27	**उडीसा**	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय	100	0	406	84	48	30	**668**	481	**72.01%**	187	**27.99%**	298	**44.61%**	137	**20.51%**	71	**10.63%**	157	**23.50%**	5	**0.75%**	0	**0**	**668**
28	**पंजाब**	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	0	0	117	0	255	85	**457**	241	**52.74%**	216	**47.26%**	303	**66.30%**	52	**11.38%**	10	**2.19%**	92	**20.13%**	0	**0.00%**	0	**0**	**457**

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्व- विद्यालय का नाम	छात्र नामांकन							महिला–पुरूष–वार छात्रों का प्रतिशत				श्रेणी–वार छात्रों का प्रतिशत												
			डिप्लोमा /प्रमाणपत्र	यू.जी.	पी.जी.	5 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम	एम. फिल/ एम.टेक	पीएच.डी	कुल	पुरूष	कुल छात्रों का प्रतिशत	महिला	कुल छात्रों का प्रतिशत	सामान्य	सामान्य बच्चों की आयु का %	एससी	एससी बच्चों की आयु का %	एसटी	एसटी बच्चों की आयु का %	ओबीसी	ओबीसी छात्रों की आयु का प्रतिशत	पी डब्ल्यू डी	पी डब्ल्यू डी छात्रों की आयु का प्रतिशत	टीजी	टीजी छात्रों की आयु का प्रतिशत	कुल
1	2	3	4							5				6												
29	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	61	455	766	0	34	181	**1497**	872	**58.25%**	625	**41.75%**	614	**41.02%**	192	**12.83%**	71	**4.74%**	616	**41.15%**	4	**0.27%**	0	**0**	**1497**
30	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	35	0	323	488	0	38	**884**	332	**37.56%**	552	**62.44%**	624	**70.59%**	79	**8.94%**	3	**0.34%**	176	**19.91%**	2	**0.23%**	0	**0**	**884**
	कुल–II (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		**223**	**726**	**5703**	**3254**	**1104**	**873**	**11883**	**6505**	**54.74%**	**5378**	**45.26%**	**5973**	**50.27%**	**1518**	**12.77%**	**704**	**5.92%**	**3642**	**30.65%**	**46**	**0.39%**	0	**0**	**11883**
	कुल (I + II)		**13653**	**74352**	**63369**	**10875**	**4475**	**23728**	**190452**	**118584**	**62.26%**	**71868**	**37.74%**	**103598**	**1.0494**	**22595**	**0.2458**	**8006**	**0.1001**	**54546**	**0.5916**	**1707**	**0.0132**	**0**	**0**	**190452**
पूर्वोत्तर क्षेत्र के नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय																										**0**
31	असम	असम विश्वविद्यालय	14	846	2715	848	148	187	**4758**	2522	**53.01%**	2236	**46.99%**	2043	**42.94%**	645	**13.56%**	706	**14.84%**	1355	**28.48%**	**9**	**0.19%**	0	**0**	**4758**
32		तेजपुर विश्वविद्यालय	90	1057	984	349	291	529	**3300**	1917	**58.09%**	1383	**41.91%**	1698	**51.45%**	390	**11.82%**	246	**7.45%**	944	**28.61%**	**22**	**0.67%**	0	**0**	**3300**
33	अरूणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	127	151	1177	0	102	85	**1642**	686	**41.78%**	956	**58.22%**	99	**6.03%**	53	**3.23%**	1366	**83.19%**	115	**7.00%**	**9**	**0.55%**	0	**0**	**1642**
34	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय	84	250	2362	0	0	855	**3551**	1761	**49.59%**	1790	**50.41%**	1052	**29.63%**	286	**8.05%**	815	**22.95%**	1383	**38.95%**	**15**	**0.42%**	0	**0**	**3551**
35	मेघालय	पूर्वोत्र पर्वतीय विश्वविद्यालय	628	1121	2342	311	144	743	**5289**	2498	**47.23%**	2791	**52.77%**	1235	**23.35%**	209	**3.95%**	3566	**67.42%**	260	**4.92%**	**19**	**0.36%**	0	**0**	**5289**
36	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय	0	2326	1363	32	125	473	**4319**	2267	**52.49%**	2052	**47.51%**	199	**4.61%**	64	**1.48%**	3950	**91.46%**	100	**2.32%**	**6**	**0.14%**	0	**0**	**4319**
37	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय	10	483	1247	0	0	222	**1962**	811	**41.34%**	1151	**58.66%**	137	**6.98%**	11	**0.56%**	1766	**90.01%**	48	**2.45%**	**0**	**0.00%**	0	**0**	**1962**
38	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय	6	0	946	272	89	96	**1409**	636	**45.14%**	773	**54.86%**	547	**38.82%**	97	**6.88%**	404	**28.67%**	361	**25.62%**	**0**	**0.00%**	0	**0**	**1409**
39	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	139	134	1840	172	62	83	**2430**	1266	**52.10%**	1164	**47.90%**	995	**40.95%**	386	**15.88%**	638	**26.26%**	397	**16.34%**	**14**	**0.58%**	0	**0**	**2430**
	कुल–III (पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)		**1098**	**6368**	**14976**	**1984**	**961**	**3273**	**28660**	**14364**	**50.12%**	**14296**	**49.88%**	**8005**	**27.93%**	**2141**	**7.47%**	**13457**	**46.95%**	**4963**	**17.32%**	**94**	**0.33%**	**0**	**0**	**28660**
कुल (गैर–पूर्वोत्तर केन्द्रीय विश्वविद्यालय)			**13430**	**73626**	**57666**	**7621**	**3371**	**22855**	**178569**	**112079**	**62.77%**	**66490**	**37.23%**	**97625**	**54.67%**	**21077**	**11.80%**	**7302**	**4.09%**	**50904**	**28.51%**	**1661**	**0.93%**	0	**0.00%**	**178569**
कुल (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)			**1098**	**6368**	**14976**	**1984**	**961**	**3273**	**28660**	**14364**	**50.12%**	**14296**	**49.88%**	**8005**	**27.93%**	**2141**	**7.47%**	**13457**	**46.95%**	**4963**	**17.32%**	**94**	**0.33%**	0	**0.00%**	**28660**
कुल (नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय)			**223**	**726**	**5703**	**3254**	**1104**	**873**	**11883**	**6505**	**54.74%**	**5378**	**45.26%**	**5973**	**50.27%**	**1518**	**12.77%**	**704**	**5.92%**	**3642**	**30.65%**	**46**	**0.39%**	0	**0.00%**	**11883**
सकल योग (गैर–पूर्वोत्तर के.वि.+ नए के.वि. +पूर्वोत्तर क्षेत्र के.वि.)			**14751**	**80720**	**78345**	**12859**	**5436**	**27001**	**219112**	**132948**	**60.68%**	**86164**	**39.32%**	**111603**	**50.93%**	**24736**	**11.29%**	**21463**	**9.80%**	**59509**	**27.16%**	**1801**	**0.82%**	0	**0.00%**	**219112**

2014–15 के लिए राज्य–वार उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन (पी)

क्र.सं.	राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन का प्रतिशत
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10669	5503	51.58
2	आंध्र प्रदेश	1767086	773650	43.78
3	अरुणाचल प्रदेश	46116	22738	49.31
4	असम	546265	269781	49.39
5	बिहार	1529851	646603	42.27
6	चंडीगढ़	93469	46383	49.62
7	छत्तीसगढ़	447915	213977	47.77
8	दादरा एवं नगर हवेली	4848	2084	42.99
9	दमन और दीव	3000	1240	41.33
10	दिल्ली	960834	452857	47.13
11	गोवा	46457	23262	50.07
12	गुजरात	1435209	593809	41.37
13	हरयाणा	877713	399892	45.56
14	हिमाचल प्रदेश	234917	121697	51.80
15	जम्मू और कश्मीर	337888	167986	49.72
16	झारखंड	572273	270427	47.25
17	कर्नाटक	1896905	910658	48.01
18	केरल	884451	514146	58.13
19	लक्षद्वीप	280	207	73.93
20	मध्य प्रदेश	1712419	710690	41.50
21	महाराष्ट्र	3736155	1617667	43.30
22	मणिपुर	105128	51783	49.26
23	मेघालय	71171	37302	52.41
24	मिजोरम	30564	15226	49.82
25	नगालैंड	38970	19674	50.48
26	ओडिशा	826820	371469	44.93
27	पुडुचेरी	67381	32290	47.92
28	पंजाब	892820	426386	47.76
29	राजस्थान	1720390	732841	42.60
30	सिक्किम	24023	12403	51.63
31	तमिलनाडु	3352881	1607606	47.95
32	तेलंगाना	1479088	675697	45.68
33	त्रिपुरा	74054	30421	41.08
34	उत्तर प्रदेश	6066920	2883803	47.53
35	उत्तराखंड	415768	196378	47.23
36	पश्चिम बंगाल	1900939	864482	45.48
अखिल भारत		**34211637**	**15723018**	**45.96**

स्रोतः अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, एमएचआरडी
पी का अर्थ अनंतिम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के स्वायत्त संगठन/संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम उच्चतर शिक्षा विभाग

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	1. शीर्ष स्तरीय निकाय	1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।	www.ugc.ac.in
		2.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) नई दिल्ली।	www.ichr.ac.in
		3.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली।	www.icssr.org
		4.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली।	www.icpr.nic.in
		5.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई) हैदराबाद।	www.ncri.in
		6.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी (आईआईएएस), शिमला	www.iias.org
		7.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)	www.aiuweb.org
		8.	सभ्यता अध्ययन केन्द्र, भारतीय विज्ञान, दर्शन और संस्कृति इतिहास परियोजना, (पीएचआईएसपीसी)	www.phispc.nic.in
	2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय	9.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	www.du.ac.in
		10.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	www.jnu.ac.in
		11.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	www.amu.ac.in
		12.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	www.bhu.ac.in
		13.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी।	www.pondiuni.edu.in
		14.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।	www.uohyd.ac.in
		15.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग।	www.nehu.ac.in
		16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली।	www.ignou.ac.in
		17.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर।	www.aus.ac.in
		18.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम।	www.tezu.ernet.in
		19.	विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल।	www.visva-bharati.ac.in
		20.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैंड।	www.nagauniv.org.in
		21.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।	www.jmi.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
		22.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।	www.bbau.ac.in
		23.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल।	www.manipuruniv.ac.in
		24.	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल, मिज़ोरम।	www.mzu.edu.in
		25.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय ए इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	www.allduniv.ac.in
		26.	मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद।	www.manuu.ac.in
		27.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा।	www.hindivishwa.org
	नई केन्द्रीय विश्वविद्यालय	28.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद।	www.efluniversity.ac.in
		29.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	www.rgu.ac.in
		30.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।	www.ggu.ac.in
		31.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना ।	www.cub.ac.in
		32.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर।	www.cug.ac.in
		33.	हरियाणा, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुड़गांव	www.cuharyana.org
		34.	हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला	www.cuhimachal.ac.in
		35.	कश्मीर, केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर	www.cukashmir.ac.in
		36.	जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय।	www.jammuuniversity.in
		37.	झारखंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची	www.cuj.ac.in
		38.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा	www.cuk.ac.in
		39.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम	www.cukerala.ac.in
		40.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।	www.igntu.nic.in
		41.	डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्व विद्यालय, मध्य प्रदेश।	www.dhsgsu.ac.in
		42.	उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	www.cuo.ac.in
		43.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा	www.centralunipunjab.com
		44.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय जयपुर	www.curaj.ac.in
		45.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरूवयूर	www.cutn.ac.in
		46.	सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय, गंगटोक सिक्किम	www.sikkimuniversity.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
		47.	त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय, अगरतला	www.tripurauniv.in
		48.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड	www.hnbgu.ac.in
	3. अन्य	49.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी (आईआईएएस), शिमला	www.iias.org
		50.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली	www.ncmei.gov.in
2. तकनीकी शिक्षा	1. उच्चस्तरीय निकाय	51.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (आईआईटी), नई दिल्ली	www.aicte-india.org
		52.	वास्तुकला परिषद इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली	www.coa.gov.in
	2. आईआईटीएस	53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) नई दिल्ली	www.iitd.ernet.in
		54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर	www.iitk.ac.in
		55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मुंबई	www.iitb.ac.in
		56.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर	www.iitkgp.ac.in
		57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) चैन्नई	www.iitm.ac.in
		58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गुवाहटी	www.iitg.ernet.in
		59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रूड़की	www.iitr.ernet.in
	नए आईआईटीएस	60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर	www.iitj.ac.in
		61.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर	www.iitgn.ac.in
		62.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना	www.iitp.ac.in
		63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हैदराबाद	www.iith.ac.in
		64.	भारतीय प्रौद्योगिकी (आईआईटी) रोपड़, पंजाब	www.iitd.ac.in
		65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भुवनेश्वर	www.iitbbs.ac.in
		66.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी	www.iitmandi.ac.in
		67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर	www.iiti.ac.in
		68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी–बीबीएचयू) वाराणसी	www.iitbhu.ac.in
		69.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), तिरूपति	www.iittp.ac.in
		70.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पल्लकड़	www.iitpkd.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
	3. आईआईएमएस	71.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद।	www.iimahd.ernet.in
		72.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर।	www.iimb.ernet.in
		73.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता।	www.iimcal.ac.in
		74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ	www.iiml.ac.in
		75.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	www.iimidr.ac.in
		76.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड	www.iimk.ac.in
	नए आईआईएमएस	77.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग	www.iimshillong.in
		78.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक हरियाणा	www.iimrohtak.ac.in
		79.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	www.iimraipur.ac.in
		80.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड़	www.iimranchi.ac.in
		81.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।	www.iimtrichy.ac.in
		82.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	www.iimu.ac.in
		83.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, उत्तराखंड़	www.iimkashipur.ac.in
	4. एनआईटीएस	84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकाट, केरल	www.nitc.ac.in
		85.	एस.वी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत, गुजरात।	www.svnit.ac.in
		86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर ।	www.nitsri.net
		87.	मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रौद्योगिकी, इलाहाबाद।	www.mnnit.ac.in
		88.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	www.nitdgp.ac.in
		89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड।	www.nitjsr.ac.in
		90.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र	www.vnitnagpur.ac.in
		91.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथाकल, कर्नाटक	www.nitk.ac.in
		92.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, आंध्र प्रदेश।	www.nitw.ac.in
		93.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान।	www.mnit.ac.in
		94.	नेशनल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा।	www.nitrkl.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
		95.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल।	www.manit.ac.in
		96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	www.nitt.edu
		97.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र, हरियाणा।	www.nitkkr.ac.in
		98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिल्चर, असम।	www.nits.ac.in
		99.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर।	www.nitham.ac.in
		100.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, बिहार।	www.nitp.ac.in
		101.	डॉण बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर।	www.nitj.ac.in
		102.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।	www.nitrr.ac.in
		103.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला, त्रिपुरा।	www.tec.nic.in
	आईआईईएसटी और नए एनआईटीएस	104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम।	www.nitc.ac.in
		105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरूणाचल प्रदेश	www.nitdgp.ac.in
		106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश	www.nitandhra.ac.in
		107.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय।	www.nitmeghalaya.org
		108.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड़	www.nits.ac.in
		109.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर।	www.nitmanipur.in
		110.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम।	www.vnit.ac.in
		111.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड़।	www.nitkkr.nic.in
		112.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा।	www.nitgoa.ac.in
		113.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।	www.ee.iitd.ernet.in
		114.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुद्दुचेरी।	www.nitt.edu
		115.	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर	www.becs.ac.in
	5. आईआई आईटीएस	116.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, (एबीवी.आईआईआईटीएम), ग्वालियर।	www.iiitm.ac.in
		117.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद।	www.iiita.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
		118.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर।	www.iiitdm.in
		119.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, (आईआईआईटीडीएम), कांचीपुरम।	www.iiitdm.ac.in
	6. आईआईएससी और नए आईआईएसआरएस	120.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	www.iisc.ernet.in
		121.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे।	www.iiserpune.ac.in
		122.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता।	www.iiserkol.ac.in
		123.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली।	www.iisermohali.ac.in
		124.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल।	www.iiserbhopal.ac.in
		125.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुवनंतपुरम।	www.iisertvm.ac.in
		126.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरूपति।	www.iisertirupati.ac.in
	7. एनआईटी टीटीआरएस	127.	राष्ट्र तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता	www.nitttrkol.ac.in
		128.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तेरामनी, चेन्नई।	www.nitttrc.ac.in
		129.	भारतीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल।	www.nitttrbhopal.org
		130.	भारतीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।	www.nitttrchd.ac.in
	8. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड	131.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई।	www.apprentice-engineer.com
		132.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओपीटी), कोलकाता।	www.bopter.gov.in
		133.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), कानपुर।	www.batnorth.nic.in
		134.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (बीओएटी), चेन्नई।	www.boatsr.tn.nic.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
	9. अन्य	135.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।	www.ismdhanbad.ac.in
		136.	नेशनल फाउंड्री और फोर्ज टेक्नोलोजी इंस्टीटयूट (एनआईएफएफटी), रांची।	www.nifft.ernet.in
		137.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डसट्रीयल इंजीनियरिंग, मुंबई	www.nitie.edu
		138.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।	www.spa.ac.in
		139.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, भोपाल।	www.spabhopal.ac.in
		140.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, विजयवाड़ा।	www.spav.ac.in
		141.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), संगरूर पंजाब।	www.sliet.ac.in
		142.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	www.nerist.ac.in
		143.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार।	www.cit.kokrajhar.in
3. भाषाएँ	1. संस्कृत एवं वैदिक संस्थाएं	144.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	www.sanskrit.nic.in
		145.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।	www.slbsrsv.ac.in
		146.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।	www.rsvidyapeetha.ac.in
		147.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन।	www.msrvvp.nic.in
	2. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित संस्था	148.	केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा।	www.hindisansthan.org
		149.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	www.urducouncil.nic.in
		150.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वडोदरा	www.ncpsl.org
		151.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, (सीआईसीटी), चेन्नई।	www.cict.in
4. योजना		152.	नेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी (एनयूईपीए), नई दिल्ली।	www.nuepa.org
5. यूनेस्को		153.	ऑरोविले फाउंडेशन, भारत निवास, ऑरोविले, तमिलनाडु।	www.auroville.org
6. पुस्तक संवर्धन		154.	नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।	www.nbtindia.org.in
			संबद्ध कार्यालय	
भाषाएं		1.	केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।	www.ciil.org

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र. सं.	संगठन का नाम	संगठन की वेबसाइट
		2.	केन्द्रीय हिंदी, निदेशालय, नई दिल्ली।	www.hindinideshalaya.nic.in
		3.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दवाली आयोग, नई दिल्ली	www.cstt.nic.in
			सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
		1.	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (एडसिल), नोएडा, उत्तर प्रदेश	www.edcilindia.co.in
			स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	
		1.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	www.cbse.nic.in
		2.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (एनसीईआरटी) नई दिल्ली।	www.ncert.nic.in
		3.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश।	www.nos.org
		4.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), दिल्ली।	www.ctsa.nic.in
		5.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली।	www.navodaya.nic.in
		6.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।	www.kvsangathan.nic.in
		7.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, (एनसीटीई), नई दिल्ली।	www.ncte-india.org
			अधीनस्थ कार्यालय	
प्रौढ़ शिक्षा		1.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली।	

योजना आबंटन– उच्चतर शिक्षा विभाग

(करोड़ में)

क्र. सं.	योजनाएं	बीई	आईई 2015–16	प्रस्तावित बीई 2016–17
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1850.00	1700.00	2050.00
2	न्यायाधिकरण प्रत्यायन प्राधिकरण व एनसीएचईआर की स्थापना	0.01	0.01	0.10
3	राष्ट्रीय खेलकूद और स्वास्थ्य पहल	1.00	0.10	1.00
4	गारंटी फंड के लिए ब्याज सब्सिडी और योगदान	2130.00	1960.00	1950.00
5	भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय पहल	0.01	0.01	0.50
6	राष्ट्रीय सामाजिक उत्तरादायित्व प्रोत्साहन पहल	1.01	0.01	1.00
7	छात्रवृत्ति	270.00	228.00	270.00
8	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1155.00	1055.00	1300.00
9	आईसीटी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन	200.00	87.15	200.00
10	उच्च शिक्षा इलैक्ट्रानिक संसाधनों के लिए कंर्सोटियम	225.00	168.00	235.00
11	वर्चुअल कक्षाओं और व्यापक मुक्त पैमाने पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम की स्थापना (एमओओसीएस)	150.00	57.00	75.00
12	सामुदायिक कॉलेजों सहित कौशल आधारित उच्च शिक्षा के लिए सहायता	216.97	0.50	50.00
13	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता (आईआईटीएस)	2000.00	2369.00	2625.00
14	भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद	100.00	100.00	100.00
15	भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	376.98	276.98	250.00
16	अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान	50.00	15.00	15.00
17	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान सहित एआईसीटीई	275.00	300.00	480.00
18	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) (बीईएसयू और सीयूएसएटी) का उन्नयन	40.00	65.00	80.00
19	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पहल	25.00	14.50	50.00
20	आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	55.00	55.00	20.00
21	आईआईटी, आंध्र प्रदेश	40.00	18.00	40.00
22	इम्प्रिंट अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन	0.00	0.01	50.00

क्र. सं.	योजनाएं	बीई	आईई 2015–16	प्रस्तावित बीई 2016–17
23	राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	0.00	0.01	5.00
24	राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग	0.00	0.01	5.00
25	उन्नत भारत अभियान	0.00	0.01	10.00
26	उच्चतर आविष्कार अभियान	0.00	0.01	75.00
27	अंतर संस्थागत केन्द्रों की स्थापना, उत्कृष्टता क्लस्टर नेटवर्क और संस्थाओं में सहयोग की स्थापना करना	0.01	0.01	1.00
28	प्रबंधन, फार्मेसी शिक्षा और होटल प्रबंधन के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	0.01	0.01	1.00
29	नए आईआईटी और आईआईएम की स्थापना '	1000.00	102.00	
29(a)	नए आईआईटी की स्थापना	-	-	190.00
30	केंद्रीय विश्वविद्यालय	2000.00	1850.00	1870.00
31	डीम्ड विश्वविद्यालय	55.00	55.00	55.00
32	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	1.00	0.10	1.00
33	जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	2.00	0.10	2.00
34	भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अनुदान	233.00	236.00	231.00
35	हिंदी निदेशालय	30.00	30.00	32.00
36	वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	7.00	6.00	7.00
37	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर और क्षेत्रीय केन्द्र	30.00	23.00	30.00
38	राष्ट्रीय शिक्षक एवं अध्यापन मिशन	100.00	63.00	120.00
39	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए)	13.00	15.00	13.00
40	ऑरोविले प्रबंधन	15.00	13.00	15.00
41	वैश्विक भागीदारी के लिए पहल	30.00	23.00	25.00
42	राष्ट्रीय डिजाइन अभिनव के लिए पहल	35.00	33.00	35.00
43	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एस) (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) के लिए सहायता	150.00	150.00	155.00
44	पीपीपी मोड में आईआईआईटी की स्थापना	16.00	50.00	60.00
45	आईआईआईटी, आंध्र प्रदेश	45.00	3.10	20.00
46	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	2.00	2.00	2.00
47	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल	160.00	155.00	160.00
48	भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए सहायता (आईआईएम)	300.00	420.00	535.00

क्र. सं.	योजनाएं	बीई	आईई 2015–16	प्रस्तावित बीई 2016–17
49	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एस) के लिए सहायता आईआईएसईआर)	610.00	775.00	800.00
50	आईआईएम, आंध्र प्रदेश	40.00	13.10	30.00
51	आईआईएसईआर, आंध्र प्रदेश	40.00	5.00	40.00
52	नए आईआईएम की स्थापना	-	-	160.00
53	शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (जीआईएएन)	0.00	0.01	20.00
54	बहु–विषयक शोध विश्वविद्यालयों की स्थापना और उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना और शोध मूल्यांकन की प्रणाली का निर्माण करना	110.00	0.10	10.00
55	उच्च शिक्षा में विकलांग व्यक्तियों को शामिल किए जाने संबंधी राष्ट्रीय पहल	1.00	4.00	2.00
56	इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता	125.00	118.00	100.00
57	नेशनल बुक ट्रस्ट/संस्थाओं को पुस्तक संवर्धन के लिए अनुदान	13.00	28.00	28.00
58	कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार का प्रमोशन	4.26	4.26	4.50
59	प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	79.50	79.50	79.50
60	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुंबई	4.00	4.00	4.00
61	आयोजना और वास्तुशिल्प स्कूल (एसपीए) के लिए सहायता	70.00	60.00	60.00
62	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एस) (एनआईटीटीटीआरएस) के लिए सहायता	35.00	45.00	45.00
63	शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओटी)	3.50	4.50	3.50
64	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सहातया (एनआईटीएस)	1190.00	1456.00	1444.90
65	एनएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआ. ईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता	85.00	115.00	115.00
66	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश	40.00	5.00	40.00
67	प्रशासन और प्रत्यायन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	8.00	0.90	1.00
68	सांख्यिकीय और सार्वजनिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	12.00	12.00	15.00
	कुल योग	**15855.26**	**14428.00**	**16500.00**

क्रम संख्या 29 पर 2015–16 की योजना अर्थात् नए आईआईटी और आईआईएम' स्थापित करने के लिए वर्ष में आईआईटी और आईआईएम दोनों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस योजना का दो योजनाओं अर्थात् आईआईटी को स्थापित करना और आईआईएम को स्थापित करने के लिए विभाजित किया गया है और क्रमशः 190 (क्रम सं. 29 (क)) और 160 करोड़ (क्रम सं. 52) पर प्रावधान रखे गए हैं।

योजनेतर आबंटन– उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	बीई 2015–16	आरई 2015–16	बीई 2016–17
1	यूजीसी	2135.965	2135.965	2441.94
2	केंद्रीय विश्वविद्यालय	3959.485	3959.485	4485.93
3	विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के वेतन मान में सुधार	1200	1200	1237
4	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पहल	96.1	96.1	109.81
5	एसआईसीआई	2.77	2.29	2.77
6	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	0.32	0.32	0.32
7	अन्य मदें	0.01	0.0033	0.01
8	आय कर की वापसी	1.64	1.8613	1.64
9	नेशनल रिसर्च प्रोफेसर	1.3	1.3	1.3
10	इग्नू	1	0.7787	1
11	कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग	6	6	6
12	गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य छात्रवृत्तियां	1	1	1
13	सीएचडी*	13.9	13.9	14.53
14	सीएसटीटी*	3.69	4.05	5.1
15	सीआईआईएलए मैसूर*	11.35	9.17	10.5
16	भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अनुदान	88.24	87.88	102.15
17	पुस्तक संवर्धन	25.95	24.48	29.32
18	कॉपी राइट बोर्ड*	4.28	4.28	4.3
19	कॉपीराइट कार्यालय*	2.35	1.25	2.35
20	ऑरोविले फाउंडेशन	2.1978	1.9998	2.4
21	यूनेस्को का योगदान	15.2	15.2	15.2
22	प्रतिनियुक्ति और यूनेस्को का प्रतिनिधिमंडल	0.68	0.9985	0.8
23	विदेशी प्रतिनिधिमंडल की भेंट	0.15	0.05	0.15
24	बैठक/सम्मेलन का आयोजन	0.25	0.25	0.3

क्र. सं.	योजना का नाम	बीई 2015–16	आरई 2015–16	बीई 2016–17
25	न्यूपा	18.18	18.18	20.7
26	एनसीएमईआई	3.9922	3.9262	4.8
27	एनएमसीएमई	0.26	0.1258	0.26
28	गैर अधिकारियों के लिए टीए/डीए इत्यादि के लिए सेमिनार समितियों की बैठक के संबंध में व्यय	0.5	0.5	0.5
29	एडू. विदेशी शिक्षा विंग*	7.27	7.27	7.27
30	आईआईटी	1703.85	1703.85	1923.51
31	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान के संस्थान (एस) के लिए सहायता (आईआईएसईआर)	269.09	269.09	302.52
32	आईआईएम	5	5	5
33	एनआईआईईए मुंबई	27.14	27.14	31.1
34	एनआईटीटीटीआर	65.55	65.55	74.75
35	आईएसएम धनबाद	74.5	74.5	85.2
36	एसपीएए नई दिल्ली	26	26	29.74
37	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एस) (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) के लिए सहायता	29.25	29.25	32.5
38	एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी रांची, सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता	106.68	97.7881	129.58
39	बीओ,टी (स्थापना)	12.01	12.01	13.64
40	प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	18.22	18.22	18.22
41	आईएनडीईएसटी	22.34	7.655	22.34
42	एआईसीटीई	1	0.34	1
43	एनआईटी	934.98	934.98	1065.05
44	एआईटी बैंकॉक	0.36	1.02	0.5
45	आईटीसी	0.01	0.0033	0.01
46	सचिवालय	99.99	99.99	95.99
	कुल योग	**11000.00**	**10971.00**	**12340.00**

योजना आबंटन– स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(करोड़ रु. में)

योजना

योजना/कार्यक्रम	बीई 2015–16	आरई 2015–16	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार व्यय
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	557.60	489.10	405.90
प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना	450.00	360.00	258.36
राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना	70.00	131.50	58.80
माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय योजना	100.00	162.00	79.34
भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति	80.00	80.00	72.55
राष्ट्रीय बाल भवन	11.00	10.58	6.95
स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9236.40	9246.91	7175.51
सर्व शिक्षा अभियान	22000.00	21946.70	16939.73
मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना	375.50	335.50	128.74
स्कूल आकलन कार्यक्रम	50.00	6.58	0.00
पहुँच और समता	1.00	0.47	0.14
एनजीओ/एसआरसी/एई और कौशल विकास संस्थाओं को सहायता	75.00	100.00	71.67
एनएलएमए	3.00	1.15	0.14
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	8.00	5.50	2.10
एनसीईआरटी	25.00	22.31	14.07
केवीएस	875.00	875.00	603.29
एनवीएस	1550.00	1774.14	1225.21
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	3565.00	3565.00	2715.40
ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए योजना	1.00	1.00	0.00
केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	5.00	2.85	1.20
कुल	**39038.50**	**39116.29**	**29759.10**

योजना आबंटन–स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(करोड़ रु. में)

योजनेतर

योजना/कार्यक्रम	बीई 2015–16	आरई 2015–16	31.12.2015 की स्थिति के अनुसार व्यय
सचिवालय	6.50	6.29	4.17
राष्ट्रीय बाल भवन	8.70	8.70	7.25
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2.95	2.95	2.13
जन शिक्षण संस्थान, दिल्ली	0.65	0.65	0.32
एनएलएमए/टीए/डीए	0.03	0.03	0.00
एनसीईआरटी	200.00	167.21	126.93
केवीएस	2403.47	2403.47	2403.47
एनवीएस	511.00	511.00	433.25
सीटीएसए	45.00	45.00	33.75
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार	2.70	2.70	2.45
कुल योग	**3181.00**	**3148.00**	**3013.72**

कवरेज: संस्थान (वर्ष 2014–15 की चौथी तिमाही)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन			कवरेज			: कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	36479	11232	47711	36934	11127	48061	101%	99%	101%
2	अरूणाचल प्रदेश	2289	1055	3344	2254	1061	3315	98%	101%	99%
3	असम	42996	13331	56327	43418	13459	56877	101%	101%	101%
4	बिहार	41226	30730	71956	39473	30353	69826	96%	99%	97%
5	छत्तीसगढ़	33668	14075	47743	33620	14109	47729	100%	100%	100%
6	गोवा	1103	429	1532	1084	424	1508	98%	99%	98%
7	गुजरात	13214	25895	39109	12812	22627	35439	97%	87%	91%
8	हरियाणा	4147	11158	15305	3471	11243	14714	84%	101%	96%
9	हिमाचल प्रदेश	10694	4503	15197	10757	4582	15339	101%	102%	101%
10	जम्मू एंड कश्मीर	13416	9549	22965	13446	10234	23680	100%	107%	103%
11	झारखंड	26945	14208	41153	26757	14201	40958	99%	100%	100%
12	कर्नाटक	22421	33461	55882	22140	33543	55683	99%	100%	100%
13	केरल	6873	5504	12377	6879	5494	12373	100%	100%	100%
14	मध्य प्रदेश	86142	30566	116708	85913	30565	116478	100%	100%	100%
15	महाराष्ट्र	48048	37980	86028	47680	38497	86177	99%	101%	100%
16	मणिपुर	2534	763	3297	2410	876	3286	95%	115%	100%
17	मेघालय	7968	3259	11227	7963	3259	11222	100%	100%	100%
18	मिजोरम	1476	1040	2516	1480	1091	2571	100%	105%	102%
19	नगालैंड	1759	502	2261	1759	502	2261	100%	100%	100%
20	ओडिशा	35639	26910	62549	35514	27146	62660	100%	101%	100%
21	पंजाब	13669	6667	20336	13642	6712	20354	100%	101%	100%
22	राजस्थान	50429	34844	85273	37132	36067	73199	74%	104%	86%
23	सिक्किम	514	360	874	498	372	870	97%	103%	100%
24	तमिलनाडु	27086	15533	42619	27092	15878	42970	100%	102%	101%
25	तेलंगाना	21303	8617	29920	20213	8443	28656	95%	98%	96%
26	त्रिपुरा	4461	2084	6545	4482	2084	6566	100%	100%	100%
27	उत्तर प्रदेश	115451	54019	169470	114400	53118	167518	99%	98%	99%
28	उत्तराखंड	12768	5330	18098	12483	5266	17749	98%	99%	98%
29	पश्चिम बंगाल	68424	14976	83400	68094	15727	83821	100%	105%	101%
30	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	189	149	338	189	149	338	100%	100%	100%
31	चंडीगढ़	11	104	115	11	105	116	100%	101%	101%
32	दादरा और नागर हवेली	166	117	283	166	117	283	100%	100%	100%
33	दमन और दीव	56	43	99	56	43	99	100%	100%	100%
34	दिल्ली	1831	1234	3065	1827	1250	3077	100%	101%	100%
35	लक्षद्वीप	18	24	42	17	24	41	94%	100%	98%
36	पुदुचेरी	250	201	451	250	201	451	100%	100%	100%
	कुल	**755663**	**420452**	**1176115**	**736316**	**419949**	**1156265**	**97%**	**100%**	**98%**

कवरेजः बच्चे 2014–15

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदन			कवरेज			% कवरेज		
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	2216678	1314321	3530999	1836648	1080953	2917601	83%	82%	83%
2	अरूणाचल प्रदेश	182813	72562	255375	175512	69779	245291	96%	96%	96%
3	असम	3350804	1668480	5019284	3045360	1429543	4474903	91%	86%	89%
4	बिहार	14317759	6058807	20376566	9457393	3693030	13150423	66%	61%	65%
5	छत्तीसगढ़	2194362	1348825	3543187	1785175	1091863	2877038	81%	81%	81%
6	गोवा	93765	68359	162124	86136	59216	145351	92%	87%	90%
7	गुजरात	3826977	2228995	6055972	2661338	1599189	4260527	70%	72%	70%
8	हरियाणा	1266824	796596	2063420	1191188	754036	1945224	94%	95%	94%
9	हिमाचल प्रदेश	335967	248274	584241	312671	230079	542750	93%	93%	93%
10	जम्मू एंड कश्मीर	722108	347128	1069236	482888	230103	712990	67%	66%	67%
11	झारखंड	3560241	1514273	5074514	1852915	732227	2585142	52%	48%	51%
12	कर्नाटक	3216734	1965080	5181814	2974790	1792310	4767100	92%	91%	92%
13	केरल	1605968	1145463	2751431	1525606	996718	2522323	95%	87%	92%
14	मध्य प्रदेश	6279376	3128779	9408155	4774525	2470066	7244591	76%	79%	77%
15	महाराष्ट्र	7144768	4661258	11806026	5990562	3772288	9762850	84%	81%	83%
16	मणिपुर	181258	45455	226713	149549	37047	186596	83%	82%	82%
17	मेघालय	405753	159747	565500	375456	135094	510550	93%	85%	90%
18	मिजोरम	98825	46550	145375	94950	42173	137123	96%	91%	94%
19	नगालैंड	170352	47955	218307	170304	46482	216786	100%	97%	100%
20	ओडिशा	3613811	1939730	5553541	3122746	1610806	4733551	86%	83%	85%
21	पंजाब	1186480	785033	1971513	1002012	651080	1653092	84%	83%	84%
22	राजस्थान	4394065	2376767	6770832	3232414	1713516	4945930	74%	72%	73%
23	सिक्किम	43352	36477	79829	43738	32382	76120	100%	89%	95%
24	तमिलनाडु	3103706	2452359	5556065	2699640	2110830	4810470	87%	86%	87%
25	तेलंगाना	1544008	876744	2420752	1249038	763291	2012329	81%	87%	83%
26	त्रिपुरा	334298	188253	522551	235188	119968	355156	70%	64%	68%
27	उत्तर प्रदेश	13374374	5759496	19133870	7334808	2991235	10326042	55%	52%	54%
28	उत्तराखंड	499992	345095	845087	401996	265652	667647	80%	77%	79%
29	पश्चिम बंगाल	7901634	4945036	12846670	7542550	4556190	12098740	95%	92%	94%
30	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	21341	14762	36103	16447	11511	27958	77%	78%	77%
31	चंडीगढ़	61375	42454	103829	28067	18712	46779	46%	44%	45%
32	दादरा और नागर हवेली	24484	18694	43178	19605	14716	34320	80%	79%	79%
33	दमन और दीव	10972	7519	18491	8318	5915	14232	76%	79%	77%
34	दिल्ली	1097581	711763	1809344	717452	449132	1166583	65%	63%	64%
35	लक्षद्वीप	4389	3237	7626	4144	3024	7168	94%	93%	94%
36	पुदुचेरी	33052	29770	62822	27233	28241	55474	82%	95%	88%
	कुल	**88420246**	**47400096**	**135820342**	**66628360**	**35608394**	**102236754**	**75%**	**75%**	**75%**

रसोईघर–सह–भंडार के निर्माण की वास्तविक प्रगति
(प्राथमिक + उच्च प्राथमिक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2006–07 से 2014–15 के दौरान स्वीकृत रसोईघर–सह–भंडारों की संख्या	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार रसोईघर सह भंडार (प्राथमिक + उच्चप्राथमिक) के निर्माण की वास्तविक प्रगति					
			निर्मित		निर्माण प्रगतिरत		अभी शुरू नहीं किए गए	
			संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	44875	11149	25%	14128	31%	19598	44%
2	अरूणाचल प्रदेश	4131	4085	99%	0	0%	46	1%
3	असम	56795	39450	69%	8811	16%	8534	15%
4	बिहार	66550	47253	71%	9296	14%	10001	15%
5	छत्तीसगढ़	47266	38608	82%	7953	17%	705	1%
6	गोवा	0	0	0%	0	0%	0	0%
7	गुजरात	25077	18960	76%	141	1%	5976	24%
8	हरियाणा	11483	7414	65%	1431	12%	2638	23%
9	हिमाचल प्रदेश	14959	14022	94%	507	3%	430	3%
10	जम्मू एंड कश्मीर	11815	7118	60%	0	0%	4697	40%
11	झारखंड	39001	23385	60%	7062	18%	8554	22%
12	कर्नाटक	40477	34300	85%	1228	3%	4949	12%
13	केरल	2450	802	33%	1648	67%	0	0%
14	मध्य प्रदेश	100751	89578	89%	6583	7%	4590	5%
15	महाराष्ट्र	71783	54268	76%	2890	4%	14625	20%
16	मणिपुर	3053	1739	57%	14	0%	1300	43%
17	मेघालय	9491	8393	88%	951	10%	147	2%
18	मिजोरम	2396	2396	100%	0	0%	0	0%
19	नगालैंड	2223	2223	100%	6	0%	0	0%
20	ओडिशा	69152	37022	54%	32130	46%	0	0%
21	पंजाब	18969	18771	99%	198	1%	0	0%
22	राजस्थान	77298	49949	65%	5521	7%	21828	28%
23	सिक्किम	936	800	85%	59	6%	77	8%
24	तमिलनाडु	28470	13754	48%	14716	52%	0	0%
25	तेलंगाना	30408	10077	33%	4983	16%	15348	50%
26	त्रिपुरा	5144	5405	105%	0	0%	0	0%
27	उत्तर प्रदेश	122572	112723	92%	23	0%	9826	8%
28	उत्तराखंड	16989	13287	78%	2250	13%	1452	9%
29	पश्चिम बंगाल	81314	66204	81%	15110	19%	0	0%
30	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	251	9	4%	31	12%	211	84%
31	चंडीगढ़	10	7	70%	0	0%	3	30%
32	दादरा और नागर हवेली	50	1	2%	49	98%	0	0%
33	दमन और दीव	32	26	81%	6	19%	0	0%
34	दिल्ली	0	0	0%	0	0%	0	0%
35	लक्षद्वीप	0	0	0%	0	0%	0	0%
36	पुद्दुचेरी	92	92	100%	0	0%	0	0%
	कुल	**1006263**	**733270**	**73%**	**137725**	**14%**	**135535**	**13%**

*त्रिपुरा ने स्वीकृत की अपेक्षा 261 अधिक रसोईघर–सह–स्टोर निर्मित

परिशिष्ट

प रि शि ष्ट

परिशिष्ट–I

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

परिशिष्ट–II

उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

परिशिष्ट–III

विश्वविद्यालय/विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 01.04.2015 से 01.04.2016 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छात्रवृत्तियों की संख्या

परिशिष्ट-I

(04.01.2016 की स्थिति के अनुसार)

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री
(सुश्री स्मृति ईरानी)

↓

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (प्रोफेसर (डॉ.) रामशंकर कठेरिया)

↓

उच्चतर शिक्षा विभाग

↓

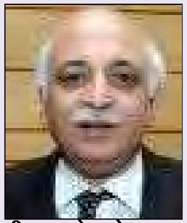

विनय शील ओबरोय, आईएएस
(एएमः 79) सचिव (एचई)

श्री आर. सुब्रह्मण्यम, आईएएस (एपीः 85), अपर सचिव (टीई)

तकनीकी शिक्षाए आईआईटीए तकनीकी समन्वयए एडसिल (आईएसएमए धनबाद सहित) स्वयमए एमओओसीएसए तकनीकी शिक्षा में समग्र नीतिगत मामलेए एनएमईआईसीटीए तकनीकी समर्थित अधिगम

श्री सुखबीर सिंह संधू, आईएएस (यूके : 88), जेएस (सीयूएंडएल) एंड सीवीओ

केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं भाषाएं

श्री राकेश रंजन, आईएएस (एमटीः 92) जेएस (आईसीसीध्पी)

आईसीसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति मामले, सीएबीई मामले, आईआईटी

सुश्री ईशिता रॉय, आईएएस (केएलः 91) जेएस (एचई)

यूजीसीए उच्चतर शिक्षा, छात्रवृत्तियां

श्री प्रवीण कुमार, आईएएस (टीएनः 87), जेएस (प्रशा.)

ृरशासन, समन्वय, संसद सहित, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईएस, सम विश्वविद्यालय, परिषद् जीआईएएन, ऑनलाइन निधि प्रवाह पद्धति का विकास

श्री शशि प्रकाश गोयल, आईएएस (यूपी : 89) जेएस (एनआईटी एंड डीएल)

सामुदायिक कॉलेजए एडूसेट, एनआईटीटीटीआर, बीओएटी, एनआईटीआईई, एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, सीआईटी, दूरस्थ शिक्षा इग्नू, बीपी एंड सीआर, एनआईटी, एसपी, सहित

सुश्री दर्शना मोमाया डबराल आईपी एंड टीए एंड एफएस (1990), जेएस एंड एफए

वित्त एवं लेखे

श्री बी. एन. तिवारी आईएसएस (83) डीडीजी (सांख्यिकी, पी एंड एम

सांख्यिकी, सीएमआईएस, बजट आयोजना एंव निगरानी, आईईसी

श्री बी.के. पांडे आर्थिक सलाहकार

आर्थिक सुधार उत्तर–पूर्व क्षेत्रए अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी/ विकलांग जेंडर और मानव शक्तिए आयोजनाए अल्पसंख्यक शिक्षाए उन्नत भारत अभियान

परिशिष्ट-II

(04.01.2016 की स्थिति के अनुसार)

संगठन चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्री
(सुश्री स्मृति ईरानी)

↓

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (प्रोफेसर (डॉ.) रामशंकर कठेरिया)

↓

उच्चतर शिक्षा विभाग

↓

डॉ. सुभाष चंद्र खूंटिया
आईएएस (केएनः 81) सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

सुश्री रीना रे,
आईएएस (यूटीः 84)
अपर सचिव (एसई)

आरटीई एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) मदरसों आदि में गुणवत्तपूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए महिला समाख्या योजना,

डॉ. सतबीर बेदी,
आईएएस (यूटीः 86),
जेएस (एसई-II)

राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृति योजना, संघ राज्य, केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवादेय विद्यालय समिति (एनवीएस), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), किशोर शिक्षा

श्री मनीष गर्ग,
आईएएस (एचपीः 96), जेएस
(ईई-I)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), मॉडल स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल स्कीम, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस), नीति एवं आयोजना (माध्यमिक शिक्षा)

श्री जान–ए–आलम,
आईएएस (एनएलः 91),
जेएस (ईई-I)

मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण फाउंडेशन, राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीटीई), बाल भवन आदि।

श्री वाई.एस.के. सेषु कुमार
(यूपीः 87) जेएस (एई)
एंड डीजी (एनएलएमए)

प्रौढ़ शिक्षा एवं साक्षरता, साक्षर भारत अभियान, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

श्री एन.के. साहु,
आईईएसः1985
सलाहकार (एसईएंडएल)

वार्षिक एंव पंचवर्षीय योजना, अ.जा./अ.ज.जा., सांख्यिकी, आर्थिक विश्लेषण, वैयक्तिक योजना स्कीम, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति, इंडो–मंगोलियन स्कूल, आरएफडी सहित एसई एंड एल समन्वयन कार्य

कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (01.04.2015 से 16.03.2016 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	लाभार्थियों की कुल संख्या नए/नवीकरण	राशि
1	सीबीएसई	8273	93210000
2	आईसीएसई	5	90000
3	आंध्र प्रदेश	10680	111290000
4	असम	27	270000
5	बिहार	398	4000000
6	छत्तीसगढ़	1602	16190000
7	गोवा	388	3880000
8	गुजरात	6363	72120000
9	हरियाणा	3533	39220500
10	हिमाचल प्रदेश	317	3170000
11	जम्मू और कश्मीर	829	8560000
12	झारखंड	42	420000
13	कर्नाटक	13552	152890000
14	केरल	2953	33556000
15	मध्य प्रदेश	9333	94250000
16	महाराष्ट्र	13206	137110000
17	मणिपुर	89	890000
18	नगालैंड	327	3270000
19	ओडिशा	2439	27210000
20	पंजाब	2330	23300000
21	राजस्थान	6398	65470000
22	तमिलनाडु	13352	157270000
23	तेलंगाना	10397	130300000
24	त्रिपुरा	203	2240000
25	उत्तर प्रदेश	9098	91440000
26	उत्तराखंड	239	2990000
27	पश्चिम बंगाल	3087	30870000
28	पुद्दुचेरी	53	530000
कुल		**119513**	**1306006500**

सत्यमेव जयते

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार